

प्रेमचन्द

जीवन और कृतित्व

लेखक

हंसराज 'रहबर'



१९५२

आत्माराम एण्ड संस
प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रेता
काश्मीरी गेट
दिल्ली ६

प्रकाशक
रामलाल पुरी
आत्माराम एण्ड सँस
काश्मीरी गेट, दिल्ली ६

मूल्य

आना

मुद्रक
श्यामकुमार गर्ग
हिन्दी प्रिण्टिंग प्रेस
कवीन्स रोड, दिल्ली ६

गोदान
की
धनिया और होरी को

अपनी बात

बीस-बाईस वर्ष पहले की बात है, मैं सातवीं श्रेणी में पढ़ता था। हमारे स्कूल में उर्दू का मासिक पत्र 'मख्ज़न' लाहौर से आता था मैंने उसमें 'मंत्र' कहानी पढ़ी। इस कहानी का नायक बूढ़ा भगत अपनी निःस्वार्थ सेवा, उदारता और महानता के कारण मुझे इतना पसंद आया कि वह मानवीय उत्कर्ष का एक अमिट प्रभाव मेरे मस्तिष्क पर छोड़ गया।

और यों इस कहानी के रचयिता प्रेमचन्द से मैं पहली बार परिचित हुआ।

फिर—प्रेमचन्द की कोई भी चीज—कहानी अथवा पुस्तक मिलती थी मैं उसे शौक से पढ़ता था। कालेज के दिनों ही मैंने लगभग उनका समस्त प्रकाशित साहित्य पढ़ डाला और जितना पढ़ता था, उतना ही उन्हें देखने की उत्कण्ठा तीव्र होती जाती थी। सौभाग्यवश अप्रैल सन् १९३६ में वे आर्य-समाज के वार्षिकोत्सव की एक बैठक का सभापतित्व करने लाहौर आए और मैं उन्हें देखने गया। सोचा कि कहानी के बारे में उनसे कुछ विचार-विनिमय करूँगा। लेकिन श्रद्धा से केवल देखता ही रहा, कुछ कहते न बन पड़ा।

इसके बाद हमारे साहित्य के इतिहास में एक युग ऐसा आया, जब वासना-प्रधान साहित्य का नाम ही प्रगतिवाद था और कहा जाता था कि प्रेमचन्द सुधारवादी थे और हम यथार्थवादी और क्रान्तिकारी हैं; इसलिए हमारी कहानी प्रेमचन्द से बहुत आगे बढ़ गई है। नये लेखकों के इस आन्दोलन से मैं भी बहुत-कुछ प्रभावित हुआ।

मगर भूल जल्दी ही सुधर गई। युद्ध और बाद की घटनाओं के कारण जड़ता टूटी और वर्ग चेतना बढ़ी, तो लोगों ने सोचना शुरू किया कि प्रगतिवाद का अर्थ उल्टा-सीधा मनोविश्लेषण और स्त्रैण भावना की अभिव्यक्ति करना नहीं, बल्कि कुछ और है। इस बारे में हमें प्रेमचन्द से बहुत-कुछ सीखना होगा। अतएव मेरे मन में प्रेमचन्द को फिर से पढ़ने और उन पर कुछ लिखने की इच्छा उत्पन्न हुई।

दो-तीन वर्ष के अध्ययन के उपरान्त मैं यह पुस्तक प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसी भी है—मेरा परिश्रम सफल रहा या असफल—इसका फैसला पाठक करेंगे। प्रेमचन्द पर पहले भी कई पुस्तकें मौजूद हैं, अभी और भी लिखी

जायँगी। जब समय बदलता है, तो अपने से पहले के लेखकों को देखने और परखने का ढंग भी बदलता है। प्रेमचन्द महान् लेखक थे और महान् लेखकों पर हमेशा कुछ-न-कुछ लिखा जाता है, प्रेमचन्द पर तो अभी बहुत-कुछ लिखा जायगा। मेरी यह पुस्तक हमारे इस महान् लेखक की महानता और आदर्शों को यदि थोड़ा सा भी समझने-समझाने में मदद कर सके, तो मैं अपने प्रयास को सफल समझूँगा।

प्रेमचन्द जनता के लेखक थे। इसलिए सरल और सुबोध लिखते थे। मैंने भी अपनी सामर्थ्यानुसार इस पुस्तक में यही ढंग और जनवादी दृष्टिकोण अपनाया है।

प्रेमचन्द की जीवन-कहानी लिखने में उर्दू-हिन्दी-साहित्य और पत्रों से तथा उनके सगे-सम्बन्धियों, मित्रों और आलोचकों के लेखों से जितनी भी सहायता ली जा सकी, ली गई है लेखक उन सबका कृतज्ञ है। अन्त में उनकी एक कहानी 'मृत्यु के पीछे' उद्धृत की गई है जिसकी आज्ञा देने के लिए प्रकाशक और लेखक दोनों ही प्रेमचन्द के सुपुत्र श्रीपतराय के अनुग्रहीत हैं।

१ अक्तूबर १९५१

हंसराज 'रहबर'

विषय-सूची

	विषय	पृष्ठ
१.	बचपन	१
२.	स्कूल	६
३.	विद्यालय	१७
४.	स्कूल-मास्टर	२६
५.	पहली रचना	३३
६.	कानपुर में	४२
७.	सोजे-वतन	४६
८.	बम्बूक	५७
९.	नया-विवाह	६६
१०.	इस्तीफा	७८
११.	घर में	९०
१२.	प्रकाशक	१००
१३.	प्रेस	१०६
१४.	सम्पादक	११५
१५.	समर-यात्रा	१२७
१६.	फिल्म	१३६
१७.	सभापति	१४२
१८.	कर्म	१५१
१९.	कला	१५६
२०.	कीर्ति	१६६

परिशिष्ट (क)

साहित्य का उद्देश्य (सभापति-पद से भाषण)	१७६
मैं कहानी कैसे लिखता हूँ ?	१६३
मृत्यु के पीछे (कहानी)	१६५

परिशिष्ट (ख)

साहित्य पर एक दृष्टि	२०६
यथार्थवाद और आदर्शवाद	२६०
चरित्र-चित्रण	२६६
नारी-पात्र	२७६
ग्रामीण समस्या	२६५
विषय-वस्तु और शैली	३०४
धर्म और साम्प्रदायिकता	३१४
समाज और राजनीति	३२३
प्रेमचन्द का जीवन-संदेश	३३३
साहित्य की मूल प्रेरणा	३४१
सांस्कृतिक देन	३४५
सूक्तियाँ	३५४

बचपन

“मेरा जीवन सपाट, समतल मैदान है; जिसमें गड्डे तो कहीं-कहीं हैं; पर टीलों, पर्वतों, घने जंगलों, गहरी घाटियों और खंडहरों का स्थान नहीं है।”
‘प्रेमचन्द’

साहित्यिक संसार, जिस व्यक्ति को ‘प्रेमचन्द’ के नाम से जानता है, उसका असल नाम ‘धनपतराय’ था। असल नाम से तात्पर्य वह नाम है, जिसे माता-पिता और सगे-सम्बन्धी रखते हैं, जिसमें उनके स्नेह और ममता की घुलावट रहती है और जो बचपन से आखिरी उम्र तक मनुष्य के जीवन का अविच्छिन्न अंग बना रहता है।

धनपतराय के पिता ‘मुन्शी अजायबलाल’ डाकखाने में क्लर्क थे। उस जमाने में ‘क्लर्क’ को ‘मुन्शी, कहते थे। लगातार मुन्शीगिरी करते रहने से ‘मुन्शी’ खानदानी बन जाता था। मुन्शी अजायबलाल प्रारम्भ में पंद्रह-बीस रुपये मासिक वेतन पाते थे, चालीस रुपये तक पहुँचते-पहुँचते उनका देहान्त होगया। इस अल्प-वेतन के अतिरिक्त उनके पास थोड़ी-सी पैत्रिक-भूमि भी थी; लेकिन उसकी आमदनी बहुत ही मामूली थी। इसलिये बूजुर्गों को मुन्शीगिरी अख्यतार करनी पड़ी थी। मुलाजमत के बावजूद मध्यमवर्ग के साधारण लोगों से उनकी हालत अच्छी न थी। हाँ, सिर्फ ज़मीन की आमदनी पर गुजारा करने वाले किसानों से कुछ अच्छी जरूर थी। इसलिये धनपतराय और उनके पिता किसान नहीं थे, लेकिन किसानों से दूर भी नहीं थे। वे किसानों के दुःख-दर्द, कठिनाइयों, विपत्तियों और छोटी-छोटी अभिलाषाओं से भली-भाँति परिचित थे, बल्कि यह सफेद-पोश वर्ग दिखावे और रस्मो-रिवाज का, किसानों से कुछ अधिक पाबंद होता है। इसी अनुपात से उसकी कठिनाइयाँ और दुःख-दर्द भी अधिक होते हैं और अतृप्त अभिलाषायें, दरिद्रता के कीचड़ में कुलबुलाती रहती हैं।

धनपतराय का जन्म सन् १८८० अर्थात् संवत् १९३७ विक्रमी में लिम्ही' गाँव में हुआ था। यह गाँव, पोडेपुर के निकट बनारस से पाँच-छः मील की दूरी पर स्थित है। पिता चूँकि डाकखाने में मुलाजिम थे इसलिये डाकखाने का वातावरण और उसके कर्मचारियों की झलक प्रेमचन्द की कहानियों में सुन्दर ंग से प्रायः मिलती है। इन्हीं कहानियों से उनके बचपन के चिन्ह भी स्पष्टतया हमारी आँखों के सामने उभर आते हैं। “कज़ाकी” शीर्षक कहानी में वे लिखते हैं :—

“मेरी बाल-स्मृतियों में ‘कज़ाकी’ एक न मिटने वाला व्यक्ति है। आज चालीस साल गुजर गये, लेकिन कज़ाकी की मूर्ति अभी तक आँखों के सामने नाच रही है……कज़ाकी, जाति का पामी था। बड़ा ही हँसमुख, बड़ा ही साहसी, बड़ा ही जिंदादिल।…… रोजाना डाक का थैला लेकर आता…… जब वह दौड़ता तो उसकी बल्लमी भुँभुनी बजती।”

बल्लमी भुँभुनी सुनकर उसके मित्र के बच्चे पर क्या गुज़रती है, जरा यह भी सुनिये :—

“हर्षातिरेक में मैं भी दौड़ पड़ता और एक क्षण में कज़ाकी का कंधा मेरा सिंहासन बन जाता। वह स्थान मेरी अभिलाषाओं का स्वर्ग था। स्वर्ग के वासियों को भी शायद वह आनन्द न मिलता होगा जो मुझे कज़ाकी के विशाल कंधे पर मिलता था। संसार मेरी आँखों में तुच्छ हो जाता और जब कज़ाकी मुझे कंधे पर लिये हुये दौड़ने लगता; तब तो ऐसा महसूस होता, मानो मैं हवा के घोड़े पर उड़ा जा रहा हूँ।”

जिस हरकारे का कंधा नन्हें धनपतराय का सिंहासन बनता था, उसका नाम कज़ाकी भी हो सकता है; और सम्भव है कहानीकार प्रेमचन्द ने उसे बदल दिया हो। मगर यह सत्य है कि वह उस डाकखाने का हरकारा था, जिसमें धनपतराय के पिता बलक थे। बच्चे को कज़ाकी का स्नेह प्राप्त था। जब उसे किसी कारणवश नौकरी से अलग किया जाता है तो बच्चे को इसका मानसिक दुःख होता है और वह माँ के पास, बाप की फरियाद लेकर जाता है। जब फरियाद से भी कुछ नहीं बनता तो बच्चे की मनोदशा इसी कहानी में इस प्रकार बयान की गई है :—“खाना तो मैंने खा लिया। बच्चे शोक में खाना नहीं छोड़ते, खासकर जब रबड़ी भी सामने हो। मगर बड़ी रात तक पड़े-पड़े सोचता रहा—मेरे पास रुपया होता, तो एक एक लाख रुपये कज़ाकी को दे देता और कहता—बाबूजी से कभी मत बोलना। देखूँ कि वह आता है कि नहीं! अब क्या करेगा आकर? मगर आने को तो

कह गया है। मैं कल उसे अपने साथ खाना खिलाऊंगा.....यही हवाई किले बनाते-बनाते मुझे नींद आ गई।”

हवाई किले बनाना, वचपन का एक विशेष गुण है। पर असल हवाई किले ही वचपन को सुन्दर और आकर्षक बनाते हैं; उसे हर्ष और उल्लास से माला-माल करते हैं। प्रेमचंद अपने बाल-मुलभ उल्लास का वर्णन बहुत ही रोचकता से करते हैं। “राम-लीला” इस उल्लास की कहानी है, लिखते हैं :—

“एक जमाना था, जब मुझे भी रामलीला में आनन्द आता था। आनन्द तो बहुत हल्का-सा शब्द है। वह आनन्द उन्माद से कम न था।”

जब विमान निकलता है, तो रामचन्द्र के पीछे बैठकर महसूस करते हैं :
“मैं स्वर्ग में बैठा हूँ।”

लेकिन दूसरी बार विमान निकलता है, तो वे गुल्ली डंडा खेलने में इतने मस्त हैं, कि उसकी तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखते; क्योंकि उन्हें अपना दाँव लेना है और वे महसूस करते हैं :—

“अपना दाँव छोड़ने के लिये उससे कहीं बढ़कर आत्म-त्याग की जरूरत थी, जितना मैं कर सकता था।”

कहानियों से उनके घर की दशा और पिता की जिंदगी पर भी प्रकाश पड़ता है। ‘कप्तन साहब’ कहानी में जगतसिंह के पिता का जो परिचय दिया गया है, वह उनके अपने पिता के परिचय से भिन्न नहीं है :—

“उसके पिता—भक्तसिंह अपने कसबे के डाकखाने के मुंशी थे। अफ-सरों ने उन्हें घर का डाकखाना बड़ी दौड़-भूप करने पर दिया था, परन्तु भक्तसिंह जिन इरादों से यहां आये थे उनमें से एक भी पूरा न हुआ। उल्टी हानि यह हुई कि देहातों में जो भाजी-साग उपले-ईंधन मुफ्त मिल जाते थे, वे सब यहाँ बन्द होगये।”

मुंशी अजायबलाल भी अपने ही कसबे में, डाकखाने के मुलाजिम थे। उनके इरादे भी पूरे न होते थे। चादर देखकर पाँव पसारते थे। थोड़ी तनखाह के कारण, बहुत-सी इच्छाओं का खून हो जाता था। अगर ‘शबन’ के दयानाथ को कुरेदा जाय, तो मुंशी अजायबलाल के चरित्र और स्वभाव का पता चल जाता है। दयानाथ, अपने फैशन-परस्त और फ़िज़ूल खर्च बेटे रामनाथ से कहते हैं :—

“तुम्हारा बड़ता हुआ खर्च देखकर मेरे मन में संदेह हुआ था। मैं इसे छिपाता नहीं हूँ; लेकिन जब तक तुम कह रहे हो कि तुम्हारी नीयत साफ

प्रेमचन्द

है, तो मैं सन्तुष्ट हूँ। मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि मेरा लड़का चाहे गरीब रहे पर नीयत न बिगड़े।”

प्रेमचन्द ने ‘जीवन सार’ के नाम से एक छोटे से लेख में आप बीती लिखते हुए उनके बारे में एक वाक्य लिखा है :—

“यों वे बड़े विचारशील, जीवन-पथ पर आँखें खोल कर चलने वाले आदमी थे; लेकिन आखिरी दिनों में एक ठोकर खा ही गये।”

तंगी-नुरशी से जीवन निर्वाह करने वाले मध्यमवर्ग का विचारशील आदमी अपने लड़के के लिये यही कामना कर सकता है— कि वह चरित्रवान् हो और उसकी नीयत साफ़ हो, यही उसकी सबसे बड़ी विरासत है। सदाचार और नेक-नीयती का गर्व ही, उसे समस्त विपत्तियाँ और कठिनाइयाँ सहन करने के योग्य बनाता है और वह अपनी तमाम अभिलाषाओं का खून करके भी जीना अपना अधिकार समझता है।

जिस घर में अभाव का नाम बचत ही और साधारण इच्छायें भी पूरी न होती हों, उसमें बच्चे के जो तौर-तरीके और स्वभाव बन जाता है, उसका पता हमें प्रेमचन्द की कहानियों से लगता है। उदाहरणतः उन्हें बचपन से पैसे जमा करने की आदत थी, जो बाद में छूट गई; क्योंकि बाद में गरीबी इतनी बढ़ गई कि वह पैबंद लगाने से भी फट जाती थी; फिर पैसे कैसे जमा हों! डाकखाने का क्लर्क अपने बेटे को अधिक पैसे देने की सामर्थ्य नहीं रखता। धर का खर्च भी सुगमता से नहीं चलता था; इसलिये धनपतराय दूसरे बच्चों की तरह मनमानी चीजें खाने को तरसता रहा। ‘होली-की-छुट्टी’ उनके अपने जीवन की घटना मालूम होती है, वैसे वह लड़कपन की घटना है; लेकिन गुड़ चुराकर खाने का सूत्रपात बचपन ही से हुआ होगा। स्वादिष्ट भोजन प्रेमचन्द की खास कमजोरी थी। बचपन के अभावों ने ही उनमें दुर्बलता उत्पन्न की थी, जिससे वे आजीवन छुटकारा पा ही न सके।

यथार्थ वस्तु का अभाव मनुष्य को कल्पनाशील बना देता है। जीवन में जो पदार्थ प्राप्त नहीं होते, आदमी उन्हें कल्पना में ढूँढ़ता है, और हवाई किले बनाता है। नन्हा धनपत जिन्म महलों के स्वप्न देखा करता था, वे उसे सारी उम्र नसीब नहीं हुए, इस कल्पना-शीलता ने प्रेमचन्द को नये और सुन्दर जीवन का निर्माता बना दिया। बड़े होकर उन्होंने अपनी कहानियों में ये हवाई किले जगह-जगह बनाये हैं; जिन्हें धरती पर उतारने के लिये उन्होंने संघर्ष किया है।

बचपन में जहां वे हवाई किले बनाते थे, वहां उन्हें कहानियां सुनने का

भी बहुत चाव था। 'कुछ विचार' नाम से उनका जो निबंध-संग्रह छपा है, उसके 'कहानी-कला' लेख का एक उद्धरण प्रस्तुत है :—

“हर एक बालक को अपने बचपन की वे कहानियाँ याद होंगी, जो उसने अपनी माँ या बहिन से सुनी थीं। कहानियाँ सुनने को वह कितना लालायित रहता था, कहानी शुरू होते ही, किस तरह सब कुछ भूल कर सुनने में तन्मय हो जाता था, कुत्ते और बिल्लियों की कहानियाँ सुनकर वह कितना प्रसन्न होता था—इसे शायद वह कभी नहीं भूल सकता। बाल-जीवन की मधुर स्मृतियों में कहानी शायद सब से मधुर हैं। वह खिलौने, मिठाइयाँ और तमाशे सब भूल गये; पर वह उसके मुँह से, उसके बालक उसी हर्ष और उत्सुकता से सुनते होंगे।”

बच्चे कहानियाँ प्रायः अपनी दादी से सुनते हैं, प्रेमचन्द ने इस लेख में दादी का नाम न जाने क्यों नहीं लिखा? हालाँकि दादी जीवित थीं और उनके अतिरिक्त घर में चार जीव और थे—माता, पिता, बहिन और स्वयं धनपतराय। बचपन में कहानियों का विशेष स्थान है क्योंकि वे बच्चे के विकास और शिक्षा का माध्यम होती हैं। प्रेमचन्द को जब इन कहानियों की मधुर स्मृति आई, तो वे माँ और बहिन की स्नेह-युक्त याद भी भुला नहीं सके, क्योंकि कहानियों के साथ, कहानी सुनाने वाले के व्यक्तित्व का गहरा सम्बन्ध रहता है, उन पर उसके स्नेह और ममता की छाप लगी रहती है।

प्रेमचन्द का जीवन स्नेह से प्रायः वंचित रहा। माँ शुरू से बीमार रहती थीं। बाप को दवा-दारू से फुरसत नहीं मिलती थी। अभी प्रेमचन्द सात साल के बालक ही थे कि उनकी माता का देहान्त हो गया। माँ की अकाल-मृत्यु ने निरीह बालक के मन पर कठोर आघात किया। प्रेमचन्द इस आघात को कभी भुला नहीं सके। उन्होंने कहानियों और उपन्यासों में इस आघात का बहुत ही विषादयुक्त ढंग से उल्लेख किया है। उदारणतः 'प्रेरणा' कहानी में, सौ गज का चक्कर काटकर एक ऐसे लड़के का उल्लेख करते हुए, जिसकी माँ उसे सात साल की अवस्था में छोड़कर मर गई थी, लिखा है :—

“बच्चों में प्यार की जो एक भूख होती है—दूध, मिठाई और खिलौनों से भी ज्यादा मादक—जो माँ की गोद के सामने संसार की निधि की भी परवा नहीं करती। मोहन की वह भूख कभी सन्तुष्ट न होती थी। पहाड़ों से टकराने वाली सारस की आवाज की तरह वह सदैव उसकी नसों में गूँजा करती थी। जैसे, भूमि पर फैली हुई लता कोई सहारा पाते ही उससे

चिपट जाती है, वही हाल मोहन का था।”

माँ की गाँद के अभाव को स्मरण करते हुए, ‘घर जमाई’ कहानी में लिखा है:—

“बच्चों के लिए बाप एक फालतू-सी चीज है—एक त्रिलास की वस्तु है जैसे घोड़े के लिये चने और बाबुओं को मोहन भोग.....लेकिन माँ तो बच्चे का सर्वस्व है। बालक एक मिनट के लिये भी उसका वियोग नहीं सह सकता। पिता कोई हो, उसे परवाह नहीं। केवल उसे एक उछालने-कुदाने वाला आदमी होना चाहिये; लेकिन माता तो अपनी ही होनी चाहिये, सोलहों आने अपनी। वही रूप, वही रंग, वही प्यार, वही सब कुछ। अगर वह नहीं है, तो बालक के जीवन का स्रोत जैसे सूख जाता है, फिर वह शिव का नंदी है, जिस पर फूल या जल चढ़ाना लाजिमी नहीं, अख्तयारी है।”

“कर्म-भूमि का नायक अमरकान्त हू-बहू प्रेमचन्द न हो; लेकिन वह भी बचपन में माँ के स्नेह और वात्सल्य से वंचित हो गया था। प्रेमचन्द लिखते हैं:—

“अमरकान्त ने अपने जीवन में माता के स्नेह का सुख न देखा था। जब उसकी माता का अवसान हुआ, तब वह बहुत छोटा था। उसे दूर अतीत की कुछ धुंधली-सी और इसलिये अत्यन्त मनोहर और सुखद-स्मृतियाँ शेष थीं।”

इसी उपन्यास में अमरकान्त के सुख से इस कभी न भूलने वाले दुख को किसी अन्य स्थान पर यों प्रकट किया है:—

“जिन्दगी वह उम्र, जब इन्सान को मुहब्बत की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, बचपन है। उस वक्त पौदे को तरी मिल जाय, तो जिन्दगी भर के लिये उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं। उस वक्त खुराक न पाकर उसकी जिन्दगी खुश्क हो जाती है। मेरी माता का उसी ज़माने में देहान्त हुआ, और तब से मेरी रूह को खुराक नहीं मिली। वही भूख मेरी जिन्दगी है। मुझे जहाँ मुहब्बत का एक रेजा भी मिलेगा, मैं बे-अख्तियार उसी की तरफ जाऊंगा। कुदरत का अटल क़ानून मुझे उस तरफ ले जाता है। इसके लिये अगर मुझे कोई खतावार कहे, तो कहे। मैं इसे अपनी खता तसलीम नहीं करता। दुनियाँ में सब से बदनसीब वह है, जिसकी माँ बचपन में मर गई हो।”

इससे भी अधिक दुर्भाग्य यह था कि पिता ने तुरन्त दूसरा व्याह कर

लिया और नन्हें धनपत को ऐसी विमाता से पाला पड़ा, जो उसके साथ निरादर और कठोरता से पेश आती थी। 'कर्म-भूमि' उपन्यास में लिखा है :—

“अमरकान्त की माता का उसके बचपन ही में देहान्त हो गया। समरकान्त ने मित्रों के कहने-सुनने से दूसरा विवाह कर लिया था। उस सात साल के बालक ने नई मां का बड़े प्रेम से स्वागत किया; लेकिन उसे जल्द मालूम हो गया, कि उसकी नई माता उसकी ज़िद और शरारतों को उस चमा-दृष्टि से नहीं देखती जैसे उसकी मां देखती थी। वह अपनी मां का अकेला लाड़ला था। बड़ा ज़िदी, बड़ा नटखट। जो बात मुंह से निकल जाती, उसे पूरा ही करके छोड़ता। नई माता जो बात-बात पर डांटती थीं। यहाँ तक कि उसे माता से द्वेष हो गया। जिस बात को वह मना करती, उसे अदबदा कर करता। पिता से भी ढीठ हो गया। पिता और पुत्र में स्नेह का बन्धन न रहा।”

निस्संदेह यह प्रेमचन्द की 'आत्म-कथा' है। वे अपनी मां के अकेले लाड़ले बेटे थे। कुछ अधिक स्पष्ट और मार्मिक शब्दों में इसी बात को 'अलगयोभा' कहानी में इस प्रकार वर्णन किया है :—

“भोला महतो ने पहली स्त्री मर जाने पर दूसरी सगाई की तो उसके लड़के रघू के लिये तुरे दिन आ गये। रघू की उम्र उस समय केवल दस वर्ष की थी। चैन से गांव में गुल्लकी-डण्डा खेलता फिरता था। मां के मरते ही चक्की में जुतना पड़ा। पन्ना रूपवती स्त्री थी और रूप और गर्व में चोली-दामन का नाता है। वह अपने हाथों से कोई मोटा काम न करती। गोबर रघू निकालता, बैलों को सानी रघू देता। रघू जूठे बरतन मांजता। भोला की आंखें कुछ ऐसी फिरीं कि उसे अब रघू में बुराइयां-ही-बुराइयाँ नज़र आतीं। पन्ना की बातों को वह प्राचीन-मर्यादायुसार आंखें बन्द करके मान लेता था। रघू की शिकायतों की ज़रा भी परवाह न करता। नतीजा यह हुआ कि रघू ने शिकायत करना ही छोड़ दिया। किसके सामने रोये ?”

इस मनोव्यथा को “सौतेली मां” कहानी में बहुत अच्छी तरह मूर्तिमान किया गया है। जिसके एक-एक शब्द में प्रेमचन्द ने अपने बचपन का दर्द भर दिया है; और सबसे करुणा-जनक स्थल वह है जहाँ बच्चा दीवार की ओर मुंह किये खड़ा रो रहा है; लेकिन वाप के आने पर झट-पट आंखें पूंछ लेता है। जब उसकी आंसुओं से भीगीं आंखें देखकर बाप पूछता है—तू रोता क्यों था ? क्या तुझे तेरी मां ने पीटा था ? तो बच्चा जवाब देता है—“नहीं वह तो बहुत अच्छी है।”

प्रेमचन्द

विचारशील पिताके ठोकर खाने से यह दूसरा ब्याह अभीष्ट था । इस समय उनकी अवस्था चालीस से ऊपर थी । 'स्मृति का पुजारी' कहानीमें लिखा है—

“महाशय होरीलाल की पत्नी का जब से देहान्त हुआ वह एक तरह से दुनियां से विरक्त होगये थे ।.....और तब महाशय जी का पैतालीसवाँ साल था, सुगठित शरीर था, स्वास्थ्य अच्छा, रूपवान्, विनोदशील और सम्पन्न । चाहते तो तुरन्त दूसरा ब्याह कर लेते ।”

महाशय होरीलाल को प्रेमचन्द के पिता का प्रतिरूप नहीं कहा जा सकता; लेकिन ब्याह के समय मुंशी अजायबलाल की उम्र का अंदाज लगाया जा सकता है । मुंशी होरीलाल ने दूसरा ब्याह नहीं किया, इसलिये वे प्रेमचन्द की श्रद्धा और सम्मान के पात्र हैं । उन्हें इस कहानी में आदर्श व्यक्ति के तौर पर पेश किया गया है । ऐसे व्यक्ति को दूल्हा बनाकर बरात चढ़ने का ये चित्र, मूल कहानी में इस प्रकार खींचा है :—

“चौबेजी की सजधज आज देखने योग्य है । तनजेब का रंगीन कुरता, कतरी और संवारी हुई मूँछें, खिज़ाब से चमकते हुए बाज़, हँसता हुआ चेहरा, चढ़ी हुई आँखें—यौवन का पूरा स्वांग था ।”

दरिद्रता, विमाता का निठुरव्यवहार, पिताकी अवहेलना और उदासीनता; यह वातावरण था जिसमें प्रेमचन्द का बचपन बीता । फिर भी उन्होंने घर की घुटन से मन को कुंठित नहीं होने दिया । बाहर के खुले और स्वस्थ वायुमंडल में घर के अभाव की पूर्ति ढूँढ ली थी । माता-पिता की भर्त्सना से व्यथित हृदय को पेड़ों की ठंडी छाया में सांत्वना मिलती थी । 'घर-जमाई' कहानी में लिखा है :—

“हरिधन को अपना बचपन याद आया, जब वह भी इसी तरह क्रीड़ा करता था । उसकी बाल स्मृतियां उन्हीं चमकीले तारों की भाँति प्रखलित होगईं । वह अपना छोटा-सा घर, वह आम का बाग, जहाँ वह केरियाँ चुना करता था, वह मैदान जहाँ वह कबड्डी खेला करता था, यह सभी उसे याद आने लगा । फिर अपनी स्नेहमयी माता की सदय-मूर्ति सामने खड़ी होगई ।”

बचपन के इस, घर और बाग की याद उन्हें अक्सर आती थी । 'चोरी' कहानी में लिखते हैं :—

“हाय बचपन ! तेरी याद नहीं भूलती । वह कच्चा टूटा-घर, वह पुवाल का बिछौना, वह नंगे बदन, नंगे पांव खेतों में घूमना; आम के पेड़ों पर चढ़ना — सारी बातें आँखों के सामने फिर रही हैं ।”

: २ :

स्कूल

“जीवन को सफल बनाने के लिये शिक्षा की जरूरत है,
डिग्री की नहीं”
‘प्रेमचन्द’

बच्चे ज़रा बड़े हों तो उन्हें स्कूल भेज दिया जाता है। उन दिनों स्कूल अधिक नहीं थे। शिक्षा का सूत्रपात आमतौर पर मदरसे से होता था, जो मुगल-काल से चले आते थे। पढ़ाने वाले मौलवी होते थे। और उर्दू-फ़ारसी का रिवाज आम था। मुन्शी प्रेमचन्द जाति के श्रीवास्तव (कायस्थ) थे; चूँकि यह लोग सरकारी नौकरी करके जीविका कमाते थे, इसलिये उर्दू-फ़ारसी से विशेष रुचि रखते थे। मुंशी प्रेमचन्द ने भी उर्दू-फ़ारसी सीखी, और शिक्षा का आरम्भ मदरसे से हुआ। उन्होंने मदरसे जाने का हाल अपनी एक कहानी “चोरी” में लिखा है। इस कहानी में जिस घटना का वर्णन किया गया है, उसका उल्लेख शिवरानीदेवी ने अपनी पुस्तक ‘प्रेमचंद घर’ में भी किया है, जिसका मतलब है कि यह कहानी उनके अपने जीवन से सम्बन्धित है। लिखते हैं:—

“मैं अपने चचेरे भाई हलधर के साथ दूसरे गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। मेरी उम्र आठ साल थी। हम दोनों प्रातः काल बासी रोटियां खा, दोपहर के लिये मटर और जौ का चबेना लेकर चल देते थे। फिर तो सारा दिन अपना था। मौलवी साहब के यहां कोई हाजिरी का रजिस्टर तो था नहीं, और न गैरहाजिरी का जुर्माना ही देना पड़ता था फिर डर किस बात का। कभी तो थाने के सामने खड़े सिपाहियों की कवायद देखते, कभी किसी भालू या बन्दर नचाने वाले मदारी के पीछे-पीछे घूमने में दिन काट देते, कभी रेलवे स्टेशन की और निकल जाते और गाड़ियों की बहार देखते। गाड़ियों के समय का जितना ज्ञान हमें था, उतना शायद

टाईम-टेबल को भी न था ।.....कभी-कभी हम हफ्तों गैरहाज़िर रहते; पर मौलवी साहब से ऐसा बहाना कर देते, कि उनकी चढ़ी हुई थ्योरियां उतर जातीं ।”

इस उद्धरण से पता चलता है कि धनपतराय के स्वभाव में आवागगी को काफी स्थान था । ‘कप्तान साहब’ कहानी का उल्लेख पहले भी हो चुका है । इस कहानी के नायक-जगतसिंह का धनपतराय से यह सम्बन्ध है कि “उसके पिता ठाकुर भगतसिंह अपने कस्बे के डाकखाने के मुन्शी थे । इस कहानी में प्रेमचंद ने जगतसिंह का लड़कपन इस प्रकार चित्रित किया है:—

जगतसिंह को स्कूल जाना कुनैन खाने या मछली का तेज पीने में कम अप्रिय न था । वह सीलानी, आवागरी, धुमकड़ युवक था । कभी अमरूद के बागों की ओर निकल जाता और अमरूद के साथ माली की गालियां बड़े शौक से खाता । कभी दरिया की सैर करता और मल्लाहों की डोंगियों में बैठकर उस पार के देहातों में निकल जाता । गालियां खाने में उसे मज़ा आता था । उसे बेंडबाज़ा बहुत पसंद था ।

सम्भव है, इसमें कुछ अतिशयोक्ति हो; फिर भी इन शब्दों में प्रेमचंद के अपने लड़कपन का चित्र दिखाई देता है, क्योंकि वही गांव का वातावरण है, वृक्ष हैं और दरिया का किनारा है । इन दोनों उद्धरणों से यह भी स्पष्ट है कि धनपतराय को मदरसे से, मौलवी से और किताबों से कोई विशेष प्रेम न था । वह मदरसे की ‘तोता स्टंट’ से खुले वातावरण में घूमना, गालियां खाना और बेंड सुनना अधिक पसंद करता था । अपनी इस भावना को, भावी अनुभव के प्रकाश में उन्होंने अपनी ‘प्रेरणा’ कहानी में भली-भाँति प्रस्तुत किया है:—

“हमारे देश में योग्य शिक्षकों का अभाव है । अर्द्ध-शिक्षित और अल्प-वेतन पाने वाले अध्यापकों से आप यह आशा नहीं रख सकते कि वे कोई ऊँचा आदर्श अपने सामने रख सकें । अधिक-से-अधिक इतना ही होगा कि चार-पांच वर्ष में बालक को अक्षर-ज्ञान हो जायगा । मैं इसे पर्वत खोदकर चुहिया निकालने के तुल्य समझता हूँ । वयस्क होने पर यह मसला एक महीने में आसानी से तय हो सकता है । मैं अनुभव से कह सकता हूँ कि युवावस्था में हम जितना ज्ञान एक महीने में प्राप्त कर सकते हैं, उतना बाल्यावस्था में तीन साल में भी नहीं कर सकते, फिर खाहमस्वाह बच्चों को मदरसे में कैद करने से क्या लाभ ? मदरसे के बाहर रहकर उसे स्वच्छ वायु तो मिलती, प्राकृतिक अनुभव तो होते । पाठशाला में बन्द करके तो आप उसके मानसिक और शारीरिक दोनों विघ्नों की जड़ काट देते हैं ।”

अंग्रेजी अमलदारी में देहातों में सामंतवादी ढंग के मदरसे कायम थे, जिन्हें अर्द्ध-शिक्षित, निकम्मे और आलसी मौलवी चलाते थे। उनके पास न तो कोई रजिस्टर होता था और न उन्हें बच्चों के मानसिक-विकास से कोई सरोकार था। वे कायदे और सिपारे रटाते थे। अगर कोई बच्चा रटकर न आता था तो पीटते थे। वे शिक्षा को, निर्माण-शक्ति को जगाने और विकसित करने का साधन नहीं, बल्कि एक धार्मिक-कर्त्तव्य समझते थे। शिक्षा की यह अप्राकृतिक प्रणाली बच्चे को अप्रती-विकासशील बुद्धि पर अंकुश मालूम होती है। ऐसे मदरसे और किताबों से नफ़रत हो जाना अनिवार्य है। यही कारण है, कि भावुक धनपतराय मदरसे से हफ्तों गैर-हाज़िर रहते थे; और खेतों बागों में घूमकर प्रकृति से अनुभव प्राप्त करते, सिपाहियों की कवायद देखते और बेंड सुनते थे। इस आवारगी में उनका चचेरा भाई भी उनके साथ होता था, जो उम्र में उनसे दो साल बड़ा था। एक बार उन्होंने घर से चाचा का एक रुपया चुराया और दरिया के किनारे बैठकर मिठाई और फल खाये। बाद में चोरी का पता चल गया और चचेरे भाई की खूब मरम्मत हुई।

इस बीच में मुंशी प्रजायबलाल की तरक्की हो गई और उन्हें डाक-मुंशी बनाकर गोरखपुर भेज दिया गया। धनपतराय भी पिता के साथ देहात से शहर में आ गये और वे मदरसे की बजाय स्कूल में पढ़ने लगे। गो स्कूलों में भी बच्चों के मानसिक विकास का ध्यान नहीं रखा जाता, क्योंकि विदेशी शासक अंग्रेजों का आशय हिन्दुस्तानियों को शिक्षित बनाना ही, बल्कि अपनी दफ्तरी हकूमत के लिये क्लर्क पैदा करना था और उनके बाद काँग्रेस-राज्य में भी वही शिक्षा-प्रणाली जारी है; फिर भी स्कूल, मदरसों से अच्छे थे। यहां प्रेमचंद सचमुच पढ़ने में ध्यान देने लगे थे।

रघुपतिसहाय फिराक गोरखपुरी ने एक लेख “प्रेमचंद” शीर्षक से लिखा है, जो 'जमाना' उर्दू कानपुर में प्रकाशित हुआ था। इसमें उनके गोरखपुर में स्कूल का जीवन इस प्रकार चित्रित किया है—

“हम तबका (श्रेणी) के दूसरे लड़कों की तरह प्रेमचंद भी एक हाई-स्कूल में दाखिल हो गये और उनको तालीम इवतदाई (प्रारंभिक) दर्जों को छोड़कर के गोरखपुर एक मिडिल स्कूल में शुरू हो गई। जहां उनके वालिद मुलाज़िम थे। प्रेमचंद ने शुरूमें बताया कि लड़कपन में उनकी दोस्ती अपने दर्जे के एक लड़के से हो गई, जो तम्बाकू फरोश का बेटा था। रीज़ाना वे अपने कम-उम्र दोस्त के साथ स्कूल के बाहू उसके मकान पर जाते थे। वहां तम्बाकू के बड़े-बड़े स्याह पिंडों के पीछे तम्बाकू फरोश और उस के अहबाब

(मित्रगण) बैठक बराबर दुक्का पीते और तिलस्मे होशरुवा पढ़ते थे—”

यहां प्रेमचन्द अपने कमलिन दोस्त के साथ बैठकर तिलस्मे-होशरुवा के अफसाने सुनते थे। यहां तक कि शाम हो जाती, जब वे अपने घर चले जाते। यह सिलसला तकरीबन एक साल जारी रहा। लेकिन इस असना में (बीच में) प्रेमचंद हमेशा के लिये रूमानी कहानियों में डूब गये। दरहकीकत इन किस्सों और कहानियों को जिस दिलचस्पी और इशतयाक़ (चाव) से उन्होंने सुना था, इससे उनके कुब्बते-बयान में रवानी (प्रवाह) वजाहत (स्पष्टता) के अंदाज़ (भाव) जज़्ब हो गये और इन लजीज़ हिंकायतों (गाथाओं) की रूह उनमें तहलील (विलीन) हो गई। कुछ दिनों के बाद यही कुब्बतें (शक्तियां) प्रेमचंद की तसानीफ (रचनाओं) में किस हुस्न से फली-फूलों।”

राजा-रानी और परियों के देश की कहानियां सुनाने वालियां मुद्त हुईं मर चुकी थीं और देहात की खुली फ़िज़ा भीनहीं थी; लेकिन जीवन में कटुताएं बढ़ गई थीं। अब उन्हें भूठे बरतन ही मांजने नहीं होते थे, विमाता के बच्चों को खिलाना भी होता था। बच्चे को खिलाना पुस्तक पढ़ने से कम रोमांचकारी नहीं है लेकिन तभी ना, जब उसे अपनी इच्छा और रुचि से खिलाया जाय। लेकिन विमाता उन्हें अपना गुलाम समझकर धौंस से यह काम लेती थी। यही कारण था कि माँ से उनका मन फटता गया और दिन-दिन द्वेष बढ़ता रहा और वे तिलस्मे-होशरुवा में घर की कटुता का निराकरण ढूँढ़ते रहे जो उन्हें इस कहानी के कथानक में मिल जाता था। अर्थात् वे तम्बाकू की दुकान पर पुस्तक ही नहीं सुनते थे; अपने दुःख का उपचार भी करते थे। शायद इसीलिये उन्होंने शीघ्र ही इस रहस्य को समझ लिया था कि लेखक बनना, मानवता की सेवा करना है।

‘तिलस्मे होशरुवा’ सुनने के बाद कहानियों और किताबों से उनकी दिल-चस्पी बढ़ गई। उन्होंने अपनी इस दिलचस्पी का जिक्र “मेरी पहली रचना” में विशेषरूप से किया है। लिखते हैं:—

“इस वक्त मेरी उम्र कोई १३ साल का रही होगी। हिन्दी बिलकुल न जानता था। उर्दू के उपन्यास पढ़ने का उन्माद था। मौलाना शरर, पं० रतननाथ सरशार, भिरज़ा रुसवा, मौलवी मुहम्मद अली हरदोई—निवासी उस वक्त के सर्वप्रिय उपन्यासकार थे। इनकी रचनायें जहां मिल जाती थीं स्कूल की याद भूल जाती थी और पुस्तक समाप्त करके ही दम लेता था। उस ज़माने में केबाल्ड के उपन्यासों की धूम थी। उर्दू में उनके

अनुवाद धड़ाधड़ निकल रहे थे और हाथों-हाथ बिकते थे। मैं भी उनका आशिक था। स्व० ह. रत रियाज़ ने जो उर्दू के प्रसिद्ध कवि हैं और जिनका हाल में देहान्त हुआ है, रेनाल्ड की एक रचना का अनुवाद 'हरमसरा' के नाम से किया था। उसी ज़माने में लखनऊ के साप्ताहिक 'अवध-पंच' के सम्पादक स्व० मौलाना सज्जाद हुसैन ने, जो हास्य-रस के अमर कलाकार थे, रेनाल्ड के दूसरे उपन्यास का अनुवाद 'घोखा या तिलस्मी फानूस' के नाम से किया था। ये सभी पुस्तकें मैंने उसी ज़माने में पढ़ीं ? और पं० रतननाथ सरशार से तो मुझे तृप्ति ही न होती थी। नकी सारी रचनायें मैंने पढ़ डालीं। उन दिनों मेरे पिता गोरखपुर में रहते थे और मैं भी वहीं के मिशन स्कूल में, आठवीं में पढ़ता था, जो तीसरा दरजा कहलाता था। रेती पर एक बुकसेलर बुद्धिलाल नाम का रहता था। मैं उसकी दुकान पर जा बैठता था और उसके स्टॉक से उपन्यास ले-लेकर पढ़ता था; मगर दुकान पर सारे दिन तो बैठ न सकता था, इसलिये मैं उसकी दुकान से अंग्रेजी पुस्तकों की कुंजियां और नोट्स लेकर अपने स्कूल के लड़कों के हाथ बेचा करता था और इसकी एवज़ में उपन्यास दुकान से घर लाकर पढ़ता था। दो-तीन वर्षों में सैंकड़ों ही उपन्यास पढ़ डाले होंगे। जब उपन्यास का स्टॉक समाप्त हो गया, तो मैंने नवलकिशोर प्रेस से निकले हुए पुराणों के उर्दू अनुवाद भी पढ़े, और 'तिलस्मे होशरुबा' के कई भाग भी पढ़े। इस बृहद् तिलस्मी-ग्रन्थ के १७ भाग उस वक़्त निकल चुके थे और एक-एक भाग बड़े सुपर रायल के आकार के दो-दो हजार पृष्ठों से कम न होगा। और इन १७ भागों के उपरान्त उसी पुस्तक के अलग-अलग प्रसंगों पर पचासों भाग छप चुके थे। इनमें से भी मैंने कई पढ़े। जिसने इस बड़े ग्रन्थ की रचना की, उसकी कल्पना-शक्ति कितनी प्रबल होगी, इसका केवल अनुमान किया जा सकता है। कहते हैं, ये कल्पनायें मौलाना फैजी ने अकबर के विनोदार्थ फ़ारसी में लिखी थीं। इसमें कितना सत्य है, कह नहीं सकता; लेकिन इतनी बृहद् कथा शायद ही संसार की किसी भाषा में हो। पूरी इंसाइक्लोपीडिया समझ लीजिये। एक आदमी तो अपने साठ वर्ष के जीवन में उनकी पूरी नकल भी करना चाहे, तो नहीं कर सकता। रचना तो दूसरी बात है।”

लेकिन पढ़ते समय धनपतराय ज़रूर सोचते होंगे कि मैं भी किसी ऐसी ही बृहद् रचना का निर्माण करूँ और इस विचार से उनको कल्पना-शक्ति का विकास होता रहा।

लेकिन वे सिर्फ किस्से-कहानियां ही नहीं पढ़ते थे, इम्तहान पास करने के लिये स्कूली पुस्तकें भी पढ़नी होती थीं; लेकिन इन पुस्तकों से अधिकांश लड़कों की भाँति उन्हें कोई विशेष रुचि न थी, तवीयत पर जब्र करके पढ़ते थे, इसलिये जो कुछ पढ़ते थे अकसर भूल जाते थे। अपनी कहानी 'आखिरी हीला' में लिखते हैं:—

“मेरी स्मरण-शक्ति, पृथ्वी के इतिहास की सारी स्मरणीय तारीखें भूल गईं जिन्हें रातों को जागकर और मस्तिष्क को खपाकर याद किया था।”

इसका कारण यह भी हो सकता है कि उन्हें गणित के अंकों से चिढ़ थी। वे गणित में कमजोर थे। दूसरे स्कूल में जो इतिहास पढ़ा था या पढ़ाया जाता है, उसमें सन वान् (संवत् और तिथियों) के सिवा और कुछ होता ही नहीं, या फिर सम्राटों, नगरों और लड़ाइयों के नाम गिनवाये जाते हैं और उनमें जो घटनायें जोड़ दी जाती हैं, उन्हें इतना तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, कि उनमें कोई सिलसिला, कोई सम्बन्ध नहीं होता, क्योंकि, इस वर्ग विभाजित-समाज में इतिहास को चन्द अभिमानी व्यक्तियों अथवा सम्राटों का नाटक मात्र दिखाना अभिष्ट होता है। इस इतिहास के बारे में प्रेमचन्द ने आगे चलकर अपना दृष्टि-कोण थोड़े शब्दों में; बड़ी स्पष्टता से वर्णन कर दिया है, “कहानी-कला” लेख में लिखा:—

“कहानी में नाम और सन् के सिवा और सब कुछ सत्य है, और इतिहास में नाम और सन् के सिवा कुछ भी सत्य नहीं।”

इसी लेख में दूसरी जगह लिखते हैं:—“हमारी आत्मा के विकास को शक्ति कहां से मिलती? शक्ति तो संघर्ष में है। हमारा मन सब बाधाओं को परास्त करके अपने स्वाभाविक कर्म को, प्राप्त करने की सदैव चेष्टा करता रहता है। इसी संघर्ष से साहित्य की उत्पत्ति होती है।”

वास्तव में इतिहास भी साहित्य है, क्योंकि मनुष्य ने अपनी दीन-हीन आरम्भिक अवस्था से इस युग तक पहुँचने के लिये घोर-संघर्ष किया है और दुनियाँ को इस युग से भी मुन्दर और सम्पन्न बनाने के लिये अब भी उसका संघर्ष जारी है और जारी रहेगा। इतिहास इसी सतत् संघर्ष की कहानी है। शासक-वर्ग ने अपनी हित-रक्षा के लिये इस कहानी को इतना तोड़ा-मरोड़ा है कि उसे सर्वदा शुष्क और असुन्दर बना दिया है। उसे सत्य और रोचक बनाने के लिये नये सिरे से लिखने की आवश्यकता है। फिर उसे विद्यार्थी भी शीक से पढ़ेंगे। जिन देशों में वर्ग-विभाजित-समाज का अंत हो गया है, वहां इतिहास को इस ढंग से लिखा भी गया है क्योंकि उन्हें मानव संघर्ष को अपने

स्वाभाविक कर्म की ओर आगे बढ़ना अभिप्रेत है। इस इस सिलसिले में दूसरे देशों का नेतृत्व कर रहा है; क्योंकि वर्ग-विभाजित-समाज का सबसे पहले वहाँ अंत हुआ है।

चूँकि इतिहास की स्कूली पुस्तकों में आत्मा को विकास की शक्ति प्रदान करने वाले संघर्ष का अभाव होता था और बेचारे धनपतराय आत्मा को गरमाने वाले मातृ-स्नेह से भी वंचित थे, इसलिये वे 'तिलस्मे होशरुवा' की कहानियों में अधिक रस लेते थे। गो वे तिलस्मी और काल्पनिक थीं; पर उनमें आत्मा को स्फूर्ति और प्रेरणा देनेवाली शक्ति मौजूद थी। क्योंकि प्रेमचन्द के अपने कथनानुसार:—

“आज से दो हजार बरस पहले यूनान के त्रिखपात दार्शनिक अफलातून ने कहा था “हर एक काल्पनिक रचना में मौलिक सत्य मौजूद रहता है।”

कहानियों के अतिरिक्त आत्मा को स्फूर्ति देने वाले दूसरे उपाय भी थे। शहर में देहात के गुल्लो डंडा की जगह गेंद ने ले ली थी। “दीक्षा” कहानी में लिखते हैं:—

“जब मैं स्कूल में पढ़ता था, गेंद खेलता था और अध्यापक महोदयों की घुड़कियाँ खाता था अर्थात् मेरी किशोरावस्था थी। न ज्ञान का उदय हुआ था और न बुद्धि का विकास।”

और मजे की बात यह है कि इसी अवस्था में परम्परागत पिता ने बेटे का विवाह कर दिया। वे अधिकारियों से कह सुनकर फिर अपने गांव के डाकखाने में तब्दील हो गये थे और धनपतराय पैदल चलकर वनारस पढ़ने जाते थे। वे अभी मैट्रिक भी पास नहीं कर पाये थे कि पिता की मृत्यु हो गई। इसके उपरान्त प्रेमचन्द पर जो बीती, इसका उन्होंने मार्मिक शब्दों में उल्लेख किया है। वे अपनी आत्म-कथा—‘जीवनसार’ लेख में लिखते हैं:—

“मेरा जन्म संवत् १९०७ में हुआ। पिता डाकखाने में क्लर्क थे। माता मरीज, एक बड़ी बहिन भी थी। उस समय पिताजी शायद बीस रुपये पाते थे। चालीस तक पहुँचते-पहुँचते उनकी मृत्यु हो गई। यों वह बड़े विचारशील, जीवन-पथ पर आँखें खोलकर चलने वाले व्यक्ति थे लेकिन आखिरी दिनों में एक ठोकर खा ही गये और खुद तो गिरे ही थे, उसी धक्के ने मुझे भी गिरा दिया। पन्द्रह साल की अवस्था में उन्होंने मेरा विवाह कर दिया और विवाह करने के साल ही भर बाद परबोक सिधारे। उस समय मैं नवें दरजे में पढ़ता था। घर में मेरी स्त्री थी, विमाता थी, उनके दो बालक थे और आमदनी एक पैसे की नहीं। घर में जो कुछ पूँजी थी वह पिताजी की

छः महीने की बीमारी और क्रिया-कर्म में खर्च हो चुकी थी। मुझे अरमान था वकील बनने का और एम० ए० पास करने का। नौकरी उस जमाने में भी इतनी दुष्प्राप्य थी, जितनी अब है। दौड़-धूप करके शायद दस बारह कं कोई जगह पा जाता; पर यहाँ तो आगे पढ़ने की धुन थी—पाँव में लोहे की नहीं, अष्टघात की बेड़िया थीं और मैं चढ़ना चाहता था पहाड़ पर।”

आगे बढ़ने की धुन में पढ़ना जारी रखा, और स्कूल जाने का चित्र इसी लेख में इस प्रकार खींचा है:—

“पाँव में जूते न थे, देह पर साबित कपड़े न थे। मंहगी अलग थी, २० सेर के जौ थे। स्कूल से साढ़े तीन बजे छुट्टी मिलती थी। काशी के किंवस-कालेज में पढ़ता था। हेड मास्टर ने फीस माफ करदी थी। इम्तहान सिर पर था और मैं बाँस के फाटक, एक के को पढ़ाने जाता था। जाड़ों के दिन थे। चार बजे पहुँचता था। पढ़ाकर छः बजे छुट्टी पाता। वहाँ से मेरा घर देहात में पाँच मील पर था। तेज़ चलने पर भी आठ बजे से पहले घर न पहुँच सकता। प्रातःकाल आठ ही बजे फिर घर से चलना पड़ता था, कभी वक्त पर स्कूल न पहुँचता। रात को भोजन करके कुप्पी के सामने पढ़ने बैठता और न जाने कब सो जाता। फिर भी हिम्मत बांधे हुए था।

विद्यालय

“मन पर जितना ही गहरा आघात होता है, उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही गहरी होती है।”

जौ की रोटियां खाकर और फटे हालों रहकर धनपतराय ने मैट्रिकयूलेशन तो पास कर लिया लेकिन उनकी मंज़िल थी एम० ए० पास करना और वकील बनना। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उन्होंने साहस नहीं छोड़ा। अपनी इस मंज़िल तक पहुँचने के लिये उन्होंने बहुत-से पापड़ बेले किन्तु फिर भी असफल रहे। अपनी इस असफलता का जिक्र प्रेमचन्द ने स्वयं किया है और बड़े मार्मिक शब्दों में किया है :—

“मैट्रिकयूलेशन तो किसी तरह पास हो गया लेकिन सेक्रेण्ड डिविज़न आया, क्विंस कॉलेज में भरती होने की आशा न रही। फीस केवल अश्वत्थ दरजे वालों की ही मुआफ़ हो सकती थी। संयोग से उसी साल हिन्दू कॉलेज खुल गया था। मैंने इस नये कॉलेज में पढ़ने का निश्चय किया। प्रिंसिपल थे मि० रिचर्डसन। उनके मकान पर गया। वह पूरे हिन्दुस्तानी वेष में थे। कुरता और धोती पहने फर्श पर बैठे कुछ लिख रहे थे। मगर मिजाज़ को तब्दील करना इतना आसान न था। मेरी प्रार्थना सुनकर—आधी ही कहने पाया था—बोले कि घर पर मैं कॉलेज की बातचीत नहीं करता, कॉलेज में आओ। ख़ैर, कालेज में गया। मुलाकात तो हुई; पर निराशाजनक। फ़ीस मुआफ़ न हो सकती थी। अब क्या करता? अगर प्रतिष्ठित सिफारशें ला सकता, तो शायद मेरी प्रार्थना पर कुछ विचार होता लेकिन देहाती युवक को शहर में जानता हो कौन था?

रोज़ घर से चलता कि कहीं से सिफ़ारिश लाऊँ; पर बारह मील की मंज़िल पार कर शाम को घर लौट आता। किससे कहूँ ?

कई दिनों के बाद एक सिफारिश मिली । एक ठाकुर इन्द्र नारायणसिंह हिंदू-कालेज की प्रबंध-कारिणी सभा में थे । उनसे जाकर रोया । उन्हें मुझ पर दया आ गई । सिफारिशी चिट्ठी दे दी । उस समय मेरे आनंद की सीमा न थी । खुश होता हुआ घर आया । दूसरे दिन प्रिंसिपल से मिलने का इरादा था लेकिन घर पहुँचते ही मुझे ज्वर आ गया और दो सप्ताह से पहले न हिला । नीम का काढ़ा पीते-पीते नाक-मै-दम आ गया । एक दिन द्वार पर बैठा था कि मेरे पुरोहितजी आ गये । मेरी दशा देख कर समाचार पूछा और तुरन्त खेतों में जाकर एक जड़ी खोद लाये और उसे धोकर और सात दाने काली-मिर्च के साथ पीसकर मुझे पिला दिया । उसने जादू का असर किया । ज्वर चढ़ने में घंटे ही भर की देर थी । इस औषधि ने मानो जाकर उसका गला ही दबा दिया । मैंने पंडित जी से बार-बार उस जड़ी का नाम पूछा । कहा—नाम बता देने से उसका असर जाता रहेगा ।

एक महीने के बाद मैं फिर रिचर्डसन से मिला और सिफारिशी चिट्ठी दिखाई । प्रिंसिपल ने मेरी तरफ तीव्र नेत्रों में देखकर पूछा:—

“इतने दिनों कहाँ थे ?”

“बीमार हो गया था ।”

“क्या बीमारी थी ?”

मैं इस प्रश्न के लिये तैयार न था । अगर ज्वर बताता हूँ, तो शायद साहब मुझे झूठा समझें । ज्वर मेरी समझ में हल्की-सी चीज़ थी, जिसके लिये इतनी लम्बी और-हाज़िरी अनावश्यक थी । कोई ऐसी बीमारी बतानी चाहिये, जो अपनी कष्टसाध्यता के साथ दया को भी उभारे । उस समय मुझे और किसी बीमारी का नाम याद न आया । ठाकुर इन्द्र नारायणसिंह से जब मैं सिफारिश के लिये मिला था, तो उन्होंने अपने दिल की धड़कन की बीमारी की चर्चा की थी । वह शब्द मुझे याद आ गया । मैंने कहा :—

“पैलपिटेशन आफ हार्ट, सर ! (Pulpitation of heart sir ?)”

साहब ने विस्मित होकर मेरी ओर देखा और कहा—“अब तुम बिलकुल चले हो ?”

“जी हाँ ।”

“अच्छा प्रवेश-पत्र भरकर लाओ ।”

मैंने समझा बेड़ा पार हुआ । फार्म लिया, खानापुुरी की ओर पेश कर दिया । साहब उस सत्रय कोई क्लास ले रहे थे । तीन बजे मुझे फार्म वापस मिला । उस पर लिखा था :—इसकी योग्यता की जांच की जाय ।”

यह नई समस्या उपस्थित हुई। मेरा दिल बैठ गया। अंग्रेज़ी के सिवा और किसी विषय में पास होने की मुझे आशा न थी और बीज-गणित और रेखा-गणित से तो मेरी रूढ़ कांपती थी। जो कुछ याद था, वह भी भूल-भाल गया था; लेकिन दूसरा उपाय ही क्या था? भाग्य का भरोसा करके क्लास में गया। प्रोफ़ेसर साहब बंगाली थे। अंग्रेज़ी पढ़ा रहे थे।

वाशिंगटन इन्विज़ का 'रिपिवान विकिल' था। मैं पीछे की कतार में जाकर बैठ गया और दो ही चार मिनट में मुझे ज्ञात हो गया कि प्रोफ़ेसर साहब अपने विषय के ज्ञाता हैं। घंटा समाप्त होने पर उन्होंने मुझसे आज के पाठ पर कई प्रश्न किये और मेरे फार्म पर 'सन्तोषजनक लिख दिया।

दूसरा घंटा बीज-गणित का था। इसके प्रोफ़ेसर भी बंगाली थे। मैंने अपना फार्म दिखाया। नई संस्थाओं में प्रायः वही छात्र आते हैं, जिन्हें कहीं जगह नहीं मिलती। यहाँ भी यही हाल था। छात्रों में अयोग्य छात्र भरे हुए थे। पहले रैले में जो आया, वह भरती हो गया। भूख में साग-पात सभी रुचिकर होता है। अब पेट भर गया था। छात्र चुन-चुनकर लिये जाते थे। इन प्रोफ़ेसर साहब ने गणित में मेरी परीक्षा ली और मैं फेल हो गया। फार्म में गणित के खाने में 'असन्तोषजनक' लिख दिया।

मैं इतना हताश हुआ कि फार्म लेकर प्रिंसिपल के पास न गया। सीधा घर चला आया। गणित मेरे लिये गौरी-शङ्कर की चोटी थी। कभी उस पर न चढ़ सका। इण्टरमीडिएट में गणित में दो बार फेल हुआ और निराश होकर इन्सुलिन देना छोड़ दिया। दस-बारह साल के बाद जब गणित की परीक्षा ऐच्छिक हो गई तब मैंने दूसरे विषय लेकर उसे आसानी से पास कर लिया। उस समय तक यूनिवर्सिटी के इस नियम ने, कितने युवकों की आकांक्षाओं का खून किया, कौन कह सकता है! खैर, मैं निराश होकर घर तो लौट आया; लेकिन पढ़ने की लालसा अभी तक बनी हुई थी। घर बैठकर क्या करता? किसी तरह गणित को सुधारूँ और कालेज में भरती हो जाऊँ, यही धुन थी। इसके लिये शहर में रहना जरूरी था। संयोग से एक वकील के लड़कों को पढ़ाने का काम मिल गया। पाँच रुपये वेतन ठहरा। मैंने दो रुपये में अपना गुज़र करके तीन रुपये घर पर देने का निश्चय किया। वकील साहब के अस्तबल के ऊपर एक छोटी-सी कच्ची कोठरी थी। उसी में रहने की आज्ञा ले ली। एक टाट का टुकड़ा बिछा दिया। बाजार से एक छोटा-सा लैम्प लाया और शहर में रहने लगा। घर से कुछ बरतन भी लाया। एक वक्त खिचड़ी पका जेता और बरतन धो-

माँजकर लाइवरी चला जाता। गणित तो बहाना था, उपन्यास आदि पढ़ा करता। पण्डित रतननाथ सरशार का “फिसाना आज़ाद” उन्हीं दिनों पढ़ा। ‘चन्द्रकान्ता सन्तति’ भी पढ़ी। बङ्किम बाबू के उर्दू अनुवाद जितने पुस्तकालय में मिले सब पढ़ डाले। जिन वकील साहब के लड़कों को पढ़ाता था, उनके साले मेरे साथ मैट्रिकयूलेशन में पढ़ते थे। उन्हीं की सिफारिश से मुझे यह पढ़ मिला था। उनसे दोस्ती थी, इसलिये जब ज़रूरत होती, पैसे उधार ले लिया करता था। वेतन मिलने पर हिसाब हो जाता था। कभी दो रुपये हाथ आते, कभी तीन। जिस दिन वेतन के दो-तीन रुपये मिलते मेरा संयम हाथ से निकल जाता। तृष्णा हलवाई की दुकान की ओर खींच ले जाती। दो-तीन आने के पैसे खाकर ही उठता। उसी दिन घर जाता और दो-ढाई रुपये दे आता। दूसरे दिन से फिर उधार लेना शुरू कर देता लेकिन कभी-कभी उधार माँगने में भी संकोच होता और दिन-का-दिन निराहार व्रत रखना पड़ जाता।

इस तरह चार-पाँच महीने बीते। इस बीच में एक बजाज़ से दो ढाई रुपये के कपड़े लिये थे। रोज़ उधर से निकलता था। उसे मुझ पर विश्वास हो गया था। अब महीने-दो-महीने निकल गये और मैं रुपये न चुका सका तो मैंने उधर से निकलना ही छोड़ दिया। चक्कर देकर निकल जाता। तीन साल के बाद उसके रुपये दे सका। उसी ज़माने में शहर का एक बेलदार मुझसे कुछ हिन्दी पढ़ने आया करता था। वकील साहब के पिछवाड़े उसका मकान था। ‘जान लो भैया’ उसका सुखन तकिया था। हम लोग उसे ‘जान लो भैया’ ही कहा करते थे। एक बार मैंने उससे भी आठ आने उधार लिये थे। वह पैसे उसने मुझसे पाँच साल बाद मेरे घर गाँव में जाकर वसूल किये। मेरी अब भी पढ़ने की इच्छा थी लेकिन दिन-दिन निराश होता जाता था। जी चाहता था, कहीं नौकरी कर लूँ। पर नौकरी कैसे मिलती है और कहाँ मिलती है, यह न जानता था।

जाइवों के दिन थे। पास एक कौड़ी न थी। दो दिन एक-एक पैसे का खाकर काटे थे। मेरे महाजन ने उधार देने से इन्कार कर दिया था संकोच-वश मैं उससे माँग न सका था। चिराग़ जल चुके थे। मैं एक बुकसेलर की दुकान पर एक किताब बेचने गया। एक चक्रवर्ती-गणित-कुञ्जी दो साल हुये खरीदी थी, अब तक उसे बड़े जूतन से रखे हुये था; पर आज चारों ओर से निराश होकर मैंने उसे बेचने का निश्चय किया। किताब दो रुपये की थी; लेकिन एक रुपये पर सौदा ठीक हुआ। मैं रुपया लेकर दुकान से उतरा ही

विद्यालय

था कि एक बड़ी-बड़ी मूँछों वाले सौम्य-पुरुष ने, जो उस दुकान पर बैठे हुये थे, मुझसे पूछा :—

“तुम कहाँ पढ़ते हो ?”

मैंने कहा—“पढ़ता तो कहीं नहीं; पर आशा करता हूँ कि कहीं नाम लिखवा लूँ।”

“मैट्रिक्यूलेशन पास हो ?”

“जो हाँ ?”

“नौकरी करने की इच्छा तो नहीं है ?”

“नौकरी कहीं मिलती हो नहीं !”

यह सज्जन एक छोटे से स्कूल के हेड मास्टर थे। उन्हें एक सहकारी अध्यापक की ज़रूरत थी। अठारह रुपये वेतन था। मैंने स्वीकार कर लिया। अठारह रुपये उस समय मेरी निराशा-व्यथित कल्पना की ऊँची-से-ऊँची उड़ान से भी ऊपर थे। मैं दूसरे दिन हेड मास्टर से मिलने का वायदा करके चला, तो पाँच ज़मीन पर न पढ़ते थे। यह सन् १८९९ की बात है। परिस्थितियों का सामना करने को तैयार था और गणित में अटक न जाता तो अवश्य आगे जाता; पर सब से कठिन परिस्थिति यूनिवर्सिटी के मनो-वैज्ञानिक जानकारी की थी, जो उस समय और उसके कई साल बाद तक उस डाकू का-सा व्यवहार करती थी, जो छोटे-बड़े सभी को एक खाट पर सुलाता था।”

धनपतराय ने निस्संदेह यही समझा होगा कि गणित ने अरमान खाक में मिला दिये और अकस्मात् नौकरी मिल जाने-से वह प्रारब्ध पर भी विश्वास ले आये थे। विश्वास ले आना स्वाभाविक था क्योंकि अंधी-दरिद्रता का प्रारब्ध ही एक सहारा है।

लेकिन बाद में जब आजीवन ही कामनाएं धूलिसात् होती रहीं और प्रेमचन्द बन कर भी प्रतिकूल परिस्थितियों में इच्छा के विरुद्ध काम करना पड़ा, तो मालूम हुआ कि अरमान खाक में मिलाने वाली शक्तियाँ बहुत ही बलवान् हैं, जो गणित के पीछे छिपी हुई हैं; जिनसे लड़ना परमावश्यक है। पाँच सौ पृष्ठ का उपन्यास ‘गोदान’ इन्हीं अरमानों के खाक में मिलने की कहानी है। होरो की असफलताएं प्रेमचंद की अपनी असफलताएं हैं। इस उपन्यास में उन्होंने एक वाक्य लिखा है, जो सारे उपन्यास का निचोड़ है, और धनपतराय की इस मनोदशा को भली प्रकार व्यक्त करता है :—

“जीवन की ट्रेजेडी और इसके सिवा क्या है कि आप की आत्मा जो काम करना नहीं चाहती, वही आपको करने पड़े।”

इस ‘ट्रेजेडी’ को अनुभव करते हुए उन्होंने इस जमाने के हालात छोटे-से लेख में काफ़ी विस्तार से बयान किये हैं। मगर उनके जीवन का यह चित्र अभी अधूरा है। घर पर विमाता थी जिसे वह चाची कहते थे। पति की मृत्यु से उनके अरमान भी खाक में मिले थे। धनपतराय की अपनी पत्नी थी। जब पति इस प्रकार दीन-हीन दशा में दिन काट रहा था तो इस युवा स्त्री के अरमान भी खाक में मिल रहे थे। उसके बारे में प्रेमचंद ने सीधे ढंग से कुछ नहीं लिखा; लेकिन पत्नी उनके जीवन का अंग थी, इसलिये उसके अरमानों का खून होता देखें और महसूस न करें! असम्भव था। पिता की मृत्यु के उपरान्त विमाता के जज़्बात ‘अलग्योभा’ कहानी में भली प्रकार वर्णन किये हैं। लेकिन जीवन-कथा तो नहीं होती। अपने जीवन का चित्रण करते हुए भी कहानी के आग्रह के अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन करना पड़ता है। नाम ही भिन्न नहीं होते, कथानक की सुविधा के अनुसार वातावरण भी बदल दिया जाता है। घटनायें और पात्र इने-गिने वही नहीं होते, लेकिन उनकी तह में जो यथार्थता वर्णन की जाती है, वह एक ही होती है। इसलिये उपकरणों की बजाय यथार्थ वस्तु को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। लिखते हैं :—

“पन्ना के चार बच्चे थे—तीन बेटे और एक बेटि। इतना बड़ा खर्च और कमाने वाला कोई नहीं। रगधू अब क्यों बात पूछने लगा। यह मानी हुई बात थी कि वह अपनी स्त्री लायगा और अलग रहेगा। स्त्री आकर और भी आग लगायेगी। पन्ना को चारों ओर अंधेरा ही दिखाई न देता था; पर कुछ भी हो, वह रगधू की आश्रिता बनकर घर में न रहेगी। जिस घर में उसने राज किया, उसमें लौंडी न बनेगी। जिस लौंडे को अपना गुलाम समझा, उसका मुँह न ताकेगी। वह सुन्दर थी, अवस्था अभी कुछ ज्यादा न थी। जवानी अपनी पूरी बहार पर थी। क्या वह कोई दूसरा घर नहीं कर सकती? यही न होगा, लोग हँसेंगे। बला से! उसकी बिरादरी में क्या ऐसा होता नहीं। ब्राह्मण, ठाकुर थोड़े थी कि नाक कट जायेगी। वह तो संसार को दिखाकर दूसरा घर कर सकती थी। फिर वह रगधू की दबैल बन कर क्यों रहे?”

भोला को मर एक महीना बीत चुका था। संध्या हो गई थी। पन्ना इसी चिंता में पड़ी हुई थी कि सद्दसा उसे विचार आया बच्चे घर में नहीं

हैं। यह बैलों के लौटने की बेला है, कहीं कोई बच्चा उनके नीचे न आ जाय। अब द्वार पर कौन है; जो उनकी देख-भाल करेगा। रगधू को मेरे लड़के फूटी आँखों नहीं भाते। कभी हँस कर नहीं बोलता। घर से बाहर निकली, तो देखा, रगधू सामने झोंपड़े में बैठा—ऊख की गंडेरियां बना रहा है। तीनों लड़के उसे घेरे खड़े हैं और छोटी लड़की उसकी गर्दन में हाथ डाले उसकी पीठ पर चढ़ने की चेष्टा कर रही है। पन्ना को अपनी आँखों पर विश्वास न आया। आज तो यह नई बात है। शायद दुनियां को दिखाता है कि मैं अपने भाइयों को कितना चाहता हूँ और मन में छुरी रखी हुई है। घात मिले तो जान ही ले ले। काला सांप है, काला सांप। कठोर स्वर में बोली—“तुम सब के सब वहाँ क्या करते हो? घर में आओ, साँफ की बेला है, गोरू आते होंगे।

रगधू ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा—मैं तो हूँ ही काकी, डर किस बात का है?

बड़ा लड़का केदार बोला—काकी, रगधू दादा ने हमारे लिये दो गाड़ियां बनादी हैं। यह देख, एक पर हम और खुन्नू बैठेंगे, दूसरी पर लछमन और झुनियां। दादा दोनों गाड़ियां खींचेंगे।

यह कहकर वह एक कोने से दो छोटी-छोटी गाड़ियां निकाल लाया, चार-चार पहिये लगे थे, बैठने के लिये तख्ते और रोक के लिये दोनों तरफ बाजू थे।

पन्ना ने आश्चर्य से पूछा—यह गाड़ियां किसने बनाईं?

केदार ने चिड़कर कहा—रगधू दादा ने बनाईं, और किसने भगत के घर से बसूला और रुखानी मांग लाये थे और झटपट बना दी। खूब दौड़ती हैं काकी। बैठ खुन्नू, मैं खींचूँ।

खुन्नू गाड़ी में बैठ गया। केदार खींचने लगा। चर-चर का शोर हुआ, मानो गाड़ी भी इस खेल में लड़कों के साथ शरीक हो। लछमन ने दूसरी गाड़ी में बैठकर कहा—दादा खींचो।

रगधू ने झुनिया को भी गाड़ी में बैठा दिया और गाड़ी खींचता हुआ दौड़ा। तीनों लड़के तालियां बजाने लगे। पन्ना चकित नेत्रों से यह दृश्य देख रही थी और सोच रही थी, कि यही वह रगधू है या और।”

वास्तव में यह प्रेमचंद का अपना चित्र-है। यह निःस्वार्थ सेवा और सज्जनता, अपढ़ देहातियों के अंग-अंग में रमी रहती हैं, जिसका परिचय रगधू

ने ही नहीं, 'यंत्र' का बूढ़ा भगत भी देता है और 'महातीर्थ' की गरीब दाया देती है ।

धनपतराय का जीवन इन्हीं देहातियों में व्यतीत हुआ था इसलिये त्याग और सेवा उसके जीवन का अंग बन गये थे । और इसी कारण प्रेमचंद इस नतीजे पर पहुँचे थे, 'गोदान' में लिखते हैं :—

“किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें सन्देह नहीं ।.....;लेकिन प्रकृति में स्थायी सहयोग है । वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है । खेतों में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है । गाय के थन में दूध होता है, उससे पृथ्वी तृप्त होती है । ऐसी संगति में कुत्सित स्वार्थ के लिये कहाँ स्थान ।

इसी उपन्यास में दूसरी जगह लिखा है—“सभी मनस्वी प्राणियों में त्याग की भावना छिपी रहती है और प्रकाश पाकर चमक उठती है ।”

धनपत ने भी प्राकृतिक दृश्यों में अपनी आत्मा को सम्पन्न किया था और प्रकाश में रहकर जीवन बिताया था, इसीलिये उनमें यह भावना आप-ही-आप पलती रही, चमकती रही, कभी क्षीण न हुई । वे विमाता और उनके बेटों की सहायता हमेशा करते रहे । विमाता अपने छोटे भाई को भी साथ लाई थी, जो वहीं रहता और पलता था । जब ट्यूशन में केवल पाँच रुपये पाते थे तो ढाई रुपयें घर दे आते थे । जब अठारह रुपये की नौकरी मिल गई, तो आधा वेतन या इससे भी अधिक घर भेजते रहे । यह बचत करते समय उन्हें कितनी कठिनता का सामना होता था, उसका अनुमान 'माँगे की घड़ी' कहानी के नायक के कठिन जीवन से लगाया जा सकता है । जो अपने मित्र की खोई हुई घड़ी का मूल्य चुका देने के लिये अपना जिगर काटकर अल्प-वेतन में से प्रतिमास आधे रुपये बचाता है ।

धनपतराय मूर्खों वाले सज्जन और गम्भीर मनुष्य की सहायता से मास्टर हो गये । अब वहाँ कैसे रहते-सहते थे । इसका चित्रण 'माँगे की घड़ी' में इस प्रकार किया है :—

“मैं दूसरे ही दिन एक सस्ते होटल में उठ गया । यहाँ १२) रु० में ही प्रबन्ध हो गया । सुबह को दूध और चाय से नाश्ता करता था । अब छुट्टाँक भर चनों पर बसर होने लगी । १२) रु० तो यों बचे, पान सिगरेट आदि कीमत में ३) रु० और कम किये और महीने के अंत में साफ पन्द्रह बचा लिये । यह विकट तपस्या थी । इन्द्रियों का निर्दय दमन ही नहीं, पूरा सन्यास था । पर जब मैंने ये १५) रु० ले जाकर दानू बाबू के हाथ में रखे,

तो ऐसा जान पड़ा, मानों मेरा मस्तक ऊँचा हो गया। ऐसे गौरव-पूर्ण आनन्द का अनुभव मुझे जीवन में कभी न हुआ था।”

यह गौरव-पूर्ण आनन्द अनुभव करने वाला व्यक्ति धनपत राय है। वेतन १५) २० नहीं तो कम-से-कम नौ-दस रुपये किसी ढङ्ग से घर भेजे हें। घड़ी खो जाना तो एक बहानामात्र है। जो आदमी दिखाने के लिये घड़ी खोदे और उसे विवश होकर उसका मूल्य चुकाना पड़े, वह ऐसा गौरव-पूर्ण आनन्द अनुभव नहीं कर सकता। यह तो प्रेमचन्द का अपना त्याग है, जीवन का अनुभव हें। और रुपये भेज देने के उपरान्त की मनोदशा का वर्णन चित्रण इस प्रकार किया है :—

“यहाँ से लौटा, तो मुझे अपने हृदय में एक नवीन बल, एक विचित्र स्फूर्ति का अनुभव हो रहा था। अब तक जिन इच्छाओं को रोकना कष्टप्रद जान पड़ता था, अब उनकी ओर ध्यान भी नहीं जाता था। जिस पान की दुकान को देखकर चित्त अधीर हो जाता था, उसके सामने से आज मैं सिर उठाये निकल जाता था, मानो अब मैं उस सतह से कुछ ऊँचा उठ गया हूँ। सिगरेट, चाय और चाट अब इनमें से किसी पर भी चित्त आकर्षित न होता था। प्रातःकाल भीगे हुए चने, दोनों जून रोटी और दाल। बस, इसके सिवा मेरे लिये और सभी चीजें त्याज्य थीं; सबसे बड़ी बात तो यह थी कि मुझे जीवन में विशेष रुचि हो गई थी। मैं जिंदगी से बेजार, मौत के सुँह का शिकार बनने का इच्छुक न था। मुझे ऐसा आभास होता था कि मैं जीवन में कुछ कर सकता हूँ।”

“लाटरी” कहानी के इन शब्दों से भी इस बात का समर्थन होता है :—

“मैं उन दिनों स्कूल मास्टर था। बीस रुपये मिलते थे। दस घर भेज देता था। दस में लस्टम-पस्टम अपना गुजारा करता था। ऐसी दशा में पाँच रुपये का टिकट खरीदना मेरे लिये सफेद हाथी खरीदना था।”

इधर प्रेमचन्द घर वालों के लिये त्याग करके अद्वितीय महानता का अवलोकन कर रहे थे, उधर उनकी स्त्री का रवैया बिल्कुल भिन्न था। उसके रवैये की व्याख्या के लिये हम फिर ‘अलगयोभा’ कहानी की ओर लौटते हैं। पन्ना के कहने-सुनने से रघू ने पिता की मृत्यु के थोड़े समय बाद विवाह कर लिया था। उसकी स्त्री मुलिया के बारे में लिखते हैं :—

“मुलिया मैके से ही जली-मुनी आई थी, मेरा शौहर छाती फाड़कर काम करे और पन्ना रानी बनी बैठी रहे। उसके लड़के रईसजादे बने घूमें। मुलिया से यह बरदाश्त न होगा। वह किसी की गुलामी न करेगी। अपने लड़के तो

अपने होते ही नहीं; भाई किसके होते हैं। जब तक पर नहीं निकलते हैं, रग्घू घेरे हुए हैं। ज्योंही जरा सयाने हुए, पर झाड़कर निकल जायेंगे, बात भी न पल्लेंगे।”

एक दिन उसने रग्घू से कहा—तुम्हें इस तरह मुलामी करनी हो तो करो, मुझ से न होगी।

रग्घू—तो फिर क्या करूँ, तू ही बता ? लड़के तो अभी घर का काम करने के लायक भी नहीं हैं।

मुलिया—लड़के रावत के हैं, कुछ तुम्हारे नहीं हैं। यही पन्ना है जो तुम्हें दाने-दाने को तरसाती थी। सब सुन चुकी हूँ। मैं लौंडी बनकर न रहूँगी। रुपये-पैसे का मुझे कुछ हिसाब नहीं मिलता। न जाने तुम क्या लाते हो और वह क्या करती है। तुम समझते हो रुपये घर ही में तो हैं; मगर देख लेना तुम्हें जो एक फूटी कौड़ी भी मिले।

रग्घू—रुपये-पैसे तेरे हाथ में देने जगूँ, तो दुनिया क्या कहेगी, यह तो सोच ?

मुलिया—दुनियां जो चाहे कहे। दुनियां के हाथों बिकी नहीं हूँ। देख लेना भाड़ लीपकर हाथ काला ही रहेगा। फिर तुम अपने भाइयों के लिये मरो, मैं क्यों मरूँ।

लेकिन प्रेमचन्द ने अपना रवैया नहीं बदला। गो उनका अपना भी मुश्किल से पूरा पड़ता था; पर जीवन भर सौतेली माँ और भाईयों की सहायता करते रहे।

स्कूल--मास्टर

“वह शुभ घड़ियाँ जिनसे हमारे जीवन में नवयुग का सूत्रपात्र होता है, हमारी भावनाओं में सहृदयता और विश्वास उत्पन्न करती

—प्रेमचंद

अब प्रेमचंद स्कूल मास्टर थे मगर वह इससे संतुष्ट नहीं थे; क्योंकि उन्होंने नौकरी स्वेच्छा से नहीं की थी, विरोधी परिस्थितियों ने बलात् इस ओर धकेल दिया था। शिक्षा अधूरी रह जाने की फाँस मन में अटकी हुई थी। वह कोई-न-कोई बहाना करके इस जिदंगी से छूटकारा चाहते थे; लेकिन हेड मास्टर सहृदय व्यक्ति था, उसने समझा-बुझाकर उन्हें काम पर लगाये रखा। प्रेमचंद ने ‘होली-की-छुट्टी’ कहानी में शुरू की कैफियत पर इस प्रकार प्रकाश डाला है:—

“मैट्रिकयूलेश पास करने के बाद मुझे एक प्राइमरी मदरसे में जगह मिल गई, जो मेरे घर से ग्यारह मील पर था। हमारे हेड मास्टर को छुट्टियों में भी लड़कों को पढ़ाने का खब्त था.....अप्रैल में सालाना इम्तहान होने वाले थे। इसलिये जनवरी ही से हाय-तोबा मची हुई थी। सहकारी अध्यापकों पर इतनी कृपा थी कि रात की क्लासों में उन्हें न बुलाया जाता था; मगर छुट्टी बिलकुल न मिलती। सोमती-अमावस आई और निकल गई। शिव रात्रि आई और चली गई.....इसलिये मुझे कई महीनों से घर जाने का अवसर न मिला था; मगर अब के मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि होली पर अवश्य घर जाऊँगा; चाहे नौकरी से हाथ ही क्यों न धोना पड़े। मैंने एक सप्ताह पहले ही हेड मास्टर को अल्टीमेटम दे दिया कि २० मार्च को होली की छुट्टी शुरू होगी और १९ की शाम को मैं चला जाऊँगा। हेड मास्टर साहब ने मुझे समझाया कि अभी लड़के हों; तुम्हें क्या मालूम नौकरी कितनी मुश्किलों से मिलती है और कितनी मुश्किलों से चलती

है। नौकरी पाना इतना कठिन नहीं जितना कि उसका निभाना, अप्रैल में इम्तहान होने वाले हैं। तीन-चार दिन बंद रहा, तो बताओ कितने लड़के पास होंगे। साल भर की सारी मेहनत पर पानी फिर जायेगा कि नहीं। मेरा कहा मानो इस छुट्टी में न जाओ। इम्तहान के बाद जो छुट्टी आये उसमें चले जाना। ईस्टर की चार छुट्टियाँ होंगी, मैं एक दिन के लिये भी न रोकूँगा। मैं अपने मोर्चे पर कायम रहा। उपदेश और डर किसी बात का मुझ पर कुछ प्रभाव न पड़ा। १६ को जैसे ही मदरसा बंद हुआ, मैंने हेड मास्टर को सलाम भी न की। और चुपके से अपने निवास-स्थान पर चला आया। उन्हें नमस्ते करते जाता, तो वह एक-न-एक काम निकल कर मुझे रोक लेते। रजिस्ट्र में फीस का जोड़ करते जाओ, औसत हाजिरी निकालते जाओ, छात्रों की निबंध की कापियाँ जमा करके, उनमें सुधार कर दो और तारीख आदि डाल दो। जैसे यह मेरी अंतिम यात्रा हो और जीवन के सारे काम भी समाप्त कर देने चाहियें।”

इस उद्धरण में प्रेमचन्द ने स्कूल-मास्टर के ऐसे काम गिनवाये हैं, जिनमें उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह इससे अच्छा और बेहतर काम करना चाहते थे। निबन्ध की कापियों में सुधार करने की अपेक्षा एम० ए० पास करके वकील बनना चाहते थे। अगर यह नहीं हो सका, तो वह यहाँ क्यों भ्रम मारते रहें। नौकरी से विरक्त कर देने वाली दूसरी बात थी—अल्प वेतन। इससे वह बहुत क्षुब्ध रहते थे। ‘बोम्ब’ कहानी में लिखते हैं :—

“पण्डित चन्द्रधर ने एक अपर प्राइमरी सुदर्जिनी तो करली थी, किन्तु सदा पलुताया करते कि कहाँ से इस जंजाल में आ फँसे। यदि किसी अन्य विभाग में नौकर होते तो अब तक हाथ में चार पैसे होते, आराम से जीवन व्यतीत होता। यहाँ तो महीने भर प्रतीक्षा करने के पीछे कहीं पन्द्रह रुपये देखने मिलते हैं। वह भी इधर आये, उधर गये। न खाने का सुख, न पहनने का आराम। हमसे तो मजूर ही भले।”

खाने-पहनने का सुख न होते हुए हम देख चुके हैं कि उन्हें सौतेली माँ और भाइयों की सहायता करके यह सन्तोष प्राप्त हो गया था कि मैं भी दुनियाँ में कुछ कर सकता हूँ। दूसरे हेडमास्टर सज्जन और सहृदय थे। इसलिए नौकर निभाते रहे मगर एम० ए० पास करने का अरमान कांटा बन-कर मन में खटकता रहा और उन्होंने मानसिक रूप से परिस्थितियों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। अपनी एक कहानी “लाल-फीता” में लिखते हैं :—

“मगर हरिविलास के मन में पढ़ने की जो उत्कट अभिलाषा थी वह

गर्मी-सर्दी की परवाह न करती थी। उस दृढ़ निश्चय के साथ, जो प्रायः निर्घन विद्यार्थियों का विशेष गुण है, वह कालेज में भरती हो गया था। वह एक रईस के लड़के पढ़ाकर शिक्षा का खर्च पूरा कर लिया करता था। क्रमशः कई बार उसे एक साथ बड़ी रकमों की जरूरत पड़ती थी।”

प्रेमचन्द अपने मन में आगे पढ़ने की क्या-क्या योजनायें बनाते थे और उन्हें कौन-कौनसी कठिनाइयाँ दीख पड़ती थीं—यह इस उद्धरण से स्पष्ट है। हरिविलास खुद उन्हीं का प्रतिनिधि है, जो यथार्थ स्थिति के विरुद्ध अथक संघर्ष जारी रखता है। वह किसी भी परिस्थिति में हार मानने को तैयार नहीं। अंत में उसके दृढ़ निश्चय को जीत होती है। यही हरिविलास हमें फिर ‘हार की जीत’ कहानी में मिलता है। उस समय वह पढ़ाई समाप्त कर चुका है, एम० ए० पास करके कालेज में प्रोफेसर है और सम्पन्न-जीवन बिता रहा है। उसके बारे में उसकी बेटी लज्जावती बड़े ही गर्व से कहती है :—

“बाबूजी ने केवल अपने अतिरिक्त परिश्रम और अध्यवसाय से यह पद प्राप्त किया है।”

‘आदर्श विरोध’ कहानी के नायक दयाकृष्ण भी उन्हीं का प्रतिनिधित्व कर रहे मालूम होते हैं। वह वकील बनकर अपनी बुद्धि और अपना यश देश और जनता की सेवा में लगाते हैं। उनके बारे में लिखा है :—

प्रेमचन्द को सम्पन्न-जीवन बिताना सारी उम्र नसीब न हुआ लेकिन वह अपने लिए और देश की जनता के लिए सदा सम्पन्न और समृद्ध जीवन के स्वप्न देखते ही रहे। अपने इन स्वप्नों को यथार्थ बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने इस प्राइमरी मदरसे की नौकरी करते हुए दो बार इंटरमीडिएट का इम्हतान दिया और दोनों बार फेल हो गए।

लेकिन पढ़ाई जारी रखने की शीघ्र ही एक दूसरी सूरत पैदा हो गई। दो तीन वर्ष की सर्विस के बाद प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को सरकारी तौर पर ट्रेनिंग दी जाती थी। प्रेमचन्द भी सन् १९०२ में ट्रेनिंग-कालेज, इलाहाबाद में भरती हो गए।

प्रेमचन्द के एक सहपाठी बाबू कल्याणलाल ने “जमाना” (उर्दू) कानपुर ‘प्रेमचन्द अंक’ में इस बारे में एक लेख लिखा है। जिसमें वह बताते हैं :

“महाशय दयाकृष्ण मेहता के पाँव जमीन पर न पड़ते थे। उनकी वह आकांक्षा पूरी हो गई थी जो उनके जीवन का मधुर स्वप्न थी।”

“प्रेपरेटरी क्लास (Preparatory class) में दाखिल होने वाले इन्हें स-

पास उम्मीदवार एक साल इम्पी क्लास में तालीम पाते थे, और दूसरे साल जूनियर क्लास में। उस समय युक्तप्रान्त में एक ही ट्रेनिंग कालेज था। उसके प्रिंसिपल सर्वप्रिय मिस्टर कैम्पलस्टर अपने शिष्यों के सच्चे शुभ-चिन्तक और सहायक थे। यहाँ से १९०५ में प्रेमचंद्र जूनियर क्लास की परीक्षा दरजा अब्बल में पास करके जूनियर सर्टिफिकेटिड J. C. टीचर की सनद लेकर निकले.....।”

प्रिंसिपल साहब आपसे बहुत प्रसन्न थे। इसलिये उन्होंने आपको ट्रेनिंग कालेज के माडल-स्कूल का हेड मास्टर नियुक्त कर दिया। उस समय मैं भी ट्रेनिंग-कालेज सीनियर क्लास में पढ़ता था। हम सब लोग अर्थात् माडल-स्कूल के अध्यापक कालेज स्कूल के होस्टल में रहते थे। इसको आध्यात्मिक आकर्षण समझना चाहिये। मेरा मुन्शी साहब से खास तौर पर परिचय हुआ और शीघ्र ही मैत्री सम्बन्ध स्थापित हो गया। आप स्वभाव ही से बड़े मननशील और चतुर बुद्धि थे।”

हिंदुस्तान में अंग्रेज आते थे, चूँकि वे शासक-वर्ग से सम्बन्ध रखते थे, इसलिये प्रेमचंद्र उनसे घृणा करते थे। कहीं भी अच्छे शब्दों में उनका उल्लेख नहीं किया लेकिन अपनी ‘होली-की-छुट्टी’ कहानी में एक अंग्रेज का जिक्र बड़े आदर-सम्मान से किया है। लिखते हैं :—

“मिस्टर जैक्सन से कई बार मिल चुका हूँ। उसकी सज्जनता ने मुझे उसका अनन्य भक्त बना दिया है। मैं उसे मनुष्य नहीं, देवता समझता हूँ।”

यह देव-तुल्य अंग्रेज संभवतः ट्रेनिंग कालेज का प्रिंसिपल था जो अपने छात्रों का सच्चा शुभ-चिन्तक था। उसने प्रेमचंद्र के मन में पढ़ने और आगे बढ़ने की प्रेरणा को उत्साह दिया था।

उनके ट्रेनिंग कालेज के जीवन पर कुछ प्रकाश सम्पादक ‘जमाना’ ने भी डाला है। वह लिखते हैं :—

“उन्होंने सन् १९०४ में जूनियर इंग्लिश टीचर्स सर्टिफिकेट का इम्तहान अब्बल दरजे में पास किया। उसके सर्टिफिकेट की तारीख पहली जुलाई सन् १९०५ में जिस पर मिस्टर जे० सी० कम्पस्टर प्रिंसिपल और मिस्टर बेकन इन्स्पेक्टर मदरास अलाहाबाद सरकिल के दस्तखत हैं। ये शब्द उल्लेखनीय हैं:—

Not qualified to teach mathamatics, conduct satisfactory and regular. He worned earnestly and well.

अर्थात् परीक्षकों ने इस सर्टिफिकेट में साफ लिख दिया है कि गणित पढ़ाने की योग्यता नहीं, मगर चाल चलन संतोषजनक है। समय का पाबंद

रहकर अपना काम बड़े परिश्रम से भली प्रकार करते रहे ।

सन् १९०४ में औरियंटल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्पेशल वर्नेकुलर इम्तहान भी उर्दू-हिंदी में पास किया । इंटरमिडिएट का इम्तहान कई बार दिया; लेकिन हर बार गणित में असफल रहे । आखिर जब यह विषय आवश्यक नहीं रहा और ऐच्छिक हो गया, तो सन् १९१० में उसे भी सेकिंड डिविजन में पास कर लिया । इस समय वह गवर्नमेंट स्कूल में सहकारी अध्यापक थे । इंटरमिडिएट में उनके विषय थे अंग्रेजी, दर्शन, फ़ारसी और वर्तमान काल का इतिहास ।

नौ साल के बाद सन् १९०६ में जब गोरखपुर में टीचर थे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की परीक्षा बी० ए० भी द्वितीय श्रेणी में पास की । इस बार उनके विषय थे :—अंग्रेजी, फ़ारसी और इतिहास ।”

परीक्षाएं तो उन्होंने जरूर पास कीं; लेकिन वह परीक्षा पास करने के लिये नहीं पढ़ते थे । उनके लिये शिक्षा, जीवन को सफल बनाने का साधन थी । इसलिये पढ़ने के लिये परीक्षा पास करते थे । पढ़ने की लगन का अंदाज़ा उनके एक छोटे से उद्धरण से लग सकता है । अपनी ‘त्यागी का प्रेम’ कहानी में लिखते हैं :—

लाला गोपीनाथ को युवावस्था में ही दर्शन से प्रेम हो गया था । अभी यह इंटरमीडियेट क्लास में थे कि मिल और बर्कले के वैज्ञानिक विचार उनको कंठस्थ हो गये थे ।”

बाबू कृष्णलाल ने अपने लेख में आगे लिखा है :—

“मुन्शी प्रेमचन्द शुरू ही से पुस्तकाध्ययन के बड़े प्रेमी थे । एक दिन मेरे साथ मिस्टर सच्चिदानंद सिनहा बैरिस्टर से भेंट की ताकि समय-समय पर उनके पुस्तकालय से लाभ उठाते रहें । एक बार उन्हीं से मौलवी जका-अल्लाह साहब की ‘तारीखे हिंद’ ले आये और चंद ही रोज़ में उसके तीनों अथवा चारों बृहद् भाग समाप्त कर डाले और इतने ध्यान से पढ़े, जैसे इस पर कोई आलोचनात्मक लेख लिखना है ।”

दूसरे स्थान पर लिखा है:—

“जिस प्रकार उनका रहन-सहन सादा था, स्वभाव और सदाचार भी सीधा, सच्चा और आडम्बर रहित था । सहृदयता आपके स्वभाव का अंग थी । आवाज़ बुलंद थी और ख्वाह-मख्वाह किसी से दबने वाले मनुष्य न थे । होस्टल में किसी से लड़ने-झगड़ने पर बाद में उन्हें कभी किसी से अशिष्ट

और असभ्य बात-चीत करते हुए भी नहीं देखा गया। नौकरों से भी शिष्टता का व्यवहार करते थे।

पढ़ते-लिखते समय प्रायः अपना कमरा भीतर से बंद कर लिया करते थे और मनोरंजन के समय दिल खोल कर रंजन करते.....।”

‘फिराक’ गोरखपुरी ने भी उनके अध्ययन के शौक पर प्रकाश डाला है। लिखते हैं:—

“प्रेमचंद किसी विशेष नियम से पुस्तकें नहीं पढ़ते थे।” उन्हें, अधिकांश उन्हीं पुस्तकों और उपन्यासों से दिलचस्पी होती थी, जो रस्मो-रिवाज, परम्पराओं, ऐतिहासिक घटनाओं और जीवन के दूसरे पहलुओं को सरल और रोचक ढंग से पेश करती थीं। इसमें उनकी जिज्ञासा, खोज और साहित्य-प्रियता का भी पता चलता है।”

मिरजा फ़िदा अली ‘खंज़र’ लखनवी नवलकिशोर प्रेस लखनऊ में उनके सहकारी थे, वे लिखते हैं:—

“वह पुरानी कहानियों और किस्सों को बहुत ज्यादा पसन्द करते थे। चुनावों जब कभी उनकी रुचि के अनुसार छोटी-मोटी पुस्तक मिल जाती, तो मैं उनकी सेवा में भेंट कर देता। वह प्रसन्न हो जाते और अत्यंत चाव से पढ़ते। जब वापिस करने लगते तो उसके बारे में अपने विचार प्रकट करते। यह विचार उनकी आलोचना-शक्ति के सबूत होते थे।”

ट्रेनिंग कालेज की परीक्षा पास करने के बाद, उन्हें वहीं मिडल स्कूल का हेड मास्टर, नियुक्त कर दिया। लड़के उन्हें मास्टर धनपतराय और मिश्रगण बाबू धनपतराय कहते थे। लड़कपन चला गया था, जीवन और परिस्थितियों से भली प्रकार परिचित हो गये थे और उन्होंने अपने अनुभव से समझ लिया था, कि मास्टरी करते हुए भी उनके लिये आगे बढ़ने की सम्भावना है। “कर्म-भूमि” का नायक-अमरकांत कहता है:—

“मैं अब तक व्यर्थ शिक्षा के पीछे पड़ा रहा। स्कूल और कॉलेज से अलग रह कर भी आदमी बहुत-कुछ सीख सकता है।”

पहली-रचना

लिखते तो वे लोग हैं, जिनके अन्दर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, विचार हैं। जिन्होंने धन और भोग-विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया है, वे क्या लिखेंगे ?

— प्रेमचन्द

शिक्षा, अग्नी मनोभावनाओं को व्यक्त करने की योग्यता प्राप्त करने का नाम है। प्रेमचन्द ने शुरू जीवन ही में इस बात को समझ लिया था। इसी लिए वे इतने उत्साह से शिक्षा के पीछे पड़े हुए थे, वे पुस्तकें बड़े ध्यान से पढ़ते थे और जो कुछ पढ़ते थे उस पर मित्रों से वाद-विवाद करते थे। इससे उनमें वस्तु-स्थिति को समझने और उस पर अपने विचार प्रकट करने की सूझ-बूझ उत्पन्न हो गई और वे धीरे-धीरे लेखक बन गए।

उन्हें किस्से-कहानियाँ पढ़ने का शौक था ही। यह शौक सदा बढ़ता ही रहा। कारण कि किस्से-कहानियाँ उनके शुष्क और दरिद्र जीवन में रोमांस और रस भरती थीं। 'तिलस्मे होशरुबा' और 'चन्द्रकान्ता-सन्तति' के कल्पित-पात्र उन्हें निष्ठुर और विषम परिस्थितियों के विरुद्ध संघर्ष करने पर बाध्य करते थे। उनकी क्रिया-शक्ति को सजग और सचेत रखते थे, उनके भीतर जो आग छिपी हुई थी उसे एक बिन्दु पर केन्द्रित करके प्रचण्ड ज्वाला का रूप देते थे। फिर उन्होंने जमाने की गरमी-सरदी देखी थीं। जीवन को सार्थक बनाने के लिए बहुत-सी कठिनाइयाँ भेलीं थीं। इन सब बातों ने उन्हें भावुक और मननशील बना दिया। दरिद्रता और कठिनाइयों के बावजूद वे जीवन से प्यार करते थे। उनका मन, विचारों से आन्दोलित रहता था और इस भावना ने कि "मैं दुनियाँ में कुछ कर सकता हूँ, निश्चय का रूप धारण कर लिया था। मगर वस्तु-स्थिति उनके अग्रमानों को कुचल रही थी। जीवन की असफलताओं को सफलताओं में बदलने और कुंठित-कामनाओं को

सन्तुष्ट करने का सिर्फ एक ही साधन था, कि वे लेखक बन जायें। उन्होंने भावनाओं को व्यक्त करने की योग्यता प्राप्त होते ही, किस्से-कहानियाँ लिखनी शुरू कर दीं।

उन्होंने कहानियाँ कब से लिखनी शुरू कीं इसके लिये कोई दूसरी सनद दरकार नहीं; स्वयं उनके ही शब्दों में:—

“मैंने पहले-पहल १९०७ में गल्प लिखना शुरू किया। डाक्टर रवीन्द्रनाथ के कई गल्प मैंने अंग्रेजी में पढ़े थे; जिनका उर्दू अनुवाद कई पत्रिकाओं में छपवाया था। उपन्यास तो मैंने १९०१ ही से लिखना शुरू किया। मेरा एक उपन्यास १९०२ में निकला और दूसरा १९०४ में; लेकिन गल्प सन् १९०७ से पहले मैंने एक भी न लिखी। मेरी पहली कहानी का नाम था ‘संसार का सब से अनमोल रत्न’। वह १९०७ में ‘जमाना’ उर्दू में छपी। उसके बाद मैंने ‘जमाना’ में चार-पाँच कहानियाँ और लिखीं।”

लेकिन जहाँ तक लिखने की बात है, ‘जमाना’ कानपुर में उन्होंने पहले ही से लिखना शुरू कर दिया था। मुंशी दयानारायण निगम, सम्पादक—‘जमाना’ लिखते हैं:—

“साल भर के अन्दर-ही-अन्दर प्रेमचन्द से, जिनका असली नाम धनपतराय था, खतो-किताबत शुरू हो गई। जिसका नतीजा हुआ कि सन् १९०४ के आखिर तक वे भी ‘जमाना’ के कलमी मुआवनीन (लेखकों) में शामिल हो गये। जहाँ तक याद पड़ता है, आपने सबसे पहले एक तनकीदी मज़मून (आलोचनात्मक लेख) १९०५ में ‘जमाना’ में शाय्या होने के लिये और एक नाविल का मसौदा बगरज मशविरा (सलाह के लिये) भेजा था।”

सन् १९०१ और १९०२ में जो दो उपन्यास प्रकाशित हुए थे उनके नाम शायद ‘कृष्णा’ और ‘हम खुरमा और हम सबाब’ थे। मगर मुंशी जागेश्वर प्रसाद वर्मा ‘बेताब’ बरेलवी का कहना है कि उनका पहला उपन्यास ‘प्रेमा’ था जो हिंदी में प्रकाशित हुआ था। उर्दू में उसका नाम ‘प्रताप चंद्र’ था; जिन पर लेखक का नाम धनपतराय था। लेकिन सच यही है, कि उनका पहला उपन्यास ‘हम खुरमा, हम सबाब’ था।

एक बात स्पष्ट है कि प्रेमचन्द ने कहानियों से पहले उपन्यास लिखना शुरू किया, लेकिन उनका साहित्यिक जीवन इससे भी पहले आरम्भ हो चुका था। जो कहानियाँ आदमी मन में सोचता है; लेकिन लिख नहीं सकता, वे भी तो स्तिष्क पर अपना प्रभाव छोड़ जाती हैं। फिर शुरू की रचनायें ऐसी

भी तो होती हैं, जो लिखी जाती हैं और प्रायः प्रकाशित भी हो जाती हैं; पर उनमें कोई साहित्यिक तत्व न रहने के कारण, वे किसी शुमार में नहीं आतीं। लेकिन इमारत की नींव में खप जाने वाली ईंटों की तरह उनका एक महत्व तो है ही और इसी से लेखक की अपनी यह रचनाय प्रिय जान पड़ती है, जिनकी याद उसे हमेशा बनी रहती है। 'पहली रचना' शीर्षक लेख में प्रेमचन्द ने एक ऐसी ही रचना का जिक्र किया है। पहला प्रहसन था, जो उन्होंने अपने मामू के बारे में लिखा था :—

“उनके मामू गाँव में रहते थे पैतृक भूमि थी, जिससे खाने भर को आ जाता था। लेकिन वे एकांत जीवन बिताने पर मजबूर थे। सामाजिक रुकावटों के कारण विवाह नहीं हो सका। इसलिये एक चमारी से जो उनके घर में गोबर थापने और कूड़ा-करकट उठाने आती थी। इश्क लड़ाने लगे, चमारी चालाक थी। उसने इस समाज के उत्पीड़ित व्यक्ति की दुर्बलता को भांप लिया। इधर उनसे अच्छे अच्छे वस्त्र उपहार स्वरूप लेती और तर-माल खाती रही, उधर इस प्रेम अभिनय की चर्चा चमार-बम्ती में चली इसीलिये जिस दिन मामू साहब की चिर-संचित कामना पूरी करनी थी, इस अभिनेत्री से मनो-वाञ्छित वरदान पाता था, उनकी खूब मरम्मत हुई। चमारी के भीतर आते ही ज्योंही उन्होंने सांकल लगाई कि लट्टबंद चमारों ने किवाड़ तोड़ना शुरू कर दिया। वे भय के मारे भूसे वाले कमरे में जा छिपे। पर चमार अपनी सी करने पर तुले हुए थे। उन्हें अन्दर निकाल कर खूब पीटा।

सारे गाँव में खिल्ली उड़ी। वहाँ रहना दूभर हो गया। इसलिये वे बहनोई के घर उठ आये। पहले भी, जब कभी एकांत के जीवन से मन उकता जाता था, अकसर आ जाते थे। प्रेमचंद की उम्र उस समय बारह-तेरह साल की थी। वे उन पर सदा रौब गांठते थे। प्रेमचंद का ख्याल था कि इस घटना के बाद मामू साहब का रवैया नर्म पड़ जायेगा, पर जब देखा कि यह बात नहीं, मामू साहब बदस्तूर रौब गाँठ रहे हैं तो उन्होंने इस घटना के आधार पर एक प्रहसन लिखा, जिसमें चमारों के हाथों से मामू साहब की मरम्मत का जिक्र मजे ले लेकर किया गया था।

वह सुबह स्नान जाते समय यह नाटक मामू साहब के सिरहाने रख गये। छुट्टी मिलने पर वे यह सोचते हुए लौट रहे थे, कि देखें नाटक पढ़ने के बाद उन पर उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई है, लेकिन घर पहुँचे तो देखा—कि न मामू साहब वहाँ मौजूद हैं; न वह नाटक। शायद घि जाते समय उनकी 'पहली-रचना' को अग्नि-देवता की भेंट कर गये थे।”

इससे प्रेमचंद की प्रतिभा और मनोवृत्ति का पता चलता है। वे सारी उन्नत सामाजिक बुराइयों और निर्मम सत्ता पर चोट करते रहे। इसके एक साल बाद, चौदह वर्ष की अवस्था में उन्होंने एक नाटक लिखा। जिसका नाम 'होनहार बिरवान के चिकने-चिकने पात' इस दृष्टि से दिलचस्प है कि यह नाम खुद उनके अपने ऊपर लागू होता था। चार साल बाद एक उपन्यास 'इसरारे-मुहब्बत' अखबार 'आवाजे-खल्क' में छपा। यह अखबार बनारस से प्रकाशित होता था। प्रेमचंद की शुरू की कहानियां और उपन्यास, हर नये लेखक के रचनाओं की तरह कला की कसौटी पर पूरी नहीं उतरतीं। उनकी भाषा अपने से पहले उर्दू लेखकों की भाषा की तरह कठिन और कृत्रिम थी। उस पर 'किस्साये-बहार-दरवेश' और रत्ननाथ सरशार के 'फिसानाये-आजाद' का रंग चढ़ा हुआ था।

संयुक्त अलीजाद जेदी ने प्रेमचन्द के जीवन और साहित्य पर एक काफी बड़ा लेख लिखा है जिसमें उनकी शैली के बारे में यह राय प्रकट की है:—

“जितने बड़े-बड़े लिखने वाले हैं, वे सब यह कोशिश करते हैं, कि वे एक इनफरादी हैसियत (व्यक्तिगत स्थान) हासिल करें। यही वजह है, कि अगर मुन्शी प्रेमचन्द की तसानीफ (कृतियों) को इस नुक्ता-नजर (दृष्टिकोण) से न देखा जाये तो ऐसा मालूम होगा, कि यह तमाम अफसाने एक ही शख्स के लिखे हुये नहीं, बल्कि मुख्तलिफ़ मुसन्नफ़ोन के जोरे क़लम (विभिन्न रचयिताओं की लेखनी) का नतीजा है। कहीं सरशार का रंग निखर आयेगा तो कहीं बिशननारायण दर का और कहीं रवीन्द्रनाथ टैगोर का। इसकी वजह यह है, कि प्रेमचन्द का यह अक़ीदा (विश्वास) था कि इशारत और ख्यालात तथा विचारों में हत्तुलवसा हम-आहंगी (जहाँ तक सम्भव हो सम्भव) पैदा की जाये। जिस किस्म के ख्यालात का वे इजहार (व्यक्त) करना चाहते थे उसके लिये वैसे ही तरह-अदा (रचनाशैली) का इन्तखाब (चुनाव) भी करते थे।”

हर एक लेखक अपने पूर्ववर्ती और समकालीन साहित्यकारों से प्रभावित होता है। पहिले-पहल उन्हीं के रंग में लिखता है। अपनी एक विशेष-शैली बनाने में समय लगता है, और उसके लिए सतत् और प्रबल प्रयत्न करना पड़ता है। प्रेमचन्द को इस बात का पूरा अनुभव था। 'जमाना' के सम्पादक मुन्शी दयानारायण निगम लिखते हैं:—

“सन् १९१४ तर्क वे अपनी तहरीर (रचनाओं) के बारे में दुविधा में थे। ४ मार्च सन् १९१४ का खत उनकी दिल्ली जज़्बात (आन्तरिक-

भावना) का शाईना (दर्पण) है । लिखते हैं—“मुझे अभी तक यह मालूम नहीं हुआ, कि कौन-सी तरजे-तहरीर (रचनाशैली) अख्तियार करूँ ? कभी तो बंकिम की नकल करता हूँ, कभी आज़ाद के पीछे चलता हूँ । आज-कल टालस्टाय के किस्से पढ़ चुका हूँ, तब से कुछ इसी रंग की तरफ तबियत मायल (भुक्ते हुई) है । यह अपनी कमजोरी है, और क्या ? यह किस्सा जो मैं रवाना कर रहा हूँ, इसमें लुत्फे-तहरीर (शब्दाडम्बर) की मुतलक कोशिश नहीं की गई । सीधी-सादी बातें लिखी हैं । मालूम नहीं, आप पसंद करेंगे या नहीं ।”

वह किस्सा क्या था, मालूम नहीं । लेकिन यह बात साफ है कि वह कृत्रिम और कठिन शैली से धीरे-धीरे सादा और स्वाभाविक रचनाशैली की तरफ आते गये । प्रेम-पचीसी, प्रेम-बतीसी और प्रेम-चालीसी की कहानियों में जो शब्द विन्यास है, वह बाद की कहानियों में नहीं रहा । बाद में उनकी जवान सादा, मगर अधिक प्रभावशाली और सुन्दर हो गई । दोनों शैलियों के उदाहरण प्रस्तुत हैं । लिखना उन्होंने उर्दू में शुरू किया, इसलिए उर्दू के उद्धरण दिए जाते हैं :—

“जाह और सरबत (धन-ऐश्वर्य) कमाल और शोहरत (निपुणता-और ख्याति) यह सब सिफली और माही हैं । (निकृष्ट तथा सांसारिक) नफस की नाज बरदारियाँ इस क्राबिल नहीं कि हम उनके सामने फरके नियाज़ भुकार्यें । तरक और तस्लीम ही वे उलवी सिफफात हैं जो जाहोदशम को बादाए गरूर के मुतवालों को, और ताजे मुरस्ता को अपने क्रदमों पर गिरा सकती है ।”

[प्रेम-बतीसी, हिस्सा अन्वल, ‘सरे पुर गरूर’ कहानी]

यह दूसरा उद्धरण बाद की कहानियों से दिया जाता है :—

“जोग कहते हैं—जुलूस निकालने से क्या होता है । इससे मालूम होता है हम ज़िन्दा हैं, मुस्तैद हैं, मैदान से हटे नहीं । हमें अपनी हार न मानने वाली खुदारी (स्वाभिमान) का सबूत देना था । यह दिखा देना था कि हम तशद्दुद (दमन) से अपने मुतालवाए आजादी से दस्तबरदार होने वाले नहीं । हम इस निजाम को बदल देना चाहते हैं, जिसकी बुनियाद खुद-गरजी और खून-चूसने पर रखी हुई है ।”

[किताब-जादेराह, ‘आशियां-बरबाद’ कहानी]

इसका यह अर्थ कदाचित् नहीं, कि ‘प्रेम-चालीसी’ के उपरान्त भाषा एकदम बदल गई; बल्कि ‘प्रेम-पचीसी’ में जो भाषा है, ‘प्रेम-बतीसी’ में उससे

सरल है; और 'प्रेम-चालीसी' में 'प्रेम-बतीसी' से सरल हो गई है। कुछेक कहानियों में बाद में भी भाषा कठिन मिलती है, जिसका कारण कहानियों का विषय है। इसके विपरीत कहानियों की भाषा की अपेक्षा 'प्रेम-बत्तीसी' हिस्सा अठ्ठल की कहानी "पंचायत" अर्थात् 'पंच-परमेश्वर' की काफी आसान है। एक उद्धरण देखिए:—

“घण्टा भर के बाद जुम्नन शेख, अलगू चौधरी के पास आये और उनके गले से लिपट कर बोले—“भैया ! जब से तुमने मेरी पंचायत की है, मैं दिल से तुम्हारा जानी-दुरमन था, मगर आज मुझे मालूम हुआ; कि पंचायत की मसनद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है और न दुरमन। इन्साफ के सिवा और उसे कुछ नहीं सूझता।”

विषय, शैली को प्रभावित करता है। मुंशी प्रेमचंद जैसे-जैसे जनता के सम्पर्क में आते गये, उनकी शैली सादा, सुथरी और साफ़ होती गई। जब उन्होंने अलगू चौधरी और हरिधन या शेख जुम्नन को अपनी कहानियों का विषय बनाया था, तो उनकी भाषा अपना भी आवश्यक था। हम देखते हैं कि गो-दान में उन्होंने बहुत ही सरल भाषा प्रयोग की है। लेकिन इससे बहुत साल पहले 'प्रेमाश्रम' की भाषा भी हिंदी और उर्दू दोनों में समझी जा सकती है; क्योंकि वे किसानों की बोलचाल की भाषा है।

शुरू में जब वे तिलस्मी-कहानियों की भाषा प्रयोग करते थे तो उनकी अपनी कहानियाँ भी एक तरह तिलस्मी होती थीं; जिनमें विचित्र और अप्राकृतिक घटनाओं की भरमार रहती थी। उनका प्लाट भी परियों की कहानियों की तरह विचित्र होता था घटनायें बहुत रहती थीं। उदाहरणार्थ उनकी एक प्रारम्भ की कहानी सौभाग्य के कोड़े हैं। इसका प्लाट यह है:—

“राय भोलानाथ, लखनऊ के बहुत बड़े रईस हैं। नथवा नाम का एक लड़का उनका नौकर है जो उनकी लड़की रत्ना के कमरे की सफाई करता है और कभी-कभी उसके साथ खेलता भी है। एक दिन नथवा के दिल में न जाने क्या आई कि वह चादर तान कर रत्ना के पलंग पर सो गया। रायसाहब ने उसे देख लिया। बस फिर क्या था—क्रोध के मारे आपे से बाहर हो गये, और कोड़े मार-मार गरीब नथवा की चमड़ी उधेड़ दी।”

इसके बाद किस्सा इस प्रकार चलता है:—

“नथवा भंगियों की एक बस्ती में जाकर रहने लगा। वहाँ उसने गाना-सीखा। वह इतना निपुण हो गया कि ग्वालियर के एक संगीत-सम्मेलन में अपनी योग्यता का लोहा मनवाया और स्कूल में प्रवेश किया। वहाँ से संगीत

विद्या के सर्व-प्रथम प्रमाण-पत्र प्राप्त करके अपने उस्ताद के साथ योरोप की यात्रा को चला गया। वहाँ उसने पश्चिमी-संगीत-कला का ज्ञान प्राप्त किया। लौट कर हिंदुस्तान के बड़े-बड़े शहरों का दौरा किया। उसकी प्रसिद्ध फूल की सुगंध की तरह फैल रही थी। हर स्थान पर उसका स्वागत हो रहा था। वह लखनऊ भी आया, रत्ना ने उसे फूल-माला पहनाई और उसकी कला पर मुग्ध भी हुई ! अंत में राय भोलानाथ ने अपनी पुत्री रत्ना का विवाह नत्थूराम संगीताचार्य से कर दिया।”

मानो, यह भी 'हार की जीत' थी। प्रेमचंद को जीवन में भी बार-बार पराजय से दो चार होना पड़ा था, इन्हें वे कल्पना के बल से जीत में बदल रहे थे; और अपनी कहानियों द्वारा संघर्ष को मंजिल की ओर आगे बढ़ा रहे थे।

बाद में भी उनकी कहानियों और उपन्यासों में विचित्र और अलौकिक घटनायें प्रायः आती हैं। वे उन्हें जान बूझ कर लाते हैं क्योंकि वे उनके औचित्य में विश्वास रखते थे। इस सम्बन्ध में सम्पादक 'जमाना' ने एक घटना का उल्लेख किया है:—

“मुकर्मि अब्दुल्ला आसफअली खॉ साहब ने सन् १९१२ में लिखा था, प्रेमचंद से मेरी तरफ से कह दीजिएगा कि मैं उनके तरजे-तहरीर (शैली) का बड़ा मद्दाह (प्रशंसक) हूँ। लेकिन उन्हें ऐसे किस्से और नावल लिखने चाहियें, जिनसे कौमी जज़बा की नश्वो-नमा (राष्ट्रीय भावनाओं की अभिवृद्धि) में मदद मिले। फौकल-आदत वाक़आत (अस्वाभाविक घटनाओं) से पाक हों।

इसका जबाब उन्होंने यह दिया:—“मिस्टर अब्दुल्ला की राय पर अमल करूँगा, हालांकि Super natural elements आदमी की ज़िंदगी में शामिल है।”

निस्संदेह, वैचित्र्य-मनुष्य को घुट्टी में मिला है। वह बहुत ही अजीब और अनोखे स्वप्न देखता है। स्वप्न देखना उसके लिये लाभदायक है। 'अलिफ-लैला' के इंसान ने जो भव्य-भवन अलाउद्दीन के चिराग की सहायता से बताये थे, वे अब उसने अपने परिश्रम और प्रयत्न से धरती पर निर्माण कर लिये हैं, वह अब परियों की कहानियों के राजकुमार की तरह तख्ते-सुलेमान या जादू के खटोले पर नहीं उड़ता, उसने सचमुच वायुयान का आविष्कार कर लिया है।

प्रेमचन्द ने यथार्थ परिस्थितियों के प्रहारों से आत्मा की रक्षा के लिये

अस्वाभाविक और विचित्र घटनाओं के महत्व को समझ लिया था लेकिन इसके बारे में एक मानवीय दृष्टिकोण रखते थे। अपने 'कहानी-कला' लेख में वे लिखते हैं :—

“कहानी का जन्म तो उसी समय से हुआ, जब आदमी ने बोलना सीखा लेकिन, प्राचीन कथा-साहित्य का हमें जो कुछ ज्ञान है, वह 'कथा-सरित्-सागर', 'ईसप की कहानियाँ' और अलिफ-लैला' आदि पुस्तकों से हुआ है। ये सब उस समय के साहित्य के उज्ज्वल रत्न हैं। उनका मुख्य उद्देश्य कथा-वैचित्र्य था। मानव-हृदय को घटना-वैचित्र्य से सदा प्रेम रहा है। अनोखी घटनाओं और प्रसंगों को सुनकर हम अपने बाप-दादों की भाँति ही आज भी प्रसन्न होते हैं। हमारा खयाल है कि जन-रुचि जितनी आसानी से 'अलिफ-लैला' की कथाओं का आनन्द उठाती है, उतनी आसानी से नवीन उपन्यासों का आनन्द नहीं उठा सकती। फिर भी यह कहना असत्य नहीं है कि विद्वानों और आचार्यों ने कला के विकास के लिये जो मर्यादाएँ बना दी हैं, उसमें कला का रूप अधिक सुन्दर और अधिक संयत हो गया है। प्रकृति में जो कला है वह प्रकृति की है, मनुष्य की नहीं। मनुष्य को तो वही कला मोहित करती है जिस पर मनुष्य की आत्मा को छाप हो, जो गीली मिट्टी की भाँति मानव-हृदय के साँचे में पड़ कर परिष्कृत हो जाय।”

इसी लेख में आगे लिखते हैं :—

“पुरानी कथा-कहानियाँ अपने घटना वैचित्र्य के कारण मनोरंजक तो हैं पर, उनमें उसरस की कमी है जो शिक्षित-रुचि, साहित्य में खोजती हैं। अब हमारी साहित्यिक रुचि कुछ परिष्कृत हो गई है। हम हर एक विषय की भाँति साहित्य में भी बौद्धिकता की तलाश करते हैं। अब हम किसी राजा की अलौकिक वीरता वा रानी के हवा में उड़कर राजा के पास पहुँचने या भूत-प्रेतों के कारुणिक चरित्रों को देखकर प्रसन्न नहीं होते। हम उन्हें यथार्थ के काँटे पर तौलते हैं और जौ भर भी झुंघर उधर नहीं देखना चाहते। आज-कल के उपन्यासों और आख्यायिकाओं में अस्वाभाविक बातों के लिये गुंजा-इश नहीं है। उनमें हम अपने जीवन का ही प्रतिबिम्ब देखना चाहते हैं। उसके एक-एक वाक्य को, एक-एक पात्र को यथार्थ के रूप में देखना चाहते हैं। उनमें जो कुछ भी लिखा हो, वह इस तरह लिखा हो कि साधारण बुद्धि यथार्थ समझे।

.....जो कुछ अस्वाभाविक है, वही सत्य है। स्वाभाविकता से दूर हो कर कला अपना आनन्द खो देती है; जिसे समझने वाले थोड़े से कलाविद

ही रह जाते हैं। उसमें जनता के मर्म को स्पर्श करने की शक्ति नहीं रह जाती।”

प्रेमचन्द ने भी जब जनता के अधिक निकट आकर, जनता के लिये लिखा तो उनकी कहानियाँ और उपन्यासों में अस्वाभाविक घटनायें नहीं रहीं। ‘नसीहत-के-ताजियाने’ कहानी परियों की कहानी से मिलती-जुलती तो है; पर, नायक रत्ना के पलंग तक पहुँचने के लिये जो संघर्ष करता है, वे अद्भुत और कौतूहलपूर्ण तो हैं; पर, अस्वाभाविक नहीं हैं।

दरअसल कहानी का जन्म आदमी के कौतूहल और उसकी उत्सुकता से हुआ है। अपने सृष्टि काल से ही उसने सोचना शुरू किया,—बादल क्यों गरजता है? भूचाल क्यों आते हैं? और उसके सीमित-ज्ञान और कल्पना ने इस “क्यों?” का जो उत्तर दिया, वह कहानी बन गया। उसका ज्ञान और अनुभव ज्यों-ज्यों व्यापक होता गया, उसकी कहानी में भी व्यापकता आती गई। कहानी का तथ्य तथा घटनाओं का विस्तार ही मनुष्य की खोज-वृत्ति है। प्रेमचन्द ने यही बात अपनी ‘डिग्री के रुपये’ कहानी के नायक कैलाश के लेखों की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार लिखी है :—

“उसके लेखों में विस्तार कम, पर सार अधिक होता था।”

सार की प्रधानता ही, प्रेमचन्द की कहानियों की विशेषता है

कानपुर में

“हम उस महान् सत्ता के सूक्ष्मांश हैं, जो समस्त संसार में व्याप्त है। अंश में पूर्ण के गुणों का होना लाजिमी है। इस लिये कीर्ति और सम्मान, आत्मोन्मत्ति और ज्ञान की ओर हमारी स्वाभाविक रुचि है।”

—प्रेमचंद

ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद के माडल-स्कूल से तबदील होकर, प्रेमचंद सन् १९०५ में कानपुर आ गये। यहीं से वास्तव में उनका साहित्यिक-जीवन आरम्भ होता है। ‘जमाना’ के सम्पादक-मुंशी दयानारायण निगम से पहले ही परिचित थे। सन् १९०४ में उन्होंने अपना एक आलोचनात्मक लेख ‘जमाना’ में प्रकाशित कराया था और निगम साहब से पत्र-व्यवहार शुरू हो गया था।

मुंशी दयानारायण निगम बहुत ही सज्जन और उदार प्रकृति के व्यक्ति थे। ‘जमाना’ का सम्पादन वे बड़ी मेहनत और ईमानदारी से करते थे। वे जानते थे कि सम्पादक का धर्म साहित्य को सँवारना और उसका प्रसार करना है। एक सुयोग्य सम्पादक का ध्येय जहाँ पाठकों की सीमा को विस्तृत करना होता है वहाँ नये और होनहार लेखकों को प्रोत्साहन देना भी उसका धर्म है। निगम साहब अपने इस धर्म को भली भाँति निभा रहे थे। मैं (लेखक) अपने निजी अनुभव से उनकी सहृदयता और मानवता का क्रायल हूँ। सन् १९३७ में मैंने उन्हें अपनी एक कहानी ‘पछतावा’ प्रकाशनार्थ भेजी। तब मेरी उनसे जान-पहचान नहीं थी। वह मेरे कहानी-लेखन की शुरुआत थी। उन्होंने न सिर्फ वह कहानी ‘जमाना’ में प्रकाशित ही की, बल्कि सफल-कहानी लिखने पर बधाई देते हुए प्यार और उत्साह से भरा हुआ खत भजा और बराबर लिखते रहने का तकाजा किया फिर जब तक निगमजी जीवित रहे उनसे मेरा पत्र-व्यवहार रहा। वे सिर्फ लेखक को प्रोत्साहित ही न करते थे अपितु

अपने नेक-मन्त्रिरे भी देते थे। सन् १९४३ में, जब मैं जेल में था; उनका देहान्त हो गया।

बात कुछ असंगत सी है; लेकिन इसलिये लिख दी कि प्रेमचंद के साथ उनके व्यवहार को समझने में पाठकों को मदद मिलेगी। उन्होंने प्रेमचंद की प्रतिभा को पहचान लिया था और उसे संवारने तथा निखारने में, जितनी हो सकी, सहायता करते रहे। बाद के पत्र-व्यवहार से मालूम होता है, वे उनके जीवन का एक अंग बन गये थे। वैसे निगम जी उम्र में प्रेमचंद से छोटे थे पर प्रेमचंद उन्हें बड़े भाई की तरह मानते थे और जिंदगी के हर मामले में उनसे सलाह मशविरा करते रहते थे।

प्रेमचंद की मृत्यु पर 'जमाना' के 'प्रेमचंद-अङ्क' में उन्होंने 'प्रेमचंद-की-बातें' शीर्षक से एक लेख लिखा है। उसके शुरू के अंश ही से उनके आपसी सम्बंध पर काफी प्रकाश पड़ता है। लिखते हैं :—

‘मेरे लिये प्रेमचंद पर कोई (प्रामाणिक और विस्तृत) मज़मून लिखना कोई आसान काम नहीं है। उनका ख्याल आते ही सालहा-साल की सैकड़ों पुरानी बातें आद आने लगती हैं; जिनमें मैं गुम-सा हो जाता हूँ।

तीन साल के करीब मेरा उनका दोस्ताना नहीं, बल्कि हकीकती तौर पर विरादाराना ताल्लुक रहा। जेहनी तौर पर (बौद्धिक रूप में) हम दोनों हर मामले में हम-ख्याल नहीं तो एक-दूसरे के हमदर्द ज़रूर थे। वे अकसर असूली और ज़रूरी बातों में मेरी राय को बड़ा महत्व देते थे।

अजीब बात है कि वे उम्र में मुझ से कुछ बड़े थे लेकिन शुरू से आखिर तक वे मुझे बड़े भाई की तरह समझते रहे। जिन दिनों हर वक्त की बेतकल्लुफी और हंसी-दिल्लगी रहती थी, उस वक्त भी वे मेरी बातों की बड़ी कद्र करते और मेरा बहुत लिहाज़ रखते थे। मेरे अजीज़ उनके अजीज़ और मेरे अहबाज़ (मित्र) उनके अहबाब थे। मुझे भी उनके किसी मामले में दखल देने में कभी पसोपेश नहीं हुआ। बहुत से अमूर (मामलों) में तो जो मेरी राय होती, उसी पर वे कारबंद होते थे।

प्रेमचंद, जब १९०५ में कानपुर आये तो बहुत दिनों तक मुंशी दयानारायण निगम के साथ एक ही मकान में रहे और फिर पड़ोस में एक दूसरा मकान किराये पर ले लिया। सन् १९०७ तक वे उसी मकान में रहते रहे। इसके बाद उनका तबादला हमीरपुर में हो गया, और वे कानपुर से चले गये। यह तीन वर्ष का अल्प समय बहुत ही सुन्दर समय था। 'जमाना' के दफ़्तर में साहित्यिक-गोष्ठियां होती थीं। खूब वाद-विवाद और आलोचना होती।

निगम साहब इस सिलसिले में लिखते हैं:—

“कई साल एक साथ रहने का इत्फाक हुआ और यह मेरी जिंदगी का बेदतरीन ज़माना था। प्रेमचन्द, नौबतराय ‘नज़र’ दुर्गासहाय ‘मसरूर’ और कई अहबाब व अज्जा (मित्र और सम्बन्धी) शाम के वक्त दो-तीन घण्टे के लिए एकज्जा (एकत्रित) हो जाते और जिंदगी का कोई मरहला और दोन-दुनियाँ का कोई मसला (समस्या) याराने-बे-तक़लुफ़ के शौरो-फ़िक्र से (विचार-विनियम) महफूज न रहता। वाक़ाते-आसम (सांसारिक घटनाओं) पर बहसें होतीं, हर मामले पर रद्दोवकद (वाद-विवाद) होती, हर मसले की छान-बीन की जाती। एक-दूसरे की नुक्ताचीनी होती, खूब मज़ाक़ होता, कहकहे पर कहकहे उड़ते ‘.....’।”

प्रेमचन्द बहुत ही उदारचित्त और विनोद-प्रिय व्यक्ति थे। मित्रगण उनके सौजन्य और नम्रता के कायल थे। बातें करने और मित्रों का जी बहलाने का उनमें विशेष गुण था। मुन्शी प्यारेलाल ‘शाकिर’ मेरठी इन्हीं दिनों कानपुर आकर रहने लगे थे। उन्हें प्रेमचन्द की मित्रता का सौभाग्य प्राप्त था। उन्होंने, प्रेमचन्द से अपनी पहली मुलाकात का जिक्र इस प्रकार किया है:—

“प्रेमचन्द से मेरी पहली मुलाकात, कानपुर रेलवे-स्टेशन पर जून सन् १९०७ में हुई थी। मुझे मुन्शी दयानारायण निगम ने बन्नु (सीमा-प्रान्त) से बुलाया था। प्रेमचन्द जी मेरे इस्तक़बाल (स्वागत) का स्टेशन पर आये थे। मैं सामान उतरवाने की गरज से ब्रोक की तरफ़ चल दिया और बीबी-बच्चे एक तरफ़ प्लेट-फार्म पर खड़े होकर मेरा इन्तज़ार करने लगे। मुन्शी साहब इधर-उधर देखते हुए वहीं आ निकले। मेरी बीबी से, बच्चों के बाप का नाम पूछा। जब मालूम हुआ कि वे मेरे ही बच्चे हैं तो बड़े तपाक से मिले और हँस-हँसकर बातें करने लगे। थोड़ी देर के बाद, मैं आया तो मेरी बीबी ने उनका तआरुफ़ (परिचय) कराया—आप ‘मुन्शी नवाबराय’ हैं। कुछ देर तो प्लेट-फार्म पर ही बातें होती रहीं, बाद में बाहर निकलकर गाड़ी पर सवार हुए। स्टेशन से नयाचौक काफी दूर था लेकिन प्रेमचन्द की वजह से दूरी मुतलक (बिल्कुल) महसूस न हुई। वे, रास्ते भर बे-तक़लुफी से बातें करते रहे, गोया पुराने मिलने वाले हैं।”

शाकिर साहब आगे लिखते हैं:—

“कानपुर में लगभग डेढ़-दो साल तक मेरा उनका साथ रहा। करीब-करीब हर रोज़ मुलाकात होती थी और अपने दुःख-दर्द की बात एक-दूसरे से कहते थे। उनकी तबियत में हद दरजा इनकसार (नम्रता) और इस्त-

गना (उदारता) था । अगरचे खुद भी कुछ खुशहाल न थे, मगर दूसरों की मदद को फौरन तैयार हो जाते थे । तसन्ना (आडम्बर) से उनको नफरत थी । साफदिली और साफ गोई (स्पष्टवादिता) शिथार हददरजा बजलासंज (लतीफे कहने वाले) और जरीफ-उल्लतबा (विनोद-प्रिय) थे । हमेशा कहकहा मारकर हँसते थे और इस जोर से हँसते थे कि देखने वाले को भी हँसी आ जाती थी ।”

उनकी नम्रता, सादगी और मिलनसारी में आगे चलकर भी कोई फर्क नहीं आया । सन् १९३० में जब वे 'माधुरी' हिन्दी, लखनऊ के सम्पादक थे, कहानीकार जैनेन्द्रकुमार उनसे मिलने गए । गाड़ी प्रातःकाल जाती थी । प्रेमचन्द कैसर बाग में एक मकान को ऊपर की मंजिल में रहते थे । जैनेन्द्र कुमार ने मकान पर नीचे से आवाज दी । फौरन जवाब मिला और धोती-कुर्ता पहने, बिखरे बालों वाला एक पतला-दुबला आदमी नीचे आया और लिवा ले गया । उन्हें एक कमरे में बैठाकर वह स्वयं उनके नहाने-धोने का प्रबन्ध करने चला गया । इस बीच जैनेन्द्र कुमार ने, प्रेमचन्द के बड़े लड़के श्रीपतराय से कहा:—

‘प्रेमचन्द जी कहाँ हैं ? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ ।’

‘आप ही तो थे ।’ लड़के ने उत्तर दिया ।

जैनेन्द्र कुमार, चकित रह गये ।

प्रेमचन्द की उदारता, सहृदयता और मित्रों के प्रति व्यवहार के बारे में दयानारायण निगम ने काफी कुछ लिखा है । एक उद्धरण यहाँ अंकित है :—

“दोस्तों से मसलूक होना (सद् व्यवहार करना) चाहते थे । जहाँ तक हो सकता था, लोगों की हाजतरवाई (आवश्यकता पूर्ति) करते थे । मगर इसमें कभी-कभी तकलीफ हो जाती थी । जैसा कि मामूज़ ज़रारा (साधन) रखने वाले हर दोस्तनवाज़ और हमदर्द-इन्सान शरूश को बारहा तजुरुबा हुआ होगा । उन्हें भी खिलाफ़े-तवक्का (आशा के विपरीत) नुकसान पेश आ जाते थे और वे अज़राहे-बशरियत (मानव-स्वभाव से) कभी-कभी दिल में पछताने लगते थे; और खुद अपनी नुक्ताचीनी करने लगते थे । चुनाचे एक खत में लिखते हैं :—

ऐसे मौके भी आये हैं, जब मुझे दोस्तों की खातिर अपने ऊपर इन्तहाई जब्र (असीम संयम) करने पड़ते हैं । लेकिन मैंने अपनी असली हालत को शायद उन पर जाहिर होने नहीं दिया, और उन्हें यह अमरहा, कि मैं कोई मुतमव्वल (सम्पन्न) आदमी हूँ । फिज़ूल-खर्ची से मुझे आशानाई नहीं, लेकिन

तमब्वल (सम्पन्नता) का इजहार मुझे पनपने नहीं देता ।

दरअसल यह तमब्वल (सम्पन्नता) का इजहार न था, बल्कि इन्सानी शैरत और दूसरों के साथ हमदर्दी का तक्राजा था, कि कोई खास सरमाया न होने के बावजूद और अपनी आइन्दा जरूरतों को नजर-अंदाज़ करके भी वे जरूरतमन्द दोस्त-आशनाओं की कारबर-दारी (काम पूरा करना) को तैयार रहते थे ।

बीसों दफा ऐसा हुआ कि वे अपने लिये कोई जरूरी चीज खरीद कर लाये; मगर किसी अज़ीज़ ने उसे पसंद किया और वे दम-बखुद (सुपसाधना) हो गये । लोगों ने उन्हें धोखा भी दिया, खुद-गरज अहबाब से भी उन्हें सामना पड़ा; मगर वे सबको हँसी-खुशी निभाते रहे ।जब प्रेमचन्द, कानपुर में स्कूल-मास्टर थे और क़लील तनख्वाह (अल्प वेतन) पाते थे, वे अपने लिये एक नया कोट सिलवा लाये और एक नया जूता भी खरीद लाये । मगर दोनों चीज़ें उनके एक नादार-अज़ीज़ (निर्धन मित्र) जो उन दिनों उनके साथ रहते थे, वे पूछे इस्तेमाल करने लगे । प्रेमचन्द ने उसका कोई खयाल न किया और खुशी खातिर से अपना पुराना कोट और पुराना जूता पहनते रहे ।”

श्री प्रेमचन्द की पत्नी, शिवरानी देवी ने भी अपनी पुस्तक 'प्रेमचन्द घर में' में कुछ ऐसी ही घटनाओं का उल्लेख किया है । जिनसे उनके त्याग, सहानुभूति और व्यवहार का पता चलता है । एक बार शिवरानी देवी ने बड़ी मुश्किल से कुछ रुपये जोड़कर कोट सिलवाने को दिये, लेकिन वे वह रुपये अपने प्रेस के मजदूरों में बाँट आये । उनके लिये कोट सिलवाने का प्रबन्ध फिर से करना पड़ा । जो अच्छा इंसान नहीं है, वह लेखक भी नहीं हो सकता । प्रेमचन्द के इस उद्धरण से पता चलता है कि प्रेमचन्द कितने सहृदय और महान् व्यक्ति थे । यही उनके महान् लेखक होने की दलील है । साहित्य में उनकी महानता को समझने के लिये जिन्दगी के इस पहलू को भी समझ लेना जरूरी है ।

कानपुर में, उन्होंने बहुत कुछ सीखा । पढ़ने का शौक उन्हें पहले ही था, यहाँ आकर इस शौक को और आगे बढ़ाने, अपने विचारों को एक साँचे में ढालने और संयत करने का अवसर मिला, उनका अध्ययन व्यापक होता गया । शाकिर साहब, मेरठी लिखते हैं:—

“मुंशी प्रेमचन्द को मुताला (अध्ययन) का बहुत शौक था । शायद ही कोई ऐसा मौजूदा (विषय) हो, जिस पर एक आध किताब उनकी दृष्टि से

न गुंजरी हो। इसके साथ ही हाफ़ज़ा (स्मरण शक्ति) भी बलाका था। किस्सा-कहानी की किताबें पढ़ना और उन्हें याद रखना तो कोई काबिले-तारीफ़ बात नहीं, लेकिन मुंशी प्रेमचन्द इल्मी व सयासी-कुतबों, रसायल (ग्रंथों और पत्रिकाओं) के अहम मतालब (विशेष आशय) इस तरह दोहरा दिया करते थे, गोया पढ़कर सुना रहे हैं। सयासी (राजनीति) मामलात में उनका दिमाग़ खूब काम करता था। रसाला 'ज़माना' में अहम सयासी वाक़ाआतों-हालात (विशेष घटनाओं) पर एक माहाना तवस्सरा (मासिक-आलोचना) 'रक़तारे-ज़माना' के नाम से छपा करता था। लोग तवज्जा व शौक़ से इसको पढ़ते थे। १९०७-८ का बाज़ तवस्सरों का बढ़ा जुज्व (भाग) मुंशी प्रेमचन्द ही लिखते थे। उन्होंने बाज़ किताबों पर तनक़ीदें (आलोचनाएँ) भी लिखी, और वे तनक़ीदें 'ज़माना' की बेहतरीन तनक़ीदों में शुमार की जा सकती हैं।”

सैयदअली ज़वाद ज़ैदी लिखते हैं:-

“कानपुर में प्रेमचन्द को खुदा-दाद सलाहियतों (स्वाभाविक शक्तियों) के इस्तेमाल के काफ़ी मौक़े हासिल हुए। 'आज़ाद' और 'ज़माना' के सफ़हात (पृष्ठ) हमेशा उनके लिये खुले रहते रहे और इसी मरक़ ने अदरत (सम्पादन) के तमाम मुबदियात (आवश्यक बातें) और असूख़ों से वाक़िफ़ कर दिया हफ़तावार अख़बार 'आज़ाद' मुंशी दयानारायण निगम था। 'आज़ाद' अख़बार भी 'ज़माना' ही के दफ़्तर से निकलता था। प्रेमचन्द इन दिनों 'नवाबराय' के नाम से लिखते थे। मज़मून नवीसी (निबन्ध-रचना) का उन्हें ज्यादा शौक़ न था। लेकिन मुंशी दयानारायण निगम की सुहबत और हुस्ने-सलूक (सुन्दर व्यवहार) उन्हें ज्यादा लिखने की तरफ़ मायल करता रहा। जब मुंशी दया नारायण निगम से भी उनके इतने गहरे ताल्लुकात हो गये थे तो यह दोनों पक्ष भी एक तरह उनके अपने ही थे, इसलिये उनके लिये लिखना जरूरी था।”

प्रेमचन्द से अपने ताल्लुकात की इब्तदा (आरंभ) की चर्चा करते हुए, मुंशी दयानारायण लिखते हैं:—

“...दोही साल के बाद उनका तबादला गवर्नमेंट-हाई-स्कूल; कानपुर में हो गया। इस तरह बेजाबता हैसियत से आपको 'ज़माना' की असिस्टेंट एडीटरी की पोजीशन हासिल हो गयी।”

इस बेजाबता सम्पादन ने प्रेमचन्द को बहुत कुछ सिखा दिया। यहाँ उन्होंने जो कुछ लिखा, वह उनके साहित्य का अंग भले न हो; पर उनके

व्यक्तित्व का विशेष अंग अवश्य बन गया। उन्होंने यहां जो परिश्रम किया, उससे उनका राजनैतिक और सामाजिक ज्ञान बढ़ा, विचार संयत और व्यापक हुए। उन्होंने बहुत बड़ी बात को संक्षेप में कहना सीखा जो एक लेखक के लिये परमावश्यक है। जब तक भावनाओं को व्यक्त करने की योग्यता न हो, राजनीतिक और सामाजिक ज्ञान पर्याप्त न हो, कोई लेखक, लेखक कहलाने का दावा नहीं कर सकता। प्रेमचन्द में हमें, जो जहाँ-तहाँ मनोहर उपमायें और सुन्दर मुहावरे मिलते हैं, वे इस प्रकार के परिश्रमों के फलस्वरूप हैं।

आम आदतों के बारे में मुंशी दयानारायण निगम लिखते हैं:—

प्रेमचन्द, खाने-पीने में परहेज के आदी न थे। यही कारण है कि पेट के रोग का सफलता से मुक्काबिला नहीं कर सके। भोजन के बारे में, उनसे देर तक कोई पाबंदी न होती; तनिक सी प्रेरणा पर बद-परहेजी कर बैठते थे।

मिजाज़ भी कभी-कभी चिड़-चिड़ा हो जाता था। प्रायः तनिक सी बात इच्छा के विरुद्ध हो जाने पर खिन्न हो जाते थे। लेकिन अगर दूसरे व्यक्ति ने अपनी गलती मान ली, अथवा खिन्नता का कारण दूर करने की तनिक भी कोशिश की, तो फौरन पानी हो जाते थे। जब उन्हें यह ख्याल होता, कि दूसरे को उनकी कोई परवाह नहीं तो उनके दिल पर जरूर चोट लगती थी।

शुरू ज़िंदगी की घटनाओं और अनुभवों के आधार पर प्रेमचन्द ने जीवन की समस्याओं और आवश्यकताओं के बारे में कुछ सिद्धान्त बना लिये थे—शुरू में ये सिद्धान्त इतने स्पष्ट न थे, लेकिन उम्र के साथ सिद्धान्त उनके लेखों भाषणों और व्यवहार-चरित्र का अंग बनते गये।

-वतन

“वही तलवार, जो केले को भी नहीं काट सकती; सान पर चढ़कर लोहे को भी काट सकती है। मानव-जीवन में लाग बड़े महत्व की वस्तु है। जिसमें लाग है, वह बूढ़ा भी होकर जवान है। जिसमें लाग नहीं, गैरत नहीं, वह जवान होकर भी मृतक है।”

—प्रेमचन्द

कानपुर से प्रेमचन्द सन् १९०८ में महोबा, जिला हमीरपुर, में डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड के सब-इंस्पेक्टर होकर चले गए। महोबा में छः साल तक बराबर रहे, और यहीं उन्होंने अपनी प्रसिद्ध ऐतिहासिक कहानियाँ ‘राजा हरदोल’ ‘आल्हा’ ‘रानी सारंधा’ और ‘विक्रमादित्य का तेगा’ आदि लिखीं। इनमें बुन्देले राज-पूतों की वीरता और त्याग का चित्रण किया गया है, और उनका संक्षिप्त उपन्यास ‘रूठी-रानी’ भी इन्हीं बुन्देले राजपूतों की निर्भीकता और शूरता से सम्बन्धित है। इन कहानियों के पात्रों के लिए, आन पर मिटना मामूली बात है; लेकिन राजपूतों के इस त्याग और बलिदान की प्रशंसा से प्रेमचन्द का अभिप्राय पुनरुत्थान कदापि न था। इन कहानियों द्वारा वे हिन्दुस्तान की जनता के स्वाभिमान और साहस को सजग करते हैं, सोई गैरत को जगाते हैं और उदासीनता को भंग करते हैं।

सन् १९०५ में विश्व-व्यापी आर्थिक-संकट फैला। पूँजीवादी व्यवस्था का यह सबसे पहला भयानक संकट था। उपनिवेशों का विभाजन पूरा हो चुका था। जर्मनी आदि देशों के नये पूँजीवाद को फैलाने के लिए कोई स्थान नहीं रह गया था। इस आर्थिक अव्यवस्था का आन्तरिक विरोध पूर्ण रूप से उभर आया था। आगे चलकर यही विरोध सन् १९१२ का विश्व-व्यापी युद्ध बन गया।

इस आर्थिक-संकट के साथ ही सन् १९०५ में दुनियाँ भर में बेकारी फैल गई। नतीजा यह हुआ कि एशिया के देशों में पश्चिमी-साम्राज्यवादियों के विरुद्ध स्वतन्त्रता-संग्राम संगठित और तेज होने लगा। हिन्दुस्तान में इस स्वतन्त्रता-संग्राम ने बंग-भंग के विरुद्ध आन्दोलन का रूप धारण किया। कांग्रेस, जिसका काम अब तक प्रस्ताव पास करना और रिश्वायतें मांगना था, 'स्वराज्य' की बातें करने लगी और उसमें गर्म-दल की बुनियाद पड़ गई। अंग्रेज शासकों ने शिक्षणालयों पर कब्जा करके हिन्दुस्तान के इतिहास को सर्वथा बिगाड़ दिया था। वे नव-विकसित दिमागों में निरुत्साह की यह भावना भर देना चाहते थे। हिन्दुस्तानी कौम सदैव से पिछड़ी हुई है, और वह सिर्फ दास बनी रहने के लिए पैदा हुई है। इस भ्रान्तिपूर्ण धारणा का खंडन करने के लिए रानाडे, तिलक और लाजपतराय आदि कांग्रेसी नेताओं और बुद्धि-जीवियों ने इतिहास को फिर से लिखा, जिससे इस हीन-भावना को दूर किया जाय। इतिहास वह शस्त्र-गृह है, जहाँ से शासित जातियों को अपने विदेशी शासकों के विरुद्ध लड़ने के लिए संघर्ष की प्रेरणा मिलती है। प्रेमचन्द ने भी शायद इसी उद्देश्य से ऐतिहासिक-कहानियाँ लिखी थीं। लेकिन उनके जेहन की साख्त (मानसिक बनावट), कांग्रेसी नेताओं से मूलतः भिन्न थी। वे जनता में से उत्पन्न हुए थे और जनता के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहते थे; इसलिए इतिहास के बारे में उनका दृष्टिकोण नेताओं से भिन्न था। उन्होंने अपनी ऐतिहासिक-कहानियों में जनता को सम्बोधित किया है।

अगर लेखक अपने समय से आगे न जा सके, तो कम-से-कम अपने समय का साथ देना तो उसका परम-कर्तव्य है। प्रेमचन्द ने अपनी इस समय की कहानियों में देश-प्रेम की भावनाओं को उभारा है। 'संसार का सबसे अमूल्य रत्न' में, जिसे वे अपनी पहली कहानी कहते हैं। और जो सन् १९०५ में प्रकाशित हुई थी, रक्त के उस विदु को अमूल्य रत्न कहा गया है, जो देश-प्रेम में बहाया जाता है। उनके उपन्यास 'वरदान' का आरम्भ इस प्रकार होता है:—

“माँ, देवी की पूजा निरन्तर करती है। जब देवी उसकी अर्चना और आराधना से प्रसन्न हो जाती है, तो माँ वरदान माँगती है मुझे ऐसा बेटा प्रदान कर? देवी ने पूछा जो बहुत धनवान् हो, बलवान् हो, अथवा संसार भर में विख्यात हो। माँ ने उत्तर दिया—“नहीं, जो अपने देश का उपकार करे।”

यह उपन्यास इन्हीं दिनों लिखा गया था और सन् १९१२-१३ में प्रका-

शित हुआ था। इस उपन्यास से पहले उनकी एक पुस्तक 'सोज़े वतन' के नाम से उर्दू में छपी थी, जो उनके जीवन में बड़ा महत्व रखती है। इस पुस्तक से विदेशी शासकों के विरुद्ध, उनके संघर्ष का सूत्रपात हुआ था, जिसे फिर वे आजीवन पूरी लगन के साथ आगे बढ़ाते रहे, एक इंच भी पीछे नहीं हटे, उनका पग सदैव आगे पड़ता रहा। अंत में यह संघर्ष हर प्रकार के राजनीतिक और सामाजिक शोषण और प्रतिक्रियावाद के विरुद्ध, संघर्ष बन गया। यह संघर्ष उनकी साहित्यिक रचनाओं को प्रतिभा प्रदान करता रहा।

'सोज़े-वतन' प्रेमचंद की कहानियों का पहला संग्रह था। उसमें कुल मिला कर पाँच कहानियाँ प्रकाशित हुई थीं। 'दुनियाँ का सबसे अनमोल रत्न' के अतिरिक्त चार कहानियाँ और शामिल थीं। यह संग्रह 'ज़माना-प्रेस', कानपुर द्वारा मुद्रित हुआ था, जिसका मूल्य पाँच आने था। इन सब कहानियों में किसी-न-किसी ढंग से देश-प्रेम की भावना को प्रोत्साहन दिया गया था। अब देश के शासक अंग्रेज़ बहादुर यह कैसे सहन कर सकते थे कि कोई लेखक हिन्दुस्तानियों में भी देश-प्रेम को जगाने का दुस्साहस करे। उन्होंने सिर्फ़ किताब ही ज्वत् न की बल्कि उन्हें जितनी किताबें उनके हाथ लगीं, उसी समय जला दिया गया। यह पहला अवसर था कि किसी लेखक की पुस्तकों को उसकी आँखों के सामने, यों अग्नि की भेंट कर दिया गया हो। शायद वे समझते थे, कि इससे लेखक की देश-प्रेम की भावना भी जल जायेगी; लेकिन यह गोरे शासकों की भूल थी। इस जन्न का यह शोला और भी भड़क उठा।

'सोज़े-वतन' की कहानियाँ कला की कसौटी पर पूरी नहीं उतरतीं। फ़िराक गोरखपुरी ने लिखा है:—

“तीस बरस हुए, उनकी पाँच कहानियाँ 'सोज़े-वतन' के नाम से ज़माना प्रेस, कानपुर से प्रकाशित हुईं। प्रेमचंद और उनके समकालीन अन्य लेखकों ने उर्दू-हिन्दी-भाषा में कहानी-कला को उस शिखर पर पहुँचा दिया है, जहाँ आज हम उसे देखते हैं। इस समय की उच्च कोटि की रचनाओं के उज्वल प्रकाश में, इस पुस्तक के हल्के और धीमे प्रकाश को साये में डाल देगा। मगर कला-साहित्य में एक उच्च-निशान है। देश-प्रेम की उत्कृष्ट भावना इन पृष्ठों में सांस ले रही है। इन कहानियों में कोई बात आपत्तिजनक नहीं है। वे निहायत इत्मीनान से लड़के-लड़कियों की पाठ्य-पुस्तकों में दर्ज की जा सकती हैं; लेकिन तीस वर्ष पहले की दुनिया और थी। चौफ़स और अपनी ही करतूतों से डूबने वाली सरकार ने लेखक से जवाब तलबी की। मुझे उनसे परिचित हुए बहुत दिन नहीं बीते थे, जब उन्होंने अपनी स्पष्ट और सादी

भाषा में मुझ से बयान किया, कि इंस्पेक्टर आफ स्कूलज ने उन्हें किस प्रकार अपनी पुस्तकों की पांच सौ प्रतियों में आग लगा देने के लिये मजबूर किया।”

प्रेमचंद के मन पर इस घटना का गहरा प्रभाव पड़ा था। कोई भी मित्र और सम्बन्धी ऐसा न होगा, जिससे उन्होंने इस घटना का जिक्र न किया हो और इस घटना का वर्णन करते समय उनके हृदय की वेदना और जलन न उबल पड़ती हो। एक घाव था, जो हर समय रिस्ता रहता था और निदान का मरहम नहीं मिलता था।

मुंशी प्यारे लाल शाकिर मेरठी लिखते हैं :—

“सन् १९१० या १९११ का जिक्र है। मुन्शी साहब उस समय स्कूलों के डिप्टी-इंस्पेक्टर थे और हमीरपुर में रहते थे। किसी ख़ास ज़रूरत से मुझे कानपुर जाना पड़ा। संयोगवश बाज़ार में मुन्शी प्रेमचन्द से भेंट हो गई। एक घंटे तक साथ रहा। इसी एक घंटे में दुनियां भर की बातें हो गईं। मैंने ‘सोज़े-वतन’ के बारे में कैफ़ीयत दरियाफ्त की तो कहा—क्या कहूँ ?” बड़ी मुसोबत में फंस गया था। वह तो खैरीयत हुई कि किताबें देकर पीछा छूट गया, वरना जान पर आ बनी थी। “जान बची और लाखों पाये” कहकर बड़े ज़ोर का कड़कड़ा लगाया। इसके बाद फ़रमाया—“मुन्शी दयानारायण निगम के प्रेस से पहली पुस्तक ‘सोज़े-वतन’ छपी थी, मौलूम नहीं किस कारण से पुस्तक पर प्रकाशक और मुद्रक का नाम नहीं छपा। ज़ाहिर है कि ऐसी गलती जान-बूझकर नहीं हुआ करती; मगर सुनता कौन है ? जांच-पड़ताल हुई, तो इस सिलसिले में मेरा नाम भी खुल गया। खुद ही सोचो कि एक सरकारी मुलाज़िम और ‘सोज़े-वतन’ जैसी विषैली पुस्तक का लेखक ! तौबा ! तौबा !! वह तो अन्ध्रा हुआ कि पुस्तकों पर बला टल गई, वरना क्या ताज़्जुब था कि मांडले की हवा खानी पड़ती।” इतना कहकर फिर इतने ज़ोर का कड़कड़ा लगाया कि बाज़ार वाले भी हक्का-बक्का रह गये।”

शाकिर साहब आगे लिखते हैं :—

“सोज़े-वतन छोट्टी-सी पुस्तक थी। जिसमें पांच-छः कहानियां थीं और कीमत भी पांच-छः आने से अधिक नहीं थी। लेकिन, यह वह पुस्तक है, जिसने उन्हें प्रेमचन्द बना दिया। ये कहानियां, जैसा कि पुस्तक के नाम से विदित है, देश-प्रेम और राष्ट्रीय-भावनाओं को व्यक्त करती थीं। आम तौर पर उनको बहुत पसंद किया गया था। मुन्शी साहब शिक्षा-विभाग से सम्बन्धित थे। ‘सोज़े-वतन’ पर न सिर्फ़ एतराज़ हुआ, बल्कि मुलाज़मत तक के लाले पड़ गये। खुदा-खुदा करके वह बला टल गई और उसी के साथ

मुन्शी साहब की भी काया पलट गई ।’

अब तक वे ‘नवाबराय’ के नाम से लिखते थे । इस घटना के पश्चात् उन्होंने प्रेमचन्द के नाम से लिखना शुरू किया । नाम परिवर्तन करते हुए उन्हें मानसिक वेदना हुई । मुन्शी दयानारायण निगम को भी ‘सोजे-वतन’ पर प्रिंट-लाईन न छापने के अपराध में पचास रुपये जुर्माना अदा करने पड़े थे । इस घटना से उनका भी सीधा सम्बन्ध था और ‘प्रेमचन्द’ नाम उन्होंने तजवीज किया था । लिखते हैं :—

“प्रेमचन्द’ शुरू में ‘नवाब राय’ के नाम से लिखा करते थे और यह नाम उन्हें बहुत प्रिय था, क्योंकि उनके पिता प्यार से उन्हें ‘नवाब’ के नाम से पुकारा करते थे । यह नाम हिंदू-मुसलमानों की सामाजिक एकता की भी याद ताज़ा रखने वाला था; मगर जब ‘सोजे-वतन’ की बेज़ास्ता-ज़बती के बाद उनके अफसरों ने उन्हें लिखने और किताबें छापने की मनाही कर दी, तो उनको यह नाम छोड़ना पड़ा । संकीर्ण-हृदय अफसरों का बस चलता, तो आज हिन्दुस्तानी साहित्य में प्रेमचन्द का वजूद ही न होता; मगर नदी का प्रवाह किसने रोका है ? हवा का रुख कौन बदल सकता है ? ‘नवाब राय’ की आत्मा ने ‘प्रेमचन्द’ का चोला पहनकर जन्म लिया । यह नाम इन शब्दों के लेखक ने तजवीज किया था, और चिरकाल तक वे इस नाम से केवल ‘ज़माना’ ही में लिखते रहे । यह पाबंदी खुद उनकी मुहब्बत ने उन पर आयद की थी. वरना कोई मुतालबा या मुआहिदा (समझौता) न था ।

“प्रेमचन्द इस बात में विश्वास नहीं रखते थे कि सरकार चाहे जितनी ज्यादती करे और वे उसके साथ ईमानदारी बरतते रहें । ‘सोजे-वतन’ की जितनी प्रतियां उनके पास थीं, वे उन्होंने अफसरों के हवाले कर दीं; मगर मेरे पास जो स्टॉक बाकी रह गया था, उसकी किसी ने खबर न ली, यह पुस्तकें नष्ट होने से बच गईं, और धीरे-धीरे बिकती रहीं । अफसरों ने प्रेमचन्द के लिखने और संकलन आदि करने पर जो पाबंदी लगादी थी, उसे वे उचित नहीं समझते थे । खुले तौर पर विरोध न कर सकने पर ‘प्रेमचन्द’ का नाम अज्ञतयार करके पहले से भी अधिक उत्साह से लिखने लगे । ‘प्रेमचन्द’ नाम के विषय में उनके एक पत्र का उद्धारण यहाँ देना अनुचित न होगा, जो उन्हीं दिनों उन्होंने मुझे लिखा था:—

‘जनाबेमन् ! एक कार्ड लिख चुका हूँ । अब मुफ़्तसल (विस्तृत) खत लिख रहा हूँ । मैंने ‘बिक्रमादित्य का तेगा ।’ एक किस्सा लिखना शुरू किया

है। बाहर-तेरह पृष्ठ लिख चुका हूँ। शायद पांच छः पृष्ठ और चलें, जल्दी ही खतम करके भेजूंगा।

‘प्रेमचन्द’ अच्छा नाम है, मुझे भी पसंद है। अफ़सोस सिर्फ़ यह है, कि पांच छः साल में ‘नवावराय’ को फिरोग देने (प्रसिद्ध करने) की जो मेहनत की गई, वह सब अकारत (व्यर्थ) गई। यह हज़रत क्रिस्मत के हमेशा लंझरे रहे, और शायद रहेंगे।

यह किस्सा (विक्रमादित्य का तेगा) मेरे खयाल में कई महीने से था। मैंने अपने खयाल में रवीन्द्रनाथ की तरज (शैली) की कामयाबी के साथ पैरवी की है; मगर बुरी नक़ल नहीं, प्लाट बिलकुल थोरिजनल (मौलिक) है। मैंने तो कई कलमें तोड़ दीं और दस पांच वरक भी काले कर डाले। मालूम नहीं, आपको पसंद आता है या नहीं। यह किस्सा मिलाकर मेरे पांच किस्सों का मजमूआँ (संग्रह) निकालने का काफी मसाला जमा हो जायेगा……इस मजमूआँ का नाम मैंने “बर्गे-सब्ज़” सोचा है। शायद आं-जनाब को पसंद आये इसलिये, कि नामों की पसंद के बारे में आपकी पसंद का कायल हूँ।”

इसके नाद वे ‘एजूकेशनल गज़ट’ इलाहाबाद में लेख लिखने का विचार प्रगट करते हैं, और उसे दूसरे नाम से भेजना तजवीज़ करते हैं। लिखते हैं:—

“मेरे लिये कलकटर को हर एक मजमून दिखाने की ऐसी पत्र लगी है कि एक मजमून महीनों में लौट कर आता है……एजूकेशनल गज़ट में प्रेमचन्द का नाम नहीं देना चाहता मालूम नहीं यह हज़रत हाथ-पांव संभालने पर क्या लिखें-पढ़ें। इन्हें किस्सा-गो (कहानीकार) ही रहने दीजिये। बैठे-बैठे प्रेम-रस और वीर-रस के किस्से लिखा करें।”

इससे पहले कुलपहाड़ ज़िब्बा हमीरपुर से लिखा:—

‘नवाबराय तो कुछ दिनों के लिये इस जहान से गये। दोबारा याद-दहानी हुई है कि तुमने मुआहिदे में गो अखबारी मजामीन(लेख) नहीं लिखे; मगर इसका मंशा हर किस्म की तहरीर से था, गोया खाह मैं किसी उनवान (विषय) पर लिखूँ, खाह वह हाथी दाँत ही क्यों न हो, मुझे पहले जनाब फ़ैज-मआब (माननीय) कलकटर साहबबहादुर की खिदमतमें पेश करना होगा और मुझे छूटे-छमाहे लिखना नहीं। यह तो मेरा रोज का धंधा ठहरा। हर माह एक मजमून साहब बहादुर की खिदमत में पहुँचे तो वह यह समझेंगे कि मैं अपने सरकारी फ़रायज़ (कर्तव्य) में खयानत करता हूँ। और काम सिर पर थोपा जायेगा, इसलिये नवाबराय मरहूम (स्वर्गवासी) हुए, उनके जाँ

नशीन (उत्तराधिकारी) कोई और साहब होंगे !”

प्रेमचन्द ने ‘जीवन-सार’ के नाम से जो संक्षिप्त-जीवन-कथा लिखी है, उसमें ‘सोजे-वतन’ की जवती का जिक्र विस्तार से किया है, क्योंकि कालेज में पढ़ने का अरमान दिल में रह जाने की तरह इस घटना ने भी उनके मन को विशेष रूप से प्रभावित किया था। लिखते हैं :—

“उस वक्त मैं शिक्षा-विभाग में सब-डिप्टी-इन्स्पेक्टर था और हमीरपुर जिले में तैनात था। पुस्तक को छपे छः महीने हो चुके थे। एक दिन मैं रात को अपनी रावटी में बैठा हुआ था, कि मेरे नाम जिलाधीश का परवाना पहुँचा कि मुझसे तुरन्त मिलो। जाइँ के दिन थे, साहब दौरे पर थे। मैंने बैलगाड़ी जुतवाई और रातों-रात ३०-४० मील तय करके, दूसरे दिन साहब से मिला। उनके सामने ‘सोजे-वतन’ की एक प्रति रखी हुई थी। मेरा माथा ठनका। उस वक्त मैं ‘नवाबराय के नाम से लिखा करता था। मुझे इसका कुछ-कुछ पता मिल चुका था कि खुफिया पुलिस इस किताब के लेखक की खोज में है। समझ गया, उन लोगों ने मुझे खोज निकाला और उसी की जवाबदेही करने के लिए मुझे बुलाया गया है। साहब ने पूछा:—यह पुस्तक तुमने लिखी है?

मैंने स्वीकार किया।

साहब ने मुझसे एक-एक कहानी का आशय पूछा और अन्त में बिगड़कर बोले—तुम्हारी कहानियों में ‘सिडीशन’ (राजद्रोह) भरा हुआ है। अपने भाग्य को बखानो कि अंग्रेजी अमलदारी में हो। मुगलों का राज होता तो तुम्हारे दोनों हाथ काट लिए जाते। तुम्हारी कहानियाँ एकांगी हैं, तुमने अंग्रेजी-सरकार की तौहीन की है, आदि। फैसला यह हुआ कि मैं ‘सोजे-वतन’ की सारी प्रतियाँ सरकार के हवाले कर दूँ और साहब की अनुमति के बिना कभी कुछ न लिखूँ। मैंने समझा, चलो सस्ते छूटे। एक हजार प्रतियाँ छपी थीं। अभी मुश्किल से तीन सौ बिकी थीं, शेष ६०० प्रतियाँ मैंने ‘जमाना-कार्यालय’ से मँगवा, साहब की सेवा में अर्पण कर दीं।

मैंने समझा था, बला टल गई; किन्तु अधिकारियों को इतनी आसानी से सन्तोष न हो सका। मुझे बाद को मालूम हुआ कि साहब ने इस विषय में जिले के अन्य कर्मचारियों से परामर्श किया। सुपरिन्टेण्डेंट पुलिस, दो डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी इन्स्पेक्टर—जिनका मैं मातहत था—मेरी तकदीर का फैसला करने बैठे। एक डिप्टी कलेक्टर साहब ने गद्यों से उद्धरण निकाल कर सिद्ध किया कि इनमें आदि से अन्त तक सिडीशन (राजद्रोह) के सिवा और कुछ नहीं है; सिडीशन भी साधारण नहीं, बल्कि संक्रामक रोगके समान।

पुलिस के देवता ने कहा—ऐसे खतरनाक आदमी को ज़रूर सख्त सज़ा देनी चाहिये। डिप्टी इंसपेक्टर साहब मुझसे बहुत स्नेह करते थे, इस भाव से कि कहीं मुआमला तूख़ न पकड़ ले, उन्होंने यह प्रस्ताव किया कि वे मित्र-भाव से मेरे राजनीतिक विचारों की थाह लें और कमेटी में रिपोर्ट पेश करें। उनका विचार था कि मुझे समझा दें और रिपोर्ट में लिख दें कि लेखक केवल कलम का उग्र है, और राजनीतिक-आन्दोलन से उसका कोई सम्बन्ध नहीं। कमेटी ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया, हालांकि पुलिस के देवता उस समय भी पैतरे बदलते रहे।”

मुआमला रफ़ा-दफ़ा हो गया, लेकिन प्रेमचन्द ने 'अच्छी तरह समझ लिया कि अंग्रेज यों ही नहीं बिगड़ता। साहित्य, स्वतन्त्रता-संग्राम को आगे बढ़ाने में जबर्दस्त हाथियार है और उन्होंने इस हाथियार का पहला अधिक तज़ार प्रभाव-शाला बनाकर लड़ने का दृढ़ निश्चय कर लिया। अब लड़ाई जारी रखने के लिए उन्होंने जो नीति अपनाई, उसका जिक्र उन्होंने अपनी कहानी 'रानी सारन्धा' में किया है। यह कहानी उन्हीं दिनों लिखी गई थी। लिखते हैं :—

“संसार एक रण-क्षेत्र है। इस मैदान में उसी सेनापति को विजय-लाभ होता है, जो अवसर को पहचानता है। वह अवसर पर जितने उत्साह से आगे बढ़ता है, उतने ही उत्साह से आपत्ति के समय पीछे हट जाता है। वह वीर-पुरुष, राष्ट्र का निर्माता होता है और इतिहास उसके नाम पर यश की वर्षा करता है।”

: ८ :

बम्बूक

“जीवन को सुखी बनाना ही भक्ति और मुक्ति है, यदि तुम हूँस नहीं सकते, रो नहीं सकने, तो तुम इंसान नहीं हो ।”

—प्रेमचन्द

माता-पिता ने प्रेमचन्द का नाम धनपतराय रखा, यह एक आम रिवाज है, कोई विशेष बत नहीं। सभी माता-पिता अपने बच्चे का एक नाम रखते हैं; लेकिन जब यह नाम सबकी जवान पर चढ़ जाता है, तो माँ-बाप अपना प्यार जताने के लिए कोई और नाम रख लेते हैं। अजायबलाल अपने बेटे को दुलार से 'नवाब' कहा करते थे। धनपतराय ने बाद में इसे अपना 'उपनाम' बनाया और देर तक 'नवाबराय' के नाम से लिखते रहे। बाद में वे प्रेमचन्द बन गए। पर, इसके अतिरिक्त उनका एक और भी नाम था, जो मित्रों ने रखा था। मित्र जो नाम रखते हैं, वह बहुत ही समझ-सोचकर रखते हैं। उसकी एक कहानी होती है, और वह नाम मनुष्य के व्यक्तित्व को अपने भीतर समेटे हुए होता है। प्रेमचन्द का मित्रों द्वारा रखा हुआ नाम था—'बम्बूक'।^१ यह नाम कैसे पड़ा? इसकी कहानी उनके एक सहपाठी मित्र बाबू कृष्णलाल ने इस तरह कही है:—

“पढ़ते-लिखते वक्त अक्सर अपना कमरा अन्दर से बन्द कर लिया करते थे। तफ़रीह के वक्त दिल खोलकर तफ़रीह करते। आपकी और मरहुम (स्वर्गीय) बाबू गिरजाकिशोर साहब, असिस्टेंट-कमिश्नर-आबकारी की वजह से हमारा एक छोटा-सा लाफिंग-क्लब बन गया था। जिसका रोजाना इजलास मेरे ही कमरे में हुआ करता था। इसमें शायद और भी एक-दो साहब थे; लेकिन इस वक्त खयाल नहीं आता। बहरहाल उनमें सभी

^१ बहुत हँसने और कहकहे लगाने वाला।

हँसने वाले थे। मगर धनपतराय गजब करते थे। जब हँसते तो खूब हँसते कहकहों पर कहकहे लगाते चले जाते। इसी वजह से हम लोग, खासकर यह अकिंचन उन्हें 'बम्बूक' कहा करते थे। मुमकिन है, यह लकड़ब (उपाधि) मेरा ही इखतरा (आविष्कार) हो। अक्सर इसी नाम से मेरी उनसे खतो-किताबत भी हुआ करती थी।”

यह उन दिनों की बात है, जब प्रेमचन्द ट्रेनिंग-कालेज, इलाहाबाद में पढ़ते थे। मुन्शी प्यारेलाल शाकिर, कानपुर की एक धटना का जिक्र करते हैं :—

“बनावट से उनको घृणा थी। वे साफ बात कहने और सुनने के अभ्यस्त थे। बहुत ही सजीव और विनोदप्रिय व्यक्ति थे। सदा कहकहा मारकर हँसते थे और इतनी ज़ोर से हँसते थे, कि देखने वालों को भी हँसी आ जाती थी। एकबार का जिक्र है, कि मुन्शी दयानारायण निगम के घर कुछ मित्र जमा थे। मुन्शी नौबतराय 'नजर', मुन्शी प्रेमचन्द और इन पंक्तियों के लेखक आदि मौजूद थे। करीब ही किसी छत पर ग्रामोफोन में बर्ट शेफर्ड का प्रसिद्ध लार्फिंग सौंग (I sat in a corner) बजने लगा। कुछ देर मुन्शी प्रेमचन्द खामोश रहे, फिर यह कहकर कि जीजिये इस कहकहे में मैं भी उसका साथ देता हूँ, कहकहा मारने लगे।”

यह कहकहे कुछ प्रिय मित्रों और चिरकाल तक साथ रहने वाले लोगों तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि जिस व्यक्ति को उनसे पहली बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता था; वह भी उनकी मनोरंजक और विनोद प्रिय प्रकृति से भली-भाँति परिचित हो जाता था। वे जरा मौका मिलते ही, आदमी की उदासीनता को अपने कहकहों से उल्लसित कर देते थे। उनसे भेंट करके लौटने वाला व्यक्ति, ऐसा महसूस करता था, जैसे उसके जीवन में किसी आसाधारण उल्लास का स्थायी समावेश हो गया है।

पण्डित श्री बनारसीदास चतुर्वेदी, भतपर्व सम्पादक 'विशाल-भारत' ने उनसे अपना भट का वगान इस प्रकार किया है :—

“मुझे सब से पहले, सन् १९२४ में प्रेमचन्द जी से लखनऊ में मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।.....उस समय वे “रंग-भूमि” उपन्यास लिख रहे थे। फिर भी उन्होंने मुझे काफी समय दिया। हम देर तक विभिन्न साहित्यिक समस्याओं पर बातचीत करते रहे। जो बात उनकी मुझे सब से अधिक पसंद आई वह यह थी कि उनके स्वभाव में बनावट और आडम्बर का नाम भी नहीं था।.....उन्हें, अपने मिलने वालों का संकोच दूर

करने का विशेष गुण प्राप्त था। थोड़ी ही देर की बातचीत में उनके मिलने वालों की उनसे मित्रता हो जाती थी।

इसके बाद मुझे सन् १९३२ में उनसे बनारस में मिलने का संयोग हुआ। और दो दिन तक उन्हीं के मकान पर रहा। इस सहवास के आनन्द को मैं आजीवन न भूल सकूंगा।”

उनके साथ रहने के इस मधुर आनन्द को स्मरण करते हुये चतुर्वेदी जी लिखते हैं:—

“प्रेमचन्द बड़े विनोदशील, हाज़िर जवाब और सजीव व्यक्ति थे। वे आपके साथ घंटों हँस सकते थे और अपनी बातों पर भी हँस पड़ते थे।... एक बार बातों-ही-बातों में, दिन के दो बज गये और खाना खाने-की सुध न रही; यह देख कर प्रेमचन्द जी कहने लगे, कि यह अच्छा है—श्रीमती जी के पास घड़ी नहीं; नहीं तो इस देरी के लिये भाड़ बतातीं।”

मिरज़ा मूहम्मदहसन अस्करी ने, जो वाद में नवलकिशोर प्रेस लखनऊ में उनके सहकारी रहे, प्रेमचन्द से अपनी पहली मलाकात का हाल इस प्रकार लिखा है:—

“मुंशी प्रेमचन्द से मेरी पहली मर्तबा मौलाना ज़फ़रुल मुल्क एडीटर ‘अलमनाजर’ की हमराही में मुलाकात हुई। मुंशी साहब को देखकर मेरे ऊपर एक खास असर पड़ा। दरम्याना कद, छरहरा बदन, कितावरू (भव्य) चेहरा, नाक-नकशा निहायत दुरुस्त आँखें बड़ी और चुमायाँ, सफेद साफा बांधे हुए, जो उन पर बहुत जेब देता था। यह साफा मैंने अकसर बांधे देखा है। मुझ पर मुंशी साहब की जहनियत (मनोवृत्ति) और काबलियत का एक वक्त बड़ा असर हुआ। हरचन्द उन्होंने गुफ्तगू में कम हिस्सा लिया। मगर हँसी और मज़ाक की बातों में हमारे साथ शामिल रहे। अगर सच पूछा जाय तो हम दोनों से ज्यादा हँसे। मुंशी साहब की यह खसूसीयत (विशेषता) थी जो उनकी जिंदादिली और नेक दिली की खास इलामत (चिह्न) थी कि अकसर हँसते थे और जोर से कहकहे के साथ हँसते थे। और बाद में जब एक साथ काम करने का मौका मिला तो मैंने उनको दो-तीन बरस के दौरान में हमेशा शिगुफ़ता (प्रफुल्लित) और हँस-मुख पाया। कभी गुस्सा उनके चेहरे पर न देखा। कभी-कभी मैं उनसे मज़ाक में कहता था, क्यों साहब-क्या आपको गुस्सा कभी नहीं आता? क्या आप कभी घर में भी गुस्सा नहीं करते? इस पर वे हँस देते थे।”

उनके एक अन्य सहकारी मिरज़ा फ़िदाअली खंजर ने लिखा है:—

“मुंशी साहब बेहद खलीक (सुशील) हँस-मुख, मुंकरसर (नम्र) आदमी थे। मैंने उन्हें हमेशा, मुस्कराते हुए पाया। पब्लिशिंग डिपार्टमेंट में मेरा कयाम १९२८ तक रहा; इसलिये वक्तन फवक्तन मुंशी साहब से नयाज़ (भेंट) हासिल करने का शरफ (सौभाग्य) हासिल होता रहा। जब उन्हें कोई काम न होता, तो पब्लिशिंग-डिपार्टमेंट में चले आते और अपनी गुल फिशानियों (उत्प्लास पूर्ण बातों) से हमारे दिमाग को ताजा कर देते। कलम की तरह उनकी ज़बान में भी जोर था—गुफ्तगू बहुत सबीस (सरल) और दिलचस्प होती, कि उसके सुनने का दिल से इशियाक (चाव) रहता।”

यह तो, समययस्क और सहयोगी मित्रों की बातें थीं, लेकिन वे बच्चों और लड़कों से भी इसी विनोद प्रियता का व्यवहार करते थे। ब्लास में पढ़ाते समय भी, मुक्त भाव से हँसते थे। जब वे गोरखपुर में मास्टर थे, उस समय के उनके एक शिष्य मुंशी मंजूरअलहक हकीम लिखते हैं:—

“क्लास में उनके आते ही ऐसी ज़िंदादिली पैदा हो जाती थी, कि हर एक उनकी तरफ मुखातिब (आकृष्ट) हो जाता। यह जरूरी न था कि जो सबक पढ़ाना है, वही पढ़ाया जाय, बल्कि जिस मौजू (विषय) की तरफ उनका रुजहान या लड़कों का तकाजा हुआ, बयान फरमाने लगे। अगर क्लास में पढ़ाते समय कोई हँसी की बात आ गयी, तो बे-अखतयार हँसने लगते। किसी का खौफो हिरास (भय और डर) नहीं था। एक मर्तबा का वाकया है इंस्पेक्टर साहब, मुआइने के लिये आये। बाबू बच्चूलाल साहब हैडमास्टर मरहूम, जो बहुत सीधे आदमी थे, कुछ परेशान से थे। तमाम लड़के भी अपनी-अपनी डूस से आरास्ता (सजेहुए) थे। मगर हमारे उस्ताद साहब का वही आलम था, जो पहले लिख चुका हूँ। नंगेसिर, बाल परेशान, कोट का कालर खुला हुआ। इन्स्पेक्टर साहब क्लास में आये, मगर उसका भी कुछ असर न हुआ।”

ये कहकहे उनके व्यक्तित्व को प्रगट करते हैं। फूल की तरह एक स्वाभाविक मुस्कराहट उनके होठों पर खेलती रहती थी; जो कभी जुदा नहीं होती थी। ज़िंदगी में इतनी विपत्तियाँ और कठिनाइयाँ सहन करने के बाद भी, अगर वे हँस सकते थे, कहकहे बलंद कर सकते थे, तो यह स्पष्ट है कि उन्होंने जीवन के महत्व को समझ लिया था। उनके दृष्टिकोण से जीने का अभिप्राय, रौना नहीं अपितु हँसना था। इसलिये मुसीबतों के बावजूद वे खुद हँसते थे और दूसरों को भी हँसाते थे।

उनकी कहानियों और उपन्यासों के मुख्य-पात्र भी जीवन के प्रति यही दृष्टिकोण रखते हैं। “कर्मभूमि” की मुन्शी पर क्या-क्या मुसीबतें नहीं टूटीं ? गोरों ने उसके साथ बलात्कार किया, मुकदमा चला, घर बार छूटा, पति और बच्चे से सम्बन्ध-विच्छेद हुआ, फिर भी वह हँसती है, मुस्कराती है और उपन्यास के नायक अमरकांत से कहती है :—

“लाला, तुम मुझे रोना सिखाना चाहते हो, मैं तुम्हें नाचना सिखाऊंगी ?”

इस उपन्यास में अमर अपने बाप से कहता है—

“दादा, आपके घर में मेरा इतना जीवन नष्ट हो गया, अब मैं उसे और नष्ट नहीं करना चाहता आदमी का जीवन केवल खाने और मर जाने के लिये नहीं होता, न धन-संचय उसका उद्देश्य है। जिस दशा में मैं हूँ, वह मेरे लिये असह्य हो गई है। मैं एक नये-जीवन का सूत्रपात करने जा रहा हूँ; जहाँ मज़दूरी लज्जा को वस्तु नहीं। जहाँ, स्त्री-पति को नीचे की तरफ नहीं घसीटती, उसे पतन की ओर नहीं ले जाती; बल्कि उसके जीवन में आनन्द और प्रकाश का संचार करती है। मैं, रूढ़ियों और मर्यादाओं का दास बनकर नहीं रहना चाहता। आपके घर में मुझे नित्य बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, और उसी संघर्ष में मेरा जीवन समाप्त हो जायेगा।”

यथार्थ के इस ज्ञान, नये जीवन की आशा, और भविष्य के अटल-विश्वास से यह कहकहे उत्पन्न होते थे। प्रेमचंद, परिस्थितियों से कभी हताश नहीं हुए; उन्होंने हंसते-हंसते प्रसन्न मुख से वस्तु-स्थिति और घटनाओं का मुकाबिला किया। जीवन, खिलाड़ी की भांति व्यतीत किया।

मुन्शी दयानारायण निगम का एक बच्चा छोटी उम्र में ही मर गया था। प्रेमचंद ने इस सम्बन्ध में उन्हें जो सान्त्वनामय पत्र लिखा था, उससे उनके जीवन—दर्शन और इन कहकहों का सार समझ में आ जाता है। प्रेमचंद जी लिखते हैं :—

“भाई जान; तस्लीम ! कल सुबह एक खत लिखा। शाम को आपका कार्ड मिला, जिसे पढ़कर निःशयत सदमा हुआ। बोमारियां और परेशानियां तो ज़िंदगी का खासा हैं। लेकिन बच्चे की हसरतनाक मौत एक दिल-शिकन हादसा (हृदय विदारक घटना) है। और बैरदाशत करने का, अगर कोई तरीका है तो यही कि दुनिया को एक तमाशागाह या खेज का मैदान समझ लिया जाय। खेज के मैदान में वही शब्द तारीफ का मुस्तहिक (अधिकारी) होता है, जो जीत से फूजता नहीं, और हार में रोता नहीं। जीते तब भी खेलता है, और हारे तब भी खेलता है। जीत के बाद यह कोशिश होती है

कि हारे नहीं, हार के बाद जीत की आरज़ू होती है। हम सब-के सब खिलाड़ी हैं, मगर खेलना नहीं जानते। एक बाज़ी जीती, एक गोल जीता, तो हिप्-हिप्-दुरों के नारों से आस्मान गूँज उठा। टोपियों आस्मान में उड़लने लगीं। भूल गये कि यह जीत दायमी (स्थायी) फतह की गारंटी नहीं है। मुमकिन है कि दूसरी बाज़ी में हार हो। अलहज़ा (किन्तु) हारे तो पस्तहिम्मती पर कमर बांध ली, रोये, किसी को धक्के दिये, फाऊल (गलत) खेला और ऐसे पस्त हो गये गोया फिर जीत की सूरत देखना नसीब न होगी। ऐसे ओछे, तंग-नज़र आदमी को मैदानमें खड़े होनेका भी मिजाज़ (अधिकार) नहीं। उसके लिये गोशाए-तारीक (अंधेरा कोना) है, और फिकेशिकम (पेट की चिंता)। बस यही उसकी ज़िन्दगी की कायनात (दुनिया) है। हम क्यों खयाल करें कि हमसे ज़िन्दगी ने बेवफ़ाई की ! खुदा का शिकवा क्यों करें ? क्यों इस खयाल से मलूल (उदासीन) हों कि दुनियाँ हमारी नियामतों से भरी थाली को, हमारे सामने से खींच लेती है। क्यों इस फ़िक से मुतव्वहश (परेशान) हों कि कज़ाक हमारे ऊपर छ़ापा मारने की ताक में हैं। ज़िन्दगी को इस नुक्तए-निगाह (दृष्टिकोण) से देखना अपने इत्मीनान-कल्ब (मन की शांति) से हाथ धोना है। बात दोनों तरह एक ही है। कज़ाक (डाकू) ने छ़ापा मारा तो क्या ? हार में सारे घर की दौलत खो बैठे तो क्या ? फर्क सिर्फ यह है, कि एक ज़ब्र है और दूसरा अख्तयार। कज़ाक ज़बर्दस्ती माल पर हाथ ड़ढ़ाता है; लेकिन हार ज़बर्दस्ती नहीं आती। खेल में शरीक होकर हम खुद हार और जीत को बुलाने हैं। कज़ाक के हाथों लूटे जाना ज़िन्दगी का मामूली हादसा (घटना) नहीं है; लेकिन खेल में हारना और जीतना मामूली बात है। जो खेल में शरीक होगा, वह बखूबी जानता है कि हार और जीत दोनों ही सामने आयेंगी। इसलिये उसे हार से मायूसी नहीं होती, जीत से फूला नहीं समाता। हमारा काम तो सिर्फ खेलना है, खूब दिल लगाकर खेलना, खूब जी तोड़कर खेलना, अपने को हार से इस तरह बचाना गोया हम कोनैन (संसार) की दौलत खो बैठेंगे; लेकिन हारने के बाद पटखनी खाने के बाद गर्द झाड़कर खड़े हो जाना चाहिये और फिर ख़म ठौंककर हरीक़ (प्रतिद्वन्द्वी) से कहना चाहिये कि एक हार और !

खिलाड़ी बनकर आपको वाकई इत्मीनान होगा। मैं खुद इस मयार (मापदण्ड) पर पूरा उतरूँगा या नहीं ! मगर कम-से-कम अब के पीछे किसी नुकसान पर इतना रंज न होगा, जितना आज से चंद साल कबल (पहले) हो सकना था। मैं अब शायद न कहूँगा कि हाथ ज़िन्दगी अकारत (व्यर्थ) गई।

कुछ न किया, जिन्दगी खेलने के लिए मिली थी, खेलने में कोताही नहीं की। आप मुझसे ज्यादा खेले हैं। हार और जीत दोनों देखी हैं। आप जैसे खिलाड़ी के लिए शिकवाए-तकदीर की जरूरत नहीं। कोई गोल्फ और पोलो खेलता है, कोई कबड्डी खेलता है। बात एक ही है। हार और जीत, दोनों ही मैदानों में है। कबड्डी खेलने वाले को जीत की खुशी कुछ कम नहीं होती। इस हार का गुम न कीजिए। आपने खुद ही न किया होगा। आप मुझसे मशशाक (निपुण) हैं। मैं १ या ६ मई तक कानपुर आने वाला हूँ, यहाँ की कोई चीज दरकार हो तो बे-तकलुफ लिखियेगा। दीगर हाजात मेरे पहले खत से मालूम हुए होंगे।”

खिलाड़ीपन का फलसफा (दर्शन) समूचे रूप से दुहस्त नहीं है। फिर भी अगर यह फलसफा प्रेमचन्दके विश्वासका आवार न बन गया होता, तो उन्हें जो विपत्तियाँ सहन करनी पड़ी थीं, वे वस्तुस्थिति के विरुद्ध उनके संघर्ष की कमर तोड़ देतीं और वे निश्चित ही लाखों करोड़ों विवश और वंचित अन्य देशवासियों की तरह व्यक्तिवादी बन जाते, सामाजिक समस्याओं का हल अपने भीतर ढूँढते, स्वर्ग-नरक और मुक्ति की चाह में जीवन व्यर्थ खो देते। इसके बिल्कुल विपरीत प्रेमचन्द ने समझ लिया था:—

“यह मुक्ति और भक्ति तो केवल स्वार्थ है, जो हमारी मानवता को नष्ट किये डालता है।”

और एक दूसरे स्थान पर ‘नोंक-भोंक’ में वे लिखते हैं:—

“स्वर्ग और नरक के ख्याल में वे रहते हैं, जो आलसी हैं, सुर्दा हैं। हमारा स्वर्ग और नरक सब इस धरती पर है। हम इस कर्म-प्रधान विश्व में कुछ करना चाहते हैं।”

यह दर्शन और विश्वास प्रेमचन्द के साहित्य की बुनियाद है, उनके पात्र कर्म-शील व्यक्ति हैं। यद्यपि वे निचले छोटे वर्ग के निर्धन और पीड़ित इंसान हैं, इस शोषण-व्यवहार में उनकी मामूली अभिलाषाएं भी पूरी नहीं होतीं; फिर भी वे जीना अपना अधिकार समझते हैं, हिम्मत से जीते हैं। क्योंकि उन्हें जीवन और कर्म में अटल विश्वास है, इसलिये हमें उनके कहकहे भी कहीं बुलन्द, कहीं खामोश सुनाई देते हैं, कहीं व्यंग और उपेक्षा प्रकट करते हैं, कहीं वे आडम्बर और पाखंड पर चोट कर के वरबस हँस पड़ते हैं।

उनकी एक कहानी बड़े ‘भाई साहब’ है। जिसमें बड़ा भाई हर समय पढ़ते रहने के वावजूद हर साल फेल होता है; लेकिन छोटा भाई प्रायः खेलते रहने के वावजूद हरसाल अच्छे नम्बरों से पास होता है फिर भी बड़ा भाई

छोटे को इसलिये नसीहत करता और रोव गांठता है, कि वह बड़ा भाई है । यह कहानी छोटे भाई ने वयान की है और इस प्रकार शुरू होती है:—

“मेरे बड़े भाई साहब मुझ से पाँच साल बड़े थे; लेकिन केवल तीन दरजे आगे । उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था, जब मैंने शुरू किया था, लेकिन शिक्का जैसे महत्त्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसन्द न करते थे । इस भवन की बुनियाद खूब मजदूत डालनी चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके । एक साल का काम दो साल में करते थे । कभी-कभी तीन साल भी लग जाते थे । बुनियाद भी पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायेदार बने !”

सारी कहानी पढ़जाने के लिये मन उतावला होने लगता है । “विनोद” कहानी में—महाशय चक्रधर की वेशभूषा का इस प्रकार उल्लेख किया है:—

“महाशय चक्रधर लिर घुटाते थे; किंतु लम्बी चोटी रख छोड़ी थी, जो चटीयल मैदान के किसी भँकाड़ वृत्त की तरह दीख पड़ती थी । उनका कथन था कि चोटी के रास्ते शरीर की अनावश्यक उन्मत्ता बाहर निकल जाती है और विद्युत्-प्रवाह शरीर में प्रविष्ट होता है ।”

महाशय उस व्यक्ति को कहते हैं, जो वस्तुस्थिति से मूँह मोड़ कर अंतर्मुखी हो जाय । समय के परिवर्तनों को न समझे और उसके साथ चलने से इनकार करदे । फिर ऐसे लोग निरे मूर्ख और तुच्छ होते हुए भी बड़े दार्शनिक और धर्मात्मा होने की डींग मारते हैं । प्रेमचन्द ऐसे लोगों की, जैसा कि इस कहानी के नाम “विनोद” से प्रकट है, खूब खबर लेते थे । उन्हें भूठी साधुता और कट्टरपन से अत्यन्त चिढ़ थी । वे इस पर चोट करने से कभी नहीं चूकते थे । अपनी “बालक” कहानी में उन्होंने एक ऐसा पात्र प्रस्तुत किया है जो अपढ़ है और दूसरों का भोजन बनाकर पेट पालता है; लेकिन उसे अपने ब्राह्मण होने पर गर्व है । उसके बारे में लिखा है:—

“...वह ब्राह्मण है और चाहता है कि दुनिया उसकी प्रतिष्ठा तथा सेवा करे और क्यों न चाहे ? जब पुरुखाओं की पैदा की हुई सम्पत्ति पर आज भी लोग अधिकार जमाये हुए हैं, और उसी शान से; मानो खुद पैदा की हो, तो वह क्यों उस प्रतिष्ठा और सम्मान को त्याग दे, जो उसके पुरुखाओं ने संचय किया था ? यह उसकी बपौती है ।”

इस कहानी के पात्र गंगू का यह भूठा गर्व फिर भी क्षम्य है, क्योंकि वह अपढ़ और अबोध होते हुए भी नेक और भला मानस है और मेहनत-मजूरी करके रोजी कमाता है; लेकिन ऐसे ब्राह्मणों की एक पूरी फौज है, जिन्होंने

पुरुखाओं की इस प्रतिष्ठा और सम्मान को दुकानदारी बना रखा है। जिनकी दुकान पर पाखंड, आडम्बर, बिड़म्बना, भूठ और नीचता के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं है। बनारस, हिन्दू धर्म की इस निकृष्टता का केन्द्र है। प्रेमचन्द के यहां मोटेराम शास्त्री इस निकृष्टता और नीचता का प्रतीक स्वरूप है, जिसे उन्होंने सारी उम्र खूब रगेदा है। उनकी 'निमंत्रण' कहानी इसी लिये प्रसिद्ध है कि उसमें इस पेटू और डकारू ब्राह्मण की हविस और दुराग्रहता की खिल्ली उड़ाई गई है। 'सत्याग्रह' कहानी में भी इसी लोलुप और पेटू ब्राह्मण को अधिकारी वर्ग ने किराये पर लिया है। उसके स्वांग और नीचता को देखकर ऐसे ब्राह्मणों के पूरे समाज पर हँसी आती है।

'प्रेमाश्रम' में धार्मिक सम्मेलन का जिक्र करते हुए धर्म और सभ्यता के ठेकेदारों का, तिलकधारी पंडितों और संन्यासियों का वास्तविक रूप चित्रित किया है। इन लोगों की प्रतिक्रियावादिता और 'ग्रह' का खूब मजाक उड़ाया है। लिखते हैं :—

“जलसे से एक दिन पहले उपदेशक गण आने लगे। उनके लिये स्टेशन पर मोटरें खड़ी रहती थीं। इनमें कितने ही महातुभाव संन्यासी थे। वे तिलकधारी पंडितों को तुच्छ समझते थे और मोटर पर बैठने के लिये अग्रसर हो जाते थे। एक संन्यासी महात्मा, जो विद्यारत्न की पदवी से अलंकृत थे, मोटर न मिलने से इतने अग्रसन्न हुए कि बहुत आरजू-मिन्नत करने पर भी फिटन पर न बैठे। सभा-भवन तक पैदल आये।”

और फिर 'अंजुमने-इत्तहाद' के मिर्जा ईजाद अली और पंडितों में जो होड़ चलती है, वह और भी दिलचस्प है :—

“एक संन्यासी महात्मा ने चट अपना व्याख्यान शुरू कर दिया। यह महाशय वेदान्त के पंडित और योगाभ्यासी थे। संस्कृत के उद्भट विद्वान् थे। वे सदैव संस्कृत में ही बोलते थे। उनके विषय में किंवदन्ती थी कि संस्कृत ही उनकी मातृ-भाषा है। उनकी वक्तृता को लोग उसी शौक से सुनते थे, जैसे चण्डूल का गाना सुनते हैं। किसी की भी समझ में कुछ न आता था, उनकी विद्वता और वाक्य प्रवाह का रोब लोगों पर छा जाता था। वे एक विचित्र जीव समझे जाते थे और यही उनकी सर्वप्रियता का मंत्र था...”

'सेवा सदन' में जब सुमनबाई ने अपने पेशे को छोड़ने का निश्चय कर लिया, तो विठ्ठलदास से कहा कि मैं चलते-चलाते ज़रा अपने आशिकों की मिजाज़-पुरसी तो कर लूं।

अब सुहाने रसिया मियां अब्बुलवफ़ा, भैंसा क़द लाला चमनलाल और

बगुला भक्त पंडित दीनानाथ एक-एक करके आते हैं और वहां उनकी जो गत बनती है, वह उपन्यास में नाटकीय रंग पैदा कर देती है। हँसते-हँसते पेट में बल पड़ जाते हैं।

कहकहे नश्तर हैं, जो समाज की नसों से गंदा मवाद निकालने के लिये चीरा लगाने का काम देते हैं। यह कहकहे कहीं भी व्यर्थ नहीं हैं। जैसे-जैसे प्रेमचंद की सूझ और कला में प्रौढ़ता आती गई, ये नश्तर ज्यादा तेज़ और ज्यादा उपयोगी होते गये। उनके इस्तेमाल का ढंग भी बदल गया।

उन्होंने धार्मिक, सामाजिक, और राजनीतिक हर विषय पर लिखा है; लेकिन वे कहीं भी अरुचिकर और शुष्क उपदेशक नहीं बने। विषय जितना गम्भीर और जटिल होता है, शैली उतनी ही सुन्दर और सजीव हो जाती है। आदमी यह निर्णय ही नहीं कर पाता कि जो कुछ वह पढ़ रहा है, उस पर हँसे या रोये। बड़ी देर तक द्विविधा की दशा रहती है, और पाठक जितना सोचता है उतना ही अधिक प्रभावित होता है। मजे की बात यह है कि प्रेमचंद बहुत बड़ी बात अत्यन्त संक्षेप में कह जाते हैं। उदाहरणतः यह बहुत बड़ी बात थी कि गांधी ने चौराचौरी की घटना से क्रुद्ध होकर सविनय-भंग-आंदोलन को एकाएकी बंद कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि इतनी बड़ी राष्ट्रीय एकता टूटकर छिन्न-भिन्न हो गई। स्वतंत्रता-संग्राम ने शूद्धि और तब्लीग का रूप धारण कर लिया। मुमकिन नही राष्ट्र का यह पतन देखकर प्रेमचंद का भावुक-हृदय न रोये; लेकिन उनका रोने का ढंग भिन्न था। 'बड़े बाबू' कहानी पढ़िये तो मालूम होगा कि उन्होंने किस तरह अपने मन की वेदना को हास्य और व्यंग में समो दिया है। लिखते हैं :—

“अगर देश में प्रेज़ूटों की यह अफसोसनाक कमी न होती, तो सविनय भंग का आंदोलन क्यों इतनी जल्दी बंद हो जाता? क्यों बने हुए, रंगे हुए सियार ज़रपरस्त लीडरों को डाकाज़नी के ऐसे मौक़े मिलते?”

दर असल यह उनका व्यक्तिगत दुःख नहीं, पीड़ित और भ्रांत मानवता का दुःख था।

छः सौ पृष्ठों का उपन्यास 'गोदान' क्या है? इसी मानवता के दुःख का चित्रण है। गांधी का नमक-सत्याग्रह, जिसका प्रेमचन्द ने प्राणपण से समर्थन किया था, गांधी-इरवन-पकट म खत्म हो गया। गांधी अछूतोद्धार में जा लगे, और किसान बचारे को जो इस आन्दोलन का प्राण था, बिबश छोड़ दिया गया। अब उसका दुखड़ा कौन रोये? लेकिन प्रेमचंद का उद्देश्य रोना नहीं था। रोना अकर्मण्यता की निशानी है, और उनके पात्र होरी, गोबर, धनिया

और भुनिया भी रोते नहीं, कठिनाइयों के बावजूद हंसते हैं; जीवन-संघर्ष जारी रखते हैं और अपने छोटे-छोटे कामों और संघर्षों द्वारा अनजाने ही मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं।

संघर्ष इन पात्रों के जीवन का अविच्छिन्न अंग है। इसी प्रकार कहकहे भी उनके जीवन का अंग बनकर सामने आते हैं। जैसे - भुनिया, गोबर को अपने जीवन की घटनायें सुना रही है कि वह दूध लेकर जाती थी तो लोग किस तरह लोलुप निगाहों से उसकी रसभरी जवानी को देखते थे। एक बार एक तिलकधारी पंडित तो इतने आगे बढ़े कि भुनिया को जबदस्ती पकड़ना चाहा; लेकिन चालाक भुनिया ने दूध की मटकी पंडित के सिर पर पटक दी। यहां प्रेमचंद लिखते हैं:—

“गोबर कहकहा लगाकर बोला—बहुत अच्छा किया तुमने। दूध से नहा गया होगा? तिलक-झापा भी धुल गया होगा। मूँछें भी क्यों न उखाड़ लीं।”

कहकहे संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। पाठक के मन में प्रेरणा उत्पन्न होती है कि समाज के रँग-सियारों की सचमुच मूँछें उखाड़ ली जायें।

इसी उपन्यास की मिस मालती जब बने हुए साधुस्वभाव आँकारदास को शपथ तोड़कर शराब पिलाने में सफल हो जाती है, तो राय साहब की महफिल में जान सी पड़ जाती है:—

“हाल में ऐसा शोर-गुल मचा, कि कुछ न पूछो! जैसे—पिटरी में बन्द कहकहे निकल पड़े हों। वाह देवी जी! क्या कहना! कमाल है मिस मालती! कमाल है!! नमक का कानून तोड़ दिया, तो धर्म का किला तोड़ दिया, नेम का घड़ा फोड़ दिया।”

जब सम्पादक महोदय खिसियाने होकर दलीलबाजी करने लगे तो चपत पड़ी:—

“कानून भी तो बंधन है; उसे क्यों नहीं तोड़ते? बस वही बंधन तोड़ो, जो अपनी लाजसाओं में रुकावट डालते हों उसको सांप बनाकर पीटो, और तीसमारखां बनो।”

प्रेमचंद की महफिलों में पढ़-अपढ़, बड़े-छोटे, मर्द और औरतें सब हँसते हैं। जो हंस नहीं सकते, उनसे प्रेमचंद को तनिक भी सहानुभूति नहीं। अब जरा औरतों की महफिल देखिये। ‘लाँछन’ कहानी की जगनूबाई पूरी शैतान की खाला है। लोगों की छोटी-छोटी त्रुटियाँ और दोष जमा करना, और उन्हें इधर-उधर फँलाना उसका काम है। इसी कारण महिलाश्रम की छोटी-

बड़ी अध्यापिकायें सभी उससे डरती हैं; लेकिन नयी हेडमिस्ट्रेस मिस खुरशीद ने उसकी सारी श्रेणी किरकिरी कर दी। उसे बनाने के लिये बिलियम किंग से प्रेम का नाटक रचा। अब जुगनू को यह बात कहां पचती। रातभर बड़ी मुश्किल से काटी। सुबह होते ही आश्रम में यह खबर घुमा दी और लगी मिस खुरशीद पर मनमाने लांछन लगाने। लेकिन जब अन्त में मालूम हुआ कि रात को खुरशीद के पास शराब के नशे में धुत्त, जो बिलियम किंग आया था, और जिससे डरकर जुगनूबाई भीगी बिल्ली बनाकर कोने में दुबक गई थी, वह वास्तव में आश्रम की डाक्टर लीलावती है। और मिस खुरशीद और लीलावती ने सिर्फ जुगनू को बनाने और परास्त करने के लिये यह नाटक खेला था तो—

“.....चारों ओर क़हक़हे बुलन्द हुए। कोई तालियां बजाती थी। कोई डाक्टर लीलावती की गर्दन में चिपटी जाती थी, कोई मिस खुरशीद की पीठपर थपकियां देती थी। कई मिनट हू-हक मचा रहा। जुगनू का मुंह इस रोशनी में जरा-सा निकल आया, जबान बन्द हो गई। ऐसा चरका उसने कभी न खाया था। इतनी ज़लील कभी न हुई थी।

उस दिन से फिर किसी ने जुगनू की सूरत नहीं देखी। आश्रम के इतिहास में यह घटना आज भी मनोरंजन का विषय बनी हुई है।”

: ६ :

नया-विवाह

“मैं, विवाह को आत्म-विकास का साधन समझता हूँ, स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध का अगर कोई अर्थ है, तो यही है। वरना मैं, विवाह की कोई जरूरत नहीं समझता।”

—प्रेमचन्द

देहात में विशेषतः और बहुधा शहरों में भी छोटी उम्र के विवाह का रिवाज था। प्रेमचन्द भी इस पुराने रिवाज के शिकार हुए। पिता ने उनका विवाह तेरह-चौदह वर्ष की अवस्था में कर दिया था। प्रेमचन्द को इस बात का बड़ा ही खेद था। जबान-पत्नी मन में तरह तरह के अरमान लेकर आई थी, वे पूरे न हो सके। इधर प्रेमचन्द के अपने ही अरमान पूरे न होते थे; कालेज में पढ़ने की साध मन में रह गई थी। वे पत्नी के अरमानों का ख्याल क्या रखते? स्कूल-मास्टर हुए तो विमाता और उसके बच्चों का बोझ सिर पर आ पड़ा। पत्नी को इस बात की बड़ी डाह थी और वह हमेशा कुढ़ती रहती थी। वह चाहती थी कि पति अब कमाने लगा, वह घर की मालकिन बने, प्रत्येक मास का वेतन उसे लाकर दे और वह उसे अपनी इच्छानुसार खर्च करे। मगर घर में, सौतेली माँ का राज रहा, वह अपने आपको उसकी आश्रिता समझती रही। इसका क्रोध प्रेमचन्द पर उतरता था।

‘मांगे-की-घड़ी’ के नायक में, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, प्रेमचन्द ने बहुत हद तक अपने ही जीवन को अंकित कर दिया है। वह ससुराल जाता है, तो पत्नी से भेंट का हाल इस प्रकार वर्णन किया गया है:—

“रात को देवी जी ने पूछा—सब रुपये उड़ा आये कि कुछ बचा भी है।”

मेरा सारा प्रेमोत्साह शिथिल पड़ गया, न चेम-कुशब्द, न प्रेम की कोई बातचीत, बस, हाय रूपए! हाय रूपए!! जी में आया कि इसी वक्त

उठकर चलदूँ। लेकिन ज्वत् कर गया। बोला—“मेरी आमदनी जो कुछ है, वह तो तुम्हें मालूम है।”

“मैं क्या जानूँ तुम्हारी क्या आमदनी है? कमाते होंगे अपने लिए, मेरे लिये क्या करते हो? तुम्हें तो भगवान ने औरत बनाया होता, तो अच्छा होता। रात-दिन कंघी-चोटी किया करते। तुम नाहक मर्द बने। अपने शौक-सिंगार से बचता ही नहीं, दूसरों की फिक्र तुम क्या करोगे?”

मैंने मुँहलाकर कहा—“क्या तुम्हारी यही इच्छा है कि इसी वक्त चला जाऊँ?” देवी जी ने भी त्योरियाँ चढ़ाकर कहा—चले क्यों नहीं जाते। मैं तो तुम्हें बुलाने न गई थी या मेरे लिए कोई रोकड़ लाये हो।

मैंने चिंतित स्वर में कहा—तुम्हारी निगाह में प्रेम का कोई मूल्य नहीं है, जो कुछ है वह रोकड़ है।

देवी जी ने त्योरियाँ चढ़ाये हुए ही कहा—प्रेम अपने आपसे करते होंगे, मुझसे नहीं करते।

“तुम्हें पहले तो यह शिकायत कभी न थी।”

“इससे यह तो तुमको मालूम ही हो गया कि मैं रोकड़ की परवा नहीं करती; लेकिन देखती हूँ कि ज्यों-ज्यों तुम्हारी दशा सुधर रही है, तुम्हारा हृदय भी बदल रहा है। इससे तो यही अच्छा था कि तुम्हारी वही दशा बनी रहती। तुम्हारे साथ उपवास कर सकती हूँ, फटे चीथड़े पहनकर दिन काट सकती हूँ। लेकिन यह नहीं हो सकता कि तुम चैन करो और मैं मैके में पड़ी भाग्य को रोया करूँ। मेरा प्रेम इतना सहनशील नहीं है।”

उस वक्त प्रेमचन्द स्कूल-मास्टर नियुक्त हुए थे और अठारह रुपये मासिक वेतन मिलता था। इस कहानी का नायक हू-बहू प्रेमचन्द नहीं हैं, लेकिन इस कहानी में उसकी आर्थिक दशा का जो वर्णन किया गया है, वह प्रेमचन्द की अपनी दशा से मिलती-जुलती है। फर्क सिर्फ यह है कि इस कहानी का नायक अपने मित्र दानू से घड़ी मांगकर और बन-ठनकर समुराल गया है। लेकिन प्रेमचन्द ने शायद ऐसा न किया हो, और मुमकिन है कि ऐसा किया भी हो। और इस घटना के उपरान्त ही उन्हें यह नसीहत हुई हो, कि दिखावे और आडम्बर की हविस व्यर्थ है। जब तुम बाकई गरीब हो, तो गरीब कहलाने में शर्म क्यों! और यों ही अमीर कहलाने से लाभ?

इस कहानी से यह भी पता चलता है कि पत्नी मैके में या सौतेली सास के पास पड़े रहने की अपेक्षा, उनके पास आकर रहने की इच्छा रखती थी; लेकिन थोड़ी तनखाह के कारण प्रेमचन्द ऐसा न कर सके। लाचारी और मजबूरी

थी और इन्हीं लाचारियों और मजबूरियों के कारण दिलों में गाँठ पड़ती गई, द्वेष बढ़ता रहा ।

“जीवन का शाप” कहानी का मुख्य-पात्र कावसजी एक ऐसा व्यक्ति है, जो प्रेमचन्द का जीवन-आदर्श पेश करता है । निर्धन कावसजी की धनी शापूर जी से इस प्रकार तुलना की गई है :—

“कावसजी ने पत्र निकाला और यश कमाने लगे । शापूरजी ने रूई की दलाली शुरू की, और धन कमाने लगे । कमाई दोनों कर रहे थे । शापूरजी प्रसन्न थे, कावसजी विरक्त । शापूरजी को धन के साथ सम्मान और यश आप-ही-आप मिल रहा था । कावसजी को यश के साथ धन दूरबीन से देखने पर भी दिखाई न देता था; इसलिये शापूरजी के जीवन में शांति थी, सहृदयता थी, आशा थी, क्रीड़ा थी । कावसजी के जीवन में अशांति थी, कटुता थी, निराशा थी, उदासीनता थी । धन को तुच्छ समझने की वह बहुत चेष्टा करते थे, लेकिन प्रत्यक्ष को कैसे झुठला देते ? शापूरजी के घर में विराजने वाले सौजन्य और शांति के सामने उन्हें अपने घर के कलह और फूहड़पन से घृणा होती थी । मृदु-भाषिणी मिसेज शापूरजी के सामने उन्हें अपनी गुलशन बानू संकीर्ण और ईर्ष्या की देवी सी लगती थी । शापूरजी घर में आते, तो शीरी बाई मृदुहास से उनका स्वागत करती । वह खुद दिन भर के थके-माँदे घर आते, तो गुलशन अपना दुखड़ा सुनाने बैठ जाती, और उनको फटकारें बताती—तुम भी अपने को आदमी समझते हो ! मैं तो तुम्हें, बैल समझती हूँ, बैल बड़ा मेहनती है, शरीब है, संतोषी है, मानव; लेकिन उसे विवाह करने का क्या हक़ है ?

“कावसजी से एक लाख बार यह प्रश्न किया जा चुका था जब तुम्हें समाचार-पत्र निकाल कर अपना जीवन बरबाद करना था, तो तुमने विवाह क्यों किया ? क्यों मेरी ज़िंदगी तलख़ करदी ? जब तुम्हारे घर में रोटियां न थीं, तो मुझे क्यों लाये ? इस प्रश्न का जबाब देने की कावसजी में शक्ति न थी । उन्हें कुछ सूझता ही न था । वह सचमुच अपनी ग़लती पर पछताते थे ।”

मगर प्रेमचन्द के मामले में यह ग़लती खुद उन्होंने नहीं, बल्कि उनके पिता मुंशी अजायबलाल ने की थी; इसीलिये प्रेमचन्द ने उनके सम्बन्ध में ठीक ही लिखा है आखिरी उम्र में खुद भी ठोकर खाई और एक धक्का देकर उन्हें भी गिरा दिया । प्रेमचन्द गलतियों पर सिर्फ पछताते रहने और निराश हो जाने वाले व्यक्ति नहीं थे । वे मानव सूलभ दुर्बलताओं को समझते थे

प्रेमचन्द

और यह भी जानते थे, कि प्रेम महज शून्य में नहीं पल सकता; उसके लिये भी भोजन दरकार है। सौजन्य अथवा संकीर्णता भी मनुष्य का जन्म सिद्ध स्वभाव अथवा प्रकृति नहीं, परिस्थितियों की उपज है। कटुता, ईर्ष्या और चिड़चिड़ापन, प्रतिकूल परिस्थितियों से उत्पन्न होता है। इसलिये कटुता और फूहड़पन के लिये वे पत्नी को दोषी नहीं मानते थे, और सदैव मेलजोल और समझौते का प्रयत्न करते रहते थे; लेकिन समझौते की सूरत पैदा न होते देखकर उन्हें वास्तव में दुःख होता था।

जब समझौते और मेल-मिलाप की कोई सम्भावना नहीं, बल्कि इसके विपरीत मन-मुटाव बढ़ रहा था, तो इसका एक ही इलाज रह जाता था, कि वे पत्नी से सम्बन्ध विच्छेद कर लें, और हमेशा के लिये अलग-अलग रहें। प्रेमचंद जैसे सहृदय और सज्जन मनुष्य के लिये यकायक यह क्रदम उठाना सम्भव नहीं था। वह इस समाज में औरत को सबसे पीड़ित जीव समझते थे और अपने उपन्यासों और कहानियों में उस पर सदियों के अत्याचारों और दमन का विरोध करते थे। फिर यह कैसे सम्भव था कि वे अपनी स्त्री से एकदम सम्बन्ध-विच्छेद कर लें। इसी 'जीवन का शाप' कहानी में कावसजी पत्नी के प्रति अपनी उपेक्षा और उदासीनता पर पछताते हुए सोच रहे हैं :—

“गुलशन पर वह क्यों बिगड़ जाते हैं ? इसीलिये कि वह उनके आधीन है, रूठ जाने के सिवा कोई दंड नहीं दे सकती ? कितनी नीच कायरता है कि हम सबलों के सामने दुम हिलार्य और जो हमारे लिये अपने जीवन का बलिदान कर रहा है, उसे काटने दौड़ें।”

पत्नी के बारे में उनके मन में प्रश्न उत्पन्न होता था—“छोड़ें या न छोड़ें ?” और चिरकाल तक वे इसी दुविधा में पड़े रहे। उनकी मनोदशा को समझने के लिये स्त्री और पुरुष के सम्बंध के बारे में उनके दृष्टिकोण को समझ लेना जरूरी है। इसके लिये सिर्फ एक-दो उदाहरण काफी होंगे।

‘जीवन का शाप’ कहानी ही को लीजिये। इसमें उन्होंने अपने दृष्टिकोण को बड़े ही सुन्दर और स्पष्ट ढंग से पेश किया है। इस कहानी का एक टुकड़ा देखिये। शापूर जी रात भर रंग-रेलियां मनाने के बाद घर लौटते हैं। वहां कावसजी के पूछने पर बताते हैं कि उन्हें खाने में देर हो गई; लेकिन कावसजी ने, जैसा कि पत्रकारों की आदत है, वे सिर्फ बात ही नहीं पूछते, बात की जड़ भी खोजते हैं, दरियाफ्त किया :—

“दावत में मेज़बान कौन साहब थे ?”

उत्तर मिला—“मिस गौहर।”

“मिस गौहर ?”

“जो हूँ, वहो। आप चौंके क्यों ? क्या आप इसे तस्लीम नहीं करते कि दिन-भर रुपया-आने-पाई से सिर मारने के बाद मुझे कुछ मनोरंजन करने का भी अधिकार है, नहीं तो जीवन भार हो जाय।”

“मैं इसे नहीं मानता।”

“क्यों ?”

“इसीलिये कि मैं इस मनोरंजन को अपनी ब्याहता स्त्री के प्रति अन्याय समझता हूँ।”

शापूर जी नक़ली हँसी हँसे:—“वही दक्कियानूसी बात। आपको मालूम होना चाहिये; आज का समय कोई ऐसा बंधन स्वीकार नहीं करता।”

“और मेरा ख़याल है कि कम-से-कम इस विषय में आज का समाज एक पीढ़ी पहले के समाज से कहीं परिष्कृत है। अब देवियों का यह अधिकार स्वीकार किया जाने लगा है।”

यही बात कुछ अधिक स्पष्टता के साथ “दो सखियाँ” कहानी में कही गई है। इस कहानी का नायक विनोद औरत को बराबर के अधिकार देने का पक्षपाती है। उसका विवाह पढ़ी-लिखी लड़की पद्मा से होता है। पद्मा आत्मा-भिमानिनी है, और वह इस अभिमान और संकुचित विचारों के कारण, पति को समझने में असफल रहती है; और उसे जान-बूझकर तंग करती है। लेकिन विनोद हमेशा बनाये रखने का प्रयत्न करता है, और पत्नी के अशिष्ट, अन्याय-पूर्ण व्यवहार को न सिर्फ सहन करता है, बल्कि बड़ी उदारता से भुला देता है। लेकिन पद्मा की ओर से उपेक्षा बढ़ती जाती है, यहां तक कि इकट्ठे रहने में दुःख और अपमान ही रह जाता है, तो विनोद घर छोड़ देता है। जाते समय पत्नी के नाम जो पत्र छोड़ जाता है, उसके ये शब्द विचारणीय हैं:—

“मुझे जाने का लेश-मात्र भी दुःख नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ, तुम खुश होगी। जब तुम मेरे साथ सुखी नहीं रह सकतीं, तो मैं ज़बरदस्ती क्यों पड़ा रहूँ। इससे तो यह कहीं अच्छा है, कि हम और तुम अलग हो जायें। मैं जैसा हूँ, वैसा ही रहूंगा। तुम जैसी हो वैसी ही रहोगी। फिर सुखी जीवन की सम्भावना कहाँ। मैं विवाह को आत्म-विकास का साधन समझता हूँ। स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध का अगर कोई अर्थ है, तो यही है, वरना मैं विवाह की कोई ज़रूरत नहीं समझता। विवाह का उद्देश्य यही है और केवल यही है, कि स्त्री और पुरुष एक-दूसरे की आत्मोन्नति में सहायक हों।”

इन शब्दों से प्रेमचंद के मन की टीस प्रकट है। वे नहीं चाहते थे कि स्त्री,

पुरुष की उन्नति में बाधक हो। इसलिये वे एक नवजीवन और नवव्यवस्था की अभिलाषा करते थे, जिसमें पति और पत्नी में हार्दिक प्रेम हो, उनका जीवन हर्ष और उल्लास से भरा हो। 'कर्म-भूमि' के नायक—अमरकान्त के वे शब्द जो उसने घर से अलग होते समय, पिता से कहे थे, प्रेमचंद की इस अभिलाषा को व्यक्त करते हैं। अमर कहता है :—

“मैं, एक नये जीवन का सूत्रपात करने जा रहा हूँ... जहां स्त्री, पति को केवल नीचे नहीं घसीटती, उसे पतन की ओर नहीं ले जाती; बल्कि उसके जीवन में आनन्द और प्रकाश का संचार करती है।”

विनोद उक्त पत्र में आगे लिखता है:—

“मैं, धर्म और नीति का ढोंग नहीं मानता, केवल आत्मा का संतोष चाहता हूँ, अपने लिये भी, तुम्हारे लिये भी जीवन का तत्व यही है, मूल्य यही है।”

और एक दूसरे स्थान पर इससे पहले विनोद ने कहा था:—

“मैं, वर्तमान वैवाहिक-प्रथा को पसंद नहीं करता। इस प्रथा का आविष्कार उस समय हुआ था, जब मनुष्य सभ्यता की प्रारंभिक दशा में था। तब से दुनियाँ बहुत आगे बढ़ी है। मगर विवाह प्रथा में जौ भर भी अंतर नहीं आया। यह प्रथा वर्तमान-काल के लिये उपयोगी नहीं है।”

आखिर कावसजी का गुलशन बानू से और विनोद का पद्मा से समझौता हो गया; क्योंकि पद्मा ने और दूसरे शब्दों में गुलशन बानू ने भी ऐलान किया।

“आज से मेरे जीवन का नवयुग आरम्भ होता है; जिसमें भोग और विलास की नहीं, सहृदयता और आत्मोपता की प्रधानता होगी।”

लेकिन प्रेमचन्द की पत्नी में यह परिवर्तन नहीं आया। उनके जीवन में सहृदयता और आत्मोपता का अभाव वही रहा; इसलिये उन्होंने ऐसा कदम उठाया जा वह उठाना नहीं चाहते थे। इस सिलसिले में मुन्शी दयानारायण निगम लिखते हैं:—

‘प्रेमचन्द, अपनी जिंदगी अमनो-सकून से बसर करना चाहते थे। वे न खुद किसी के साथ सख्ती करना पसन्द करते थे, और न किसी की कोई कड़ी बात बरदाश्त कर सकते थे। निजी मामलात में वे हमेशा एतदात्म पर कायम रहना चाहते थे। उनकी सबसे बड़ी आजमायश शादी के मौके पर हुई। जहां तक मालूम हो सका है, उनकी पहली बीबी बहुत बदसलीका थीं। जिसकी वजह से उनकी जिन्दगी तलख हो गई थी। आये दिन के

भगड़ों के अलावा कुछ और वाक्यात् भी पेश आये। जिनके सबब से मसालहित (समझौते) का कोई मौका बाकी न रहा। जब उन्होंने मुझे मुफ्तसल हालात बतलाये तो मैं भी उन्हें इलजाम न दे सका। इत्तफाक से इस बारे में उनका एक खत महफूज रह गया है, जिस पर कोई तारीख नहीं है। यह यकीनन सन् १९०५ का लिखा हुआ मालूम होता है:—“ब्रादरम, अपनी बीबी किससे कहूँ? ज़ब्त किये कोफ्त हो रही है। ज्यों-त्यों करके एक अशर (पखवाड़ा) काटा था कि खानगी तरददात (घरेलू झमेले) का तांता बँधा... बीबी साहबा ने जिद्द पकड़ी कि यहाँ न रहूँगी, मैके जाऊँगी। मेरे पास रुपया न था। लाचार खेत का मुनाफा वसूल किया। उनकी रुखसती की तैयारी की, वे रो-धोकर चली गईं। मैंने पहुँचाना भी पसंद न किया। आज उनको गये आठ रोज हो गये। खत न पत्र। मैं उनसे पहले ही नाखुश था, अब तो सूरत से बेज़ार हूँ। गालबन उनकी बिदाई दायमी (स्थायी) साबित हो। खुदा करे ऐसा ही हो। मैं बिना बीबी के रहूँगा। इधर नन्दिहाल की तरफ से और वालिदा की तरफ से जिद्द है, कि ब्याह रचे; और जरूर रचे। जब कहता हूँ मुफलिस हूँ... तो वालिदा कहती हैं कि तुम अपनी रजामंदी दे दो, तुमसे एक कौड़ी न मांगी जायेगी। बहरहाल अब के तो गला छुड़ा ही लूँगा। आयंदा की बात नारायण के हाथ है। जैसी आपकी सलाह होगी, वैसा करूँगा। इस बारे में अभी फिर मशविरा करने की जरूरत बाकी है।”

इस खत में वालिदा, विमाता के लिये लिखा है, जिसका मतलब है कि पत्नी से अधिक उनकी चाची अर्थात् विमाता से पटती थी, और उससे पहली सी घृणा न रह गई थी। ‘घर-जमाई’ कहानी में विमाता के बारे में यही विचार प्रकट किये गये हैं। एक किसान हरिधन से कहता है:—

“तुम नई अम्माँ से नाहक डरते थे। बड़ी सीधी हैं बेचारी, बस अपनी अम्माँ ही समझो, तुम्हें पाकर तो गद्गद् हो जायेंगी।”

हरिधन विमाता को पसन्द नहीं करता था, इसलिए समुराल में जाकर रहने लगा। जो रुपया पैसा साथ ले गया था, उसके समाप्त होते ही सार्स, साले और खुद उसकी पत्नी—उससे घृणा करने लगी। सारा-सारा दिन घरका और बाहर का काम करता था, फिर भी नौकरों से अधिक बुरा व्यवहार होता था, और पेट भर खाने को नहीं मिलता था। तंग आकर उसने समुराल का घर छोड़ दिया और पत्नी से साथ चलने को कहा; लेकिन वह निर्धन पति का साथ देने को तैयार न हुई। यही किसान जो हरिधन को समुराल से लौटते समय रास्ते में मिल गया था, पूछता है:—

“अच्छा घरवाली को भी तो लाओगे ?”

हरिधन—‘उसका मुँह अब न देखूँगा। मेरे लिये वह मर गई, मंगरू (किसान का नाम)—‘तो दूसरी सगाई हो जायेगी। अबके ऐसी औरत ला दूँगा कि उसके पैर धोकर पियोगे। पर कहीं पहली आ गई तो ?’
हरिधन—‘वह न आयेगी।’

प्रेमचन्द ने भी दूसरा विवाह कर लिया। लेकिन इस विवाह में उन्होंने जिस सिद्धान्त का परिचय दिया, वह प्रशंसनीय है। निगम साहब लिखते हैं—
“.....विवाह के बारे में सोच-विचार और बहुत कुछ वाद-विवाद के बाद तय पाया कि विवाह हो तो किसी विधवा से। प्रेमचंद का उस समय चढ़ता यौवन था और वे एक हंसमुख, विनोदशील, सुन्दर, स्वस्थ नौजवान थे। श्रीवास्तव जाति में जिससे उनका सम्बन्ध था, सगाई पर टीका लेने की प्रथा आम थी, और हजार-दो हजार नकद तो उन्हें आसानी से मिल सकता था। यह रकम उस समय उनके लिये बड़ी रकम थी। उनके सम्बन्धी विधवा-विवाह के खिलाफ थे; मगर वे अपने फैसले पर अटल रहे और जिला-फतहपुर में सलीमपुर (कंवारा) गांव में श्रीमती शिवरानी देवी के साथ उनकी दूसरी शादी हो गई.....।”

श्रीमती शिवरानी देवी का विवाह इतनी छोटी उम्र में कर दिया गया था कि वे बचपन ही में विधवा हो गई थीं। शिवरानी देवी अब भी जीवित हैं, और बड़ी अच्छी तथा साहसी औरत हैं। प्रेमचंद की उनसे खूब निभी। पहली पत्नी जब तक जीवित रहीं, वे उसे हर महीने खर्च भेजते रहे, मगर सम्बन्ध विच्छेद का उन्हें आजीवन खेद ही रहा क्योंकि ऊपरलिखित दोनों कहानियां ‘जीवन का शाप’ और ‘दो सखियाँ’ बहुत बाद की रचनायें हैं। जो समझौता वास्तविक जीवन में न हो सका, वह कल्पित संसार में—इन कहानियों में किया गया है। शिवरानी देवी को जब मालूम हुआ, तो उसने बहुत कोशिश की कि वे पहली पत्नी को भी ले आयें; लेकिन ऐसा न हो सका। अपनी खुशी से वह न आई और लिवाने प्रेमचंद नहीं गये।

प्रेमचंद ने एक कहानी “नया-विवाह” शीर्षक से भी लिखी है। उसका प्लाट तो कुछ और ही है; लेकिन व्याह के सम्बन्ध में प्रेमचंद का दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है। पहली पत्नी लीला से सेठजी की तबीयत न भरी, दूसरी विवाह लाये। नई-पत्नी आशा, उम्र में बहुत छोटी है, उन्हें दादा से कम नहीं समझती और उन्हें ‘आप’ कहकर सम्बोधित करती है। इसमें सेठजी का आत्मा को कष्ट पहुँचता है, वे एतराज करते हैं :—

“तुम मुझे ‘आप’ क्यों कहती हो । मैं अपने घर में देवता नहीं, चंचल बालक बनना चाहता हूँ……आशा ने जैसे भीतर से जोर लगाकर कहा ‘तुम’ और उसका मुख-मण्डल लज्जा से आरक्त हो गया ।”

प्रेमचंद इस प्रकार के बेमेल-विवाह की हमेशा निंदा करते थे । विधवा से विवाह करके उन्होंने मानसिक संतोष प्राप्त किया और अपने घर में चंचल बालक बनकर रहे । शिवरानी देवी के साथ उनके गृहस्थ-जीवन का जिक्र आगे आयेगा, अब जरा इसी ‘नया-विवाह’ कहानी का एक उद्धरण और देखिये:—

“ब्याह क्या है ? जीवन का आनन्द उठाने के लिये झिलमिलाते हुए दीपक में तेल डालना, उसे और तेज़ करना । अगर दीपक का प्रकाश तेज़ न हो, तो तेल डालने से लाभ ?”

: १० :

इस्तीफा

“हमारे असाधारण कार्य, फैसलों से नहीं हुआ करते, हम अंतिम समय तक असमंजस और द्विधा में पड़े रहते हैं।”

—प्रेमचन्द

हमीरपुर में प्रेमचन्द प्रायः बीमार रहते थे। वहाँ खाने-पीने का ठीक प्रबन्ध नहीं था; जिस कारण उन्हें एकवार कई दिन तक सूखी घुइयाँ खानी पड़ों। एक दिन पेट में ऐसा दर्द हुआ कि तमाम दिन मछली की तरह तड़पते रहे। लिखते हैं :—

“फंकियां खार्यीं, पेट पर गर्म बोतल फेरी, जामुन का अर्क पिया। देहात में जितनी दवाएँ मिल सकती थीं, खार्यीं, मगर दर्द कम न हुआ! दूसरे दिन से पेचिश हो गई। मल के साथ आँव आने लगी, लेकिन दर्द जाता रहा।”

प्रेमचन्द स्वादिष्ट भोजन सामने देखकर संयम नहीं रख सकते थे। इस घटना के एक महीने बाद, जब वह दौरे पर थे, तो एक थाना में ठहरना हुआ। दरोगा ने उनकी आवभगत की। ज़िमीकंद पकवाया, दही-बड़े, पकौ-डिय़ाँ, पुलाव सब कुछ बनवाया और प्रेमचन्द ने भी जी भरकर खाया। लेकिन जब खा-पीकर सोये तो ढाई घंटे बाद ही पेट में दर्द शुरू हो गया। सोड़े की दो बोतलें पीने के बाद कै हुई, तब कहीं दर्द को आराम हुआ; लेकिन पेचिश सदा के लिये जीवन का रोग बन गई। यह सब ज़िमीकंद की कारस्तानी थी। उस दिन से प्रेमचन्द ज़िमीकंद और घुइयों के पास तक नहीं फटके, सूरत देख कर कांप जाते थे।

प्रेमचन्द ने इस मर्ज के कारण सन् १९१४ में तबादले की दरखास्त दी। खयाल था कि किसी अच्छी जगह तबादला होगा; लेकिन उन्हें बस्ती के जिला में पटका गया। यह इलाका नेपाल की तराई में स्थित है। यहां आकर

पेचिश का रोग और बढ़ गया। इस दूर स्थान में पढ़े-लिख लोगों की संगति भी न रही। लेकिन डुमरियागंज के तहसीलदार पं० मन्नन द्विवेदी गजपुरी विनोदशील व्यक्ति थे, साहित्य और ज्ञान सम्बन्धी समस्याओं से दिलचस्पी रखते थे। उनसे खूब वाद-विवाद होता था, खूब साहित्य चर्चा रहती थी। यहीं से उन्होंने "अनाथ लड़को", "खून सफेद", "शिकारी और राजकुमार", "शैरत की कटार" और "भरहम" आदि कहानियाँ लिखीं। इन कहानियों का प्लाट इतिहास से नहीं लिया गया, पर उन दिनों की उनकी ज्ञान-चर्चा और जिज्ञासा इन रचनाओं में झलकती है।

पेचिश इतनी बढ़ी कि असह्य हो गई। तब वह छः महीने की छुट्टी लेकर लखनऊ आये और मेडिकल-कालेज में इलाज कराते रहे। कुछ लाभ न हुआ। तो बनारस आकर एक हकीम का इलाज शुरू किया। तीन-चार महीने के लगातार इलाज से लाभ तो हुआ; पर रोग जड़ से न गया। छुट्टी समाप्त कर के जब बस्ती में आये तो फिर वही हालत हो गई। उनके लिये दौरो पर जाना सम्भव नहीं रहा; इसलिये मुदरिसी (अध्यापकी) पर जाने की दर-खास्त दी।

इसके अतिरिक्त घर की चिंतायें भी बढ़ गई थीं। पहले उनके एक सम्बन्धी जयनारायण लाल उनके पास रहा करते थे। उन्हें लिखने-पढ़ने से भी रुचि थी। प्रेमचन्द को उनका बड़ा सहारा था। उन्हें अकसर दौरे पर रहना पड़ता था; लेकिन उनके रहते घर की ओर से निश्चिन्त रहते थे। वे थोड़ी-सी बीमारी के बाद महुवा में ही चल बसे। सन् १९१५ में एक मित्र को महुवा से एक पत्र में लिखा :—

“इस सदमे से कमर टूट गई। हिम्मत-पस्त हो गई। जिस इन्स्पेक्टर को बड़ी आरज़ुओं और तमन्नाओं के बाद हासिल किया था, वही अब जी का जंजाल हो रही है। बीबी को तनहा (अकेली) छोड़कर दौरे पर कैसे जाऊँ...।”

जुलाई सन् १९१५ में वह गवर्नमेन्ट स्कूल, बस्ती के असिस्टेंट टीचर नियुक्त हुए और तीन वर्ष तक इसी स्कूल में रहे। दौरो से अवकाश पाकर उन्होंने साहित्य रचना की ओर ध्यान दिया। “घोखा”, “दो भाई”, “बेटे का धन”, “पाँच-परमेश्वर”, “जुगन की चमक”, “शंखनाद” आदि कहानियाँ इन दिनों लिखीं। इन कहानियों के पढ़ने से पता चलता है, कि जनता से उनका सम्पर्क गहरा होता जा रहा था, जिसकी अच्छाई और महत्ता में उनका विश्वास बढ़ गया था।

अगस्त सन् १९१८ में वह बस्ती से गोरखपुर आये। वहाँ उनका परि-

चय महावीर प्रसाद पोद्दार से हो गया। वह हिन्दी साहित्य के विख्यात विद्वान देश-भक्त और कर्मठ व्यक्ति थे। प्रेमचन्द को उनकी संगति से यथेष्ट लाभ हुआ। उन दिनों प्रेमचन्द ने स्वयं भी हिन्दी में लिखना आरम्भ कर दिया था। उनका उपन्यास 'सेवा-सदन' (बाजारे हुस्न) शायद १९१४ में छपा था, बहुत पसन्द किया गया। इससे पहले भी हिन्दी में उनकी कुछेक कहानियाँ और दो-तीन छोटे-छोटे उपन्यास छप चुके थे; लेकिन 'सेवा-सदन' लिखकर उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया।

इस प्रोत्साहन और लोकप्रियता से प्रेरित होकर उन्होंने अपना प्रथम लम्बा उपन्यास 'प्रेमाश्रम' लिखना शुरू किया। इस उपन्यास में उस समय के देहात का सही और सच्चा चित्र सामने आ जाता है और यह भी मालूम हो जाता है कि प्रेमचन्द को अपने देश की दरिद्र और किसान जनता से कितनी सहानुभूति थी। वे उनके लिये स्वराज्य और सुख की कितनी अभिलाषा रखते थे।

ब्रिटिश-साम्राज्य की लूट-खसोट के कारण हमारे देहाती-समाज का ढाँचा बिलकुल टूट गया था। इससे पहले भी राज्य बदलते रहे, लेकिन उनका देहातों पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। अगर पड़ा तो बहुत मामूली। उन्हें राज्य से कोई सरोकार नहीं था। वे अलग-थलग रहते थे, जिस कारण उनमें एक प्रकार का अंध-विश्वास, प्राचीनता और रूढ़िवाद का मोह उत्पन्न हो गया था। तो भी एक प्रकार की समृद्धता उनके जीवन में थी। फिर परस्पर मेल-जोल, एकता, स्वाभाविक प्रेम और एक महानता थी।

ब्रिटिश-साम्राज्यवादी यहाँ व्यापार की नीयत से आये थे। देहात भी अंग्रेज व्यापारियों की लोलुपता से न बच सके। व्यापार को सारे देश में फैलाने और राजसत्ता को भली प्रकार स्थापित करने के उद्देश्य से यातायात के साधनों को विस्तृत किया गया। रेल, डाक और तार के महकमे स्थापित किये गये। इन सब बातों का प्रभाव देहात पर भी पड़ा। जाहिर है कि अब वे अलग-थलग नहीं रह सकते थे। एक प्रकार से यह अच्छा ही था, क्योंकि इससे सभ्यता और संस्कृति का रूप निखरता, उनका रूढ़िवाद और अंध विश्वास टूटता, पशुनों के साथ जो नई सभ्यता आई थी, देहात में भी उसका प्रकाश जाता।

अंग्रेजों ने यह सब कुछ नहीं होने दिया। सारे देश को अपने आधिपत्य में लाकर देहात में पुरानी सामंती व्यवस्था कायम रहने दी। हिन्दुस्तान में मिलें और कारखाने लगाने तो एक ओर रहा, देहात में जो घरेलू-उद्योग-धंधे थे, उन्हें भी नष्ट कर दिया। हिन्दुस्तान को केवल कृषि-प्रधान देश रहने दिया,

ताकि ब्रिटन में चलने वाले कारखानों के लिये कच्चा माल उत्पन्न होता रहे, जो अंग्रेज शासक-वर्ग बहुत ही सस्ते दामों में खरीदता था और उसके मुकाबिले में विदेश में बना हुआ मशीनी माल बहुत महंगा विकता था। उससे हिन्दुस्तान के किसानों की आर्थिक व्यवस्था दिन-दिन खराब होती गई। स्वयं अंग्रेज अर्थशास्त्रियों का कथन है, कि उन्नीसवीं शताब्दी के अंत और बीसवीं शताब्दी के आरम्भ तक भारत की पहली सम्पन्नता नष्ट हो गई थी, और देहात विशेष-रूप से दरिद्र, विपन्न थे। रजनीवामदत्त ने अपनी पुस्तक "नया-भारत" (India To-day) में इस बारे में एक अंग्रेज इतिहासकार एम० एल० डार्लिंग का कथन उद्धृत किया है।

“हिन्दुस्तान के बारे में, सब से अचम्भे की बात यह है कि उसकी मिट्टी उपजाऊ है और उसकी जनता निर्धन।”

इसके अतिरिक्त उन पर करों का बोझ भी बढ़ गया था। मुगलों के राज्य-काल में जिन लोगों को भूमि कर वसूल करने के लिये इलाका का मुख्तार नियुक्त किया गया था, अंग्रेजों ने उन्हें जमींदार बना दिया। इससे उनकी राजसत्ता दृढ़ होती थी। ये लोग भूमि-पति थे और किसान उनके मुजारे थे। जमींदार तरह-तरह के कर वसूल करते थे। उनके मुख्तार और गुमास्ते किसानों को अलग लूटते थे। इसके अतिरिक्त सरकारी अफसर डिप्टी कमिश्नर से लेकर तहसीलदार तक देहात को अपनी लूट-खसोट और घूसखोरी से दरिद्र बना रहे थे। पटवारियों, छोटे कर्मचारियों, प्यादों और चौकीदारों की तो बात ही जाने दीजिये, वे तो किसान के शरीर से स्थायी रूप से चिपटी रहने वाली जोकें थीं। इस दशा में किसान कैसे पनप सकता था ! उसकी विपत्तियों का क्या ठिकाना। मामूली-मामूली इच्छायें मनमें घुट कर रह जाती थीं; और हृदय में ज्वाला-मुखी जलता रहता था।

इन बातों का उल्लेख इसलिये आवश्यक था कि इस पृष्ठ भूमि को सामने रखकर प्रेमचन्द को समझने में सुविधा होती है। वे देहात में उत्पन्न हुए थे और अब दौरों के कारण देहात में रहना होता था, इसलिये वे अपने देश की देहाती जनता से और उसके सुख-दुखों से भली प्रकार परिचित हो गये थे। एक मित्र के कथनानुसार उन्होंने देश की जनता को सूँघ कर देखा था, उसकी आत्मा को पहचान लिया था।

नौकरी के सम्बन्ध में अफसरों और शिक्षितवर्ग से भी उनका वास्ता पड़ता था। जनता के प्रति इस वर्ग की निर्दयता और उपेक्षा देखकर प्रेमचन्द को बड़ा दुःख होता था। क्या डाक्टर, क्या वकील, क्या जज—सब पैसों

के लिये गरीबों का गला काटने वाले, पैसों के लिये आत्मा का खून करने वाले स्वार्थी लोग थे। “कर्म-भूमि” में लिखते हैं :—

“इतनी अदालतों की जरूरत क्या ? यह बड़े-बड़े महकमे किस लिये ? ऐसा मालूम होता है, गरीबों की लाश नोचने वाले गिद्धों का समूह है। जिसके पास जितनी ही बड़ी डिग्री है, उसका स्वार्थ भी उतना ही बड़ा हुआ है। मानों लोभ और स्वार्थ ही विद्वत्ता के लक्षण हैं ! गरीबों को रोटियां मध्यसर न हों, कपड़ों को तरसते हों; पर हमारे शिचित्त भाईयों को मोटर चाहिए, नौकरों की एक पलटन चाहिये। इस संसार को अगर मनुष्य ने रचा है, तो अन्याय है; ईश्वर ने रचा है, तो उसे क्या कहें।”

नौकरी के अनुभवों से प्रेमचन्द की यह भावना बहुत ही तीव्र हो गई थी। अदालत, अफसर, जमींदार और उनके प्यादे सब किसानों को लूटते थे। फिर सूदखोर थे, जिनकी संरक्षण शक्ति भी यही सरकार और अदालतें थीं। एक गरीब किसान थे, जो दिन रात परिश्रम करते थे और सरगर्मी से रचनात्मक कार्य में व्यस्त रहते थे तो दूसरी ओर स्वार्थी और निकम्मे लोगों का यह समूह था, जो किसानों की हड्डियां तक चबा जाने के लिये गिद्धों के समान उनके सिरों पर मंडराता था। फिर विश्वव्यापी युद्ध छिड़ गया। युद्ध का विध्वंस कार्य सिर्फ यही नहीं कि असंख्य मनुष्य मारे जाते हैं, हजारों-लाखों बच्चे अनाथ और स्त्रियां विधवा होती हैं, सुन्दर नगर और भव्य इमारतें खंडहर हो जाती हैं, साहित्य और संस्कृति के खजाने—पुस्तकालय धूल में मिल जाते हैं, बल्कि समस्त श्रमजीवीवर्ग के लिये जीवन-निर्वाह कठिन हो जाता है। सरकार नोट छापकर उसकी मेहनत पर डाके डालती है। मशीनी माल और मंहगा हो जाता है। इस जंग में भी ऐसा ही हुआ। यद्यपि अनाज के दाम भी बढ़े थे; पर उससे जमींदार और धनी किसानों को लाभ पहुँचा; लेकिन गरीब किसानों और मुजारों का मंहगाई के मारे कच्मर निकल गया। इसी के परिणाम-स्वरूप युद्ध के कारण देश में स्वतन्त्रता-संग्राम भी तीव्र हो गया और अंग्रेजी सेना की हार से उसकी शक्ति में से जनता का विश्वास उठ गया। युद्ध जहाँ जनता का कच्मर निकालता है वहाँ उसमें जागृति भी लाता है। जीवन रक्षा के लिये संघर्ष तीव्र हो जाता है।

प्रेमचन्द ने इस शोषण-व्यवस्था को भली प्रकार समझ लिया था। उनकी सहानुभुति सदैव जन-साधारण के साथ रही। वह सरकारी मुलाजिम होते हुए भी कभी शासक वर्ग के साथी नहीं रहे। शिक्षितवर्ग के जो स्वार्थान्ध लोग आम तौर पर जनता को जाहिल, मूर्ख और गंदा कहकर घृणा प्रकट करते हैं, प्रेमचन्द उन्हें बहुत ही नीच और कमीना समझते थे। उन्होंने जन-

साधारण के निस्वार्थ प्रेम, त्याग, बलिदान और विपत्तिसहन करने की शक्ति और योग्यता को समझ लिया था। वह सदैव उनकी महत्ता और मानवता को उभारते और प्रेरित करते थे। अगर उनमें कुछ दुर्बलतायें थीं तो यह उनकी अपनी नहीं थीं, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की उत्पन्न की हुई थीं। अपनी एक कहानी 'भूढ़' में लिखते हैं :—

“जिसे रोटियों के लाले हों, कपड़ों को तरसे, जिसकी आकांक्षा का भवन सदा अन्धकारमय रहा हो, जिसकी इच्छायें कभी पूरी न हुई हों, उसकी नीयत बिगड़ जाये, तो आश्चर्य की बात नहीं।”

यह सत्य, उनकी समस्त कहानियों और उपन्यासों में प्रोत-प्रोत है। वह प्रकृति के तकाजों को कभी नहीं भुठलाते। वह मानव दुर्बलताओं को समझते हैं और उनसे अपार सहानुभूति रखते हैं। जो समाज इन दुर्बलताओं के लिये जिम्मेदार है, उस पर हर पहलू से भरपूर चोट करते हैं। इन्हीं दिनों की एक कहानी “अनाथ लड़की” है। उसका एक पात्र कहता है :—

“बाप कर्ज खाकर मर जाय, बेटा कौड़ी-कौड़ी भरे, धर्म की दृष्टि में यह न्याय होगा, मैं इसे अत्याचार समझता हूँ। इस न्याय की आड़ में गाँठ के पूरे महाजन की लूट-खसोट साफ दिखाई देती है।”

संक्षेप में परम्परा, सरकार, धर्म, आडम्बर और सूदखोर सब को लताड़ दिया। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों और उनके गठबन्धन को समझ लेने के बाद ही यह चेतना उत्पन्न होती है। ‘प्रेमाश्रम’ में प्रेमचन्द ने इस सजग-चेतना के साथ जीवन के समस्त पहलुओं का निरीक्षण किया है।

‘सेवा सदन’ स यह उपन्यास दो कदम आगे जाता है। इस उपन्यास में आर्थिक समस्याओं की भली प्रकार विवेचना की गई है, और वर्ग-सघर्ष अपने असल रूप में और पूरी तीव्रता के साथ उभर कर सामने आता है। इसमें दो प्रकार के किसान दिखाये गये हैं। एक समझौता करने वाले और दूसरे लड़ने वाले; लेकिन लूट-खसोट से दोनों ही तंग आ चुके हैं। ज्वाला भीतर-ही-भीतर धधक रही है। लगान-बसुली के दिनों में जमींदार के कारिंदों के अत्याचार देखकर विद्रोह की भावना चरम सीमा पर पहुँच जाती है। इन्हीं दिनों लड़ाके किसानों के नेता मनोहर को पता चलता है कि जमींदार ज्ञानशंकर के कारिंदे गौस खां ने उसकी स्त्री का अपमान किया है। वह क्रोध के मारे आपे से बाहर हो जाता है, उसके भीतर की ज्वाला फूट निकलती है। सत्ताधारी वर्ग और उसकी संरक्षक सरकार ने उसके भीतर जो भिन्नक उत्पन्न कर दी थी, वह एक दम दूर हो जाती है। वह अपने बेटे बलराज से कहता है:—

“कोई परवा नहीं। कुल्हाड़ा हाथ में लोगें, तो सब ठीक हो जायेगा। तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारा कलेजा मजबूत है। तुम्हें अभी जो डर लग रहा है, वह ताप के पहलू का जाड़ा है। तुमने कुल्हाड़ा कंधे पर रखा, महावीर का नाम लेकर उधर को चले, तो तुम्हारी आंखों से चिनगारियां निकलने लगेंगी।”

अब गौसखां की हत्या के उपरान्त न सिर्फ़ मनोहर और उसके बेटे को, बल्कि तमाम गांव को बांध लिया जाता है। ज़मींदार ज्ञानशंकर और उसकी सहायता करने वाली सरकारी सेना और पुलिस उसके बाद किसान पर जो जुल्म ढाती है, स्वार्थी डाक्टर और पैसे के लोभी वकील जो भूठी शहादतें देते हैं, इससे तमाम समाज दो वर्गों में विभाजित हुआ साफ़ दिखाई देता है। पाशविक और निर्दय दमन से किसानों के दिल कांप जाते हैं और वे मनोहर को लानत-मलामत करते हैं। इस अवसर पर सबसे बुद्धिमान और विनम्र किसान कादिर उनसे कहता है :—

“बारा ! ऐसी बातें न करो। बेचारे ने तुम लोगों के लिये, तुम्हारे अधिकांशों की रक्षा के लिये यह सब कुछ किया है। उसके जीवत और हिम्मत की तारीफ़ तो नहीं करते, उल्टा उसकी बुराई करते हो। हम सब-के-सब डर-पोक हैं, वही एक मर्द है।”

कादिर की यह आवाज़ प्रेमचंद की आवाज़ है। यही आवाज़ आगे चलकर सक्रिय हो जाती है और प्रेमचंद इस संवर्ष में पूर्ण मनोयोग से किसानों का साथ देते हैं। गांव की औरतें मनोहर की स्त्री बिलासी को उलाहने देती हैं कि तूने हमारे गांव का सत्यानाश कराया। यदि तनिक गम खा जाती, मनोहर से शिकायत न करती, तो गांव पर यह संकट तो न आता। बिलासी, बेचारी असमंजस में पड़ी हुई है। वह सोचती है कि शायद वाकई बुरा हुआ। ज़मींदार और सरकार का मुकाबला कौन कर सकता है ? लेकिन इस अवसर पर मुक्खू चौधरी आ पहुँचता है और वह बिलासी को सान्त्वना देते हुए कहता है, कि तेरा मनोहर सूरमा है। उसने गांव की लाज रखी है, औरतों की मर्याद बचाई है। मैं यहां एक मंदिर बनवाऊंगा, जिसमें मनोहर की वीर-मूर्ति की स्थापना की जायेगी। इससे बिलासी को मनोहर के कृत्य की सत्यता और सार्थकता का विश्वास हो जाता है और गर्व से उसकी गर्दन ऊँची उठ जाती है।

गौसखां के बाद फ़ैज़ुल्ला को नया कारिंदा नियुक्त किया जाता है। वह अब गांव पर नाना प्रकार का आत्याचार ढा रहा है। वह लगान वमूली की कुर्की ले आया है, और सब कुछ कुर्क कर रहा है। मुक्खू चौधरी उसे लगान का रुपया देकर जुल्म बन्द करने को कहता है तो वह अदालत के खर्च के नाम

पर बहुत बड़ी रकम तलब करता ह। प्रमचन्द लिखते हैं—

“सत्याग्रह में अन्याय को दमन करने की शक्ति है, यह सिद्धान्त आन्ति-पूर्ण सिद्ध हो गया।”

“सहसा चौधरी ने अपना चिमटा उठाया और इतनी ज़ोर से फ़ैजुल्लाह के सिर पर मारा कि वह ज़मीन पर गिर पड़ा, तब बोला—यही अदालत का खर्चा है; जी चाहे और ले लो। बेईमान, पापी कहीं का। कारिंदा बना फिरता है।”

प्रमचन्द के मस्तिष्क में यह संघर्ष चल रहा था। अर्थात् 'सेवा-सदन' में वह सुधारवादी थे। सारा कांग्रेस-आन्दोलन, सुधारवादी था। गांधीजी से पहले भी कांग्रेस के जो नेता थे, वे भी समाज को बदलना नहीं चाहते थे। उनकी लड़ाई समाज के वर्ग-शोषण के विरुद्ध नहीं, बल्कि केवल अंग्रेजी-साम्राज्य के विरुद्ध थी। अंग्रेजों ने यदि देश को कंगाल बनाया था, तो वे अंग्रेजों से पहले के हिन्दुस्तान को सोने की चिड़िया कहकर और दूध का नहरों की कहानियाँ सुनाकर यह मिथ्या धारणा उत्पन्न कर रहे थे कि सिर्फ अंग्रेजों को हटा देने और उनसे कुछ राज्याधिकार प्राप्त कर लेने ही से फिर पुरानी व्यवस्था लौट आयेगी। देश में धन-धान्य की कर्मान रहेगी। लेकिन समाज के इतने से परिवर्तन को इस रोग का इलाज न समझते थे। उनमें उस समय तथा नई चेतना उत्पन्न हो रही थी। वह विद्रोह के मार्ग पर चल रहे थे। उनमें जो मानसिक परिवर्तन आ रहे थे, वह परिवर्तन उन्होंने इस उपन्यास के सुधारवादी लेकिन मानव-प्रेमी पात्र प्रेमशंकर म प्रकट हात दिखाए ह। लिखा है:—

“जीवन उन्हें नये-नये अनुभवों की पाठशाला-सी जान पड़ता था।”
जीवन के अनुभवों ने उन्हें सिखाया, कि सिद्धान्तों की अपेक्षा मनुष्य अधिक आदरणीय है।”

साफ जाहिर है कि प्रेमचन्द की पुरानी मान्यतायें टूट रही थीं। उन्होंने समझ लिया था कि समाज के सिद्धान्त कोई सृष्टिकाल से बंधे, टिके नहीं। समाज की आर्थिक व्यवस्था के साथ वह भी बनते विगड़ते रहते हैं। जिन दिनों वह यह उपन्यास लिख रहे थे, उन्हीं दिनों एक कहानी 'बलिदान' लिखी थी, जो सन १९१९ में "जमाना" में प्रकाशित हुई थी। कहानी का आरम्भ यों हुआ है:—

“मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे ज्यादा असर उसके नाम पर पड़ता है। मौजे बेला में मंगरू ठाकुर जब से कांस्टेबिल हो गये हैं, उनका नाम मंगलसिंह हो गया है। अब उन्हें कोई मंगरू कहने का साहस नहीं

कर सकता। कल्लू अहीर ने जब से हलके के थानेदार से मित्रता कर ली है और गांव का मुखिया हो गया है, उसका नाम कालिकादीन हो गया है। अब उसे कोई कल्लू कहे तो आंखें लाल-पीली करता है। इसी प्रकार हरख-चन्द्र कुरमी अब हरखू हो गया है। आज से बीस साल पहले उनके यहां शक्कर बनती थी, चार हल की खेती होती थी और कारोबार खूब फैला हुआ था। लेकिन विदेशी शक्कर की आमद ने उसे मटियामेट कर दिया। धीरे-धीरे कारखाना टूट गया, ज़मीन टूट गयी, गाहक टूट गये और वह भी टूट गया। सत्तर वर्ष का बूढ़ा, जो एक तकियेदार माचे पर बैठा नारियल पिया करता था, अब सिर पर टोकरी लिये खाद फेंकने जाता है।”

हरखू का धन और खेत हाथ से निकल गये। यह समाज के विशेषतः मध्यवर्ग के बनने और बिगड़ने का सही चित्र है। प्रेमचन्द, कैसे सड़े-पुराने सिद्धान्तों को मानते रहते? उनकी आंखों के सामने इतनी बड़ी जंग लड़ी गई, रूस में महान् क्रान्ति आई। संसार का एक विस्तृत भाग लूट-खसोट की व्यवस्था से मुक्त हो गया।

प्रेमचन्द, जो पग-पग पर परिस्थितियों का निरीक्षण करते थे, रूस की इस महान् अन्त-वर्ग-क्रांति से बहुत प्रभावित हुए। ‘प्रेमाश्रम’ का बलराज, जो अखबार आदि पढ़ता है, वह सरकारी कर्मचारियों के मुकाबिले में गांव वालों का पक्ष लेते हुए कहता है, कि हम क्यों किसी की धौंस सहें, रूस में मजदूरों, किसानों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया है।

इस प्रकार की क्रान्ति प्रेमचन्द अपने यहां भी चाहते थे। इस उपन्यास के अन्त में उन्होंने लखनपुर गांव का जो सुन्दर चित्र खींचा है, वह अवश्य ही क्रान्ति के उपरान्त का चित्र है, प्रेमचन्द का मधुर स्वप्न है।

प्रेमचन्द क्रियाशील व्यक्ति थे। वह जो स्वप्न देखते थे उसे पूरा करने के लिये संघर्ष करते थे। सुधारवाद को तिलांजलि देकर, क्रान्ति के पक्षपाती बन गये। क्रान्तिकारी अगर नहीं बने थे, तो बन जरूर रहे थे। उन्होंने स्वयं अपने ही अनुभव से यह बात लिखी थी :—

“सत्याग्रह में अन्याय को दमन करने की शक्ति होती है, यह सिद्धान्त भ्रान्तिपूर्ण सिद्ध हो गया।”

किसानों पर जो अत्याचार हो रहे थे, उसका इलाज सत्याग्रह नहीं था। मनोहर के गौसखाँ को क़त्ल कर देने से भी कुछ नहीं बनता था। इसके लिये एक सामूहिक संघर्ष की आवश्यकता थी। जब इस संघर्ष का समय आया, तो प्रेमचन्द ने भट्ट नौकरी से स्तीफा दे दिया और सक्रिय रूप से संघर्ष में

सम्मिलित हो गये ।

मुंशी दयानारायण निगम लिखते हैं, कि उन्होंने इस्तीफा फरवरी सन् १९२१ में दिया । लेकिन प्रेमचन्द खुद अपने लेख में इस्तीफे का जिक्र यों करते हैं:—

“...यह सन् १९२० की बात है । असहयोग-आन्दोलन जोरों पर था । जलियांवाला बाग का हत्याकांड हो चुका था । उन्हीं दिनों महात्मा गाँधी ने गोरखपुर का दौरा किया । शाजी मियां के मैदान में अच्छा प्लेट-फार्म तैयार किया गया । दो लाख से कम का जमाव न था । क्या शहर, क्या देहात, श्रद्धालु जनता दौड़ी चली आती थी । ऐसा समारोह अपने जीवन में मैंने कभी न देखा था । महात्माजी के दर्शनों का यह प्रताप था, कि मुझ जैसा मरा हुआ आदमी भी चेत उठा । उसके दो-ही चार दिन बाद मैंने अपनी बीस साल की नौकरी से इस्तीफा दे दिया ।”

सामाजिक और राजनीतिक ज्ञान रखने पर भी इस्तीफा देने का काम सहज में नहीं हो जाता । बीस साल की नौकरी को एक दम ठुकरा देना बहुत बड़ी बात है । प्रेमचन्द के मन में चिरकाल से मवाद पक रहा था । “सोजे-वतन” की प्रतियाँ जलाई गईं, उनकी कलम पर पाबंदियाँ लगाई गईं, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि इस राज-सत्ता में साहित्य स्वतंत्र नहीं है । इसे स्वतंत्र कराने के लिये परिवर्तन की आवश्यकता है । यही कारण है कि वह सरकारी मुलाजिम होते हुए भी अंग्रेजों को कभी पसंद नहीं करते थे । एक बार मुंशी दयानारायण निगम ने अपनी लड़की के विवाह पर दी गई दावत में अन्य मित्रों के साथ कुछ अंग्रेज अफसरों को भी निमंत्रित किया । प्रेमचन्द को यह बात बुरी लगी, और उन्होंने एक पत्र में साफ लिखा कि:—

“आपने अंग्रेजों को नाहक मदअऊ किया (बुल्लाय़ा) । वे उसे दोस्ती नहीं ठुकराएँ तबके (शासकों) की खुशामद समझते हैं ।”

खुशामद से उन्हें चिढ़ थी । नौकरी का आधार ही खुशामद है । इस लिये प्रेमचन्द नौकर होते हुए भी नौकरी से घृणा करते थे । दयानारायण निगम के नाम बस्ती से एक पत्र में लिखा था—

“मैं जो आजिज़ (तंग) हूँ, वह मातहतती से काम ऐसा करना चाहता हूँ, जिसमें बजुज़ (सिवाय) मेरी तबियत के और किसी का तकाज़ा न हो । जी में आवे तो दिन-रात काम करता रहूँ, जी चाहे तो छोड़ दूँ; और जी में आवे तो फौरन करूँ । मगर वह सिर्फ़ मालिकाना हैसियत से हो सकता है ।”

मवाद पकता रहा, और चेतना-विकास के साथ व्यक्तिगत घृणा, सामुहिक-विद्रोह की भावना में परिवर्तित होती रही। अन्ततोगत्वा इसी घृणा ने इस्तीफे का रूप धारण कर लिया। इस्तीफे के शब्द जाने क्या थे; लेकिन उनकी कहानी "लाल-फीता" के नायक हरि बिलास ने भी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया था। उसके इस्तीफे के शब्द ये हैं।

"श्रीमान् जी ! मेरा विश्वास है कि राजनीतिक व्यवस्था ईश्वरी इच्छा का प्रत्यक्षरूप है, और उसके कानून भी दया, सत्य और न्याय पर कायम हैं। मैंने पन्द्रह साल तक सरकार की सेवा की और अपने सामर्थ्यानुसार अपने कर्तव्य का दायनतदारी से पालन किया। सम्भव है कि किसी समय अफसर मुझ से खुश न रहे हों, क्योंकि मैंने व्यक्तिगत आदेशों को कभी अपना कर्तव्य नहीं समझा। जब कभी कानून और अफसर के हुक्म में विरोध हुआ, मैंने कानून का पथ ग्रहण किया। मैं सदा सरकारी नौकरी को देश-सेवा का माध्यम समझता रहा; लेकिन सरकुलर नं०... में जो आदेश दिये गये हैं, वे मेरी आत्मा और असूल के विरुद्ध हैं और मेरे विचार में उनमें असत्य का इतना दखल है कि मैं उनका पालन करने में असमर्थ हूँ। वे आदेश प्रजा की स्वतंत्रता के शत्रु और उसकी राजनीतिक जापति के घातक हैं।

इस स्थिति में सरकार से सम्बन्ध स्थापित रखना देश और राष्ट्र के लिये हानिकर है। अन्य अधिकारों के अतिरिक्त प्रजा को राजनीतिक संघर्ष का अधिकार भी प्राप्त है, और चूंकि सरकार इस अधिकार को कुचलने में तत्पर है, इसलिये मैं हिंदुस्तानी होने के नाते यह सेवा पालन करने में असमर्थ हूँ। और प्रार्थना करता हूँ कि मुझे शीघ्र अति शीघ्र इस पद से मुक्त किया जाये।" (उर्दू से अनुवाद)

यह कहानी जुलाई सन् १९२१ में 'जमाना' उर्दू में प्रकाशित हुई थी। जिस का मतलब है कि थोड़े से रद्दो-बदल के साथ ये प्रेमचन्द के अपने इस्तीफे के शब्द हैं।

प्रेमचन्द सर्वप्रिय मास्टर थे। इस्तीफे के बाद स्कूल छोड़ने का दृश्य "प्रेरणा" कहानी में इस प्रकार चित्रित किया है :—

"लड़कों ने मुझे बिदाई की दावत दी और सब-के-सब मुझे स्टेशन पर पहुँचाने आये। उस समय सभी लड़के आंखों में आँसू भरे हुए थे। मैं भी अपने आँसुओं को न रोक सका।... गाड़ी मन्द गति से चली। लड़के कई कदम तक उसके साथ दौड़े। मैं खिड़की के बाहर सिर निकाले खड़ा था। कुछ देर तक मुझे उनके हिलते हुए रूमाल नज़र आये।"

इस सम्बन्ध में शिवरानी देवी लिखती हैं, कि इस्तीफा दाखिल करने से पहले प्रेमचन्द दो रात तक सोये नहीं; वे खुद भी नहीं सोईं । सोचते रहे, आखिर उन्हें बहुत बड़ा फैसला करना था । पुराने जीवन से नाता तोड़कर नया-पथ ग्रहण करना था । उन्हें असमंजस में पड़े देख कर शिवरानी देवी ने कहा :—“जब इरादा नेक है तो उस पर अमल करने में ढील क्यों ? जो सोचा है कर डालो ।”

: ११ :

घर में

‘घर’ कितनी ही पवित्र, कोमल और मनोहर स्मृतियों को जागृत कर देता है। घर प्रीत का क्रीड़ा-कुंज है। प्रेम ने कड़ी तपस्या करके यह वरदान पाया है।” —प्रेमचन्द

घर इतना परिचित शब्द है कि इसके बारे में कुछ सोचने और कोई परिभाषा ढूँढने की जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन जब से प्रेमचन्द की माँ मर गई थी, तब से घर उनके लिये घर नहीं रह गया था। इसलिये उन्होंने घर की बाबत बहुत कुछ सोचा था। घर से सम्बन्धित उमंगों और अरमानों को उन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों में बार-बार व्यक्त किया है। “कर्म-भूमि” में घर की व्याख्या इस प्रकार की है :—

“जहाँ अपने विचारों का राज हो, वही अपना घर है। जो अपने विचारों को मानते हों, वही अपने सगे हैं।”

बच्चे के भी विचार होते हैं। माँ उनसे सहानुभूति रखती है, उनसे दिल-चस्पी रखती है और उसके तकाजों को पूरा करती है। यह उसका स्नेह और ममता है। सौतेली माँ से यह ममता नहीं मिली। इसलिये प्रेमचन्द ने कहा :—

“माँ तो अपनी हो, सोलहों आने अपनी। कोई दूसरी औरत उसका स्थान नहीं ले सकती।”

सौतेली माँ को प्रेमचन्द से कोई अनुराग नहीं था। वह उन पर और उनकी पत्नी पर शासन करती थी और एक दूसरे की चुगलियाँ करके आपस में लड़ाती रहती थी। दूसरा विवाह हो जाने के उपरान्त पहली पत्नी का जिक्र करते हुए प्रेमचन्द ने शिवरानी देवी से कहा था कि अगर “चाची न होती”, तो शायद हम दोनों को आपस में निभ जाती।”

चाची ही के कारण आठ साल तक प्रेमचन्द की शिवरानी देवी से भी नहीं बनी। इस घर में उनका कोई आदर सम्मान नहीं हुआ। कायस्थ बिरा-

दरी के रिवाज के अनुसार वह चाची से पर्दा करती थीं और दब कर रहती थीं। जब चाची के रहते प्रेमचन्द ही इस घर को अपना घर न समझते थे, तो शिवरानी देवी कैसे समझतीं ? उन्हें यह घर काटने को आता था। प्रेमचन्द तो फिर भी पुरुष थे, काफी समय तक घर से बाहर रहते थे। मित्रों से हँस-खेल सकते थे, जी बहला सकते थे। पर्दे वाली औरत के लिये घर ही सब कुछ था और उसे यहाँ कुढ़ना पड़ता था। इसलिये वे साल में दस महीने पिता के घर और केवल दो महीने पति के घर रहा करती थीं। शिवरानी देवी की माँ भी बचपन ही में मर गई थीं। घर पर पिता थे और एक छोटा भाई था, जिसे बहन ने माँ की भाँति पाला था और घर में उन्हीं का राज था; इसलिये वहाँ खूब गुजरती थी।

लेकिन यह बात प्रेमचन्द को पसन्द नहीं थी। दूसरा विवाह इसलिये किया था कि अपना घर बनेगा; लेकिन पत्नी लाकर भी आठ वर्ष बिना घर के बीत गये। पति-पत्नी दोनों चाची के आश्रित थे। जिसके व्यवहार में कुछ अधिक अन्तर नहीं आया था। कमाने वाले प्रेमचन्द थे, लेकिन चाची के लिये बेटा और भाई ही अपने थे; प्रेमचन्द बेगाने थे। अगर अपने थे तो केवल इतने ही कि कमाकर देते थे।

यह बात शिवरानी देवी को भी पसन्द नहीं। लेकिन जब कमाने वाला स्वयं कुछ नहीं बोलता, अपने घर में बेगाना होकर रहता है, तो वह बोलने वाली कौन होती है ? जब बुलावा आता था, वह चुपके से पिता के घर चली जाती थीं। लेकिन एक बार जब पिता ने उन्हें बुलाया तो प्रेमचन्द ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। इस पर शिवरानी देवी बहुत झुल्लाई और दोनों में अच्छा-खासा झगड़ा हो गया। प्रेमचन्द भी झुल्लाये और शिवरानी देवी को दो चपत लगाकर बाहर चले गये। शाम को लौटे, तो मनाने लगे :—

“इस प्रकार क्यों झुल्लाती हो ?”

“मैं झुल्लाऊँ क्यों ?”

“कैसे कहूँ कि तुम झुल्लाई नहीं हो ? न किसी से बोलना, न किसी से कुछ कहना-सुनना।”

“सजा ही देने के लिये तो आपने मुझे अपने घर जाने नहीं दिया। कैदी कैसे सुखी रह सकता है।”

“यह तुम्हारी भूल है, मैंने तुम्हें तकलीफ देने की नीयत से नहीं, बल्कि मैं तुम्हें जाने देना नहीं चाहता। सच कहता हूँ, तुम घर चली जाती हो तो मुझे अच्छा मालूम नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने घर आराम से

रहो। आखिर यह घर तुम्हारा क्यों न बने ?”

“मुझे क्या पड़ी है कि दूसरे के घर में घर वाली बगूँ ।”

“तो घर कैसे चलेगा, मेरी समझ में नहीं आता।”

“जैसा चल रहा है, ठीक है। मैं इस बच्चा को पालना नहीं चाहती। फिर चाची आपको काफी प्यार करती हैं। मेरी बात छोड़िये। मैं जिस हालत में हूँ, उस हालत में रह लूँगी। मैं भी मस्त जीव हूँ।”

“हाँ, इसी में मस्त रहती हो कि आनन्द से जाकर बैठती हो, जिसको तुम प्यार समझती हो, वह प्यार नहीं है। मां की मुहब्बत निस्वार्थ होती है, जब वही मुझे नसीब न हुई, तो उसके पीछे मैं कहाँ तक पहुँ ।”

“ये शब्द कहते-कहते उनकी आँखों में आँसू उमड़ आये उस रोज से मुझे उन पर दया आने लगी, उसी दिन से मैं उनमें मिलना चाहने लगी।”
(प्रेमचन्द घर में, शिवरानी देवी)

अब घर पति-पत्नी की सलाह से चलने लगा। शिवरानी देवी ने पति की बात मान ली और चाची से पर्दा उठाकर मालकिन बनने लगी और थोड़े ही दिनों में न सिर्फ अपने लिये बल्कि प्रेमचंद के लिये भी उस घर में जगह बना ली। चाची की चख चख और जोड़-तोड़ उसके बाद भी जारी रही; लेकिन शिवरानी देवी के सामने उनकी एक न चलती थी। पत्नी के इस साहस की प्रशंसा करते हुए प्रेमचंद ने कहा—

“अगर पहले से तुम्हारे साथ मेरा विवाह होता तो मेरा जीवन इससे आगे होता।”

प्रेमचंद के जीवन को आगे बढ़ाने में शिवरानी देवी का वाकई बहुत हाथ रहा है। जब कभी उन्होंने कोई महत्वपूर्ण कार्य करने का निश्चय किया तो शिवरानी देवी ने उनकी हिम्मत बढ़ाई। इस्तीफा देने से पहले वह कई दिन तक सोचते रहे। उन्हें दो रात नींद नहीं आई। सोचते थे, बच्चे हैं, बीबी है, खुद बीमार रहते हैं, गुजारा कैसे चलेगा ? उस समय अंतिम निर्णय शिवरानी देवी ने किया था—

“आप गुजारे की चिंता न करें, वह चलता ही रहता है। अगर देश कुर्बानी चाहता है, तो उसे देने में दरेग नहीं करना चाहिये।”

एक बार अलवर के राजा ने अपने पांच छः आदमी एक चिट्ठी देकर प्रेमचंद के पास भेजे। राजा साहब को कहानियां और उपन्यास पढ़ने का शौक था। उन्होंने प्रेमचंद को अपने पास रहने के लिये बुलाया था और लिखा था कि चार सौ रुपये मासिक वेतन, बंगला और मोटर मिलेगी। उन्होंने राजा को

तो लिख भेजा कि मुझे मुआफ़ रखिये, इतना क्या कम है कि आप मेरी कहानियां और उपन्यास पढ़ लेते हैं। लेकिन घर जाकर शिवरानी देवी से भूठ-भूठ सलाह मशविरा करने लगे और बोले—

“मेरी इच्छा है कि चल्, कुछ दिन बंगले मोटर का शौक तो पूरा कर लूँ। मेरी कमाई में इसकी शुंजाइश नहीं।”

शिवरानी देवी ने चट जवाब दिया:—

“यह इसी तरह हुआ, जिस तरह कोई वेश्या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिये चक्रले में बैठे। फिर जिसने मजदूरी करना अपना उद्देश्य बना लिया हो, उसके लिये मोटर बंगले की इच्छा कैसी !”

प्रेमचंद की “प्रेरणा” कहानी का नायक कहता है—

“माता के प्रसाद और आशीर्वाद से बड़े-बड़े महान् पुरुष कृतार्थ हो गये हैं। मैं जो कुछ हुआ, पत्नी के प्रसाद और आशीर्वाद से हुआ; वह मेरे भाग्य की विधात्री थी। कितना अलौकिक त्याग था, कितना विशाल धैर्य !”

आदमी को वातावरण और परिस्थितियां बनाती हैं और उसमें व्यक्तियों का भी बड़ा हाथ होता है। पता चलना है कि प्रेमचन्द और शिवरानी देवी ने एक दूसरे के विकास में बहुत-कुछ सहायता की। शिवरानी देवी का जब विवाह हुआ, तो वह मामूली हिन्दी—बिलकुल नहीं के बराबर जानती थी। प्रेमचन्द के सहवास में पढ़ने-लिखने और अध्ययन करने की प्रेरणा मिली और वह खुद भी कहानियां लिखनें लगीं। प्रेमचन्द जब कोई अखबार या किताब पढ़ते थे तो अंग्रेजी से अनुवाद करके उन्हें नुनाया करते थे। उनके साथ समाज और राजनीति की गम्भीर समस्यायां पर घंटों बहस किया करते थे। जो लोग औरतों को महज मूर्ख समझते हैं, और उन पर अपनी ‘श्रेष्ठता’ लादते हैं और अपने इस व्यवहार से घर को ‘तू-तू मैं-मैं’ का अखाड़ा बना लेते हैं, प्रेमचन्द ने अपनी कहानी ‘खुचड़’ और ‘गृह-नीति’ आदि में ऐसे आदमियों की खूब खिल्ली उड़ाई है।

उनके तीन बच्चे हैं—एक लड़की और दो लड़के। लड़की का नाम कमला है। वह महुवा में उत्पन्न हुई थी और अगस्त सन् १९१८ में जब वह बस्ती से तब्दील होकर गोरखपुर गये, तो उस दिन उनका बड़ा लड़का श्रीपतराय (धन्नु) उत्पन्न हुआ। वहीं एक लड़का मन्नु नामी उत्पन्न हुआ था, जो जुलाई सन् १९२० में मर गया। प्रेमचन्द को इस बच्चे के मरजाने का बड़ा रंज हुआ लेकिन पत्नी पर प्रकट नहीं होने दिया। वह खुद उन्हें तसल्ली देते रहे। इसके उपरान्त अगस्त सन् १९२२ में उनका छोटा लड़का अमृतराय (बन्नु) उत्पन्न हुआ।

वे अपने बच्चों से प्रसीम प्यार करते थे और दोनों लड़कों को धन्नु-बन्नु कहकर पुकारते थे। दफतर से लौटकर घंटा भर बच्चों के साथ खेला करते थे। कहते थे कि इससे थकान दूर होती है, रूढ़ में ताजगी आजाती है। फिर काम पर बैठ जाते थे। जब गांव में थे तो शाम को दरवाजे के बाहर बच्चों के साथ खेला करते थे और खुद उन्हें तरह-तरह के खेल सिखाते थे। यही कारण है कि उन्होंने अपनी रचनाओं में बच्चों का उल्लेख बड़े ही प्रेम और स्नेह से किया है। “भूत” कहानी में लिखते हैं:—

“चौबेजी के सुख-चन्द्र में केवल एक ही कला को कमी थी। उनके कोई कन्या न थी। पहले एक कन्या के बाद फिर कन्या हुई ही नहीं, और न अब होने की आशा ही थी। स्त्री और पुरुष, दोनों उस कन्या को याद करके रोया करते थे। लड़कियां बचपन में लड़कों से ज्यादा चोचले करती हैं। उन चोचलों के लिये दोनों प्राणी विकल रहते। मां सोचती, लड़की होती, तो उसके लिये गहने बनवाती, उसके बाल गूंधती। लड़की पैजनियां पहने ठुमक-ठुमक आंगन में चलती तो कितना आनंद आता! सोचते कन्यादान के सिवा मोक्ष कैसे होगा! कन्यादान महादान है। जिसने यह दान न दिया, उसका जन्म ही वृथा गया!

आखिर यह लालसा इतनी प्रबल हुई कि मंगला ने अपनी छोटी बहन को बुला कर कन्या की भौंति पालने का निश्चय किया। उसके मां-बाप निर्धन थे। राजी हो गये। यह शालिका मंगला की सौतेली मां की कन्या थी। बड़ी सुन्दर और बड़ी चंचल थी। नाम था बिन्नी। चौबे जी का घर उसके आने से खिल उठा। दो-चार ही दिन में लड़की अपने मां-बाप को भूल गई। उसकी उम्र तो केवल चार वर्ष की थी; पर उसे खेलने की उपेक्षा काम करना अच्छा लगता था। मंगला रसोई बनाने जाती, तो बन्नी भी उसके पीछे-पीछे जाती, उससे आटा गूंधने के लिये फगड़ा करती। तरकारी काटने में उसे बड़ा मज़ा आता था। जब तक वकील साहब घर पर रहते तब तक वह उनके साथ दीवान खाने में बैठी रहती। कभी कितारें उलटती, कभी दावात-कलम से खेलती। चौबे जी मुस्कराकर कहते—बेटी, मार खाओगी? बिन्नी कहती—तुम मार खाओगी; मैं तुम्हारे कान काट लूंगी जू जू को बुला कर पकड़ा दूंगी। इस पर दीवान खाने में खूब कहकहे उड़ते....”

“मांगे की घड़ी” का नायक जब दानू से घड़ी मांगने जाता है, तो वह उन्हें प्रसन्न करने के लिये, उनके छोटे बच्चे को, जो सामने आंगन में खेल रहा था, उठा कर लगा भींच-भींचकर प्यार करने। दानू बोले—

“खेलने दो दुष्ट को, तुम्हारा कुरता मैला हुआ जाता है। मैं तो इसे कभी छूता भी नहीं।”

मैंने कृत्रिम तिरस्कार का भाव दिखा कर कहा—मेरा कुरता मैला हो रहा है न, आप उसकी क्यों फिक्र करते हैं। वाह! ऐसा फूलसा बालक और उसकी यह कदर! तुम—जैसों को तो ईश्वर नाहक संतान देता है। तुम्हें भारी मालूम होता हो, तो लाओ मुझे दे दो।”

यह कह कर मैंने बालक को कन्धे पर बैठा लिया और सेहन में कोई पन्द्रह मिनट तक उचकता फिरा। बालक खिल खिलाता था और मुझे दम न लेने देता था। मालूम नहीं इस सवारी का पहले भी कभी आनन्द प्राप्त हुआ या नहीं; मगर था वह बहुत खुश।”

“कर्म भूमि” में जहाँ कुँवारे डाक्टर शांति कुमार अमरकान्त के बच्चे को गोद में लेकर प्यार करते हैं, वह दृश्य कितना सजीव और मर्मस्पर्शी है। लिखते हैं:—

“शांति कुमार ने बालक को छाती से लगा लिया। उस गर्म और गुद्-गुदे स्पर्श में उनकी आत्मा ने जिस परितृप्ति और माधुर्य का अनुभव किया, वह उनके जीवन में बिलकुल नया था। अमर कान्त में उन्हें जितना स्नेह था, वह जैसे इस छोटे-से रूप में सिमट कर और ठोस और भारी हो गया था। ‘‘आज उन्हें स्वयं अपने जीवन में एक अभाव, एक रिक्तता का आभास हुआ। जिन कामनाओं का वह अपने विचार में सम्पूर्णतः दमन कर चुके थे, वह राख में छिपी हुई चिनगारियों की भाँति सजीव हो गईं।

लालू ने हाथों की स्याही शांति कुमार के मुख में पोत कर नीचे उतरने के लिये आग्रह किया, मानो इसीलिये वह उनकी गोद में गया था। नैना ने हँसकर कहा—“ज़रा अपना मुँह तो देखिए, डाक्टर साहब! इस महान् पुरुष ने आपके साथ होली खेल डाली, बड़ा बदमाश है।”

“सुखदा भी हँसी रोक न सकी। शांति कुमार ने शीशे में मुँह देखा तो, वह भी ज़ोर से हँसे। वह कलंक का टीका उन्हें इस समय यश के तिलक से भी कहीं उत्सास-मय जान पड़ा।”

उनका स्नेह बच्चों से खेलने-खिलाने तक ही सीमित नहीं था। वे माँ से अधिक बच्चों की परवरिश करते थे। पत्नी के जब दूसरा बच्चा हुआ, तो वह पहले बच्चे को साथ लेकर सोते थे और जब शिवरानी देवी तीन बच्चों की माँ बन गई; तो वे दो बच्चों को अपने साथ सुलाते। बच्चे सोते में पेशाब कर ही देते हैं, वे रात को दो बार उठकर उनका विछावन बदल देते तथा

अपने भीगे हुए कपड़े तब्दील करते थे और सो जाते थे ।

घर में बीमारियां लगी ही रहती हैं । प्रेमचन्द स्वयं पेट के रोग के कारण अकसर बीमार रहते थे; लेकिन उन्हें अपनी अपेक्षा घर के दूसरे लोगों की चिन्ता अधिक रहती थी । कोई बच्चा बीमार पड़ जाता था, तो उसे कंधे से लगाकर सारी सारी रात घूमते रहते थे । इस ख्याल में कि कहीं ज्यादा मेहनत करने से शिवरानी देवी बीमार न पड़ जायें, वे हर एक काम में उनका हाथ बटाते थे और जब कभी वे बीमार पड़ जाती थीं, तो सारा काम स्वयं करते थे । रोटी तक अपने हाथ से बनाते, और बरतन माँजते थे । जब मास्टर थे, तो घर में नौकर भी रहता था लेकिन वे अपना कोई भी निजी काम उससे नहीं कराते थे । उसे डाटने-डपटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था । पत्नी से कहा करते थे कि नौकर भी घर का एक व्यक्ति है । एक बार नौकर ने उन्हें ऐसा धोखा दिया कि एक हजार रुपये नकद और डेढ़ हजार रुपये के जेवर निकाल कर ले गया । उन्होंने थाने में रपट तक नहीं लिखवाई । पत्नी से कह दिया—

“उसे जरूरत थी, ले गया । ले जाने दो । हमारा काम भी चलता ही रहेगा ।”

चाची का स्वभाव चूँकि कटु था । वहन की चाची से विलकुल नहीं बनती थी । इसलिये जब से वह व्याही गई थी, प्रेमचन्द ने उसे अपने घर नहीं बुलाया था । शिवरानी देवी ने कई बार बुलाने के लिये आग्रह भी किया । बुलाने की इच्छा उनके अपने मन में भी थी; लेकिन चाची के ख्याल से चुप रहते थे । जानते थे कि वहन का अपना घर तो है किसी-न-किसी तरह वहाँ रह लेगी । उसे मालूम ही तो है कि मां नहीं है, भाई का जोर नहीं चलता । अगर बुलायेंगे, तो चाची को कष्ट होगा; अगर वह कष्ट से बचकर जाना चाहे, तो कहाँ जायेगी ? उसका दूसरा कौन है ? यह सोचकर मन को समझा लेते थे ।

लेकिन जब चाची का बेटा स्वयं कमाने लगा और वह उसके साथ अलग रहने लगी, तो उन्होंने वहन को बुलाकर अपने मन की साध पूरी की । लेकिन उसके पश्चात् वह ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रही । उसकी तीन बेटियाँ थीं । प्रेमचन्द जो सलूक वहन से न कर सके, उनसे करते रहे वह उन्हें अकसर अपने घर बुलाया करते थे ।

प्रेमचन्द को गाने का भी शौक था । शिवरानीदेवी कहती हैं कि जब मैं व्याही आई, तो मुझे गाना नहीं आता था । मैंने उनसे गाना सीखा । होली;

दिवाली कोई तहवार आता, बच्चों को साथ लेकर खूब ठाठ से मनाते थे। ऐसे अवसरों पर पति-पत्नी दोनों ही मिलकर गाया करते थे। प्रेमचन्द सबको उनके मनमाने उपहार दिया करते थे।

छोटे, बड़े, बच्चे, बूढ़े उन्हें हरएक का ध्यान रहता था। जो अपने थे, उन्हें हमेशा अपना बनाकर रखा। चाची का स्वभाव सारी उम्र नहीं बदला; लेकिन वह प्राणपन से उसकी और उसके बेटे की परवरिश करते रहे। चाचा जितने दिन जिये, उन्हें प्रेमचन्द पिता के सदृश मानते रहे। चचेरे भाई पुराने ढब के आदमी थे। शिवरानीदेवी तक को डांट देते थे। प्रेमचन्द को यह पसंद नहीं था कि कोई आदमी औरतों को डाँटे; लेकिन वह भाई की आदत को समझते हुए चुप रहते थे। यह सहृदयता और शिष्टाचार उनकी कहानियों और उपन्यासा का जान ह। वह जानते थे कि जो आदतें पक जाती हैं, उन्हें बदलने का यत्न करना व्यर्थ है। वह बड़ों के हानि रहित विश्वासों और रूढ़ियों को भी सहन कर लेते थे।

लेकिन बच्चों का ज़रा भी कुपथ पर जाना उन्हें खलता था। अपने बच्चों की मामूली-मामूली बातों का बड़ा ध्यान रखते थे। एक बार घन्नु और बन्नू घर से विदा होकर इलाहाबाद जा रहे थे। वे दोनों कालेज में पढ़ते थे। बन्नू ने तो बड़े आदर के साथ माता-पिता को प्रणाम किया। लेकिन घन्नु वैसे ही चल पड़ा। प्रेमचन्द को उसका यह रवैया अच्छा नहीं लगा। मगर शिवरानी ने कहा कोई बात नहीं, बच्चा है, बड़ा होकर आप सुधर जायेगा। इससे प्रेमचन्द की तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने बड़े दुःख के साथ भविष्य वाणी की—

“इस लड़के का चलन कुछ अच्छा नहीं। मुझे डर है कि वह स्वार्थी और दम्भी बनेगा।”

इसके विपरीत दूसरी घटना है। एक बार उनकी कहारिन का लड़का आग से जल गया था। उसके सारे शरीर पर मरहम का लेप था। उसके कपड़े भी गंदे थे। छोटे लड़के बन्नू ने उसे कहीं बाहर खड़ा देख लिया। वह उसे उठा कर ऊपर लाया और मां से कहा कि उसे कुछ खाने को दो। प्रेमचन्द इस बात से बहुत खुश हुए, और बोले—

“यह लड़का बहुत ही दयावान् मालूम होता है। इस बच्चे को तो मैं भी न खा सकता। तुम देखना, तुम्हारा नाम यह रोशन करेगा।”

वे खुद अपने बच्चों को पढ़ाया करते थे। ट्यूटर रखना उन्हें पसंद नहीं था क्योंकि जो कुछ वे खुद पढ़ा सकते थे, ट्यूटर कहां पढ़ा सकता था। सिर्फ पुस्तकें पढ़ा देना तो यथेष्ट नहीं था। वह उन्हें आदमी बनाना चाहते

थे। इसलिये हर रोज दो तीन घंटे उन्हें पढ़ाया करते थे।

पढ़ाते जरूर थे लेकिन बच्चों को डांटना-डपटना और उपदेशक बनना उन्हें कतई गवारा नहीं था। 'शिकवा-शिकायत' कहानी पत्नी के मुख से कहलाई गई है। पति का चरित्र बहुत ही सरल और मनोहर है। ऐसा जान पड़ता है कि शिवरानी देवी ने खुद प्रेमचन्द की कहानी बयान कर दी है। उसमें बच्चों के बारे में पति के व्यवहार का उल्लेख यों आता है—

“आपने एक नई उपज निकाली है, कि डांट-डपट से लड़के बिगड़ जाते हैं। इसी का नतीजा है कि लड़के बे-मुहारे हो गये हैं.....कभी गुल्लकी डंडा है, कभी गोलियां। महाशय आप भी उन्हीं के साथ खेलते हैं।”

जब दोनों लड़के इलाहाबाद में पढ़ते थे, तो उन्हें यह चिंता रहती थी कि कहीं धन्नू, बन्नू पर हकूमत न करता हो। शिवरानी कहतीं कि क्या बुरा है? वह उसका बड़ा भाई भी तो है। लेकिन प्रेमचन्द जवाब देते, तुम नहीं जानतीं; इससे बच्चों में हीनता के भाव उत्पन्न हो जाते हैं और वे अपने पिता पर कुढ़ते हैं। प्रेम की हकूमत तो कुछ बुरी नहीं, लेकिन कालेज में जाते ही लड़के स्वेच्छाचारी हो जाते हैं। मैं उन्हें आजाद रखना चाहता हूँ।”

इस लिये वह दोनों लड़कों को अलग-अलग पत्र लिखते थे, और पत्नी को भी दोनों को अलग-अलग लिखने का आग्रह करते थे।

शिवरानी कहतीं:—“तो क्या इससे हकूमत का रुफान कुछ रुक जायगा ?”

प्रेमचन्द—“क्यों नहीं रुकेगा ! वह उसे कष्ट देगा, तो वह मुझे लिखेगा मैं पूछूँगा।”

शिवरानी—“बहुत से पिता तो अपनी जिम्मेदारी छोड़ बैठते हैं।”

प्रेमचन्द—“वे नालायक हैं। लायक पिता कब अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालेगा; अगर उसमें जिम्मेदारी उठाने की ताकत न हो, तो किसी को दुनिया में लाने की क्या जरूरत है ?”

शिवरानी—“दुनिया में आदमियों का आना कब रुकता है।”

“तो फिर दुनिया में ऐसे नालायकों की कमी भी नहीं। सब कुछ इन्सान करता है इज्जत के लिये। जब अपने ही घर में इज्जत न हो, तो क्या ? मुझे ऐसे बापों से कोई सहानुभूति नहीं, जो अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालते हैं।”

(प्रेमचन्द घर में)

इसके अलावा और कितनी जिम्मेदारियाँ थीं। स्कूल में नौकरी करते थे। परीक्षा पास करने के लिये पढ़ते थे। लिखने के लिये अध्ययन करते थे और

फिर कहानियां, उपन्यास और लेख लिखते थे। अपनी कार्य सूचि का उल्लेख उन्होंने “लेखक” कहानी में किया है। उन्होंने जो कुछ अपनी इस कहानी में लिखा है, शिवरानी देवी अपनी पुस्तक में हमें वही कुछ बताती हैं।

वे सुबह पाँच बजे उठ बैठते थे। जो कुछ मिलता था, खा-पीकर लिखने बैठ जाते थे। कलम हथौड़े की तरह चलता था। वे अपने आपको लेखक नहीं, मजदूर समझते थे और जी तोड़ कर मेहनत करते थे। आराम करने की हविस उन्हें नहीं थी। नौ बजे तक लिखते रहते। फिर उठ कर तैयार होते और खाना खाकर स्कूल चले जाते। तीन-चार बजे लौट कर आते। घंटा-डेढ़ घंटा बच्चों से जी बहलाते। फिर दैनिक पत्र “लीडर” पढ़ते और शाम को भोजन के उपरान्त रात गये तक पढ़ते रहते।

जिस दिन किसी कारण से लिखना पढ़ना नहीं होता था, प्रेमचंद समझते थे कि वह दिन व्यर्थ गया। इसलिये अकसर बीमारी की हालत में भी लिखना-पढ़ना नहीं छोड़ते थे। लेखक कहानी में लिखते हैं—

“महाशय प्रवीण फिर लिखने लगे। जवानी ही में उन्हें यह रोग लग गया था और आज बीस साल से वह उसे पाले हुए थे। इस रोग में देह घुल गयी, स्वास्थ्य घुल गया और चालीस की अवस्था में बुढ़ापे ने आ घेरा। पर, यह रोग असाध्य था। सूर्योदय से आधी रात तक यह साहित्य का उपासक अंतर्जगत में डूबा हुआ, समस्त संसार से मुँह मोड़े, हृदय के पुष्प और वैद्य चढ़ाता रहता था किन्तु भारत में सरस्वती की उपासना लक्ष्मी का तिरस्कार है। मत तो एक ही था। दोनों देवियों को एक साथ कैसे प्रसन्न करता ?”

आगे वे कहते हैं—

“साहित्य-सेवा और स्थूलता में विरोध है। अगर कोई साहित्य-सेवी मोटा-ताजा डबल आदमी है तो समझलो, उसमें माथुर्य नहीं, लोच नहीं, हृदय नहीं। दीपक का काम है जलना; दीपक वही लबा-लब भरा होगा जो जला नहीं।”

: १३ :

प्रकाशक

“रानी यह हिन्दुस्तान है इसमें कलम के सहारे जीना
मुश्किल है।”
—प्रमचन्द

स्तीफा देने के बाद प्रेमचन्द को रोजगार की चिन्ता हुई। पहले पोद्दार जी के साथ साभे में चर्खे की दुकान खुलवाई, जिसमें मनवाञ्छित सफलता न हुई। मार्च सन् १९२२ में वे बनारस चले गए और परिस्थितियों से विवश होकर करघों का काम शुरू करना चाहते थे। इस बारे में जब मुन्शी दयानारायण निगम ने यह सलाह दी कि हमारी यह लाइन नहीं है, तो प्रेमचन्द ने उन्हें उत्तर में लिखा :—

“आप फरमाते हैं, तुम्हारी यह लाइन नहीं है। मैं तसलीम (स्वोकार) करता हूँ। मगर चारा क्या है? मैं कुर्बानी को अपनी जात तक रखना चाहता हूँ। अयाल (बाल-बच्चों) को इस चक्की में पीसना नहीं चाहता। फिलहाल रोटियाँ मिल जाती हैं, कुछ लिट्टेरी काम कर लेता हूँ। यह कुर्बानी है। खुदा और दुनियावर्दी, कौम और जात दोनों को साथ लिये हूँ। मैं लिट्टेरी काम को थोड़ी कुर्बानी नहीं समझता। जो शख्स अपनी फालतू आमदनी का एक हिस्सा किसी मदरसे के लिये खैरात कर देता है, वह हमारी कुर्बानी का सही अन्दाज़ा नहीं कर सकता, जो अपने लिये सोना तक हराम कर लेती है। आपने मेरे लिये कोई ऐसी तजवीज नहीं निकाली, जिससे क्रिके-मुआश (रोटी की चिन्ता) से आज़ाद होकर मैं जिनदगी काटता। मैं अर्ज़ कर चुका, इससे ज्यादा नफसकुशी (त्याग) मेरे इमकान (सामर्थ्य) से बाहर है। आपने जब कभी कोई तजवीज की वही हवाई-आकाशी-मुआश (जीविका) से मुझे इत्मीनान नहीं होता। ज़रूरत के लिए मुस्तकिल सूरत चाहिये। तकल्लुफात (विलास) के लिए तो आकाशी सूरत हो तो

मुजायका नहीं।.....अखबारी जिन्दगी में किस कद्र फ़िक्र और झंझट हैं... अभी हमारे यहाँ वह ज़माना नहीं आया कि जर्नलिज़्म (पत्रकारिता) को Career (जीविका-साधन) बनाया जा सके।”

प्रेमचन्द से बेहतर लिखने वाला कोई दूसरा लेखक नहीं था, फिर भी उन्हें अपनी रचनाओं की आमदनी नहीं के बराबर होती थी। कहानियाँ लोग मुफ्त छापते थे। किताबें पहले तो छपती ही न थीं, और अगर छप भी जायें, तो एक हजार का संस्करण बरसों में जाकर बिकता था। उर्दू का हाल तो बहुत ही पतला था और अब तक है। “बाज़ारे हुस्न” अर्थात् “सेवा-सदन” उपन्यास उन्होंने उर्दू में लिखा था। प्रकाशित पहले हिन्दी में हुआ। कलकत्ता पुस्तक एजेंसी ने उसके पहले संस्करण के लिए एक मुश्त चार सौ रुपये दिये। प्रेमचन्द को अपने साहित्यिक जीवन में इतनी बड़ी रकम पहली बार मिली थी। यह सन् १९१४ की बात है। इसके उपरान्त इसी प्रकाशन-गृह ने उन्हें “प्रेमाश्रम” के लिए तीन हजार रुपये मुआवजे के रूप में दिये। जिसका कारण स्पष्ट था। “सेवा-सदन” को असाधारण ख्याति प्राप्ति हुई थी। उसे हिन्दी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना गया था। इसी कारण प्रेमचन्द का मुभाव हिन्दी की ओर हुआ। २० अक्टूबर सन् १९१५ को बस्ती से उन्होंने सम्पादक ‘ज़माना’ के नाम एक कार्ड लिखा:—

“ज़माना के लिये एक किस्सा लिखा है। अब मैं हिन्दी में भी लिख रहा हूँ।” “सरस्वती” को एक लेख दिया। “प्रताप”^२ के लिये लिखा। इससे अधिक काम करने से माज़ूर हूँ।”

सन् १९१५ ही में बस्ती से एक पत्र में लिखते हैं:—

“प्रेम पचीसी के हिन्दी तज़ुमा के लिये कई जगह से इसरार (आग्रह) हो रहे हैं। मैं खुद ही इस काम को हाथ में लूँगा। अब हिन्दी लिखने की मशक (अभ्यास) भी कर रहा हूँ। उर्दू में अब गुजर नहीं। मालूम होता है, बाल मुकुन्द गुप्त मरहूम (स्वर्गीय) की तरह मैं भी हिन्दी लिखने में जिन्दगी सर्फ कर दूँगा।”

बनारस से ३१ मार्च सन् १९२६ को एक कार्ड लिखा था:—

“.....ज़माना के लिये कुछ नहीं लिख सका। इसकी मुआफी चाहता हूँ। उर्दू में कोई पुराने हाल (पूछने वाला) तो है ही नहीं। दो नाविलों

१—अलाहाबाद की प्रसिद्ध मासिक पत्रिका।

२—कानपुर का दैनिक पत्र।

के तजुर्मे दारुल-अशाअत पंजाब को दिये । अभी कुछ तय नहीं हुआ । और मुंशी.....साहब मारे तकाजों के नाक में दम किये हैं हालांकि १२०) २० दे चुका हूँ । लेकिन अभी इतना ही और देना है । इन दोनों किताबों की अशाअत (प्रकाशन) पर ही यह खर्चा वसूल होगा ।”

गोया उन्हें अपनी जेब से पैसे खर्च करके पुस्तकें छपवानी पड़ती थीं । “सेवा सदन” प्रकाशित होने के छैः सात साल बाद इसका उर्दू संस्करण “बाज़ारे हुस्न” इसी दारुल-अशाअत पंजाब, लाहौर से प्रकाशित हुआ था । इस सम्बन्ध में सैयद इस्तयाजअली ‘ताज’ को जो पत्र लिखा था, वह नीचे उद्धृत किया जाता है:—

गौरखपुर

२२ अप्रैल १९२०

मुशफिके^१ मन, तसलीम !

नवाजिशनामा मिला । मश्कूर हूँ । “बाज़ारे हुस्न” आप शाअत^२ करें । शरायत के मुताल्लक यह अर्ज है कि आप पहले एडीशन के लिये मुझे २० फी सदी रायल्टी अता फरमायें । पहला एडीशन बारह सौ नगों का होगा गालबन एक रुपया आठ आने की क्रीमत रखी जाये । मुझे २८० जिल्दें^३ मिलेंगी । यह जिल्दें खाह मुझे जिल्दों की सूरत में दे दें या रुपये की सूरत में । रुपये की सूरत में देने से वही कमीशन, जो मैं दूसरे बुकसेलर मसलन ‘रसाला “ज़माना” को दूँगा—आपको वज़आ कर दूँगा । अगर आप इसे पसन्द न फरमायें, तो मुझे जिल्द ही दे दें । किसी तरह बेच या बिकवा लूँगा । अगर इन दोनों सूरतों में से कोई भी पसन्द न हो तो मुझे पहले एडीशन के लिये २२० रुपये अता फरमायें । हिन्दी में मुझे पाँच सौ मिले थे । आप जिस तरह चाहें, फैसला कर लें । २२० रुपये गालबन जरूरत से ज्यादा मुतालिबा नहीं हैं । मेरी डेढ़ साल की मेहनत और खामाफरसाई^४ का नतीज़ा यह किताब है । अगर यह शर्तें सब आपको नागवार मालूम हों, तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किताब शायी करके मुझे जो चाहें दे दें । मैं आपका मश्कूर^५ हूँगा । मुझे यह सख्त जिल्लत मालूम होती है कि अपनी किताब के लिये पब्लिशरों की खुशामद करता फिरूँ ।

“प्रेम बत्तीसी” हिस्सा दोयम का किस्सा “खुने अज़मत” मिल

(१) प्रिय (२) प्रकाशित (३) प्रतियाँ (४) कलम घिसाई (५) कृतज्ञ
(६) दूसरा भाग (७) प्राप्त ।

गया है। पहला हिस्सा अनक्ररीब तैयार है। दूसरा हिस्सा भी जल्द निकले तो बेहतर। मालूम नहीं कागाज़ दस्तियाब हो या नहीं। मेरे पब्लिशर (हिन्दी) कलकत्ता से आपके लिये हर एक किस्म का कागाज़ सुभीते के साथ भेजने पर आमादा हैं। निस्स्र क्रीमत पेशगी दस्तकार होगी। अगर आप इसे मनज़ूर फरमायें, तो कागाज़ का आर्डर वगैरह इस पता पर दे सकते हैं। मेरा हवाला देना जरूरी है।

श्रीयुत महावीरप्रसाद जी

बुकसेलरज एण्ड पब्लिशरज़

हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, १२६ हैरीसन

रोड, कलकत्ता।”

पत्र से स्पष्ट है कि प्रेमचन्द की नज़र से कोई भी बात ओभ्लव नहीं होती थी। हर एक मामले की, चाहे वह कितनी ही मामूली हो, तफ़सील में जाते थे।

“प्रेम बत्तीसी” का दूसरा भाग इसी दारुल-इशाअत से प्रकाशित हुआ था। “प्रेम पच्चीसी” और “प्रेम बत्तीसी” का पहला भाग उन्होंने स्वयं प्रकाशित किया था। इस सम्बन्ध में प्रेम बत्तीसी की भूमिका (दीबाचा) जो उन्होंने खुद लिखी थी, उल्लेखनीय है। लिखते हैं:—

“मेरी कहानियों का पहला मजमूआ (संग्रह) “प्रेम पच्चीसी” कई साल दुए शायया हुआ था। जहाँ तक मुआसर (समकालीन) अखबारों का ताल्लुक है। उन्होंने मेरी नाचीज़ कोशिश की दाद दी। लेकिन शायक़ीन पर इसका बहुत कम असर हुआ। पहला एडीशन खत्म होने में कमो-बेश पाँच साल लग गये। यह कदरदानी बहुत दौसला-अंगेज (साहसप्रद) न थी। लेकिन मुसन्नफ़ (लेखक) को तसनीफ (रचना) के सिवा चारा नहीं। इसलिये यह दूसरा मजमूआ “प्रेम बत्तीसी” के नाम से पब्लिक के सामने पेश करता हूँ। मुमकिन है कि पहले मजमूए की निस्स्रत इसका ज्यादा चर्चा हो, या सारा त्मार दफ़तरे अशाअत (प्रकाशन-गृह) के गोदाम में पड़ा सड़े। मैं अपने फर्ज से सुबकदोश हो चुका। अब सिर्फ इतनी आरज़ू है कि एक मजमूआ प्रेम चालीस या प्रेम पचासा के नाम से और निकल जाये। बस यही जिन्दगी का हासिल (सरवस्व) होगा, और इसी पर क़नाहत (सन्तोष) करूंगा।

इस सुबे में पब्लिशरों का कहत है। इसलिये यह मजमूआ दो हिस्स (भागों) में जुदा-जुदा मुक़ामों से निकलना पड़ा ताकि ज्यादा तबक्कुफ (विलम्ब) न हो, हालाँकि इतनी एहतियात करने पर भी किताबत से

अशाश्रित तक कमो-बेश दो महीने खत्म हो गये ।”

इस सिलसिले में सम्पादक ‘जमाना’ को गोरखपुर से एक खत में लिखा था:—

“क्या हौमला अब्बार नबीसी और लिट्टेरी काम का हो । “प्रेम पच्चीसी हिस्सा अब्बल” को छपे हुए चार साल हुए अभी तक निस्फ पड़ी हुई है । हिस्सा दोयम की मुश्किल से निकली हैं । मैं इससे बेहतर नहीं लिख सकता और बेहतर कामयाब नहीं रखता । आप यह सुनकर खुश होंगे कि मेरे हिन्दी नाविल ने खूब श्रम हासिल की और अकसर नक्कादों (आलोचकों) ने उसे हिन्दी जुवान का बेहतररीन नाविल कहा है । यह “बाज़ारे हुस्न” का तजुर्मा है । “बाज़ारे हुस्न” अब साफ कर रहा हूँ ।”

उन्हीं के नाम २३ अप्रैल सन् १९२७ का खत है—

“मेरा इरादा एक लीथो प्रेस खोलने का है । लोग कहते हैं बनारस में लीथो प्रेस नहीं चल सकता । लेकिन एक बार कोशिश करके देखना चाहता हूँ । मेरी कई किताबें निकलने के लिये तैयार हो रही हैं । “प्रेम पच्चीसी” खत्म हो गई । “गोशाये आफ़ीयत” (प्रेमाश्रम) महल इसलिये नातमाम (अधूरा) है कि कोई पब्लिशर नहीं है । ताजा ड्रामा संग्राम भी उर्दू में निकालना चाहता हूँ । जब तक यह किताबें तैयार होंगी । गालबन मेरा नाविल तैयार हो जायेगा ।”

ये कठिनाइयाँ थीं, जिनसे हमारे देश के लेखकों को अब भी दो-चार होना पड़ता है । अब्बल तो प्रकाशक मिलता नहीं, और अगर मिलता है, तो कोशिश यह होती है कि पुस्तक मुफ्त हाथ लगे । अगर कोई धुन का पक्का लेखक बारह-पन्द्रह प्रतिशत रायल्टी तय कर लेता है, तो वह भी उसे नहीं दी जाती । प्रकाशक लाभ में अपने पत्तीदार बुकसेलरों को तीस-चालीस प्रतिशत कमीशन देता है और बाकी खुद डकारता है । जुल्म होता है बेचारे लेखक पर । यही कुछ प्रेमचन्द के साथ होता था । उर्दू में उनकी अक्सर पुस्तकें लाहौर से प्रकाशित हुई हैं । दारुल अशाश्रित के अलावा वहाँ उनके । दूसरे प्रकाशक भी थे । “ग़वन” “पर्दा-ए-मिजाज” (काया कल्प) और कहानी संग्रह “ख्वाबो-खयाल” उन्हीं के यहाँ से प्रकाशित हुआ है । प्रेमचन्द को दोनों से शिकायत थी । सम्पादक “जमाना” को इस बारे में २५ फरवरी सन् १९३२ के एक खत में लिखा है :—

“पर्दा-मिजाज़ अभी तक पब्लिशर ने नहीं भेजा । कई खत (पत्र)

लिख चुका। न रुपये भेजता है न किताबें, न जवाब देता है। मालूम नहीं बीमार है या क्या? इधर “गबन” का तजुर्मा भी शुरू कर दिया है। एक नया नाविल भी शुरू कर दिया है। मगर सर्दबाजारी बलाए-जान हो रही है। किताबों की काफी बिक्री नहीं.....”

उपेन्द्रनाथ अशक को एक खत में लिखा था—

“बुकसेलरों का तजुर्बा आप से ज्यादा मुझे तलघ्न हुआ है। एक पब्लिशर मेरे डेढ़ सौ रुपये दबाये बैठा है। लाहौर ही में एक दूसरा पब्लिशर मेरे सात सौ रुपये हज्म करना चाहता है। अश्रवारात का यह हाल है, बुकसेलरों का यह। बेचारा मुसन्नफ (लेखक) क्या करे।.....”

किताबें छपने और बिकने के बारे में प्रेमचन्द को यह शिकायत आखिरी उम्र तक रही। कुछ उर्दू की बात नहीं, हिन्दी में भी यही कैफियत थी। उपेन्द्रनाथ अशक ने बनारस कंट से ९ जुलाई सन् १९३६ को लिखा हुआ उनका एक पत्र प्रकाशित किया है :—

“डीयर उपेन्द्रनाथ,

हुआ। तुम ताज्जुब कर रहे होगे कि मैंने तुम्हारे खत का जवाब क्यों नहीं दिया। मैं पन्द्रह दिन से कैदी-ए-बिस्तर (रुग्ण शैया) हो रहा हूँ। हाजमा की शिकायत है, जिगर और मेदा की खराबी। कोई काम नहीं करता। तुम्हारी परेशानियों का किस्सा पढ़कर रंज हुआ। इस महाजनी दौर में पैसे का न होना अज्ञाव (कष्ट) है। जिन्दगी खराब हो जाती है। लेकिन यह भी न भूलना कि गरीबी और मुसीबतों का एक इखलाकी (नैतिक) पहलू भी होता है। इन्हीं आजमायशों में इन्सान इन्सान बनता है। उसमें खुद एतमादी (आत्म-विश्वास) पैदा होती है।

हिन्दी में भी वही कैफियत है, जो उर्दू में। किताब नहीं बिकती। पब्लिशर कोई नई किताब छापते नहीं।.....”

सन् १९३२ में पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी ने तीन प्रश्न पूछ भेज थे। उनमें से एक यह भी था कि अपनी रचनाओं से आपको कितनी आमदनी हुई? प्रेमचन्द उत्तर में लिखते हैं :—

“आमदनी की कुछ न पृच्छिये। समस्त प्रारम्भिक पुस्तकों का प्रकाशन-अधिकार पब्लिशरज को दे दिया। “सेवा सदन”, “प्रमोश्रम”, “सप्त सरोज” और संग्राम के लिये हिन्दी पुस्तक पर्जेसी ने एक मुश्त तीन हजार रुपये दे दिये थे। और निबन्ध के लिये अब तक शायद दो सौ रुपये मिले दुलारेलाल जी ने “रंग भूमि” के अठारह सौ रुपये दिये थे। दूसरे संग्रह के

लिये सौ-दो-सौ रुपये मिल गये होंगे। “काया कल्प” “आज्ञाद कथा” “प्रेम तीर्थ” “प्रेम प्रतिमा” “प्रतिज्ञा” मैंने खुद छापीं। मगर मुश्किल से अभी तक छः सौ रुपये वसूल हुए हैं। रचनाओं से फुटकर आमदनी पच्चीस रुपये महीना हो जाती है; मगर कभी-कभी इतनी भी नहीं। अनुवाद से शायद दो हजार से अधिक नहीं मिला। आठ सौ रुपये में “रंग भूमि” और “प्रेमाश्रम” दोनों के अनुवादों का मामला हो गया। “हंस” और “जागरण” के प्रकाशन में लग-भग दो सौ रुपये महीना का नुकसान हो रहा है।”

प्रकाशकों से उन्हें इस प्रकार दो-चार होना पड़ता था। सूद और मुनाफा पर पलने वाले महाजर्ना समाज से उन्हें जो घृणा थी, इसमें इन पब्लिशरों और मंदे को भी बहुत दखल था। अन्य परिस्थितियों की भांति इस परिस्थिति का प्रतिबिम्ब भी उनकी रचनाओं में खूब मिलता है। गरीब लेखक और पूंजीपति पब्लिशर में जो स्वाभाविक विरोध है “डिमांसट्रेशन” कहानी में उसका बहुत सच्चा चित्रण मिलता है। इसमें जो अतिशयोक्ति और घटना का विस्तार है, वह उनकी रचना-शक्ति का चमत्कार है। वरना यह कहानी निजी अनुभव और निरीक्षण के आधार पर लिखी गई है।

“गुरु प्रसाद को नाटक लिखकर वही आनन्द प्राप्त हुआ जो एक लेखक को अपनी रचना पूर्ण करके हुआ करता है। वह समझता है कि मैंने बहुत महत्त्वपूर्ण काम कर लिया है। जिस उमंग और उल्लास से उसने यह रचना पूर्ण की है, उसी उमंग और उल्लास से प्रकाशक और पाठक उसका स्वागत करेंगे। नाटक लिखने के उपरान्त नाटक-कम्पनी के मालिक के साथ सौदा पटाने की बात आती है तो गुरुप्रसाद के मित्र खूब ठाठ से मोटरों पर जाने का प्रस्ताव करते हैं। लेकिन सरल-स्वभाव गुरुप्रसाद कहता है कि सादे ढंग से टांगों में जाने से क्या बुराई है। इस पर विनोदबिहारी ने कहा—“आप तो घास खा गये हैं। नाटक लिख लेना दूसरी बात है और मामले को पटाना दूसरी बात है। एक रुपया पृष्ठ सुना देगा अपना-सा मुँह लेकर रह जाओगे।”

प्रेमचंद को शायद कई बार रुपया पृष्ठ भी नहीं मिला था। क्योंकि अपने अंतिम उपन्यास “गोदान” के उर्दू अनुवाद के लिये जब कि वे इतने ख्याति प्राप्त कर चुके थे, रुपया पृष्ठ से अधिक मिलने की आशा नहीं रखते थे। उन्हें प्रायः मामूली रकम के लिये अपनी पुस्तकों के सम्पूर्ण अधिकार बेच देने पड़े थे। उर्दू की लगभग सभी पुस्तकों के अधिकार प्रकाशकों के पास हैं। हिंदी की अलबत्ता वे पुस्तकें बच रही थीं, जो उन्होंने स्वयं प्रकाशित की थीं। इस लूट-खसोट की व्यवस्था में प्रकाशकों की लूट-खसोट भी बराबर चल रही

है। साहित्य का व्यापार करने वाला सेठ होता है; सेठ का दलाल होता है। गरीब लेखक को कैसे मक्खन लगाया जाता है, वे सब इस कहानी में मौजूद हैं।

गुरुप्रसाद उसके साथी जब डामा सुनाते हैं, तो सेठ जी टस-से-मस नहीं होते, पत्थर की मूर्ति बने बैठे रहते हैं। मुखाकृति से मनोभावनाओं को प्रकट नहीं करते। अंत में सिर्फ दूसरे दिन आने की दावत देते हैं। जब गुरुप्रसाद और उसके मित्र दूसरे दिन आते हैं, तो उनकी आव-भगत की जाती है। दावत स्वादिष्ट है। आज सेठ जी चुप नहीं। नाटक की भूरी-भूरी प्रशंसा करते हुए फरमाते हैं कि आपके इस परिश्रम और लगन का पुरस्कार कौन दे सकता है? पास ही से दलाल बोल उठता है:—

“मुमकिन ही नहीं। ऐसी रचनाओं के पुरस्कार को कल्पना करना ही उनका अनादर करना है। इनका पुरस्कार यदि कुछ है तो वह अपनी आत्मा का संतोष है और वह संतोष आपके एक-एक शब्द से प्रकट है।

सेठ जी—“आपने बिलकुल सत्य कहा कि ऐसी रचनाओं का पुरस्कार अपनी आत्मा का संतोष है।आपसे डामा ले लीजिये और आज ही पार्ट भी तकसीम कर दोजिए। तीन महीने के अंदर इसे खेल डालना होगा।”

डामा ले लिया गया और जब गुरुप्रसाद दीन नेत्रों से सेठ जी की ओर देख कर उठे और चलने लगे, सेठ जी फिर बोले:—“दुजूर को थोड़ी सी तकलीफ और करनी होगी। डामा का रिहर्सल शुरू हो जायेगा तो आपको थोड़े दिनों कम्पनी के साथ रहने का कष्ट उठाना पड़ेगा।”

चले, तो मित्र सेठ के कौशल की आलोचना करने लगे। गुरुप्रसाद इस आलोचना में शरीक न हुए। वह इस तरह सिर झुकाये चले जा रहे थे, मानो अभी तक वह स्थिति को ही समझ न पाये हों।”

आखिर ज़िदगी में प्रेमचंद को कहानियों और लेखों का पुरस्कार ज़रूर मिलने लगा था, जो काफी नहीं था। फिर भी उससे उनकी कुछ ज़रूरतें पूरी हो जाती थीं। कई बार वे ज़रूरत के लिये लिखते भी थे। “त्यागी का प्रेम” कहानी में लिखते हैं:—

“लाला गोपीनाथ को अब परवशता ने साहित्य-सेवी बना दिया था”

“लेखक” कहानी में जब लेखक की स्त्री शिकायत करती है कि आटा तक लाने को घर में पैसे नहीं, तो लेखक कहता है—

“दो एक पत्रिकाओं से मेरे लेखों के रुपये आते हैं। शायद कल तक आ जायें।”

एक बार उन्होंने एक बंगाली को घर पर रखा था और दो तीन सौ रुपया

दिया था। वह अपने आपको लेखक कहता था और बातूनी इतना था कि प्रेमचंद पर खूब रंग चढ़ाया था। उसने जब शादी की तो शिवरानी देवी से चोरी-चोरी प्रेमचंद ने उसकी पत्नी के लिये कपड़े आभूषण बनवा दिये। और फिर चोरी-चोरी कहानियां और लेख लिखकर यह रकम अदा की। बंगाली बहुत गलत आदमी था। अपनी एक कहानी में उसका खूब चित्रण किया है। इस कहानी का नाम “ढपोरशंख” है, अर्थात् वह व्यक्ति जो बातें बहुत बनाये; लेकिन करनी में कोरा हो।

“साहित्य-सेवा पूरी तपस्या है।”

—प्रेमचन्द

चिराग का काम जलना है, वह जलता रहेगा और उजाला फैलाता रहेगा। लेकिन मनुष्य जब चैतन्यरूप से चिराग बनने का कर्तव्य पालन करता है तो वह फिर जलने ही पर बस नहीं करता उसे यह चिन्ता होती है कि जिस उजाले को वह जन्म देता है, उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाये। प्रेमचन्द इस धुन के साथ साहित्य-रचना करते थे। वह चाहते थे कि जो कुछ लिखते हैं, वह अधिक-से-अधिक लोगों तक पहुँच जाए। इसलिए उन्होंने कुछ पुस्तकें आप छापीं, और कुछ मुनाफाखोर पब्लिशरों को ओने-पोने दे दीं। फिर भी प्रकाशन और वितरण के बारे में उनकी अभिलाषा पूरी न होती थी। इस लिए वह चाहते थे कि अपना पब्लिशिंग-हाउस हो, प्रेस हो, जहाँ उनकी और दूसरे लिखनेवालों की पुस्तकें आसानी से छप सकें, शीघ्र-से-शीघ्र लोगों के हाथों में पहुँचाई जा सकें।

मुलाजमत के दिनों में ही उनके मन में यह भावना बलवती होगई थी और सतत प्रेरणा बनती जा रही थी। वह चाहते थे कि अपनी इच्छा के अनुसार काम करें ताकि अपनी समस्त रचना-शक्ति को कार्यान्वित कर सकें। सम्पादक ‘जमाना’ को एक खत में बस्ती से लिखा था :—

“मैं अज़िज हूँ, तो मातहत से। जिसमें बजुज़ मेरी तबियत के और किसी का तकाज़ा न हो। जी में आवे, तो दिन रात काम करता रहूँ। और जी चाहे तो कुछ न करूँ। मगर यह सिर्फ़ मालिकाना हैसियत से हो सकता है।”

प्रेमचन्द एक बार जब बस्ती से कानपुर गये, तो गणेशशंकर विद्यार्थी से भेंट हुई। उन्होंने नया प्रेस लगाया था और अपना अखबार निकाला था। प्रेमचन्द

विद्यार्थीजी के अपने दफ्तर में काम-काज के ढंग से बहुत प्रभावित हुए। घर लौट कर शिवरानी देवी से इस भेंट का जिक्र करते हुए कहा कि गणेशशंकर विद्यार्थी बड़े पुरुषार्थी हैं। प्रेस और अखबार का सारा काम खुद देखते हैं। मुझे उनकी सफलता में तनिक सन्देह नहीं। क्योंकि ऐसा आदमी जरूर कामयाब हो जाता है। जी चाहता है कि मैं भी इसी लगन से काम करूँ।

मुलाजमत छोड़ देने के उपरान्त भी उन्हें प्रेस खोलने और मालिक के तौर पर काम करने का अवसर नहीं मिला। उसके लिए पैसा दरकार था। खर्च की दुकान खोली थी जो चल न सकी। उसके बाद कानपुर के मारवाड़ी स्कूल में अध्यापक लगे। इस स्कूल के मैनेजर एक महाशय काशीनाथ थे। वह कांग्रेसी और देश भक्त थे। प्रेमचन्द उन्हें सज्जन और सुशील समझते थे लेकिन तजुर्वे से तन के उजले और मन के मैले सिद्ध हुए। वह अध्यापकों के साथ अत्यन्त कटुता और क्रूरता से पेश आते थे। स्कूल के मैनेजर क्या थे, पूरे-डिक्टेटर थे। प्रेमचन्द उनका कुटिल व्यवहार सहन न कर सके। जल्द ही अनबन होगई। मार्च सन् १९२२ में उन्होंने यहाँ से भी इस्तीफा दे दिया और फिर बनारस चले गये और अपनी जन्म-भूमि गाँव ही में जाकर रहने लगे। वहाँ उन्होंने तीन-चार हजार रुपया खर्च करके पुराने मकान के स्थान पर पक्का मकान बनवाया और खयाल था कि बाकी सारी उम्र इस जगह बिता देंगे। इस्तीफा देकर गाँव जाने तक के ये सारे हालात उनकी कहानी "प्रेरणा" में भली प्रकार मिलते हैं।

काशीनाथ मारवाड़ी के स्थान पर कहानी में कालेज का जिक्र है; लेकिन बात वही है। लिखा है—

"मुझ पर जा-बेजा आक्रमण होने लगे। अमुक को क्यों नहीं परीक्षा में भेजा गया, अमुक के बदले अमुक को क्यों नहीं छात्रवृत्ति दी गई। अमुक अध्यापक को अमुक कक्षा क्यों नहीं दी जाती? इस तरह के सारहीन आक्षेपों ने मेरा नाक में दम कर दिया था...मैंने इस्तीफा दे दिया।...संसार का ऐसा कट्टा अनुभव मुझे अब तक न हुआ था।"

और उसके उपरान्त गाँव में रहने की बात इस कहानी में यों लिखी है—

"मैं संसार से विरक्त हो गया। और एकान्तवास में जीवन व्यतीत करने का निश्चय करके एक झोटे से गाँव में जा बसा। चारों तरफ ऊँचे-ऊँचे टीले थे, एक ओर गंगा बहती थी। मैंने नदी के किनारे एक-छोटा-सा घर बना लिया और उसमें रहने लगा।"

मगर गाँव में वह बहुत दिन नहीं रहे। शिवप्रसाद गुप्त बनारस से हिन्दी

का एक मासिक पत्र 'मर्यादा' निकालते थे। जिसके सम्पादक बाबु संपूर्णानंद थे। वह असहयोग आन्दोलन में गिरफ्तार होकर जेल चले गए। उनकी अनुपस्थिति में प्रेमचन्द को 'मर्यादा' का सम्पादक बना दिया गया। डेढ़ साल बाद जब बाबु संपूर्णानंद जेल से छूटकर आए तो यह काम फिर उन्हें सौंप दिया गया।

"मर्यादा" में प्रेमचंद को डेढ़ सौ रुपये मासिक मिलते थे। उसके बाद सवा सौ रुपये महीना पर काशी विद्यापीठ में अध्यापक लग गये। यह काम भी उनके स्वभावानुकूल नहीं था। सिर्फ एक साल बाद विद्यापीठ की नौकरी भी छोड़ दी।

अब उन्होंने प्रकाशन कार्य आरम्भ करने का निश्चय कर लिया। चुनाव रघुपतिसहाय फ़िराक गोरखपुरी और अपने दो प्रियजनों के साँभे में बनारस में सरस्वती प्रेस स्थापित किया। इसमें खुद उन्होंने साढ़े चार हजार रुपया लगाया। लेकिन जब मुनाफा की जगह उलटा कुछ नुकसान ही हुआ तो धीरे-धीरे प्रेस की सारी जिम्मेदारी खुद उन्हीं पर आ पड़ी। दूसरे साँभेदार एक-एक करके अलग हो गये।

किसी काम को अधूरा छोड़ना, हार मानना प्रेमचंद की आदत नहीं थी। वह पूर्ण मनोयोग से एक काम के पीछे पड़ जाते थे और मेहनत तथा लगन से असफलता को सफलता में बदलने की कोशिश करते थे। प्रेस के काम में वह पूरी तन्मयता से लग गये। दिन सारा प्रेस में लग जाता था फिर मिलने वाले आ जाते थे। इसलिये पढ़ने-लिखने का काम प्रायः रात को करते थे। शिवरानी देवी को उनका इतना अधिक काम करना पसंद नहीं था। सेहत खराब थी। इसलिये कड़े परिश्रम से मना करती रहती थीं। कम-से-कम उनका रात को जागना कतई पसंद नहीं था।

एक दिन शिवरानी ने एतराज किया, तो प्रेमचंद हंस कर बोले:—

"भाई, तब क्या करूँ ? सुबह घूमना भी ज़रूरी होता है। घूम कर आते ही नारता करके अपने कमरे में काम करने बैठ जाता हूँ। खुद भी लिखता-पढ़ता हूँ साथ ही तुम्हारे बच्चों को भी लिखाता-पढ़ाता हूँ। इसके बाद फिर उठता हूँ। नहाता-धोता हूँ। उसके बाद प्रेस जाता हूँ। प्रेस से आकर एक घंटा तक बच्चों से बात करता हूँ। नहीं, तो वे भी सब बिल्ले हो जायेंगे फिर इसी के साथ-साथ अपनी भी तो थकान मिट जाती है। इसके बाद प्रेस का मुन्शी आ जाता है। उसे कुछ-न-कुछ बोलना ही पड़ता है। नौ बजे उठकर खाना खाता हूँ। एक घंटा ही बाक़ी बचता है। इतनी ही देर में चाहे जो कुछ

पढ़ें लिखें । इस पर सरकारी हुक्म है कि दस बजे सो जाओ । सरकारी हुक्म टाला भी जा सकता है; पर, तुम्हारा तो टाला भी नहीं जा सकता । अब तुम्हीं बताओ कि इसमें कितना समय मैं निकाल सकता हूँ । “लीडर” तो मैं प्रेस में पढ़ता हूँ । मेरा तो एक-एक क्षण बँटा हुआ है । मैं तो ईश्वर से मनाता रहता हूँ कि रात छोटी हुआ करे, दिन बड़ा ।”

(प्रेमचंद घर में)

प्रेस में उन्होंने एक प्रकार से अपनी आत्मा डाल दी थी । बीमारी तक की परवाह नहीं करते थे । एक बार शिवरानी देवी गाँव में थीं और उन्हें पेचिश हो गई थी । जो पैसे पत्नी दवा के लिये देती थीं, वे आप प्रेम में खर्च कर देते थे । दो महीने बीमारी ही की हालत में बीत गये । तब शिवरानी देवी ने उन्हें गाँव चलने को कहा ।

“आप बोले:—‘प्रेस का काम कौन करेगा ?’

शिवरानी:—‘जब तबीयत अच्छी नहीं हो रही है तो क्या कीजिएगा ?

आप:—‘काम भी तो मुझे बहुत करना है ।’

“शिवरानी:—‘काम भाड़ में जाय । एक-न-एक तो लगा ही रहेगा ।’

आप:—‘क्या भाड़ में काम चला जायेगा ? इसे तो पूरा करने ही से छुट्टी है ।’

फरवरी सन् १९३३ को प्रेस में हड़ताल हो गई । शिवरानी देवी ने अपनी पुस्तक में उसका जिक्र इस प्रकार किया है :—

“मेरे प्रेस में हड़ताल हो गई । आप वहाँ से आये और सुस्त-से बैठ गये । मैं उन्हें उदास देखकर पूछ बैठी कि आपकी तबीयत कैसी है ?”

आप बोले:—‘तबीयत तो बहुत अच्छी है ।’

मैं बोली:—‘तो उदास क्यों हो ?’

आप बोले:—‘इस प्रेस के कारण मुझे बड़ी परेशानी रहती है ।’

मैं बोली:—‘क्या है ? बतायें तो !’

“क्या बताऊँ, मैनेजर और मजदूरों में पटती ही नहीं ।”

“वह काम न करने होंगे । मैनेजर बेचारा क्या करे ।”

“भाई, मैनेजर भी तो अपने कं खुदा से कम नहीं समझता ।”

“खुदा क्यों समझेगा अपने को ? अगर ठीक-ठीक काम न कराये तो आप भी तो उस पर बिगड़ेंगे ।”

“ज़रा-सी बात पर तो ज़ोंगों को गैर-हाज़िर करता है पैसे काटता है ।”

“तो फिर उसका क्या दोष ?”

“नहीं, सब मैनेजर की शरारत है। घड़ी को कभी सुस्त कर देता है, कभी तेज़ कर देता है। मैंने एकान्त में भी बीसियों बार समझा दिया है, बाबा ऐसा मत करो। पर, माने तब ना। फिर प्रेस में तो तरह-तरह के घाटे हैं। क्या इन्हीं मज़दूरों के बल पर घाटे पूरे होंगे। हम लोगों को तो ज्यादा रुपये मिलते हैं; पर खर्च भर का पूरा नहीं पड़ता। तब शरीबों को कैसे पूरा पड़ेगा ? पैसों की मुसीबत तो इन लोगों के सिर पर है। इन लोगों की तनखाह तो तब नहीं कटती, जब यह हफ्तों गायब रहते हैं तब क्यों मज़दूरों ही की तनखाह चार मिनट देर में आयें तो कट जाये ? ज़रा भी देर हुई, चट निकाल दूसरे को बुला लिया। हमारे यहाँ पढ़ा लिखा समाज सबसे अधिक स्वार्थी हो गया है।”

“एक के पीछे आप सारे समाज को बदनाम कर रहे हैं।”

“मेरा कहना तुम सच मानो।”

“तो फिर आप अपने को दोष दीजिये। मैनेजर को क्यों दोषी ठहराते हो ?”

आप बोले :—“मैं तो कभी नहीं अपने छोटों से लड़ता। हर जगह यही अत्याचार है। अगर यह अपने से छोटों को बराबर का समझें तो झगड़ा हड़ताल कभी न हो। हरकतों से तो इनकी हड़ताल हो, पर बदनामी और हार मेरी ! अब जब तक हड़ताल खत्म न होगी, सारा काम रुका पड़ा है। तबो-यत उधर लगी रहती है, काम क्या होगा झाक ?”

मैं बोली—“आपकी तरह मैनेजर भी बैठा रहेगा। यह मज़दूर भी किसी से कम थोड़े ही हैं।”

उन्होंने कहा—“नहीं जी, वह मजदूरों से बढ़कर है। देखता हूँ बराबर नुकसान हो रहा है, पर बोलता नहीं हूँ। काम लेने के ढंग भी होते हैं।”

(प्रेमचन्द घर में)

यह उनका ढंग था। यह कठिनाइयाँ थीं। लेकिन नुकसान उठाते हुए भी प्रेस को चला रहे थे। बीच में नौकरी भी करनी पड़ी; लेकिन एक बार शुरू करके प्रेस बन्द नहीं किया। “काया-कल्प”, “गबन”, “कर्म भूमि” और “गोदान” आपने इसी प्रेस से प्रकाशित किये। इसके अतिरिक्त “मानसरोवर” और “प्रेम द्वादशी” आदि कहानी-संग्रह भी इस प्रेस में छपे।

अब इतना हो गया कि जो कुछ वे लिखते थे, कम-से-कम हिन्दी में जल्दी छप जाता था। लेकिन मंदा के कारण किताबें बिकती नहीं थीं। स्टॉक पड़े रहते थे और बुकसेलर भी पैसा जल्दी नहीं लौटाते थे। आलोचना आदि

कराने में भी काफी भ्रंश रहता था। मगर प्रेमचन्द किसी काम को भी नजर-अंदाज नहीं करते थे। हरेक बात का ध्यान रखना अपना कर्तव्य समझते थे। इस सम्बन्ध में उनका एक पत्र उल्लेखनीय है। उन्होंने "गोदान" की एक प्रति "माधुरी" में आलोचना के लिये भेजी। सम्पादक बाँकेबिहारीलाल ने दो प्रतियाँ मांगीं। आपने उसके जवाब में जो पत्र लिखा वह निम्नलिखित है :—

प्रिय बाँकेबिहारीलाल जी,

आप 'गोदान' की आलोचना कर रहे हैं। यह जानकर बड़ा आनन्द पाया साहित्य की आज कल जो दुर्गति हो रही है, उसकी कुछ-न-कुछ जिम्मेदारी पत्रकारों पर भी आती है, जिनमें एक मैं भी हूँ। चाहिये तो यह कि कोई अच्छी चीज़ निकले उसका स्वागत किया जाय लेखक को प्रोत्साहन दिया जाय तथा प्रयत्न किया जाय कि पुस्तक की खपत हो और लेखकों और प्रकाशकों का दिल बड़े। मगर प्रकाशक तो यहाँ है ही नहीं। आप आज कोई पुस्तक लिखकर प्रकाशक खोजने निकलें तो आपको समूचे भारतवर्ष में एक भी न मिलेगा, जो आपकी मेहनत का कुछ मुआवजा दे या रायल्टी पर ही छापे। रायल्टी पर छाप भी देगा तो कभी मिलेगी नहीं। आप जब मार्गेंगे तो जवाब मिलेगा— "पुस्तक की बिक्री नहीं होती।" इसलिये मेरे जैसे दो-चार लेखकों ने खुद अपनी पुस्तक छापनी शुरू कीं, क्योंकि हमारा जीवन-व्यवसाय यही है। अगर कोई प्रकाशक ढंग का मिलता, तो हमें पुस्तक का रोज़गार क्यों करना पड़ता ? लेकिन परिस्थितियों में पड़कर यह भ्रंश उठानी पड़ी। अगर सभी सम्पादक या मैनेजर दो-दो प्रतियाँ मांगें तो इस गरीब का तो पोस्टेज में ही दीवाला पिट गया। "गोदान" की एक प्रति पर महसूल बारह आने है। दो प्रतियों का महसूल डेढ़ रुपया होगा। अगर २० कापियाँ भी भेजनी पड़ीं तो ४० रुपये महसूल हो जायेगा। बहुत से सज्जन तो आलोचना करते ही नहीं। यही देख कर कुछ प्रकाशक पत्रों के पास अपनी पुस्तकें नहीं भेजते।"

इस भावना से प्रेमचन्द ने प्रेस लगाया था। जीते-जी उन्हें इससे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। वे जो काम करना चाहते थे लाभ की दृष्टि से ही नहीं सकता था। साथ ही उन्होंने मासिक पत्र 'हंस' और साप्ताहिक 'जागरण' भी जारी कर दिया था। प्रेस में जो थोड़ा बहुत लाभ होता भी था, वह इन पत्रों में उठ जाता था। फिर भी खर्च नहीं चलता था तो इधर-उधर नौकरी करते थे। पारिश्रमिक पर लेख और कहानियाँ लिखते थे। मगर जो फर्ज उन्होंने अपने जिम्मे ले लिया था, उसे प्राणपन से निभाते जा रहे थे, और अंतिम समय तक निभाते रहे।

: १५ :

सम्पादक

“साहित्यकार मानवता, दिव्यता और भद्रता का बाना बाँधे होता है। जो दलित है, पीड़ित है, वंचित है,—चाहे वह व्यक्ति हो, या समूह, उसकी हिमायत और वकालत करना उसका फर्ज है। उसकी अदालत समाज है, इसी अदालत के सामने वह अपना इस्तग़ासा पेश करता है।” —प्रेमचन्द

प्रेमचन्द का एम० ए० पास करके वकील बनने का अरमान तो पूरा न हुआ; लेकिन उन्होंने जल्द समझ लिया कि पेशेवर वकील बनने की अपेक्षा जनता का सच्चा और मानवता का पक्षपाती वकील बनना कहीं अच्छा है। साहित्य द्वारा इस कर्तव्य को पालन करने का काम उन्होंने अपने जिम्मे ले लिया। कहानियाँ और उपन्यास लिख कर तो वे पीड़ित मानवता की वकालत करते ही थे; लेकिन चाहते थे कि जिस अदालत में उन्हें अपना इस्तग़ासा पेश करना है, उसके क्षेत्र को और विस्तृत किया जाय। इसलिये उनके मन में त्रिकाल से किसी मासिक पत्रिका का सम्पादक बनने की साध थी। उनके जीवन का यह भी एक सुनहरा स्वप्न था।

सन् १९०२ में जब वे नवाबराय के नाम से लिखते थे, इण्डियन प्रेस इलाहाबाद के संचालक चितामणि घोष ने उन्हें कानपुर से बुलाया था। उनका इरादा एक मासिक पत्रिका निकालने का था और वह उसका सम्पादन मुंशी नवाबराय के सुपुर्द करना चाहते थे। मामला तय करके प्रेमचन्द कानपुर लौटे तो मित्रों ने सलाह दी कि नौकरी छोड़ना ठीक नहीं होगा। एक साल की छुट्टी ले लीजिए। अगर इस बीच में पत्र चल जाय तो रहें, नहीं तो फिर आकर मास्टरी करें। सलाह उन्हें पसन्द आई। रिसाले का नाम उन्होंने “फिरदौस” तजवीज किया था। लेकिन कुछ कारणों से योजना स्थगित हो गई। पत्र निकल नहीं सका।

वैसे वे उन दिनों रिसाला "जमाना" और साप्ताहिक "आजाद" के अवैतनिक सहायक सम्पादक थे। मुंशी दयानारायण निगम की मित्रता और भद्रता का खातिर उन्हें उनके लिये बहुत कुछ लिखना पड़ता था। इस प्रकार उन्होंने सम्पादन कार्य के सम्बन्ध में काफ़ी ज्ञान प्राप्त कर लिया था और एक सम्पादक के कर्तव्य और महत्व को उन्हीं दिनों भली प्रकार समझ लिया था। अपनी कहानी 'डिग्री के रूपये' में लिखते हैं:—

"पत्र का सम्पादक परम्परागत नियमों के अनुसार जाति का सेवक है। वह जो कुछ देखता है जाति की विराट दृष्टि से ही। वह जो कुछ विचार करता है उस पर भी जातीयता की छाप लगी होती है। जातीयता के विस्तृत क्षेत्र में सदैव विचरण करते रहने से व्यक्ति का महत्व उसकी दृष्टि में अत्यन्त संकीर्ण हो जाता है। वह व्यक्ति को बुद्ध, तुच्छ, नगण्य समझने लगता है। व्यक्ति का जाति पर बलि देना उसकी नीति का प्रथम अंग है। यहाँ तक कि वह बहुधा अपने स्वार्थ को भी जाति पर वार देता है। उसके जीवन का लक्ष्य महान् और आदर्श पवित्र होता है। वह उन महान् आत्माओं का अनुगामी होता है जिन्होंने राष्ट्रों का निर्माण किया है। जिनकी कीर्ति अमर हो गई है तथा जो दलित राष्ट्रों का उद्धार करने वाली हो गई है। वह यथाशक्ति कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे उसके पूर्वजों की उज्ज्वल विरुदावली में कालिमा लगने का भय हो।"

प्रेमचन्द ने हमेशा इस आदर्श को सम्मुख रखा। उनकी 'जीवन का शाप' कहानी के नायक कावस जी भी इसी आदर्श के मानने वाले हैं लेकिन आदर्श भी हवा में नहीं पलते। हर एक मनुष्य को आदर्श के साथ ही भौतिक आवश्यकतायें भी पूरी करनी पड़ती हैं। अगर वह पूरी न हों तो आदर्श भी डगमगा जाता है। कावस जी अखबार निकालते हैं और जाति की सेवा करके ख्याति तो हासिल करते हैं लेकिन धन से वंचित रहते हैं। रोटियों तक के लाले हैं। फिर, पत्नी से भी नहीं बनती। वह बहुत ही कटु स्वभाव की स्त्री है। उसे कावस जी के आदर्शों से तनिक भी सहानुभूति नहीं। सिर्फ अपनी भौतिक आवश्यकताओं पर नजर रहती है। इस स्थिति से ऊब कर कावस जी अपने पड़ोसी शापुर जी के धन-दौलत और उनकी सभ्य सुन्दर पत्नी शीरीं को ललचाई हुई निगाहों से देखते हैं। प्रेमचन्द उनकी प्रकृति के इस कमजोर पहलू को यथार्थ के प्रकाश में देखते हुए लिखते हैं:—

"हलवे की जगह चुपड़ी रोटियाँ भी मिलें तो आदमी सब कर सकता है। रूखी भी मिल जायें तो वह संतोष कर लेगा; लेकिन घास-फूस सामने

देखकर तो ऋषि-मुनि भी जामे से बाहर हो जायेंगे ।”

प्रेमचन्द अपने नायक की इस स्वाभाविक दुर्बलता को छिपाते नहीं । आगे बढ़ने की छूट देते हैं । आखिर जब शीरीं अपने धनवान पति की उच्छृंखलता से व्यथित होकर अपना हाथ कावस जी के हाथ में देने को तैयार हो जाती है; कहती है, मुझे अपने साथ ले चलो । अब मैं इस घर में रहना नहीं चाहती, तो सहसा सम्पादक होश में आता है । उसकी अन्तरात्मा प्रताड़ना करती है । उसे अपनी दरिद्रता और पत्नी की निष्ठा स्मरण हो आती है । वह अपनी त्रुटियों का भरपूर निरीक्षण करता है । तब उसे यथार्थ वस्तु का ज्ञान होता है कि विलासिता में पली हुई रंगीन तितली—शीरीं उसके साथ कुटिया में कैसे रहेगी ! लिखते हैं :—

“बुढ़िया मामा जब मुँह लटकाये उसके सामने रोटियाँ और सालन परोस देगी, तब शीरीं के मुख पर कैसी विदग्ध विरक्ति छा जायेगी !... अभाव की पूर्ति सौजन्य से नहीं हो सकती । शीरीं का वह रूप कितना विकराल होगा ।”

इस सत्य को समझकर अपनी पत्नी गुलशन के साथ अपने अनुचित व्यवहार का ध्यान आता है:—

“अपनी टिप्पणियों में वह कितनी शिष्टता का व्यवहार करते हैं । कलम ज़रा भी गर्म पड़ गया तो गर्दन नापी जायगी ! गुलशन पर वह क्यों बिगड़ जाते हैं ? इसीलिए कि वह उनके आधीन है और उन्हें रूठ जाने के सिवा कोई दण्ड नहीं दे सकती । कितनी कायरता है कि हम बलवानों के सामने दुम हिलायें और जो हमारे लिये जीवन का बलिदान कर रही है, उसे काटने दौड़ें ।”

प्रेमचन्द कावस जी सरीखे आदर्शवादी सम्पादक की दुर्बलता और लोलुपता को प्राकृतिक तकाजा समझकर क्षमा कर देते हैं, बल्कि उनके यहाँ क्षमा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वे उसकी भावनाओं से पूर्ण सहानुभूति दर्शाते हैं और अन्त में उसके हाथ में आदर्श की ज्योति थमा कर उसकी मानवता के पद को कई गुणा बढ़ा देते हैं ।

लेकिन इसके विपरीत जो लोग महज नाम और ख्याति के लिए और धन की चाह में अखबार निकालते हैं उनमें सम्पादक बनने की कुछ भी योग्यता नहीं, आत्म-सुधार का लेश मात्र भी ध्यान नहीं, ऐसे लोगों को प्रेमचन्द खूब लताड़ते हैं । ‘गोदान’ का ओंकारदास एक ऐसा ही सम्पादक है । उनके निकट अखबार-नवीसी का उद्देश्य धन और विलासिता के साधन जुटाने के अतिरिक्त

और कुछ नहीं। इसलिए वह अपने अखबार द्वारा ब्लैक-मेलिंग भी करता है और फिर देश सेवा, पवित्रता और आदर्शवाद की डींग भी मारता है। प्रेमचन्द मिस मालती के हाथों उसकी झूठी पवित्रता और साधुता का मज़ाक उड़वा कर बे-अख्तियार कहकहा बुलंद करते हैं। उसे कावस जी की तरह रास्ते से नहीं लौटाते क्योंकि वह नीच और दुष्ट है लौट ही नहीं सकता। उसे अपने असली स्थान और नीचता के गढ़े की ओर फिसलता देखकर और धकेल देते हैं। उसे शराब पिलाकर कहते हैं :—

“कानून भी तो बंधन है, उसे क्यों नहीं तोड़ते ? बस वही बन्धन तोड़ो जो अपनी लालसायों में रुकावट डालते हैं।”

प्रेमचन्द ने अपने सामने सम्पादक का जो आदर्श रखा था, उस पर वे अमल भी करना चाहते थे, यह तभी हो सकता था, जब वे मालिक की हैसियत से अपना अखबार निकालते। कारोबारी ढंग से और लाभ की नीयत से जो अखबार और रिसाले निकल रहे थे, उनका सम्पादक बनकर आदर्श का पालन संभव नहीं था।

फिर भी सम्पादक न होने से सम्पादक होना अच्छा था। इस लिये नौकरी से इस्तीफा देने के बाद जब उन्हें सन् १९२२-२३ में “मर्यादा” का सम्पादक बनने को कहा गया, तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया और डेढ़ साल तक इस पत्रिका को योग्यता से चलाते रहे। लेकिन कारोबारी पत्रों में गुणों की अपेक्षा कुछ दूसरी बातें अधिक देखी जाती हैं। चुनांचे इस व्यवस्था में जैसे पिता की सम्पत्ति पुत्र को अवश्य मिलती है, बाबू सम्पूर्णानंद के जेल से रिहा होते ही उन्हें “मर्यादा” का सम्पादन सौंप दिया गया।”

प्रेस लगाने का आशय ही यह था कि अपनी पुस्तक छापने के अतिरिक्त अपना अखबार और मासिक पत्र भी निकालेंगे। लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण यह स्वप्न जल्द पूरा न हो सका बल्कि प्रेस चलाना भी मुश्किल था। उन्हें खुद अपनी रोजी कमाने के लिये लखनऊ जाना पड़ा। वहाँ वे गंगा पुस्तक माला के दफ्तर में मिरजा मुहम्मद अस्करी आदि के साथ स्कूली पुस्तकें तैयार करने का काम करते रहे। यहाँ वे दस महीने से अधिक न रह सके। एक तो तनखाह बहुत थोड़ी थी। सिर्फ सौ रुपये महीना मिलते थे। इसमें गुजारा नहीं होता था। फिर काम भी इच्छा के अनुसार नहीं था। स्कूलों के लिये जिस किस्म की पुस्तकें तैयार की जाती थीं वे उन्हें पसंद नहीं थीं। अप्रैल सन् १९२६ में वे फिर बनारस लौट आये और दो वर्ष अर्थात् जून सन् १९२८ तक वहीं रहकर प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझते रहे मगर

प्रेस में कुछ भी लाभ नहीं हुआ ।

जुलाई १९२९ में नवलकिशोर प्रेस के मालिक मंशी विशन नारायण ने उन्हें फिर लखनऊ बुलाया । उनके प्रेस से “माधुरी” मासिक पत्रिका निकलती थी । प्रेमचंद को इसका सम्पादक बना दिया गया और वे नवम्बर सन् १९३१ तक नवलकिशोर प्रेस में प्रकाशन सम्बन्धी विभिन्न कार्य करते रहे । इस बीच में मंशी विशन नारायण का देहान्त हो गया । उनकी जायदाद कोर्ट आफ वार्ड में चली गई । प्रेमचंद को इस संस्था से अपना सम्बन्ध-विच्छेद करना पड़ा ।

“माधुरी” फिर भी निकलती रही । लेकिन प्रेमचंद के सम्पादन काल में इसे जो लोकप्रियता और सफलता प्राप्त हुई वह इस पत्रिका के इतिहास में स्मृति बनकर रह गई । फिर कभी वह बात नहीं बनी । पत्रिका को लोकप्रिय बनाने के सम्बन्ध में एक कहानी का उल्लेख जरूरी भी है और दिलचस्प भी । प्रेमचंद ने मोटेराम शास्त्री पर जितना लिखा है, उतना महात्मा गांधी पर भी नहीं लिखा होगा । सन् १९२९ में उनकी एक कहानी मोटेराम शास्त्री के नाम से प्रकाशित हुई, जिसे पढ़कर एक शास्त्री महाशय ने उन पर और उनके साथी सम्पादक कृष्ण बिहारी मिश्र पर मुकदमा दायर कर दिया । इस कहानी से ‘माधुरी’ के मालिक विशन नारायण भी खुश थे । मुकदमा ठाठ से लड़ा गया । दो बैरिस्टर हर एक पेशी पर देहरादून से आते थे । कहानों का और मुकदमे का खूब चर्चा हुआ । शास्त्री महाशय मुकदमा हार गये । जज ने उनसे कहा:—

“आपको और तो कुछ नहीं कहना ? बेहतर है कि आप खिड़की के रास्ते चुपके से बाहर निकल जायें ।”

प्रेमचंद यह सुनकर मुस्कराये । ‘माधुरी’ का वह प्रच्छन्न हाथों-हाथ बिक गया । जब वह माधुरी के सम्पादक थे तभी उन्होंने जनवरी सन् १९३० में अपना पत्र “हंस” निकालना शुरू कर दिया था जो उनके अपने सरस्वती प्रेस बनारस से प्रकाशित होता था । प्रेमचंद जानते थे कि सम्पादक का काम नये-नये लेखकों को प्रोत्साहन देना और उनकी रचना-शक्तियों को अधिक से अधिक जागरूक और विकसित करने में सहायता देना है । इसलिये वे नये लेखकों की रचनायें बड़ी मेहनत से सुधार कर छापते थे । उन्हें मित्रवत सलाह मशविरा देते और उनमें पढ़ने का शौक बढ़ाते थे । इस सिलसिले में निम्नलिखित पत्र देखिए, जो उन्होंने उषेंद्रनाथ अशक के नाम लिखे थे । अशक ने उन दिनों लिखना शुरू किया था और “हंस” में अपनी चीजें छपाने के लिये भेजा करते थे:—

“गणेशगंज, लखनऊ,
२५ फरवरी १९३२

प्रियबन्धु,

आशीर्वाद ! मुआफ करना, तुम्हारे दो खत आये । “भिरती की बीबी” मैंने पढ़ा और बहुत पसन्द किया था । तुमने उर्दू का एक और छोटा-सा चुटकला भेजा था । मैं उसे हिन्दी में दे रहा हूँ । मगर हिन्दी में जो चीजें तुमने अब तक भेजी हैं, उनमें अभी ज़बान की बहुत खामी है । हिन्दी के पत्र देखते रहोगे, तो साल छः महीने में यह त्रुटियाँ दूर हो जायेंगी । कोई कहानी हमारे लिये हिन्दी में लिखो; मगर कहानी हो फौसी । नहीं, किसी महान व्यक्ति का जीवन-चरित्र हो, तो उससे भी काम चल सकता है । मगर मेरी सलाह तो यही है कि बहुत लिखने के मुकामिले में लिट्रेचर और फिलासफी का अध्ययन करते जाओ । क्योंकि इस वक्त का अध्ययन जिन्दगी भर के लिये उपयोगी होगा ।

और तो सब खैरियत है ।

धनपतराय

(२)

गणेशगंज, लखनऊ,
२३ मार्च सन् १९३२

डीयर उपेन्द्र,

आशीर्वाद ! कई दिन हुए तुम्हारी हिन्दी कहानी मिल गई । इससे पहले “फूल का अंजाम” उर्दू की चीज मिली थी । मैं इस हिन्दी कहानी में जरूरी सुधार करके “हंस” में दे रहा हूँ । लेकिन तुमने नरेन्द्र को बिला काफी कारणों के शादी करने पर आमादा कर दिया । वह शादी से बेजार है । विवाहित जीवन का दृश्य देखकर उसकी तबीयत और उदासीन हो जाती है । फिर यकायक वह शादी करने पर तैयार हो जाता है । लेकिन यह कौन कह सकता है कि जिन मियाँ-बीबी को उसने लड़ते देखा था, उनका जीवन भी यौवन की पहली मधु-ऋतु में इतना ही आकर्षक न रहा होगा ? तुम्हें कोई ऐसा सीन दिखाना चाहिये था, जिसमें इन्सान को अपना अकेलापन असह्य हो जाता या मियाँ-बीबी में जंग होने के बावजूद भी उनमें ऐसा चारित्रिक सौंदर्य होता, जो इन्सान को शादी की तरफ झुकने पर विवश करता । मौजूदा हालत में किस्सा (Convincing) विश्वास पैदा करने वाला नहीं है ।

“फूल का अंजाम” इससे अच्छा है। इसमें एक नुक्ता है, एक चिरन्तन सत्य है। लेकिन उदूँ लेकर मैं क्या करूँ।

पढ़ने के लिये लाइब्रेरी से मनोविज्ञान की कोई किताब ले लो, स्कूली कोर्स की किताब नहीं। अभी एक किताब निकली है, (The Espects of Novel) इस विषय पर अच्छी पुस्तक है। मतलब सिर्फ यह है, इन्सान उदार विचार वाला हो जाय। उसकी सम्बेदनायें व्यापक हो जायें। डान्टर टैगोर के साहित्यिक और दार्शनिक निबन्ध बहुत ही आला दर्जे के हैं। रोमां-रोमां का विवेकानन्द जरूर पढ़ो। उनकी “गांधी” भी पढ़ने के काबिल है। मारले के साहित्यिक-जीवन लाजवाब हैं। डाक्टर राधा कृष्णन की दर्शन सम्बन्धी किताबें, टालस्टाय का (what Is Art) वगैरह किताबें जरूर देखनी चाहियें।

अख्तर साहब से मेरा सलाम कहना। मैं एक हिन्दी किस्सा लिख रहा हूँ और वह आपके लिये वक्फ है।

तुम्हारा खैर अंदेश

धनपतराय

खत और भी हैं; लेकिन दिखाना यह अभिप्रेत था कि प्रेमचन्द नये लिखने वालों का खास ध्यान रखते थे। उन पर मेहनत करते थे। खतों में ही नहीं जो लेखक घर पर अपनी चीजें दिखाने या सुनाने आया करते थे, वे उन्हें साहित्यिक नुक्ते बड़े धैर्य और रुचि से समझाया करते थे। उन्हें यों समय नष्ट करते देखकर शिवरानी देवी ने एक बार चिढ़कर कहा था—“तुमने क्या तमाम दुनियाँ को सिखाने का ठेका ले लिया है?” तो प्रेमचन्द ने हँसकर जबाब दिया था कि यही लोग तो आगे चलकर साहित्य की बागडोर संभालेंगे। जब वे साहित्य को समाज की भलाई और उपयोगिता की चीज समझते थे, तो क्यों न उसे आंदोलन बनाने का प्रयत्न करते। साहित्यिक आंदोलन को सशक्त बनाने के लिए तो “हंस” निकाला था।

‘हंस’ और ‘जागरण’ के लेख वह बड़ी मेहनत से लिखते थे और उन्हें हमेशा बाकायदगी और पाबंदी के साथ निकालने का ध्यान रखते थे।

सन् १९३५ की बात है। कई वे दिन से बोमार थे। रात भर ज्वर रहा। खाना तो क्या दूध तक नहीं पिया। सुबह चार बजे ज्वर उतरा, तो आप हमेशा की तरह हाथ मुँह धोकर ‘हंस’ के लिए सम्पादकीय लिखने बैठ गये। थोड़ी देर बाद जब शिवरानी देवी ने आकर उन्हें लिखते देखा, तो वह बहुत नाराज हुई। प्रेमचन्द ने स्वभावानुसार हँसकर जबाब दिया:—

“लेख नहीं लिखूंगा तो ‘हंस’ कैसे छपेगा ? ‘हंस’ अगर समय पर नहीं निकलेगा, तो ग्राहक को परेशानी होगी। वह यह थोड़े ही जानता है कि मैं बीमार हूँ। उसने पैसे दिये हैं और वह वक्त पर ‘हंस’ चाहता है।”

लेकिन शिवरानी देवी ने कहा:—अब लिखोगे तो कलम तोड़ दूँगी, कागज फाड़ दूँगी। प्रेमचन्द ने लाचार होकर कम्पोजीटर को एक घण्टा में दोबारा आने की बात कहकर लौटा दिया। शिवरानी से फिर बोले:—
“तमने मुझे लिखने नहीं दिया, आदमी बेकार बैठे हैं।”

शिवरानी—तो ‘हंस’ कौन मोती उगल रहा है ?”

प्रेमचन्द हँसकर बोले—साहब, ‘हंस’ मोती उगलता नहीं, चुनता है।”

बहस फिर भी जारी रहीं। बीबी ने कहा—तुम इतना त्याग किस लिए कर रहे हो ?”

प्रेमचन्द सादगी से बोले—त्याग नहीं, नशा है, अगर मैं यह काम न करूँ तो तस्कीन नहीं मिलती।”

“मृत्यु के पीछे” कहानी में भी लगभग यही बात कही है। उसके नायक ईश्वरचन्द्र एक अखबार के सम्पादक हैं। उनमें भी वही त्याग, वही लगन और वही कर्तव्य-निष्ठा है। लिखते हैं:—

“एक दिन रात के दस बज गये थे। सरदी खूब पड़ रही थी। मानकी दबे पैर उनके कमरे में आई। दीपक की ज्योति में उनके मुख का पीलापन और भी स्पष्ट हो गया था। वह हाथ में कलम लिये किसी विचार में मग्न थे। मानकी एक क्षण तक उन्हें वेदना युक्त नेत्रों से ताकती रही। तब बोली, “अब तो यह पोथा बन्द करो। आधी रात होने को आई। खाना पानी हुआ जाता है।”

ईश्वरचन्द्र ने चौंकर सिर उठाया और बोले—“क्यों, क्या आधी रात हो गई ? नहीं, अभी सुशिकल से दस बजे होंगे। मुझे जरा भी भूख नहीं है।”

मानकी—“कुछ थोड़ा-सा खालो न !”

ईश्वरचन्द्र—“एक घास भी नहीं। मुझे इसी समय अपना लेख समाप्त करना है।”

मानकी—“मैं देखती हूँ, तुम्हारी दशा दिन-दिन बिगड़ती जाती है। दवा क्यों नहीं करते ? जान खपाकर थोड़े ही काम किया जाता है ?”

ईश्वरचन्द्र—“अपनी जान को देखूँ या इस संघर्ष को देखूँ जिसने समस्त देश में हलचल मचा रखी है। हजारों लाखों की हिमायत में एक-

जान न भी रहे तो क्या चिन्ता ?”

इस विषय पर प्रेमचन्द की यह सबसे सुन्दर कहानी है। सच तो यह है कि क्रियात्मक जीवन में जितना ऊँचा कोई रहता है, उतना ही ऊँचा वह लिख सकता है। आदर्श जीवन के बिना सुन्दर और स्थायी साहित्य का निर्माण सम्भव नहीं।

वे इस धुन से जान खपाकर ‘हंस’ को चला रहे थे। हर महीने लगभग दो सौ रुपये का घाटा रहता था। कई बार लेखकों को पुरस्कार का वादा करके लेख मंगवाते थे, इससे नये लिखनेवालों का उत्साह बढ़ाना भी अभिप्रेत होता था। लेकिन नुकसान के कारण दे नहीं पाते थे तो लिखने वाले नाराज हो जाते थे। वे उन्हें प्यार से समझा देते थे।

इस खर्च के कारण उन्होंने ‘हंस’ बीच में हिन्दी परिषद् वालों को भी दे दिया था। सम्पादक प्रेमचन्द खुद थे, पैसा वे लोग खर्च करते थे। लेकिन वे अधिक दिनों खर्च नहीं कर सके। आखिर तय किया कि ‘हंस’ प्रेमचन्द से बिल्कुल ले लिया जाय और परिषद् अपने प्रबन्ध में निकाले। इस बात का प्रेमचन्द को जो दुख हुआ, वह अख्तर हुसैन रायपुरी के नाम एक खत से विदित है। तारीख नहीं, मालूम होती है कि सन् १९३६ में लिखा गया है, क्योंकि उस समय ‘गोदान’ छप गया था और परिषद् ने ‘हंस’ अक्तूबर सन् १९३५ में अपने प्रबन्ध में लिखा था :—

“डीयर अख्तर,

तुम्हारा खत मिला। मैं इस फिक्र में था कि तुमने अब तक मेरे खत का जबाब क्यों नहीं दिया। अब मालूम हुआ कि तुम पहाड़ों की सैर कर रहे हो।

अब मेरा किस्सा सुनो। मैं करीब एक माह से बीमार हूँ। मेदा (आमाशय) में गैस्ट्रिक अलस्टर की शिकायत है। मुँह से खून जाता है इसलिए कोई काम नहीं करता। दवा कर रहा हूँ। मगर अभी तक तो कोई इफ़ाका (लाभ) नहीं। अगर बच गया तो ‘बीसवीं सदी’ रिसाला आप लोगों के ख्यालात की अशाअत के लिये जरूर निकालूंगा। ‘हंस’ से तो मेरा ताल्लुक टूट गया। मुफ्त की सर-मगजी, बनियों के साथ काम करके यह सिखा मिला कि तुमने ‘हंस’ में ज्यादा रुपया खर्च कर दिया। इसके लिए मैंने दिलो जान से काम किया। बिल्कुल अकेला अपने वक्त और सेहत का कितना खून किया, इसका किसी ने लिहाज न किया। मैंने ‘हंस’ इन लोगों को इस ख्याल से दिया था कि वह मेरे प्रेस में छपता रहेगा और मुझे प्रेस की

तरफ से गूना (एक प्रकार की) बे-फिक्री रहेगी । लेकिन अब देहली में सस्ता साहित्य मण्डल की तरफ से निकलेगा और इस तबादले में परिषद् को अंदाजन पचास रुपये महीने की बचत हो जायेगी । मैं भी खुश हूँ ।

जिस लिट्रेचर की इशाअत कर रहा था, वह हमारा लिट्रेचर नहीं है, वह तो वही भक्तनी वाला महाजनी लिट्रेचर है, जो हिन्दी जुबान में काफी है...

मेरा नाविल 'गोदान' हाल ही में निकला है । उसकी एक जिल्द (प्रति) भेज रहा हूँ । उदूँ में रीव्यू करना । 'मैदाने अमल' का नुस्खा तो तुम्हारे यहाँ पहुँचा ही होगा, उस पर भी लिखना । "गोदान" के लिये एक पब्लिशर की तलाश कर रहा हूँ । मगर उदूँ में तो हालत जैसी है, तुम जानते ही हो, बहुत हुआ तो एक रुपया सफ़ा कोई दे देगा ।

और अब खैरीयत है । मौलवी अब्दुल हक़ क़िब्ला की ख़िदमत में मेरा आदाब कहना ।

मुखलिस

घनपतराय'

हिंदी परिषद् और सस्ता साहित्य मंडल गांधी जी की देख-रेख में चल रहे थे । "हंस" लेने का फैसला वर्धा की एक बैठक में हुआ था, जिसमें प्रेमचंद को भी बुलाया गया था ।

मगर पचास रुपये महीना की बचत देखने वाले बनिये "हंस" को मोती कहां खिला सकते थे ? यह तो प्रेमचन्द ही का बूता था । जून सन् १९३६ के "हंस" में सेठ गोविंददास का एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसे सरकार ने आपत्ति-जनक समझा और "हंस" से ज़मानत मांग ली । परिषद् ने ज़मानत देने से इनकार करके पत्र बंद करने की घोषणा कर दी । प्रेमचंद उस वक्त बीमार थे । उन्हें परिषद का यह बनियापन बहुत नागवार मालूम हुआ । उन्होंने तुरन्त ज़मानत दाखिल कराई और पत्र अपने अधिकार (मलकियत) में लेकर जारी रखा ।

इससे पहिले भी सरकार ने "हंस" पर कई हमले किये थे । उसके प्रकाशन के छः महीने बाद ही जून सन् १९३० में पहली बार ज़मानत मांगी गई थी, जिसके कारण पत्र बंद हो गया । लेकिन जनवरी सन् १९३१ में आर्डीनेंस खत्म हो गया तो फिर निकालने लगे । मगर दो ही तीन अङ्क निकले थे कि प्रेमचंद की "क्रांतिल" कहानी प्रकाशित होने पर फिर ज़मानत मांगी गई; लेकिन बनारस के कलक्टर की सिफारिश पर सरकार ने हुकम वापस ले लिया और "हंस" बदस्तूर निकलता रहा ।

प्रेमचंद ने किसी मूल्य पर "हंस" को जारी रखने का निश्चय कर लिया था। मरते दम भी उन्हें अगर कोई चिंता थी तो यही कि मेरे बाद "हंस" कैसे जीवित रहेगा। वे उसे अपने "बेटे" की तरह प्यार करते थे। 'हंस' और जागरण को जीवित रखने के लिये उन्हें सन् १९३४ में फिल्म की नौकरी स्वीकार करनी पड़ी थी।

उनके बाद शिवरानी देवी ने और उनके बेटे अमृतराय ने हंस को बदस्तूर जारी रखा है और 'हंस' प्रेमचंद की प्रगतिशील परम्पराओं का वाहक है, जिसके कारण पाठक उससे अनुराग रखते हैं। आर्थिक कठिनाइयों के कारण अमृतराय ने दिसम्बर सन् १९४७ में छः महीने के लिये "हंस" को बंद रखने की घोषणा की थी। पाठकों ने इस फैसले का ज़बर्दस्त विरोध किया और टेप्रोस्ट के खत लिखे। पटना के एक पाठक का पत्र देखिए—

"मैं एक अरसे से 'हंस' का पाठक रहा हूँ। 'हंस' जो नीति बरतता रहा है, उसका मैं कायल हूँ। 'हंस' कांग्रेस के ढंग से जनता की सेवा करने का ढोंग नहीं करता रहा है। उसने वर्ग विभाजन को समझा है और जनता की सेवा करने की उसमें सच्ची लगन है। आज जब हमें प्रतिक्रियावाद पर, जो हमारे चारों तरफ मौजूद है और जो अपना खूनी पंजा और मजबूत करना चाहता है, चौतरफा हमला करना है। 'हंस' प्रतिक्रियावाद के हल्के को तोड़ने के लिये हमारे हाथ में एक बहुत मजबूत हथौड़ा है।"

इस हथौड़े की चोटों से घबराकर संयुक्त प्रान्त की कांग्रेस सरकार ने मई सन् १९४६ में "हंस" के सम्पादक अमृतराय को एक नोटिस दिया, जिसमें 'हंस' पर साम्प्रदायिकता और लोगों को भड़काने का आरोप लगा कर पत्र को बंद करने की धमकी दी थी। हिंदी और उर्दू के तमाम गम्भीर और मानवता-प्रेमी लेखकों और सम्पादकों ने कांग्रेस सरकार के इस क़म की निंदा की और "हंस" को इस आक्रमण से सुरक्षित रखा।

इसके बावजूद घरेलू भगड़ों के कारण "हंस" काफी दिनों से बंद है। मालूम हुआ है कि अमृतराय ने बड़े भाई श्रीपतराय से बँटबारा करके अपने हिस्से का प्रेस अलग कर लिया है। 'हंस' इस प्रेस में फिर छपने लगा है।

अमृतराय ही नुकसान के बावजूद पहले चला रहे थे और अब भी चलायेंगे। इस संघर्ष काल में 'हंस' की बड़ी जरूरत है। प्रेमचंद ने जिस मजिल की ओर निर्देश किया था अमृतराय बड़ी तेजी से उसी ओर बढ़ रहे हैं। 'हंस' उनके और दूसरे लेखकों के हाथ में हथौड़ा है। जिससे वे मार्ग की चट्टानों

को तोड़ सकते हैं। मार्ग यह है, जो प्रेमचंद ने अपने 'बुरजवा कलचर' (महाजनी सभ्यता) लेख में दिखाया था :—

“इस कलचर ने समाज को दो हिस्सों में बाँट दिया है, जिनमें एक हड़पने वाला है, दूसरा हड़पा जाने वाला है। इस महाजनी सभ्यता का अंत हुआ है रूस में। और जो समाजिक व्यवस्था इस देश के लिये लाभकारी सिद्ध हुई है, वह हिंदुस्तान के लिये भी हो सकती है।”

: १६ :

समर यात्रा

“आदमी आपसी संघर्ष से घबराय, तो कायर है।”

—प्रेमचन्द

प्रेमचन्द ने “सोजे वतन” सन् १९०९ में लिखी थी उस समय देश में बंग-भंग का आन्दोलन चल रहा था। इस पुस्तक का उद्देश्य इस आन्दोलन को आगे बढ़ाना और देशवासियों में देश-प्रेम की भावना को पुष्ट करना था। सरकार ने उसे ज़ब्त कर लिया। इस पुस्तक के बाईस-तेईस साल बाद उन्होंने कहानियों की एक और पुस्तक लिखी, जिसका नाम “समर यात्रा” था। इस समय देश में सविनय-भंग आन्दोलन चल रहा था। पुस्तक का उद्देश्य इस आन्दोलन को प्रगति देना तथा स्वतन्त्रता-संग्राम को तेज़ करना था। इस पुस्तक को भी सरकार ने ज़ब्त कर लिया था।

सन् १९०९ में आज़ादी और देश-भक्ति एक रोमाञ्चकारी भावना थी। मनुष्य के मन में यह भावना इसलिये उत्पन्न होनी चाहिये कि उसे नायक बनना है, अपने व्यक्तित्व को ऊँचा उठाना है। जिसके मन में यह भावना नहीं, वह अधम है; मनुष्य के वेष में पशु है। आज़ादी एवं स्वराज्य मनुष्य का जन्म-सिद्ध अधिकार है। बस ऐसी ही बातें और नारे इस भावना का आधारमात्र थीं। यह भावना मैज़िनी और गैरीनाल्डी आदि विदेशी देश भक्तों से उधार ली जा सकती थी। चुनाचे प्रेमचन्द ने ‘सोजे-वतन’ की भावना-प्रधान कहानियों की तरह मैज़िनी, गैरीनाल्डी और रंजीतसिंह आदि के जीवन-चरित्र भी लिखे थे। उस समय स्वतन्त्रता-आन्दोलन के आर्थिक पहलुओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं किया जाता था। जिस तरह आज़ादी और देश-भक्ति का यह आकांक्षी-विचार नाकिस है, उसी तरह यह कहानियाँ भी कला की दृष्टि से कमज़ोर थीं। लेकिन सन् १९३०-३२ तक हमारा स्वतन्त्रता संग्राम कई मंज़िलें तः कर चुका था। वह सिर्फ बहस करने वाले वकीलों, अग्रज से अधिकारियों के

भीख माँगने वाले व्यापारियों और मध्य वर्ग का आन्दोलन नहीं रह गया था। आर्थिक संकट मेहनतकश जनता की कमर तोड़ रहा था। मजदूर किसान स्वतन्त्रता संग्राम में खिंचे चले आ रहे थे। संसार में बड़े-बड़े परिवर्तन हो रहे थे। रूस की मजदूर क्रान्ति बुर्जुवाई वर्ग के समस्त विरोध और षडयन्त्रों को कुचल कर दुनियाँ भर से मजदूर और श्रमजीवी वर्ग की संगठित शक्ति का लोहा मनवा चुकी थी और अब रूस पंच-वर्षीय आर्थिक योजनाएँ बनाकर समृद्धि और सम्पन्नता की ओर बढ़ रहा था। दुनियाँ भर के पढ़े-लिखे नौजवान और मानवता प्रेमी बुद्धिजीवी रूस की नयी व्यवस्था से प्रभावित हुए थे। हमारे देश में भी गर्म दल नौजवानों की पार्टियाँ ऐसी ही क्रान्ति के लिये प्रयत्नशील थीं।

प्रेमचन्द तो पहले ही इस क्रान्ति का स्वागत कर चुके थे। अब मजदूरों तथा किसानों को सफल होते देखकर और भी खुश होते थे और अपने देश में शासक और पूंजीपति वर्ग की लूट-खसोट को समाप्त करने के लिये रूसी ढंग की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन करते थे।

गालबन नवम्बर १९२८ की बात है। प्रेमचन्द लखनऊ में थे। वायसराय वहाँ आया। यू० पी० के ज़मींदारों ने उसका स्वागत किया और उसके आगमन की खुशी में रात को चालीस हजार रुपये की आतिशबाज़ी जलाने का आयोजन किया। प्रेमचन्द ने घर जाकर इस बात की चर्चा की तो शिवरानीदेवी बोलीं, हमने तो इतनी बड़ी आतिशबाज़ी कभी नहीं देखी, क्या आप देखने चलेंगे? प्रेमचन्द बोले, हाँ क्यों नहीं चलूंगा। गरीबों का घर फूंक तमाशा देखा जायगा।”

शिवरानीदेवी उस समय यह नहीं समझती थीं कि इसमें गरीबों का घर फूंकता है। उनका खयाल था कि बड़े-बड़े ज़मींदार राय बहादुर और खान बहादुर यह सारा समारोह करते हैं और उन्हीं का पैसा खर्च होता है। लेकिन प्रेमचन्द ने उन्हें बताया कि देश में जो अस्सी फीसदी किसान और कुछ दूसरे लोग बसते हैं, उनकी मेहनत से यह दौलत पैदा होती है। एक ओर तो मेहनत करने वालों को दो जून रूखी रोटियाँ भी नहीं मिलतीं और दूसरी ओर यह लोग सिर्फ़ इस आशा में कि वायसराय खिताब देगा, चालीस-चालीस पचास-पचास हजार रुपये आतिशबाज़ी में फूंक देते हैं। अंग्रेज़ और उनके देशी पिट्टू नाहिक गरीबों का खून चूसते हैं।

इसके बाद जो बहस शुरू हुई उसे शिवरानीदेवी अपनी पुस्तक “प्रेमचन्द घर में” इस प्रकार उद्धृत करती हैं:—

मैं बोली:—जब स्वराज्य हो जायगा, तब क्या शोषण बन्द हो जायगा ?

आप बोले:—थोड़ा बहुत तो हर जगह होता है। यही शायद दुनियाँ का नियम हो गया है कि कमजोर का शोषण बलवान करें। हाँ, रूस है, जहाँ कि बड़ों को मार-मार कर दुहस्त कर दिया गया, अब वहाँ गरीबों को आनन्द है। शायद यहाँ भी कुछ दिनों के बाद रूस जैसा ही हो।”

मैं बोली:—“क्या आशा है कुछ ?”

आप बोले:—“अभी जल्दी इसकी आशा नहीं।”

मैं बोली:—“मान लो कि जल्दी हो जाय, तब आप किसका साथ देंगे ?”

आप बोले:—“मजदूरों और काश्तकारों का। मैं पहले ही सबसे कह दूँगा। कि मैं भी मजदूर हूँ। तुम फावड़ा चलाते हो, मैं कलम चलाता हूँ। हम दोनों बराबर हैं।”

मैं हँसकर बोली:—“इस तरह कहने से काम नहीं चलेगा। ये तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे।”

वह बोले:—“तब तक सब लोग पढ़ जायेंगे। क्या रूस में लेखक नहीं हैं ? वहाँ के लेखकों की हालत यहाँ के लेखकों की हालत से कई गुना अच्छी है। मैं तो उस दिन के लिये मरता हूँ कि यह दिन जल्दी आये।”

मैं बोली:—“तो रूस वाले यहाँ भी आयेंगे ?”

वह बोले:—“वे यहाँ नहीं आयेंगे। हमों लोगों में वह शक्ति आयगी। वह हमारे सुख का दिन होगा। जब यहाँ मजदूरों और काश्तकारों का राज होगा। मेरा ख्याल है कि आदमियों की जिंदगी औसतन दूनी हो जायगी।

मैं बोली:—“वह कैसे ?”

आप बोले:—“सुनो, वह इस तरह होगा कि अभी हमको रात दिन मेहनत करने पर भी भरपेट आराम से रोटियाँ नहीं मिलतीं। रात दिन कुछ न-कुछ-फिक्र हमेशा रहती है।”

मैं बोली:—“तो फिक्र हम लोग अपने आप ही तो करते हैं। मजदूरों का राज होने पर क्या हम लोगों को फिक्रों से छुटी मिल जायगी ?”

आप बोले:—क्या नहीं छुटी मिलेगी ? हमको आज मालूम हो जाय कि हमारे मरने के बाद भी हमारे बीबी बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होगी और उसकी जिम्मेदारी हमारे सिर पर नहीं, बल्कि राष्ट्र के सिर पर है तो हमारा क्या सिर फिर गया है कि हम अपनी जान खपाकर दिनरात मेहनत करें और आमदनी का कुछ-न-कुछ हिस्सा काटकर अपने पास जमा करने की कोशिश करें ? हमको आज मालूम हो जाय कि हमारे मरने के बाद हमारे बालबच्चों

को कोई तकलीफ नहीं होने पायगी, तो ऐसा कौन आदमी है कि आराम से खाना-पहनना नहीं चाहेगा ?”

स्पष्ट है कि प्रेमचंद के मन में मनुष्य के महान् भविष्य में विश्वास बढ़ गया था और उनके मस्तिष्क में आज़ादी का सही और स्पष्ट रूप अंकित हो गया था। अब वह उसी आज़ादी के लिये लिख रहे थे और संघर्ष कर रहे थे। पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी सम्पादक 'विशाल भात' ने उनसे दरियापत्त किया था कि आपकी अभिलाषायें क्या हैं ? इसके जवान में उन्होंने जून सन् १९३० में लिखा था :—

“मेरी अभिलाषायें बहुत सीमित हैं। इस समय सबसे बड़ी अभिलाषा यही है कि हम अपने स्वतंत्रता-संग्राम में सफल हों। मैं दौलत और शोहरत का इच्छुक नहीं हूँ। खाने को मिल जाता है। मोटर और बंगले की मुझे हविस नहीं है। हाँ, यह जरूर चाहता हूँ कि दो चार उच्चकोटि की रचनायें छोड़ जाऊँ; लेकिन उनका उद्देश्य भी स्वतन्त्रता-प्राप्त ही हो..... मैं जड़-जीवन को भी ना पसंद करता हूँ। साहित्य और देश-सेवा का मुझे हमेशा से ध्यान है।

सोने और रुपये से लदा हुआ व्यक्ति किसी भी हैसियत से बड़ा नहीं होता। नौजवान मनुष्य को देखते ही कला और शिक्षा के बारे में उसके बड़बोलों को मैं दूसरे कान से निकाल देता हूँ। मुझे यह लगता है कि इस व्यक्ति ने उस सामाजिक व्यवस्था का समर्थन किया है, जो अमीरों के हाथों गरीबों का खून चूसने पर कायम है। ऐसा कोई बड़ा नाम मुझे प्रभावित नहीं कर सकता जो धन का पुजारी हो। मुमकिन है कि मेरे असफल जीवन ने मेरी भावनाओं को इतना कटु बना दिया हो और यह भी मुमकिन है कि बैंक में कोई मोटी रकम जमा करने के बाद शायद मैं भी उन जैसा हो जाता और लालच का मुकाबिला न कर सकता। लेकिन मुझे गर्व है कि प्रकृति और सौभाग्य ने मेरी सहायता की और मुझे गरीबों के दुख का भागी बना दिया। इससे मुझे आध्यात्मिक संतोष मिलता है।”

जब नानकोग्रापेशन के (असहयोग आन्दोलन) के अन्तिम दिनों में स्वराज्य पार्टी बनी और कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई, तो २७ फरवरी सन् १९२३ को सम्पादक ज़माना के नाम एक पत्र में प्रेमचन्दजी ने लिखा:—

“आपने मुझ से पूछा था कि मैं किस पार्टी के साथ हूँ, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। इसलिये कि इस वक्त दोनों में कोई पार्टी असली काम नहीं कर रही है। मैं उस आने वाली पार्टी का मेम्बर हूँ, जो अग्रिम-अलनास (जन

साधारण) की सियाली तालीम को अपना दस्तूरूल-अमल (विधान) बनायेगी ।”

इन सब बातों से विदित है, वे चाहते थे कि जनता उभरे। जब देखते थे कि अपने ही देश का शिक्षित समुदाय और पूँजिवादी वर्ग उसे जाहिल बनाकर लूट रहा है, तो वे उसके मुकाबिला में जनता की हिमायत करते थे, और हर तरह की लूट-खसोट खत्म करना चाहते थे। पूँजीपति वर्ग का स्वार्थ देखकर उन्हें विश्वास होता जा रहा था कि आजादी की लड़ाई भी जनता ही लड़ेगी। इस लड़ाई में धनी वर्ग कभी जनता का साथ नहीं दे सकता। वह उनसे धोखा करेगा। ‘रंगभूमि’ में कुंवर भरतसिंह जब सम्पत्ति के मोह में आंदोलन से गहारी कर गया तो प्रेमचन्द ने डाक्टर गांगुली के मुख से कह लाया है :—

“अब आपको विदित हुआ होगा कि हम क्यों सम्पत्ति शाली पुरुषों पर भरोसा नहीं करता। वह तो अपनी सम्पत्ति का गुलाम है। वह कभी सत्य के समर में नहीं आसकता। जो सिपाही सोने की ईंट गर्दन में बाँधकर लड़ने चले, वह कभी नहीं लड़ सकता। उसको तो अपनी ईंट की चिंता लगी रहेगी।”

स्वतंत्रता, संग्राम का यह नया दृष्टि कोण था, जो “सोजे-वतन” की देश-भक्ति से सर्वथा भिन्न था। इस विचार धारा का श्रोत जनता की लूट-खसोट और विवशता थी और उन्हीं को अपनी कठिन ‘समस्यायों का हल करने के लिये यह लड़ाई लड़नी थी। और स्वराज्य का अर्थ था लूट-खसोट और जुल्म का अन्त करना “समरयात्रा” की कहानियों को देखा जाय तो आजादी की यह विचारधारा बहुत न्नी स्पष्ट रूप में उभर कर सामने आती है।

“समर यात्रा” कहानी ही को लीजिये। दल का नायक देहातियों को समझा रहा है। वह उनकी भावनाओं से नहीं खेलता, धर्म के नाम पर अपील नहीं करता बल्कि उनकी सामाजिक व्यवस्था को भावना का आधार बनाकर कहता है :—

“आपको भोग विलास से मतलब नहीं अपना काम करना और अपनी दशा पर संतोष रखना, यह आपका आदर्श है। लेकिन आपका यही देवत्व, आपका यही सीधापन आपके लिये घातक हो रहा है।..... खेतों का लगान बरसाती नाले की तरह बढ़ता जाता है, आप चूँ तक नहीं करते। अमले और अहलकार आपको नोचते रहते हैं, आप ज़बान नहीं हिलाते। इसका यह नतीजा हो रहा है कि आपको लोग दोनों हाथों से लूट रहे हैं, पर आपको

खबर नहीं। आपके हाथों से सभी रोजगार छिनते जा रहे हैं, आपका सर्वनाश हो रहा है; पर आप आँखें खोल कर नहीं देखते।

एक दूसरी कहानी “जेल” है। इस कहानी में मृदुला और क्षमा देवी दो औरतें हैं। जो सविनय भंग आंदोलन में जेल जाती हैं। मृदुला पहले जेल में है और क्षमा देवी बाद में आकर उसे बाहर के हालात सुनाती है। उसने एक ठंडी साँस ली और सजल नेत्रों से बोली:—

“तुम्हें बाहर की खबरें क्या मिली होंगी। परसों शहर में गोलियाँ चलीं। देहातों में आज कल संगीनों की नोक से लगान वसूल किया जा रहा है। किसानों के पास रुपये हैं नहीं, दें तो कहां से दें! अनाज का भाव दिन-दिन गिरता जा रहा है। पौने दो रुपये में मन भर गोहूँ आता है। मेरी उन्न ही अभी क्या है। अम्मां जी भी कहती हैं कि अनाज इतना सस्ता कभी न था। खेत की उपज से बीजों तक के दाम नहीं आते। मेहनत और सिंचाई इसके ऊपर। गरीब किसान लगान कहां से दें। उस पर सरकार का हुक्म है कि लगान कड़ाई के साथ वसूल किया जाय। किसान इस पर भी राज़ी है कि हमारा जमा-जग्था नीलाम कर लो, घर कुर्क कर लो, अपनी ज़मीन ले लो; मगर यहाँ तो अधिकारियों को अपनी कारगुजारी दिखाने की फिरक पड़ी हुई है। वह चाहे प्रजा को चक्की में पीस ही क्यों न डालें सरकार उन्हें मना नहीं करेगी। सरकार को तो अपने कर से मतलब है। प्रजा जिये या मरे, इससे कोई प्रयोजन नहीं। अक्सर जमींदारों ने तो लगान वसूल करने से इनकार कर दिया है। अब पुलिस उनकी मदद पर भेजी गई है। भैरवगंज का सारा इलाका पीसा जा रहा है।”

“कर्म भूमि” उपन्यास भी इसी स्वतंत्रता-संशाम के बारे में लिखा गया था। इसमें भी किसानों की यही तस्वीर खींची गई है। लिखते हैं:—

“इस साल अनायास ही जिन्सों का भाव गिर गया। इतना गिर गया, जितना चालीस साल पहले था। जब भाव तेज़ था, किसान अपनी उपज बेच-बाचकर लगान दे देता था। लेकिन जब दो और तीन की जिन्स एक में बिके तो किसान क्या करे। कहां से लगान दे, कहां से दस्तूरियां दे और कहां से कर्ज़ चुकाये। विकट समस्या आ खड़ी हुई, और यह दशा कुछ इसी इलाके की न थी। सारे प्रान्त, सारे देश, यहां तक कि सारे संसार में यह मंदी थी। चार सेर का गुड़ कोई दस सेर में भी नहीं पूछता। आठ सेर का गोहूँ डेढ़ रुपये मन भी मँडगा है। ३०) मन की कपास १०) में जाती है, १६) मन का सन ४) में। किसानों ने एक-एक दाना बेच डाला, भूसे का एक-एक तिनका

भी न रखा; लेकिन यह सब कुछ करने पर भी चौथाई लगान से अधिक अदा न कर सके ।”

उस समय के आर्थिक संकट की कितनी सीधी, सच्ची तस्वीर है। जब अनाज कौड़ियों के भाव विकता था तो किसान लगान कहां से देते? उधर विश्वव्यापी मंदी के कारण दुकानदार और मध्यमवर्ग की कमर टूट रही थी। बेकारी दिन-दिन बढ़ती जा रही थी, जिससे देश में बेचैनी फैलती जा रही थी। लावा उबलता है, तो भूंचाल आता है, जड़ता टूटती है। देश में भूख का लावा उबल रहा था और सत्ताधारी वर्ग का सिंहासन डोल रहा था।

इन्हीं परिस्थितियों में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था और डांडी को मार्च करते हुए घोषित किया था—“मैं लौटूंगा तो आजादी लेकर, वरना मेरी लाश समुन्द्र में तैरती नजर आयेगी।”

लोगों ने इस बात को सच समझा और सारा देश हरकत में आ गया। नमक कानून तोड़ा जाने लगा, विलायती कपड़े जलाये जाने लगे, विदेशी कपड़े और शराब की दुकानों पर पिकेटिंग होने लगी और जेलें भरी जाने लगीं। प्रेमचंद भी जेल जाने को तैयार थे; लेकिन उनसे पहले शिवरानी देवी चली गईं। अब अगर प्रेमचंद भी जायें, तो पीछे बच्चों को कौन संभाले, घर का क्या बने? इसलिये जेल जाने की हसरत मन में रह गई।

उनके दिल में स्वतंत्रता-संग्राम में सम्मिलित होने की जो उत्कट भावना थी—उसे उन्होंने समर-यात्रा की कहानियों में कार्यान्वित किया। अगरचे यह स्वतन्त्रता संग्राम भी गांधी जी के नेतृत्व में और अहिंसा के सिद्धान्त पर चलते हुए लड़ा जा रहा था और प्रेमचंद उनके नेतृत्व को कबूल करते थे; लेकिन आश्चर्य की बात है कि इन कहानियों से ऐसा लगता है कि उन्हें गांधीवाद पर विश्वास नहीं रह गया था। उनके मन में शंका ही नहीं, बल्कि उन्हें साफ दिखाई दे रहा था कि सिर्फ अहिंसा से और महज जुलूस निकाल कर आजादी नहीं आयेगी। इस बात का प्रमाण ‘कातिल’ कहानी है। इसमें मां-बेटे का सम्वाद सुनिये। मां अहिंसा के मानने वाली और बेटा आतंकवादी है:—

‘धर्मवीर :—मुझे आशा नहीं कि पिकेटिंग और जुलूसों से हमें आजादी प्राप्त हो सके। यह अपनी कमजोरी और मजबूरी का खुला ऐजान है। भंडियों निकालकर और गीत गाकर देश आजाद नहीं हुआ करते मुझे तो यह सब कुछ बच्चों का-सा खेल मालूम होता है। लड़कों को रोने-धोने से मिठाइयाँ मिला करती हैं, वही इन लोगों को मिल जायेगा। असली आजादी जभी मिलेगी, जब हम उसका मूल्य चुकाने को तैयार होंगे।”

माँ :—“मूल्य क्या हम नहीं दे रहे हैं, हमारे लाखों आदमी जेल नहीं गये ? हमने डंडे नहीं खाये ? हमने अपनी जायदादें नहीं जब्त करायीं ?

धर्मवीर :—इससे अंग्रेज का क्या नुकसान हुआ। वे हिन्दुस्तान उस वक्त छोड़ेंगे, जब उन्हें विश्वास हो जायेगा कि हम यहां अब एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकते। आज अगर हिंदुस्तान के एक हजार अंग्रेज कत्ल कर दिये जायें तो आज स्वराज्य मिलजाये। रूस इस तरह आज़ाद हुआ, आयरलैंड इस तरह आज़ाद हुआ और हिन्दुस्तान भी इसी तरह आज़ाद होगा...”

इस कहानी के कारण सन् १९३१ में “हंस” से जमानत मांगी, गई थी।

प्रेमचंद इस बात को नहीं मानते थे कि लाठियाँ और गोलियाँ खाते जाओ, आखिर अंग्रेज का हृदय परिवर्तन होगा और वे राज हमें सौंप कर चले जायेंगे।

“जेल” कहानी में पहले दिन जलूस निकलता है, गोलियाँ चलती हैं, बहुत-से लोग मारे जाते हैं। जलूस दूसरे दिन फिर निकलते हैं। प्रेमचन्द उसका समर्थन करते हैं :—

“लोग कहते हैं, जलूस निकालने से क्या होता है। इसमें यह सिद्ध होता है कि हम जीवित हैं, अटल हैं और मैदान से हटे नहीं हैं। हमें अपने हार न मानने वाले आत्माभिमान का प्रमाण देना है। हमें यह दिखाना था कि हम गोलियों और अत्याचारों से भयभीत होकर अपने लच्य से हटने वाले नहीं और हम उस अवस्था का अन्त करके रहेंगे, जिसका आधार स्वार्थपरता और खून पर है।

उधर पुलिस ने भी जलूस को रोक कर अपनी शक्ति और विजय का प्रमाण देना आवश्यक समझा। शायद जनता को धोखा हो गया हो कि कल की दुर्घटना ने नौकर शाही के नैतिक ज्ञान को जाग्रत कर दिया है। इस धोखे को दूर करना उसने अपना कर्त्तव्य समझा। वह यह दिखा देना चाहती थी कि हम तुम पर शासन करने आये हैं और शासन करेंगे।”

उन्हें कांग्रेसी लीडरों की नीति की तह में समझौता बाज़ी भी नज़र आने लगी थी और उन्हें संदेह होने लगा था कि इन लोगों के लाये जो स्वराज्य आयगा, उसमें भी लूट-खसोट इसी प्रकार जारी रहेगी। उनकी कहानी “आहुति” की नायिका रूपमणि कांग्रेस की इस बुर्जवा राजनीति का विरोध करते हुए कहती है :—

“अगर स्वराज्य आने पर भी सम्पत्ति का यही प्रभुत्व रहे और पदा-लिखा समाज यों ही स्वार्थान्ध बना रहे, तो मैं कहूँगी ऐसे स्वराज्य का न आना

ही अच्छा। अंग्रेजी महाजनों की धन लोलुपता और शिक्तियों का सब हित ही आज हमें पीसे डाल रहा है। जिन बुराइयों को दूर करने के लिये आज हम प्राणों को हथेली पर लिये हुए हैं, उन्हीं बुराइयों को क्या प्रजा इसलिये सिर चढ़ायेगी कि वे विदेशी नहीं स्वदेशी हैं? कम-से-कम मेरे लिये तो स्वराज्य का यह अर्थ नहीं कि जॉन की जगह गोविन्द बैठ जायें।”

यह भविष्यवाणी थी।

‘समर यात्रा’ की कहानियों से सिर्फ अंग्रेज सरकार पर ही नहीं, पूंजीपति वर्ग और कांग्रेस की समझौता नीति पर भी गहरी चोट पड़ती थी। अंग्रेज सरकार ने समझ लिया था कि गाँधी जी के नमक सत्याग्रह से यह किताब ज्यादा खतरनाक है। इसलिये उसे जव्त कर लिया।

“कर्मभूमि” उपन्यास में भी आन्दोलन का भौतिक धरातल वही है, जो इन कहानियों में; लेकिन उस पर गाँधीवाद की छाप अधिक गहरी है। सारे आन्दोलन का नेतृत्व ऊँचे वर्ग के लोग करते हैं और अहिंसावादी ढंग से करते हैं। फिर आश्चर्य की बात यह है कि घृणित तथा चोरी का माल खाने वाले समरकान्त और धनीराम जैसे सेठों का हृदय परिवर्तन भी हो जाता है। शायद प्रेमचन्द ने अभी तक इस वर्ग से कुछ आशायें लगा रखी थीं। शायद उन्हें गाँधीवाद का समर्थन करना अभिप्रेत था, वरना इसी उपन्यास में लिखते हैं:—

“धन ही तो संसार में हर प्रकार की गुलामी को कायम रखे हुए है।”

: १६ :

फिल्म

“अपने मन को समझाने के लिये युक्तियों का अभाव नहीं होता। संसार में सबसे आसान काम अपने आपको धोखा देना है।”

—प्रेमचन्द

एक बार प्रेमचन्द और उनकी पत्नी शिवरानी ड्यूँडे दर्जे में सफर कर रहे थे। आजकल की तरह उन दिनों भी गाड़ियों में बड़ी भीड़ रहती थी। बहुत से किसान उनके डिब्बे में घुस आये। पूछने पर मालूम हुआ कि वे शीतलादेवी के दर्शन करने गये थे और एक-एक आदमी के कम-से-कम पन्द्रह-पन्द्रह रुपये खर्च हुए थे। किसान के लिये उन दिनों पन्द्रह रुपये बड़ी बात थी।

प्रेमचन्द समझाने लगे। इसका यह मतलब है कि तुम लोगों ने चार-चार महीने के खाने का अनाज बेच दिया। इससे अच्छा होता कि देवीजी की पूजा तुम लोग घर पर ही कर लेते। देवी देवता तभी खुश होते हैं जब तुम आराम से रहो।

शिवरानीदेवी चाहती थीं कि किसान किसी तरह तीसरे दर्जे के डिब्बे में चले जायें क्योंकि वहाँ भीड़ अधिक हो गई थी। वह बोलीं—“फिर समझा लेना मेरा तो दम घुटा जा रहा है।”

प्रेमचन्द ने जवाब दिया—“उन्हीं के लिये जेल जाती हो, लड़ाई लड़ती हो, और उन्हीं को हटा रही हो। मुझे तो इन शरीबों पर रहम आ रहा है। बेचारे भूखों धर्म के पीछे मर रहे हैं।”

शिवरानी:—“तो गाड़ी में बैठे नहीं सीख जायेंगे।”

प्रेमचन्द:—“आखिर तब कब समझाया जाय ?”

शिवरानी:—“आप इन्हीं के लिये तो पोथा का पोथा लिख रहे हैं।”

प्रेमचन्दः—“यह किताबें लेकर थोड़े ही पढ़ते हैं, हाँ मेरे नात्रिलों के फिल्म तैयार करके गाँव-गाँव में मुफ्त दिखाये जाते, तो लोग देखते।”

(प्रेमचन्द घर में)

यह सन् १९२९ की घटना थी। उसके उपरान्त सन् १९३४ में बम्बई की अजन्ता सिनेटोन फिल्म कम्पनी ने उन्हें बुलाया। प्रेमचन्द ने सोचा, अच्छा अवसर मिला है। बम्बई जाने के लिये तैयार हो गये। इससे माकूल आमदनी की आशा थी। “हंस” और “जागरण” दो पत्र निकल रहे थे। खर्च सामर्थ्य से बढ़ा हुआ था। उन्हें चलाना मुश्किल हो रहा था। शिवरानीदेवी से सलाह की तो उन्होंने मना कर दिया।

आप बोलेः—“तुम्हीं सोचो, बिना जाये काम भी तो नहीं चल सकता। यहाँ जो कुछ आमदनी होती है; अपने पर खर्च हो जाती है। यह “हंस” और ‘जागरण’ कैसे चलें ?”

शिवरानीः—“तो फिर इनके लिये भी मैं बम्बई जाना ठीक नहीं समझती।”

वह बोलेः—“अब जो इन हाथियों को गले से बांधा है, तो क्या उनको चारा नहीं दोगी ? आखिर उनको भी तो जिंदा रखना है।”

शिवरानीः—“आप जो काम करते हैं, जान की आफत मोल ले लेते हैं।”

वह बोलेः—“अरे साहब ! इन बातों का रोना तो पचासों बार हो चुका है। अब जब इनको बांध लिया है तो इनको चलाना भी होगा, और एक बात बताता हूँ, जो वहाँ जाने का खास लाभ होगा वह यह कि उपन्यास और कहानियाँ लिखने में जो लाभ नहीं हो रहा, इससे कहीं ज्यादा फिल्म दिखा कर हो सकता है। कहानियाँ और उपन्यास जो लोग पढ़ेंगे, वे तो उनसे लाभ उठा सकेंगे, फिल्म से हर जगह के लोग लाभ उठा सकते हैं।”

शिवरानीः—“लोग लाभ उठा सकते हैं, मुझे क्या लाभ होगा ?”

प्रेमचन्द—“यह तो तुम्हारी गलती है, लोगों के फायदे के लिये मैं थोड़े ही लिखता हूँ ? अपनी आत्मा के संतोष के लिये जो कुछ लिखता हूँ, उसे जितने ही लोग तादाद में ज्यादासमझ सकें, देख सकें तथा पढ़ सकें, उतना ही मुझे अधिक संतोष मिलेगा। उसके बाद दूसरा फायदा यह होगा कि “हंस” “जागरण” के चलाने के लिये मैं अधिक रुपया दे सकूँगा। नौ हजार रुपये साल वे देने का वादा करते हैं, और उसके साथ यह भी है कि बम्बई में एक साल रहने के बाद वे मुझे दस हजार घर बैठे देंगे.....”

(प्रेमचन्द घर में)

इस आशा में वह बम्बई चले गये और दादर में एक मकान किराया पर लेकर रहने लगे। वहाँ से १० जुलाई सन् १९३४ को सम्पादक जमाना के नाम एक पत्र लिखा:—

“मैं एकम जुलाई को बम्बई चला आया, इस कम्पनी से एक मुआहिदा (करारनामा) कर लिया है। साल भर में छः किस्से उसे देने होंगे। रिसालों से मुतवातर (लगानार) नुकसान हो रहा था। बुकसेलरों से रुपये वसूल न होते थे। कागज वगैरह का बार (बोझ) बढ़ता जाता था। मजबूर होकर मैंने यह मुआहिदा कर लिया। छै किस्से लिखना मुश्किल नहीं। डॉ. डायरेक्टरों के मशिवरा से लिखना ज़रूरी है। क्या चीज़ फिल्म के लिये मोजूँ (उचित) होगी, इसका बेहतरीन फैसला वही कर सकते हैं.....।”

प्रेमचन्द को इस वक्त कागज के लिये लग भग दो हजार रुपये के करीब जमा करने थे। बम्बई जाने से पहले जैनेन्द्र कुमार के नाम एक खत में इन्होंने आर्थिक कठिनाईयों का उल्लेख किया था। लिखते हैं:—

“बम्बई की एक फिल्म मुझे बुला रही है। वेतन की बात नहीं, कंट्राक्ट की बात है। ८,००० सालाना। मैं उस अवस्था को पहुँच गया हूँ, जब मुझे इसके सिवा कोई उपाय नहीं रह गया है, या तो वहाँ चला जाऊँ या अपने उपन्यास को बाजार में बेचूँ।.....कम्पनी वाले हाजरी की कोई कैद नहीं रखते। मैं जो चाहूँ लिखूँ जहाँ चाहे चला जाऊँ। वहाँ साल भर रहने के बाद ऐसा कंट्राक्ट कर लूँगा, यहीं (बनारस में) बैठे-बैठे मैं चार कहानियाँ लिख दिया करूँगा। और चार पाँच हजार रुपये मिल जाया करेंगे, जिनसे जागरण व ‘हंस’ दोनों मजे में ‘चलेंगे’ और पैसों का संकट कट जायगा।”

इन दिनों बेकारी और मन्दी खूब फैल रही थी, जिसके कारण मजदूरों और मिल मालिकों में टक्कर हो रही थी। प्रेमचन्द समय की इस जटिल समस्या से उदासीन कैसे रह सकते थे और मजदूरों तक अपना संदेश पहुँचाने के लिये फिल्म एक अच्छा साधन था। इसलिये उन्होंने अपनी पहली कहानी “मिल मजदूर” लिखी।

लिखने के बाद यह कहानी फिल्म के रूप में कैसे तैयार हुई, इस विषय में एक साहब ललितकुमार ने लिखा है जो प्रेमचन्द की सहायता से कम्पनी के ऐ क्टरों में भरती हुए थे, और प्रेमचन्द से लग-भग प्रतिदिन का मिलना होता था। उन्होंने एक लेख “मिल मजदूर फिल्म कैसे बनी” में लिखा है:—

“उस वक्त वह अपनी कहानी “मिल मजदूर” समाप्त करने में व्यस्त थे।

कहानी समाप्त करते ही उन्हें उसका उद्गु अनुवाद भी करना पड़ा, क्योंकि कम्पनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर मिस्ट भूटानी और उनके साथी मिस्टर खलील आफताब हिंदी न जानते थे। फिर सेनेरियो की सुविधा और भूटानी साहब की सम्मति के अनुसार कहानी में कई परिवर्तन करने पड़े। कुछ नई बातें जोड़ीं। और कुछ हटायी गईं। जो शकल पहले निश्चित की गई थी, उसके तमाम भाग अलग कर दिये गये और कहानी को नया रूप दे दिया गया। इससे प्लॉट में सिर्फ तबदीली ही नहीं हुई, बल्कि कई स्थानों पर वास्तविक अर्थ और भाषा का माधुर्य भी जाता रहा। इसके बाद शूटिंग शुरू हुई। तस्वीर तैयार की जाने लगी और कई स्थानों पर तबदीलियाँ हुईं। खैर, दिन रात मेहनत कर के तीन महीने में फिल्म तैयार हुई। इस फिल्म से कम्पनी को बड़ी-बड़ी आशाएँ थीं, क्योंकि इसमें एक ऐसी सामयिक समस्या पर प्रकाश डाला गया था, जिसमें घनियों अर्थात् मिल मालिकों और मजदूरों का संघर्ष दिखाया गया था। प्रेमचन्द की इस जोशीली तस्वीर में इस समस्या पर बहुत ही सुन्दर रीति-से प्रकाश डाला है। मालिकों के स्वार्थपूर्ण व्यवहार, अत्याचार, दमन और मन माना बरताव, मजदूरों की दुर्दशा, उनकी बहू बेटियों की दीन दशा और उसका कुपरिणाम आदि सब बातें बड़ी स्पष्टता और योग्यता से दिखाई गई हैं.....।”

इस फिल्म में एक पंचायत भी है, जिसके प्रधान प्रेमचन्द खुद हैं। इस पंचायत का काम मिल-मालिकों और मजदूरों में समझौता कराना है, अर्थात् इस फिल्म में गांधीवाद की समझौता नीति मौजूद है। जिसका आशय वर्ग संघर्ष को वर्ग-समन्वय में ढालना है, जो मिल-मालिकों और मिल-मजदूरों को मिल-जुलकर—पिता-पुत्र के समान रहने का उपदेश करती है।

लेकिन गांधीवाद की यह हड़ताल-तोड़ नीति अपनाने के बावजूद प्रेमचन्द की यह विशेषता है कि वे भौतिक परिस्थितियों को दृष्टि से ओझल नहीं करते। वे मजदूरों, किसानों और ये श्रमजीवि-वर्ग के संघर्ष की जड़ें, सदा उनकी आर्थिक समस्याओं में ढूँढते हैं। और बिल्कुल ठीक ढंग से उभरते हुए दिखाते हैं।

उनकी एक कहानी “डामल का कैदी” है, जिसमें गांधीवाद के अनुसार मिल-मालिक का सिर्फ हृदय परिवर्तन ही नहीं होता, बल्कि आवागमन की भूल-भुलैयाँ भी मौजूद हैं जिससे असल सवाल काफी उलझन में पड़ जाता है फिर भी वर्ग संघर्ष काफी तीव्रता से उभर कर सामने आता है। प्रेमचन्द ने

एक ओर सेठ की लोलुपता और पाखंड का चित्रण किया है और दूसरी ओर मजदूरों को छाँटी, मजदूरी में कमी और उसके परिणाम स्वरूप हड़ताल और संघर्ष भली प्रकार दर्शाया है।

कहानी के कुछ उद्धरण प्रस्तुत हैं—

“सेठ जी के जीवन का मुख्य काम धन कमाना था, और उसके साधनों की रक्षा करना उनका मुख्य कर्त्तव्य। उनके सारे व्यवहार इसी सिद्धान्त के अधीन थे।”

“अन्य धनियों की भांति सेठजी ने भी एक मंदिर बनवाया था। सेठजी की पूजा के लिये एक पुजारी नौकर रख लिया था और नित्य प्रति दर्शन किया करते थे रात को संसार के धन्दों से निपट कर।”

“सेठ खूबचन्द का स्वदेशी मिल देश के बहुत बड़े मिलों में है। जब से स्वदेशी आन्दोलन चला है, मिल के माल की खपत दूनी हो गई है। सेठजी ने कपड़े की दर में दो आने रुपया बढ़ा दिये हैं। फिर भी बिक्री में कोई कमी नहीं है; लेकिन इधर अनाज कुछ सस्ता हाँ गया है, इसलिये सेठजी ने मजदूरी घटाने की सूचना दे दी है। कई दिन से मजदूरों के प्रतिनिधियों और सेठजी में बहस होती रही! सेठजी जौ-भर भी न दबना चाहते थे। जब उन्हें आधी मजूरी पर नये आदमी मिल सकते हैं, तब वह क्यों पुराने आदमियों को रखें। वास्तव में यह चाल पुराने आदमियों को भगाने ही के लिये चली गई थी।” •

फिर जब हड़ताल होती है, तो सेठ जी और सरकार का गठबंधन देखिये:—

“प्रातःकाल का समय है मिल के हाते में मजदूरों को भीड़ लगी हुई है। कुछ लोग चहार दीवारी पर बैठे हैं, कुछ ज़मीन पर; कुछ इधर-उधर मटर गरती कर रहे हैं। मिल के द्वार पर काँस्टेबलों का पहरा है। मिल में पूरी हड़ताल है।”

मजदूरों का प्रतिनिधि लाख गिन्नत-आरजू करता है पर सेठ जी एक नहीं सुनते। वह हार कर अपने मजदूर साथियों से कहता है:—

“वह मजूरी घटाने पर तुले हुए हैं, चाहे कोई काम करे, या न करे। इस मिल को इस साल दस लाख का फायदा हुआ है। धन वालों का पेट कमी नहीं भरता। व्यापार मंडल उनकी ओर है। सरकार उनकी ओर है, मिल के हिस्सेदार उनकी ओर हैं। हमारा कौन है? ... साथियो! प्रण कर लो कि किसी बाहरी आदमी को मिल में नहीं घुसने देंगे, चाहे वे अपने साथ फौज

लेकर ही क्यों न आये। कुछ परवाह नहीं, हमारे ऊपर लाठियाँ बरसें, गोलियाँ चलेँ...”

लड़ाई भी होती है खून भी बहता है और कहानी इस प्रकार आगे चलती है। फिल्म की कहानी भी इसी प्रकार आगे चली होगी। कतर-ब्योंत के बावजूद कम्पनी को उम्मीद थी कि फिल्म खूब चलेगी। लेकिन सेंसर की कैंची ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस निर्दयता से काँट-छाँट की कि फिल्म की घञ्जियाँ उड़ा दीं। कितने ही प्रभावशाली सीन काट दिये गये और कई छोटे कर दिये। फिल्म का उद्देश्य नष्ट और चेहरा विकृत हो गया।

कम्पनी को फिर से मेहनत करके कितनी ही तस्वीरों दोबारा लेनी पड़ीं। फिर भी सेंसर की तसल्ली न हुई। बम्बई सरकार ने फिल्म का प्रदर्शन बंद कर दिया। अलबत्ता पंजाब में, चूँकि वहाँ कारखाने और मजदूर नहीं थे, यह फिल्म कुछ दिनों दिखाई गयी; मगर बम्बई सरकार का अनुकरण करते हुए पंजाब सरकार ने भी इसे जल्द बंद कर दिया। फिर मिस्टर भूटानी ने डेढ़ साल की कोशिशों के बाद “उसे ग़रीब मजदूर” के नाम से दिखाने की आज्ञा प्राप्त की, क्योंकि ग़रीब मजदूर को तो सरमायेदार देख सकता है, उस पर दया कर सकता है; लेकिन लड़ाका मजदूर देखना उसे गवारा नहीं। भय लगता है।

इस बात ने प्रेमचंद को निराश कर दिया। वे जो अरमान लेकर बम्बई आय थे, पूरा नहीं हुआ। उन्होंने एक और फिल्म “नवजीवन” या “शेर दिल” औरत लिखी; उसकी भी उनकी इच्छा के अनुसार फिल्म नहीं बनी। डायरेक्टरों के व्यवहार ने उन्हें फिल्म से बिल्कुल निराश कर दिया। उन्होंने एक दिन शिवरानी देवी से कहा:—“यहां जो कुछ है, सिनेमा के मालिक लोगों के हाथों में है। लेखक को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता वह तो हमेशा कमाना जानते हैं।”

और साल भर भी बम्बई आये नहीं हुआ था कि जैनेंद्र कुमार के नाम ३० अप्रैल सन् १९३५ को एक खत लिखा:—

“मैं जिन इरादों से आया था, उनमें एक भी पूरा होता नज़र नहीं आता। यह प्रोड्यूसर जिस ढंग की कहानियाँ बनाते आये हैं, उस लीक से जौ भर नहीं दृष्ट सकते। अश्लील मज़ाक को यह लोग तमाशे की जान समझते हैं। अद्भुतता ही में उनका विश्वास है राजा-रानी, उनके मंत्रियों के षड्यंत्र, नक़ली लड़ाई आदि ही उनके मुख्य साधन हैं। मैंने सामाजिक कहानियाँ लिखी हैं, जिन्हें शिक्षित समाज भी देखना चाहे। लेकिन उनकी फिल्म बनाने में इन लोगों को संदेह होता है कि चलेँ या न चलेँ। यह साल तो पूरा करना

है ही । कर्जदार हो गया हूँ । कर्ज पटा दूँगा, मगर और कोई लांभ नहीं उपन्यास (गोदान) के अंतिम पृष्ठ लिखने बाकी हैं । इधर मन ही नहीं जाता । अपने पुराने अड्डे पर जा बैठूँ । वहाँ धन नहीं है, मगर संतोष अवश्य है । यहाँ तो जान पड़ता है, जीवन नष्ट कर रहा हूँ ।”

जया उलदीन बरनी के नाम एक खत में लिखा है:—

“बम्बई में मुझे हम-मज़ाक आदमी नहीं मिलता । इसलिये आप से मिलने का मुझे कितना शौक है, वह आप समझ सकते हैं ।”

बम्बई आने से पहले महालक्ष्मी सिनेटोन को “सेवा सदन” फिल्म बनाने की अनुमति दे दी थी । इस बीच में वह भी फिल्म बनकर सामने आयी, तो बड़े दुःखी हुए । ललित कुमार लिखते हैं:—

“यह फिल्म पहले-पहल बम्बई के इम्पीरियल सिनेमा हाऊस में चलाई गयी । उसमें मैं मौजूद था । बड़ी निराशा हुई । प्रेमचंद से मुलाकात होने पर मैंने इसका कारण पूछा ।—“भाई, मुझ से किताब का कापीराइट मांगा गया, मैंने उसे दे दिया । अब यदि फिल्म बनाने वाले उसे अच्छी तरह न बना सकें तो मेरा क्या दोष ?”

बम्बई में उनकी सेहत भी अच्छी न रहती थी और अर्जन्ता सिनेटोन की आर्थिक-स्थिति बिगड़ गई थी इसलिए उन्होंने साल भर पूरा होने से पहले ही बम्बई छोड़ने का निश्चय कर लिया ।

बम्बई टाकीज के डायरेक्टर दिनेशराय ने चाहा कि वह उनकी कम्पनी के लिए कहानियाँ लिखें । लेकिन प्रेमचन्द ने बम्बई के जल-वायु को अपने स्वास्थ्य के अनुकूल न बताते हुए कहा कि बस अब मैं बनारस ही जाकर रहना चाहता हूँ । जब उनसे कहा गया कि बनारस ही से कहानियाँ भेज दिया करें, तो उन्होंने अपनी विवशता प्रकट की और अपनी जगह दूमरे आदमी की सिफारिश कर दी ।

वे फिल्म लाइन से निराश हो चुके थे । अब अपने आपको धोखा देने की गुञ्जाइश नहीं थी ।

: १७ :

सभापति

“हमारी परिषद्, साहित्य को उद्योग और कर्म का संदेश-
वाहक बनाने की दावेदार है।”

—प्रेमचन्द

ये शब्द प्रेमचन्द ने प्रगतिशील-लेखक-संघ के बारे में कहे थे, जिसका पहिला अधिवेशन सन् १९३६ में लखनऊ में हुआ था, और जिसके वे सभापति चुने गए थे। उन्होंने सभापति-पद से अपना भाषण जिस आनन्द और उल्लास से शुरू किया है, इससे विदित है कि इस अधिवेशन पर उन्हें कितना गर्व था और संघ से उन्होंने क्या-क्या आशायें लगा रखी थीं। लिखते हैं—

“सज्जनों! यह सम्मेलन हमारे साहित्य के इतिहास में एक स्मरणीय घटना है। हमारे सम्मेलनों और अंजुमनों में अब तक आमतौर पर भाषा और उसके प्रचार पर ही बहस की जाती रही है। यहाँ तक कि उर्दू और हिन्दी का जो आरम्भिक साहित्य मौजूद है, उसका उद्देश्य, विचारों और भावों पर असर डालना नहीं, किन्तु केवल भाषा का निर्माण करना है। वह भी एक बड़े महत्त्व का कार्य था। जब तक भाषा एक स्थायी रूप न धारण करले, उसमें विचारों और भावों को व्यक्त करने की शक्ति ही कहाँ से आयेगी? हमारी भाषा के “पायनियरों” ने—रास्ता साफ करने वालों ने, हिन्दुस्तानी-भाषा का निर्माण करके जाति पर जो एहसान किया है, उसके लिये हम उनके कृतज्ञ न हों, तो यह हमारी कृतघ्नता होगी।

भाषा साधन है, साध्य नहीं। अब हमारी भाषा ने वह रूप प्राप्त कर लिया है, कि हम भाषा से आगे बढ़कर भाव की ओर ध्यान दें और इस पर विचार करें कि जिस उद्देश्य से यह निर्माण कार्य आरम्भ किया था, वह

क्योंकर पूरा हो। वही भाषा, रचना ही सबसे बड़ी साहित्य-सेवा थी, अब इस योग्य हो गयी है कि उसमें शास्त्र और विज्ञान के प्रश्नों की भी विवेचना की जा सके, और यह सम्मेलन इस सचाई की स्पष्ट स्वीकृति है।”

सम्भवतः सन् १९२४ की बात है प्रेमचन्द और दयानारायण निगम हिन्दुस्तानी एकेडेमी खुलवाने के फ़िरक में थे। आखिर हिन्दुस्तानी एकेडेमी खुली, तो प्रेमचन्द उसके सक्रिय सदस्य थे। उसकी मीटिंगों से लौटने के बाद शिवरानी देवी उनसे अक्सर एकेडेमी के बारे में पूछा करतीं। एक दिन प्रेमचन्द ने कहा—

“जिस प्रकार की हम अंजुमन कायम करना चाहते थे वह तो नहीं हुई।”

शिवरानी—“तब इन लोगों ने यह क्या खोला है ?”

प्रेमचन्द—“कुछ-न-कुछ तो जरूर होगा।”

शिवरानी—“तो आप लोग सन्तुष्ट नहीं हैं?”

प्रेमचन्द—“काम करने का यह कोई तरीका नहीं है। हम तो चाहते थे, कि हिन्दुस्तान की हर जवान का एक-एक लेखक हो, इस कमेटी में। जिस किसी विषय पर कोई पुस्तक निकलती, उसे पहिले लेखकों की यह कमेटी देख लेती। इस प्रकार कोई भद्दी पुस्तक न निकल सकती। इससे इन लेखों के गुणों के विकास को हानि न पहुँचती। अपने यहाँ साहित्य की उन्नति भी होती, और साथ-साथ इन लेखकों का विकास भी होता; जिस चीज की कमी होती, उसे बढ़ाया जाता। लेखकों को इधर-उधर भटकने की जरूरत न रहती। नये-लेखकों के गुण-दोष कोई बताता नहीं, बस “नहीं ठीक है” कहकर लौटा दिया जाता है। यह न्याय थोड़ा है। नये लेखकों के प्रति, विद्वानों का कर्तव्य यह है कि वे उनके गुण-दोष समझा दें। इस ढंग से एकेडेमी अपना काम करती। रहा मुआवजे का सवाल, रायल्टी पर भी ले सकती थी, एक-मुश्त देकर भी ले सकती थी।

शिवरानी—“लेखकों की रचनायें कहीं पड़ी थोड़े ही रहती हैं ?”

प्रेमचन्द—“ऐसे पब्लिशरों की जरूरत नहीं है, जो अपना ही पेट भरें, लेखकों को भी कुछ मिलना चाहिये। एकेडेमी और लेखकों का तो कुटम्ब का-सा सम्बन्ध होना चाहिये। जब तक दोनों में ऐसा सम्बन्ध नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने का इस तरह लेखक को जब कुछ भी लाभ नहीं होता, तो वह निराश होकर बैठ जाता है, और साहित्य की प्रगति रुक जाती है।

शिवरानी—“साहित्य की प्रगति और कैसे हो ?”

प्रेमचन्द—“अभी ‘प्रगति’ का तो नाम तक नहीं; बल्कि कहना तो यह चाहिये कि काम से अधिक आपस में ‘तू-तू मैं-मैं’ है। ‘तू-तू मैं-मैं’ में कहीं काम होता है ?”

शिवरानी—“तब काम कैसे होगा ?”

प्रेमचन्द—“जब तक यहाँ का साहित्य तरकी नहीं करेगा, तब तक समाज और राजनीति, सब-के-सब ज्यों-के-त्यों पड़े रहेंगे।”

शिवरानी—“तब क्या आप इन तीनों की एक माला-सी पिरोना चाहते हैं ?”

प्रेमचन्द—“और क्या यह चीजें माला जैसी ही हैं। जिस भाषा का साहित्य अच्छा होगा, उसका समाज भी अच्छा होगा। समाज के अच्छा होने पर मज़बूरन राजनीति भी अच्छी होगी। ये तीनों साथ-साथ चलने वाली चीजें हैं।”

शिवरानी —“तो क्या जरूरी है कि तीनोंको साथ लेकर ही चला जाये ?”

प्रेमचन्द—इन तीनों का जब उद्देश्य ही एक है, तो साहित्य, समाज और राजनीति का सम्बंध अटूट है। समाज आदमियों के गिरोह ही को तो कहते हैं। समाज में जो हानि-लाभ और सुख-दुख होता है वह व्यक्तियों ही पर होता है ना। राजनीति में जो सुख-दुख होता है, वह भी व्यक्तियों पर पड़ता है। साहित्य से लोगों का विकास होता है, साहित्य से मनुष्य के विचार अच्छे या बुरे बनते हैं; इन्हीं विचारों को लेकर मनुष्य जीता है। इन तीनों चीजों की पैदावार का कारण मनुष्य है।

शिवरानी—“आप शायद जड़ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं ?”

प्रेमचन्द—“जड़ ही की रक्षा में सब सम्भव है। बिना जड़ की सुरक्षा के कुछ नहीं होता।”

शिवरानी—“इन लोगों के दिमाग में यह बातें क्यों नहीं आती ?”

प्रेमचन्द—“बड़े आदमियों के दिमाग में क्यों आये ? गरीबों की समस्याओं की ओर उनका ध्यान कब जाता है ? जब तक उन पर नहीं बीतेगी, तब तक कैसे समझ सकेंगे। इन सभों को सुधारने के लिये साहित्य ही एक साधन है। जब तक कोई उसे अपने हाथ में नहीं लेगा, तब तक नहीं सुधार सकता।”

(प्रेमचन्द घर में)

उन्होंने हिन्दी के कुछ लेखकों को साथ लेकर एक “लेखक-संघ” भी

खोला था। हिंदी परिषद् को इस उम्मीद में “हूँस” दे दिया था कि वह लेखकों की उन्नति और विकास के लिये उपयोगी सिद्ध होगी। लेकिन उस पर तो सम्पूर्ण सेठों का कब्जा था। इस लिये क्या होता ?

प्रेमचन्द ने सदैव सुन्दर और महान् सपने देखे थे, और इन्हीं सपनों को यथार्थ रूप देने के लिये वह संघर्ष करते रहे थे। पहले वह सपने अपने व्यक्तित्व की सीमा में सीमित थे। वह उच्च शिक्षा प्राप्त करके इस समाज में, उच्च और सम्मानित-पद प्राप्त करना चाहते थे। धीरे-धीरे उन्होंने महसूस किया कि एक व्यक्ति की उन्नति से क्या बनता है। अगर सारा समाज सुखी हो, तभी वास्तव में एक व्यक्ति भी सुखी रह सकता है; वरना यह सुख बेकार है। यों उनका व्यक्तिवाद सारे समाज का प्रतिनिधि बन गया; और वह बेहतर समाज, बेहतर जिन्दगी और मनुष्य के उज्वल भविष्य के सपने देखने लगे।

युद्ध जहाँ विनाश, ध्वंस और आर्थिक-संकट का कारण बनता है, वहाँ उसका अनिवार्य परिणाम यह भी होता है कि वर्ग-संघर्ष उभर कर सामने आ जाता है। पुरानी मान्यतायें टूटती हैं, और मानव-चेतना तेजी से सोचने लगती है। अब प्रेमचन्द का व्यक्तित्व, समाज का प्रतिनिधित्व करता था। इसलिए पहले विश्व-युद्ध की हमारे समाज में जो समस्यायें उठ खड़ी हुईं, उसमें जो मानसिक और वर्ग-द्वन्द्व बढ़ा, वह “प्रेमाश्रम” में पाया जाता है।

आरम्भ में लखनपुर, हिन्दुस्तान के आम-देहातों की तरह गंदा, उजड़ा हुआ-सा गाँव है, जिसे विदेशी सरकार के अफसर, प्यादे, जमींदार और उसके गुमास्ते सब मिल कर लूटते हैं। लेकिन उपन्यास के अंत में माया शंकर अपनी जमींदारी के अधिकार त्याग देता है, और जमींदारी का अन्त होते ही लखनपुर की काया-पलट हो जाती है। लूट-खसोट से मुक्ति पाकर किसान का धन उसके जीवन को सम्पन्न और समृद्ध बनाता है। प्रेमचन्द के अपने शब्दों में नये लखनपुर का चित्र देखिए:—

“बाबू माया शंकर घोड़े पर सवार लखनपुर में दाखिल हुए। उन्हें यहाँ बड़ी रौनक और सफाई दिखाई दी। प्रायः सभी द्वारों पर सायवान थे, उनमें बड़े-बड़े तख्ते बिधे हुए थे। अधिकांश घरों पर सफेदी हो गयी थी। फूस के झोंपड़े गायब हो गये थे। अब सब घरों पर खपरैल थे। द्वारों पर बैलों के लिये पक्की चकतियाँ बनी हुई थीं और कई द्वारों पर घोड़े बंधे हुए नज़र आते थे। पुरानी चौपाल में पाठशाला थी और उसके सामने पक्का कुआँ और एक धर्मशाला थी……।”

अब लोगों के पास बैल, घोड़े हैं। घरों में अनाज है। बलराज तो खिला

बोर्ड का मेम्बर बन गया है। जहाँ पहले कोई अखबार का नाम भी नहीं जानता था, वहाँ अब अच्छा-खासा है और लोगों का आचार भी सुधर गया है।

लेखक अपनी रचनाओं में कल्पित सुन्दर संसार का निर्माण इसलिये करता है कि जब पाठकों के मस्तिष्क पर यह चित्र-अंकित होगा, तो वे सुन्दर संसार और सुन्दर जीवन के स्वप्न देखेंगे। इन स्वप्नों को सार्थक बनाने के लिये संघर्ष करेंगे। अर्थात् साहित्य विपन्न-जीवन से सम्पन्न-जीवन की ओर बढ़ने का मार्ग तैयार करता है।

प्रेमचन्द ने ठीक ऐसा ही किया था और जब उन्होंने देखा कि लोग सुन्दर संसार के लिये वाकई संघर्ष कर रहे हैं, तो वह भी नौकरी से इस्तीफा देकर इस संघर्ष में शामिल हो गये।

गांधीजी का नेतृत्व उन्होंने इसलिए स्वीकार किया था कि उन्होंने समझा था कि इससे गुलामी के बंधन टूटेंगे, जमींदारी का अंत होगा और देश में खुशहाली आयेगी।

वह समझौते की नीति को कर्भ, पसंद नहीं करते थे इसलिये उदार दल (लिबरल पार्टी) का हमेशा विरोध करते थे और गांधी जी से पहले तिलक के पक्षपाती थे। मुंशी दयानारायण निगम लिखते हैं :—

“प्रेमचंद का भुकाव गर्म-दल की ओर था। अहमदाबाद कांग्रेस देखने हम लोग साथ-साथ गये, और एक ही जगह ठहरे। लेकिन वह लोकमान्य तिलक के मानने वाले थे। मैं गोखले और सर फिरोज़शाह का पक्ष लेता था। हर वक्त बहस रहती थी। मगर दोनों अपनी जगह स्थिर रहे।”

वह मार्ले और मांटेंगू चैम्स फोर्ड योजना से संतुष्ट नहीं थे और कहते थे कि इस प्रकार के ऊपरी सुधारों से कुछ नहीं बनेगा। वैधानिक सुधारों के बारे में उनका दृष्टिकोण २१ दिसम्बर सन् १९१९-२० के खत से स्पष्ट हो जाता है। लिखते हैं :

“मैं, रिफार्म-स्कीम या ऐक्ट के मुताल्लक मिस्टर चिंतामणि बगैरह से मुतफिन्न नहीं हूँ। मेरे खयाल में मुअतदिल-पार्टी इस वक्त जरूरत से ज्यादा मगरूर और नाज़ाँ है, हालाँकि इस्लाहों (सुधारों) में अगर कोई खूबी है तो बस यह कि ताजीम-याफता जमाअत (शिक्षितवर्ग) को कुछ असाभियाँ ज्यादा मिल जायेंगी और जिस तरह यह जमात वक़ील बनकर रिआया का खून पी रही है, उसी तरह यह आईदा हाकिम बनकर रिआया का गला काटेगी। इसके सिवाय और कोई जदीद अख्तियार (नया-अधिकार) नहीं दिया गया

है। जो अख्तियारात दिये गये हैं, उनमें भी इतनी शर्तें लगा दी हैं कि उनका देना, न-देना बराबर है।....”

निगम साहब आगे लिखते हैं :—

“प्रेमचंद ना-बराबरी की लड़ाई में समझौते के खयाल से मुश्तबाह (शंकित) रहते थे। उनका खयाल था कि कड़ी जद्दोजहद के बगैर कुछ हासिल न होगा। वह इसके लिये अग्राम (जनता) को जल्द-से-जल्द तैयार करने की तरफ थे। उनका खयाल था कि हकूमत से सख्त टक्कर लिये बगैर काम न चलेगा और वह इस के लिये नुकसानात बदर्शात करने के लिये भी तैयार थे। अंग्रेज़ हुकाम (अफसरों) से उन्हें अग्राम तौर से बदज़नी (घृणा) थी। बिन्ना-खिर वह सरकारी मुलाजिमत तरक करके बाज़ाब्ता नान कॉप्रेटर (असहयोगी) हो गये। एक खत का, जिस में गांधी जी तहरीके-नमक (नमक-सूत्याग्रह) को कबल-अज़-वक्त (समय से पहले) कहा गया था, वह निहायत गर्म-जोशी से जबाब देते हैं :—

“जिस तरह मौत हमेशा कबल-अज़-वक्त होती है, साहूकार का तकाज़ा हमेशा कबल-अज़-वक्त होता है, उसी तरह ऐसे सारे काम जिनमें हमें माली या वक्ती नुकसान का अंदेशा हो, कबल-अज़-वक्त मालूम होते हैं। इस तहरीक की कबूलियत (लोक प्रियता) ही बता रही है, कि वह कबल-अज़-वक्त नहीं है।”

आंदोलन वाकई समय से पूर्व नहीं था। जनता, सचमुच लड़ने के लिये तैयार थी। लेकिन जैसे ही आंदोलन शहरों से निकल कर देहात में फैलने लगा, और किसानों ने लगान न देने की मुहिम शुरू की, गांधी जी ने भट्ट स्विच-आफ कर दिया। गांधी-ईविन पैक्ट हुआ। आज़ादी तो क्या मिलनी थी, गांधी जी ने जिन म्यारह मांगों की घोषणा करके डांडो-मार्च शुरू किया था, उनमें से भी एक नहीं मानी गयी।

इस समझौता-बाज़ी से प्रेमचंद को जो आघात पहुँचा, जो दुःख हुआ, उसे उन्होंने ‘गोदान’ में व्यक्त कर दिया है :—

“मन पर जितना गहरा आघात होता है, उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही गहरी होती है।”

प्रेमचंद जिस लखनपुर को स्वर्ण तुल्य और जिस किसान को समृद्ध देखना चाहते थे, वह पहले से भी दीन-हीन और विपन्न हो गया। होरी के गांव बेलारी का चित्र देखिए :—

“गोबर ने घर पहुँच कर उसकी दशा देखी, तो ऐसी निराशा हुई कि उसी वक्त यहाँ से लौट जाये। घर का एक हिस्सा गिरने को ही गया था।

द्वार पर केवल एक बैल बंधा हुआ था, वह भी नीमजान ।”

“और यह दशा कुछ हारी ही की न थी। सारे गाँव पर यह विपत्ति थी। ऐसा एक आदमी भी नहीं, जिसकी रोनी सूरत नहीं, मानो उनके प्राणों की जगह वेदना ही बैठी उन्हें कठपुतलियों की तरह नचा रही है। चलते-फिरते थे, काम करते थे, पिसते थे, घुटते थे, इसलिये कि पिसना और घुटना उनकी तक्रदीर में लिखा था। जीवन में न कोई आशा है, न कोई उमंग, जैसे उनके जीवन के सारे सोते सूख गये हों……। द्वार पर मनो कूड़ा जमा है, दुर्गन्ध उड़ रही है; मगर उनकी नाक में न गंध है, न आँखों में ज्योति। सरे-शाम से द्वार पर गीदड़ रोने लगते हैं; मगर उन्हें कोई गम नहीं।……”

इधर इनकी यह दशा है, उधर इन्हें लूटने वाले बेजारी से देश भक्त जमींदार की कुत्सित विडम्बना यह है:—

“पिछले सत्याग्रह-संग्राम में राय साहब ने बड़ा यश कमाया था। कौंसिल की मेम्बरी छोड़ कर जेल चले गये थे। तब से उनके इलाक़े के असामियों को उनसे बड़ी श्रद्धा हो गयी थी। यह नहीं कि उनके इलाक़े में असामियों के साथ कोई खास रिआयत की जाती हो, या डांड और बेगार की कड़ाई कुछ कम हो; मगर यह सारी बदनामी मुख्तारों के सर जाती थी। राय साहब की कीर्ति पर कोई कलङ्क न लग सकता था। वह बेचारे भी तो उसी व्यवस्था के गुलाम थे।”

इस समझौता-बाजी से बहुत से लोगों का भ्रम टूटा था, विशेष रूप से उन नौजवानों को जो बड़े जोश और शुद्ध भाव से इस आन्दोलन में शामिल हुए थे। गांधीवाद और अहिंसा से उनका विश्वास उठ गया था। प्रेमचन्द अपनी एक कहानी “भाड़े के टट्टू” में लिखते हैं:—

“रमेश जेल से छूट कर पक्का क्रान्तिकारी बन गया था। जेल की अंधेरी कोठरी में दिन भर के कठिन परिश्रम के बाद वह दोनों के उपकार और सुधार के मंसूबे बाँधा करता था। सोचता, मनुष्य क्यों पाप करता है? इसीलिये न कि संसार में इतनी विषमता है। कोई तो विशाल भवनों में रहता है, और किसी को पेड़ की छँह भी मयस्सर नहीं। कोई रेशम और रत्नों से मढ़ा हुआ है, किसी को फटा वस्त्र भी नहीं। ऐसे न्याय-विहीन संसार में यदि चोरी, हत्या और अधर्म है, तो यह किसका दोष है? वह एक ऐसी समिति खोलने का स्वप्न देखा करता, जिसका काम इस संसार से विषमता को मिटा देना हो। संसार सब के लिये है—और उसमें सबको सुख भोगने का समान अधिकार है। न डाका है न चोरी है। धनी अगर अपना धन खुशी से नहीं

बाँट देता, तो उसकी इच्छा के विरुद्ध बाँट लेने में क्या पाप । धनी उसे पाप कहता है, तो कहे । उसका बनाया हुआ कानून अगर दण्ड देना चाहता है, तो दे । हमारी अदाखत भी अलग होगी । उसके सामने वे सभी मनुष्य अपराधी होंगे, जिसके पास ज़रूरत से ज्यादा सुख-भोग की सामग्रियाँ हैं ।..... जेल से निकलते ही, उसने इस सामाजिक क्रान्ति की घोषणा कर दी । गुप्त सभार्ये बनने लगीं, शस्त्र जमा किये जाने लगे ।”

देश म सचमुच वर्ग-संघर्ष तीव्र हो गया था । समाजवादी विचारों के नौजवानों ने मजदूरों और किसानों को संगठित करना शुरू कर दिया था । प्रगतिशील लेखक संघ ने इन्हीं नई परिस्थितियों में जन्म लिया था । उसकी नींव डालने वाले वे प्रगतिशील और मानव प्रेमी लेखक थे, जो राजनीति में इस नई प्रगतिशील विचार-धारा के समर्थक थे; जिसका उद्देश्य धन और मेहनत की विषमता, लूट-खसोट का अन्त करके समानता की व्यवस्था स्थापित करना था । अंजुमन के घोषणा-पत्र में कहा गया था:—

“हमारे देश में बड़े-बड़े परिवर्तन हो रहे हैं । पस्ती और प्रतिक्रिया को यद्यपि मौत का परवाना मिल चुका है, लेकिन वह अभी तक अशक्त और अलौप नहीं हुई । नित्य नये रूप धारण कर यह घातक विष हमारी संस्कृति के प्रत्येक भाग में पैठता जा रहा है ।

इसलिये हिन्दुस्तानी लेखकों का कर्त्तव्य है कि देश में जो नई प्रगतिशील रुचियाँ उभर रही हैं, उनका प्रतिपादन करें, और उनके विकास में पूरा हिस्सा लें ।”

इस घोषणा-पत्र को बनाने में प्रेमचन्द का बड़ा हाथ था, उन्होंने सभापति-पद से अपने उक्त भाषण में “साहित्य का उद्देश्य” बयान करते हुए कहा था:—

“हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा, जिसमें उच्च चिन्तन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौन्दर्य का सार हो, सृजन की प्रेरणा हो, जीवन की सचाइयों का प्रकाश हो—जो हम में गति और संघर्ष, बेचैनी पैदा करे, सुलाये नहीं; क्योंकि अब और ज्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है ।”

निश्चय ही ये शब्द किसी एक व्यक्तिमात्र नहीं, समाज की सम्पूर्ण चेतना के मुख से निकले थे । जिस प्रकार इस भाषण में प्रेमचन्द की चेतना का विकास और गम्भीरता प्रकट होती है, उसी प्रकार वह केवल नाममात्र के सभापति नहीं थे, उनका वास्तविक अधिकार ही उन्हें इस पद पर लाया था । हम एक ऐसे व्यक्ति को सभापति के सिंहासन पर विराजमान देखते हैं, जिसकी आँखों में गम्भीर और दृढ़ संकल्प था, जिसे वास्तव में पीड़ित मानवता के प्रतिनिधित्व का अधिकार था ।

“जीने का उद्देश्य कर्म है ।”

—प्रेमचन्द

प्रेमचन्द ने अपनी बच्चों की रामायण में लिखा है कि जब राम और लक्ष्मण राक्षसों से युद्ध करने के लिए विश्वामित्र के साथ चले, तो रास्ते में विश्वामित्र ने उन्हें एक ऐसा मन्त्र सिखाया, जिसको पढ़ लेने से थकावट पास तक न आती थी ।

मन्त्र यह था कि उन्होंने आततायी और अत्याचार के विरुद्ध लड़ने की ज़रूरत को समझ लिया था और वे दमन तथा हिंसा को मिटाने के लिए पूरे मनोबल से तैयार हो गए थे । जब मनुष्य अत्याचार के विरुद्ध तीव्र संघर्ष करता है, तो उस काम से अत्यन्त प्रसन्नता प्राप्त होती है, और थकावट सचमुच पास नहीं आती । कर्मशील व्यक्ति जाने-अनजाने विकास की मंजिल तय करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है—जब कर्म में ज्ञान भी शामिल हो जाये, तो मंजिलें तय करने की रफ्तार तेज हो जाती है । आदमी पद-पद पर अपने विकास को माप सकता है, देख सकता है और वह इसी अनुपात से अपने संघर्ष को तीव्र कर देता है ।

प्रेमचन्द में अब यह तीव्रता आगई थी । उन्होंने बड़ी विद्युत्गति से बहुत-सी मंजिलें पार करली थीं । यह वह युग था जब उनका सुधारवाद क्रान्ति का रूप धारण कर चुका था । उन्हें हृदय-परिवर्तन की नीति, अहिंसा और ऊँचे वर्ग के लोगों के नेतृत्व में कोई विश्वास न्हा रह गया था । उन्हें सम्पन्न और पददलित दो वर्ग साफ दिखाई दे रहे थे । वह समझते थे कि केवल लड़कर ही इस अन्याय और विषमता का अंत हो सकता है । उनके नये अधूरे उपन्यास “मंगल सूत्र” में इस नये भाव और नई चेतना की तीव्रता स्पष्ट दिखाई देती है, लिखते हैं—

‘देवता हमेशा रहे हैं और रहेंगे । उन्हें संसार अब भी धर्म और

नीति पर चलता हुआ नज़र आता है। वे अपने जीवन की आहुति करके संसार से विदा हो जाते हैं। लेकिन उन्हें देवता क्यों कहें? कायर कहो, स्वार्थी कहो, आत्मसेवी कहो। देवता वह है जो न्याय की रक्षा करे और उसके लिये प्राण दे दे। अगर वह जानकर अनजान बनता है, तो धर्म से गिरता है। अगर उसकी आँखों में यह कुन्यवस्था खटकती नहीं तो वह अंधा भी है और मूर्ख भी, देवता किसी तरह नहीं।”

“परिन्दों के बीच में उनसे लड़ने के लिये हथियार बावना पड़ेगा। उनके पंजों का शिकार बनना देवतापन नहीं, जड़ता है।”

उनके मन में इस प्रकार का संकल्प-विकल्प चल रहा था। इसीलिए इसी उपन्यास में एक दूसरी जगह लिखा है—

“इस तरह का आत्म-मन्थन उनके जीवन में पहले कभी न हुआ था। उनकी साहित्यिक बुद्धि ऐसी व्यवस्था से संतुष्ट तो हो ही नहीं सकती थी।”

प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन ने साहित्य द्वारा राजनीति के प्रगतिशील आंदोलन को—स्वतन्त्रता संग्राम को आगे बढ़ाने की जो घोषणा की थी, प्रेमचन्द उसे कार्यान्वित कर रहे थे और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए “मंगल सूत्र” लिखना शुरू किया था। लेकिन खेद की बात है कि अधिवेशन के थोड़े ही दिनों बाद वह सख्त बीमार पड़ गए और उन्हें यह उपन्यास पूर्ण करने का अवकाश नहीं मिला।

२५ जून को रात के ढाई बजे के करीब सहसा उनकी तबियत खराब हो गई। आमाशय का रोग उन्हें मुद्त से था। इससे वह कभी स्वस्थ नहीं हुए। तनिक सी बदपरहेजी की और बीमार पड़ गये। लेकिन इस बार उन्हें खून की कै आई और चेहरा पीला पड़ गया। शिवरानी उनकी यह दशा देखकर घबरा गयीं; लेकिन डाक्टर ने तसल्ली दी कि बलगम की खराबी है, जल्द आराम हो जाएगा।

लेकिन यह सब पेट की खराबी थी। उस दिन से चारपाई से ऐसे लगे कि फिर छोड़ने की नौबत नहीं आई। तबियत बेचैन रहती थी और रात को नींद कम आती थी। मगर वह इसी दशा में काम किए जाते थे। रात को प्रकाश में पढ़ते-लिखते थे। इसी दशा में “मंगल सूत्र” के बीसियों पृष्ठ लिख डाले। अब उनकी रचनाओं में अधिक अंज आ गया था। वह व्यक्तिगत जीवन और मध्यमवर्ग की बात नहीं कहते थे। सारी व्यवस्था और समस्त समाज की बात करते थे। अब उनकी कल्पना प्रौढ़ थी और उसमें व्यापकता आ गई थी। उन्हें शोषित वर्ग की वकालत करनी थी इसलिए धीसे,

माधो, होरी, घनिया और तुलिया उनकी कहानियों के विशेष पात्र थे। 'कफ़न' कहानी इन्हीं दिनों लिखी गयी थी। जिसमें उन्होंने बताया है कि लूट-खसोट की यह व्यवस्था किस प्रकार मनुष्य की कार्य-शक्ति को कुंठित कर देती है। जब आदमी को मेहनत का फल न मिले, तो वह मेहनत किस लिये करेगा। काम करने की उमंग ही उत्पन्न नहीं होती।

शिवरानी उन्हें बीमारी की इस दशा में काम करने से मन्हाँ करती थीं। लेकिन दूसरे ही क्षण महसूस होता था कि उनके लिये कर्म ही तो जीवन है, फिर मन्हाँ क्या करती।

जुलाई में वह इलाज कराने लखनऊ चले गये। वहाँ कई डाक्टर परिचित थे। उन्होंने बड़ी सहानुभूति से देखा और रोग को भली प्रकार से समझ कर इलाज शुरू किया; लेकिन लाभ कुछ नहीं हुआ। वह फिर बनारस लौट आये। हालत पहिले से भी खराब हो गयी थी।

इस दशा में भी लिखना-पढ़ना और मित्रों से पत्र-व्यवहार बराबर जारी रहा। रोग बढ़ रहा था; मृत्यु निकट आ रही थी। लेकिन उन्होंने मानसिक रूपसे मृत्यु को पराजित कर दिया था। पेट का रोग पुराना था। बीस-बाईस साल से मृत्यु के साथ लड़ते आये थे। जून सन् १९२५ में सम्पादक 'जमाना' के नाम एक खत में लिखा था:—

“मेरे लिये बुढ़ापे का जिक्र फ़िज़ूल है, मैं किसी बूढ़े से कम हूँ ?”

इसके उपरान्त सन् १९१८ में गोरखपुर से एक खत लिखा था:—

“आप वला कहते हैं, जिंदगी की उम्मीद यहाँ भी कम है। मगर चाहता हूँ कि या तो साथ चले या ख़लीक़ तक्रदीमो तख़ेर (थोड़ा आगा-पीछा) हो। मैं आपका पेशरो (अनुगामी) बनना चाहता हूँ। मगर मौत की फिक्र मारे डालती है। कितना चाहता हूँ, परमात्मा पर भरोसा रखूँ। मगर दिल मूज़ी है, समझता नहीं। किसी महात्मा की सोहबत मिले, तो शायद रास्ते पर आये। यही फिक्र है कि आज मर जाऊँ, तो इन बच्चों का कौन पुरसाने हाल (पूछने वाला) होगा। घर में कोई ऐसा नहीं... दोस्तों अगर हैं तो आप, और अगर नहीं हैं तो आप और न होगा तो मेरे बाद साल-दो-साल उनकी ख़बर तो ले सकते हैं।”

इतने अरसा से वह मृत्यु को बड़ी सफ़लता के साथ धत्ता बताते आये थे। और अब तो उन्हें यह संतोष भी प्राप्त हो गया था कि मौत आ भी जाये तो क्या चिंता है। कुछ-न-कुछ काम तो कर लिया है, जिंदगी बेकार तो नहीं खोई। काम से उनके मन में जो विश्वास और भरोसा उत्पन्न हो गया था,

उसे "लेखक" कहानी में यों व्यक्त किया है:—

"हमारा धर्म है काम करना। हम काम करते हैं और तन मन से करते हैं। अगर इस पर भी हमें फ़ाका करना पड़े, तो मेरा दोष नहीं। मर ही तो जाऊँगा। हमारे जैसे लाखों आदमी रोज़ मरते हैं। मौत डरने की वस्तु नहीं।.....मैं उससे नहीं डरता।"

इस सम्बन्ध में उनका एक पत्र उल्लेखनीय है। पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी ने एक बार उनके एक एकान्तवास की शिकायत करते हुए लिखा था कि उन्हें जवानी और जिंदा दिली बनाये रखने के लिये सैर-सफर करना चाहिये। प्रेमचन्द ने उन्हें उत्तर दिया था:—

"नौजवानी और जिंदादिली का सम्बन्ध मन से है। बहुत से नौजवान हैं। जो मनस्थिति के कारण मुझसे बहुत बूढ़े हो गये हैं और बहुत से बृद्ध हैं, जो विचारों के अनुसार मुझसे भी अधिक नवयुवक हैं। लेकिन उनकी यही धारणा बन गयी है कि इस प्रकार मेरी जवानी बहुत तरक्की कर रही है। मैं परलोक में विश्वास नहीं रखता। इसलिये मुक्ति का विचार जो मनुष्य की नौजवानी के लिये सब से अधिक घातक है, मुझे कभी सताता ही नहीं। हाँ, यह ज़रूर है कि जवानी भी दो प्रकार की होती है—एक स्वस्थ और दूसरी उन्मत्त। स्वस्थ जवानी का विशेष गुण यह है कि मनुष्य अचानक खाड़ियों से बचता हुआ एक उन्नतिशील और आशावादी मार्ग ग्रहण करे। उन्मत्त जवानी में मनुष्य अंधा रहता है, वह अपनी योग्यता के बारे में भ्रान्ति पूर्ण विचार रखती है। और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के सुन्दर सपने देखा करता है। मैं भी कभी-कभी सपने देखता हूँ और कई बार अदूरदर्शिता भी कर बैठता हूँ। लेकिन भ्रान्ति में नहीं पड़ता। इस उन्माद के गुण से ही आनन्दित होता हूँ और अब यह अनुभव करने लगा हूँ कि संतोष का गृहस्थ-जीवन, संसार का सब से बड़ा उपहार है।"

जिस आदमी की कर्मठता और कर्म शीलता का यह हाल हो। कि उसने समझ सोच कर प्रगतिशील और आशा युक्त मार्ग अपना लिया हो, जो उन्माद को अपना आप सौंपने के बजाय खुद उन्माद का नेतृत्व कर रहा हो, मौत कहाँ सता सकती है ?

अगस्त का महीना था। इस बीमारी की हालत में रात को दो बजे उठकर फर्श पर बैठ गये और लिखने लगे। दो दिन बाद "आज" के आफिस में गोर्की की मृत्यु पर शोक सभा होने वाली थी उसके लिये भाषण लिख रहे थे। शिवरानी देवी को भी उन दिनों नींद नहीं आती थी, सेवा सुश्रूषा में लगी

रहती थी; उन्होंने कहा :—

“जब तबियत ठीक नहीं तो भाषण कैसे लिखा जायगा ? और फिर लिखना क्या ज़रूरी है ?”

आप बोले :—“ज़रूरी तो नहीं है । बिना लिखे काम नहीं चलेगा । अपनी खुशी से काम करने में आराम या तकलीफ़ का एहसास नहीं होता । जिसको आदमी फ़र्ज़ समझ लेता है, उसको करने में तकलीफ़ नहीं होती । इन कामों को आदमी सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझता है ।

शिवरानी :—“यह मीटिंग है कैसी ?

प्रेमचंद :—“अफ़सोस करना है ।”

शिवरानी :—“वह कौन हिन्दुस्तानी थे ?”

प्रेमचंद :—“यही तो हम लोगों की तंग दिली है । गोर्की इतना बड़ा लेखक था कि उसके बारे में देश या जाति का सवाल ही पैदा नहीं होता । लेखक हिन्दुस्तानी या युरोपियन नहीं देखा जाता । वह जो कुछ लिखेगा उससे सभी को फायदा होता है ।”

शिवरानी :—“ठीक, उसने हिन्दुस्तान के लिये भी कुछ लिखा है ?”

प्रेमचंद :—तुम ग़ज़ती करती हो रानी ! लेखक के पास होता ही क्या है, जिसे वह बाँट देगा । लेखक के पास तो उसकी तपस्या ही होती है । वही सबको वह दे सकता है, उससे सब लोग लाभ भी उठाते हैं । लेखक जो तपस्या करता है, उससे जनता का भला होता है । वह अपने लिये तो कुछ भी नहीं करता ।

शिवरानी :—गाँव वालों में तो शायद ही कोई गोर्की का नाम जानता हो ?

प्रेमचंद :—यहाँ के गाँव की बात छोड़ो । यहाँ के लोग तो अपनों को नहीं जानते । इसका अर्थ यह नहीं कि यहाँ के लोगों के लिये कुछ काम ही न किया जाय ।”

शिवरानी :—जानते क्यों नहीं ? तुलसी, सूर, कबीर वे किसको नहीं जानते ?”

प्रेमचंद :—उनको भी जानने वाले गाँव में थोड़े हैं । इसका सबब है शिक्षा का अभाव । अभी यहाँ शिक्षा थोड़ी है । इस वजह से यहाँ जो कुछ होता है, वह बहुत थोड़े लोगों के लिये होकर रह जाता है । जब घर-घर शिक्षा का प्रचार हो जायेगा, तो क्या गोर्की का असर भी घर घर नहीं हो जायेगा ? वह भी तुलसी, सूर की तरह चारों तरफ़ पूजे जायेंगे ।”

(प्रेमचंद घर में)

बीमारी और दुर्बलता के बावजूद मीटिंग में गये । सीढ़ी चढ़ते-चढ़ते दम

उखड़ गया। मीटिंग में खड़े नहीं हो सके। किसी और सज्जन ने उनका भाषण पढ़कर सुनाया। लौटकर आये तो पाँव लड़खड़ा रहे थे। चलना मुश्किल था। शिवरानी ने शिकायत की। नाहक परेशानी उठाई, न गये होते। आपने जवाब दिया:—कमजोरी आये या चाहे जो कुछ। कहीं इस तरह बैठ जाता है ?”

सितम्बर के अन्त में उनकी दशा बहुत बिगड़ गयी। पेट में गैस्ट्रिक अलस्टर की शिकायत थी। खाना हज़म नहीं होता था। जिसके मारे कैं दस्त हो जाते थे, वरना पेट फूला रहता था, जैसे पानी भर गया हो। वह प्रायः बेहोश भी रहने लगे।

मौत सामने थी; मगर उन्हें मौत का डर नहीं था। परलोक की चिंता नहीं थी। उन्हें चिंता थी तो बस इसी दुनियाँ की, जिसे वह संवारना और सुन्दर बनाना चाहते थे। इस दुनियाँ को कैसे संवारा जा सकता है, इसका वास्तविक ज्ञान उन्हें हाल ही में—नमक सत्याग्रह का समझौता करने के बाद हुआ था। दुश्मन स्पष्ट रूप में सामने था और उस पर वह भरपूर वार कर रहे थे। उनकी आखिरी कहानी “दो बहनें” है, जो अक्टूबर सन् १९३६ में “इस्मत्” दिल्ली में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी का एक पात्र कहता है:—

“जितने धनी हैं, वे सब के सब लुटेरे हैं, पक्के लुटेरे, डाकू। कल मेरे पास रुपये हो जायें और मैं एक धर्मशाला बनवा दूँ। फिर देखिए मेरी कितनी वाह-वाह होती है। कौन पूछता है, मुझे दौलत कहाँ से मिली ?”

वह इस व्यवस्था को, जिसमें धोखे-घड़ी और छल से धन कमाना उचित है, जिसमें ब्लैक मार्केट और लूट-खसोट द्वारा श्रम-जीवि वर्ग—का मांस नोचने वाला गिद्ध और लुटेरा एक धर्मशाला बनाकर “दानवीर” और धर्मात्मा कहलाता है उसे, वह अन्त हुआ देखना चाहते थे। “मंगलसूत्र” में उन्होंने जो कहानी शुरू की थी, यही उसका अन्त था। अगर वह खुद उसे पूर्ण नहीं कर सके तो कम-से-कम ऐसे साधन ऐसे उपादान जुटा देना चाहते थे कि उनके बाद आने वाले लेखक उसका अन्त लिख सकें।

अपना यह संदेश वृत्तीयत करने के लिये उन्होंने अंतिम समय अपने समस्त मित्रों और सम्बंधियों को जमा कर लिया था। लड़के लड़की, भाई और साले के भलावा उनके प्रिय मित्र मुन्शी दयानारायण निगम, जैनेन्द्रकुमार आदि बनारस पहुँच गये।

मुन्शी दयानारायण निगम लिखते हैं—

“मौत से पन्द्रह दिन पहिले मुझे तार देकर बनारस बुलाया। तमाम रास्ता अजीब उम्मीदोबीम (आशा और भय) की हालत में कटा। सुबह को

मुलाकात का समौं उन्न भर न भूलेगा। वही प्रेमचन्द जो अपनी सुखों-सफेद सूरत के लिहाज से हजारों में से एक थे। ऐसे ज़ारोनज़ार (दुबल और चीण) होगये थे कि मुश्किल से पहचान पड़ते थे। धंसी हुई आंखें, बैठे हुए गाल, कांटे की तरह सूखे हुए हाथ पाँव देखकर आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उनके मुसलसल कढ़कड़े बात करने की भी मुहलत न देते थे; मगर अब आंसुओं का तार बँधा हुआ था। न उठने की ताकत थी, न बैठने की शक्ति, लेटे-ही-लेटे हाथ पकड़ लिया और गले से चिपटा लिया, जैसे कोई डरा हुआ बच्चा सीने से चिपटने की कोशिश करे। इतने कमजोर हो गये थे कि बात करते भी थकान होती थी। ताहम (फिर भी) दम ले-लेकर आहिस्ता-आहिस्ता बात करते ही रहे। मैंने मन्हां करना चाहा, तो कहने लगे कि दोबारा मुलाकात की उम्मीद नहीं, चरना तुम्हारा कहना न टालता। यहां और जो कोई आता है, यास-अंगेज (निराशाप्रद) बातें करके परेशान कर जाता है। बीबी की तरफ इशारा करके कहा कि अगर यह ढारस न बँधाए रहतीं, तो कब्र का मर चुका होता। वाकई मिसेज प्रेमचन्द ने उन दिनों बड़ी हिम्मत से काम लिया और दिल शिकन हालात (प्रतिकूल परिस्थितियों) में कभी एक लमहा (क्षण) के लिये अपने दिली सदमा को उनपर जाहिर नहीं होने दिया। अगर कभी उन्होंने कोई मायूसी (निराशा) की बात भी की, तो समझा-बुझाकर तसल्ली दे दी। इसीलिये कइते थे कि खुदा मालूम उनके वगैर मेरा क्या हाल होता.....”

निगम की तरह जँनेंद्र भी उनके घनिष्ठ मित्र थे। लेकिन यह सोचना पड़ता है कि मित्रता जँनेन्द्र निभाते थे या प्रेमचन्द, क्योंकि दोनों के मार्ग भिन्न थे, दृष्टिकोण भिन्न थे। जँनेन्द्र ने इतना निकट होते हुए भी प्रेमचन्द को और उनके आदर्शों को नहीं समझा था और शायद अब तक नहीं समझा। वह उन्हें अपनी ही तरह आस्तिक बनाने की चिन्ता में थे।

प्रेमचन्द उन्हें जवाब देते:—“यह आहें और कराहें। यह दुख और दर्द, यह दरिद्रता, यह भूख और यह.....”

जँनेन्द्र, कहते:—“आहों कराहों से ऊपर उठो। इधर देखो ईश्वर की ओर।”

लेकिन प्रेमचन्द की जड़ें तो जनता में थीं। वह आहों से ऊपर कैसे उठते। “बासी भात मे खुदा का साभा” कहानी में शायद जँनेन्द्र ही उनके लक्ष्य हैं और वह ईश्वर के बारे में दो-टुक जवाब देते हैं:—

‘प्रेम ही हमारे जीवन का सत्य है; मगर तुम्हारा ईश्वर दण्ड-भय से

सृष्टि का संचालन करता है। फिर उसमें और मनुष्य में क्या फर्क हुआ ? ऐसे ईश्वर की उपासना मैं नहीं करना चाहता, नहीं कर सकता। जो मोटे हैं उनके लिथे ईश्वर दयालु होगा; क्योंकि वे दुनिया को लूटते हैं। हम जैसों को तो ईश्वर की दया कहीं नजर नहीं आती। हां, भय पग-पग पर खड़ा घूरा करता है.....”

लेकिन जैनेन्द्र ने बहस जारी रखी और ईश्वर और सत्य में सम्बन्ध जोड़ने का प्रयास किया, तो प्रेमचन्द और स्पष्ट हो गये।

“जब तक संसार में यह व्यवस्था है, मुझे ईश्वर पर विश्वास नहीं आने का; अगर मेरे भूठ बोलने में किमी की जान बचती है तो मुझे कुछ भी संकोच नहीं होगा। मैं प्रत्येक कार्य को उसके मूल कारणों से चेप रखता हूँ, जिससे दूसरों का भला हो, वही सब है, जिससे दूसरों को नुकसान हो वही भूठ है।”

जैनेन्द्र को आशा थी कि वह मरने से पहले ईश्वर को याद करेंगे और हर एक आस्तिक इसी भ्रम में फंसा रहता है। जैनेन्द्र की यह आशा पूरी न हुई। वह प्रेमचन्द के निकट बैठे थे। उन्होंने अपना दाहिना सूजा हुआ हाथ बढ़ा कर कहा—“दबादो” प्रेमचन्द आधी रात तक बातें करते रहे। वह बातें “हंस” के बारे में थीं, साहित्य और उसके भविष्य से सम्बन्धित थीं। उनकी आशायें और आकांक्षायें शब्दों से कहीं अधिक आंखों से व्यक्त होती थीं।

आखिर प्रातःकाल ८ अक्तूबर सन् १९३६ को क्रियाशील शक्ति का अन्त हो गया। संसार का रूप निखारने वाली लेखनी रुक गई ? जीवन को प्रज्वलित करने वाला दीपक बुझ गया और यों उन्होंने अपने जीवन की कहानी को पराकाष्ठा पर लाकर अन्त कर दिया।

कला

“साहित्य अपने काल का प्रतिबिम्ब होता है । जो भाव और विचार लोगों के हृदयों को स्पन्दित करते हैं, वही साहित्य पर भी अपनी छाया डालते हैं ।”

—प्रेमचन्द

प्रेमचन्द के जीवन की जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद उनके साहित्य पर बहस की गुञ्जाइश नहीं रहती । प्रत्येक लेखक की कला उसके जीवन का अंग होती है । कोई लेखक जितना ही अपने समय की आत्मा को पहचान लेता है और इतिहास की विकासात्मक शक्तियों को समझकर उनका साथ देता है, उतना ही उसका साहित्य शाश्वत, प्रभावशाली और व्यापक होता है और उतना ही वह स्थायी और मृत्युवान होने के कारण शताब्दियों और युगों तक पढ़ा जाता है । प्रेमचन्द ने लगभग तीन सौ कहानियाँ एक दर्जन उपन्यास लिखे । उन्हें सिलसिलेवार पढ़ने से हमारे देश का बीसवीं सदी के शुरू पैंतीस-छत्तीस वर्ष का इतिहास तैयार हो जाता है । अर्थात् प्रेमचन्द के साहित्य का इतिहास हमारे देश के राजनैतिक और सामाजिक परिवर्तनों का इतिहास है ।

लेकिन उनका साहित्य अपने युग का प्रतिबिम्ब मात्र ही नहीं है, उन्होंने जीवन के जो गहरे और अमिट रेखा-चित्र तैयार किये हैं, उनसे हमें यह भी पता चलता है कि जीवन की ये रेखायें किस दिशा में आगे बढ़ रही हैं और घटनाओं की ऐतिहासिक धारा का आगामी रुख क्या है ? अर्थात् लेखक का काम सिर्फ जीवन को चित्रित करना ही नहीं होता, बल्कि जहाँ जीवन की कमी हो उसे निर्माण करना भी होता है । प्रेमचन्द ने यह कार्य भी बड़ी अच्छी तरह पूरा किया है । परिस्थितियों और वातावरण का निरीक्षण करने के उपरान्त वह बड़े इत्मीनान से कहते हैं—

“लेकिन यह सब होने पर भी हमारा भविष्य उज्ज्वल है। मुझे इसमें सन्देह नहीं। भारत की आत्मा अभी जीवित है।”

परिवर्तन सदा व्यक्तियों और घटनाओं में प्रगट होते हैं; लेकिन इन परिवर्तनों का कारण सामने आने वाले व्यक्तियों और घटनाओं ही में नहीं, समाज में निहित होता है। लेखक का काम यह है कि वह इन व्यक्तियों और घटनाओं का निरीक्षण करके इन कारणों की जड़ें समाज में खोज निकाले। जितना वह इस उद्देश्य में सफल होता है, उतना ही उसका साहित्य प्रभावशाली और उपयोगी होता है। जहां वह इस निरीक्षण में असफल रहता है, वहीं उसका साहित्य प्रभावहीन और दुर्बल हो जाता है।

इसी बात को दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि लेखक समाज में से कुछ व्यक्तियों और घटनाओं को उदाहरण के रूप में चुन लेता है और उनके द्वारा वह समस्त समाज अथवा पूरे जीवन का निरीक्षण करता है। खुद प्रेमचन्द ने इस बात को यों कहा है:—

“साहित्य की बहुत-सी परिभाषायें की गई हैं; पर मेरे विचार से उसकी सर्वोत्तम परिभाषा ‘जीवन की आलोचना’ है। चाहे वह निबन्ध के रूप में हो, चाहे कहानियों के या काव्य के, उसे हमारे जीवन की आलोचना और ब्याख्या करनी चाहिए।”

लेकिन जीवन की आलोचना साहित्य की पहली मंज़िल है। लेखक का काम इस मंज़िल पर रुक जाना नहीं, बल्कि आगे बढ़ना है। वालुजक और चार्लज़ डिकनज़ आदि लेखकों ने भी अपनी समाज की भरपूर और निर्भीक आलोचना की है, क्योंकि उन्हें यह भय नहीं था कि ऐसा करने से वे समाज की जड़ें हिला देंगे। और ना ही उन्हें इस बात की जरूरत महसूस होती थी, क्योंकि पूंजीवाद अपनी पराकाष्ठा पर था और उसका प्रतिद्वन्द्वी कोई ऐसा आंदोलन अभी नहीं था। जिसका उद्देश्य इससे बेहतर समाज स्थापित करना हो। उस समय आलोचना ही साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा थी।

लेकिन जब क्रान्ति का युग हो, जब पुराने और जर्जर के स्थान पर नए और उन्नत समाज के निर्माण के लिये संघर्ष हो रहा हो, तो लेखक का काम पक्षपात के साथ लोगों को संघर्ष के लिए तैयार करना होता है। अगर उस समय आलोचना को कर्म की प्रेरणा से अलग रखा जाय, तो लेखक, लेखक नहीं रहता या कम-से-कम लेखक अपने कर्तव्य का पूर्ण ढंग से पालन नहीं करता। ऐसे युग में उत्तम और श्रेष्ठ साहित्य वही होता है, जिसमें जीवन की आलोचना के साथ जीवन को आगे न बढ़ाने के लिए कर्मशील होने की

प्रेरणा भी मिलती है। प्रेमचन्द गो जीवन की आलोचना को साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा कहते हैं; लेकिन वह स्वयं क्रियाशील होने की प्रेरणा भी देते हैं—

“जिस समाज का आधार ही अन्याय पर हो, उसकी सरकार के पास दमन के सिवा और क्या दवा हो सकती है। एक दिन आयेगा, जब आज के देवता, कल कंकर-पत्थर की तरह उठा-उठाकर गलियों में फेंक दिये जायेंगे और पैरों से ठुकराये जायेंगे।”

(कर्मभूमि)

लेकिन यह मंजिल भी दूसरी मंजिल है। आखिरी और तीसरी मंजिल इससे आगे है, जो काफ़ी कठिन है, जिस पर पाँव डगमगाते हैं। लेखक की परीक्षा इसी मंजिल पर पहुँच कर होती है। यहीं खरा और खोटा परखा जाता है। यह मंजिल है संघर्ष को सफलता के साथ अपने प्राकृतिक परिणाम तक ले जाना। समाज की नई शक्तियों को पुरानी और जर्जर शक्तियों से टकरा देना। यह काम सहज नहीं, बहुत कठिन है। लेखक अपने वर्ग के अनुसार पुराने समाज के साथ हज़ारों बन्धनों से बँधा हुआ होता है। जब तक वह एक-एक सम्बन्ध तोड़ कर अपने आपको पुराने समाज से अलग न कर ले, जब तक वह सक्रिय रूप से अपने आपको नये समाज के साथ पूर्ण रूप से जोड़ न ले, जब तक कि वह अपने आपको नये समाज की नई शक्तियों का अविच्छेद अंग न बना ले, तब तक कंकर-पत्थर के देवताओं को उठा कर फेंकते समय उसका हाथ काँप जायेगा, वह अपने संघर्ष को अग्रुआ छोड़ देगा और दुर्बलता और पराजय को छिपाने के लिये झूठे दर्शन का आसरा लेगा।

जब हम इस मंजिल पर पहुँचते हैं तो प्रेमचन्द का प्रतिवाद स्पष्ट हो जाता है हमें उनकी मानसिक सीमाओं का बोध होता है। तब हम यह भी जान लेते हैं कि उन्होंने, “साहित्य अपने समय का प्रतिबिम्ब होता है”—क्यों कहा है और केवल ‘जीवन की आलोचना’ ही को साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा क्यों बताया है, जबकि वह खुद उससे बहुत आगे जाते हैं ?

प्रेमचन्द ने चूँकि स्वतन्त्रता-संग्राम को आगे बढ़ाने के लिये साहित्य-रचना की थी। वह स्वयं भी नौकरी से इस्तीफा देकर इस आन्दोलन में शामिल हो गये थे। इसलिये उन्होंने जीते-जागते क्रियाशील पात्रों की रचना की हैं, जो सिर्फ स्वतन्त्रता-संग्राम के बारे में सोचते ही नहीं, बल्कि उसमें शामिल होते हैं और सक्रिय भाग लेते हैं। लेकिन उनके कर्म की एक सीमा है। जब कर्म उससे आगे बढ़ने लगता है, तो वह उसे झट रोक देते हैं और झूठे दर्शन का

आसरा लेकर अपने मन को सान्त्वना देते हैं और कई बार तो सान्त्वना भी प्राप्त नहीं होती। मन में कुरेद लगी रहती है।

उदाहरणार्थ उनके उपन्यास “काया कल्प” को लीजिये। उपन्यास का नायक चक्रधर सच्चे और ओजस्वी नौजवान के रूप में हमारे सामने आता है। उसे समाज की जर्जर परम्पराओं, शठता और गुलामी से घृणा है। वह स्वतन्त्र, सुन्दर और समृद्ध समाज का निर्माण चाहता है। इसलिये वह सच्ची और न्याय संगत बातें करता है। हम उसे अत्यन्त निर्भीकता के साथ कहते हुए सुनते हैं—“मैं बदनामी के भय से अन्याय करना उचित नहीं समझता”— और न्याय अथवा अन्याय की जड़ें भौतिक स्थिति में होती हैं; इसलिये चक्रधर कहता है:—

“यह भौतिकवाद ही हमें आध्यात्मिकवाद की ओर ले जायगा। जीवन के वे रहस्य जिन पर अब तक पर्दा पड़ा हुआ है, खुल जायेंगे।”

वह कर्मशील युवक है। कुल की परम्परागत मान्यताओं और रीति-रिवाज से विद्रोह करता है और साम्प्रदायिक दंगे रोकने के लिये अपने प्राण खतरे में डाल देता है। लूट-खसोट, अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध सत्याग्रह करता है। उत्पीडित वर्ग का साथ देता है। लेकिन जब कृषक लूट-खसोट से तंग आकर अत्याचार को मिटाने के लिये तैयार होते हैं, राजा के कारिन्दों, अफसरों और सिपाहियों पर आक्रमण करते हैं, तो चक्रधर का दिल कांप जाता है। वह आगे बढ़कर और स्वयं आहत होकर इस स्वाभाविक घटना को रोक देता है और मन को समझाने के लिये मिथ्या दर्शन की आड़ लेता है:—

“वह सोच रहा है, यह हत्याकाण्ड क्यों हुआ ? मैंने तो भूल कर भी किसी से ऐसा करने को नहीं कहा।.....यह हमारी नीयत का फल है। हमारे त्याग और सदोपदेश में स्वार्थ निहित है। यदि हमारी नीयत साफ़ हो, तो जनता के मन में राजाओं पर चढ़ दौड़ने का जोश ही पैदा न हो।”

विदित है कि यहाँ चक्रधर ने भौतिकवाद के दर्शन को अलग फेंक कर आध्यात्मिकता का आवरण ओढ़ लिया है और वह कृषकों के स्वाभाविक क्रोध के भौतिक कारणों की उपेक्षा करके उसे “नीयत” “मन” और व्यक्तियों के सिर थोप रहा है। जो सर्वथा प्रतिक्रियावाद का दर्शन शास्त्र है। लेकिन चूँकि वह वास्तव में प्रतिक्रियावादी नहीं बल्कि ईमानदार है, इसलिये उसके मन को इस मिथ्या दर्शन से सन्तोष नहीं मिलता। कुरेद लगी रहती है। सोचता है:—

“फिर अगर अत्याचार का विरोध न किया जाय तो संगठन से लाभ ही क्या ?”

अब होता यह है कि चूंकि संगठन में कोई लाभ दिखाई नहीं देता; इसलिये चक्रधर सब कुछ छोड़-छाड़ कर संन्यास धारण कर लेता है। एकान्तसेवी और निष्क्रिय जीवन व्यतीत करता है। चूंकि उसने भौतिकता का मार्ग छोड़ दिया है; इसलिये जीवन के गुप्त रहस्यों पर पर्दा ही पड़ा रहता है। और प्रेमचन्द की कला ने आवागवन के गोरखधंधों में उलझ कर अपना तत्त्व खो दिया है। एक गैर मार्क्सवादी लेखक ने इस उपन्यास पर आलोचना करते हुए लिखा है:—“रबल और रवानी पहले हिस्सा में कुछ ज्यादा है; मगर रफ्तारफ्त कम होते-होते ग्रायब हो गयी।” कारणों में जाने की जरूरत नहीं। मिथ्यादर्शन में हृदय को पकड़ने का सामर्थ्य नहीं होता।

इसी प्रकार “डामुलका क़ैदी” कहानी उस समय तक रोचक और दिलचस्प बनी रहती है, जब तक प्रेमचन्द मिल के मालिक सेठ की धन लोलुपता, मुनाफ़ाखोरी और पाखंड का भांडा फोड़ते हैं और मजदूरों के कर्तव्य को उभारते हैं। लेकिन जब गोपीनाथ मजदूरों के संघर्ष का नेतृत्व करने की वजाय उनके क्रोध और सेठ के बीच में पड़ कर हड़ताल तोड़ने का काम करता है और घायल होकर मर जाता है, तो फिर आवागवन का वही अस्वाभाविक क्रम आरम्भ होता है और कहानी निस्सार और शुष्क होकर रह जाती है।

उनके एक दूसरे उपन्यास ‘कर्मभूमि’ को लीजिये। इस उपन्यास का नायक अमरकान्त, चक्रधर से अधिक सजग और सचेत व्यक्ति है। उसके चरित्र में अधिक प्रौढ़ता और दृढ़ता है, जो निश्चय ही अनुभव और क्रियाशीलता से उत्पन्न हुई है। हम अपनी आंखों से उसके व्यक्तित्व का विकास होते देखते हैं। वह चक्रधर से बहुत आगे की बात सोचता है। जिसका कारण यह है कि सन् १९३० के नमक सत्याग्रह में सन् १९२२ का अंधा विश्वास और खिलाफत का सा धार्मिक रंग शामिल नहीं था। अब स्वतंत्रता का आन्दोलन धर्म-निष्ठा पर निर्भर नहीं था, उसका एक ठोस आर्थिक आधार बन चुका था और उसमें क्रान्तिकारी नवयुवकों का साहस और उत्कट भावना शामिल थी। प्रेमचन्द का यह नायक भी परिस्थितियों के अनुकूल इसी अन्दाज़ से सोचता है:—

“मैं किसी रिश्ते या दौलत को अपनी आत्मा के गले की जंजीर नहीं बना सकता। मैं उन आदमियों में नहीं हूँ, जो जिंदगी की जंजीरों को जिंदगी समझते हैं। मैं जिंदगी की आरजुओं को जिंदगी समझता हूँ।”

लेकिन जंजीरों केवल सोचने ही से नहीं टूट जातीं और न कामनाएँ पूरी

होतो हैं। अमरकान्त उसका ऐतिहासिक और सहज उपाय सोचता है:—

“वह अब क्रान्ति ही में देश का उद्धार समझता था—ऐसी क्रान्ति में, जो सर्वव्यापक हो, जो जीवन के मिथ्या आदर्शों का, झूठे सिद्धान्तों का, परिपाटियों का अन्त कर दे, जो एक नये युग की प्रवर्तक हो, एक नई सृष्टि खड़ी कर दे, जो मिट्टी के असंख्य देवताओं को तोड़कर चकनाचूर कर दे। जो मनुष्य को धन और धर्म के आधार पर टिकने वाले राज्य से मुक्त कर दे।”

अपने इस स्वप्न को सार्थक और चरितार्थ करने के लिये वह सूदखोर और चोरी का माल हड़पने वाले पिता से विद्रोह करता है। उसका घर और धन त्याग कर गांव में जाकर किसानों और मजदूरों में रहने लगता है। लेकिन जब यही किसान मजदूर उसके स्वप्न को सार्थक करने के लिये तैयार हो जाते हैं, धन और धर्म के आधार पर टिकने वाला राज्य का अन्त करने के लिये आक्रमण शुरू करते हैं, तो अपने ही “सभ्य” और “शिक्षित” वर्ग को, इन गंवारों के प्रहार की जड़ से प्रभावित देखकर अमर का दिल कांप जाता है। वह क्रुद्ध उत्तेजित जन-समूह के सामने लेटकर अपने लंगोटिये साथी सलीम को साफ़ बचा लेता है।

अब चूँकि अमर सत्याग्रह करके जेल जाने ही को कर्म की आखिरी मंजिल समझ लेता है; इसलिये उसके मन में वह कुरेद भी नहीं होती, जो चक्र धर के मन में उत्पन्न हुई थी। फिर लुटफ़ की बात यह है कि उसका धन का लोभी बाप भी “हृदय परिवर्तन” के चूरन से शुद्ध होकर जेल में आ जाता है। वहाँ से रिहा होकर बेटा बाप के हाथ में हाथ डालकर उसी घर में लौट आता है, जहाँ से विद्रोह करके वह व्यापक क्रान्ति करने और जीवन के मिथ्या आदर्शों का अन्त करने निकला था।

यह सत्याग्रही की जीत हो सकती है; पर कान्तिकारी की हार में संदेह नहीं। प्रश्न यह उठता है कि प्रेमचंद का नायक अथवा आर्ट यह हार क्यों अंगीकार करता है? इसका कारण क्या है?

प्रेमचन्द को सुधारवादी बताने वाले साहित्यकार और आलोचक कहते हैं कि यह गांधीवाद है।

उनकी यह बात मानने से किसी को भी संकोच नहीं हो सकता। निस्संदेह यह गांधीवाद है। लेकिन यही बात का अन्त नहीं होता। अब हमें यह देखना होगा कि गांधीवाद का सामाजिक आधार क्या है।

जिस प्रकार सम्राज्य में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन व्यक्तियों और घटनाओं में प्रकट होते हैं। उसी प्रकार समाज से उत्पन्न होने वाला प्रत्येक दर्शन भी

व्यक्तियों और घटनाओं में उत्पन्न होता है। किसी दर्शन और विचार को किसी व्यक्ति विशेष से सम्बन्धित किया जा सकता है; लेकिन वह उस आकाशवाणी के रूप में प्राप्त नहीं होता और न वह उस व्यक्ति विशेष के साथ उत्पन्न होता तथा मर जाता है। यही सिद्धान्त गांधीवाद पर लागू होता है जो गांधीजी के व्यक्तित्व से सम्बंधित अवश्य है लेकिन हमें उसकी जड़ें अपने वर्ग विभाजित समाज में वर्गों में खोजने से मिलेंगी।

प्रेमचंद सन् १९३५ में हिन्दी साहित्य-परिषद् की बैठक के सिलसिले में वर्धा गये और वहां उनकी गांधी जी से पहली और अंतिम भेंट हुई। लौटकर आये तो अपनी इस भेंट का जिक्र शिवरानी देवी से किया। वह गांधी जी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे।

शिवरानी बोलीं:—“इसका मतलब है आप भी महात्मा गांधी के चेले हो गये।”

प्रेमचंद:—“चेला बनने का मतलब किसी की पूजा करना नहीं, उसके गुणों को अपनाना होता है। मैंने उन्हें अपना कर ही तो ‘प्रेमाश्रम’ लिखा जो सन् १९२२ में छपा है।

शिवरानी:—“वह तो पहले ही लिखा जा रहा था, उसमें महात्मा गांधी की कौन खास बात हुई।”

प्रेमचंद:—“इसका अर्थ यह है कि वह जो कुछ करना चाहते हैं, उसे मैं पहले ही कर रहा था।”

शिवरानी:—“यह तो कोई दलील न हुई।”

प्रेमचंद ने कहा कि दलील की बात नहीं। वह भी मजदूरों किसानों की भलाई के लिये आंदोलन चला रहे हैं और मैं भी कलम से यही कुछ कर रहा हूँ।

(प्रेमचंद घर में)

हजारों लाखों हिन्दुस्तानियों की तरह प्रेमचंद ने भी भूल से यह समझ लिया कि गांधी जी जो कुछ चाहते हैं, वह पहले से वही कुछ कर रहे थे। ‘प्रेमाश्रम’ में मनोहर गौसखां को कत्ल करता है और प्रेमचंद एक कलाकार की सहानुभूति और पक्षगत के साथ उसके कृत्य का समर्थन करते हैं, उसे वीर और शूरमा बताते हैं। लेकिन गांधी जी ने मनोहर के कृत्य का कभी समर्थन नहीं किया बल्कि वह मनोहर के कृत्य को आधे में ही रोकने के लिये आगे आये थे। कांग्रेस के नेता बने थे।

मनोहर का यह कृत्य कोई व्यक्तिगत कृत्य नहीं था, वह इस वर्ग का कृत्य था, जो लूट-खसोट से और घोर दरिद्रता से उत्पीड़ित था। गौसखां के बाद

उसका अगला वार ज्ञानशंकर जमींदार, उसके संरक्षक अंग्रेज और सारे शोषक वर्ग पर पड़ता था। युद्ध के पश्चात् जनता का यह सामूहिक आन्दोलन शुरू हो चुका था। इस आंदोलन को रोकने के लिये ही जलियाँवाला बाग का हत्याकांड घटित हुआ था। लेकिन जनता का जोश गोलियों से शांत नहीं हुआ करता। यदि उनके आन्दोलन को स्वाभाविक ढंग से आगे बढ़ने दिया जाता तो गोलियों से तपकर निकलने वाली जनता न सिर्फ अंग्रेजी शासन का बल्कि प्रत्येक प्रकार के शोषण का अन्त करके दम लेती। प्रेमचन्द जनता की जिस महानता के कायल थे वह अन्तस्तल से उभर कर ऊपर आ जाती।

पूँजीवादी वर्ग ने भी जनता के यह तेवर पहचान लिये थे और उनसे वे स्वभावतः ही भयभीत थे। अब तक कांग्रेस-आन्दोलन कुछ पढ़े लिखे लोगों और उनके अपने वर्ग तक सीमित था। श्रमिक वर्ग पहली बार स्वतन्त्रता-संग्राम में सम्मिलित हो रहा था। उसका भावना को इस हद तक उभारना जरूरी था कि विदेशी सरकार से सौदा पटाया जा सके, समझौता हो सके जान के स्थान पर गोबिन्द को गद्दी पर बैठाया जा सके; लेकिन इस भावना का लूट-खसोट की सम्पूर्ण व्यवस्था से, इस समाज से टकराने से रोका जाये।

इस भय और दूरदर्शिता का नाम गाँधीवाद है जिसका आशय व्यक्तिगत सम्पत्ति और सम्पत्तिशाला वग का रक्षा करना है। गोया गांधीवाद वह वृक्ष है, जिसकी जड़ें 'रामराज्य', 'दुःस्तीक्ष्ण', 'हृदय परिवर्तन', 'सत्याग्रह', 'अहिंसा' और 'सत्य' में निहित हैं; और उसकी छाया में बिडम्बना पलती है।

देश में मजदूर आन्दोलन इतना सशक्त नहीं था कि गांधीवाद का विवेचन करके उसके वर्ग-आधार को समझ लिया जाता। मध्यमवर्ग के स्वतन्त्रता प्रिय सच्चे नौजवानों ने इस सिद्धान्त को अपना लिया, क्योंकि उनके सामने संघर्ष का और कोई व्यापक कार्यक्रम नहीं था और फिर मध्यमवर्ग यद्यपि श्रम की दृष्टि से मजदूर वर्ग के समीप होता है; लेकिन सामाजिक दृष्टि से वह पूँजीवाद की परम्पराओं को अपनाता है। व्यक्तिगत सम्पत्ति और विरासत के संरक्षण का भावना उसके जन्मजात संस्कारों में निहित रहती है।

प्रेमचन्द का जन्म भी मध्यमवर्ग में हुआ था। उनकी भी गांव में पैत्रिक भूमि थी। पैत्रिक घर था और 'घर' से उन्हें वह अनुराग था, जो मध्यमवर्ग के लोगों को हुआ करता है। इस अनुराग के कारण वे बार-बार देहात में जाने की इच्छा करते रहे। आखिर वे देहात में गये, पूर्वजों के कच्चे मकान की जगह पक्का मकान बनबाया और यही कारण था कि वे सन् १९३० के सत्याग्रह आन्दोलन में बहुत चाहने के बावजूद जेल नहीं जा सके। सोचते रहे

कि शिवरानी चली गयीं, यदि वे भी चले गये तो बच्चों का और घर का क्या बनेगा ?

सत्याग्रह की लड़ाई इसी प्रकार लड़ी जाती थी कि घर भी बना रहे और जेल यात्रा भी हो जाये। बड़े आदमी जब जेल जाते थे, तो बाहर उनका कारोबार बराबर चलता रहता था।

प्रेमचन्द ने जीवन को खिलाड़ी की भांति बिताने का जिक्र प्रायः किया है। यह खिलाड़ीपन का दर्शन भी गान्धीवाद ही की एक धारा है। उसने बहुत से लोगों को खिलाड़ी बनाया है; लेकिन उनके सिद्धान्त को चर्खे से बांधे रखा है। प्रेमचन्द के अमरकान्त और चक्रधर भी खिलाड़ी थे। बड़ी ही शुद्ध भावना और ईमानदारी से आन्दोलन में शामिल हुए थे। लेकिन आज उन्हें हूँडना हो तो वे कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं, पदाधिकारियों और मंत्रियों में मिलेंगे। चूँकि उन्होंने अपने कृत्य का विवेचन करके उसकी त्रुटियों और न्यूनताओं को नहीं समझा। चूँकि वे अहिंसा के पुजारी बनकर हार को ही जीत समझते रहे। जिसका परिणाम यह हुआ कि हात-हात पाखंड उनके जीवन का अंग बन गया और अब वे अपने इस पाखंड से गान्धीवाद को सार्थक और साकार बनाये हुए हैं।

प्रेमचन्द के यहाँ बड़ा खिलाड़ी—गांधी ही का दूसरा रूप “रंग भूमि” का नायक सूरदास है। जो एक पैसे के लिये तीन-तीन मील दौड़ लगाता है, पत्रिक सम्पत्ति—अपनी भूमि की रक्षा के लिये एकाकी और व्यक्तिगत ढंग से लड़ता है। वह यथार्थ से आँखें मूँद कर खिलाड़ी के सदृश लड़ता हुआ मर जाता है। प्रेमचन्द उसे सच्चा सत्याग्रही और आदर्श व्यक्ति कहते हैं उसे प्रस्तुत करने में कलाकार के पक्षपात से काम लेते हैं।

यह आदर्श सम्पत्ति के संरक्षण का आदर्श है। अपने जन्मजात संस्कारों को बदलना आसान नहीं, बहुत कठिन है। इंसान अपने वर्ग की रूढ़िगत परम्पराओं को भटक कर हजार बार आगे बढ़ता है और वे हजार बार मार्ग काट कर नया रूप धारण करके सामने आ जाती हैं। प्रेमचन्द ने ‘प्रेमाश्रम’ में जिन रूढ़िगत परम्पराओं का दामन भटक दिया था, गाँधीवाद के रूप में वे फिर सामने आगयीं और उन्होंने बिना पाँहचाने उन्हें फिर अपना लिया।

इसके बाद जब सत्याग्रह, अहिंसा और जुलूसों से उनका विश्वास उठ जाता है और “भाड़े के टट्टू” कहानी का नायक रमेश जेल से छूटकर वर्ग क्रान्ति की घोषणा कर देता है; लेकिन फिर “कफन” कहानी में वे सिर्फ जीवन की आलोचना करके ही सन्तुष्ट हो जाते हैं। कृषकों तथा मजदूरों की

भावना को बिलकुल नहीं उभारते। धीसू और माधव को सिर्फ चंडूखाने में लेजाकर छोड़ देते हैं।

सन् उनत्तीस तीस में और पैंतीस छत्तीस तक मजदूर आन्दोलन बहुत आगे बढ़ गया था। उन्होंने कानपुर, अहमदाबाद और बम्बई में बड़ी-बड़ी हड़तालें की थीं। प्रेमचन्द उनका जिक्र नहीं करते अपनी रचनाओं को मध्यम वर्ग तक ही सीमित रखते हैं। 'गोदान' में मजदूरों की हड़ताल का गौण-रूप से उल्लेख किया है। उसे भी बुरी तरह कुचल दिया जाता है और मजदूरों पर जो अत्याचार और दमन होता है उसका प्रतिकार खन्ना के मिल को दैवयोग से आग लगाकर भावुकतापूर्वक ढंग से लिया गया है। "मिल मजदूर" फिल्म में समझौता कमेटी अर्थात् सुलाह कमेटी मौजूद है। और "डमुल का कैदी" कहानी में मजदूरों के संघर्ष की जो बाढ़ आती है, उसे आवागमन की मरु-भूमि ने सुखा दिया है।

इन सब बातों के बावजूद मानवीय-प्रेम प्रेमचन्द के साहित्य की जान है। वह कदाचित लूट-खसोट, अन्याय और अत्याचार सहन करने को तैयार नहीं। जिस प्रकार बिहार के भूकम्प ने उनके पक्के मकान में दरारें डालदी थीं उसी प्रकार जीवन के अनुभवों, कटु और कठोर यथार्थ ने—घटनाओं के भटकों ने उनके गान्धीवाद में दरारें ही नहीं गढ़े डाल दिये। इस पेड़ की टहनियाँ झड़ चुकी थीं, सिर्फ जड़ शेष थी। लेकिन "गोदान" में भी टूटती और सूखती हुई दिखाई देती है क्योंकि होरी किसान जिस भूमि पर जान देता है और दरिद्र होते हुए भी पूंजीवादी वर्ग की परम्पराओं से चिपटा हुआ है, अन्त में उसे खोकर मजदूर बनने के लिये विवश हो जाता है।

मध्यम वर्ग को टूटकर मजदूर बनते दिखाना गांधीवाद के आधार आदर्श-वादी दर्शन की हार है और प्रेमचन्द की प्रगतिशील कला, दर्शन और साहित्य की जीत। उन्होंने समझ लिया था कि इस शोषण व्यवस्था में मध्यम वर्ग के लिये अपना अस्तित्व बनाये रखना सम्भव नहीं। इससे विदित है कि उनका कदम किस दशा में उठ रहा था और इसीसे उनके साहित्य में ताजगी और निखार आ रहा था।

कीर्ति

“मनुष्य-जीवन की सबसे बड़ी लालसा यही है कि वह कहानी बन जाय और उसकी कीर्ति हर एक जबान पर हो” (प्रेमचन्द)

प्रेमचन्द को अपने जीवन में काफी कीर्ति प्राप्त हो गई थी। वह उर्दू और हिन्दी के सर्वोत्तम लेखक गिने जाते थे, कोई दूसरा कहानीकार उनके पास भी नहीं आता था। उर्दू वालों ने उन्हें “फितरतनिगार” और हिन्दी वालों ने “उपन्यास सम्राट्” की उपाधि से सम्मानित किया था। उनकी कहानियाँ गुजराती, मराठी और बंगाली आदि प्रान्तीय भाषाओं में तो अनुवाद होती ही थीं, लेकिन इसके अतिरिक्त अंग्रेजी और जापानी आदि विदेशी भाषाओं में भी उनकी कुछ कहानियाँ अनुवाद हो चुकी थीं और उनकी कीर्ति अब तक फैलती जा रही है। अभी रूसी भाषा में “प्रेमाश्रम” अनुवाद प्रकाशित हुआ है।

लेकिन प्रेमचन्द ने कीर्ति प्राप्त करने का कभी प्रयत्न नहीं किया क्योंकि प्रयत्न से न कीर्ति प्राप्त होती है और न कीर्ति का कोई लाभ है, बल्कि उसका मार्ग दूसरा है। प्रेमचन्द लिखते हैं—

“अगर हम सच्चे दिल से समाज की सेवा करें तो मान, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि सभी हमारे पाँव चूमेंगी। फिर मान-प्रतिष्ठा की चिंता हमें क्यों सताये ? और उसके न मिलने से हम निराश क्यों हों ? सेवा में तो आध्यात्मिक आनन्द है ही, वही हमारा पुरस्कार है।”

फिर भी हर एक व्यक्ति के मन में प्रसिद्धि की जो लालसा होती है, उसका कारण क्या है ? प्रेमचन्द अपनी कहानी “लेखक” में इसका कारण बताते हैं। लेखक अपनी पत्नी से कहता है :—

“अब तुम्हें कैसे समझाऊँ, प्रत्येक प्राणी के मन में आदर और सम्मान

को एक लुधा होती है ? तुम पूछोगी यह लुधा क्यों होती है । इसलिये कि यह हमारे आत्म-विकास की एक मंजिल है । हम उस महान सत्ता के सूचकांक हैं, जो समस्त ब्रह्माण्ड में व्याप्त है । अंश में पूर्ण गुणों का होना लाजिमी है । इसलिये कीर्ति और सम्मान आत्मोन्नति और ज्ञान की ओर हमारी स्वाभाविक रुचि है । मैं इस लालसा को बुरा नहीं समझता ।”

कीर्ति की लालसा विकास की कामना का दूसरा नाम है और वह भी प्राप्त हो सकती है, जब मनुष्य जीवन के सम्पूर्ण विकास, ऐतिहासिक सत्य को आगे बढ़ाने में मदद करे । मनुष्य अपने निजी विकास को इस प्रकार सामूहिक विकास में शामिल करदे, जिस प्रकार छोटे-छोटे नाले अपने आपको नदी में मिला देते हैं, और नदी का बहाव बढ़ता और फैलता जाता है और वह नदी जीवन को सींचती, उर्वर और समृद्ध बनाती चली जाती है । यही कर्म, कर्म और यही त्याग, त्याग है । जो वर्ग और त्याग इस सिद्धान्त को छोड़कर किया जाता है, उसका परिणाम कीर्ति नहीं बदनामी है और वह जीवन के लिये हानिप्रद है, क्योंकि उसका उद्देश्य विकास को आगे बढ़ाने के बजाय उसे रोकना होता है ।

प्रेमचन्द ने निश्चित रूप से जीवन के विकास में वृद्धि की है । वास्तव में उनका जीवन ही विकास का आन्दोलन था । जैसे-जैसे साहित्य का प्रगतिशील आन्दोलन अपनी परम्पराओं पर स्थिर रहकर आगे बढ़ रहा है और फैल रहा है, प्रेमचन्द की कीर्ति उज्वल होती और फैलती जा रही है ।

प्रेमचन्द के बाद प्रगतिशील लेखकों ने जीवन की आलोचना का काम भले ही किया है; लेकिन क्रियाशील और साधु पात्र (Positive character) बहुत ही कम पेश किये हैं । प्रेमचन्द के बाद साहित्य के प्रगतिशील आन्दोलन का काफिला फ्रायडवाद की टेढ़ी-मेढ़ी घाटियों में भटक गया था । इससे जिस कदर आन्दोलन की प्रगतिशील परम्पराओं का ह्रास हुआ, उसी कदर प्रेमचन्द की कीर्ति भी मंद पड़ गयी । हम उन्हें सुधारवादी कहकर उनकी उपेक्षा करते रहे, अगर पढ़ना एकदम बन्द नहीं किया था, तो कम जरूर कर दिया था । हम समझते थे कि फ्रायड के सिद्धान्तों ने हमें “मनो-विश्लेषण” का जो गुरु मंत्र दिया है, प्रेमचन्द इससे परिचित न थे और इन सिद्धान्तों के कारण हमारी कहानी उनसे बहुत आगे बढ़ गई है । लेकिन हम उनको और अपने आपको भुला रहे थे । प्रेमचन्द ने फ्रायड के सिद्धान्तों को देखा, परखा और फिर रद्द कर दिया । “मिस पद्मा” कहानी उन्होंने इसी विषय को लेकर लिखी है । वे इस कहानी में लिखते हैं (हिंदी में यह शब्द नहीं में उर्दू से

अनुवाद करके दे रहा हूँ) :—

“पद्मा ने शिक्षा से जो लाभ उठाया था, उसमें मनोवासना की पूर्ति ही जीवन का उद्देश्य था। संयम आत्म विकास के लिये विष था। फ्रायड के सिद्धान्त उसके जीवन का आधार मात्र थे। किसी अङ्ग को बाँध दो, थोड़े ही दिनों में रक्त-प्रवाह बन्द हो जाने के कारण बेकार हो जायेगा, विषैला पदार्थ उत्पन्न करके जीवन को भय और संकट में डाल देगा। यह जनून पागलपन और मस्तिष्क की खराबी के रोग इतने क्यों बढ़ गये हैं, केवल इसीलिये कि मनोवासनाओं को रोका गया। भोग में उसे कोई नैतिक बाधा न थी, इसे वह केवल देह की एक भूख समझती थी।”

एक बार प्रेमचन्द और जैनेन्द्र कुमार में साहित्य पर बात-चीत हो रही थी। विषय टैगोर और श्रुतचन्द्र थे। बात-चीत का आरम्भ जैनेन्द्र के एक प्रश्न से हुआ था और वह जैनेन्द्र ही के शब्दों में यहाँ उद्धृत की जाती है:—

“जैनेन्द्र कुमार:—बंगाली साहित्य हृदय को अधिक छूता है—इससे आप सहमत हैं, तो इसका कारण क्या है? प्रेमचन्द ने कहा:—सहमत तो हूँ। कारण, उसमें स्त्री-भावना अधिक है। मुझमें वह काफी नहीं है।”

जैनेन्द्र उनकी ओर देखने लगे और पूछा—स्त्रीत्व है, इसीसे वह साहित्य हृदय को अधिक छूता है ?”

प्रेमचन्द बोले:—हां तो। वह जगह-जगह Reminiscent (स्मरणशील) हो जाता है। स्मृति से भावना की तरलता अधिक होती है, संकल्प में भावना का काठिन्य अधिक होता है। विधायकता के लिये दोनों चाहियें—

कहते-कहते उनकी आँखें जैनेन्द्र को पार कर कहीं दूर देखने लगी थीं। उस समय उन आँखों की सुखी एकदम गायब होकर उनमें एक प्रकार की पारदर्शी नीलिमा भर गई थी। बोले—जैनेन्द्र मुझे ठीक नहीं मालूम। मैं बंगाली नहीं हूँ। वे लोग भावुक हैं। भावुकता में जहाँ पहुँच सकते हैं, वहाँ मेरी पहुँच नहीं। मुझमें उतनी देन कहाँ? ज्ञान से जहाँ नहीं पहुँचा जाता, वहाँ भी भावना से पहुँचा जाता है। लेकिन जैनेन्द्र, मैं सोचता हूँ काठिन्य भी चाहिए। रवीन्द्र, शरत् दोनों महान हैं। पर हिन्दी के लिये क्या वही रास्ता है; शायद नहीं। हिन्दी राष्ट्र भाषा है। मेरे लिये तो वह राह नहीं हो है।” (“हंस” अक्टूबर सन् १९४८)

इसलिये प्रेमचन्द ऐसी कविता को खास तौर पर गजल को पसन्द नहीं करते थे, जो सिर्फ जुल्फों के पेचो-खम में उलझकर रह जाये। एक बार

ददानारायण निगम ने “जमाना” का आतिश नम्बर निकाला था, तो प्रेमचन्द उनपर बहुत खिङ्गे थे कि इतने पृष्ठ व्यर्थ खो दिये । उन्हें वह साहित्य पसन्द नहीं था, जो युग के तकाजों को पूरा न करता हो । स्त्री-भावना-प्रधान साहित्य को वह राष्ट्र के पतन का द्योतक समझते थे । लिखते हैं:—

“निस्सन्देह, काव्य और साहित्य का उद्देश्य हमारी अनुभूतियों की तीव्रता को बढ़ाता है; पर मनुष्य का जीवन केवल स्त्री-पुरुष प्रेम का जीवन नहीं है । क्या वह साहित्य, जिसका विषय शृंगारिक मनोभावों और उनसे उत्पन्न होने वाली विरह-व्यथा, निराशा आदि तक ही सीमित हो—जिसमें दुनिया और दुनिया की कठिनाइयों से दूर भागना ही जीवन की सार्थकता समझी गई हो, हमारी विचार और भाव सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है ? शृंगारिक मनोभाव मानव-जीवन का एक अङ्ग मात्र है, और जिस साहित्य का अतिक्रमण इसी से सम्बन्ध रखता हो, वह उस जाति और उस युग के लिये गर्व करने की वस्तु नहीं हो सकता और न उसकी सुरुचि का ही प्रमाण हो सकता है ।”

एक और प्रगतिशील आंदोलन पर फ्रायडवादियों का कब्जा था और उन्होंने अपने आपको प्रगतिशील लेखक घोषित करके अपने मध्यमवर्ग के और बुर्जवा वर्ग की स्त्री-पुरुष सम्बन्धी भावनाओं और दुर्बलताओं को बयान करना ही काफी समझा और मजदूर-किसानों के आन्दोलन से और जनसाधारण की भावनाओं और आवश्यकताओं से कोई सम्बन्ध नहीं रखा । दूसरी ओर सुधारवादी और गांधीवादी लेखक थे । वे प्रगतिशील आंदोलन के साथ भी थे और विरुद्ध भी थे । वह प्रेमचन्द का मूल्यांकन भी अपने ही सिद्धान्तों के अनुसार करते थे । इसलिए वे प्रेमचन्द को प्रगतिशील मानते हुये भी उन्हें सुधारवादी और गांधीवादी बनाकर पेश करते थे और उनके साहित्य के क्रांतिकारी अंश को सर्वथा छोड़ देते थे । इन लोगों के किसी लेखक, विचारक और नेता को बड़ा बनाकर पेश करने का एक मात्र उद्देश्य यह होता है कि उसकी कीर्ति उनके पुगने और जर्जर समाज को सहारा मिले और लोग उसकी प्रगतिशील और क्रांतिकारी परम्पराओं को भूलकर उसे देवता बनाकर पूजते रहें ।

साहित्य के वर्ण रूप पर उनकी दृष्टि नहीं जाती । गांधीवाद तो राजनीति में भी वर्ग-विभाजन पर पर्दा डालता है । जो लोग गांधी को अपने युग का सबसे बड़ा प्रगतिशील और क्रांतिकारी कहते हैं, अगर वे प्रेमचन्द को भी प्रगतिशील कहते हैं; तो केवल उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं । उन्हें

क्रान्ति की प्रवर्तक उन शक्तियों से कुछ भी सरोकार नहीं होता, जो साहित्य और मनुष्य को वास्तव में प्रगतिशील बनाती हैं, जो प्रेमचन्द की रचनाओं में ओत-प्रोत हैं।

बुर्जवा वर्ग के लेखकों ने रूस के महान् कलाकार टालस्टाय के साथ भी यही बर्ताव किया था। टालस्टाय ने अपने उपन्यासों और कहानियों में जार-शाही समाज पर जो आलोचना की है, शासन वर्ग के अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध जो आवाज उठाई है, दरिद्र किसानों की भावनाओं और अभिलाषाओं को जो लावे की तरह उबलते हुए दिखाया है, इस से उन्हें कोई सरोकार नहीं। वे तो केवल टालस्टाय से अपना सम्बंध जोड़कर अपनी राजनीतिक-पूँजी में बृद्धि करते हैं। सिर्फ लेनिन ने टालस्टाय की रचनाओं के क्रान्तिकारी रूप पर प्रकाश डाला और बताया कि जब देश में इतनी बड़ी हलचल थी, तो कैसे सम्भव था कि टालस्टाय सरीखा सचमुच महान लेखक उसके कुछ महत्त्वपूर्ण पहलुओं को प्रतिबिम्बित न करता।

अब जब कि १५ अगस्त सन् १९४७ के पश्चात् देश की राजनीति का वर्गरूप उभर कर सामने आ गया है और साहित्य का आंदोलन भी स्पष्ट रूप से दो कैंपों में विभाजित हो गया है, प्रेमचंद को नये दृष्टिकोण से देखा और परखा जा रहा है। इस बारे में यह बात उल्लेखनीय है कि हमारे कुछ साथी प्रेमचंद की तुलना टालस्टाय से करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि जहां तक किसानों की लूट-खसोट और शासक वर्ग के अत्याचार और अन्याय के विरोध की बात है, दानो की तुलना हो सकती है। लेकिन दोनों में एक बड़ा अंतर है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। अन्तर यह है कि टालस्टाय शुरू से सुधारवादी थे और अन्त में एक दम पादरी बन गये। वह रूसी किसानों पर होने वाले अत्याचार, दमन और दुःख की कहानियाँ तो लिखते रहे; लेकिन जब यही किसान क्रान्ति करने को उठे तो टालस्टाय के सामंती संस्कार जाग उठे। वह क्रान्ति से भयभीत होकर चर्च में जा छिपे और धर्म का प्रचार करने लगे। उनकी धार्मिक रंग की पुस्तकें हमारे यहाँ गांधीवाद का प्रचार करने के लिये बहुत इस्तेमाल हुईं और अब तक हो रहीं हैं। इसके विपरीत प्रेमचंद का धर्म (मजहब) में विश्वास नहीं था, बल्कि वह धर्म को पाखंड का आभूषण समझते थे और कहते थे कि सौगंद भूठ का समर्थन मात्र है। यही कारण है कि उनका सुधारवाद क्रान्ति में तबदील हो रहा था। उनमें सुधारवाद का अभी जो थोड़ा-बहुत अंश बाकी था, उसके दूर हो जाने की सम्भावना थी। टालस्टाय ने क्रान्ति की प्रवर्तक शक्तियों को अनजाने ही चित्रित किया है और प्रेमचंद ने

जान-बूझकर क्रान्तिकारी शक्तियों को उभारा है। प्रेमचंद का विकास जारी था, जब कि टालस्टाय ने जीवन के अंतिम पर्व में विकास को तिलांजलि दे दी थी।

देश में जैसे-जैसे क्रान्ति की प्रवर्तक-शक्तियाँ उभर रही हैं, विचार स्पष्ट हो रहे हैं—प्रेमचंद की कीर्ति और महानता भी उभर रही है। साहित्य का प्रगतिशील आंदोलन जिसकी उन्होंने नींव डाली थी भूल-भुलैयाँ से निकलकर सीधे और ठीक मार्ग पर चल पड़ा है।

परिशिष्ट

साहित्य का उद्देश्य

(सभापति पद से भाषणा)

(अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन सन् १९३६ में लखनऊ में हुआ । प्रेमचन्दजी उसके प्रधान थे और उन्होंने सभापति पद से यह भाषणा दिया था । इसमें उन्होंने साहित्य का उद्देश्य भली प्रकार स्पष्ट किया है ।)

सज्जनो,

यह सम्मेलन हमारे साहित्य के इतिहास में एक स्मरणीय घटना है । हमारे सम्मेलनों और अंजुमनों में अब तक ग्राम तौर पर भाषा और उसके प्रचार पर ही बहस की जाती रही है । यहाँ तक कि उर्दू और हिन्दी का जो आरम्भिक साहित्य मौजूद है, उसका उद्देश्य विचारों और भावों पर असर डालना नहीं, किन्तु केवल भाषा का निर्माण करना था । वह भी एक बड़े महत्व का कार्य था । जब तक भाषा एक स्थायी रूप न प्राप्त कर ले, उसमें विचारों और भावों को व्यक्त करने की शक्ति ही कहाँ से आयेगी ? हमारी भाषा के 'पायनियरों' ने—रास्ता साफ करनेवालों ने—हिन्दुस्तानी भाषा का निर्माण करके जाति पर जो एहसान किया है, उसके लिए हम उनके कृतज्ञ न हों तो यह हमारी कृतघ्नता होगी ।

भाषा साधन है, साध्य नहीं । अब हमारी भाषा ने वह रूप प्राप्त कर लिया है कि हम भाषा से आगे बढ़कर भाव की ओर ध्यान दें और इसपर विचार करें कि जिस उद्देश्य से यह निर्माण-कार्य आरम्भ किया गया था, वह क्योंकर पूरा हो । वही भाषा, जिसमें आरम्भ में 'बागो-बहार' और 'बैताल-पचीसी' की रचना ही सबसे बड़ी साहित्य-सेवा थी, अब इस योग्य हो गयी है कि उसमें शास्त्र और विज्ञान के प्रश्नों की भी विवेचना की जा सके और यह सम्मेलन इस सचाई की स्पष्ट स्वीकृति है ।

भाषा बोल-चाल की भी होती है और लिखने की भी । बोल-चाल की भाषा तो मीर अम्मन और लल्लूलाल के जमाने में भी मौजूद थी; पर उन्होंने जिस भाषा की दाग-बेल डाली, वह लिखने की भाषा थी और वही साहित्य है । बोल-चाल से हम अपने करीब के लोगों पर अपने विचार प्रकट करते हैं—अपने हर्ष-शोक के भावों का चित्र खींचते हैं । साहित्यकार वही काम लेखनी-द्वारा करता है । हाँ, उसके श्रोताओं की परिधि बहुत विस्तृत होती है, और अगर उसके बयान में सचाई है, तो शताब्दियों और युगों तक उसकी रचनाएँ हृदयों को प्रभावित करती रहती है ।

परन्तु मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि जो कुछ लिख दिया जाय, वह सब-का-सब साहित्य है । साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई सचाई प्रकट की गयी हो, जिसकी भाषा प्रौढ़, परिमार्जित एवं सुन्दर हो और जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने का गुण हो । और साहित्य में वह गुण पूर्णरूप से उसी अवस्था में उत्पन्न होता है, जब उसमें जीवन की सचाइयाँ और अनुभूतियाँ व्यक्त की गयी हों । तिलस्माती कहानियों, भूत-प्रेत की कथाओं और प्रेम वियोग के आख्यानों से किसी जमाने में हम भले ही प्रभावित हुए हों, पर अब उनमें हमारे लिए बहुत कम दिलचस्पी है । इसमें सन्देह नहीं कि मानव-प्रकृति का मर्मज्ञ साहित्यकार राजकुमारों की प्रेम-गाथाओं और तिलस्माती कहानियों में भी जीवन की सचाइयाँ वर्णन कर सकता है, और सौन्दर्य की सृष्टि कर सकता है; परन्तु इससे भी इस सत्य की पुष्टि ही होती है कि साहित्य में प्रभाव उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि वह जीवन की सचाइयों का दर्पण हो । फिर आप उसे, जिस चौखटे में चाहें, लगा सकते हैं—चिड़े की कहानी और गुलुबुलबुल की दास्तान भी उसके लिए उपयुक्त हो सकती है ।

साहित्य की बहुत-सी परिभाषाएँ की गयी हैं; पर मेरे विचार से उसकी सर्वोत्तम परिभाषा 'जीवन की आलोचना' है । चाहे वह त्रिबन्ध के रूप में ही, चाहे कहानियों के, या काव्य के, उसे हमारे जीवन की आलोचना और व्याख्या करनी चाहिए ।

हमने जिस युग को अभी पार किया है; उसे जीवन से कोई मतलब न था । हमारे साहित्यकार कल्पना की एक सृष्टि खड़ी करके उसमें मनमाने तिलस्म बाँधा करते थे ! कहीं फिसानये अजायब की दास्तान थी, कहीं बोस्ताने ख्याल की और कहीं चन्द्रकान्ता-संतति की । इन आख्यानों का उद्देश्य केवल मनोरंजन था और हमारे अद्भुत-रस-प्रेम की तृप्ति; साहित्य का जीवन से कोई लगाव है, यह कल्पनातीत था । कहानी कहानी है, जीवन जीवन; दोनों परस्पर-विरोधी

वस्तुएँ समझी जाती थीं। कवियों पर भी व्यक्तिवाद का रंग चढ़ा हुआ था। प्रेम का आदर्श वासनाओं को तृप्त करना था, और सौन्दर्य का आर्खों को। इन्हीं शृंगारिक भावों को प्रकट करने में कवि-मण्डली अपनी प्रतिभा और कल्पना के चमत्कार दिखाया करती थी। पद्य में कोई नयी शब्द-योजना, नयी कल्पना का होना दाद पाने के लिए काफी था—चाहे वह वस्तु-स्थिति से कितनी ही दूर क्यों न हो। आशियाना (= घोंसला) और कफ़स (= पिंजरा), बर्क़ (= बिजली) और ख़िरमन (= खलियान) की कल्पनाएँ विन्-दशाओं के वर्णन में निराशा और वेदना की विविध अवस्थाएँ, इस खूबी से दिखायी जाती थीं कि सुनने-वाले दिल थाम लेते थे। और आज भी इस ढंग की कविता कितनी लोक-प्रिय है, इसे हम और आप खूब जानते हैं।

निस्सन्देह, काव्य और साहित्य का उद्देश्य हमारी अनुभूतियों की तीव्रता को बढ़ाना है; पर मनुष्य का जीवन केवल स्त्री-पुरुष-प्रेम का जीवन नहीं है। क्या वह साहित्य, जिसका विषय शृंगारिक मनोभावों और उनसे उत्पन्न होने-वाली विरह-व्यथा, निराशा आदि तक ही सीमित हो—जिसमें दुनिया और दुनिया को कठिनाइयों से दूर भागना ही जीवन की सार्थकता समझी गयी हो, हमारी विचार और भाव सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है? शृंगारिक मनोभाव मानव-जीवन का एक अंग मात्र है, और जिस साहित्य का अधिकांश इसीसे सम्बन्ध रखता हो वह उस जाति और उस युग के लिए गर्व करने की वस्तु नहीं हो सकता और न उसकी सुरुचि का ही प्रमाण हो सकता है।

क्या हिन्दी और क्या उर्दू—कविता में दोनों की एक ही हालत थी। उस समय साहित्य और काव्य के विषय में जो लोक-रुचि थी, उसके प्रभाव से अलिप्त रहना सहज न था। सराहना और क्रद्दानी की हवस तो हर एक की होती है। कवियों के लिए उनकी रचना ही जीविका का साधन थी। और कविता की क्रद्दानी रईसों और अमीरों के सिवा और कौन कर सकता है? हमारे कवियों को साधारण जीवन का सामना करने और उसकी सचाइयों से प्रभावित होने के या तो अवसर ही न थे, या हर छोटे-बड़े पर कुछ ऐसी मानसिक गिरावट छायी हुई थी कि मानसिक और बौद्धिक जीवन रह ही न गया था।

हम इसका दोष उस समय के साहित्यकारों पर ही नहीं रख सकते। साहित्य अपने काल का प्रतिबिम्ब होता है। जो भाव और विचार लोगों के हृदय को स्पन्दित करते हैं, वही साहित्य पर भी अपनी छाया डालते हैं। ऐसे पतन के काल में लोग या तो आशिकी करते हैं, या अध्यात्म और वैराग्य में मन रमाते हैं। जब साहित्य पर संसार की नश्वरता का रंग चढ़ा हो, और उसका

एक एक शब्द नैराश्य में डूबा हो, समय की प्रतिकूलता के रोने से भरा हो और श्रृंगारिक भावों का प्रतिबिम्ब बना हो, तो समझ लीजिये कि जाति जड़ता और ह्रास के पंजे में फँस चुकी है और उसमें उद्योग तथा संघर्ष का बल बाकी नहीं रहा। एसने ऊँचे लक्ष्यों की ओर से आँखें बन्द करली हैं और उसमें से दुनिया को देखने-समझने की शक्ति लुप्त हो गयी है।

परन्तु हमारी साहित्यिक रुचि बड़ी तेजी से बदल रही है। अब साहित्य केवल मन-ब्रह्मलाव की चीज नहीं है, मनोरंजन के सिवा उमका और भी कुछ उद्देश्य है। अब वह केवल नायक-नायिका के संयोग-वियोग की कहानी नहीं सुनाता; किन्तु जीवन की समस्याओं पर भी विचार करता है, और उन्हें हल करता है। अब वह स्फूर्ति या प्रेरणा के लिए अद्भुत आश्चर्यजनक घटनाएँ नहीं ढूँढता और न अनुप्रास का अन्वशाण करता है; किन्तु उसे उन प्रश्नों से दिलचस्पी है, जिनसे समाज या व्यक्ति प्रभावित होते हैं। उसकी उत्कृष्टता की वर्तमान कसौटी अनुभूति की वह तीव्रता है, जिससे वह हमारे भावों और विचारों में गति पैदा करता है।

नीति-शास्त्र और साहित्य-शास्त्र का लक्ष्य एक ही है—केवल उपदेश की विधि में अन्तर है। नीति-शास्त्र तर्कों और उपदेशों के द्वारा बुद्धि और मन पर प्रभाव डालने का यत्न करता है, साहित्य ने अपने लिए मानसिक अवस्थाओं और भावों का क्षेत्र चुन लिया है। हम जीवन में जो कुछ देखते हैं, या जो कुछ हम पर गुजरती है, वही अनुभव और वही चोटें कल्पना में पहुँचकर साहित्य सृजन की प्रेरणा करती हैं। कवि या साहित्यकार में अनुभूति की जितनी तीव्रता होती है, उसकी रचना उतनी ही आकर्षक और ऊँचे दर्जे की होती है। जिस साहित्य से हमारी सुहृदि न जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, हममें शक्ति और गति न पैदा हो, हमारा सौन्दर्य-प्रेम न जाग्रत हो—जो हममें सच्चा संकल्प और कठिनाइयों पर विजय पाने की सच्ची दृढ़ता न उत्पन्न करे, वह आज हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य कहाने का अधि-कारी नहीं।

पुराने जमाने में समाज की लगाम मजहब के हाथ में थी। मनुष्य की आध्यात्मिक और नैतिक सभ्यता का आधार धार्मिक आदेश था और वह भय या प्रलोभन से काम लेता था—पुण्य-पाप के मसले उसके साधन थे।

अब साहित्य ने यह काम अपने जिम्मे ले लिया है और उसका साधन सौन्दर्य-प्रेम है। वह मनुष्य में इसी सौन्दर्य-प्रेम को जगाने का यत्न करता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसमें सौन्दर्य की अनुभूति न हो। साहित्यकार में यह

वृत्ति जितनी ही जाग्रत और सक्रिय होती है, उसकी रचना उतनी ही प्रभावभयी होती है। प्रकृति-निरीक्षण और अपनी अनुभूति की तीक्ष्णता की बढ़ोतरी उसके सौन्दर्य-बोध में इतनी तीव्रता आ जाती है कि जो कुछ असुन्दर है, अभद्र है, मनुष्यता से रहित हैं, वह उसके लिए असह्य हो जाता है। उसपर वह शब्दों और भावों की सारी शक्ति से वार करता है। तो कहिये कि वह मानवता, दिव्यता और भद्रता का बाना बांधे होता है। जो दलित है, पीड़ित है, बंचित है—चाहे वह व्यक्ति हो या समूह, उसकी हिमायत और वकालत करना उसका फर्ज है। उसकी अदालत समाज है, इसी अदालत के सामने वह अपना इस्त-गासा पेश करता है और उसको न्याय-वृत्ति तथा सौन्दर्य-वृत्ति को जाग्रत करके अपना यत्न सफल समझता है।

पर साधारण वकीलों की तरह साहित्यकार अपने मुवकिल की ओर से उचित-अनुचित—सब तरह के दावे नहीं पेश करता, अतिरंजना से काम नहीं लेता, अपनी ओर से बातें गढ़ता नहीं। वह जानता है कि इन युक्तियों से वह समाज की अदालत पर असर नहीं डाल सकता। उस अदालत का हृदय-परिवर्तन तभी सम्भव है, जब आप सत्य से तनिक भी विमुख न हों, नहीं तो अदालत की धारणा आपकी ओर से खराब हो जायगी और वह आपके खिलाफ फैसला सुना देगी। वह कहानी लिखता है, पर वास्तविकता का ध्यान रखते हुए; मूर्ति बनाता है, पर ऐसी कि उसमें सजीवता हो और भावव्यंजकता भी—वह मानव-प्रकृति का सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करता है, मनोविज्ञान का अध्ययन करता है और इसका यत्न करता है कि उसके पात्र हर हालात में और हर मौके पर इस तरह आचरण करें, जैसे रक्त-मांस का बना मनुष्य करता है; अपनी सहज सहानुभूति और सौन्दर्य-प्रेम के कारण वह जीवन के उन सूक्ष्म स्थानों तक जा पहुँचता है, जहाँ मनुष्य अपनी मनुष्यता के कारण पहुँचने में असमर्थ होता है।

आधुनिक साहित्य में वस्तु-स्थिति-चित्रण की प्रवृत्ति इतनी बढ़ रही है कि आज की कहानी यथा सम्भव प्रत्यक्ष अनुभवों की सीमा के बाहर नहीं जाती। हमें केवल इतना सोचने से ही सन्तोष नहीं होता कि मनोविज्ञान की दृष्टि से सभी पात्र मनुष्यों से मिलते-जुलते हैं; बल्कि हम यह इत्मीनान चाहते हैं कि वे सचमुच मनुष्य हैं, और लेखक ने यथासम्भव उनका जीवन-चरित्र ही लिखा है; क्योंकि कल्पना के गढ़े हुए आदमियों में हमारा विश्वास नहीं है; उनके कार्यों और विचारों से हम प्रभावित नहीं होते। हमें इसका निश्चय हो जाना चाहिए कि लेखक ने जो सृष्टि की है, वह प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर की

गयी है अथवा अपने पात्रों की जवान से वह खुद बोल रहा है।

इसीलिए साहित्य को कुछ समालोचकों ने लेखक का मनोवैज्ञानिक जीवन-चरित्र कहा है।

एक ही घटना या स्थिति से सभी मनुष्य समान रूप में प्रभावित नहीं होते। हर आदमी की मनोवृत्ति और दृष्टिकोण अलग है। रचना-कौशल इसीमें है कि लेखक जिस मनोवृत्ति या दृष्टिकोण से किसी बात को देखे, पाठक भी उसमें उससे सहमत हो जाय। यही उसकी सफलता है। इसके साथ ही हम साहित्यकार से यह भी आशा रखते हैं कि वह अपनी बहुज्ञता और अपने विचारों की विस्तृति से हमें जाग्रत करे, हमारी दृष्टि तथा मानसिक परिधि को विस्तृत करे—उसकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म, इतनी गहरी और इतनी विस्तृत हो कि उसकी रचना से हमें आध्यात्मिक आनन्द और बल मिले।

सुधार की जिस अवस्था में वह हो, उससे अच्छी अवस्था में जाने की प्रेरणा हर आदमी में मौजूद रहती है। हममें जो कमजोरियाँ हैं, वह मर्ज की तरह हमसे चिमटी हुई है। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य एक प्राकृतिक बात है और रोग उसका उलटा, उसी तरह नैतिक और मानसिक स्वास्थ्य भी प्राकृतिक बात है और हम मानसिक तथा नैतिक गिरावट से उसी तरह सन्तुष्ट नहीं रहते, जैसे कोई रोगी अपने रोग से सन्तुष्ट नहीं रहता। जैसे वह सदा किसी चिकित्सक की तलाश में रहता है, उसी तरह हम भी इस फिक्र में रहते हैं कि किसी तरह अपनी कमजोरियों को परे फेंककर अधिक अच्छे मनुष्य बनें। इसलिए हम साधु-फकीरों की खोज में रहते हैं, पूजा-पाठ करते हैं, बड़े-बूढ़ों के पास बैठते हैं, विद्वानों के व्याख्यान सुनते हैं और साहित्य का अध्ययन करते हैं।

और हमारी सारी कमजोरियों की जिम्मेदारी हमारी कुश्चि और प्रेम-भाव से वञ्चित होने पर है। जहाँ सच्चा सौन्दर्य-प्रेम है, जहाँ प्रेम की विस्तृति है, वहाँ कमजोरियाँ कहाँ रह सकती हैं? प्रेम ही तो आध्यात्मिक भोजन है और सारी कमजोरियाँ इसी भोजन के न मिलने अथवा दूषित भोजन के मिलने से पैदा होती हैं। कलाकार इसमें सौन्दर्य की अनुभूति उत्पन्न करता है और प्रेम की उष्णता। उसका एक वाक्य, एक शब्द, एक संकेत, इस तरह हमारे अन्दर जा बैठता है कि हमारा अन्तःकरण प्रकाशित हो जाता है। पर जबतक कलाकार खुद सौन्दर्य-प्रेम से छककर मस्त न हो और उसकी आत्मा स्वयं इस ज्योति से प्रकाशित न हो, वह हमें यह प्रकाश क्योंकर दे सकता है?

प्रश्न यह है कि सौन्दर्य है क्या वस्तु? प्रकटतः यह प्रश्न निरर्थक सा मालूम होता है; क्योंकि सौन्दर्य के विषय में हमारे मन में कोई शंका—सन्देह

नहीं। हमने सूरज का उगना और डूबना देखा है, ऊषा और सन्ध्या की लालिमा देखी है, सुन्दर सुगन्धि-भरे फूल देखे हैं, मीठी बोलियाँ बोलनेवाली चिड़ियाँ देखी हैं, कल-कल नानादिनी नदियाँ देखी हैं, नाचते हुए भरने देखे हैं,—यही सौन्दर्य है।

इन दृश्यों को देखकर हमारा अन्तःकरण क्यों खिल उठता है ? इसलिए कि इनमें रंग या ध्वनि का सामंजस्य है। बाजों का स्वर-साम्य अथवा मेल ही संगीत की मोहकता का कारण है। हमारी रचना ही तत्त्वों के समानुपात के संयोग से हुई है; इसलिए हमारी आत्मा सदा उस साम्य तथा सामंजस्य की खोज में रहती है। साहित्य-कलाकार के आध्यात्मिक सामंजस्य का व्यक्त रूप है और सामंजस्य सौन्दर्य की सृष्टि करता है, नाश नहीं। वह इसमें वफादारी, सचाई, सहानुभूति, न्यायप्रियता और ममता के भावों की पुष्टि करता है। जहाँ ये भाव हैं, वहीं दृढ़ता है और जीवन है; जहाँ इनका अभाव है वहीं फूट, विरोध स्वार्थपरता है—द्वेष, शत्रुता और मृत्यु है। यह बिलगाव—विरोध, प्रकृति-विरुद्ध जीवन के लक्षण हैं, जैसे रोग प्रकृति-विरुद्ध आहार-विहार का चिह्न है। जहाँ प्रकृति से अनुकूलता और साम्य है, वहाँ संकीर्णता और स्वार्थ का अस्तित्व कैसे सम्भव होगा ? जब हमारी आत्मा प्रकृति के मुक्त वायुमण्डल में पालित-पोषित होती है, तो नीचता—दुष्टता के कीड़े अपने आप हवा और रोशनी से मर जाते हैं। प्रकृति से अलग होकर अपने को सीमित कर लेने से ही यह सारी मानसिक और भावमय बीमारियाँ पैदा होती हैं ! साहित्य हमारे जीवन को स्वाभाविक और स्वाधीन बनाता है; दूसरे शब्दों में, उसी की बदौलत मन का संस्कार होता है। यही उसका मुख्य उद्देश्य है।

‘प्रगतिशील लेखक-संघ’ यह नाम ही मेरे विचार से गलत है। साहित्यकार या कलाकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है; अगर यह उसका स्वभाव न होता, तो शायद वह साहित्यकार ही न होता। उसे अपने अन्दर भी एक कमी महसूस होती है और बाहर भी। इसी कमी को पूरा करने के लिए उसकी आत्मा बेचैन रहती है। अपनी कल्पना में वह व्यक्ति और समाज को सुख और स्वच्छन्दता की जिस अवस्था में देखना चाहता है, वह उसे दिखायी नहीं देती। इसलिए, वर्तमान मानसिक और सामाजिक अवस्थाओं से उसका दिल कुढ़ता रहता है। वह इन अप्रिय अवस्थाओं का अन्त कर देना चाहता है, जिससे दुनिया में जीने और मरने के लिए इससे अधिक अच्छा स्थान हो जाय। यही वेदना और यही भाव उसके हृदय और मस्तिष्क को सक्रिय बनाये रखता है। उसका दर्द से भरा हृदय इसे सहन नहीं कर सकता कि एक समुदाय क्यों

सामाजिक नियमों और रूढ़ियों के बन्धन में पड़कर कष्ट भोगता रहे। क्यों न ऐसे सामान इकट्ठा किये जायँ कि वह गुलामी और गरीबी से छूटकारा पा जायँ ? वह इस वेदना को जितनी बेचैनी के साथ अनुभव करता है, उतना ही उसकी रचना में जोर और सचाई पैदा होती है। अपनी अनुभूतियों को वह जिस क्रमानुपात में व्यक्त करता है, वही उसकी कला कुशलता का रहस्य है; पर शायद इस विशेषता पर जोर देने की जरूरत इसलिये पड़ी कि प्रगति या उन्नति से प्रत्येक लेखक या ग्रन्थकार एक ही अर्थ नहीं ग्रहण करता। जिन अवस्थाओं को एक समुदाय उन्नति समझ सकता है, दूसरा समुदाय असन्दिग्ध अवनति मान सकता है; इसलिए साहित्यकार अपनी कला को किसी उद्देश्य के अधीन नहीं करना चाहता। उसके विचारों में कला केवल मनोभावों के व्यक्तीकरण का नाम है, चाहे उन भावों से व्यक्ति या समाज पर कैसा ही असर क्यों न पड़े।

उन्नति से हमारा तात्पर्य उस स्थिति से है, जिससे हममें दृढ़ता और कर्म-शक्ति उत्पन्न हो, जिससे हमें अपनी दुःखावस्था की अनुभूति हो, हम देखें कि किन अन्तर्बाह्य कारणों से हम इस निर्जीवता और ह्रास की अवस्था को पहुँच गये, और उन्हें दूर करने की कोशिश करें।

हमारे लिए कविता के ये भाव निरर्थक हैं, जिनसे संसार की नश्वरता का आधिपत्य हमारे हृदय पर और दृढ़ हो जाय, जिनसे हमारे हृदयों में नैराश्य छा जाय। वे प्रेम-कहानियाँ, जिनसे हमारे मासिक-पत्रों के पृष्ठ भरे रहते हैं, हमारे लिए अर्थहीन हैं, अगर वे हममें हरकत और गरमी नहीं पैदा करतीं। अगर हमने दो नवयुवकों की प्रेम-कहानी कह डाली, पर उससे हमारे सौन्दर्य प्रेम पर कोई असर न पड़ा और पड़ा भी तो केवल इतना ही कि हम उनकी विरहव्यथा पर रोयें, तो इससे हममें कौन-सी मानसिक या रुचि-सम्बन्धी गति पैदा हुई ? इन बातों से किसी जमाने में हमें भाववेश हो जाता रहा हो; पर आज के लिए वे बेकार हैं। इस भावोत्तेजक कला का अब जमाना नहीं रहा। अब तो हमें उस कला की आवश्यकता है, जिसमें कर्म का सन्देश हो। अब तो हजरते इकबाल के साथ हम भी कहते हैं—

रम्जे हयात जोई, जुञ्ज दर तपिश नयाबी,

दरकुलजुम आरमीदन नंगस्त आबे जू रा।

ब आशियाँ न नशीनम जे लज्जते परवाज,

गहे बशाखे गुलम, गहे बरलबे जूयम।

[अर्थात्, अगर तुझे जीवन के रहस्य की खोज है, तो वह तुझे संघर्ष के

सिवा और कहीं नहीं मिलने का—सागर में जाकर विश्राम करना नदी के लिए लज्जा की बात है। आनन्द पाने के लिए मैं घोंसले में कभी बैठता नहीं,— कभी फूलों की टहनियों पर, तो कभी नदी-तट पर होता हूँ।]

अतः हमारे पंथ में अहंवाद अथवा अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण को प्रधानता देना वह वस्तु है, जो हमें जड़ता, पतन और लापरवाही की ओर ले जाती है और ऐसी कला हमारे लिए न व्यक्ति-रूप में उपयोगी है और न समुदाय-रूप में।

मुझे यह कहने में हिचक नहीं कि मैं और चीजों की तरह कला को भी उपयोगिता की तुला पर तौलता हूँ। निस्सन्देह कला का उद्देश्य सौन्दर्य-वृत्ति की पुष्टि करता है और वह हमारे आध्यात्मिक आनन्द की कुंजी है; पर ऐसा कोई रचिगत मानसिक तथा आध्यात्मिक आनन्द नहीं, जो अपनी उपयोगिता का पहलू न रखता हो। आनन्द स्वतः एक उपयोगिता-युक्त वस्तु है और उपयोगिता की दृष्टि से एक ही वस्तु से हमें सुख भी होता है, और दुःख भी। आसमान पर छाई लालिमा निस्सन्देह बड़ा सुन्दर दृश्य है; परन्तु आषाढ़ में अगर आकाश पर वैसी लालिमा छा जाय, तो वह हमें प्रसन्नता देनेवाली नहीं हो सकती। उस समय तो हम आसमान पर काली-काली घटाएँ देखकर ही आनन्दित होते हैं। फूलों को देखकर हमें इसलिए आनन्द होता है कि उनसे फलों की आशा होती है, प्रकृति से अपने जीवन का सुर मिलाकर रहने में हमें इसीलिए आध्यात्मिक सुख मिलता है कि उससे हमारा जीवन विकसित और पुष्ट होता है। प्रकृति का विधान वृद्धि और विकास है, और जिन भावों, अनुभूतियों और विचारों से हमें आनन्द मिलता है, वे इसी वृद्धि और विकास के सहायक हैं कलाकार अपनी कला से सौन्दर्य की सृष्टि करके परिस्थिति को विकास के उपयोगी बनाता है।

परन्तु सौन्दर्य भी और पदार्थों की तरह स्वरूपस्थ और निरपेक्ष नहीं, उसकी स्थिति भी सापेक्ष है। एक रईस के लिए जो वस्तु सुख का साधन है, वही दूसरे के लिए दुःख का कारण हो सकती है। एक रईस अपने सुरभित सुरम्य उद्यान में बैठकर जब चिड़ियों का कल-गान सुनता है, तो उसे स्वर्गीय सुख की प्राप्ति होती है; परन्तु एक दूसरा सज्जन मनुष्य वैभव की इस सामग्री को घृणिततम वस्तु समझता है।

बन्धुत्व और समता, सभ्यता तथा प्रेम सामाजिक जीवन के आरम्भ से ही आदर्शवादियों का सुनहला स्वप्न रहे हैं। धर्म-प्रवर्तकों ने धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक बन्धनों से इस स्वप्न को सचाई बनाने का सतत किन्तु निष्फल यत्न किया है। महात्मा बद्ध, हजरत ईसा, हजरत मुहम्मद आदि सभी पैगम्बरों

और धर्म प्रवर्तकों ने नैतिकता की नींव पर इस समता की इमारत खड़ी करनी चाही; पर किसी को सफलता न मिली और आज छोटे-बड़े का भेद जिस निष्ठुर रूप में प्रकट हो रहा है, शायद कभी न हुआ था ।

‘आजमाये को आजमाना मूर्खता है’, इस कहावत के अनुसार यदि हम अब भी धर्म और नैतिकता का दामन पकड़कर समानता के ऊँचे लक्ष्य पर पहुँचना चाहें, तो विफलता ही मिलेगी । क्या हम इस सपने को उत्तेजित मस्तिष्क की सृष्टि समझकर भूल जायें ? तब तो मनुष्य की उन्नति और पूर्णता के लिए कोई आदर्श ही बाकी न रह जायगा । इससे कहीं अच्छा है कि मनुष्य का अस्तित्व ही मिट जाय । जिस आदर्श को हमने सभ्यता के आरम्भ से पाला है, जिसके लिए मनुष्य ने, ईश्वर जाने कितनी कुरबानियाँ की हैं; जिसकी पूर्ति के लिए धर्मों का आविर्भाव हुआ, मानव-समाज का इतिहास जिस आदर्श की प्राप्ति का इतिहास है, उसे सर्वमान्य समझकर, एक अमिट सचाई समझकर, हमें उन्नति के मैदान में कदम रखना है । हमें एक ऐसे नये संगठन को सर्वाङ्गपूर्ण बनाना है, जहाँ समानता केवल नैतिक बन्धनों पर आश्रित न रहकर अधिक ठोस रूप प्राप्त कर ले, हमारे साहित्य को उसी आदर्श को अपने सामने रखना है ।

हमें सुन्दरता की कसौटी बदलनी होगी । अभी तक यह कसौटी अमीरी और विलासिता के ढंग की थी । हमारा कलाकार अमीरों का पल्ला पकड़े रहना चाहता था, उन्हींकी कद्रदानी पर उसका अस्तित्व अवलम्बित था और उन्हींके सुख दुःख, आशा निराशा, प्रतियोगिता और प्रतिद्वन्द्विता की व्याख्या कला का उद्देश्य था । उसकी निगाह अन्तःपुर और बंगलों की ओर उठती थी । भोंपड़े और खँडहर उसके ध्यान के अधिकारी न थे । उन्हें वह मनुष्यता की परिधि के बाहर समझता था । कभी इसकी चर्चा करता भी था, तो इनका मजाक उड़ाने के लिए । ग्रामवासी की देहाती वेष-भूषा और तौर-तरीके पर हँसने के लिए, उसका शीन-काफ दुस्त न होना या मुहाविरों का गलत उपयोग उसके व्यंग्य विद्रूप की स्थायी सामग्री थी । वह भी मनुष्य है, उसके भी हृदय है और उसमें भी आकांक्षाएँ हैं,—यह कला की कल्पना के बाहर की बात थी ।

कला नाम था और अब भी है, संकुचित रूप-पूजा का, शब्द-योजना का, भाव-निबन्धन का । उसके लिए कोई आदर्श नहीं है, जीवन का कोई ऊँचा उद्देश्य नहीं है,—भक्ति, वैराग्य, अध्यात्म और दुनिया से किनाराकशी उसकी सबसे ऊँची कल्पनाएँ हैं । हमारे उस कलाकार के विचार से जीवन का चरम लक्ष्य यही है । उसकी दृष्टि अभी इतनी व्यापक नहीं कि जीवन-संग्राम में सौंदर्य

का परमोत्कर्ष देखे। उपवास और नग्नता में भी सौंदर्य का अस्तित्व सम्भव है, इसे कदाचित् वह स्त्रीकार नहीं करता। उसके लिए सौन्दर्य सुन्दर स्त्री है,— उस बच्चोंवाली गरीब रूप-रहित स्त्री में नहीं, जो बच्चे को खेत की मेंड़ पर सुलाये पसीना बहा रही है; उसने निश्चय कर लिया है कि रँगे होठों, कपोलों और भौंहों में निस्सन्देह सुन्दरता का वास है,—उसके उलभे हुए बालों, पप-ड़ियाँ पड़े हुए होठों और कुम्हलाये हुए गालों में सौन्दर्य का प्रवेश कहाँ ?

पर यह संकीर्ण दृष्टि का दोष है। अगर उसकी सौन्दर्य देखनेवाली दृष्टि में त्रिस्तुति आ जाय तो वह देखेगी कि रँगे होठों और कपोलों की आड़ में अगर रूप-गर्व और निष्ठुरता छिपी है, तो इन मुरझाये हुए होठों और कुम्हलाये हुए गालों के आँसुओं में त्याग, श्रद्धा और कष्ट-सहिष्णुता है। हाँ, उसमें नफा-सत नहीं, दिखावा नहीं, सुकुमारता नहीं।

हमारी कला यौवन के प्रेम में पागल है और यह नहीं जानती कि जबानी छाती पर हाथ रखकर कविता पढ़ने, नायिका की निष्ठुरता का रोना रोने या उसके रूप-गर्व, और चोंचलों पर सिर धुनने में नहीं है। जबानी नाम है आदर्श-वाद का, हिम्मत का, कठिनाई से मिलने की इच्छा का, आत्म-त्याग का। उसे तो इकबाल के साथ कहना होगा—

अज दस्ते, जुनूने मन जिब्रील जबू सैदे,
यजदाँ बकमन्द आवर ऐ हिम्मते मरदाना।

[अर्थात् मेरे उन्मत्त हाथों के लिए जिब्रील एक घटिया शिकार है। ऐ हिम्मते मरदाना, क्यों न अपनी कमन्द में तू खुदा को ही फाँस लाये ?]

अथवा

चू मौज साजे बजूदम जे सैल बेपरवास्त,
गुमां मबर कि दरिं बहर साहिले जोयम।

[अर्थात् तरंग की भाँति मेरे जीवन की तरों भी प्रवाह की ओर से बेपर-वाह है, यह न सोचो कि इस समुद्र में मैं किनारा ढूँढ रहा हूँ ।]

और यह अवस्था उस समय पैदा होगी, जब हमारा सौन्दर्य व्यापक हो जायगा, जब सारी सृष्टि उसकी परिधि में आ जायगी। वह किसी विशेष श्रेणी तक ही सीमित न होगा, उसकी उड़ान के लिए केवल बाग की चहारदीवारी न होगी, किन्तु वह वायु-मण्डल होगा जो सारे भूमण्डल को घेरे हुए है। तब कुश्चि हमारे लिए सह्य न होगी, तब हम उसकी जड़ खोदने के लिए कमर कसकर तैयार हो जायँगे। हम जब ऐसी व्यवस्था को सहन न कर सकेंगे कि हजारों आदमी कुछ अत्याचारियों की गुलामी करें, तभी हम केवल कागज के

पृष्ठों पर सृष्टि करके ही सन्तुष्ट न हो जायँगे, किन्तु उस विधान की सृष्टि करेंगे, जो सौन्दर्य, सुशुचि, आत्म-सम्मान और मनुष्यता का विरोधी न हो।

साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरञ्जन का सामान जुटाना नहीं है,—उसका दरजा इतना न गिराइये। वह देश-भक्ति और राजनीति के पीछे चलनेवाली सचाई भी नहीं, बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलनेवाली सचाई है।

हमें अकसर यह शिकायत होती है कि साहित्यकारों के लिए समाज में कोई स्थान नहीं,—अर्थात् भारत के साहित्यकारों के लिए। सभ्य देशों में तो साहित्यकार समाज का सम्मानित सदस्य है और बड़े-बड़े अमीर और मन्त्रिमण्डल के सदस्य उससे मिलने में अपना गौरव समझते हैं; परन्तु हिन्दुस्तान तो अभी मध्य-युग की अवस्था में पड़ा हुआ है। यदि साहित्य ने अमीरों के याचक बनने को जीवन का सहारा बना लिया हो, और उन आन्दोलनों, हलचलों और क्रान्तियों से बेखबर हो जो समाज में होरही हैं,—अपनी ही दुनिया बनाकर उसमें रोता और हँसता हो, तो इस दुनिया में उसके लिए जगह न होने में कोई अन्वय नहीं है। जब साहित्यकार बनने के लिए अनुकूल रुचि के सिवा और कोई कंठ नहीं रही,—जैसे महात्मा बनने के लिए किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं,—आध्यात्मिक उच्चता ही काफी है, तो महात्मा लोग दर-दर फिरने लगे, उसी तरह साहित्यकार भी लाखों निकल आये।

इसमें शक नहीं कि साहित्यकार पैदा होता है, बनाया नहीं जाता; पर यदि हम शिक्षा और जिज्ञासा से प्रकृति की इस देन को बढ़ा सकें, तो निश्चय ही हम साहित्य की अधिक सेवा कर सकेंगे। अरस्तू ने और दूसरे विद्वानों ने भी साहित्यकार बननेवालों के लिए कड़ी शर्तें लगायी हैं; और उनकी मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक और भावगत सभ्यता तथा शिक्षा के लिए सिद्धान्त और विधियाँ निश्चित कर दी गयी हैं; मगर आज तो हिन्दी में साहित्यकार के लिए प्रवृत्तिमात्र काफ़ी समझी जाती है, और किसी प्रकार की तैयारी की उसके लिए आवश्यकता नहीं। वह राजनीति, समाज-शास्त्र या मनोविज्ञान से सर्वथा अपरिचित हो, फिर भी वह साहित्यकार है।

साहित्यकार के सामने आजकल जो आदर्श रखा गया है, उसके अनुसार ये सभी विद्याएँ उसके विशेष अंग बन गयी हैं और साहित्य की प्रवृत्ति अहंवाद या व्यक्तिवाद तक परिमित नहीं रही, बल्कि वह मनोवैज्ञानिक और सामाजिक होता जाता है। अब वह व्यक्ति को समाज से अलग नहीं देखता, किन्तु उसे समाज के एक-अंग रूप में देखता है। इसलिए नहीं कि वह समाज पर हुकूमत

करे, उसे अपने स्वार्थ-साधन का औजार बनाये,—मानो उसमें और समाज में सनातन-शत्रुता है, बल्कि इसलिए कि समाज के अस्तित्व के साथ उसका अस्तित्व कायम है और समाज से अलग होकर उसका मूल्य शून्य के बराबर हो जाता है ।

हममें से जिन्हें सर्वोत्तम शिक्षा और सर्वोत्तम मानसिक शक्तियाँ मिली हैं, उनपर समाज के प्रति उतनी ही जिम्मेदारी भी है । हम उस मानसिक पूँजीपति को पूजा के योग्य न समझेंगे, जो समाज के पैसे से ऊँची शिक्षा प्राप्त कर उसे स्वार्थ-साधन में लगाता है । समाज से निजी लाभ उठाना ऐसा काम है, जिसे कोई साहित्यकार कभी पसन्द न करेगा । उस मानसिक पूँजीपति का कर्तव्य है कि वह समाज के लाभ को अपने निजी लाभ से अधिक ध्यान देने योग्य समझे—अपनी विद्या और योग्यता से समाज को अधिक-से-अधिक लाभ पहुँचाने की कोशिश करे । वह साहित्य के किसी भी विभाग में प्रवेश क्यों न करे,—उसे उस विभाग से विशेषतः और सब विभागों से सामान्यतः परिचय हो ।

अगर हम अन्तर्राष्ट्रीय साहित्यकार-सम्मेलनों की रिपोर्ट पढ़ें, तो हम देखेंगे कि ऐसा कोई शास्त्रीय, सामाजिक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक प्रश्न नहीं है, जिसपर उनमें विचार-विनिमय न होता हो । इसके विरुद्ध, हम अपनी ज्ञान-सीमा को देखते हैं तो हमें अपने अज्ञान पर लज्जा आती है । हमने समझ रखा है कि साहित्य-रचना के लिए आशुबुद्धि और तेज कलम काफी है; पर यही विचार हमारी साहित्यक अवनति का कारण है । हमें अपने साहित्य का मान-दण्ड ऊँचा करना होगा जिसमें वह समाज की अधिक मूल्यवान् सेवा कर सके, जिसमें समाज में उसे वह पद मिले जिसका वह अधिकारी है, जिसमें वह जीवन के प्रत्येक विभाग को आलोचना-विवेचना कर सके और हम दूसरी भाषाओं तथा साहित्यों का जूठा खाकर ही सन्तोष न करें, किन्तु खुद भी उस पूँजी को बढ़ायें ।

हमें अपनी रुचि और प्रवृत्ति के अनुकूल विषय चुन लेना चाहिए और विषय पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना चाहिए । हम जिस आर्थिक अवस्था में जिन्दगी बिता रहे हैं, उसमें यह काम कठिन अवश्य है, पर हमारा आदर्श ऊँचा रहना चाहिए । हम पहाड़ की चोटी तक न पहुँच सकेंगे, तो कमर तक तो पहुँच ही जायेंगे, जो जमीन पर पड़े रहने से कहीं अच्छा है । अगर हमारा अन्तर प्रेम की ज्योति से प्रकाशित हो और सेवा का आदर्श हमारे सामने हो, तो ऐसी कोई कठिनाई नहीं जिस पर हम विजय न प्राप्त कर सकें ।

जिन्हें धन-वैभव प्यारा है, साहित्य-मन्दिर में उनके लिए स्थान नहीं है ।

यहाँ तो उन उपासकों की आवश्यकता है, जिन्होंने सेवा ही अपने जीवन की सार्थकता मान ली हो, जिनके दिल में दर्द की तड़प हो और मुहब्बत का जोश हो। अपनी इज्जत तो अपने हाथ है। अगर हम सच्चे दिल से समाज की सेवा करेंगे तो मान, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि सभी हमारे पाँव चूमेंगी। फिर मान-प्रतिष्ठा की चिन्ता हमें क्यों सताये ? और उसके न मिलने से हम निराश क्यों हों ? सेवा में जो आध्यात्मिक आनन्द है, वही हमारा पुरस्कार है—हमें समाज पर अपना बड़प्पन जताने, उस पर रोब जमाने की हवस क्यों हो ? दूसरों से ज्यादा आराम के साथ रहने की इच्छा भी हमें क्यों सताये ? हम अमीरों की श्रेणी में अपनी गिनती क्यों करायें ? हम तो समाज के झण्डा लेकर चलनेवाले सिपाही हैं और सादी जिन्दगी के साथ ऊँची निगाह हमारे जीवन का लक्ष्य है। जो आदमी सच्चा कलाकार है, वह स्वार्थमय जीवन का प्रेमी नहीं हो सकता। उसे अपनी मनस्तुष्टि के लिए दिखावे की आवश्यकता नहीं,—उससे तो उसे घृणा होती है। वह तो इकबाल के साथ कहता है—

मर्दम आजादम आँगूना गयूरम कि मरा,

मी तवां कुश्त व यक जामे जुलाले दीगरां ।

[अर्थात् मैं आजाद हूँ और इतना हयादार हूँ कि मुझे दूसरों के निथरे हुए पानी के एक प्याले से मारा जा सकता है ।]

हमारी परिषद् ने कुछ इसी प्रकार के सिद्धान्तों के साथ कर्म-क्षेत्र में प्रवेश किया है। साहित्य का शराब-कबाब और राग रंग का मुखापेक्षी बना रहना उसे पसन्द नहीं। वह उसे उद्योग और कर्म का सन्देश-वाहक बनाने का दावेदार है। उसे भाषा से बहस नहीं। आदर्श व्यापक होने से भाषा अपने-आप सरल हो जाती है। भाव-सौन्दर्य बनाव-सिगार से बेपरवाई ही दिखा सकता है। जो साहित्यकार अमीरों का मुँह जोहनेवाला है, वह रईसी रचना-शैली स्वीकार करता है; जो जन-साधारण का है, वह जन-साधारण की भाषा में लिखता है। हमारा उद्देश्य देश में ऐसा वायु-मण्डल उत्पन्न कर देना है, जिसमें अभीष्ट प्रकार का साहित्य उत्पन्न हो सके और पनप सके। हम चाहते हैं कि साहित्य-केन्द्रों में हमारी परिषदें स्थापित हों और वहाँ साहित्य की रचनात्मक प्रवृत्तियों पर नियमपूर्वक चर्चा हो, निबंध पढ़े जायें, बहस हो, आलोचना-प्रत्यालोचना हो। तभी वह वायु-मण्डल तैयार होगा। तभी साहित्य में नये युग का आविर्भाव होगा।

हम हर एक सूबे में, हर एक जवान में, ऐसी परिषदें स्थापित कराना चाहते हैं, जिनमें हर एक भाषा में अपना सन्देश पहुँचा सकें। यह समझना भूल होगी

कि यह हमारी कोई नयी कल्पना है। नहीं, देश के साहित्य-सेवियों के हृदयों में सामुदायिक भावनाएँ विद्यमान हैं। भारत की हर एक भाषा में इस विचार के बीज प्रकृति और परिस्थिति ने पहले से बो रखे हैं, जगह-जगह उसके अँखुए भी निकलने लगे हैं। उसको सींचना एवं उसके लक्ष्य को पुष्ट करना हमारा उद्देश्य है।

हम साहित्यकारों में कर्मशक्ति का अभाव है। यह एक कड़वी सचाई है; पर हम उसकी ओर से आँखें नहीं बन्द कर सकते। अभी तक हमने साहित्य का जो आदर्श अपने सामने रखा था, उसके लिए कर्म की आवश्यकता न थी। कर्माभाव ही उसका गुण था; क्योंकि अकसर कर्म अपने साथ पक्षपात और संकीर्णता को भी लाता है। अगर कोई आदमी धार्मिक होकर अपनी धार्मिकता पर गर्व करे, तो इससे कहीं अच्छा है कि वह धार्मिक न होकर 'खाओ-पियो, मौज करो' का कायल हो। ऐसा स्वच्छन्दाचारी तो ईश्वर की दया का अधिकारी हो भी सकता है; पर धार्मिकता का अभिमान रखने वाले के लिए इसकी सम्भावना नहीं।

ओ हो, जबतक साहित्य का काम केवल मन-बहलाव का सामान जुटाना, केवल लोरियाँ गा-गाकर सुलाना, केवल आँसू बहाकर जी हलका करना था, तबतक इसके लिए कर्म की आवश्यकता न थी। वह एक दीवाना था जिसका गम दूसरे खाते थे; मगर हम साहित्य को केवल मनोरंजन और विलासिता की वस्तु नहीं समझते। हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा, जिसमें उच्च चिन्तन हो, स्वाधीनता का भाव हो 'सौन्दर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सचाइयों का प्रकाश हो,—जो हममें गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलाये नहीं, क्योंकि अब और ज्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है।

मैं कहानी कैसे लिखता हूँ !

एक बार सम्पादक “नैरंगे खयाल” उर्दू लाहौर ने, देश के प्रसिद्ध कहानीकारों से प्रश्न किया था कि आप कहानी कैसे लिखते हैं ? इसके उत्तर में प्रेमचन्द ने यह लेख लिखा था । मैं इसे उर्दू से अनुवाद करके यहाँ संकलित कर रहा हूँ ।

मेरे किस्से प्रायः किसी-न-किसी प्रेरणा अथवा अनुभव पर आधारित होते हैं, उसमें मैं नाटक का रंग भरने की कोशिश करता हूँ । मगर घटनामात्र को बर्णन करने के लिये, मैं कहानियाँ नहीं लिखता । मैं उसमें किसी दार्शनिक और भावनात्मक सत्य को प्रकट करना चाहता हूँ । जब तक इस प्रकार का कोई आधार नहीं मिलता, मेरी कलम ही नहीं उठती । आधार मिल जाने पर मैं पात्रों का निर्माण करता हूँ । कई बार इतिहास के अध्ययन से भी प्लोट मिल जाते हैं । लेकिन कोई घटना कहानी नहीं होती, जब तक कि वह किसी मनोवैज्ञानिक सत्य को व्यक्त न करे ।

मैं जब तक कोई कहानी आदि से अन्त तक जेहन में न जमालूँ, लिखने नहीं बैठता । पात्रों का निर्माण इस दृष्टि से करता हूँ कि वे उस कहानी के अनुकूल हों । मैं इसकी जरूरत नहीं समझता कि कहानी का आधार किसी रोचक घटना को बनाऊँ, अगर किसी कहानी में मनोवैज्ञानिक पराकाष्ठा (climax) हो, तो चाहे किसी घटना से सम्बन्धित हो, मैं इसकी परवाह नहीं करता । अभी मैंने हिन्दी में एक कहानी लिखी है, जिसका नाम है “दिल की रानी” । मैंने मुस्लिम इतिहास में तैमूर के जीवन की एक घटना पढ़ी थी । जिसमें हमीदा बेगम से उसके विवाह का उल्लेख था । मुझे तुरन्त इस ऐतिहासिक घटना के नाटकीय पहलू का खयाल आया । इतिहास में क्लाइ-मैक्स कैसे उत्पन्न हो, इसकी चिन्ता हुई । हमीदा बेगम ने बचपन में अपने पिता से शस्त्र-विद्या सीखी थी, और रण-भूमि में कुछ अनुभव भी प्राप्त किये

थे । तैमूर ने हजारों तुकों का बध किया था । ऐसे प्रतिपक्षी पर एक तुक स्त्री किस प्रकार अनुरक्त हुई, इस समस्या के हल होने से क्लाइमैक्स निकल आता था । तैमूर रूपवान न था, इसलिये जरूरत हुई कि उसमें ऐसे नैतिक और भावनात्मक गुण उत्पन्न किये जायें जो एक श्रेष्ठ स्त्री को उसकी ओर खींच सकें । इस प्रकार वह कहानी तैयार हो गयी ।

कभी-कभी सुनी-सुनाई घटनायें ऐसी होती हैं, कि उनपर आसानी से कहानी की नींव रखी जा सकती है । कोई घटना, महज सुन्दर और चुस्त शब्दावली और शैली का चमत्कार दिखाकर ही कहानी नहीं बन जाती; मैं उसमें क्लाइ-मैक्स लाजिमी चीज समझता हूँ; और वह भी मनोवैज्ञानिक । यह भी जरूरी है कि कहानी इस क्रम से आगे चले कि क्लाइमैक्स निकटतर आता जाये । जब कोई ऐसा अवसर आ जाता है, जहां तबीयत पर जोर डालकर साहित्यिक और कवितामय रंग उत्पन्न किया जा सकता है, तो मैं उस अवसर से अवश्य लाभ उठाने का प्रयत्न करता हूँ । यही रंग, कहानी की जान है ।

मैं कम भी लिखता हूँ । महीने भर में शायद मैंने कभी दो कहानियों से अधिक नहीं लिखीं । कई बार तो महीनों कोई कहानी नहीं लिखता । घटना और पात्र तो मिल जाते हैं; लेकिन मनोवैज्ञानिक आधार कठिनता से मिलता है । यह समस्या हल हो जाने के बाद, कहानी लिखने में देर नहीं लगती । मगर इन थोड़ी सी पंक्तियों में कहानी-कला के तत्व वर्णन नहीं कर सकता । यह एक मानसिक वस्तु है । सीखने से भी लोग कहानीकार बन जाते हैं, लेकिन कविता की तरह इसके लिये भी, और साहित्य के प्रत्येक विषय के लिए कुछ प्राकृतिक लगाव आवश्यक है । प्रकृति आपसे आप प्लाट बनाती है, नाटकीय रंग पैदा करती है, ओज लाती है, साहित्यिक गुण जुटाती है, अनजाने आप ही आप सब कुछ होता रहता है । हां, कहानी समाप्त हो जाने के बाद मैं खुद उसे पढ़ता हूँ । अगर उसमें मृभे नयापन, कुछ बुद्धि का चमत्कार, कुछ यथार्थ की ताजगी, कुछ गति उत्पन्न करने की शक्ति का एहसास होता है, तो मैं उसे सफल कहानी समझता हूँ, वरना समझता हूँ फेल हो गया । फेल और पास दोनों कहानियाँ छप जाती हैं, और प्रायः ऐसा होता है, कि जिस कहानी को मैंने फेल समझा था, उसे मित्रों ने बहुत सराहा । इसलिये मैं अपनी परख पर अधिक विश्वास नहीं करता ।

मृत्यु के पीछे

(प्रेमचन्द ने अपनी इस कहानी में यह अटल विश्वास प्रकट किया है कि मेरे आदर्श मेरे बाद भी जीवित रहेंगे । इसीलिये हम यह कहानी यहाँ उद्धृत कर रहे हैं ।)

बाबू ईश्वरचन्द्र को समाचारपत्रों में लेख लिखने की चाट उन्हीं दिनों पड़ी जब वे विद्याभ्यास कर रहे थे । नित्य नये विषयों की चिन्ता में लीन रहते । पत्रों में अपना नाम देखकर उन्हें उससे कहीं ज्यादा खुशी होती थी जितनी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने या कक्षा में उच्चस्थान प्राप्त करने से हो सकती थी । वह अपने कालेज के “गरम-दल” के नेता थे । समाचारपत्रों में परीक्षापत्रों की जटिलता या अध्यापकों के अनुचित व्यवहार की शिकायत का भार उन्हीं के सिर था । इससे उन्हें कालेज में प्रतिनिधित्व का काम मिल गया । प्रतिरोध के प्रत्येक अवसर पर उन्हीं के नाम नेतृत्व की गोटी पड़ जाती थी । उन्हें विश्वास हो गया था कि मैं इस परिमित क्षेत्र से निकल कर संसार के विस्तृत-क्षेत्र में अधिक सफल हो सकता हूँ । सार्वजनिक जीवन को वह अपना भाग्य समझ बैठे थे । कुछ ऐसा संयोग हुआ कि अभी एम० ए० के परीक्षार्थियों में उनका नाम निकलने भी न पाया था कि ‘गौरव’ के सम्पादक महोदय ने वागप्रस्थ लेने की ठानी और पत्रिका का भार ईश्वरचन्द्र दत्त के सिर पर रखने का निश्चय किया । बाबूजी को यह समाचार मिला तो उछल पड़े । धन्य भाग्य कि मैं इस सम्मानपद के योग्य समझा गया । इसमें सन्देह नहीं कि वह इस दायित्व के गुस्त्व से भली-भाँति परिचित थे, लेकिन कीर्तिलाभ के प्रेम ने उन्हें वाष्क परिस्थितियों का सामना करने पर उद्यत कर दिया । वह इस व्यवसाय में स्वातन्त्र्य, आत्मगौरव, अनुशीलन और दायित्व की मात्रा को बढ़ाना चाहते थे । भारतीय पत्रों को पश्चिम के आदर्श पर चलाने के इच्छुक थे । इन इरादों के पूरा करने का सुअवसर हाथ आया । वे प्रेमोल्लास से उत्तेजित होकर नदी में कूद पड़े ।

(२)

ईश्वरचन्द्र की पत्नी एक ऊंचे और धनाढ्य कुल की लड़की थी और वह ऐसे कुलों की मर्यादप्रियता तथा मिथ्या गौरवप्रेम से सम्पन्न थी। यह समाचार पाकर डरी कि पति महाशय कहीं इस भङ्गट में फँसकर कानून से मुँह न मोड़ लें। लेकिन जब बाबू साहब ने आश्वासन दिया कि यह कार्य उनके कानून के अभ्यास में बाधक न होगा, तो कुछ न बोली।

लेकिन ईश्वरचन्द्र को बहुत जल्द मालूम हो गया कि पत्रसम्पादन एक बहुत ही ईर्ष्यायुक्त कार्य है, जो चित्त की समग्र वृत्तियों का अपहरण कर लेता है। उन्होंने इसे मनोरंजन का एक साधन और ख्यातिलाभ का एक यन्त्र समझा था। उसके द्वारा जाति की कुछ सेवा करना चाहते थे। उससे द्रव्योपाजन का विचार तक न किया था। लेकिन नौका में बैठकर उन्हें अनुभव हुआ कि यात्रा उतनी सुखद नहीं है, जितनी समझी थी। लेखों के संशोधन, परिवर्धन और परिवर्तन, लेखकगण से पत्र-व्यवहार और चित्ताकर्षक विषयों की खोज और सहयोगियों से आगे बढ़ जाने की चिन्ता में उन्हें कानून का अध्ययन करने का अवकाश ही न मिलता था। सुबह को किताबें खोलकर बैठते कि १०० पृष्ठ समाप्त किये बिना कदापि न उठूंगा, किन्तु ज्योंही डाक का पुलिन्दा आ जाता, वे अचीर होकर उस पर टूट पड़ते, किताब खुली की खुली रह जाती थी। बार-बार संकल्प करते कि अब नियमितरूप से पुस्तकावलोकन करूँगा और एक निर्दिष्ट समय से अधिक सम्पादनकार्य में न लगाऊँगा। लेकिन पत्रिकाओं का बंडल सामने आते ही दिल काबू के बाहर हो जाता। पत्रों की नोक-भोंक, पत्रिकाओं के तर्क-वितर्क, आलोचना-प्रत्यालोचना, कवियों के काव्यचमत्कार, लेखकों का रचनाकौशल इत्यादि सभी बातें उन पर जादू का काम करतीं। इस पर छपाई की कठिनाइयाँ, ग्राहकसंख्या बढ़ाने की चिन्ता और पत्रिका को सर्वाङ्ग-सुन्दर बनाने की आकांक्षा और भी प्राणों को संकट में डाले रहती थी। कभी-कभी उन्हें खेद होता कि व्यर्थ ही इस झमेले में पड़ा। यहां तक की परीक्षा के दिन सिर पर आ गये और वे इसके लिए बिलकुल तैयार न थे। वे उसमें सम्मिलित न हुए। मन को समझाया कि अभी इस काम का श्रीगणेश है, इसी कारण यह सब बाधाएँ उपस्थित होती हैं। अगले वर्ष यह काम एक सुव्यवस्थित रूप में आ जायगा और तब मैं निश्चिन्त होकर परीक्षा में बैठूँगा। पास कर लेना क्या कठिन है। ऐसे बुद्धू पास हो जाते हैं जो एक सीधा-सा लेख भी नहीं लिख सकते, तो क्या मैं ही रह जाऊँगा? मानकी ने उनकी बात सुनी तो खूब दिल के फफोले

फोड़े—'मैं तो जानती थी कि यह धुन तुम्हें मटियामेट कर देगी। इसलिए बार-बार रोकती थी; लेकिन तुमने एक न सुनी। आप तो डूबे ही, मुझे भी ले डूबे।' उनके पूज्य पिता भी बिगड़े, हितैषियों ने भी समझाया—'अभी इस काम को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दो, कानून में उत्तीर्ण होकर निहन्द देशोद्धार में प्रवृत्त हो जाना।' लेकिन ईश्वरचन्द्र एक बार मैदान में आकर निन्द्य समझते थे। हां, उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा की कि दूसरे साल परीक्षा के लिए तन-मन से तैयारी करूँगा।

अतएव नये वर्ष के पदार्पण करते ही उन्होंने कानून की पुस्तकें संग्रह कीं, पाठ्यक्रम निश्चित किया, रोजनामचा लिखने लगे और अपने चंचल और बहानेबाज चित्त को चारों ओर से जकड़ा; मगर चटपटे पदार्थों का आस्वादन करने के बाद सरल भोजन कब रुचिकर होता है! कानून में वे घातें कहीं, वह उन्मत्त कहीं, वे चोटें कहीं, वह उत्तेजना कहीं, वह हलचल कहीं! बाबू साहब अब नित्य एक खोई हुई दशा में रहते। जब तक अपने इच्छानुकूल काम करते थे, चौबीस घण्टों में घंटे-दो घण्टे कानून भी देख लिया करते थे। इस नशे ने मानसिक शक्तियों को शिथिल कर दिया। स्नायु निर्जीव हो गये। उन्हें ज्ञात होने लगा कि अब मैं कानून के लायक नहीं रहा और इस ज्ञान ने कानून के प्रति उदासीनता का रूप धारण किया। मन में सन्तोषवृत्ति का प्रादुर्भाव हुआ। प्रारब्ध और पूर्वसंस्कार के सिद्धान्तों की शरण लेने लगे।

एक दिन मानकी ने कहा—यह क्या बात है? क्या कानून से फिर जी उचाट हुआ?

ईश्वरचन्द्र ने दुस्साहसपूर्ण भाव से उत्तर दिया—हां भई, मेरा जी उससे भागता है।

मानकी ने व्यंग्य से कहा—बहुत कठिन है?

ईश्वरचन्द्र—कठिन नहीं है, और कठिन भी होता तो मैं उससे डरनेवाला न था; लेकिन मुझे वकालत का पेशा ही पतित प्रतीत होता है। ज्यों-ज्यों वकीलों की आंतरिक दशा का ज्ञान होता है, मुझे उस पेशे से घृणा होती जाती है। इसी शहर में सैकड़ों वकील और बैरिस्टर पड़े हुए हैं, लेकिन एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं जिसके हृदय में दया हो, जो स्वार्थपरता के हाथों बिक न गया हो। छल और धूर्तता इस पेशे का मूलतत्त्व है। इसके बिना किसी तरह निर्वाह नहीं। अगर कोई महाशय जातीय आन्दोलन में शरीक भी होते हैं, तो स्वार्थ-सिद्धि करने के लिए, अपना ढोल पीटने के लिए। हम लोगों का समग्र जीवन वासना-भक्ति पर अर्पित हो जाता है। दुर्भाग्य से हमारे देश का शिक्षित

समुदाय इसी दर्गाह का मुजावर होता जाता है, और यही कारण है कि हमारी जातीय संस्थाओं की शीघ्र वृद्धि नहीं होती। जिस काम में हमारा दिल न हो; हम केवल ख्याति और स्वार्थ-लाभ के लिए उसके कर्णधार बने हुए हों, वह कभी नहीं हो सकता। वर्तमान सामाजिक व्यवस्था का अन्याय है जिसने इस पेशे को इतना उच्च स्थान प्रदान कर दिया है। यह विदेशी सभ्यता का निष्कृष्टतम स्वरूप है कि देश का वृद्धिबल स्वयं धनोपार्जन न करके दूसरों की पैदा की हुई दौलत पर चैन करना, शहद की मक्खी न बनकर, चींटी बनना अपने जीवन का लक्ष्य समझता है।

मानकी चिढ़कर बोली—पहले तो तुम वकीलों की इतनी निन्दा न करते थे !

ईश्वरचन्द्र ने उत्तर दिया—तब अनुभव न था। बाहरी टीमटाम ने वशीकरण कर दिया था।

मानकी—क्या जाने तुम्हें पत्रों से क्यों इतना प्रेम है, मैं तो जिसे देखती हूँ, अपनी कठिनाइयों का रोना रोते हुए पाती हूँ, कोई अपने ग्राहकों से नये ग्राहक बनाने का अनुरोध करता है, कोई चन्दा न वसूल होने की शिकायत करता है। बता दो कि कोई उच्च शिक्षाप्राप्त मनुष्य कभी इस पेशे में आया है। जिसे कुछ नहीं सूझती, जिसके पास न कोई सनद है, न कोई डिग्री, वही पत्र निकाल बैठता है और भूखों मरने की अपेक्षा रूखी रोटियों पर ही संतोष करता है। लोग विलायत जाते हैं, वहाँ कोई पढ़ता है डाक्टरी, कोई इञ्जीनियरी, कोई सिविल सर्विस; लेकिन आज तक न सुना कि कोई एडोटीरी का काम सीखने गया। क्यों सीखे ? किसी को क्या पड़ी है कि जीवन की महत्वाकांक्षाओं को खाक में मिलाकर त्याग और विराग में उम्र काटे ? हाँ, जिनको सनक सवार हो गयी हो, उनकी बात निराली है।

ईश्वरचन्द्र—जीवन का उद्देश्य केवल धन-संचय करना ही नहीं है।

मानकी—अभी तुमने वकीलों की निन्दा करते हुए कहा, यह लोग दूसरों की कमाई खाकर मोटे होते हैं। पत्र चलानेवाले भी तो दूसरों की ही कमाई खाते हैं।

ईश्वरचन्द्र ने बगलें भाँकते हुए कहा—हम लोग दूसरों की कमाई खाते हैं, तो दूसरों पर जान भी देते हैं। वकीलों की भाँति किसी को लूटते नहीं।

मानकी—यह तुम्हारी हठधर्मी है। वकील भी तो अपने मुक्किलों के लिए जान लड़ा देते हैं। उनकी कमाई भी उतनी ही है, जितनी पत्रवालों की। अन्तर केवल इतना है कि एक की कमाई पहाड़ी सोता है, दूसरों की बरसाती नाला।

एक में नित्य जलप्रवाह होता है, दूसरे में नित्य धूल उड़ा करती है। बहुत हुआ, तो बरसात में घड़ी-दो-घड़ी के लिए पानी आ गया।

ईश्वर०—पहले तो मैं यही नहीं मानता कि वकीलों की कमाई हलाल है, और यह मान भी लूँ तो यह किसी तरह नहीं मान सकता कि सभी वकील फूलों की सेज पर सोते हैं। अपना-अपना भाग्य सभी जगह है। कितने ही वकील हैं जो भूठी गवाहियाँ देकर पेट पालते हैं। इस देश में समाचार पत्रों का प्रचार अभी बहुत कम है, इसी कारण पत्र संचालकों की आर्थिक दशा अच्छी नहीं है। यूरोप और अमरीका में पत्र चलाकर लोग करोड़पति हो गये हैं। इस समय संसार के सभी समुन्नत देशों के सूत्रधार या तो समाचार पत्रों के सम्पादक और लेखक हैं, या पत्रों के स्वामी। ऐसे कितने ही अरबपति हैं, जिन्होंने अपनी सम्पत्ति की नींव पत्रों पर ही खड़ी की थी.....।

ईश्वरचन्द्र सिद्ध करना चाहते थे कि धन, ख्याति और सम्मान प्राप्त करने का पत्रसंचालन से उत्तम और कोई साधन नहीं है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस जीवन में सत्य और न्याय की रक्षा करने के सच्चे अवसर मिलते हैं, परन्तु मानकी पर इस वक्तृता का ज़रा भी असर न हुआ। स्थूल दृष्टि को दूर की चीजें साफ नहीं दीखतीं। मानकी के सामने सफल सम्पादक का कोई उदाहरण न था।

(३)

१६ वर्ष गुज़र गये। ईश्वरचन्द्र ने सम्पादकीय जगत् में खूब नाम पैदा किया, जातीय आन्दोलनों में अग्रसर हुए, पुस्तकें लिखीं, एक दैनिक पत्र निकाला, अधिकारियों के भी सम्मानपात्र हुए। बड़ा लड़का बी० ए० में जा पहुँचा, छोटे लड़के नीचे दरजों में था। एक लड़की का विवाह भी एक धन-सम्पन्न कुल में किया। विदित यही होता था कि उनका जीवन बड़ा ही सुखमय है, मगर उनकी आर्थिक दशा अब भी संतोषजनक न थी। खर्च आमदनी से बढ़ा हुआ था। घर की कई हज़ार की जायदाद हाथ से निकल गई, इस पर भी बैंक का कुछ-न-कुछ देना सिर पर सवार रहता था। बाज़ार में भी उनकी साख न थी। कभी-कभी तो यहाँ तक नौबत आ जाती कि उन्हें बाज़ार का रास्ता छोड़ना पड़ता। अब वह अकसर अपनी युवावस्था की अदूरदर्शिता पर अफसोस करते थे। जातीय सेवा का भाव अब भी उनके हृदय में तरंगों मारता था लेकिन वह देखते थे कि काम तो मैं तय करता हूँ और यश वकीलों और सेठों के हिस्सों में आ जाता था। उनकी गिनती अभी तक छट-भैयों में थी। यद्यपि सारा नगर जानता था कि यहाँ के सार्वजनिक जीवन के प्राण वही हैं, पर यह भाव कभी व्यक्त

न होता था। इन्हीं कारणों से ईश्वरचन्द्र को अब सम्पादन-कार्य से अरुचि होती थी। दिनों-दिन उत्साह क्षीण होता जाता था; लेकिन इस जाल से निकलने का कोई उपाय न सूझता था। उनकी रचना में अब सजीवता न थी, न लेखनी में शक्ति। उनके पत्र और पत्रिका दोनों ही से उदासीनता का भाव छलकता था। उन्होंने सारा भार सहायकों पर छोड़ दिया था, खुद बहुत काम करते थे। हाँ, दोनों पत्रों की जड़ जम चुकी थी, इसलिए ग्राहक संख्या कम न होने पाती थी। वे अपने नाम पर चलते थे।

लेकिन इस संघर्ष और संत्रास के काल में उदासीनता का निर्वाह कहाँ। “गौरव” के प्रतियोगी खड़े कर दिये, जिनके नवीन उत्साह ने “गौरव” से बाजी मार ली। उसका बाज़ार ठंडा होने लगा। नये प्रतियोगियों का जनता ने बड़े हर्ष से स्वागत किया। उनकी उन्नति होने लगी। यद्यपि उनके सिद्धान्त भी वही, लेखक भी वही, विषय भी वही थे, लेकिन आगन्तुकों ने उन्हीं पुरानी बातों में नयी जान डाल दी। उनका उत्साह देख ईश्वरचन्द्र को भी जोश आया कि एक बार फिर अपनी रुकी हुई गाड़ी में जोर लगायें, लेकिन न अपने मन में सामर्थ्य थी, न कोई हाथ बटानेवाला नज़र आता था। इधर-उधर निराश नेत्रों से देखकर हतोत्साह हो जाते थे। हाँ! मैंने अपना सारा जीवन सार्वजनिक कार्यों में व्यतीत किया, खेत को बोया, सींचा, दिन को दिन और रात को रात न समझा, धूप में जला, पानी में भीगा और इतने परिश्रम के बाद जब फसल काटने के दिन आये तो मुझमें हूसिया पकड़ने का भी बूता नहीं। दूसरे लोग जिनका उस समय कहीं पता न था, अनाज काट-काटकर खलिहान भरे लेते हैं और मैं खड़ा मुँह ताकता हूँ। उन्हें पूरा विश्वास था कि अगर कोई उत्साहशील युवक मेरा शरीक हो जाता तो “गौरव” अब भी अपने प्रतिद्वन्द्वियों को परास्त कर सकता। सभ्य-समाज में उनकी धाक जमी हुई थी, परिस्थिति उनके अनुकूल थी। जरूरत केवल ताजे खून की थी। उन्हें अपने बड़े लड़के से ज्यादा उपयुक्त इस काम के लिए और कोई न दीखता था। उसकी रुचि भी इस काम की ओर थी, पर मानकी के भय से वह इस विचार को जवान पर न ला सके थे। इसी चिन्ता में दो साल गुजर गये और यहाँ तक नौबत पहुँची कि या तो “गौरव” का टाट उलट दिया जाय या इसे पुनः अपने स्थान पर पहुँचाने के लिए कटिबद्ध हुआ जाय। ईश्वरचन्द्र ने इसके पुनरुद्धार के लिए अंतिम उद्योग करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। इसके सिवा और कोई उपाय न था। यह पत्रिका उनके जीवन का सर्वस्व थी। इससे उनके जीवन और मृत्यु का सम्बन्ध था। उसको बन्द करने की वह कल्पना भी न कर सकते थे।

यद्यपि उनका स्वास्थ्य अच्छा न था, पर प्राणरक्षा की स्वाभाविक इच्छा ने उन्हें अपना सब कुछ अपनी पत्रिका पर न्योछावर करने को उद्यत कर दिया। फिर दिन-के-दिन लिखने-पढ़ने में रत रहने लगे। एक क्षण के लिए भी सिर न उठाते। “गौरव” के लेखों में फिर सजीवता का उद्भव हुआ, विद्वज्जनों में फिर उसकी चर्चा होने लगी, सहयोगियों ने फिर उसके लेखों को उद्धृत करना शुरू किया, पत्रिकाओं में फिर उसकी प्रशंसा सूचक आलोचनाएं निकलने लगीं। पुराने उस्ताद की ललकार फिर अखाड़े में गूँजने लगी।

लेकिन पत्रिका के पुनः संस्कार के साथ उनका शरीर और भी जर्जर होने लगा। हृदय रोग के लक्षण दिखाई देने लगे। रक्त की न्यूनता से मुख पर पीलापन छा गया। ऐसी दशा में वह सुबह से शाम तक अपने काम में तल्लीन रहते। देश में धन और श्रम का संग्राम छिड़ा हुआ था। ईश्वरचन्द्र की सदैव प्रकृति ने उन्हें श्रम का सपक्षी बना दिया था। धनवादियों का खण्डन और प्रतिवाद करते हुए उनके खून में गरमी आ जाती थी, शब्दों से चिनगारियाँ निकलने लगती थीं, यद्यपि यह चिनगारियाँ केन्द्रस्थ गरमी को छिन्न किये देती थीं।

एक दिन रात के दस बज गये थे। सरदी खूब पड़ रही थी। मानकी दबे पैर उनके कमरे में आयी। दीपक की ज्योति में उनके मुख का पीलापन और भी स्पष्ट हो गया था। वह हाथ में कलम लिये किसी विचार में मग्न थे। मानकी के आने की उन्हें जरा भी आहट न मिली। मानकी एक क्षण तक उन्हें वेदनायुक्त नेत्रों से ताकती रही। तब बोली, ‘अब तो यह पोथा बन्द करो। आधी रात होने को आई। खाना पानी हुआ जाता है।’

ईश्वरचन्द्र ने चौंकर सिर उठाया और बोले—क्यों, क्या आधी रात हो गई ? नहीं, अभी मुश्किल से दस बजे होंगे। मुझे अभी जरा भी भूख नहीं है।

मानकी—कुछ थोड़ा-सा खा लो न।

ईश्वरचन्द्र—एक ग्रास भी नहीं। मुझे इसी समय अपना लेख समाप्त करना है।

मानकी—में देखती हूँ, तुम्हारी दशा दिन-दिन बिगड़ती जाती है। दवा क्यों नहीं करते ? जान खपाकर थोड़े ही काम किया जाता है ?

ईश्वरचन्द्र—अपनी जान को देखूँ या इस घोर संग्राम को देखूँ जिसने समस्त देश में हलचल मचा रखी है। हजारों-लाखों जानों की हिमायत में एक जान न भी रहे तो क्या चिन्ता ?

मानकी—कोई सुयोग्य सहायक क्यों नहीं रख लेते ?

प्रेमचन्द्र

ईश्वरचन्द्र ने ठंडी साँस लेकर कहा—बहुत खोजता हूँ, पर कोई नहीं मिलता। एक विचार कई दिनों से मेरे मन में उठ रहा है, अगर तुम धैर्य से सुनना चाहो, तो कहूँ।

मानकी—कहो, सुनूंगी। मानने लायक होगी, तो मानूँगी क्यों नहीं !

ईश्वरचन्द्र—मैं चाहता हूँ कि कृष्णचन्द्र को अपने काम में शरीक कर लूँ। अब तो वह एम० ए० भी हो गया। इस पेशे से उसे रुचि भी है, मालूम होता है कि ईश्वर ने उसे इसी काम के लिए बनाया है।

मानकी ने अवहेलना-भाव से कहा—क्या अपने साथ उसे भी ले डूबने का इरादा है ? घर की सेवा करनेवाला भी कोई चाहिए कि सब देश की ही सेवा करेंगे ?

ईश्वर०—कृष्णचन्द्र यहाँ किसी से बुरा न रहेगा।

मानकी—क्षमा कीजिए। बाज आयी। वह कोई दूसरा काम करेगा जहाँ चार पैसे मिलें। यह घर-फूँक काम आप ही को मुबारक रहे।

ईश्वर०—बकालत में भेजोगी, पर देख लेना, पछताना पड़ेगा। कृष्णचन्द्र उस पेशे के लिए सर्वथा अयोग्य है।

मानकी—वह चाहे मजूरी करे, पर इस काम में न डालूँगी।

ईश्वर०—तुमने मुझे देखकर समझ लिया कि इस काम में घाटा-ही-घाटा है। पर इसी देश में ऐसे भाग्यवान् लोग मौजूद हैं जो पत्रों की बदौलत धन और कीर्ति से मालामाल हो रहे हैं।

मानकी—इस काम में तो अगर कंचन भी बरसे, तो मैं उसे न आने दूँ। सारा जीवन वैराग्य में कट गया। अब कुछ दिन भोग भी करना चाहती हूँ।

यह जाति का सच्चा सेवक अन्त को जातीय कष्टों के साथ रोग के कष्टों को न सह सका। इस वार्तालाप के बाद मुश्किल से नौ महीने गुजरे थे कि ईश्वरचन्द्र ने संसार से प्रस्थान किया। उसका सारा जीवन सत्य के पोषण, न्याय की रक्षा और प्रजा-कष्टों के विरोध में कटा था। अपने सिद्धान्तों के पालन में उन्हें कितनी ही बार अधिकारियों की तीव्र दृष्टि का भाजन बनना पड़ा था, कितनी ही बार जनता का अविश्वास, यहाँ तक कि मित्रों की अवहेलना भी सहनी पड़ी थी, पर उन्होंने अपनी आत्मा का कभी हनन नहीं किया। आत्मा के गौरव के सामने धन को कुछ न समझा।

इस शोकसमाचार के फैलते ही सारे शहर में कुहराम मच गया। बाजार बन्द हो गये, शोक के जलसे होने लगे, सहयोगी पत्रों ने प्रति-द्वन्द्विता के भाव को त्याग दिया, चारों ओर से एक ध्वनि आती थी कि देश से एक स्वतन्त्र, सत्य-

वादी और विचारशील सम्पादक तथा एक निर्भीक, त्यागी, देश-भक्त उठ गया और उसका स्थान चिरकाल तक खाली रहेगा। ईश्वरचन्द्र इतने बहुजनप्रिय हैं, इसका उनके घरवालों को ध्यान भी न था उनका शव निकला तो सारा शहर, गण्य-अगण्य, अर्थी के साथ था। उनके स्मारक बनने लगे। कहीं छात्रवृत्तियाँ दी गयीं, कहीं उनके चित्र बनवाये गये, पर सबसे अधिक महत्त्वशील वह मूर्ति थी जो श्रमजीवियों की ओर से प्रतिष्ठित हुई थी।

मानकी को अपने पतिदेव का लोकसम्मान देखकर सुखमय कुतूहल होता था। उसे अब खेद होता था कि मैंने उनके दिव्य गुणों को न पहचाना, उनके पवित्र भावों और उच्च-विचारों की कद्र न की। सारा नगर उनके लिए शोक मना रहा है। उनकी लेखनी ने अवश्य इनके ऐसे उपकार किये हैं जिन्हें ये भूल नहीं सकते; और मैं अन्त तक उनके मार्ग का कंटक बनी रही, सदैव तृष्णा के वश उनका दिल दुखाती रही। उन्होंने मुझे सोने में मढ़ दिया होता, एक भव्य भवन बनवाया होता, या कोई जायदाद पैदा कर ली होती तो मैं खुश होती, अपना धन्य भाग्य समझती। लेकिन तब देश में कौन उनके लिए आँसू बहाता, कौन उनका यश गाता? यहां एक-से-एक धनिक पुरुष पड़े हुए हैं। वे दुनिया से चले जाते हैं और किसी को खबर भी नहीं होती। सुनती हूँ, पतिदेव के नाम से छात्रों को वृत्ति दी जायगी। जो लड़के वृत्ति पाकर विद्या-लाभ करेंगे वे मरते दम तक उनकी आत्मा को आशीर्वाद देंगे। शोक! मैंने उनके आत्मत्याग का मर्म न जाना। स्वार्थ ने मेरी आँखों पर पर्दा डाल दिया था।

मानकी के हृदय में ज्यों-ज्यों ये भावनाएँ जागृत होती थीं, उसे पति में श्रद्धा बढ़ती जाती थी। वह गौरवशीला स्त्री थी। इस कीर्तिगान और जन-सम्मान से उसका मस्तक ऊँचा हो जाता था। इसके उपरान्त अब उसकी आर्थिक दशा पहले की-सी चिन्ताजनक न थी। कृष्णचन्द्र के असाधारण अध्यवसाय और बुद्धिबल ने उसकी वकालत को चमका दिया था। वह जातीय कामों में अवश्य भाग लेते थे, पत्रों में यथाशक्ति लेख भी लिखते थे, इस काम से उन्हें विशेष प्रेम था। लेकिन मानकी उन्हें हमेशा इन कामों से दूर रखने की चेष्टा करती रहती थी। कृष्णचन्द्र अपने ऊपर जबर करते थे। माँ का दिल दुखाना उन्हें मंजूर न था।

ईश्वरचन्द्र की पहली बरसी थी। शाम को ब्रह्मभोज हुआ। आधी रात तक गरीबों को खाना दिया गया। प्रातःकाल मानकी अपनी सेजगाड़ी पर बैठकर गंगा नहाने गयी। यह उसकी चिरसंचित अभिलाषा थी जो अब पुत्र

की मातृभक्ति ने पूरी कर दी थी। यह उधर से लौट रही थी कि उसके कानों में बँड की आवाज आयी और एक क्षण के बाद एक जलूस सामने आता हुआ दिखायी दिया। पहले कोतल घोड़ों की माला थी, उसके बाद अश्वारोही स्वयंसेवकों की सेना। उसके पीछे सैकड़ों सवारी गाड़ियाँ थीं। सबके पीछे एक सजे हुए रथ पर किसी देवता की मूर्ति थी। कितने ही आदमी इस विमान को खींच रहे थे। मानकी सोचने लगी—‘यह किस देवता का विमान है? न तो रामलीला के ही दिन हैं, न रथयात्रा के!’ सहसा उसका दिल जोर से उछल पड़ा। यह ईश्वरचन्द्र की मूर्ति थी जो श्रमजीवियों की ओर से बनवाई गयी थी और लोग उसे बड़े मैदान में स्थापित करने के लिए लिये जाते थे। वही स्वरूप था, वही वस्त्र, वही मुखाकृति। मूर्तिकार ने विलक्षण कौशल दिखाया था। मानकी का हृदय बाँसों उछलने लगा। उत्कण्ठा हुई कि परदे से निकलकर इस जुलूस के सम्मुख पति के चरणों पर गिर पड़ूँ। पत्थर की मूर्ति मानव-शरीर से अधिक श्रद्धास्पद होती है। किन्तु कौन मुँह लेकर मूर्ति के सामने जाऊँ। उसकी आत्मा ने कभी उसका इतना तिरस्कार न किया था। मेरी धनलिप्सा उनके पैरों की बेड़ी न बनती तो वह जाने किस सम्मानपद पर पहुँचते। मेरे कारण उन्हें कितना क्षोभ हुआ! घरवालों की सहानुभूति बाहर-वालों के सम्मान से कहीं उत्साहजनक होती है। मैं इन्हें क्या कुछ न बना सकती थी, पर कभी उभरने न दिया। स्वामीजी, मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारी अपराश्रिनी हूँ, मैंने तुम्हारे पवित्र भावों की हत्या की है, मैंने तुम्हारी आत्मा को दुःखी किया है। मैंने बाज को पिंजड़े में बन्द करके रखा था। शोक!

सारे दिन मानकी को यही पश्चात्ताप होता रहा। शाम को उससे न रहा गया। वह अपनी कहारिन को लेकर पैदल उस देवता के दर्शन को चली जिसकी आत्मा को उसने दुःख पहुँचाया था!

सन्ध्या का समय था। आकाश पर लालिमा छाई थी। अस्ताचल की ओर कुछ बादल भी हो आये थे। सूर्यदेव कभी मेघपट में छिप जाते थे, कभी बाहर निकल आते थे। इस धूप-छाँह में ईश्वरचन्द्र की मूर्ति दूर से कभी प्रभात की भाँति प्रसन्नमुख और कभी सन्ध्या की भाँति मलिन देख पड़ती थी। मानकी उसके निकट गई, पर उसके मुख की ओर न देख सकी। उन आँखों में करुण-वेदना थी। मानकी को ऐसा मालूम हुआ, मानो वह मेरी ओर तिरस्कारपूर्ण भाव से देख रही है। उसकी आँखों से ग्लानि और लज्जा के आँसू बहने लगे। वह मूर्ति के चरणों पर गिर पड़ी और मुँह ढाँपकर रोने लगी। मन के भाव द्रवित हो गये।

वह घर आई तो नौ बज गये थे । कृष्ण उसे देखकर बोले—अम्माँ, आज आप इस वक्त कहाँ गयी थीं ?

मानकी ने हर्ष से कहा—गयी थी तुम्हारे बाबूजी की प्रतिमा के दर्शन करने । ऐसा मालूम होता है, वही साक्षात् खड़े हैं ।

कृष्ण—जयपुर से बनकर आई है ।

मानकी—पहले तो लोग उनका इतना आदर न करते थे ?

कृष्ण—उनका सारा जीवन सत्य और न्याय की वकालत में गुजरा है । ऐसे ही महात्माओं की पूजा होती है ।

मानकी—लेकिन उन्होंने वकालत कब की ?

कृष्ण—हाँ, यह वकालत नहीं की जो मैं और मेरे हजारों भाई कर रहे हैं, जिससे न्याय और धर्म का खून हो रहा है । उनकी वकालत उच्चकोटि की थी ।

मानकी—अगर ऐसा है तो तुम भी वही वकालत क्यों नहीं करते ?

कृष्ण—बहुत कठिन है । दुनिया का जंजाल अपने सिर लीजिए, दूसरों के लिए रोइए, दीनों की रक्षा के लिए लट्ठ लिये फिरिए, और इस कष्ट और अपमान और यंत्रणा का पुरस्कार क्या है ? अपनी जीवनाभिलाषाओं की हत्या ।

मानकी—लेकिन यश तो होता है ?

कृष्ण—हाँ, यश होता है । लोग आशीर्वाद देते हैं ।

मानकी—जब इतना यश मिलता है तो तुम भी वही काम करो । हम लोग उस पवित्र आत्मा की और कुछ सेवा नहीं कर सकते तो उसी वाटिका को चलाते जायँ जो उन्होंने अपने जीवन में इतने उत्सर्ग और भक्ति से लगाई । इससे उनकी आत्मा को शान्ति होगी ।

कृष्णचन्द्र ने माता को श्रद्धामय नेत्रों से देखकर कहा—कहाँ तो, मगर संभव है, तब यह टिम-टाम न निभ सके । शायद फिर वही पहले की-सी दशा हो जाय ।

मानकी—कोई हरज नहीं । संसार में यश तो होगा ? आज तो अगर धन की देवी भी मेरे सामने आये, तो मैं आँखें न नीची करूँ ।

परिशिष्ट २

साहित्य पर एक दृष्टि

प्रेमचन्द के जीवन और कला के बारे में हम जो कुछ लिख चुके हैं उससे उनके व्यक्तित्व और महानता का पर्याप्त ज्ञान हो जाता है। हमने देखा कि उन्होंने बीसवीं सदी के शुरू में लिखना शुरू किया और जीवन पर्यन्त लिखते रहे। अपने छत्तीस वर्ष के साहित्यिक जीवन में उन्होंने एक दर्जन उपन्यास और तीन सौ के लग-भग कहानियाँ लिखीं। इन्हें पढ़ने से हमें देहातों में रहने वाले किसानों के भौतिक और अध्यात्मिक जीवन और हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। यह भी मालूम हो जाता है कि इस काल में हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन ब्रिटिश साम्राज्य की शोषण सत्ता के विरुद्ध कैसे-कैसे शनैःशनैः आगे बढ़ा और कैसे किसान तथा जन साधारण आर्थिक लूट-खसोट से तंग आकर इस आन्दोलनमें खिंचते चले आये। निस्सन्देह प्रेमचन्द पहले लेखक थे कि जिन्होंने इस उद्देश्य से अपने साहित्य की रचना की कि उसे पढ़कर देश की जनता गुलामी से नफरत करना सीखे और ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध अपनी आजादी की लड़ाई को तेज करे। इसके अतिरिक्त प्रेमचन्द जीवन-विकास को कुंठित करने वाले हर प्रकार के अन्ध-विश्वास, रूढ़िवाद, दम्भ और शोषण से घृणा करते थे। हम देखते हैं कि उनकी कहानियों और उपन्यासों के किसान पात्र सामन्ती व्यवस्था की गुलामी और उससे उत्पन्न जीवन-नरक से निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं और मध्यमवर्गके श्रमजीवि लोग और गरीब क्लर्क अपने नागरिक जीवन में निहित अन्याय, रूढ़िवाद और अन्धविश्वास के विरुद्ध संघर्षशील हैं। प्रेमचन्द सीधे-सच्चे और निरीह जन साधारण धार्मिक विश्वास अतः रूढ़िगत विचारोंका भी आदर करते हैं क्योंकि इनसे उन्हें घोर दरिद्रता और विषमता में भी जीवित रहने का सहारा मिलता है। लेकिन वे धर्म के नाम पर जन साधारण की लूट-खसोट करने वाले ढोंगी दम्भी ब्राह्मणों और स्वार्थी शिक्षित वर्ग को खूब आड़े हाथों लेते हैं। वे देखते थे कि जज, वकील, प्रोफेसर किसी को भी जनता से हमदर्दी नहीं है। जिसकी शिक्षा जितनी ऊँची है उसका स्वार्थ उतना ही बड़ा हुआ है।

घूसखोरी, वेईमानी और शोषण बढ़ता जा रहा है और इस सामाजिक व्यवस्थामें देश का नैतिक स्तर इस हद तक गिर गया है कि अदालतें और स्कूल कालेज भी जनता को टगने की दुकानें बनी हुई हैं। इस लिये मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिये सिर्फ उपदेश या थोड़ा बहुत सुधार ही काफी नहीं है, एक नई राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था है। और वह व्यवस्था आजादी प्राप्त होने पर ही स्थापित हो सकती है।

प्रेमचंद हर तरह की शारीरिक और मानसिक गुलामी, मिथ्या धारणाओं और रूढ़िगत मान्यताओं के बंधनों से घृणा करते थे और इनसे उत्पन्न हुए दुखों, कष्टों और शोषण से जन साधारण की मुक्ति चाहते थे। आरम्भ में अंत तक यही उनके साहित्य की मुख्य ध्वनि है। लेकिन मुक्ति प्राप्त करने के साधन क्या हैं; इस बारे में वे आदर्शवाद को लेकर चले थे; लेकिन जैसे जैसे उनका सामाजिक और राजनीतिक ज्ञान बढ़ता रहा उनके विचारों में प्रौढ़ता आती गई, और वे आदर्शवादी से यथार्थवादी बनते गये। वे सुधार के स्थान पर संघर्ष और क्रान्ति को सारे रोग का निदान समझने लगे। जीवन के अन्तिम पर्व में भी उनमें जो असंगतियाँ और भ्रान्तियाँ गेष थीं, उनका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। लेकिन उनके विचार-परिवर्तन और जीवन-विकास को समझने के लिये उनके उपन्यासों और कहानियों पर एक भरपूर दृष्टि डाल लेना बेहतर होगा। इससे हमें अपने देश की बदलती हुई सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा को समझने में भी सहायता मिलेगी और देश की यथार्थ और वास्तविक स्थिति को समझ लेना हमारे लिये आज भी इतना ही जरूरी है जितना कि प्रेमचन्द के समय में साम्राज्य के विरुद्ध देश के स्वतन्त्रता-संग्राम को आगे बढ़ाने के लिये समझ लेना जरूरी था।

पहले हम प्रेमचन्द के उपन्यासों को लेंगे और जिस क्रम से लेखक ने उन्हें लिखा था, उसी क्रम से उनकी आलोचना करेंगे।

रूटी रानी

जिस प्रकार प्रेमचन्द ने शुरू में ऐतिहासिक कहानियाँ लिखी थीं उसी प्रकार उन्होंने यह एक छोटा-सा ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखा है। इस उपन्यास की कथा-समग्री उस जीवन काल से ली गई है जब पटानों और मुगलों में राजसत्ता के लिए होड़ चल रही थी। और राजपूत आपसी फूट और ईर्ष्या के कारण अतुल वीरता के बावजूद परास्त हो रहे थे।

उपन्यास की नायिका जंसलमेर के रावल मोनकिरण की बेटी उमादे है। रावल सन् १५६६ में गद्दी पर बैठा। मारवाड के राजा मालदेव से उसकी

पुरानी शत्रुता थी। उमादेवी जबान हुई तो सारे देश में उसके रूप और सुंदरता की चरचा होने लगी। दूसरे बहुत मे राजपूत राजाओं की तरह मारवाड़ के राजा मालदेव ने भी उमादेवी से विवाह का संदेश उसके पिता रावल के पास भेजा। रावल यह संदेश पाकर जलभुन गया और इसलिये संदेश स्वीकार करने की सोची कि विवाह-मंडप में जाते समय मालदेव की हत्या कर दी जाये। इस बात का पता रावल की रानी और उससे उमादे को लग गया। उमा ने अपनी सखी भरेली की सहायता से मालदेव को अपने पिता के षडयन्त्र से सूचित कर दिया।

विवाह से पहले मालदेव को कत्ल करने की योजना असफल हुई तो रावल ने अपने एक सरदार को स्त्री का स्वांग भराकर राजभवन के द्वार पर खड़ा कर दिया ताकि जब राजा मालदेव रात को उमा के रनवास में प्रवेश करे तो उसकी हत्या कर दी जाये। चतुर भरेली ने इस चाल को भी भांप लिया और वह राजा को राजकुमारी उमा के महल में ले जाने के बजाय अपने कमरे में ले गई। भरेली चतुर नहीं सुंदर भी थी। राजा मालदेव शराब के नशे में धुत उसी पर रीझ गया। उमादेको यह बात बुरी लगी और वह राजा से रूठ गई।

मालदेव की और भी रानियाँ थीं और वे उमादे से सौतिया ड़ाह रखती थीं। जब पटरानी को पता चला कि उमादे राजा से रूठी हुई है तो उसने जलती आग पर तेल ड़ाला और उमा के दम्भ और गरूर की चर्चा छेड़कर राजा को उसके विरुद्ध भड़काया। लेकिन राजा के बूढ़े और समझदार पुराने नौकर ईश्वरदास ने राजा और नई रानी में मेल कराने का प्रयत्न किया और वह इस प्रयत्न में सफल भी हो गया। लेकिन सौतियों के षडयंत्र, राजा की, उच्छ्रंखलता और उमादे के स्वाभिमान के कारण यह मेल इस दिन नहीं रह सका।

उधर शेरशाह ने हुमायूँ से दिल्ली का राज छीन लिया और देश पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिये मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया। राजा मालदेव और उसकी बहादुर राजपूत सेना ने अपने महान बलिदान और वीरता से इस आक्रमण को असफल बना दिया। लेकिन जिस राजा ने इतने बड़े शत्रु को हरा दिया वह स्वाभिमानिनी उमादे के मन को नहीं जीत सका। वह ऐसी रूठी कि उम्र भर रूठी ही रही। जिस समय पराक्रमी सम्राट् अकबर कूटनीति और शक्ति से राजपूत राजाओं को अपने वश में कर रहा था उस समय लम्बी आयु भोगकर राजा मालदेव का देहान्त हो गया और उमादे समय की रीति के अनुसार पति के साथ सती हो गई।

आलोचना

प्रेमचन्द ने इस उपन्यास में राजपूतों की देश-भक्ति और वीरता को आदर्श के रूप में पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया है और साथ ही दिखाया है कि आपसी फूट और ईर्ष्या के कारण वे देश को गुलामी और विनाश से नहीं बचा सकते। देश को स्वतन्त्र करने के लिये देशभक्ति और वीरता के साथ एकता और संगठन भी जरूरी है।

फिर इस उपन्यास में बहु-विवाह की खराबियों राज-भवन और दरबार के षड़यन्त्रों और उनसे होने वाले शक्तिह्रास को भी भली भाँति दर्शाया गया है। उपन्यास की कथा-सामग्री ऐतिहासिक हो अथवा सामाजिक उसमें मुख्य और विशेष बात यह होती है कि लेखक ने उसे किस दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। प्रेमचन्द इतिहास के बारे में एक स्वस्थ और प्रगतिशील दृष्टिकोण रखते थे। उनकी ऐतिहासिक कहानियों की तरह इस उपन्यास को पढ़ कर हमारे प्राचीन इतिहास की अच्छी बातें ग्रहण करने और त्रुटियाँ और बुराईयाँ छोड़ देने की प्रेरणा मिलती है। प्रेमचन्द नारों के अधिकारों के बारे में सदा सजग रहे हैं और राजपूतों की सामंती व्यवस्था में नारी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे, प्रेमचन्द को यह बात अखरती है और वे लिखते हैं कि—“वेटी बिन सींगों की गौ है, माता पिता उसको रक्षा करते हैं और जिसके पल्ले चाहें बांध देते हैं।”

उपन्यास दिलचस्प है। लेकिन पढ़ते समय यह विचार प्रायः मस्तिष्क में उठता है कि यह प्रेमचन्द की शुरू की कृति है। पात्र उभरते नहीं। चरित्र-चित्रण के बजाये घटनाओं के उल्लेख पर अधिक ध्यान दिया गया है। शायद इन्हीं त्रुटियों के कारण प्रेमचन्द की रचनाओं में इस उपन्यास की चर्चा कम होती है।

वरदान

प्रेमचन्द ने यह उपन्यास सन् १९०५-६ में लिखा। उस समय दुनिया में आर्थिक संकट का प्रकोप था। जापान ने यूरोप की एक बड़ी शक्ति रूस को यद्ध में परास्त किया था। एशिया की जनता में साम्राज्यवादी अत्याचार और शोषण से क्षोभ बढ़ रहा था और उपनिवेशों में देश प्रेम की भावना और स्वतन्त्रता का आन्दोलन जोर पकड़ता जा रहा था। हमारे राजनीतिक आन्दोलन में भी यह उभार आया था और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलकके नेतृत्वमें एक उग्र दल सामने आ रहा था। प्रेमचन्दके इस उपन्यासका मुख्य विषय भी देश भक्ति है। पहले ही परिच्छेद में हमें भारत की सुशीला नारी सुवामा के दर्शन

होते हैं, जो देवी की उपासना की आई है और उससे यह वरदान मांग रही है कि देवी उसे एक ऐसा पुत्र प्रदान करे जो देश सेवा में अपना जीवन अर्पण करदे ।

देवी के वरदान से सुवामा के एक पुत्र उत्पन्न हुआ । जिसका नाम प्रताप रखा गया । सुवामा के पति मुंशी शालग्राम एक भले आदमी थे । साधु सन्तों की सेवा और दान धर्म में विश्वास रखते थे । जब यह पुत्र उत्पन्न हुआ तो उनकी बृद्धावस्था थी । जैसे ही प्रताप छः साल का हुआ मुन्शीजी प्रयाग में कुम्भ का मेला देखने गये और फिर लौट कर नहीं आये ।

उनके ऊपर बहुत-सा कर्ज था । सुवामा ने अपना इलाका और फाल्गू सामान बेच कर कर्ज चुकाया और इसके उपरान्त उसके पास सिर्फ एक मकान बच रहा । सुवामा ने इस मकान को दो हिस्सों में विभाजित किया । एक में आप रहने लगी और दूसरा संजीवनलाल नामक एक व्यक्ति को किराया पर दे दिया ।

संजीवनलाल सपरिवार इस मकान में रहने लगा । कुटुम्ब में उसकी पत्नी सुशीला के अतिरिक्त एक कन्या विरजन अथवा वृजरानी थी । प्रताप का हेल-मेल विरजन से बढ़ गया और उनमें वालसुलभ मित्रता होगई । ज्यों-ज्यों बालक बढ़ते रहे, प्रेम भी बढ़ता रहा और बड़ी होने पर एक दिन विरजन ने सुवामा से कहा कि वह प्रताप से ब्याह करना पसन्द करेगी ।

उधर डिण्टी श्यामाचरण की पत्नी सुशीला की सहेली थी । वह एक दिन उससे मिलने आई और विरजन को सुदरता और गुणों पर मुग्ध हो गई । डिण्टी की पत्नी के प्रस्ताव पर विरजन का विवाह उसके बेटे कमलाचरण से हो गया ।

कमलाचरण बहुत ही आवारा लड़का था और उसी स्कूल में पढ़ता था । जिसमें प्रताप पढ़ता था । विरजन के साथ उसका विवाह प्रताप को स्वाभाविक रूप से बुरा लगा । इसलिये वह उससे घृणा करता और द्वेष रखता था । जब कभी उसे मौका मिलता था, वह सुशीला से कमलाचरण की बुराई करता था और स्कूल में उसकी काली करतूतों को बढ़ा-चढ़ा कर वर्णन करता था । इससे उसका अभिप्राय विरजन को जलाना भी होता था ।

संजीवनलाल भी कमलाचरण को आवारा और दुष्ट समझने लगे थे और उसके साथ अपनी बेटी ब्याह देने से दुखी थे । सुशीला को तो इसी गम में तपेदिक हो गया और वह घुल-घुलकर मर गई ।

विरजन का शौना हुआ । वह पति के घर चली गई । उसके प्रभाव से

कमलाचरण सुधर गया। उसने अपने कनकौश्यों को फाड़ डाला, चर्खियाँ तोड़ दीं और कबूतर उड़ा दिये। वह आवारगी छोड़कर पत्नी के प्रेम में बंध गया। लेकिन इस सुधार के उपरांत भी उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। इसलिये विरजन ने उसे प्रयाग जाकर पढ़ने की सलाह दी।

उधर प्रताप भी विरजन की याद भुलाने के लिए बनारस छोड़कर प्रयाग चला गया था। अब वह क्रिकेट का प्रसिद्ध खिलाड़ी और पढ़ने में होशियार था। सारे प्रयाग में उसकी ख्याति फैल रही थी। एक बार वह क्रिकेट का मैच छोड़कर विरजन की तीमारदारी को गया था। वहां उसने पति पत्नी का आपसी स्नेह देखकर कमला-से द्वेष छोड़ दिया था और उसे अपना मित्र समझने लगा था। प्रयाग में उसने अपने मित्र कमलाचरण का स्वागत किया।

पर कमला का मन पढ़ने में न लगा। विरजन से दूर होते ही उसकी आवारगी और कुलच्छन उससे फिर आ चिपटे। बोर्डिंग से लगा हुआ एक छोटा सा बाग था। कमला इस बाग के मालीकी लड़की सरयू पर डोरे डालने लगा। एक दिन जब वह सरयू से एकान्त में मिलने गया, तो माली आ गया। कमला ने दीवार फाँदकर जान बचाई और ट्राम में बैठकर स्टेशन पर जा पहुँचा। गाड़ी में बैठ गया; लेकिन उसके पास टिकट नहीं था। इसलिये जब टिकट-चेकर आया, तो चलती गाड़ी से कूद पड़ा और गिरते ही मर गया।

विरजन विधवा हो गई। उसके सुसर डिप्टी श्यामाचरण को डाकुओं ने गोली मार दी और सास पागल होकर मर गई।

कमला की मृत्यु के बाद प्रताप के मन में विरजन का प्रेम फिर जागा। वह प्रयाग से बनारस आया और चोरी-चोरी उनके घर पहुँचा। उसने दरार में से झाँककर देखा कि विरजन सफेद साड़ी पहने, बाल खोले और हाथ में लेखनी लिये धरती पर बैठी कुछ लिख रही है। उसकी विचार-मग्न मुद्रा को देखकर प्रताप पर ऐसा प्रभाव हुआ कि वह उसी समय उलटे पांव लौट गया और उसने तुरंत संन्यासी बनकर देश सेवा करने का व्रत धारण किया।

संन्यासी प्रताप सब कुछ छोड़कर देश सेवा में लग गया। उसने अपना पुराना नाम भी त्याग दिया और नया नाम बालाजी रखा। थोड़े ही दिनों में उसकी देश-सेवा और त्याग की चर्चा जगह-जगह होने लगी और जहाँ भी वह जाता धूम-धाम से उसका स्वागत होता। विरजन अब कवितायें लिखने लगी थी। उसने एक कविता बालाजी जी के स्वागत में भी लिखी।

बालाजी की माँ उसे गृहस्थ जीवन में देखना चाहती थी। माधवी, विरजन की एक सखी थी। उसने विरजन से बालाजी के त्याग और

गुणों की प्रशंसा सुनी थी। वह मन ही मन में उसे प्यार करती थी और उसे अपना पति मानती थी।

इसी प्रकार बारह वर्ष बीत गये। बनारस वालों ने बालाजी को एक गौशाला का शिलारोपण करने के लिये उसे निर्मंत्रित किया। विरजनने माधवी को सलाह दी कि वह रात को बालाजी के कमरे में जाकर उसे अपनी राम कहानी सुनाये। जब माधवी दरवाजे पर पहुँची, तो उसने देखा कि लालटेन जलने से कमरे को आग लग गई है। वह लपक कर भीतर गई और आग बुझा दी। इस बीच में बालाजी की आँख खुल गई। स्थिति को समझ कर वह माधवी से बहुत प्रसन्न हुआ और उसके वहाँ आने का कारण पूछने लगा। जब उसे मालूम हुआ कि माधवी उन्हें प्रेम करती है, तो वह उससे विवाह करने को सहमत हो गया।

लेकिन बालाजी को देखते ही माधवी ने भी अपने विचार बदल दिये, और कहा कि मैं भी संन्यास लेकर आप की तरह देश सेवा करना चाहती हूँ। इसलिये जब बालाजी वहाँ से चले तो माधवी भी योगिनी बन कर उनके साथ हो गई।

कहना नहीं होगा कि कथानक बहुत ही लम्बा और जटिल है। इसमें पात्र तो बहुत से हैं; लेकिन कोई भी हाड मांस के मनुष्य की तरह उभर कर सामने नहीं आता। सभी लेखक के हाथ की कठपुतलियाँ बन कर रह गये हैं।

वह उनकी कोई उपयोगिता नहीं देखता, तो तोड़ मरोड़ कर फेंक देता

। अथवा अकारण मृत्यु करवा देता है। एक छोटे से उपन्यास में इतनी मृत्युएँ बहुत अखरती हैं। और घटना प्रवाह भी स्वाभाविक नहीं है। कमलाचरण विरजन के प्रभाव से अनायास सुधर जाता है और उसके उपरान्त प्रयाग पहुँच कर फिर आवारा और दुष्ट बन जाता है और कुचक्र में फँसकर मर जाता है। उपन्यास के आरम्भ ही से पाठक के मन में यह आशा बंधती है कि प्रताप अर्थात् बालाजी आदर्श देश भक्त के रूप में उनके सामने आयेगा और वह उसे देश सेवा का महान कार्य करते देखेगा। लेकिन यह सब कुछ नहीं होता। पहले वह दुर्बल चरित्र का इर्षालू युवक है। प्रयाग पहुँच कर वह अचानक प्रसिद्ध हो जाता है और फिर विधवा माधवी को विचार-भग्न देख कर उसका संन्यासी बनना तो एक दम चमत्कार जान पड़ता है, जैसे बस देवी ही के वरदान ने अपना असर दिखाया हो। इसके उपरान्त देश सेवाका भी कोई स्पष्ट रूप सामने नहीं आता। आँख भपकते ही उसे प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है, जैसे लेखक की कलम ने ही उसे नेता बना दिया है। ऐसे नेता उपन्यासों ही

में धरे रह जाते हैं; पाठकों को प्रभावित नहीं कर पाते ।

उपन्यास में छोटी-छोटी बातें भी अखरती हैं । प्रयाग में उस समय तो क्या आज भी टामवे नहीं है ।

यह उपन्यास पहले उर्दू में लिखा गया था और इसका नाम जलबाए इसार (त्याग का दिग्दर्शन) था । इस उपन्यास की भाषा एकसी और सरल होने के बजाय ऊबड़-खाबड़ और कठिन है; कहीं अरबी और फारसी के भारी-भारी शब्द और तरकीबें हैं, तो कहीं हिंदी संस्कृत के अनमिल और बेजोड़ शब्दों की भरमार है । प्रेमचन्द ने रत्ननाथ सरशार, मौलाना मुहम्मद हसन आजाद, बंकिमचन्द्र चैटर्जी और रवीन्द्रठाकुर आदि कई लेखकों की शैली को एकसाथ अपनाने का असफल प्रयास किया है ।

प्रेमा अथवा प्रतिज्ञा

यह उपन्यास भी सन् १९०६ में लिखा गया था । उन दिनों स्वतन्त्रता आन्दोलन की तरह समाज सुधार के आन्दोलन भी चल रहे थे । उनमें आर्य-समाज का आन्दोलन प्रमुख था । अछूतोंद्वारा और विधवा की हालत का सुधार उसके विशेष अंग थे । प्रतिज्ञा उपन्यास हमारे समाज की सबसे पीड़ित विधवा नारी की समस्या को लेकर लिखा गया है । इसलिये सामाजिक उपन्यास है ।

संक्षेप में इसकी कहानी यह है कि अमृत और दाननाथ परम मित्र हैं । वे दोनों प्रेमा से प्यार करते हैं । प्रेमा यों भी अमृत की साली है । बड़ी बहन की मृत्यु के उपरांत उसकी शादी अमृत से निश्चित हो गई है । दाननाथ इस आघात को चुपचाप सहन करता है । लेकिन अमृतराय एक दिन विधवा विवाह के बारे में भाषण सुनकर अपना इरादा बदल देता है । वह अपना जीवन विधवाओं की सेवा के लिये अर्पण कर देता है । निस्सहाय और दुखिया विधवाओं को आश्रय देने के लिये विधवा आश्रम खोलता है ।

प्रेमा का पिता रईस और भला आदमी है । उसे अमृतराय की इस प्रतिज्ञा से दुःख होता है और वह अपनी बेटे का विवाह दाननाथ से कर देता है । प्रेमा की एक सखी षणा है । वह उनके पड़ोस में रहती है और दोनों में बड़ा मेल-जोल है । उसका पति बसंत कुमार हौली के दिन भंग पीकर स्नान करने जाता है और गंगामें डूब जाता है । विधवा षणा भी अब बद्रोप्रसाद के घर रहने लगती ।

सुमित्रा प्रेमा की भाबी है, जिसकी अपने पति कमलाप्रसाद से इसलिये नहीं बनती कि वह कंजूस, दुराचारी और नीच है । वह पूर्णा पर डोरे डालता है और अमृतराय का इसलिये विरोध करता है कि वह उसे कुमार्ग पर चलने से

रोकता है। एक दिन कमला प्रसाद भोली-भाली पूर्णा से बलात्कार करता है, तो वह उसे कुर्सी उठा कर मारती है और उसका घर छोड़कर अमृतराय के विधवाश्रम में जाकर रहने लगती है। इसके उपरान्त कमला प्रसाद का स्वभाव बदल जाता है और वह अपनी नीचता छोड़कर एक भले आदमी का जीवन बिताने लगता है।

अमृतराय और प्रेम! उपन्यास के ऐसे पात्र हैं, जिन्हें लेखक ने घडा है। उनमें जीवन का अभाव है और एकदम निष्प्राण जान पड़ते हैं। सारे उपन्यास में सिर्फ सुमित्रा का ही जीता-जागता और सप्राण पात्र है। वह जिस साहस से पति को धूर्तता का विरोध और स्त्री के अधिकारों की रक्षा करती है उससे पाठक के मनमें उसकी प्रति श्रद्धा, आदर और सम्मान उत्पन्न होता है। कमलाप्रसाद को बदमाश के रूप में पेश किया गया है; लेकिन बदमाशी की भी कुछ परम्परा होती है, उसकी भी कुछ विशेषतायें होती हैं, जिनमें से एक भी उसमें मौजूद नहीं है। वह कंजूस है और कंजूस के लिये बदमाश बनना सम्भव नहीं है। पूर्णा सीधी-साधी सरल स्वभाव की स्त्री है। वह कमला प्रसाद से सहानुभूति पाकर उसकी ओर आकर्षित होती है। जब वह वाग में कुर्सी उठाकर कमलाप्रसाद पर पटकती है तो आश्चर्य होता है। पूर्णा जैसी औरत के लिये यों आक्रमण कर सकना सम्भव नहीं। अंत में कमलाप्रसाद के स्वभाव में जो तब्दीली दिखाई गई है, वह 'हृदय परिवर्तन' से अधिक कुछ नहीं है। लेखक ऐसा चाहता हो, यह दूसरी बात है; लेकिन नीच आदमियों की प्रकृति ऐसे नहीं बदला करती। बसंत कुमार के गंगा में डूबने की घटना भी खटकती है जैसे पूर्णा को विधवा बनाने के लिये ही उसे भंग पिलाकर स्नान करने भेजा गया हो। दाननाथ का उपन्यास में कोई खास रोल नहीं है, इसीलिये उसका चित्र गौण है।

प्रेमचन्द ने इस उपन्यास में एक सामाजिक समस्या को सुधारवादी ढंग से सुलझाने की कोशिश की है। इसलिये उन्होंने वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को, उसके रीति रिवाज को छ्त्रा तक नहीं, जहाँ तहाँ टीप टाप करके उसी में सुधार करना चाहा है। इसलिये न समस्या हल हुई है और न पात्र उभर सके हैं।

उपन्यास की भाषा सरल और चुस्त है। कथोपकथन भी रोचक हैं। कमला प्रसाद धूर्त आदमी है वह पूर्णा से अपने प्रेम को ईश्वर की प्रेरणा बताते हुए कहता है—“पूर्णा! एक पत्ता भी उसके हुक्म के बिना हिल नहीं सकता। सुमित्रा मुझसे नाराज है तो यह ईश्वर की इच्छा है, तुम मुझ पर मेहरबान हो तो यह भी ईश्वर की इच्छा है। क्या हमारा तुम्हारा मेल ईश्वर

की इच्छा के बिना हो सकता था ?”

इससे यह भी पता चलता है कि दुष्ट और नीच आदमी सरल और निरीह व्यक्तियों को ईश्वर के नाम पर कैसे ठगते हैं। उनकी धर्मपरायणता और ईश्वर भक्ति महज एक ढोंग है। प्रेमचन्द ऐसे लोगों की सदा कलाई खोलते हैं। लेकिन जब पूर्ण आश्रम के बाग में थोड़ी सी जमीन साफ करके एक धरौंदा-सा बनाती है और फूल-पत्तों से सजाकर उसमें कृष्ण की मूर्ति स्थापित करती है, तो उसके जीवन को सहारा देने वाली सच्ची श्रद्धा और उपासना के सामने प्रेमचन्द के नास्तिक पात्र भी सिर झुका देते हैं। प्रेमचन्द की जनता से यह सच्ची सहानुभूति है।

सेवा-सदन

यह भी सामाजिक उपन्यास है और स्त्री की दीन समस्या को लेकर लिखा गया है। इसके साथ ही मध्यमवर्ग के लोगों की आर्थिक कठिनाइयों और सामाजिक बन्धनों पर प्रकाश डाला गया है और ऊँचे और 'सभ्यवर्ग' की आत्म विडम्बना, ढोंग और बगुला भक्ति की अच्छी कलाई खोली गई है।

संक्षेप में उपन्यास की कहानी यह है। कृष्णचन्द्र एक ईमानदार थानेदार है। वह पुलिस कर्मचारियों की तरह घूस नहीं लेता। वेतन में गुजर बसर करता है। सुमन और शांता उसकी दो बेटियाँ थीं। सुमन जवान हुई, तो उसके ब्याह के लिये घर में रुपया नहीं था। इसलिये कृष्णचन्द्र ने घूस लेने की ठानी। उस हल्के में एक बड़ा महन्त और जागीरदार रामदास था, जो साथ ही साहूकारा भी करता था। उसका कारोबार श्री बाँके बिहारीलाल के नाम पर चला करता था। दस-बीस मोटे ताजे और मुस्टंडे साधु उसके अखाड़े में पड़े रहते थे, जो दूध-मलाई खाते और दंड पेलते थे। चरस और भंग खूब पीते थे। महन्त जी की अफसरों से भी साँठ गाँठ थी। किसी आसामी की यह हिम्मत नहीं थी कि महन्त जी का कर अथवा सूद देने से इनकार करे। जो व्यक्ति महन्त जी की बात नहीं मानता था उसका इलाके में रहना सम्भव नहीं था। पानी में रह कर मगरमच्छ से कौन वैर मोल ले सकता है।

कृष्णचन्द्र जिन दिनों सुमन के ब्याह के लिये घूस लेने की बात सोच रहा था, उन्हीं दिनों श्री बाँकेबिहारी जी के मुस्टंडों ने एक आसामी चेतू को इतना पीटा कि उसे जान से मार डाला। उसका अपराध यह था कि वह यज्ञ के लिये लगाया हुआ चन्दा नहीं दे सका था। थानेदार कृष्णचन्द्र ने रिश्वत लेकर मामला रफा दफा कर दिया। लेकिन उसने अपने मातहतों को घूस में से कोई हिस्सा नहीं दिया। जिससे बात खुल गई और घूस लेने के अपराध में

कृष्णचन्द्र को पाँच साल क़ैद की सज़ा मिली ।

कृष्णचन्द्र की पत्नी सुमन और शान्ता को लेकर अपने भाई उमानाथ के घर चली गई । घनाभाव के कारण सुमन का विवाह पन्द्रह रूपये वेतन पाने वाले गजाधर नामक व्यक्ति से हो गया ।

सुमन, जज्जन भल दिन देखे थे, अब बहुत ही निम्न श्रेणी में चली गई । पन्द्रह रूपये में गृहस्थ चलाना मुश्किल जान पड़ता था । गजाधर से भी उसे कोई सहानुभूति नहीं मिली । वह उससे छोटी-छोटी बातों पर लड़ पड़ता था । भोजन उपरान्त यदि कुछ दाल भात बच जाता, और सुमन उसे गिरा देती, तो गजाधर को उसकी यह बात बहुत खलती ।

इधर सुमन को घर में यह बमचख सहनी पड़ती थी और दो जून रोटी भी नहीं जुड़ती थी । उधर उसके घर के सामने एक भोली नामक वेश्या खूब ठाठ से रहती थी । नगर के बड़े-बड़े आदमी उसके घर खुले बन्दों आते थे और भोली का आदर करते थे । सुमन सोचती थी कि मुझसे तो यह वेश्या कहलाने वाली भोली ही अच्छी है । एक दिन वह गंगा से लौटती हुई म्यूनिसिपल बाग़ में एक बेंच पर बैठने लगी, तो चौकीदार ने उसे उठा दिया । और उसी समय दो वेश्याएं आईं तो चौकीदार ने उनका तपाक से स्वागत किया । सुमन को अपना यह अपमान बहुत खला ।

इसी बीच में पद्मसिंह वकील की पत्नी सुभद्रा से सुमन का परिचय हो गया और वह उनके घर आने लगी । गजाधर सुमन के पद्मसिंह के घर जाने पर सशंक रहने लगा । इस बीच में म्यूनिसिपल चुनाव आये और पद्मसिंह सदस्य चुने गये । इस खुशी में उनके घर भोली का मुजरा हुआ । मुजरा के पश्चात् सुमन रात को देर हुए घर पहुँची, तो गजाधर ने उस पर दुराचार का आरोप लगा कर उसे घर से निकाल दिया ।

सुमन ने अपनी सहेली सुभद्राके घर आश्रय लिया । इस पर गजाधर ने शहर में यह प्रचार किया कि बगुला भक्त पद्मसिंह ने उसकी पत्नी को अपने घर डाल लिया । पद्मसिंह ने बदनामी के भय से सुमन को अपने घर में नहीं रहने दिया । अब सारे शहर में एक भोली ही ऐसी थी, जिससे सुमन की जान पहचान थी । वह कुछ दिन उसके घर में रही और फिर चौबारा लेकर दालमंडी में जा बैठी ।

जब पद्मसिंह और उसके मित्र विट्ठलदास को पता लगा कि समाज की ठुकराई सुमन वेश्या बाजार में जा बैठी है तो सुधारक विट्ठलदास ने उसके उद्धार की सोची । उसकी बहुत कुछ दौड़ धूप और प्रयत्न के पश्चात् सुमन ने

वह चौबारा छोड़ दिया और उसे विधवा आश्रम में दाखिल करा दिया गया।

उधर सुमन की छोटी बहन शांता भी विवाह के योग्य हो गई थी। उमानाथ ने उसकी सगाई पद्मसिंह के भतीजे सदनसिंह से कर दी। सदनसिंह का पिता मदनसिंह रूढ़िवादी व्यक्ति था। जब उसे पता चला कि सुमन शांता की बहन है और वह वेश्य बन गई है, तो उसने विवाह करने से इनकार कर दिया और बरात लौटा लाया।

सुमन का पिता कृष्णचंद्र कृद काटकर जेल से छूटा, तो वह पागलों की तरह रहने लगा। वह बात बात पर लोगों से लड़ पड़ता था और गांव की औरतों से अश्लील मजाक करता था। शांता की बरात लौट जाने पर उसे मालूम हुआ कि सुमन वेश्या बन गई है। इस लज्जा के मारे वह गंगा में डूबकर मर गया।

शांता को पद्मसिंह और विठ्ठलदास ने सुमन के साथ विधवा आश्रम में रखवा दिया। सदन बरात लौटाने के मामले में पिता से सहमत नहीं था। वह उससे भगड़ कर घर से चला गया और नाव चलाने का काम करने लगा। इस धंदे में उसे काफी सफलता मिली और वह मल्लहों का नेता बन गया।

म्यूनिसिपैलिटी में पद्मसिंह ने यह प्रस्ताव पेश किया था कि वेश्याओं को शहर से बाहर रखा जाये। प्रतिक्रियावादी सदस्यों ने इस प्रस्ताव का न सिर्फ विरोध किया, बल्कि उसे साम्प्रदायिक रंग भी दे दिया गया। इसी सिलसिले में पद्मसिंह के विरोधियों ने सुमन के विधवाआश्रम में दाखिल कराने पर एतराज किया और अखबारों ने इस बात को उठा लिया। सुमन ने शांता को साथ लेकर आश्रम छोड़ दिया।

जब वे दोनों नाव से नदी पार करने गईं, तो सदनसिंह ने उन्हें अपने पास रोक लिया और शांता से विवाह कर लिया। सदन और शांता दोनों ही सुमन से उदासीन रहने लगे। जब मल्लाहों को सुमन के वेश्या होने का पता चला, तो उन्होंने सदन का बहिष्कार कर दिया। सुमन को यह सब कुछ बहुत बुरा लगा। आखिर जब सदन के पुत्र जन्म पर उसके माता-पिता आये, तो शांता के संकेत पर सुमन को सदन की कुटी छोड़नी पड़ी।

सुमन के वेश्या बन जाने के बाद उसके पति गजाधर को पत्नी के प्रति अपनी निष्ठुरता और कठोरता का आभास हुआ। वह इस दुरव्यवहार का पश्चाताप करने के लिये सन्यासी बन गया और जनसेवा और दुखी स्त्रियों के उद्धार के लिये जीवन बिताने लगा। जब सुमन सदन की

कुटी से निकल कर गंगा में डूबने जा रही थी, तो उसको भेंट गजाधर से हुई, जो अब स्वामी गजानन्द था और उसी की प्रेरणा पर सुमन ने सेवाश्रम का कार्य संभालने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली।

प्रेमचंद ने यह उपन्यास भी उर्दू में लिखा था; लेकिन प्रकाशित पहले हिन्दी में हुआ। पाठकों ने इसका खूब स्वागत किया और इसे हिन्दी जगत का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास घोषित किया। निस्संदेह प्रेमचंद ने यह उपन्यास लिखकर अपनी कलम का लोहा मना लिया। उनके लिये यह सफलता वाकई हर्ष और सौभाग्य की बात थी।

हिन्दीजगत ने सेवा-सदन का यह स्वागत ठीक ही किया। वाकई उस समय वह हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास था। इस उपन्यास से पता चलता है कि प्रेमचंद किस तेजी से आगे बढ़ रहे थे और उनका दृष्टिकोण अब सीमित न रहकर व्यापक होता जा रहा था। उन्होंने इस उपन्यास में अबला स्त्री और मध्यमवर्ग की समस्या को लेकर समाज के लगभग समस्त पहलुओं पर प्रकाश डाला है। उपन्यास मूलतः सुधारवादी है; लेकिन प्रेमचंद ने समाज में फैली हुई वुराइयों का यथार्थ कारण ढूँढ़ निकाला है और उसके लिये व्यक्तियों को दोषी न ठहराकर वर्तमान सामाजिक पद्धति को जिम्मेदार ठहराया है।

पहले हम देखते हैं कि पुलिस जिसका कर्तव्य समाज रक्षा और जन-सेवा है, वह खुद भ्रष्टाचार और बेईमानी फैला रही है। यदि कोई पुलिस अफसर ईमानदारी से जीवन बिताना चाहता है, तो उसके लिये गृहस्थ चलाना कठिन हो जाता है और उसके पास अपनी जवान कन्या के हाथ रंगने लायक भी पैसे नहीं होते। आखिर उसे भी बेईमान बनकर घूस लेनी पड़ती है और जेल जाना पड़ता है। यह अकेले कुष्णचंद्र की ट्रेजडी नहीं, समूचे समाज की ट्रेजडी है।

फिर श्री बांकेबिहारी लाल जी हैं, जो महन्त भी हैं और सामन्त भी हैं। वे दोनों हाथों से आसामियों को लूटते हैं। अफसर भी इस लूटमें उनके हिस्सेदार हैं। वे गुंडे पालते हैं और आसामियों की हत्या तक कर डालते हैं, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं। धर्म और कानून दोनों महन्त जी के कुकर्म और अत्याचार की ढाल बने हुए हैं।

प्रेमचन्द ने इस उपन्यासमें विशेषरूपसे वेश्याओं की समस्या को उठाया है। वे वेश्यावृत्ति को समाज का कलंक और कोढ़ समझते थे और इसका अन्त चाहते थे। गो उन्होंने समस्या का भावनात्मक और सुधारवादी हल उपस्थित किया है और विधवाश्रम तथा सेवाश्रम इस समस्या का कोई हल नहीं

है; लेकिन उन्होंने यह बात स्पष्ट कर दी है कि वेश्याएं कोई विधाता की ओर से बनकर नहीं आतीं; यह निठुर समाज ही हमारी बहू बेटियों को वेश्याएं बनने पर मजबूर करता है। एक म्यूनिसिपल मेम्बर कुंवर साहब दालमंडी बनने का कारण बताते हुए कहते हैं—“जिस समाज में अत्याचारी जमींदार, रिश्वती राज्य कर्मचारी, अन्यायी महाजन, स्वार्थी बन्धु आदर और सम्मान के पात्र हों, वहाँ दालमंडी क्यों न आबाद हो? हराम का धन हाराकारी के सिवा और कहाँ जा सकता है? जिस दिन नजराना, रिश्वत और सूद-दर-सूद का अन्त होगा उसी दिन दालमंडी उजड़ जायेगी—पहले नहीं।”

जब रामनवमी के उपलक्ष्य पर काशी के प्रसिद्ध मन्दिर में भोजी के भजन हुए, तो सुमन घृणा छोड़ कर उससे मेल-जोल बढ़ाने लगी। पति ने एतराज किया, तो उसने भोजी के मन्दिर में जाने की बात कही। इस तर्क के जवाब में गजाधर ने कहा—“आजकल धर्म तो धूर्तों का अड्डा है। लंबी-लंबी जटाएँ, लंबे-लंबे तिलक और लम्बी-लम्बी दाढ़ियाँ तो महज पाखंड हैं और लोगों को धोखा देने के लिये हैं।”

सुमन जब एक गृहस्थ औरत है, तो उसे कोई आश्रय तक नहीं देता; लेकिन जब वह दालमंडी में जा बैठती है तो समाज के रंगे सयार अबुल वफा, सेठचिम्मनलाल और पंडित दीनानाथ उसके तलवे सहलाते हैं। जब पद्मसिंह वेश्याओं को शहर से बाहर बसाने का प्रस्ताव पेश करता है तो इसी किसम के लोग उस प्रस्ताव का विरोध करते हैं और उसे मजहब के नाम पर साम्प्रदायिक रंग देने तक से नहीं चूकते। भूठे धर्म और साम्प्रदायिकता के साथ-साथ प्रेमचन्द ने भूठे सुधारवादियों की पोल खोली है। विट्ठलदास जब सुमन से वेश्यावृत्ति छोड़ाने के लिये ५० रुपया महीना जुटाना चाहता है, उसे सफलता नहीं मिलती। वेश्यावृत्ति के विरोधियों और सुमन का उद्धार चाहने वालों से भी उसे चन्दा नहीं मिलता। उनका समाज सुधार सिर्फ जबानी जमा खर्च है।

इस उपन्यास से बेजाड़ शादी और दहेज की प्रथा आदि पर भी चोट पड़ती है।

प्रेमचन्द के पहले उपन्यासों की अपेक्षा इस उपन्यास में जितनी यथार्थवाद का मात्रा अधिक है, उतना ही चित्र-चित्रण अधिक सुन्दर है। सुमन मानवती और हठीली लड़की है। उसने सुख आराम में जीवन बिताया था और एक अच्छे घर में ब्याह जाने के स्वप्न देखे थे। लेकिन ब्याह के उपरान्त उसे न सुख मिला और न आदर। जीवन के अनुभव ने उसे कटु और कठोर बना दिया और वह इस समाज से घृणा करने लगी जिसमें उस जैसी भली

और सच्चरित्र स्त्रियों का तो अपमान होता है, लेकिन वेश्याओं का आदर-सम्मान होता है। उन्हें भले घरों के उत्सवों और मंदिरों तक में निमंत्रित किया जाता है; जिसके नेता रंगे सयार ढोंगी और स्वार्थी है। उसने कठिनाईयाँ भी सहन कीं और अपमान भी बर्दाश्त किया, फिर भी पति ने झूठा दोष लगाकर घर से निकाल दिया और भोली वेश्या के घर के सिवा उसे कहीं आश्रय नहीं मिला, तो उसने विवश होकर कुपथ ग्रहण किया व अपनाया, यह सुमन की—अबला नारी की समाज को चुनौती है। वह सुख और कष्ट सह सकती है; लेकिन अपमान और अवहेलना बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमें उसका यह चलन ठीक ही जान पड़ता है।

पद्मसिंह अपने मध्यमवर्गी पढ़े-लिखे समुदाय का टाइप चरित्र है। उसका किताबी ज्ञान और कानून की शिक्षा उसे हर समय फूंक-फूंक कर कदम रखने को कहता है। वह जरा-जरा सी बात पर अपनी बदनामी से डर जाता है। म्यूनिसिपल चुनाव में सफल होने के बाद मुजरा को बुरा समझने के बावजूद मुजरा करवाता है, सुमन को निरपराध समझते हुए भी उसे अपने घर में आश्रय देने से इनकार कर देता है और म्यूनिसिपैलिटी में अपने प्रस्ताव का विरोध होते देखकर सोचने लगता है—‘अपना आश्रम से जीवन बिताते यह किस झमेले में पड़ गये।’ दरअसल वह अपनी पोजीशन बनाने के लिये ही समाज सुधार और लोक-सेवा के कामों में हाथ डालता है और विरोध और बदनामी देख भट पीछे हटने को तैयार हो जाता है। उसके लिये सत्य, न्याय और सुधार सब गौण हैं, अपना स्वार्थ ही मुख्य है। विट्ठलदास उसे कहता है—‘तुम्हारे संकल्प दृढ़ नहीं होते।’ यही उसकी असलियत है।

विट्ठलदास सच्चे मन से समाज का सुधार चाहता है और उसके लिये तन, मन और धन से काम करता है। लेकिन वह तमाम सुधारवादियों की तरह व्यक्तिवादी भी है। वह पद्मसिंह से इसलिये बिगड़ गया कि उसने विरोध के बावजूद मजरा कराया और फिर वह गजाधर के कहने पर पद्मसिंह पर सुमन को घर में डाल लेने का झूठा लॉञ्चन लगाने से भाँ बाज़ नहा आया। उसके बाद जब उसे मालूम हुआ कि सुमन वेश्या बनकर दालमंडी में जा बैठी है, तब उसे बड़ा दुख और क्षोभ हुआ और वह इसके लिये अपने आपको दोषी समझने लगा क्योंकि उसने पद्मसिंह के विशद झूठा प्रचार करके सुमन को उसके घर से निकलवाया था। इसका पश्चाताप यही था कि वह सुमन से वेश्यावृत्ति छुड़ाये और वह इस काम में जीजान से लग गया। ऐसे लोग हमेशा दोष अपराध और पश्चाताप के चक्र में पड़े रहते हैं। उनकी सुकामनाओं और

स्वेच्छाओं के वावजूद सुधार का काम कभी खत्म नहीं होता। सुमन ने उसे ठीक ही कहा—“एक में ही तो नहीं। भले और ऊँचे कुल की कितनी ही बहू बेटियाँ दालभंडी में बैठी हैं।” विट्ठलदास फिर भी उनके बारे में नहीं सोचता। सोच ही नहीं सकता क्योंकि सुधारवाद समाज के इस रोग का निदान नहीं है। उससे तो महज किसी एक सुमन और एक शांता का उद्धार हो सकता है।

सुमन का पिता कृष्णचन्द्र पाठकों को हमदर्दी और सहानुभूति का पात्र है। इस दूषित सामाजिक व्यवस्था में किसी भी भले आदमी के लिये ईमानदार बने रहना सम्भव नहीं है। वह बेटे के विवाह से मजबूर है और घूस लेकर जेल जाता है। जेल से छूट कर उसका पागल और विकृत सा हो जाना भी स्वाभाविक है क्योंकि वह सोचता है कि न ईमान ही रहा और न धन ही मिला ! यश भी गंत्राया और घर भी खोया। जेल से निकलकर वह प्रायः यह दोहा पढ़ता है।

“लकड़ी जल कोला भई, कोला जल कर राख।

में पापन ऐसी जली कोयला भई, न राख ॥”

प्रेमचंद ने यह दोहा ठीक ही उसके मुख से कहलवाया है।

गजाधर भी भला आदमी है। उसकी त्रुटियाँ समाज की त्रुटियाँ हैं। वह अपनी थोड़ी आमदनी के कारण ही ऐसा बना है और इसी कारण सुमन से लड़ता झगड़ता रहता और उस पर संदेह करता है। लेकिन सुमन के वेश्या बन जाने के बाद उसका जो दूसरा रूप हमारे सामने आता है उस पर विश्वास नहीं होता। समाज ने जिन व्यक्तियों को इतना कुचल दिया हो, वे एकदम परिस्थितियों से इतना ऊँचा नहीं उठ सकते। सिर्फ एक सुधारवादी लेखक ही ऐसा सोच सकता है। और गजाधर को गजानंद बना सकता है।

महन्त रामदास, अबुलवफा, सेठ चिम्मनलाल और पंडित दीनानाथ अपन वर्ग के टाइप पात्र हैं और उनके द्वारा प्रेमचंद ने इस वर्ग के अन्याय, अत्याचार, ढोंग और पाखंड को भली भाँति प्रस्तुत किया है। शांता और सदन आदि के पात्र गौण जान पड़ते हैं।

इस उपन्यास में प्रेमचंद ने भाषा और साहित्य के विषय पर भी प्रकाश डाला है। उन्हें इस बात का दुख है कि कुछ म्यूनिसिपल कमिश्नर और पढ़े लिखे स्वार्थी लोग खाह-मखाह विदेशी भाषा बोलते हैं। उन्हें इस बात का भी खेद है कि कोई लेखक महाशय अंग्रेजी के एक दो उपन्यासों अथवा पुस्तकों का, वह भी सीधे अंग्रेजी से नहीं बंगाली या गुजराती के माध्यम से, अनुवाद करके अपने आपको तीस मार खाँ समझने लगते हैं। यही कारण है कि हमारी

भाषा में कोई ग्रन्था उपन्यास नहीं हैं ।

प्रेमचंद ने सेवा सदन लिखकर इस ग्रन्थ की पूर्ति की ।

प्रेमाश्रम

यह उपन्यास सन् १८-१९ में लिखा गया और सन् १९२२ में प्रकाशित हुआ । उस समय पहले विश्व युद्ध का अंत हुआ था । समस्त संसार में हलचल मची हुई थी । रूस में महान क्रान्ति सफल हुई थी और उसके परिणाम स्वरूप दुनिया के एक बहुत बड़े भाग में पहली बार मजदूरों किसानों का राज स्थापित हुआ था । खुद हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था और उसे जन साधारण और किसानों मजदूरों का पहली बार सहयोग प्राप्त हो रहा था । राष्ट्रीय आंदोलन में इस उभार के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारणों का हमने इस पुस्तक के “इस्तीफा” शीर्षक परिच्छेदमें विस्तारसे उल्लेख किया है; इसलिये उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है । प्रेमचंद का यह पहला बड़ा उपन्यास है और इसकी कहानी इस प्रकार है:—

लखनपुर एक गांव है, जहाँ ज्ञान शंकर और उसके चाचा प्रभाशंकर की जमींदारी थी । संयुक्त परिवार है; इसलिये चाचा के आठ प्राणियों पर जितना खर्च बैठता ज्ञानशंकर अपने तीन प्राणियों पर उतना ही खर्च करता । वह चाहता है कि चाचा से बटवारा हो जाये । प्रभाशंकर आसामियों से रियायत करना चाहता लेकिन ज्ञानशंकर उन पर खूब जुल्म ढाता है । वह चाचा से और उसके परिवार से द्वेष रखता है, यहां तक कि जब प्रभाशंकर का लड़का दयाशंकर जो दारोगा है, घूसखोरी और अत्याचार के कारण गिरफ्तार हो जाता है, तो वह खुश होता है और अपने सहपाठी मजिस्ट्रेट से कहा कि मैं तो न्याय का पक्षपाती हूं ।

आखिर प्रभाशंकर से उसका बटवारा हो गया । उसका ससुर भी बड़ा जमींदार है । एक दिन ज्ञानशंकर को तार मिला कि उसका एकमात्र साला मर गया है । वह यह सुनकर बहुत खुश हुआ क्योंकि अब ससुरकी जमींदारी भी उसे मिल जायेगी । लेकिन वह ऊपरी शोक प्रकट करने ससुराल गया । वहां उस की छोटी साली गायत्री भी थी । वह विधवा थी और गोरखपुर में उसकी भी बड़ी जमींदारी थी । ज्ञानशंकर ने उस पर डोरे डालने शुरू किये । उसकी धार्मिक रुचि देखकर कृष्ण लीला का स्वांग रचा । वह चाहता था कि गायत्री उसके प्रेम में फंस जाये और उसके बेटे मायाशंकर को गोद में लेकर अपनी जमींदारी उसके नाम लगवादे । गायत्री उसकी बातों में आगई । वह

ज्ञानशंकर को कृष्ण मानकर खुद राधा बन गई। ज्ञानशंकर की पत्नी विद्या और उसका ससुर उसकी नीचता को समझते थे। उन्होंने गायत्री को भ्रष्ट होने से बचाया। अंत में गायत्री ने जमींदारी मायाशंकर के नाम लगवाकर आत्म-हत्या करली। विद्यावती ने भी पति की नीचता से तंग आकर आत्म-हत्या करली थी।

ज्ञानशंकर को एक बार मालूम होता है कि उसका ससुर दूसरा विवाह करना चाहता है इस बात से उसे बड़ी चिंता उत्पन्न होती है और तभी चैन पड़ती है, जब उसके ससुर ने खुद कह दिया कि वे ब्याह करने का कोई विचार नहीं रखते। वह चूँकि ससुर की सम्पत्ति को अपनी ही जायदाद समझता है; इसलिये उसे रायसाहब का अधिक खर्च भी अखरता है, इस लिये उसे भोजन में विष-दे दिया। ससुर ने पहले ही कौर में इस बात को जान लिया। ज्ञानशंकर को बहुत बुरा भला कहा लेकिन उन्होंने तमाम भोजन जल्दी जल्दी खालिया और फिर योगशक्ति से विष को भी पचा लिया।

ज्ञानशंकर का बड़ा भाई प्रेमशंकर कई साल से लापता था। अब वह अकस्मात आ जाता है। ज्ञानशंकर उसके आने से बड़ा दुखी हुआ क्योंकि वह समझता है कि प्रेमशंकर को जमींदारी में से हिस्सा देना पड़ेगा। वह अमेरिका में पढ़कर आया है। विदेश में रहकर धर्म खो देने के कारण लोग उसका विरोध करते हैं और अखबारों में उसके खिलाफ समाचार और लेख छपते हैं। ज्ञानशंकर उसे यह लेख इस नीयत से लाकर दिखाता है कि प्रेमशंकर वह इलाका छोड़कर किसी दूसरी जगह चला जाये और उसे जमींदारी में से भाग देना न पड़े। प्रेमशंकर ने इस विरोधकी कोई परवा नहीं की। व प्रायश्चित्त तक करने की जरूरत नहीं समझी। उसने अमेरिका में रहकर उच्च शिक्षा पाई है और नये विचार सीखे हैं। वह इन विचारों को देश में प्रचार करना चाहता है और अपना जीवन जन सेवा में लगा देता है। उसे धन सम्पत्ति का तनिक भी मोह नहीं है। उसका यह त्याग देख कर ज्ञानशंकर को संतोष होता है।

लखनपुर में किसानों पर जुल्म बढ़ रहे हैं। सरकारी कर्मचारी और सद खोर महाजन उन्हें खूब नोचते थे और फिर ज्ञानशंकर का कारिदा गोसखत्राँ तो किसी समय भी उनकी जान नहीं छोड़ता। उनकी दरिद्रता दिन-दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन ज्ञानशंकर अपने सहपाठी मजिस्ट्रेट ज्वालासिंह से मिलकर लगान में इजाफा करना चाहता है। लेकिन प्रेमशंकर मजिस्ट्रेट को ऐसा करने से रोक देता है। जिससे ज्ञानशंकर ज्वालासिंह और प्रेमशंकर दोनों के विरुद्ध हो जाता है।

लखनपुर में एक किसान मनोहर है। वह सहनशील व्यक्ति है। लेकिन उसका लड़का बलराज उग्र विचारों का नौजवान है। वह रूस की क्रान्ति से प्रभावित है, इसलिये मुहज छोटे कर्मचारियों और कारिदों को दोषी न ठहरा कर कहता हैं—यह सब मिली भगत है।

ज्वालामोहिनी के इजाफा न करने से ज्ञानशंकर चिढ़ जाता है और वह किसानों पर जुल्म बढ़ा देता है। गौसखाँ को शह मिलती है और वह बात बात पर किसानों को तंग करना शुरू कर देता है। एक दिन वह मनोहर की पत्नी विलासी को चरागाह में पशु चराते देखकर उसके पशु काँजीहौस भिजवा देता है। जब विलासी विरोध करती है, तो वह उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देता हैं। अपनी स्त्री से इस अमान की बात सुनकर मनोहर के भीतर की ज्वाल भड़क उठती है और वह अपने बेटे बलराज को साथ लेकर रात को गौसखाँ की हत्या कर डालता है।

मनोहर थाने में जाकर अपना अपराध स्वीकार कर लेता है लेकिन फिर भी पुलिस बलराज, प्रेमशंकर और गाँव के दूसरे किसानों को बांध लेती है। इस कारण उन्हें जो दुःख भेलेने पड़ते हैं और गाँव पर जो तबाही आती है, मनोहर उसे सहन नहीं कर सकता और जेल ही में आत्महत्या कर लेता है। दूसरे लोग प्रेमशंकर के प्रयत्न से हाईकोर्ट में जाकर साफ छूट जाते हैं।

प्रेमशंकर को अनुभव से किसानों की दरिद्रता और दुर्दशा का ज्ञान होता है और वह उनकी सेवा के लिये प्रेमाश्रम खोल देता है। मायाशंकर पर भी प्रेमशंकर का प्रभाव है; इसलिये वह अठारह वर्ष का होकर अपनी जमींदारी से आप ही दस्तबरदार हो जाता है। बेटे के इस त्याग से ज्ञानशंकर को रंज होना लाजमी है। एक बार तो उसके मन में आती है कि वह भी प्रेमाश्रम में भर्ती हो कर जीवन जन-सेवा में लगादे। लेकिन लज्जा के मारे वह ऐसा कर नहीं सकता और गंगा में डूबकर मर जाता है।

प्रेमशंकर और मायाशंकर के अलावा ज्वालामोहिनी भी नौकरी से स्तीफा देकर प्रेमाश्रम में शामिल हो जाता है। और उपन्यास के अन्त में हम देखते हैं कि इन लोगों की सेवा और जमींदारी खत्म हो जाने के कारण हर एक किसान के पास एक अच्छा घर है, पशु है, लखनपुर साफ-सुथरा गाँव है, उसका एक स्कूल है और एक पुस्तकालय है। बलराज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेम्बर बन गया है, उसने लूंगी बांध रखी है और चढ़ने के लिये उसके पास एक बहुत सुन्दर घोड़ा है।

प्रेमचन्द ने हमारे देश की किसान समस्या को लेकर यह

उपन्यास लिखा है। जमींदारों और उनके कारिंदों, पुलिस और दूसरे सरकारी कर्म-चारियों की लूट-खसोट और अत्याचार के कारण किसान जनता किस तरह पिस रही है, प्रेमचन्द ने इसका बहुत अच्छा चित्रण किया है। मनोहर अग्ररूचे खाता-पीता किसान है और अपने खेतों में खूब मेहनत करता है लेकिन उसके घर की हालत देखिये। प्रेमचन्द लिखते हैं :—

“इसी उधेड़-बुन में पड़ा हुआ वह भोजन करने बैठा। चौके में मिट्टी के तेल का एक दिया जल रहा था; लेकिन घर में इतना धुआँ भरा हुआ था और छत ऐसी काली हो गयी थी, कि उसका प्रकाश मध्यम पड़ गया था। उसकी पत्नी विलासी ने पीतल की थाली में बथुवे का साग और जौ की मोटी मोटी रोटियाँ परोसदीं। मनोहर इस प्रकार खाने लगा, मानो कोई दवा हो। इतनी ही रुचि से वह घास भी खाता। विलासी ने पूछा क्या साग अच्छा नहीं गुड़ दूँ।

मनोहर—नहीं साग तो अच्छा है।

विलासी—तो क्या भूख नहीं है ?

मनोहर—भूख क्यों नहीं है, खा तो रहा हूँ।

विलासी—खाते तो नहीं हो, ऊँघ रहे हो। किसी से भगड़ा तो नहीं हो गया।”

मनोहर की इस हालत से उससे कम स्थिति के किसानों की दरिद्रता का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। वे अज्ञानता और दरिद्रता में पड़े सड़ रहे हैं, किसी को भी उनसे सहानुभूति नहीं है। दुखरन के यह शब्द उनके अनुभव का निचोड़ है—“कहते हैं विद्या से आदमी की बुद्धि सुधर जाती है; पर यहाँ उलटा ही देखने में आता है। यह हाकिम और अमले तो सब पढ़े-लिखे विद्वान हैं लेकिन किसी को दया-धर्म का विचार नहीं आता।”

प्रेमचन्द किसानों में उत्पन्न हुए थे उन्हें देश की इस पीड़ित और शोषित जनता से सच्ची हमदर्दी थी, इसलिये उन्होंने उनकी दरिद्रता का वास्तविक कारण भी समझ लिया था। लिखते हैं:—

“प्रेमशंकर मन में कहा करते थे कि मैं किसानों को शायद ही-कीई ऐसी बात बता सकता हूँ, जिसका उन्हें ज्ञान न हो। मेहनती तो उनसे अधिक दुनियाँ भर में कोई न होगा। किफायत-संयम और गृहस्थ के बारे में भी वे सब कुछ जानते हैं। उनकी दरिद्रता की जिम्मेदारी उनपर नहीं, बल्कि उन हालात पर है जिनके तहत उन्हें अपना जीवन बिताना पड़ता है। वह परिस्थितियाँ क्या है ? आपस की फूट, स्वार्थ और वर्तमान सामाजिक व्यवस्था जो उन्हें मजबूती

से जकड़े हुए है। लेकिन ज़रा ज्यादा विचार करने पर मालूम हो जायेगा— यह तीनों टहनियाँ एक ही बड़ी टहनीसे निकली हैं और यह टहनो वह व्यवस्था हैं, जो किसानों के खून पर कायम हैं।”

किसानों का खून चूसने वाली सामन्ती व्यवस्था अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान में अपना राज्य मजबूत बनाने के लिये कायम रखी थी। यह व्यवस्था अब इतनी गली सड़ी और बोदी होगई थी कि उसका बिना किसी बाहरी सहारे के चलना मुश्किल था। अंग्रेज की स्वार्थी सभ्यता में पला हुआ ज्ञानशंकर अपनी असा-मियों से उतनी रियायत भी नहीं करता जितनी पुराने विचार का उसका चाचा प्रभाशंकर कर देता है। वह पूरी निर्दयता से किसानों का खून निचोड़ लेना चाहता है। और उसकी नीचता और स्वार्थ के कारण संयुक्त परिवार भी नहीं चल सकता। दरअसल इस व्यवस्था और इस परिवार का ऐतिहासिक रोल खत्म हो चुका था। प्रेमचन्द ने ठीक ही इस परिवार को टूटते हुये दिखाया है।

सेवा सदन में भी असासमियों पर जमींदार के अत्याचार और शोषण का अच्छा उल्लेख मिलता है; लेकिन प्रेमाश्रम में प्रेमचन्द सेवा-सदन से काफ़ी आगे बढ़ गये हैं। यह उपन्यास विशेषतः किसानों और जमींदारी के बारे में लिखा गया है और इसमें यथार्थ की मात्रा भी सेवा-सदन से अधिक है। उसमें युद्ध के कारण बदले हुए हालात का प्रभाव साफ दिखाई देता है। प्रेमशंकर के नये विचार प्रेमचन्द के अपने विचार हैं। वे चाहते थे कि देश की जनता रूढ़िवाद और अन्ध विश्वास को छोड़कर अमेरिका आदि देशों से नये विचार और नई शिक्षा ग्रहण करे और देश को उन्नत और समृद्ध बनाये।

प्रेमचन्द की एक महानता यह है कि वे पुस्तकी ज्ञानवादियों की तरह किसानों को मूर्ख और कमचोर नहीं समझते। उन्हें किसान जीवन का पूरा ज्ञान था और वे जानतेथे कि हमारे किसान अपने काममें निपुण हैं और दुनिया में कोई भी उनसे अधिक मेहनत नहीं करता। अफसोस यह है कि उन्हें इस मेहनत का फल नहीं मिलता। वे दूसरे ही खाजाते हैं।

प्रेमचंद के अपने कथनानुसार प्रेमशंकर इस उपन्यास का आदर्श पात्र है। वह नई शिक्षा और नये विचार ग्रहण करने के उपरान्त भी सुधारवादी है, वह किसानों और देश की पीड़ित जनता से सच्ची सहानुभूति रखता है और वह ज्वालासिंह से कहता है—जमीन उसकी है, जो उसे जोते। लेकिन किसानों को वह यह जमीन अहिंसात्मक और हृदय परिवर्तन से दिलाना चाहता है; इसीलिये

वह क्रांति का पथ छोड़कर प्रेमाश्रम द्वारा किसानों की सेवा करने का पथ अपनाता है। वह न सिर्फ अपने आदर्शों और सिद्धान्तों के लिये त्याग कर सकता है बल्कि पुरानी मान्यतायें जो अनुभव से गलत साबित हों छोड़ देने के लिये तैयार रहता है। प्रेमशंकर प्रेमचन्द ही का प्रतिरूप है और उसकी असंगतियां प्रेमचन्द की अपनी असंगतियाँ हैं।

ज्ञानशंकर बहुत ही नीच और धूर्त है। वह चाहता है कि चाचा की, ससुर की, साली की और दुनिया भर की सम्पत्ति उसके कब्जे में आ जाये। इस सम्पत्ति के फेर में पड़कर उसकी आत्मा मर चुकी है। इसीलिये वह साले की मृत्यु का समाचार सुनकर प्रसन्न होता है, चचेरे भाई दयाशंकर की सिफारिश करने के बजाये उलटा उसे फंसाना चाहता है और बड़े भाई प्रेमशंकर के लौट आने पर दुखी होता है। किसानों और मेहनतकशों के खून पर कायम इस समाज में ऐसे स्वार्थी और धूर्त लोगों की कमी नहीं है। प्रेमचन्द ने अन्त में उसका जो हृदय परिवर्तन दिखाया है, वह स्वाभाविक नहीं है। अल-बत्ता ऐसे लोगों का जब मनोरथ सिद्ध नहीं होता, उनके लिये डूब मरना ही उचित होता है।

प्रभाशंकर पुराने ढंगका भला आदमी है जो अपनी संतान और भाई भतीजों से प्रेम करता है और आसामियों से भी सहानुभूति रखता है। भोजन उसकी कमजोरी है। लिखते हैं—“अभी तक थोड़ी सी नवरत्न चटनी बची हुई थी। कुछ और न मिलता, तो सब की आँख बचाकर, उसमेंसे एक चमची निकालकर चाट लेते।” ज्ञानशंकर के ससुर रायसाहब का चरित्र अजीब है। वे योग शक्ति से विष तक पचाते हैं और बहुत सी विचित्र और आलौकिक बातें करते हैं। इसीलिये वे इस दुनिया के नहीं किसी और लोक के जीव दिखाई पड़ते हैं। विद्या, गायत्री और श्रद्धा किसी का चरित्र भी उभरने नहीं पाया। विद्या उदार और नेक औरत है। वह पति की नीचता को सहन नहीं कर सकती इसलिये आत्महत्या कर लेती है। गायत्री नाम की भूखी है। वह बड़ी आसानी से ज्ञानशंकर के पाखण्ड में फंस जाती है और जब उसे वास्तविक, स्थिति का ज्ञान होता है तो आत्महत्या कर लेती है।

गाँव में मनोहर, बलराज और कादिर आदरणीय पात्र हैं। मनोहर सहनशील है; लेकिन अत्याचार और अन्याय को सहन नहीं करता। वह अपनी स्त्री के अपमान से भड़क उठता है और गौसखाँकी हत्या करके दम लेता है। बूढ़ा कादिर भी जेल में उसे दूसरे लोगों के उलाहनों से बचाते हुए कहता है “कि हम सब तो कायर हैं उसने गाँव की लाज रूखली है।” प्रेमचन्द भी

मनोहर का पक्ष लेते हुए गौसखाँ की हत्या को उचित कहते हैं और मनोहर को वीरात्मा कहते हैं।

मनोहर का बेटा बलराज रूस की क्रान्ति से प्रभावित है। किसानों मजदूरों का राज स्थापित होने के स्वप्न देखता है और कारिंदों और सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध किसानों का पक्ष लेता है और अन्याय और अत्याचार के विरोधमें कष्ट सहने और बलिदान करनेसे नहीं भिजकता। उसकी माँ विलासी और पिता मनोहर हमेशा डरते रहते थे कि वह किसी अफसर से उलझकर कहीं जेल न चला जाये। वह नई पद्धति का नया नौजवान है और क्रान्तिकारी विचार रखता है। प्रेमचन्द ने उसे आदर्श चरित्र नहीं बनाया। इसका कारण यही है कि वे किसानों और रूस की क्रान्ति से सहानुभूति रखते हुए भी खुद क्रान्ति के पथ पर चलने को तैयार नहीं थे।

बलराज की माँ विलासी भी वीर स्त्री है। वह पति और बलराज को तो समझाती है, लेकिन जुल्म का मुकाबिला करने में खुद भी कभी पीछे नहीं रहती। गौसखाँ के कहने पर चिरागाह से जानवर न निकालना उसी का साहस था और वह मनोहर के स्वभाव को जानती हुई भी दौड़ी हुई खेत में गई और गौसखाँ के जुल्म की सूचना तुरन्त उसे दी।

इस उपन्यास में प्रायः किसानों की बोल चाल की भाषा इस्तेमाल की गई है। जिससे देहात का वातावरण बनता है और पात्रों का चित्रण होता है।

निर्मला

निर्मला के पिता उदयभानुलाल बेटी का विवाह खूब खर्च करके एक उच्च कुल में करना चाहते हैं। लेकिन उनकी अकस्मात् मृत्यु से वह विवाह नहीं हो सका और निर्मला एक बाल बच्चेदार वकील तोताराम से ब्याही गई। तोताराम बृद्ध है और उसकी बहन रुक्मणी निर्मला को नापसन्द करती है; इसलिये घर में अशांति रहती है।

पहली पत्नी से तोताराम के तीन लड़के हैं—मंशाराम, जियाराम और सियाराम। निर्मला इन बच्चों से दिल बहलाती है और बड़े लड़के मंशाराम को बहुत पसन्द करती है। लेकिन तोताराम चाहता है कि उसकी जवान पत्नी उससे प्रेम करे और वह इसके लिये बहन के साथ भगड़े में निर्मला की तरफ-दारी भी करता है। जब इस पर भी प्रेम नहीं मिलता, तो वह मित्रों के मश-विरा से चुस्त वस्त्र पहनता है और निर्मला को अपनी कथित वीरता की कहानियाँ सुनाता है। इस व्यवहार से निर्मला की उपेक्षा और बढ़ती है, तो वकीलको अपने बेटे मंशाराम से ईर्ष्या हो जाती है और वह उसे बोर्डिंगमें भेज

देता है। मंशाराम पिता के इस व्यवहार और निर्मला के प्रेम से वंचित हो कर बोडिङ्ग में बीमार पड़ जाता है और हस्पताल में पहुँचकर उसकी मृत्यु हो जाती है।

निर्मला के मन पर इस दुर्घटना का बड़ा आघात होता है और वह सदा बुझी-बुझी सी रहती है। जियाराम के मन में यह गांठ बैठ जाती है कि उसके भाई के साथ अन्याय करके उसे मारा गया है। वह अपने पिता से घृणा करता है और इतना उद्द हो जाता है कि एक दिन पिता पुत्र में हाथापुआई की नौबत आजाती है। समझाने के बावजूद वह बिगड़ता ही जाता है और चोरी करने लगता है। एक बार वह खुद निर्मला के आभूषण चुराता है और भेद खुल जाने पर आत्महत्या कर लेता है।

घर में क्लेश तो रहता ही था; अब हालत और खराब हो जाती है। सबसे छोटा लड़का सियाराम साधु बनकर घर से निकल जाता है और लाख खोजने पर भी फिर उसका पता नहीं चलता। तोताराम सारी मुसीबतों की जड़ निर्मला को समझता है और लड़कर बेटे का तलाश में घर से चला जाता है।

जिस लड़के से निर्मला के पिता ने उसकी सगाई की थी, वह अब डाक्टर है। उसकी पत्नी निर्मला की सहेली बन जाती है और इस प्रकार निर्मला का उनके घर आना जाना शुरू हो जाता है। जब तोताराम एक महीने तक लौट कर नहीं आता तो निर्मला अपनी सहेली से मिलने उसके घर जाती है। वह उसे घर पर नहीं मिलती, डाक्टर मिलता है और वह निर्मला से प्रेम जताता है। निर्मला डाक्टर की यह हरकत पसंद नहीं करती। डाक्टर की पत्नी को भी जब इस बात का पता चलता है तो वह उसे बहुत बुरा-भला कहती है। डाक्टर आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद निर्मला भी कुछ देर बीमार रहकर मर जाती है। ठीक चिंता को आग देने के समय उसका पति घर लौटता है।

यह उपन्यास दहेज और अनमेल विवाह की समस्या को लेकर लिखा गया है। हमारे समाज का मध्यमवर्ग बुरे रिवाजों और कुप्रथाओं को लेकर किस प्रकार कानों तक दुःख और विषाद में डूबा हुआ है, उपन्यास में इस बात का अच्छा उल्लेख है। अनमेल विवाह, निर्मूल आशंका और नद भावज के भगड़ों के कारण एक सुखी गृहस्थी को कलह का अखाड़ा में बदला दिया गया है। फिर यह सुख कभी लौटकर नहीं आता, बल्कि कलह बढ़ती रहता है और इतना बढ़ती है कि वह घर बिलकुल उजड़ जाता है। हमारे

रूढ़िगत समाज के मध्यमवर्ग में ऐसी ट्रेजेडियाँ प्रायः हांती रहती हैं। यह एक स्वाभाविक समस्या है और उपन्यास के अन्त में यह बात सिद्ध हो जाती है कि यह गली सड़ी सामाजिक व्यवस्था अधिक दिनों तक नहीं चल सकती। प्रेमचन्दने शायद यह दिखाना चाहा है कि यह सामाजिक व्यवस्था अब निष्प्राण है और हम व्यर्थ में लाश से चिपटे हुए हैं। मुन्शी तोताराम जैसे निर्मला की नहीं, बल्कि इस मृतप्राय सामाजिक व्यवस्था की चिता को आग देने घर लौटा है।

यह उपन्यास सन् २२-२३ में लिखा गया था। उस समय राष्ट्रीय आन्दोलन में बड़ा उभार आया था और हमारा देश महान् क्रान्ति के युग में से गुजर रहा था। और क्रान्ति में किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं बदला करती, बल्कि सामाजिक व्यवस्था भी बदला करती है। मुन्शी प्रेमचन्द ने जन-जीवन का गहरा अध्ययन किया था वे जनता के तेवर पहचानते थे और इसके अतिरिक्त वे अनुभूतिपूर्ण हृदय तथा दूर तक देखने वाली दृष्टि से सम्पन्न थे। इसलिये उन्होंने क्रान्ति के उभार को देखकर अन्मान लगाया था कि जनता अब इस मृत सामाजिक व्यवस्था की चिता में आग देगी।

उपन्यास के लिये यह बड़ा ही सुन्दर और महान विषय था; लेकिन देश की इस जन-क्रान्ति का ठीक ढंग से नेतृत्व नहीं हुआ। चुनावों में प्रेमचन्द को भी इस महान विषय के उपयुक्त सामग्री नहीं मिली। इस लिये वे इस विषय को प्रस्तुत करने में सफल नहीं हो सके। प्रेमचन्द के दूसरे उपन्यासों में जो दोष नहीं है, वह इस उपन्यास में मिलता है। छोटी-छोटी बातों को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर विस्तार से बयान किया गया है। भाषा और वाक्य-विन्यास सुन्दर नहीं है, कोई भी पात्र रक्त-मांस का बना हुआ नहीं जान पड़ता और एक दम इतनी हृत्यायें अस्वाभाविक ही नहीं, पढ़ते-पढ़ते मन ऊब जाता है और क्षोभ उत्पन्न होता है। यह कहने को जी चाहता है कि प्रेमचन्द जैसे कलाकार ने यह उपन्यास क्यों लिखा।

अन्त में हम यह कहने पर विवश हैं कि जहाँ राष्ट्रीय आन्दोलन का क्रान्तिकारी उभार इस उपन्यास के महान् विषय अर्थात् थीम (Theme) का कारण है, वहाँ आन्दोलन की असफलता ही इस उपन्यास की असफलता है। आन्दोलन की असफलता पर खेद प्रकट करते हुए प्रेमचन्द ने “बड़े बाबू” कहानी में कहा है कि अगर देश के नेता गंदुमनुमा जी फरोश न होते, और आन्दोलन की बागडोर पढ़े लिखे नौजवानों के हाथ में होती, तो हमारे स्वतन्त्रता आन्दोलनका यह हशर न होता। “बड़े बाबू” कहानी भी सन् १९२३ में लिखी गई थी। यह ठीक है कि “निर्मला” का विषय राजनीतिक आन्दोलन

नहीं, सामाजिक है; लेकिन राजनीतिक आन्दोलन मनुष्य के विचारों को कई प्रकार से प्रभावित और आन्दोलित करते हैं। और राजनीतिक आन्दोलन भी सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न होते हैं।

काया-कल्प

चक्रधर नें ऊँची शिक्षा पाई है। वह एम० ए० पास है। उसके पिता मुँशी बज्रधर चाहते हैं कि बेटा कोई सरकारी नौकरी करे। लेकिन चक्रधर अपना जीवन समाज-सेवा में लगा देता है। बहुत कहने सुनने पर वह जगदीशपुर के दीवान की कन्या मनोरमा को ट्यूशन पढ़ाना शुरू करता है। मनोरमा चक्रधर से प्रभावित होकर उसे चाहने लगती है। बेटे की इस नौकरी से फायदा उठा कर मुँशी बज्रधर ने दीवान साहब से रब्त-जब्त पढ़ाया और वे तहसीलदार हो गये।

जगदीशपुर की रानी देवप्रिय विधवा है; पर वह भोग विलास में जीवन व्यतीत करती है। एक बार एक ऐसा राजकुमार वहाँ पहुँचा, जो पूर्व जन्म में अपने आपको रानी का पति बताता था। रानी उस राजकुमार के प्रस्ताव पर अपना राज्य विशालसिंह को देकर उसके साथ चली गई।

विशालसिंह का राजतिलक होता है, तो उसके लिये आसामियों से जबर-दस्ती चन्दा वसूल किया जाता है। खूब लूट-खसोट होती है और चारों तरफ अंधेर मच जाता है। चक्रधर समझता है कि इस अत्याचार में राजा विशालसिंह का कोई हाथ नहीं। अफसर और छोटे कर्मचारी अपने मन से यह जुल्म ढा रहे हैं। वह राजा के पास शिकायत लेकर जाता है तो उल्टा उसे भाड़ पड़ती है। जुल्म बढ़ता है तो धास मजदूर राजा के मजिस्ट्रेट और पुलिस पर आक्रमण कर देते हैं। अहिंसावादी चक्रधर बीच में पड़ कर मजदूरों को शांत कर देता है और स्वयं चोट खाकर मजिस्ट्रेट को बचा लेता है। पर उसी पर मजदूरों को भड़काने का अपराध लगा कर जेल भेज दिया जाता है।

राजा विशालसिंह को उम्रढल चुकी है और उसकी पहले भी तीन पत्नियाँ हैं, फिर भी वह मनोरमा पर लट्टू हो जाता है और उसके साथ विवाह करने को कहता है। मनोरमा राजा से चक्रधर को छोड़ देने की सिफारिश करती है; पर वह सिफारिश पर छूटने से इनकार कर देता है। उसका मुकदमा मनोरमा के भाइ गुरुप्रसाद की अदालत में लगता है और वह उसे बरी कर देता है।

जेल से छूटने पर खुद राज्य की ओर से चक्रधर का धूम धाम से स्वागत होता है। इसमें मनोरमा का हाथ है, जिससे चक्रधर को मालूम हो जाता है कि मनोरमा अब भी उससे प्रेम करती है। और वे दोनों गाँव-गाँव घूमकर

प्रजा को सुखी करने का यत्न करते हैं ।

इसी बीच में आगरा में साम्प्रदायिक दंगा होता है जिसमें अहिल्या का धर्म पिता यशोदानन्दन मारा जाता है । चक्रधर आगरा पहुँचता है । अहिल्या को मुसलमान उठा कर ले जाते हैं, लेकिन यशोदा नन्दन के मित्र और मुसलमानों के नेता स्वाजासाहब उसकी सहायता करते हैं और उसे लौटा देते हैं । चक्रधर अहिल्या से विवाह करके उसे घर लाता है । माता पिता पुत्रबधु का स्वागत तो करते हैं, पर इस कारण कि उसे मुसलमान उठा ले गये थे उससे छूतछात करते हैं । चक्रधर को माता पिता का यह व्यवहार बुरा लगता है और वह अहिल्या को लेकर इलाहाबाद चला जाता है । वहाँ उनके एक पुत्र उत्पन्न होता है, जिसका नाम शंखधर रखा जाता है ।

मनोरमा की बीमारी का समाचार पाकर चक्रधर पत्नी और पुत्र को साथ लेकर जगदीशपुर लौट आता है । वहाँ कुछ ऐसे प्रमाण मिल जाते हैं जिनसे सिद्ध हो जाता है कि मनोरमा राजा विशालसिंह की लड़की है, जो बीस वर्ष पहले खोई गई थी । उसे पिता की सम्पत्तिका एक भाग मिल जाता है । अब न उसे पति की परवा रहती है और न पुत्र की । ऐश्वर्य में दिन बिताने लगती है । चक्रधर को अब कोई अपना दिखाई नहीं देता; इसलिये वह खोया-खोया-सा रहता है और इधर उधर अकारण घूमा करता है । एक दिन मार्ग में उसकी मोटर बिगड़ जाती है । चक्रधर एक देहाती को उसे चलाने में सहायता करने के लिये कहता है और इसके इनकार करने पर उसे इतना मारता है कि वह बेचारा मर जाता है ।

इस घटना-चक्र में पड़ कर चक्रधर बहुत दुखी रहने लगता है । अन्त में घर छोड़ कर जाने किधर निकल जाता है और अज्ञात जीवन बिताने लगता है ।

शंखधर पिता की खोज में निकलता है और उसे ढूँढ़ लेता है । लेकिन लौटते समय वह किसी अज्ञात शक्ति के कारण रानी देवप्रिया के पास जा पहुँचता है और दोनों खूब प्रेम से मिलते हैं क्योंकि शंखधर पूर्वजन्म में देवप्रिया का पति था । वह कमला बन कर उससे विवाह कर लेती है । लेकिन यह मिलाप बहुत दिनों नहीं रह पाता । क्योंकि शंखधर न यह कह कर शरीर त्याग देता है कि हम तब मिलेंगे जब हम में वासना न रहेगी । पुत्र की मृत्यु का समाचार पाकर राजा आत्महत्या कर लेता है ।

चक्रधर लौट कर घर आता है तो यह सब कुछ गालूम करके बहुत दुखी होता है और इसी दुखमें अहिल्या भी मर जाती है । जगदीशपुरमें फिर देवप्रिया राज करने लग जाती है । उसने अब वासना को त्याग दिया है । इसलिये

अब वह विलासनी देवप्रिया नहीं, तपस्विनी देवप्रिया है ।

प्रेमचन्द ने गाँधी जी के सत्याग्रह के उपरान्त उनकी मान्यताओं को लेकर यह उपन्यास लिखा था । इसमें हिन्दू-मुस्लिम दंगों और प्रजा पर राजाओं के अत्याचार को दूर करने का सुधारवादी हल प्रस्तुत करने का यत्न किया गया है । प्रेमचन्द इसमें सफल नहीं हुए । जहाँ वे यथार्थ का चित्र चित्रण करते हैं, गाँवों की दरिद्रता, देहातियों के दुख, विवशता और उन पर राजा और उसके कर्मचारियों के अत्याचारों का वर्णन करते हैं, वहाँ तो बात बनती है और पढ़ने में मन भी लगता है । लेकिन जहाँ देवप्रिया के अलौकिक प्रेम, पूर्व जन्म और आवागमन का किस्सा शुरू हो जाता है और जब चक्रधर जेल से निकलने के उपरान्त अपने आदर्श को किसी प्रकार आगे नहीं बढ़ा पाता और अज्ञात जीवन बिताने चला जाता है तो समस्त उपन्यास गारख धन्धा और शब्द आडम्बर दिखाई देने लगता है । 'प्रेमाश्रम' में प्रेमचन्द यथार्थ के मार्ग पर जितना आगे बढ़े थे 'कायाकल्प' में उतना ही पीछे लौट गये मालूम होते हैं । मन्मथनाथ गुप्त ने इस उपन्यास पर आलोचना करते हुए ठीक ही लिखा है—'काया कल्प प्रेमचन्द की सब से शिथिल रचना है । इसे एक भानमती का पिटारा कहा जाये तो कोई अत्युक्ति न होगी ।' उर्दू के आलोचकों की भी इस उपन्यास के बारे में यही राय है । सैयद तालिबअली तालिब लिखते हैं—'प्रेमचन्द ऐसे यथार्थवादी लेखक के कलम से जब आवागमन के सबूत में अलौकिक और विचित्र घटनायें निकलती हैं तो आश्चर्य की आँखें खुली रह जाती हैं । जगदीशपुर के राजा के तीन जन्म और प्रत्येक जन्म की स्मरण शक्ति अजीब है.....रानी देवप्रिया का चरित्र केवल फरिश्ते ही समझ सकते हैं । अन्त में लिखते हैं—'रब्त और रवानी पहले हिस्से में कुछ ज्यादा हैं, मगर रफता-रफता कम होते-होते गायब हो गई ।'

चूँकि उपन्यासकार सुधारवाद की दल दल में जा फंसा है और यथार्थ का साथ छूट गया है, इसलिये उपन्यास का कोई भी पात्र उभरने नहीं पाता । प्रेमचन्द ही के कथनानुसार चक्रधर इस उपन्यास का आदर्श पात्र है । परन्तु उसका आदर्श पाठक को प्रभावित और प्रेरित नहीं करता । वह अहिंसा के आदर्श को लेकर एक ओर तो मजदूरों के आक्रमण को रोकता है और दूसरी ओर एक गरीब देहाती की हत्या इसलिये कर डालता है कि वह उसकी मोटर हाँकने से इनकार कर देता है ।

हमने इस पुस्तक के "कला" शीर्षक परिच्छेद में भी इस उपन्यास की

आलोचना की है। उसे पढ़कर उपन्यास के आलोचक होने का कारण और स्पष्ट हो जायेगा।

रंगभूमि

प्रेमचंद ने यह उपन्यास सन २१-२८ में लिखा था। हमें इस उपन्यास में सामाजिक और राजनीतिक तत्त्वों का समन्वय मिलता है और उभरते हुए पूंजीवाद के सामने पुरानी मान्यताओं को टूटते हुए दिखाया गया है। इस उपन्यास का प्लॉट यह है।

सूरदास बनारस के पास पांडेपुर गाँव का एक भिखारी है। गाँव में पूर्वजों से विरासत में मिली हुई उसकी कुछ भूमि है, जिसमें गाँव के पशु चरते हैं। एक उदीयमान ईसाई पूंजीपति इस भूमि को खरीद कर उसमें सिगरेटों का कारखाना लगाना चाहता है। सूरदास एक बार भीख मांगने के लिये उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ता है, तो जानसेवक उसे अवज्ञा से भिड़क देता है; लेकिन जब दूसरे ही क्षण उसे अपने मुँशी से पता चलता है कि यही अंधा भिखारी उस भूमि का मालिक है जिसे वह लेना चाहता है, तो वह सूरदास से बड़ी नम्रता से पेश आता है। वह सूरदास को जमीन के अच्छे दाम देना चाहता है; लेकिन सूरदास जमोन बेचने से इनकार कर देता है क्योंकि उसमें गाँव के ढोर चरते हैं और सिगरेट का कारखाना लगने से गाँव उजड़ जायेगा और व्यभिचार फैलेगा।

जानसेवक की लड़की सूफिया आदर्शवादी है। वह सूरदास के विचारों से बहुत प्रभावित होती है। जानसेवक की पत्नी सूफिया की माँ कट्टर ईसाइन है। वह मजहब की बात लेकर एक दिन बेटी से लड़ पड़ती है और उसे घर से निकाल देती है।

सूफिया घर से निकल कर जाते हुए मार्ग में एक अग्निकांड देखती है और उसमें से एक आदमी की जान बचाने का यत्न करते हुए, वह आप बेहोश हो जाती है। चौथे दिन उसे होश आता है, तो वह कुंवर भरतसिंह के विशाल भवन में पड़ी है। कुंवर साहब के लड़के विनयसिंह ने सूफिया की जान बचाई है। सूफिया उसे श्रद्धा से देखती है और उन दोनों का प्रेम हो जाता है।

जब जानसेवक को मालूम होता है कि सूफिया बीमार है तो वह इसलिये उसकी तीमारदारीको दौड़ा आता है कि इस बहाने कुंवर साहबसे सम्बन्ध जुड़ेगा और उनसे काफी लाभ उठाया जा सकेगा। जानसेवक को इस काम में वाकई सफलता प्राप्त होती है और वह अपनी वाकपटुता से कुंवर साहबके हाथ पचास हजार के शेर बेच देता है। फिर कुंवर साहब का दामाद चतारी का राजा म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन है। जानसेवक उस पर डोरे डालता है और अपने

प्रभाव से सूरदास की जमीन दिलाने को कहता है। कुंवर साहब का दामाद महेन्द्रसिंह खुद पांडेपुर जाकर सूरे को समझाता है कि कारखाना खुलने से कारोबार बढ़ेगा और गांव वालों को काम मिलेगा; पर सूरदास उसकी बात नहीं मानता। उसे यही डर है कि कारखाना लगने से ताड़ी, शराब का प्रचार बढ़ेगा और गांव में कस्बियां आ बसेंगी।

उधर विनय की मां रानी जाह्नवी को जब मालूम होता है कि उसका बेटा एक ईसाई लड़की के प्रेम-जाल में फंसता जा रहा है, तो वह विनय को राजस्थान भेज देती है। वह वहाँ जाकर ग्रामसुधार में लग जाता है। लेकिन उसे सूफिया की याद नहीं भूलती। वह उसके भाई प्रभु सेवक की माफत सूफिया को एक पत्र लिखता है जिसमें वह अपने प्रेम की बात कहता है। सूफिया यह पत्र रानी जाह्नवी को दिखा देती है। शायद उसे आशा थी कि बेटे का यह पत्र देख कर रानी का कठोर दिल पिघल जायेगा और वह उन्हें ब्याह करने की आज्ञा दे देगी। लेकिन उसके उलट रानी जाह्नवी सूफिया को आज्ञा देती है कि वह उसी समय विजय को इस विषय का पत्र लिखे कि वे दोनों बहन भाई हैं और उनमें यही एक प्रेम-सम्बन्ध कायम रह सकता है। सूफिया यह पत्र लिखते समय बेहोश हो जाती है।

इस इलाक़ामें एक नया अंग्रेज़ मजिस्ट्रेट क्लर्क नामी आजाता है। उसका जान सेवक परिवार से मेलजूल बढ़ता है। सूफिया की मां मिसेज़ सेवक को आशा बँधती है कि सूफिया का विवाह मजिस्ट्रेट क्लर्क से हो जायगा और वह अपना धार्मिक मतभेद और द्वेष भूलकर सूफिया को घर ले आती है।

विनयसिंह जसवन्त नगर में जनता की सेवा कर रहा है। एक दिन, जब वह किसी गाँव से लौट रहा होता है, डाकुओं के सरदार वीरपालसिंह से उसकी भेंट हो जाती है। उनमें बड़ी देर तक बातें होती हैं और अन्त में विनय को पता चलता है और उसे विश्वास भी हो जाता है कि वीरपालसिंह और उसके साथी डाकू नहीं, राजा के अन्याय और अत्याचारों के विरुद्ध लड़ने वाले देश भक्त और विद्रोही हैं। राजा की सरकार ने उन्हें बदनाम करने के लिये खाह-मखाह डाकू घोषित कर दिया है।

इस भेंट का भेद खुल जाने पर राजा की सरकार विनयसिंह पर डाकुओं से मिला होने का अपराध लगा कर उसे जेल में खल देती है। छै महीने बाद वीरपालसिंह उसे जेल से छडाने आता है। लेकिन विनय उसके साथ जाने से इनकार कर देता है।

सूफिया घर आती है, तो उसे मालूम होता है कि उसका बाप क्लर्क

का अधिकार का लाभ उठा कर सूरदास की जमीन हासिल कर रहा है, तो वह क्लर्क से भूठा प्रेम जताती है और उसे अन्धे सूरदास की जमीन लेने की आज्ञा मन्सूख करने को कहती है। क्लार्क सूफिया की यह बात मान लेता है। लेकिन चतारी का राजा महेन्द्रसिंह इस मन्सूखी को अपना अपमान समझता है और उसके आन्दोलन से क्लार्क का तबादला जसवन्त नगर में हो जाता है। वहाँ सूफिया विजय से जेल में भेंट करती हैं और तब विनय को मालूम होता है कि उसकी माँ रानी जाह्नवी ने सूफिया की क्लर्क से सगाई की जो बात लिखी थी वह गलत है, वह अब भी विनय से प्यार करती है। वहाँ वे दोनों एक दूसरे के बने रहने की प्रतिज्ञा करते हैं।

सूफिया विनय को जेल से छुड़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसी बीच में नायकराम पांडेपुर से यह संदेश लेकर पहुँच जाता है कि रानी जाह्नवी बीमार है और वह विनय से मिलना चाहती है। माँ की बीमारी की सूचना पाकर विनय जेल से भाग निकलता है। लेकिन बाहर आकर देखता है कि क्लर्क की मोटर के नीचे आकर एक आदमी कुचल गया है इसी कारण वीरपालसिंह के नेतृत्व में जनता में विद्रोह फैला हुआ है। सूफिया क्लर्क का पक्ष लेती है और विनय के देखते-हैं-देखते कोई व्यक्ति सूफिया को ढेला मारता है। इस पर विनय का क्रोध भड़क जाता है और वह वीरपालसिंह पर लपकता है। लेकिन उसे गिरा दिया जाता है और क्रान्तिकारी सूफिया को उठा कर ले जाते हैं। इसके बाद जब विनय रियासत की पुलिस और सरकारी कर्मचारियों के साथ सूफिया को खोजने निकलता है, तो उसे न पाकर बहुत परेशान हो जाता है। आखिर खुद क्रान्तिकारी उसे चुपचाप अपने डेरे पर ले आते हैं। वहाँ उसकी सूफिया से भेंट होने पर मालूम होता है कि सूफिया भी क्रान्तिकारिणी बन गई है।

पांडेपुर में एक ताड़ी फरोश भैरो है जो अपनी स्त्री सुभागी को बहुत मारता पीटता है और एक दिन उसे घर से भी निकाल देता है। सूरदास इस विचार से कि सुभागी पर अत्याचार हुआ है, उसे अपने घरमें आश्रय देता है। इस पर भैरो सूरु को बदनाम करना शुरू करता है और गाँव के लोग उसके विरुद्ध हो जाते हैं और उसे अपनी जमीन बेच देने को कहते हैं। लेकिन सूरु अपनी बात पर अड़ा रहता है।

सूरु पर पराई औरत—सुभागी को घर में रखने का अपराध लगा कर मुकदमा चलता है और उसे सज़ा देकर जेल भेज दिया जाता है। इससे लोगों

की सहानुभूति सूरे के साथ हो जाती है और जुर्माना अदा करके उसे जंल से छुड़वा लिया जाता है।

विनय जब सूफिया से मिलकर लौटना है तो उसे माँ का पत्र मिलता है, जिसमें लिखा है कि तुम व्यर्थ हो जीवन बिता रहे हो, घर क्यों नहीं लौट आते। क्रांतिकारियों के साथ चले जानेके कारण प्रब रियासत वाले भी उसका विश्वास नहीं करते। इसलिये वह वहाँ से लौट पड़ता है। पाँचवे स्टेशन पर सूफिया उसे अकस्मात मिलती है। क्रांति से उसका विश्वास उठ गया है और वह विनय को रास्ता में उतर जाने के लिये कहती है। विनय उसकी बात मान लेता है और वे दोनों कुछ दिनों जंगली जीवन व्यतीत करते हैं और एक आदर्श प्रेम के राग अलापते हैं।

फिर वे दोनों घर लौट आते हैं। विनय जब माँ के सामने आत्म-हत्या करने लगता है, तो रानी उसे क्षमा कर देती है। माँ की बात और है, लोग तो उसे क्षमा नहीं करते। सूरदास की जमीन ही नहीं सारा गांव हाथ से निकल चुका है और लोग सूरे के नेतृत्व में सत्याग्रह कर रहे हैं। वे विनय को देखते ही ताना देते हैं कि इतने दिनों कहां छिपे रहे? विनय को यह बात लग जाती है और वह एक दम पिस्तौल निकाल कर कहता है क्या तुम देखना चाहते हो कि रईसों के बेटे कैसे जान देते हैं। इतना कह कर वह आत्महत्या कर लेता है। सत्याग्रह में सूरदास को भी गोली लग जाती है और वह मर जाता है।

सूफिया पर जब क्लार्क से विवाह करने के लिये जोर डाला जाता है, तो वह भी आत्महत्या कर लेती है और उसकी माँ बेटी के गम में पागल होकर मर जाती है। लेकिन जानसेवक निलिप्त भाव से कारखाना चलाता रहता है। कारखाना ही उसके जीवन की साध है। उसे किसी दूसरी चीज़ से लगाव नहीं।

बेटे की मृत्यु से निराश होकर कुंवर भरतसिंह जनसेवा का कार्य छोड़ देते हैं और विलास का जीवन बिताने लगते हैं। उनका विश्वास ईश्वर पर से भी हट जाता है और उन्हें दुनिया में शून्य ही शून्य दिखाई देता है।

सूरदास इस उपन्यास का आदर्शपात्र है। वह बहुत ही भला आदमी है और दूसरों के लिये बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार है। वह भीख मांगकर जीवन बिता रहा है और अपनी जमीन गांव के पशुओं के लिये छोड़ रखी है। जानसेवक से बड़ी रकम का प्रलोभन मिलने पर भी वह इसे नहीं बेचता। उसे डर है कि कारखाना खुलने से व्यभिचार फैलेगा और गांव वालों का धर्म नष्ट होगा। इसलिये वह कारखाना लगने का विरोध करता है और गांववालों के विरोध के बावजूद अपनी बात पर अड़ा रहता है।

और अपने आदर्शों की रक्षा के लिये लड़ते हुए मर जाता है। वह गांव में भी किसी से बुराई नहीं करता। भैरों से विरोध मोल लेकर भी अबला सुभागी को आश्रय देता है। भैरों से भी उसे कोई धृष्टा नहीं। वह सुभागी को उसके क्रोध से बचाने के लिये अपनी कमाई के ५००) उसे सौंप देता है और जलूस के लिये इकट्ठे हुए ३००) भी भैरों को झोपड़ी बनाने के लिये दे देता है। यह सब बातें देख भैरों अपना द्वेष छोड़ अन्त में भला आदमी बन जाता है।

आलोचक सूरदास को गांधीवाद का प्रतीक कहते हैं। प्रेमचन्द ने भी उसे "रंगभूमि" का आदर्शपात्र कहा है और जैसा कि हम देख चुके हैं कि उसे आदर्श व्यक्ति के रूप ही में प्रस्तुत किया है। वह जिस बात को सत्य मान लेता है, परिस्थितियों के प्रतिकूल होने और गांव वालों के विरोध के बावजूद उसके लिये लड़ता है और अंत में इसी सत्य की रक्षा में प्राण त्याग देता है।

लेकिन प्रेमचंद ने, जाने या अनजाने, गांधीवाद के इस प्रतीक को अंधा दिखाया है, जो वस्तुस्थिति से आँखें बन्द करके अपने आप में डूबकर लड़ता रहता है। मगर प्रेमचन्द तो यथार्थवादी थे। उनकी आँखें बंद नहीं थी। इसलिये आदर्शों के मुकाबिला में उन्होंने अंत में यथार्थ ही की जीत दिखाई है। बढ़ते हुए पूँजीवाद के सामने सामंतयग की परानी व्यवस्था और उसकी मान्यतायें ठहर नहीं सकतीं। सत्याग्रह आंदोलन के बावजूद पांडपुर उजड़ जाता है और वहाँ जानसेवक का कारखाना लगता है। स्वयं सूरदास मरते हुए स्वीकार करता है—“तुम जीते में हारा”। इसके विपरीत गांधीवाद सत्याग्रही की हार को हार नहीं मानता। सूरदास के चरित्र में से यद् अस्संगति प्रेमचन्द की अपनी असंगति थी।

इस उपन्यास का नौजवान पात्र विनय पाठक को किसी प्रकार भी प्रभावित नहीं करता। उसके चरित्र में तनिक भी स्थिरता नहीं। कभी वह जनता का पक्ष लेता है और कभी राजा और क्लार्क का। वह वीरपालसिंह के साथ जेल से दौड़ने से इनकार कर देता है, लेकिन माँ की बीमारी की सूचना पाकर अपने इस आदर्श को भट छोड़ देता है। माँ जब लिखती है कि सूफिया की क्लार्क से सगाई हो गई, तो उसे संसार सूना दिखाई देने लगता है और वह आत्महत्या करने को तैयार हो जाता है। इसी भावुकता और ढलमूल विश्वास के कारण उसका अन्त आत्महत्या ही से होता है। उसकी आत्महत्या पर न तो कोई आश्चर्य होता है और न दुख ही।

प्रेमचंद ने “जमाना” के सम्पादक दयानारायण निगम को अपने एक पत्र में

लिखा था कि मैंने सूफिया का चरित्र मिसेज एनेबेसेंट से लिया है। यह सच है। सूफिया मिसेज एनेबेसेंट की तरह एक विश्व-धर्म (Cosmopolitanism) में विश्वास रखती है। इसीलिये कट्टर ईसाइन मिसेज सेवक अपनी मां से उसकी नहीं बनती। फिर भी उसके विचार धार्मिक और सुधारवादी हैं। यथार्थवाद से उत्तका कोई सम्बन्ध नहीं। वह वीरपालसिंह के डेरे पर पहुँच कर क्रांतिकारिणी बन तो जाती है; पर उसकी मनोवृत्ति और वर्ग चेतना से क्रांति का कुछ भी मेल नहीं। इसलिये क्रांति का यह ज्वर शीघ्र ही उतर जाता है। उसके प्रेम का भी यथार्थवाद से कोई सम्बन्ध नहीं। वह मानसिक और आदर्शवादी है। परिस्थितियों को अनुकूल न पाकर सूफिया भी आत्महत्या कर लेती है। अर्थात् इस यथार्थवादी यग में सुधारवाद के लिये आत्महत्या के अतिरिक्त और कोई चाराकार नहीं।

जानसेवक यथार्थवादी और भौतिकवादी है। प्रेमचन्द ने उसमें एक पूंजीवादी का ठीक-ठीक चरित्र-चित्रण क्या है? वह धर्म को व्यापार का शृंगार समझता है और सब काम अपने स्वार्थ को मद्देनजर रख कर करता है। पत्नी और पुत्री के मर जाने पर भी निलोप रहता है। कुंवर भरतसिंह का चरित्र भी यथार्थवाद है। ऐसे सम्पत्तिशाली वास्तव में विलासी होते हैं। जनसेवा भी उनके विलास और मन बहलाव का ही एक रूप होता है। जब सरकार से टकराव हो, उन्हें अपनी सम्पत्ति खतरे में पड़ती दिखाई दे तो सारी जनसेवा और देशभक्ति भूल जाती है। डाक्टर गंगाला ठीक ही कहते हैं कि हम पूंजीपतियों से अपने राष्ट्रीय आन्दोलनों के नेतृत्व की आशा नहीं रख सकते। डाक्टर गंगोली एक ईमानदार बुद्धिजीवी है। आरम्भ में वह अंग्रेजों को जनतंत्रवादी समझते हैं और उनका विश्वास है कि धारासभा में न्याय की बात सुनी जायेगी और वहाँ पहुँचकर वे जनताका बहुत कुछ भला कर सकेंगे। लेकिन अनुभव से उनका यह विचार गलत सिद्ध होता है और वह आप ही अंग्रेजके जनतन्त्रवाद की निंदा करते हुए धारासभा को बहस का अखाड़ा बताते हैं। इससे अधिक कुछ नहीं।

“प्रेमाश्रम” के उपरान्त प्रेमचन्द “कायाकल्प” में जितना यथार्थ से पीछे हट गये थे इस उपन्यास में फिर उतना ही आगे बढ़ आये हैं। इस उपन्यास पर आतंकवादियों का प्रभाव भी दिखाई देता है। प्रेमचन्द ने जहाँ सूरदास द्वारा गांधीवाद को चित्रित किया है वहाँ वे वीरपालसिंह के सशस्त्र विद्रोह की भी निंदा नहीं करते। और “प्रेमाश्रम”के बलराज की तरह यहाँ हमें इन्द्रदत्त क्रांतिकारी नौजवान भी मिलता है जिसे प्रेमचन्द विनयासिंह से कुछ अधिक ही उभा-

रते हैं और अंत तक उसके प्रति पाठक की श्रद्धा और सहानुभूति बनी रहती है।

प्रेमचन्द ने इस उपन्यास में वर्तमान समाज के सब स्तरों को उधेड़ कर सामने रख दिया है। क्लार्क साम्राज्यका प्रतीक है। ऐसे लोगों के होते अदालतें ढोंग हैं, कानून और वकील ढोंग हैं। इस पद्धति के रहते जनता को न्याय नहीं मिल सकता। फिर राजनीति में सम्पत्तिशाली वर्ग का नेतृत्व ढोंग है, धर्म का कट्टरपन और पाखंड ढोंग है। पूंजीवाद और कारखानेदारी का बढ़ना इस युग का एक सत्य है अगर उसके अतिरिक्त कोई और भी सत्य है तो वह इसके सामने टिक नहीं सकता। इस पुरानी सामाजिक और राजनीतिक पद्धति को अब कोई आदर्शवाद बचा नहीं सकता। यद्यपि प्रेमचन्द स्वयं जानसेवक का मिश्रित का कारखाना लगने के पक्ष में नहीं; लेकिन फिर भी कारखाना लगता है और पांडेपुर उजड़ जाता है। यदि इसके मुकाबिला में प्रेमचन्द सूरदासके आदर्शवाद की जीत दिखाते, तो शायद वह ठीक न होता।

गञ्जन

यह उपन्यास मध्यमवर्ग के जीवन को लेकर लिखा गया है। दयानाथ सेवासदन के कृष्णचन्द्र की तरह भला और ईमानदार व्यक्ति है। वह कचहरी में नौकर है और रिश्वत लेने की सुविधा होने पर भी ऐसी कमाई को हराम समझता है। लेकिन जब बेटे के विवाह का अवसर आता है तो वह अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च करता है और कर्ज से लद जाता है।

कर्ज से लद जाने के बावजूद पुत्रबधु जालपा संतुष्ट नहीं होती। वह बचपन से स्वप्न देखती आई थी कि विवाह होगा तो चन्द्रहार पहनेगी। लेकिन दयानाथ और आभूषण तो ले गये मगर चन्द्रहार नहीं बनवा सके। उसे संतुष्ट करने के लिये उसके पति रमानाथ ने बड़ी डींगें मारीं और अपनी हैसियत को बढ़चढ़ाकर कहा। लेकिन उधर विवाह के उपरान्त कर्जवालों के तकाजे बढ़ने लगे। पिता समझते थे कि ब्याह में बहुत सा नकद रुपया मिलेगा और वे बरात से लौटकर कर्ज चुका देंगे। रुपया मिला जरूर; लेकिन वह भी ठाठ बाट में खर्च हो गया। जब समधी बेटो का विवाह इतनी धूमधाम से कर रहा है तो वह क्यों बेटे के विवाह में उदारता न दिखायें? अब कर्ज चुकाने के लिये दयानाथ ने रमानाथ से सलाह की और तय पाया कि कुछ आभूषण सराफ को लौटा दिये जायें। रमानाथ जालपा को वस्तुस्थिति से परिचित करने और आभूषण माँगने के बजाय रात को उसके गहनों का डिब्बा उड़ा लाता है और फिर आप ही उनके चोरी हो जाने का ढंडोरा पीट देता है। जालपा

गहने चले जाने से बहुत दुखी होती है ।

रमानाथ को म्यूनिसिपैलिटी में चुंगी की नौकरी मिल जाती है । उसे तीस रुपया मासिक वेतन मिलता है और इसके अतिरिक्त कुछ ऊपर की आमदनी हो जाती है । रमानाथ जालपा को खुश करने के लिये उसके मन-पसंद आभूषण खरीदता है, जिससे उसके जिम्मे सराफ का छै सौ रुपया कर्ज हो जाता है ।

जालपा पहन ओढ़कर दूसरी स्त्रियों से मिलती है और उसका परिचय हाईकोर्ट के एक एडवोकेट की पत्नी रतन से हो जाता है । रतन को जालपा के जड़ाऊ कंगन बहुत पसंद आते हैं और वह रमानाथ को छै सौ रुपये देकर ऐसे ही कंगन खरीदने को कहती है । सराफ यह रुपये अपने कर्ज खाते में जमा कर लेता है और रमानाथ को उधार कंगन देने से इनकार कर देता है । उधर रतन का कंगनों के लिये तकाजा बढ़ता है । कुछ दिनों तो रमानाथ उनके बनने में देर होने का बहाना करके बात टालता रहता है । अंत में रतन कहती है कि यदि कंगन नहीं बनते तो मेरे रुपये ही वापस ला दो । रमानाथ इस विचार से कि रुपये देखकर रतन शांत हो जायेगी, एक दिन चुंगी के रुपये दाखिल कराने के बजाये घर ले आता है । उसकी अनुपस्थिति में रतन तकाजा करने आती है तो जालपा ये रुपये उठाकर उसे दे देती है ।

अब रमानाथ बड़ी मुश्किल में फंस जाता है । कल रुपया खजाने में दाखिल न हो, तो उस पर गवन का मकदमा चलेगा और उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जायेगा । वह सारा हाल जालपा को बताने के लिये एक पत्र लिखता है और वह अभी इस असमंजस में पड़ा होता है कि पत्र पत्नी को दे या न दे कि पत्र अनायास जालपा के हाथ पड़ जाता है । पत्नी को पत्र पढ़ते देखकर रमानाथ को इतनी लज्जा आती है कि वह घर से भाग खड़ा होता है । जालपा पत्र पढ़कर सब कुछ समझ जाती है और अपने गहने बेचकर रुपया म्यूनिसिपैलिटी को लौटा देती है ।

गाड़ी में रमानाथ की भेंट एक बूढ़े खटिक देवादीन से हो जाती है और वह कलकत्ता पहुँच कर उसी के घर रहने लगता है । बूढ़े खटिक की सब्जी की दकान है जिस पर प्रायः उसकी बुढ़िया पत्नी काम करती है । बूढ़े का स्नेह देख कर रमानाथ उसे अपने पिता के सदृश मानने लगता है और घर से भागने का सारा हाल बता देता है । रमानाथ वहाँ अपने आपको ब्राह्मण घोषित करता है और पुलिस के भय से छिप-छिप कर सावधानी और सतर्कता से रहता है । लेकिन एक दिन जब वह ड्रामा देख कर लौट रहा होता है, पुलिस

वाले उसे खामहखाह अपनी नजर से ओभल होते देखकर गिरफ्तार कर लेते हैं। थाने में जाकर वह आप ही म्यूनिसिपैलिटी के रुपये ग़वन करने की बात कह देता है। पुलिस वाले टैलीफ़ोन द्वारा इलाहाबाद पुलिस और म्यूनिसिपैलिटी से बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रमानाथ चुङ्गी में मुँशी ज़रूर था; पर उसने कोई ग़वन नहीं किया। कारण, जालपा ने रुपये दाखिल कर दिये थे।

लेकिन पुलिस उसे छोड़ती नहीं। उन्होंने देशभक्त क्रान्तिकारियों पर एक भूठा मुकदमा बना रखा है। वे रमानाथ को उसमें वादा मुआफ़ गवाह बन कर क्रान्तिकारियों के विरुद्ध अपना पड़ाया हुआ बयान देने को कहते हैं। रमानाथ पहले तो उनकी बात मानने से इन्कार करता है, लेकिन बाद में जेल जानेके भयसे कांप उठता है और छूटने के मोहसे पुलिस की बात मान लेता है।

रमानाथ पुलिस का पड़ाया बयान अदावत में देता है और उसके आधार पर क्रान्तिकारियों को लम्बी-लम्बी सजायें हो जाती हैं। इससे सब लोग और खुद देवीदीन रमानाथ से घृणा करने लग जाते हैं।

रमानाथ की गिरफ्तारी से पहले जालपा ने रतन की सलाह से शतरंज का एक नक्शा समाचार पत्रों में प्रकाशित करके घोषित किया था कि उसे हल करने वाले को ५०) का इनाम दिया जायगा। रमानाथ ने नक्शा भरकर वह इनाम प्राप्त किया था जिससे घर वालों को मालूम हो गया था कि रमानाथ कलकत्ता में है।

जालपा रमानाथ को खोज में कलकत्ता आती है और उसी खटिक के घर ठहरती है। उसे यह जान कर बहुत दुख होता है कि रमानाथ एक भूठे मुकदमा में मुख़्तार बन गया है। उसे इस कुचक्र से निकालने के लिये वह रमानाथ को सूचित करती है कि उस पर कोई सरकारी रकम नहीं है। लेकिन वह पुलिस के जाल में ऐसा फंसा है कि उसके लिये निकलना कठिन हो जाता है।

इस बीच में रतन का बूढ़ा पति बीमार पड़ जाता है और वह उसका इलाज कराने कलकत्ता आती है। वह जालपा से भेंट करती है और उसकी हर तरह सहायता करती है। उसका पति इसी बीमारी में मर जाता है।

क्रान्तिकारियों को सज़ा हो जाने के बाद रमानाथ के मन में अपने प्रति बड़ी ग्लानि उत्पन्न होती है और एक बार जब वह पुलिस द्वारा मिले हुए आभूषण लेकर जालपा के पास आता है तो जालपा उन्हें घृणा से ठकरा

देती है। इसके बाद जालपा एक क्रान्तिकारी की बूढ़ी माता की सेवा करने में जीवन बिताने लगती है।

और उपन्यास का अन्त या होता है कि एक वेश्या जोहरा की सहायता से, जो रमानाथ का मन बहलाने के लिये पुलिस द्वारा लाई गई है, वह इस कुचक्र से निकलने में सफल हो जाता है। वह हाईकोर्ट के जज से मिलकर पुलिस के भूठ का सारा कच्चा चिट्ठा कह देता है। मुकदमा हाईकोर्ट में फिर सुना जाता है और रमानाथ के बयान बदलने पर सारे कैदी रिहा कर दिये जाते हैं। रमानाथ, जालपा और उसका पिता गंगा के तट पर खेती करने लगते हैं। जोहरा भी उनके साथ रहती है; पर एक दिन स्नान करते समय गंगा की तेज धारा में बह जाती है।

इस उपन्यास में मध्यम वर्ग की स्थिति को भली प्रकार से दिखाया गया है। इस विषय पर प्रेमचन्द की यह सफल कृति कही जा सकती है। हमारे समाज के मध्यमवर्ग के लोग दिखावे और बिडम्बना को बहुत पसन्द करते हैं। इसी लिये रीतिरिवाज में फंसे रहते हैं। शादी विवाह पर वे अपनी स्थिति से बढ़ कर खर्च करते हैं और खाहमखाह अपने आपको धनी दिखाने की चेष्टा करते हैं। इसी कारण वे कर्ज में धंसते चले जाते हैं और जीवन भूठी प्रतिष्ठा बनाये रखने के कारण दुख में गुजरता है। इसी कारण से वे श्रम तक करने पर मजबूर होते हैं। ऊँचे उठने की व्यर्थ चेष्टा करते-करते मजदूर और किसान बनने पर मजबूर हो जाते हैं। हर एक मध्यमवर्गी नौजवान की यह कोशिश होती है कि उसके पास बहुत-सा धन हो। उसके सगे सम्बन्धी और संगी साथी उसे बड़ा धन्नाशाह समझ कर उसका सम्मान करें। रमानाथ इस वर्ग का टाईप चरित्र है। रमानाथ की तरह यह वर्ग बहुत ही छिछला और दुलमुल विश्वास का होता है। उसके संकल्प अधिक देर ठहरते नहीं। अपनी दुर्बल मनोवृत्ति के कारण अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करते पर वह विवश हो जाता है। इस वर्ग के कुछ कार्यकुशल और बुद्धिजीवी लोग इन्द्रभूषण वकील की तरह सम्पत्तिशाली बन कर ऊँचे वर्ग में पहुँच जाते हैं और बहुत से लोग रमानाथ के पिता दयानाथ की तरह नीचे स्तर पर पड़े रहने ही में सुखी और अपनी ईमानदारी पर संतुष्ट रहते हैं; लेकिन दिखावे का मोह वे भी नहीं छोड़ सकते। अर्थात् उनका संतोष और ईमानदारी मजबूती का द्रस्स नाम है।

रमानाथ जैसा कि हम कह चुके हैं एक समूचे वर्ग का प्रतिनिधि है। उसमें इतना दिखावा और बिडम्बना है कि वह अपनी पत्नी जालपा से भी घर की

असल हालत छिपाता है और अपने धनी होने की डींग मारता है। इस बिडम्बना और दिखावे के कारण वह हैसियत से बढ़कर खर्च करता है, रिश्वत लेता है, गहने कर्ज लेता है और फिर भी पत्नी से स्पष्ट बात न कह सकने के कारण झूठी लज्जा के मारे घर से निकल जाता है। चूंकि यह वर्ग पूर्णतः व्यक्तिवादी और स्वार्थी होता है, इसलिये रमानाथ न चाहते हुए भी पुलिस का मुखबिर बन जाता है। यह ठीक है कि इस वर्ग के लोगों को अवसर मिले तो वे अच्छा बनने को भी तैयार रहते हैं और अपने पाप का पश्चाताप करते हैं। रमानाथ भी ऐसा ही करता है।

इस उपन्यास का सबसे उज्वल और प्यारा चरित्र देवी दीन खटिक का है। वह भी इसी वर्ग का व्यक्ति है; लेकिन बाबू नहीं श्रमजीवी है। वह बहुत उदार और सहृदय है। वह मनुष्य से मनुष्य के नाते प्रेम करता है और मनुष्यता को आगे बढ़ानेवाले आदर्शों का अपने आचरण और त्याग से पालन करता है। उसके दो बेटे विदेशी कपड़े की दुकान पर पिकेटींग करते हुए शहीद हो जाते हैं। मगर वह उनकी मृत्यु से निराश नहीं होता, बल्कि सत्याग्रही खुद बनकर पिकेटींग जारी रखता है। इस त्याग के बावजूद वह अपनी देशभक्ति की डींग नहीं मारता। वह अपढ़ है लेकिन जीवन के अनुभवों से उसने समाज के समस्त स्तरों को समझ लिया है। रमानाथ जब सर्दी से बचने के लिये दान का कम्बल लेकर आता है, तो वह इसे पसंद नहीं करता, बल्कि कम्बल बाँटने वाले सेठ पर कटाक्ष करते हुए कहता है:—“सेठ की जूट की मिल है। मजदूरों के साथ जितनी निर्दयता उसके मिल में होती है, और कहीं नहीं होती। आदमियों को हंटरो से पिटाता है, हंटरो से! चरबी मिला घी बेचकर उसने लाखों कमा लिये, कोई नौकर एक मिनट की भी देर करे तो तुरन्त तलब कर लेता है। अगर साल में दो-चार हजार का दान न कर दे, तो पाप का धन कैसे पचाये।” इसी प्रकार वह देश के बगुला भक्त नेताओं के बारे में कहता है—“गरीबों को लूटकर विलायत का घर भरना तुम्हारा काम है। हाँ रोये जाओ, विलायती शराबें उड़ा लो, विलायती मोटरें दौड़ा लो, विलायती मुर्बबे और अचार चखो……पर देश के नाम पर रोये जाओ।” देवीदीन का यह अनुभव प्रेमचन्द का यथार्थवाद है।

वकील इन्द्रभरण उन लोगों में से है, जो अपनी बुद्धि और योग्यता धन पैदा करने में खर्च करते हैं। उन्हें देशसेवा और समाजसेवा से कोई सरोकार नहीं। वे विचारों की एक सीमित परिधि को ही सभ्यता और स्वतंत्रता मानते हैं। वे धन कमाकर बहुत-सी सम्पत्ति जुड़ाते हैं और फिर इस सम्पत्ति का एक

वारिस छोड़ जाने के लिये विवाह करते हैं। इन्द्रभूषण इसीलिये बुढ़ापे में दूसरा व्याह करता है और आखिर इस ग़म में धुल-धुलकर मर जाता है कि उसका कोई पुत्र नहीं है।

जालपा का चरित्र प्रेमचन्द के मन के अनुसार आदर्श महिला का चरित्र हो सकता है; लेकिन स्वभाविक नहीं है। उसका पिता जमींदार का मुख्तार है। वह सामंती वातावरण में पली हुई लड़की है। दिखावे और आभूषणों की भूखी है। अधिक पढ़ी-लिखी भी नहीं और अनुभव से भी अधिक सामाजिक ज्ञान नहीं रखती। फिर उसका एकदम रमानाथ की खोज में कलकत्ता जाना, कान्तकारियों का पक्ष लेकर पति से घृणा करना उसके लिये असम्भव-सा दीख पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अपने स्वभाव को अकस्मात् नहीं बदल सकता। जन्म और वातावरण के संस्कारों को एकदम छोड़ देना बहुत कठिन होता है। उसके लिये बहुत देर तक विभिन्न परिस्थितियों में रहना पड़ता है और नई विचारधारा का अनुकरण करना पड़ता है। मनुष्य का बदलना इतना सहज नहीं है जितना जालपा के चरित्र में दिखाया गया है।

देवीदीन की वृद्धा पत्नी भी पाठकों की सहानुभूति और श्रद्धा की पात्र है। वह ऊपर से बहुत ही कठोर, चिढ़-चिढ़ी और स्वार्थरत जान पड़ती है। लेकिन उसके हृदयस्तल में शुद्ध स्वच्छ स्नेह का स्रोत छिपा हुआ है, जो रमानाथ से तनिक-सा आदर पाकर फूट निकलता है। फिर वह रमानाथ और जालपा को अपने पुत्र और पुत्र-बधू की तरह प्यार करती हैं। उनके हित के लिये कष्ट सहती हैं और भरसक त्याग करती हैं।

इस उपन्यास का कथानक रमानाथ के कलकत्ते भागने तक तो ठीक चलता है। लेकिन उसके बाद कथानक का ताना-बाना उलझ जाता है और उसमें बहुत से भ्रोल पड़ जाते हैं। कान्तकारियों के मुकदमे और रमानाथ को मखबिर बनाकर प्रेमचन्द ने पुलिस के हथकैंडों और अदालतों के भ्रूठ की पोल तो ठीक खोली है; लेकिन यज्ञाँ कहानी उलझ गई है। एक बार हाईकोर्ट में सजा हो जाने के उपरांत मुकदमा दोबारा सुने जाने की बात जँचती नहीं।

कर्म-भूमि

“कर्मभूमि” सन् १९३२ में लिखा गया। इस उपन्यास की सामग्री उस समय के सत्याग्रह आन्दोलन से ली गई है। अपनी मूल पुस्तक के ‘समर-यात्रा’ परिच्छेद में हम इस उपन्यास की राजनीतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि को विस्तार से अंकित कर चुके हैं। उसे दोहराना व्यर्थ है। संक्षेप में इसकी कहानी यह है।

अमरकांत बनारस के सेठ समरकांत का बेटा है। वह शुद्ध खहर पहनता

है, चर्खा चलाता है और सार्वजनिक कार्यों में भाग लेता है। इसलिये बाप-बेटे की नहीं बनती। अमरकांत के पास स्कूल की फीस तक देने को पैसे नहीं होते, वह भी समय-समय पर उसका मित्र सलीम अदा कर देता है। अमरकांत की माँ बचपन में मर गई थी। पिता ने दूसरा ब्याह कराया था तमसे एक लड़की नैना है। भाई-बहन में खूब प्रेम है। दूसरी पत्नी मरने के पश्चात् अमरकांत ने फिर अपना ब्याह नहीं कराया। सूना घर आबाद करने के लिये अमर की शादी सुखदा से कर दी है।

सुखदा को विधवा माँ से बहुत बड़ी जायदाद मिलने वाली है। वह भी पति से इसलिये भगड़ती रहती है कि वह क्यों बेकार के कामों में समय नष्ट करता है, व्यापार में पिता का हाथ क्यों नहीं बटाता? लेकिन वह डाक्टर शांतिकुमार और दूसरे मित्रों के साथ ग्राम-सेवा के लिये जाया करता है।

पत्नी से प्रेम न पाकर अमर सकीन्ना की ओर आकर्षित होता है। उन दोनों का प्रेम और घर का भगड़ा बढ़ता है। आखिर एक दिन अमर पिता से कहता है—“दादा, आपके घर में मेरा इतना जीवन नष्ट हो गया, अब मैं उसे और नष्ट नहीं करना चाहता। आदमी का जीवन केवल खाने और मर जाने के लिये नहीं होता, न धन-संचय उसका उद्देश्य है। जिस दशा में मैं हूँ, वह मेरे लिये असहनीय हो गई है। मैं एक नये जीवन का सूत्रपात करने जा रहा हूँ...।” इतना कह वह घर से चला जाता है और चमारों के एक गांव में जाकर रहने लगता है।

अमर के चले जाने पर सुखदा की आँखें खलती हैं और वह पति के आदर्श पर चलने के लिये जन-सेवा के कार्यों में भाग लेने लगती है। शहर में अछूतों के लिये मंदिर खुलवाने का आंदोलन चलता है। सुखदा डाक्टर शांतिकुमार आदि के साथ उसमें बढ़-चढ़कर भाग लेती है। आंदोलन सफल हो जाता है। नैना का विवाह धनीराम के बेटे मनीराम से हो जाता है।

अमर चमारों के गांव में है और जन-सेवा का कार्य कर रहा है। उस इलाके के जमींदार एक महन्तजी हैं, जो ठीक 'सेवासदन' के महन्त श्री बांके बिहारी लालजी का ही एक दूसरा चित्र है और ठीक उन्हीं की तरह आसामियों का शोषण करते हैं। इस शोषण से किसानों की आर्थिक दशा बिगड़ जाती है और अमरकांत के नेतृत्व में लगानबंदी का आंदोलन चलता है। अमरकांत शोषण पद्धति के विरुद्ध किसानों के क्रोध को शांत करके आंदोलन अहिंसावादी ढंग से चलाता है।

उसका मित्र सलीम आई० सी० एस० में पास होकर इस इलाके में नियुक्त

होता है और वही सरकार के हुक्म से अमर को गिरफ्तार करता है। लेकिन अंत में वह भी किसानों का पक्ष लेकर जेल चला जाता है। उधर शहर में अछूतों के लिये अच्छे मकान बनवाने का आंदोलन चल रहा है जिसमें शांति-कुमार, सुखदा और उसकी माँ रेणुकादेवी आदि बहुत लोग गिरफ्तार होकर जेल में आते हैं। अमर का बाप भी बेटे की खोज में गांव जाता है और किसान आंदोलन के सिलसिले में गिरफ्तार होकर जेल पहुँच जाता है।

आंदोलन इतना आगे बढ़ता है कि आखिर सरकार झुक जाती है। गवर्नर फँसला करता है कि लगानबंदी के सम्बन्ध में पाँच व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई जाय, जिसमें अमरकांत और सलीम भी शामिल हों। सब प्रसन्न होते हैं कि वाह कितना सुन्दर फँसला है।

इसमें संदेह नहीं कि यह उपन्यास विशेषतः राजनीतिक आंदोलन और उसके अछूतोंद्वारा सम्बन्धी पहलू को लेकर लिखा गया है, लेकिन इससे सूदखोरी और चोरी के माल पर चलने वाले व्यापार, पिता-पुत्र और पति-पत्नी के एक दूसरे को गुलाम बनाये रखने वाले प्राणहीन सम्बन्ध, निकम्मी शिक्षा-पद्धति, पढ़े लिखे लोगों का स्वार्थ, सरकारी घूसखोरी और जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण पर भी बहुत अच्छा प्रकाश पड़ता है। प्रेमचन्द गो सुधारवाद और सत्याग्रह के सिद्धान्त को लेकर चलते हैं, लेकिन उनकी जड़ें हमारे जनजीवन में बहुत दूर तक चली गई थीं और उन्होंने अपने अनुभव से देख लिया था कि वर्ग शोषण, घूसखोरी, सूदखोरी और अंधविश्वास के दीमक ने इस समाज को चाट-चाट कर इतना खोखला कर दिया है कि उसमें अब जान बाकी नहीं है। इसलिये वह इस समाज का अन्त करके नवजीवन निर्माण करने वाली शक्तियों को उभारते हैं। लेकिन जब इस जर्जर समाज का अन्त करने के लिये यह शक्तियाँ आक्रमण करती हैं, तो प्रेमचन्द अकस्मात् हाथ रोक लेते हैं। हाथ इसलिये रोक लेते हैं कि उन्हें सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करना होता है। यहीं उनकी कला कुंठित हो जाती है और यहीं उनके आदर्श पात्र पाठक की श्रद्धा और सम्मान से वंचित हो जाते हैं। मन्मथनाथ गुप्त आदि ने लिखा है कि प्रेमचन्द अपने पात्रों का मनो-वैज्ञानिक चित्रण नहीं कर पाते। उनमें जो अनायास परिवर्तन होता है, उसे तर्कप्रिय बुद्धि मानती नहीं। हम इस बात को नहीं मानते कि प्रेमचन्द में पात्रों का मनोवैज्ञानिक चित्रण नहीं होता। वह होता है और बहुत अधिक मात्रा में होता है। लेकिन जब वे अस्वाभाविक सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने के लिये यथार्थवाद की उपेक्षा करते हैं, वहीँ मनोविज्ञान का दामन भी उनके हाथ से

छूट जाता है।

हम इस पुस्तक के 'समरयात्रा' 'कर्म' और 'कला' परिच्छेदों में अमरकांत के चरित्र का विश्लेषण भली प्रकार कर चके हैं। प्रेमचन्द के कथनानुसार वह इस उपन्यास का आदर्शमात्र है। वह क्रान्ति और नवजावन के निर्माण में विश्वास रखता है और अपने इन विचारों को कार्यान्वित करने के लिये वह पिता के घर को छोड़कर चला जाता है। लेकिन अन्त में अपनी वर्गगत असंगतियों के कारण क्रान्ति को सुधारवाद के मार्ग पर डाल देता है, सरकार से समझौता करके खुश होता है और अपने सखोर पिता के साथ फिर घर लौट आता है।

काँग्रेस आंदोलन की तरह इस उपन्यास में भी आंदोलन शहर तक सीमित रहता है और उसका नेतृत्व मध्यमवर्ग के नौजवान अमर, सलीम और डाक्टर शान्ति कुमार अथवा सेठ समरकांत और धनीराम करते हैं। जब आंदोलन किसानों, मजदूरों में फैलता है और क्रान्ति का रूप धारण करता है, तो यह लोग भट सरकार से समझौता कर लेते हैं। जिस प्रकार सन् १९३० का जनआंदोलन अर्थात् नमक सत्याग्रह गांधी-इविन समझौते में खत्म हुआ था, उसी प्रकार यह आंदोलन भी लगानवंदी के सम्बन्ध में पांच व्यक्तियों की एक कमेटी बनवाकर बंद हो जाता है और यह समझौता ही हमारे जनआंदोलन की सबसे बड़ी ट्रेजिडी रही है।

इतना होने पर भी इस उपन्यास में यथार्थवाद की मात्रा बहुत अधिक है। सिद्धान्त सिर्फ ऊपर ऊपर रहते हैं, वे उपन्यास का प्लाट बनाते हैं लेकिन कहानी वस्तुस्थिति को लेकर आगे बढ़ती है और हमारे जनजीवन का बहुत सच्चा चित्रण हमें मिलता है। यदि अछूतोद्धार ही की बात ली जाये तो गांधीजी के सुधारवादी अछूतोद्धार से प्रेमचन्द का अछूतोद्धार बुनियादी तौर पर भिन्न है। गांधीजी अछूतों के लिये नागरिक अधिकार मांगते थे लेकिन उनकी दीन दशा में निहित आर्थिक शोषण को नहीं देखते थे। प्रेमचन्द यथार्थवादी होने के नाते इस आर्थिक शोषण को भी देखते हैं और अछूतोद्धार को महज शहरों तक सीमित रखने के बजाये देहात में भी ले जाते हैं। चमार असामियों और खेत मजदूरों के शोषण को भी दर्शाते हैं। और इस शोषण को चित्रित करते समय ही उनकी कला स्वस्थ और प्रभावशाली बनी रहती है और यहीं वे अपने पात्रों का मनोवैज्ञानिक चित्रण कर पाते हैं। उनकी मन्नी और बढिया सलोत्ती पर हजार अमरकान्त, शान्ति कुमार और सुखदा कुर्बान की ज सकर्ती हैं। उनका त्याग और मानवप्रेम सीधा सच्चा और स्वार्थ-रहित है।

वे अपढ़ होते हुए भी गहरे अनुभव के कारण बहुत अच्छा जीवन-ज्ञान रखती हैं। वे यथार्थवादी और कर्मशील हैं। मुन्नी आदर्शवादी अमरकान्त से कहती है—
लाला, तुम मुझे रोना सिखाते हो, मैं तुम्हें नाचना सिखाऊँगी।”

गोदान

गोदान प्रेमचन्द की सर्वोत्तम कृति है। यह एक महाकाव्य है। पढ़िये बार-बार पढ़िये, तवीयत नहीं भरती। महाकाव्य की कहानी कहना पाठकों को उसके रससे वंचित करना है। तो भी, थोड़े में उसकी कहानी यह है।

होरी चार पांच बीघे जमीन जोतने वाला एक मामूली किसान है। उसकी तीन संताने हैं। एक लड़का, जिसका नाम गोबर है और सोना और रूपा दो कन्यायें हैं। धनिया उसकी पत्नी हैं। पति पत्नी में कई बार झगड़ा भी हो जाता है। होरी अपने इलाका के जमींदार अमरपालसिंह को प्रायः सलाम करने जाता है; मगर गोबर को यह खुशामद पसंद नहीं है। कड़ी मेहनत करने के बावजूद होरी का जीवन दरिद्रता में व्यतीत होता है। उसके जीवन की सब से बड़ी साध यह है कि भगवान सामर्थ्य दे तो एक गाय खरीद ले। आखिर भाला स उसे गाये उधार मिल जाती है। लेकिन वह थोड़े ही दिन उसके पास रह पाती है क्योंकि उसका भाई हीरा ईर्ष्या के कारण उसे विष दे देता है।

इसी बीच में गोबर का भोला की विधवा कन्या भुनिया से प्रेम हो जाता है। वह उसे घर तो ले आता है; लेकिन इस डर से कि माता-पिता शायद उसे नहीं रखेंगे, वह भुनिया को छोड़ कर शहर चला जाता है। वहाँ जाकर पहले खोमचा लगाता है और फिर मजदूरी करने लगता है। धनिया पहले तो दुविधा में पड़ जाती है; लेकिन फिर भुनिया को घर में रख लेती है।

होरी कुछ रुपया कर्ज लेकर अपनी कन्या सोना का विवाह कर देता है। फिर वह कर्ज कभी नहीं उतरता, जमींदार के कर और सरकारी कर्मचारियों की लूटखसोट, धर्म के ठेकेदारों के दंड उसकी कमर तोड़े डालते हैं। आखिर वह अपनी छोटी लड़की रूपा का विवाह रुपया लेकर एक बड़े आदमी से करता है। दरिद्रता फिर भी दूर नहीं होती। अंत में वह अपनी सब से प्रिय वस्तु जमीन बेच कर किसान से मजदूर बनने पर मजबूर हो जाता है। अब उसे इतना कठिन काम करना पड़ता है कि उसकी देह टूट जाती है और एक दिन लू लगने से ऐसा बीमार होता है कि फिर उठ नहीं सकता। उसकी आँखों में जीवन के सब दृश्य नाच उठते हैं। अंत समय में भी गाय की लालसा उसे क्षुब्ध कर

रही होती है। उस समय मातादीन, जो अपना घर भरने के लिये महाजन भी है और ब्राह्मण भी है, धनिया से कहता है—“अब गोदान करादो यही समय है।” धनिया के घर में बीस आने के पैसे हैं, उन्हें वह मातादीन के हाथ में देकर बोली—“महाराज घरमें गाय है और न बछिया, यह पैसे हैं। यही उनका गोदान है”—इतना कह कर वह बेहोश हो जाती है।

प्रेमचन्द पहले लेखक थे जिन्होंने हमारे देश के किसानों और निम्न वर्ग के लोगों को अपनी कहानियों और उपन्यासों का नायक बनाया। वे हमारे देश के किसान-जीवन का न सिर्फ बहुत अधिक ज्ञान रखते थे बल्कि किसानों से उन्हें सच्ची सहानुभूति भी थी। वे किसानों को हमारे समाज का सब से शोषित और दरिद्र वर्ग समझते थे। होरी इस समूचे वर्ग का प्रतीक है। होरी का जीवन किसी एक व्यक्ति का जीवन नहीं, साधारण किसान का जीवन है। उसका दुख हमारे देश के समस्त किसानों का दुख है। दरअसल एक किसान के लिये जन्मना, मरना गौण बातें हैं। दुखही उसके जीवन का एकमात्र सत्य है। मृत्यु भी इस दुख का अन्त नहीं करती। किसान उसे अपने बच्चों के लिये विरासत में छोड़ जाता है।

प्रेमचन्द ने होरी की जीवन-कहानी में दुख को संप्राण और मूर्तिमान कर दिया है। यही इस उपन्यास की विशेषता और महानता है।

इस उपन्यास में प्रेमचन्द अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़ कर एक दम बहुत आगे बढ़ आये हैं। अपने पहले उपन्यासों में वे जो समस्याएँ उठाते थे, उनका कोई न कोई सुधारवादी हल पेश करते थे। कहीं उनके जमींदार और धनी पात्रों का हृदय परिवर्तन होता है और कहीं प्रेमाश्रम और सेवाश्रम खोले जाते हैं। लेकिन इस उपन्यास में शुद्ध यथार्थ रूप से जीवन-कहानी आगे बढ़ती है। इस उपन्यास में जमींदार-जमींदार ही रहता है। वह धर्म-कर्म और न्याय की बातें करता है; लेकिन अपने स्वार्थ को नहीं छोड़ता। और किसान उसकी दशा सुधरने की बजाय विगड़ती ही जाती है। अंत में वह किसान भी नहीं रह पाता। अपनी चार पाँच बीघे जमीन बेच कर किसान से मजदूर बनने पर विवश होता है। फिर भी दुख बढ़ते ही रहते हैं। आखिर वह इनके वोभतले दब कर दम तोड़ देता है। अर्थात् प्रेमचन्द ने वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को अपने स्त्री शोषण और अन्याय के कारण टूटते दिखाया है। होरी मर जाता है, धनिया बेहोश हो जाती है और पाठक सोचने लगता है 'यह समाज गया। कोई सुधार और उपचार इस व्यवस्था को टूटने से नहीं बचा सकता, अब तो जीवन के नवनिर्माण की बात सोचना ही हितकर है।'

हिंदी के लगभग सभी लेखकोंने यह एतराज उठाया है कि गोदान सुगठित रचना नहीं है। अर्थात् इसमें दो कहानियाँ साथ-साथ चलती हैं। एक होरी की कहानी है, जिसमें हमें किसान जीवन का दिग्दर्शन होता है और दूसरी खन्ना महता और मालती की कहानी है, जो हमें अकारण ही नगर में खींच ले जाती है; इसका असल कहानी से कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि तनिक ध्यान से देखा जाय तो यह एतराज दुरुस्त नहीं है। लेनिन ने कहा है कि 'समस्त वर्गों की जानकारी प्राप्त करके ही इस वर्ग विभाजित समाज को समझा जा सकता है।' प्रेमचन्द ने अपने जीवन-अनुभव से इस कथन के मर्म को समझ लिया था। इसलिये उन्होंने प्रत्येक वर्ग के प्रतीक पात्र लेकर समूचे समाज का सुन्दर चित्रण किया है। जमींदार अमरपाल उद्योगपति खन्ना, स्वार्थी पत्रकार श्रींकारदास, चनाव विशेषज्ञ तन्खा—सभी आकाश बेलें हैं। दूसरों की मेहनत खूंसनेवाली जोंके हैं। दूसरों को बेवकूफ बनाने वाली मालती और किताबी फल-सफा बिघारने वाले मेहनता भी जीवन को सुन्दर और स्वस्थ बनाने के लिये कोई निर्माण-कार्य नहीं करते। मेहनत सिर्फ किसान करता है। इन लोगों की कथित सभ्यता के होठों पर लाली किसान के खून से आती है। इस कहानी को हटा दीजिये तो होरी का—अर्थात् इस समाज का चित्र अधूरा ही रह जायेगा। दुख को मूर्तिमान करने के लिये यही तो उपयुक्त पृष्ठभूमि है। जमींदार अमरपाल-सिद्ध दोनों के बीच की कडी है। इसलिये नगर की कहानी इस उपन्यास का अविभाजित अंग है।

इस उपन्यास में होरी और धनिया का चरित्र चित्रण बहुत ही सुन्दर हुआ है। उनमें वे सभी गुण और दोष मौजूद हैं जो देहात में रहने वाली हमारी जनता में हो सकते हैं। उनके हृदय उदार और विशाल हैं और वे मनुष्य से मनुष्य के नाते प्रेम करते हैं। लेकिन दरिद्रता उन्हें कई बार अपने स्वभाव के विरुद्ध आचरण ग्रहण करने पर विवश कर देती है। स्वार्थवश होरी अपने भाई से पांच-सात रुपये की बेईमानी करने को तैयार हो जाता है। लेकिन जब उसी भाईपर संकट आता है तो होरी अपना स्वार्थ एकदम भूल जाता है। भाई की निंदा के भय से गाय को विष देने की बात छिपाये रखना चाहता है। जब धनिया कह देती है, तो वह उसे पीटता है और दारोगा को रिश्वत देने के लिये ३०) कर्जुं लेता है। ३०) उसके लिये बहुत बड़ा त्याग है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब मानवता की परख का समय आता है तो होरी खोटा नहीं खरा—सोलह आने खरा सिद्ध होता है। वह हमारी श्रद्धा, प्रेम और सहानुभूति का पात्र है। कितने ही आलोचकों और खुद प्रेमचन्द के बड़े लड़के श्रीपतराय

का कहना है कि होरी में प्रेमचन्द ने अपने ही व्यक्तित्व को अंकित किया है। होरी के जीवन में प्रेमचन्द के जीवन का एक बहुत बड़ा अंश शामिल है। पढ़ते समय हमें ऐसा ही लगता है।

कुछ भी हो, हिंदी उर्दू साहित्य का होरी एक महान् पात्र है। शायद हम आगामी पचास वर्ष में भी उसकी टक्कर के पात्र का निर्माण न कर सकें

धनिया बहुत साहसी औरत है। वह जिस बात को ठीक समझ ले, फिर समाज, बिरादरी, नियम, कानून किसी बात की परवा नहीं करती, उसे कर डालती है। गोबर जब भुनिया को छोड़कर भाग जाता है तो वह उसे कायर कहती है; जिसकी एक बार बांह पकड़ली उसे फिर क्या छोड़ना। बिरादरी का विरोध मोल लेकर भी वह भुनिया को घर में रखती है और सिलिया को भी आश्रय देती है। अपने अदम्य साहस और कर्मशीलता के कारण वह कई बार गांव भर का नेतृत्व करती हुई दीख पड़ती है। उदाहरणतः जब दारोगा गाय को जहर देने के मामले में रिश्वत मांगता है और न मिलते देख कर जेल भेजने का भय दिखाता है “धनिया हाथ मटकाकर बोली, हाँ दे दिया अपनी गाय थी, मार डाली फिर? किसी दूसरे का जानवर तो नहीं मारा? तुम्हारी जाँच में यही निकलता है तो यह लिखो, पहनादो मेरे हाथ में हथकड़ी।” सब उसका मुँह देखते रह जाते हैं।

वह बहुत ही व्यवहारकुशल औरत है। अपने आचरण से होरी की दुर्बलताओं को भी ढांप लेती है। होरी कई बार हवा में उड़ता है, तो वह यथार्थ बात कहती है। दोनों अपढ़ और दरिद्र हैं; लेकिन खूब हैं और उन दोनों की जोड़ी भी खूब है।

अमरपालसिंह का चरित्र औपनिवेशिक व्यवस्था के नये-जमींदार का प्रतीक है। उनके जीवन का खुलासा इतने ही में हो जाता है कि वे पिछले सत्याग्रह में कौंसिल की मैम्बरो लूटकर जेल काट आये हैं। तभी से उनकी असांभियों को उनसे बड़ी श्रद्धा हो गई है। ताबान बंगार की सख्ती उसी तरह है, बल्कि पहले से कुछ अधिक है। लेकिन उसकी बदनामी मख्तारों के सिर है। फिर दान-पुन्य और धर्म-कर्म के भी पूरे हैं क्योंकि पिता की सम्पत्ति के साथ उन्होंने राम की भक्ति भी विरासत पाई है। जाहिर है कि यह सब शोषण को ढाँपने और बड़ा कहलाने के लिये है।

गोबर का चरित्र एक उभरते हुए नई पद्धति के नौजवान का चरित्र है। बड़े व्यक्तियों में उसे श्रद्धा नहीं। वह जमींदारी व्यवस्था, सूदखोरी और धर्म के नाम पर चल रही ठगगी को खत्म करना चाहता है। पिता का जमींदार

की खुशामद के लिये जाना उसे अच्छा नहीं लगता । लेकिन जब वह शहर में जाकर खोमचा लगाता है और कुछ रुपये जोड़ लेता है, तो वह भी उस रुपये को सूद पर देता है और बहुत ऊँचे दर पर देता है । फिर मजदूर बन कर इस वर्ग की नई चेतना पाकर आगे बढ़ने के बजाय बुराई सीखता है । इसलिये आरम्भ में पाठक को उससे जो आशा बंधती है कि वह क्रान्तिकारी बनेगा, वह अंत में टूट जाती है ।

इसका कारण हम यह समझते हैं कि प्रेमचन्द वास्तव में किसानों के लेखक थे । वे उद्योग के विस्तार और कारखानों को अच्छा नहीं समझते थे । उन्हें दुख था कि किसान नगर में आकर मजदूर बनते हैं और बुराईयाँ सीखते हैं । उन्होंने अभी मजदूर के ऐतिहासिक रोल को नहीं समझा था । यही उनका रूढ़िवाद था जो गोबर में अकित हो गया है ।

मंगल-सूत्र

मंगलसूत्र प्रेमचन्द का अधूरा उपन्यास है । उन्होंने यह उपन्यास बीमारी की हालत में लिखना शुरू किया था । अभी चार परिच्छेद ही लिखने पाये थे कि मृत्यु ने उनकी जीवन कहानी का अन्त कर दिया । इस उपन्यास का नायक देवकुमार है । वह एक लेखक है । लेकिन लिखने से उसे कोई आर्थिक लाभ नहीं होता, बल्कि यह 'व्यसन' पालकर पूर्वजों की सम्पत्ति भी खो बैठा है और दरिद्र बन गया है । उसके दो बेटे हैं । बड़ा बेटा संतकुमार वकील है । उसे पिता के आदर्शों से कोई सहानुभूति नहीं, वह जैसे-तैसे धन कमाना और ठाठ से जीवन बिताना चाहता है । लेकिन छोटे लड़के साधुकुमार का आचरण पिता के अनुरूप है । वह धन के मुकाबिले में आदर्श को महत्त्व देता है । लेखक की एक लड़की पंकजा है जिसका विवाह हो गया है ।

ऐसा लगता है कि प्रेमचन्द इस उपन्यास में अपनी ही जीवनकथा लिख रहे थे । देवकुमार वे स्वयं हैं और संतकुमार और साधुकुमार उनके दो बेटे श्रीपतराय और अमृतराय हैं । उनकी एक कन्या थी जिसका उन्होंने ब्याह कर दिया था ।

देवकुमार के बारे में लिखा है—“साहित्य सेवा के सिवा उन्हें और किसी काम में रुचि न हुई और यहाँ धन कहां ?—हां, यश मिला और उनके आत्म-संतोष के लिये इतना ही काफी था” लेकिन आत्मसंतोष के बावजूद धनाभाव प्रायः अखरता है और वे लिखते हैं कि इस लिखने से तो घास छोलना और खोमचा लगाना कहीं अच्छा है । यह सब क्यों है ? इसलिये कि श्रम का शोषण होता है । इस शोषण व्यवस्था में साहित्य और संस्कृति फलफूल नहीं सकती ।

जब लोग अपढ़ होंगे तो उनका लेखक आप ही दरिद्र होगा। इस उपन्यास में लेखक “भेड़ियों से घिरी इस दुनिया में सशस्त्र” होने की सलाह देता है। लेकिन क्रान्ति का नेतृत्व यदि मजदूर के बजाय मध्यमवर्ग करे तो इससे अराजकता-वादी विचारों का पोषण होता है। यह उपन्यास जितना लिखा गया है उतना मध्यमवर्ग के ही बारे में है, शायद आगे चल कर मजदूर भी आ जाता। उपन्यास मध्यमवर्ग ही के बारे में हो, इनमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि उपन्यास के मध्यमवर्गी पात्र सशस्त्र होने और क्रान्ति करने की बात कहते हैं तो उन्हें मजदूर का नेतृत्व स्वीकार करना होगा क्योंकि आज के युग में केवल मजदूर ही क्रान्ति का सफल बना सकते हैं। यह एक ऐतिहासिक सत्य है।

फिर भी इस अधूरे उपन्यास से पता चलता है कि प्रेमचन्द जीवन के अनुभव से बहुत कुछ सीख रहे थे, उनकी पुरानी मान्यतायें टूट रही थीं और ‘गोदान’ के बाद भी उनका विकास जारी था।

नाटक

प्रेमचन्द ने दो नाटक भी लिखे हैं। लेकिन इस दशा में उनका प्रयास असफल हो रहा है। हमारे देश में स्टेज का अभाव होने के कारण जिन कवियों और उपन्यासकारों ने नाटक की ओर ध्यान दिया, उन्हें वांछनीय सफलता नहीं मिली। प्रेमचन्द ने इन्द्रनाथ मदान के नाम एक पत्र में अपनी इस असफलता को स्वीकार किया है। इसीलिये उन्होंने “संग्राम” और “कबला” दो नाटक लिखने के उपरान्त कोई नया नाटक लिखने का प्रयास नहीं किया। कहानियों और उपन्यासों को ही अपने लिये उपयुक्त समझा। उनके यह दो नाटक भी एक तरह उपन्यास ही हैं क्योंकि स्टेज नहीं हो सकते सिर्फ पढ़े जा सकते हैं। अलबत्ता उपन्यास में उन्हें चरित्र चित्रण की जो सुविधा रहती थी, वह इनमें नहीं रही।

कहानियाँ

प्रेमचन्द की कहानियाँ बहुत मार्के की होती हैं और अपनी कहानियों में उन्होंने हमारे जीवन के सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला है। हम अपनी मूल पुस्तक में उनकी कहानियों के बारे में बहुत कुछ लिख चुके हैं। वे इन कहानियों की सामग्री अपने जीवन की घटनाओं से, इतिहास से सामाजिक और राजनीतिक आन्दोलनों से और उन लोगों से जुटलाते थे जिनमें वे रहते थे, जिन्हें वे अच्छी तरह जानते; पहचानते और समझते थे।

उनकी ऐतिहासिक कहानियों में “शतरंज के खिलाड़ी” हमें सब से सुन्दर लगी है। इस कहानी में उन्होंने सामन्तवादी व्यवस्था का खोखलापन

दिखाया है। इस कहानी के नायक अपना ऐतिहासिक रोल खत्म कर चुके हैं और जीवन की एक नई शक्ति के हाथों शतरंज के मुहरों की तरह पिट रहे हैं, और एक ऐसे निर्जन खंडहर में पिटते हैं जहाँ उन्हें कोई रोने वाला भी नहीं।

वैसे उनकी सभी ऐतिहासिक कहानियों में यह बात ध्यान रखने के योग्य है कि वे उनमें उपयुक्त ऐतिहासिक सामग्री जुटलाते हैं, उस समय की परास्त होती और उभरती हुई शक्तियों का ध्यान रखते हैं। और इन कहानियों द्वारा वे हीनता का खडन और श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं। “रानी सारंधा” और “राजा हरदौल” ऐसी ही कहानियाँ हैं।

अपनी सामाजिक कहानियों में प्रेमचन्द ने अंधविश्वास, धार्मिक ढोंग, स्वार्थ, शोषण और अन्याय का विरोध किया है। और मनुष्य को आलस्य छोड़ कर कर्मशील बनने के लिये प्रेरित किया है। मेने सब से पहले “मंत्र” कहानी पढ़ी थी। उस समय में सातवीं श्रेणी में पढ़ता था। इस कहानी के नायक बूढ़े भक्त का उदार और विशुद्ध चरित्र मेरे मनपर अब तक ज्यों का त्यों अंकित है। इसी कहानी में डाक्टर चड्ढा शिक्षित वर्ग की स्वार्थांधता का प्रतीक है। ऐसे पढ़े लिखे और सभ्य कहलाने वाले लोगों के मुकाबिले में हमारी अपढ़ जनता कितनी उदार और महान है। बूढ़ा भक्त इस महानता का प्रतिनिधि है।

प्रेमचन्द हमारी जनता की इस उदारता और महानता में अटल विश्वास रखते थे और उसे सच्चे मन से प्यार करते थे। अपनी लेखनी को उन्होंने इस जनता की सेवा के लिये अर्पित कर दिया था। मुझे उनकी “पंच परमेश्वर” “शंखनाद”, “सुजान भक्त” आदि कहानियाँ बहुत पसंद हैं। इन कहानियों में वे न्याय का प्रतिपादन करते और मनुष्य की कर्मशक्ति को उभारते हैं। “मोटर के छोटे” बहुत ही छोटी; लेकिन बहुत ही सुन्दर कहानी है। देखने में यह हास्य-रस प्रधान कहानी है, लेकिन दरअसल उन्होंने मोटेराम शास्त्री के हाथों अंग्रेज को पिटवा कर अपने मनका क्षोभ निकाला है। अंग्रेज हिन्दुस्तान में साम्राज्य का प्रतीक है, उससे मोटेराम जैसा निःकृष्ट व्यक्ति भी इतनी घृणा करता है कि उसे पीटने का अवसर हाथ से नहीं जाने देता। इसी प्रकार “इस्तीफा” कहानी में एक हिन्दुस्तानी क्लर्क के हाथों अंग्रेज अफसर की मरम्मत कराई है। “अधिकार चिंता” कहानी में साम्राज्य के प्रतीक इस अंग्रेज को स्वार्थी और लोलुप लेकिन भीरु बुलडोग के रूप में प्रस्तुत किया है। और इस स्वार्थी बुलडोग को देश से भगाने के लिये उन्होंने बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं। जिनमें मुझे “आहुति”, “जेल” और “सत्याग्रह” सुन्दर जान पड़ी हैं।

प्रेमचन्द ने अपनी कहानियों में बहुत सी समस्याओं को लिया है और शुरू के उपन्यासों की तरह उन्होंने अपनी कहानियों में भी इन समस्याओं का सुधारवादी हल पेश किया है। लेकिन शनैः शनैः उपन्यासों की तरह कहानियों में भी सुधारवाद के स्थान पर यथार्थवाद की मात्रा बढ़ती गई। 'गादान' का भांति "कफन" कहानी में उन्होंने हमारे इस समाज का बहुत ही यथार्थवाद का चित्रण किया है। जिस समाज में, पंजाबी कवि वारिसशाह के कथनानुसार "चोर उचक्का चौधरी गंडी रन प्रधान" का सिद्धान्त लागू हो वहाँ आदमी का कामचोर बन जाना स्वाभाविक बात है। इस कहानी के घीमू और माधो भी इसलिये कामचोर हैं कि वे दूसरों की मेहनत पर पलने वाल निकम्मे आदमियों को सफेदपोश देखते हैं।

उपन्यासों की तरह कहानियों के भी सिलसिलेवार अध्ययन से प्रेमचन्द के विचार-विकास का पता चलता है। सरकार ने उनके दो कहानी संग्रह "सोजे वतन" और "समर-यात्रा" इस लिये जब्त कर लिये थे कि उनसे विद्रोह भड़कता था। प्रेमचन्द राजनीतिक गुलामी के विरुद्ध ही नहीं सामाजिक और मानसिक गुलामी के विरुद्ध भी विद्रोह भड़काते थे। मनुष्य को स्वतंत्र, समृद्ध और उन्नत देखना चाहते थे। वे नीति, धर्म, कानून और सिद्धान्तों के मुकाबिला में मनुष्य को श्रेष्ठ और पूज्य मानते थे। यही उनकी महानता थी। इसीलिये हमारे साहित्य के इतिहास में उनका नाम सदा उज्ज्वल अक्षरों में लिखा जायेगा।

यथार्थवाद और आदर्शवाद

“सूखी रोटियाँ सोने के थालों में परोस देने से पूरियाँ नहीं बन जाती।”

—प्रेमचंद

औद्योगिक क्रान्ति और वैज्ञानिक आविष्कारों ने अठारहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में यूरोपीय देशों की प्राचीन धार्मिक मान्यताओं की जड़ोंको हिला दिया। इसी कारण उन्नीसवीं सदी भौतिकवाद और विज्ञान की सदी कहलाती है। पुराना धर्मोन्मुख सामंतवादी समाज आदर्शवाद पर टिका हुआ था। आर्थिक परिवर्तनों के साथ विचार-परिवर्तन भी अनिवार्य है। औद्योगिक क्रान्ति के साथ जैसे-ही पूँजीवादी युग का आरम्भ हुआ, आदर्शवाद के मुकाबले में यथार्थवाद का प्रचार होने लगा तो मनुष्य ने अपने परम्परागत रूढ़िवादी विचारों को छोड़कर स्वतंत्र-चिंतन की ओर बड़ी तेजी से पग बढ़ाया और इससे साहित्य में यथार्थवादी विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ। इसका अर्थ यह था कि साहित्य में जनसाधारण के यथार्थ जीवन का और उनकी समस्याओं का चित्रण किया जाये, और घटनाओं में वैचित्र्य और कौतूहल उत्पन्न करने के लिये उन्हें काल्पनिक रंग देकर विकृत न किया जाये।

हम यूरोप के सम्पर्क में आ चुके थे और अंग्रेजी शिक्षा द्वारा नये वैज्ञानिक विचार ग्रहण कर रहे थे। प्रेमचंद भी अंग्रेजी जानते थे। हिन्दी और उर्दू में यथार्थवादी कहानियाँ और उपन्यास लिखने का श्रेय उनको ही है। प्रेमचंद यूरोपीय लेखकों में विशेषकर टालस्टाय, रोम्यांरोलॉ, चालर्जंडिकनस और थैकरे से प्रभावित थे। जोला और फलावयर न यथार्थवादी साहित्य में नग्न-चित्रण का जो समावेश किया था, उसमें उनका विश्वास नहीं था। “कायाकल्प” में उन्होंने चक्रधर द्वारा इस विषय में अपना मत स्पष्ट रूप से प्रकट किया है—
“यथार्थवाद स्तुत्य है, परन्तु नग्न यथार्थता घृणित है।”

प्रेमचंद 'कला, कला के लिए' के सिद्धान्त को न मानकर कला की उपयोगिता में विश्वास रखते थे। जीवन में जो कुछ 'सत्यं शिवं सुन्दरं' है उसी का दर्शाना और उसी की पुष्टि करना उनका मुख्य उद्देश्य था। यथार्थ-चित्रण के लिये उन्होंने साहित्य की उपयोगिता का बलिदान देना उचित नहीं समझा। वे हमेशा सत्य और न्याय की विजय चाहते थे और यदि यथार्थवाद से सत्य की विजय सम्भव नहीं दीख पड़ती थी, तो वे आदर्शवाद से समझौता कर सुधारवाद और हृदय-परिवर्तन के द्वारा विजय दिखाते थे। अपनी इस समझौता-प्रवृत्ति को उन्होंने "आदर्शोन्मुख यथार्थवाद" का नाम दिया था।

क्या यह समझौता मुमकिन था? क्या प्रेमचंद अपनी इस धारणा पर आखीर तक दृढ़ रह सके! इसका उत्तर है सिर्फ एक शब्द 'नहीं'। लेकिन इस बात को भली-भाँति समझ लेने के लिये यथार्थवाद और आदर्शवाद की विचारधारा का वैज्ञानिक और दार्शनिक विश्लेषण कर लेना अत्यावश्यक है, अन्यथा भ्रम में पड़े रहने की सम्भावना है।

आदर्शवाद आत्मा (अर्थात् स्फिरिट) को अपनी दार्शनिक विचारधारा का आधार मानकर आगे चलता है। आत्मा स्वभाव से पवित्र है। लेकिन ज्यों ही वह शरीर धारण करती है त्यों-ही सांसारिक तृष्णाओं में लिप्त होकर पाप, असत्य और अन्याय का मार्ग ग्रहण कर लेती है। यदि उसे यह ज्ञात दिया जाय और उसमें यह भावना पूर्णतः जागृत कर दी जाये कि असत्य और पाप तेरा स्वभाव नहीं तो वह फिर सन्मार्ग ग्रहण कर लेती है। इसका मतलब यह है कि कोई भी मनुष्य जन्म से बुरा नहीं है। नीच से नीच और पतित से पतित अवस्था में भी उसके भीतर सत्य विराजमान रहता है। इस लिये किसी भी अधम से अधम मनुष्य का किसी भी समय सुधार और उद्धार हो सकता है। इस विचारधारा के अनुसार सत्य और असत्य, पुण्य और पाप तथा अच्छे और बुरे विचारों का एक स्वतंत्र अस्तित्व है। जब बुरे विचारों का प्रभाव बढ़ जाता है, तो मनुष्य बुरे कर्म करता है और उनका दण्ड भोगता है। संसार में असत्य और पाप का साया रहता है और समान पतनोन्मुख हो जाता है और जब अच्छे विचारों का प्रभाव बढ़ जाता है, तो मनुष्य पुण्य-कार्य अधिक करता है, न्याय को पहचानता है। जीवन उन्नतिशील होता है और संसार में सत्युग का सूत्रपात होता है। इसलिये मनुष्य के लिये सत्य कार्य करते रहना ही कल्याणकारी है, वरना वह कुकर्मों के दण्ड से नहीं बच सकता।

यथार्थवाद प्रकृति, माहा अर्थात् मैटर (matter) को अपनी विचार-धारा का आधार मानकर आगे चलता है। इस विचारधारा के अनुसार विचारों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अच्छे और बुरे विचार भौतिक परिस्थितियों में जन्म लेते हैं। इसलिये अन्याय, असत्य और दरिद्रता को मिटाने के लिये उपदेश और सुधार से काम नहीं चलेगा बल्कि उन सामाजिक परिस्थितियों को बदलना होगा जो अन्याय, असत्य और दरिद्रता को जन्म देती हैं और उसे कायम रखे हुए हैं। मनुष्य स्वभाव से न अच्छा है न बुरा है, परिस्थितियाँ उसे अच्छा या बुरा बनाती हैं।

ये दो विचारधाराएँ हैं। जब इनको साहित्य, समाज और राजनीति में लागू करते हैं तो इनके परिणाम दूर तक जाते हैं और तभी उनका मूलांतर हम पर स्पष्ट होता है। खास तौर पर क्रान्ति और संघर्ष के युग में तो ये दोनों विचारधाराएँ एक दूसरे का सक्रिय विरोध करती हैं। दरिद्रता, पतन और अत्याचार के लिए आदर्शवादी कभी भी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को दोषी नहीं ठहराता, बल्कि वह उसके लिये व्यक्ति को जिम्मेदार समझता है। वह कभी भी सामाजिक व्यवस्था को बदलने की माँग नहीं करता, सिर्फ बुरे व्यक्तियों को अधिकार-पद से हटाने या उनका सुधार करने के लिए संघर्ष या प्रयत्न करता है। उसका मत है कि सामाजिक व्यवस्था ईश्वरीय विधान है। इसमें जहाँ-तहाँ सुधार तो हो सकता है, मगर बदला नहीं जा सकता। पूँजीपति, जमींदार, किसान और मजदूर सबको भगवान् ने बनाया है। सब अपने-अपने भाग्य अर्थात् पूर्वजन्म के कार्यों का फल भोग रहे हैं। वे सब अपना-अपना काम ईमानदारी से करें। पूँजीपति और जमींदार शोषण की नीति न अपनाकर अपने आप को धन और भूमि का ट्रस्टी समझें और मजदूरों और किसानों पर दया दश कर उनसे भाई और पुत्र का व्यवहार करें। उनमें वर्ग-संघर्ष की बात न लाना ईश्वरीय नियम को भंग करना है और अराजकता फैलाना है। जब तक यह संसार रहेगा इसमें राजा-रंक, जमींदार और किसान बराबर रहेंगे वेश्याएँ; अनाथ और अपाहिज भी रहेंगे क्योंकि उन्हें अपने पूर्वजन्म का दण्ड भोगना है। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अनाचार और दुःख को फैलने से रोकने के लिये “आश्रम” और “अनाथालय” स्थापित करें।

यह सुधारवाद का सिद्धान्त है जो मनुष्य को क्रान्तिकारी न बनाकर, सुधारवादी और रूढ़िवादी बनाता है; चूँकि सुधारवादी की लड़ाई व्यक्ति-से

नहीं, बल्कि व्यक्ति में निहित बुराई से होती है, उसका काम व्यक्ति पर प्रहार करना नहीं बल्कि उसे सदप्रेरणा देना है; इसलिये वह उसे दुःख देने के बजाय अपने-आप कष्ट सहना उचित समझता है क्योंकि जितना ही बुरा आदमी उसे अपने हाथों कष्ट सहते देखेगा उतनाही उसकी मानवता जायेगी ! यह आदर्शवाद का अहिंसावादी रूप है ।

यथार्थवादी कहता है कि मजदूर और किसान इसलिये दीन, दरिद्र और दुःखी हैं कि उनका शोषण होता है, चोर इसलिये चोरी करता है कि मेहनत से उसका पेट नहीं भरता और वेध्या इसलिये वेध्या बनती है कि इस सामाजिक व्यवस्था में स्त्री पुरुष की गुलाम है, उसके पास जीवन-यापन के लिये आर्थिक साधन नहीं हैं। इस सामाजिक व्यवस्था को बदल दो तो मजदूर और किसान दरिद्र नहीं रहेंगे, किसी को चोरी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और वेध्या-वृत्ति का अंत हो जायेगा। लेकिन पूँजीपति, जमींदार और वे तमाम सत्ताधारी लोग जो शोषण पर पलते हैं, कानून से, फौज से और धार्मिक और रूढ़िवादी विचारों के प्रचार से इस सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करते हैं क्योंकि इससे उनके हित सम्बन्धित हैं। यथार्थवादी क्रान्तिकारी इस तथ्य का समझता है, इसलिये वह उनकी सत्ता को तोड़ने के लिये किसानों, मजदूरों, तमाम श्रमजीवियों और शोषितों का संगठन करता है और उनके मस्तिष्क में वर्ग-संघर्ष की चेतनाको स्पष्ट और तीव्र करने के लिए नए वैज्ञानिक विचारों द्वारा भाग्यवाद और रूढ़िवाद की विचारधाराओं का खंडन करता है। शापक वर्ग से और उसकी विचार धारा से उसका समझौता सम्भव नहीं होता।

प्रेमचन्द ने “आदर्शोन्मुख यथार्थवाद” के नाम पर इन दोनों विचारधाराओं में जो समझौता किया था, वह सर्वथा असंगत और अप्राकृतिक था, इसलिये जीवन के अंतिम पर्व में, जब उन्हें निजी अनुभव से सत्य का बोध हुआ, तो उन्होंने स्वयं इस समझौते को तोड़ दिया। ‘गोदान’ उपन्यास और ‘कफन’ संग्रह की कहानियों में वे आदर्शवाद को छोड़कर एक-दम क्रान्तिकारी बन गए हैं। इसका कारण यह था कि वे जिस उद्देश्यको लेकर चले थे, इस समझौते द्वारा वह पूरा तो क्या होना था, बल्कि उन्होंने देखा कि उनका मार्ग अवरुद्ध हो गया। उन्हें जीवन में जिन कठोर परिस्थितियों से झूझना पड़ा था, उन्होंने उन्हें क्रान्तिकारों न सही पर स्वभावतः प्रगतिशील बना दिया था। उन्होंने प्रगतिशील लेखक-संघ के सभापति-पद से जो भाषण दिया था, उसमें कहा है:—

“साहित्यकार या कलाकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है; अगर यह उसका स्वभाव न होता, तो शायद वह साहित्यकार ही न होता।”

लेकिन यह भाषण प्रेमचन्द ने सन् १९३६ में दिया था। उस समय उनका मानसिक विकास प्रौढता को प्राप्त कर चुका था। उन्होंने जीवन के अनुभव से और देश की राजनैतिक परिस्थितियों से बहुत कुछ सीख लिया था।

इसके विपरीत जब उन्होंने लिखना आरम्भ किया उस समय के सामाजिक और राजनैतिक विचार कुछ और थे। धर्म और राजनीति में निकट सम्बन्ध स्थापित था : ब्रह्म-गंगाधर तिलक और उस समय के दूसरे नेता कहते थे कि "स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है" इसलिये प्रत्येक देशवासी को स्वतन्त्रता-संग्राम में भाग लेना चाहिए। सदियों की निद्रा और आलस्य से जगाने और मनुष्य को कर्मशील बनने का सन्देश दिया जा रहा था।

इसका मतलब है कि उस समय के नेता भी आदर्शवादी थे। देश को अंग्रेज की गुलामी से स्वतन्त्र देखना चाहते थे और समाज में जो दोष और त्रुटियाँ उत्पन्न हो गई थीं उन्हें सुधार और प्रचार द्वारा दूर कर देना चाहते थे। शिक्षित नौजवानों में राष्ट्रीय भावनाएँ भर देने के लिये उन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति और उसके पुनरुत्थान को ही अपना ध्येय बना लिया था। ये लोग ह्रदिवादी नहीं थे। आधुनिक वैज्ञानिक विचारों से प्रभावित थे। पुराने रीति-रिवाज, ब्याह-सम्बन्ध, छुआ-छूत परस्पर खान-पान के बंधनों में सुधार चाहते थे। डा० इन्द्रनाथ मदान के कथनानुसार इन आंदोलनों के कारण "पुराने देवी-देवताओं की मान्यता कम हुई। एक नए पवित्रतावादी दर्शन का विकास हुआ तथा राष्ट्रीयता और देश-प्रेम ने धर्म का रूप ले लिया।"

प्रेमचन्द ने राष्ट्रीयता और देश-प्रेम को धर्म का रूप देने के लिए ही 'सोजे वतन' संग्रह की कहानियाँ लिखीं, जिन्हें अंग्रेज-सरकार ने जब्त कर लिया। 'रानी सारंध्रा', "राजा हरदोल" और "पाप का अग्निकुण्ड" ऐतिहासिक कहानियाँ और "वरदान" उपन्यास इसी भावना को पुष्ट करने के लिए लिखा गया है। प्रेमचन्द का यह साहित्य घटना-प्रधान है। घटनाएँ कई स्थानों पर अस्वाभाविक भी जान पड़ती हैं। उनका एकमात्र अभिप्राय पात्रों को उदार, कर्मवीर और त्यागी सिद्ध करना है। वे जीवन में सफल रहें या असफल, पर वे अपने धर्म अर्थात् देश-प्रेम के लिए बड़-से-बड़ा त्याग करने को तत्पर रहते हैं। यह आदर्शवादी दृष्टिकोण है और इसी दृष्टिकोण ने प्रेमचन्द की कला और पात्रों के विकास को प्रायः कुण्ठित कर दिया है।

तब के राजनीतिज्ञों, समाज-सुधारकों और खुद प्रेमचन्द को आदर्शवाद विरासत में मिला था। अंग्रेजों का काम भारत का शोषण करना था। उन्होंने

अपने व्यापारिक और राजनैतिक हितों के सन्मुख हमारे देश को कृषि-प्रधान बनाए रखा। और कृषि में भी संदियों-पुराने ढंग और मध्यकालीन सामंती व्यवस्था को कायम रखा। कारखानों, वैज्ञानिक साधनों और उद्योग-बंधों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया, बल्कि जान-बूझ कर देश को उस ओर बढ़ने से रोके रखा। इसलिए पुरानी आदर्शवादी सभ्यता ही अपने परम्परागत गौरवपूर्ण स्थान पर आरूढ़ रही। यही कारण है कि इस युग के राष्ट्रीय नेता भी, गर्मदली होते और क्रान्तिकारी भावनाएँ रखते हुए भी, मूलतः रूढ़िवादी बने रहें। अंग्रेजों की गुलामी से चिढ़कर उन्होंने यांत्रिक और वैज्ञानिक सभ्यता को ठुकरा दिया। फिर भी तार, डाक और रेल का सिलसिला कायम हुआ और अंग्रेजों की रोक के बावजूद बम्बई, अहमदाबाद, नागपुर और कलकत्ता आदि बड़े शहरों में कारखाने भी बनने प्रारम्भ हुए। इन वैज्ञानिक साधनों का और अंग्रेजी शिक्षा तथा यांत्रिक सभ्यता का परोक्ष और अपरोक्ष रूप में हमारे जीवन पर घना प्रभाव पड़ रहा था। देश के कुछ नेताओं और बुद्धिवादियों को इस नई सभ्यता में कुछ विशेषताएँ और गुण भी दिखाई देते थे और वे उन्हें लेकर आगे बढ़ना चाहते थे; लेकिन इस सभ्यता के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं थी। इसमें उन्हें पूर्ण विश्वास नहीं था; क्योंकि उन्होंने इसके क्रान्तिकारी रूप को नहीं पहचाना था, और न उन्होंने देश में इसके प्रसार के साथ-साथ इस सभ्यता का जो अग्रदूत-मजदूर वर्ग उत्पन्न हो रहा था उसके अस्तित्व और नेतृत्व को ऐतिहासिक सत्य के रूप में स्वीकार किया। इसलिए उनके परम्परागत संस्कार उन्हें आगे बढ़ने से रोकते थे, उनका दामन पकड़कर पीछे खींचते थे और वे ईमानदार, त्यागी और कर्मवीर होते हुए भी इस यांत्रिक सभ्यता को देश के पतन का कारण समझकर अन्ततोगत्वा पीछे की ओर ही लौटते जाते थे।

यह आगा-पीछा, यह हैस-बैस और अन्तर्द्वन्द्व प्रेमचन्द में भी पाया जाता है। चूँकि वे स्वभाव से प्रगतिशील थे इसलिये उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता और साहित्य से यथार्थवाद लिया और उसमें भारतीय आदर्शवाद की बहुत बड़ी पख जोड़ दी। यह समझौता और अंतर्द्वन्द्व हमें प्रेमचन्द में ही नहीं, राष्ट्रीय सघष और समाज-सुधार के आन्दोलन में भी मिलता है।

फिर जब गांधीजी राजनीति के रंगमंच पर आये तो उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के इस अंतर्द्वन्द्व को मिटाने के लिये आदर्शवाद को राजनैतिक सिद्धांत का परिष्कृत रूप दे दिया। उन्होंने असहयोग और सविनय-भंग का कार्यक्रम पेश

करके बताया कि बिना सशस्त्र क्रांति के भी गुलामी के जुए को उतार फेंकना सम्भव है।

मध्यवर्गीय नेताओं और बुद्धिजीवियों ने, जो वर्गगत समाज और सम्पत्ति को हानि नहीं पहुँचाना चाहते थे, इस सिद्धान्त को युग की एक महान् और अनूठी देन के रूप में स्वीकार कर लिया और राजनीति में गांधी जी का नेतृत्व हा गया।

प्रेमचन्द का भी इसी बुद्धिजीवी मध्यवर्ग की परम्परा विरासत में मिली थी। उन्होंने भी गांधीजी के नेतृत्व को निस्सकोच स्वीकार कर लिया और इसके उपरान्त उनके विचारों को अपनी कहानियों और उपन्यासों में सिद्धान्त के रूप में पेश किया। उदाहरणके लिये 'प्रेमाश्रम' को ही लीजिए। उस पर पहले विश्व-युद्ध की छाप है। युद्धकाल में जो भयंकर शोषण हुआ था, जन-साधारण में राजनैतिक जागृति आई और जो वर्ग-चेतना बढ़ी थी, उसका इस उपन्यास में चित्रण भली-भाँति हुआ है। प्रेमचन्द ने यह उपन्यास सन् १८-१९ में लिखा था इसीलिये गौसखाँ की हत्या होने तक यथार्थ और स्वाभाविक रूप में ठीक चल रहा है। लेकिन उपन्यास का अंतिम खंड लिखते समय गांधीजी नेता बनकर रंगमंच पर आगए थे और उनके सिद्धान्तों का प्रतिरूप प्रेमशंकर है। वह सारी विषम समस्या का हल 'प्रेमाश्रम' में खोलकर करता है और उसकी शिक्षा से मायाशंकर जमींदार का हृदय-परिवर्तन हो जाता है। किसानों और उनकी क्रांति का नेता मनोहरलाल अपने कृत्य की ग्लानि से क्षुब्ध होकर आत्महत्या कर लेता है। वास्तव में मनोहर की हत्या गांधीवादी आदर्श की वेदी पर क्रांतिकारी यथार्थ का बलिदान है।

इसके बाद प्रेमचन्द ने राजनैतिक समस्याओं और गांधीवादी सिद्धान्तों को लेकर "कायाकल्प", "रंगभूमि" और "कर्मभूमि" उपन्यास और इसी सिद्धान्त के प्रतिपादन के लिये "सचाई का उपहार", "डामुल का कैदी", "डिकी के रूपये" और "नरक का भागी" आदि कहानियाँ लिखीं। इसी से कुछ लोग यह कह देते हैं कि राजनीति में जो "गांधीवादी युग" है, साहित्य में वह "प्रेमचन्द-युग" है। लेकिन यदि हम प्रेमचन्द के साहित्य का विचारपूर्ण विश्लेषण करें, तो उनका यह कथन कुछ ही अंश में सत्य जान पड़ेगा। इन्हीं कृतियों में जिनमें उन्होंने जानबूझ कर गांधीवाद का प्रतिपादन किया है, यथार्थवादी प्रेमचन्द का अन्तर्द्वन्द्व बार-बार उभर कर हमारे सामने आता है और उनके आदर्श पात्र भी गांधीवाद के प्रति अश्रद्धा और शंका प्रकट करने लगते हैं।

‘काया-कल्प’ में राजा और उसके अफसरों के कारण खेत-मजदूरों का संघर्ष उठता है। खेत-मजदूर जब राजा के अफसरों और सिपाहियों पर हमला करते हैं, तो चक्रधर गांधीवादी होने के नाते बीच में पड़कर उन्हें हमला करने से रोक देता है। लेकिन रोक देने के बाद सोचता है:—“फिर अगर अत्याचार का विरोध न किया जाय तो संगठन से लाभ ही क्या ?”

इसके बाद उपन्यास का अंतिम भाग रहस्यवादी घटनाओं से भरा पड़ा है। चक्रधर संघर्ष का मार्ग छोड़कर संन्यासी बन जाता है और मरीजों में दवा बाँटकर आत्म-संतोष ढूँढता है। अंत में अहिल्या, शंखधर, रानी, देवप्रिय और विशालसिंह सब मर जाते हैं। यह सब देखकर चक्रधर के मन का संतोष भंग हो जाता है और वह चिल्लाकर कहता है:—“हाय ईश्वर, क्या तू मुझे यही दिखाने के लिये यहाँ लाया था !”

अब सिर्फ मनोरमा रह जाती है। वह पक्षी पाल कर मन को बहलाती है। चक्रधर भी उसे चिड़िया पाल-पाल कर देता है क्योंकि वे दोनों एक अटूट आत्मिक प्रेम-सम्बंध में बंधे हुए हैं। यही उसके आदर्शवादी जीवन का अंत है और वह खुद भी सोचता है—“क्या मेरे इस जीवन का कर्त्तव्य बस चिड़िया पालना है ?”

यह आदर्शवाद का जीत नहीं हार है। उसका उद्देश्य जीवनको सुखी बनाना था, लेकिन दुःख पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। इसी प्रकार “कर्म भूमि” का सूरदास उद्योगीकरण के विरुद्ध पूरे उत्साह और जीवन से लड़ता है, लेकिन अंत में उसकी भी हार होती है। पाड़ेपुर में जान सेवक का सिग्रेट का कारखाना लगता है और मध्यकालीन सामाजिक अवस्था टूट जाती है। पूंजीवादी सभ्यता की यह विजय एक ऐतिहासिक सत्य है, जिसे प्रेमचंद आदर्शवादी होते हुए भी झुठला नहीं सके थे। यही उनका यथार्थवाद है।

ऐसा लगता है कि “रंगभूमि” में प्रेमचंद के आदर्शवाद को पूंजीवादी सभ्यता के विरुद्ध लड़ने में इतना जोर लगाना पड़ा कि अंत में वह चक्कर चूर-चूर हो गया और उनके मन में इसके द्वारा अंतिम विजय प्राप्त करने का जो भ्रम बना हुआ था, वह टूट गया। ‘कर्मभूमि’ में उन्होंने आदर्शवाद का सहारा लिया है जरूर; लेकिन उसमें वे यथार्थवादी पहले से कहीं अधिक दिखाई देते हैं। ‘गोदान’ में तो इसका दामन भटक कर एकदम यथार्थवादी बन जाते हैं और गांधीवाद के प्रति अश्रद्धा प्रकट करते हैं।

यह परिवर्तन कोई आकस्मिक घटना नहीं है। उन्होंने आदर्शवाद और यथार्थवाद में समझौता किया था, वह वस्तुस्थिति और जीवन के अनुभवों के आगे टिक नहीं सका। इसका कारण यह है कि उन्होंने गांधी जी से अलग वर्ग और अलग परिस्थितियों में परवरिश पाई थी। वे स्वभाव से प्रगतिशील थे और हमारे जन-जीवन को सचमुच आगे बढ़ते देखना चाहते थे। इसीलिये उन्होंने समस्या-प्रधान साहित्य की रचना शुरू की थी। वे जो समस्याएँ उठाते थे उनके कारण सामाजिक व्यवस्था में खोजते और हल आदर्शवाद में ढूँढ़ते थे। पर उन्होंने देखा कि यह हल कोई हल नहीं है बल्कि बुराइयों को आदर्श के आवरण से ढाँप दिया जाता है और वे उसके नीचे बराबर पलती रहती हैं और पहले से भी भयंकर रूप धारण कर लेती हैं। साम्प्रदायिकता, छूआ-छूत और किसानों की दरिद्रता—इन सब बुराइयों को उन्होंने सन् ३०-३२ के असहयोग और सविनय-भंग-आन्दोलन के बाद भी अपनी आँखों बढ़ते देखा था।

इसीलिये वह आदर्शवाद में हल ढूँढ़ना छोड़कर यथार्थवाद का नग्न चित्रण करने लगे। 'गोदान', उपन्यास 'कफन' और 'पस की रात' आदि कहानियाँ इसके उच्चतम उदाहरण हैं।

इससे पहले भी प्रेमचन्द के साहित्य में शुद्ध यथार्थवादी कृतियों की कमी नहीं है। "शतरंज के खिलाड़ी" और "राजा हरदोल" मिटती हुई सामन्ती सभ्यता का यथार्थ निरूपण करती हैं। "त्यागी का प्रेम" इस विषयकी बहुत ही सुन्दर रचना है। उसे यदि आदर्शवाद पर भरपूर व्यंग कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। "रंगभूमि" का त्यागी और कर्मयोगी सूरदास अंधा है। यह भी तो आदर्शवाद पर एक व्यंग है। चाहे प्रेमचन्द ने यह व्यंग जान-बुझकर न किया हो। इस काल की एक कृति "निर्मला" सर्वथा यथार्थवादी है और "गबन" में भी आदर्शवाद का प्रयोग सिर्फ जोहरा ही पर हुआ है।

चरित्र-चित्रण

“जो लेखक मानवी हृदय के रहस्यों को खोलने में सफल होता है, उसी की रचना सफल समझी जाती है।” — प्रेमचंद

हिंदी और उर्दू में प्रेमचंद से पहले जो साहित्य रचा जा रहा था उसमें चरित्र-चित्रण पर ध्यान नहीं दिया जाता था। उर्दू में उन दिनों तलिस्मे-होशरुबा, मीर अमन का “चहार दरवेश” और रत्ननाथ सरशार का “फसानाय आज़ाद” बहुत मकबूल थे और हिन्दी में देवकीनंदन खत्री और गोपालराम गहमरी लोकप्रिय लेखक माने जाते थे। लोग “चंद्रकांता संतति” को चटखारे ले-लेकर पढ़ते थे। इस कथा-साहित्य में घटना-वचित्र्य, कौतूहल-जिज्ञासा और रोमांस ही सब कुछ था। उपन्यास घटनाओं के सहारे आगे बढ़ता था। पात्र लेखक के हाथ में कठपुलितयाँ मात्र थे। लेखक घटनाओं को जैसे चाहे तोड़ता-मरोड़ डालता था और पात्रों से मनमाना काम करवा लेता था।

यह श्रेय प्रेमचंद ही को प्राप्त है कि उन्होंने जीवन की साधारण घटनाओं को अपनी कहानियों और उपन्यासों का विषय बनाया और हाड-मांस के बने हुए जीते-जागते इंसानों का स्वाभाविक चरित्र-चित्रण किया। इसी लिए उन्हें उर्दू और हिंदी में पहला यथार्थवादी लेखक माना जाता है। प्रेमचंद ने उन्हीं लोगों को अपनी कहानियों और उपन्यासों का पात्र बनाया जिनके सम्पर्क में वे अधिक रहते थे। उनका विश्वास था कि लेखक उन्हीं पात्रों का सफल चरित्र-चित्रण कर सकता है, जिन्हें वह निजी अनुभव से जानता-पहचानता है। इंद्रनाथ मदान के नाम उन्होंने एक पत्र में लिखा है—

“मेरे अधिकांश पात्र यथार्थ जीवन से लिए गए हैं। जब किसी पात्र का यथार्थ में अस्तित्व नहीं होता, तब वह छायामात्र, अनिश्चित और अविश्वसनीय हो उठता है।”

इसी लिए हम देखते हैं कि बनारस और बनारस के आस-पास के गाँव ही प्रेमचंद की अधिकांश कहानियों और उपन्यासों का रंगमंच हैं। इसी वातावरण में उनकी कला अधिक निखरती है। इसी जानी-पहचानी धरती पर उनके कदम विश्वास और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। 'कर्म-भूमि' के प्रथम भाग का रंगमंच दिल्ली है, लेकिन इस उपन्यास का दूसरा भाग उस समय अधिक सुंदर, सरस और सजीव बन गया है, जब अमर कान्त और मन्नी बनारस के करीब चमारों के गाँव में आकर रहने लगते हैं और जब किसानों तथा जमींदारों में संघर्ष छिड़ जाता है। यहीं हमें सलोनी के दर्शन होते हैं। हमारे विचार में सलोनी इस उपन्यास की सबसे अधिक सजीव, सच्ची और सदेह पात्र है। प्रेमचंद को किसानों और निम्न मध्यम वर्ग के पात्रों का चरित्र-चित्रण करने में अधिक सफलता प्राप्त हुई है क्योंकि वे उन्हीं में रहते थे। उनके दुःख-सुख, आशा-निराशा और उनकी हार और जीत का उन्हें निजी अनुभव प्राप्त था। किन्तु ज्यों-ज्यों उनका कार्य-क्षेत्र विस्तृत होता गया और उन्हें दूसरे वर्गों के सम्पर्क में आने का अवसर मिलता रहा तो उन्होंने उच्चवर्ग के पात्रों का भी सफल चित्रण किया। प्रेमचंद ने अपने जीवन में लगभग दस हजार पृष्ठ के साहित्य की रचना की है। अकेला "रंग-भूमि" उपन्यास एक हजार पृष्ठ पर फैला हुआ है। इस साहित्य में उन्होंने—रंक से लेकर राजा तक और मजदूर से लेकर बड़े-से-बड़े मिल मालिक तक—हरेक वर्ग, हरेक स्वभाव और हरेक स्तर के हजारों पात्र उपस्थित किए हैं। प्रेमचंद उनके चरित्र-चित्रण में इतने सफल हुए हैं कि कोई भी पात्र दूसरे से जरा भी नहीं मिलता। अपने स्वभाव और मनोवृत्ति के कारण एक का दूसरे से अलग पहचानना कुछ भी कठिन नहीं है। किसी भी अन्य देश और विदेशी साहित्यकार में पात्रों की यह बहुलता और विभिन्नता कम ही देखने में आएगी। प्रेमचंद की इस सफलता का एक ही कारण है कि उनका जीवन का अनुभव और ज्ञान बहुत बढ़ा हुआ था।

इस सम्बन्ध में यह कह देना भी जरूरी होगा कि चरित्र-चित्रण में सफलता प्राप्त करने के लिए पात्रों से सम्पर्क और निजी जान-पहचान जाना ही काफी नहीं है। लेखक का दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक व्यवस्था के प्रति उसका रुख और ज्ञान इस बारे में एक विशेष महत्त्व रखता है। किसी लेखक का दृष्टिकोण जितना अवैज्ञानिक है, वह उसी मात्रा में सामाजिक तथ्य को समझने में असफल रहता है, और उसी मात्रा में

में उसके पात्रों का विकास कंठित रह जाता है, जीवन का निजी अनुभव उसकी कुछ भी सहायता नहीं कर सकता। प्रारम्भ में प्रेमचंद का दृष्टिकोण भी वैज्ञानिक नहीं था, वं यथार्थवादी कम और आदर्शवादी कहीं अधिक थे। फिर उन्हें तिलस्मी और जासूसी उपन्यासों से घटना-वैचित्र्य और कातहल ही विरासत में मिला था। यही कारण है कि उनकी प्रारम्भिक कृतियों में घटना-वैचित्र्य एवं कौतहल-जिज्ञासा को अधिक स्थान मिला है और चरित्र-चित्रण बहुत ही कमजोर और नहीं के बराबर है। 'शाप', 'भाग्य के कोड़े' कहानियाँ और 'वरदान' उपन्यास इसके उदाहरण हैं।

आदर्शवादी यह मानते हैं कि यह संसार भगवान् का माया है। वही इसे बनाता और बिगाड़ता है। मनुष्य और दूसरे प्राणी उसके और प्रारब्ध के हाथ की कठपुतलियाँ हैं, उनका अपना कोई भी व्यक्तित्व नहीं है। इसी प्रकार आदर्शवादी लेखक के पात्र उसके हाथ में कठपुतलियों के सदृश नाचते हैं, उनका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं रहता है। वह अपनी इच्छा और पाठकों की रुचि के अनुसार उनसे विचित्र-विचित्र हरकतें करवाता है। जितनी देर चाहे उन्हें जीवित रखता है और जब चाहे उन्हें मार डालता है। प्रेमचंद जिस कहानी और उपन्यास में जहाँ जितने अधिक आदर्शवादी हैं वहाँ आप को उतने ही अधिक विचित्र पात्र, विचित्र घटनायें और विचित्र मृत्युएँ मिलेंगी, और उनके बुरे और नीच पात्र हृदय-परिवर्तन द्वारा यकांयक नेक और महान् बन जायेंगे। ऐसे चरित्र-चित्रण का उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, वैज्ञानिक बुद्धि और कला की दृष्टि से प्रशंसनीय नहीं है। प्रेमचंद की कहानियों और उपन्यासों में आपको ऐसे विचित्र पात्र बहुत मिलेंगे। प्रेमाश्रम के रायसाहब महानन्द और 'काया कल्प' की 'देव प्रिया' और उसका पति महेंद्रसिंह जिसका अनेक बार जन्मान्तर हुआ, ऐसे ही विचित्र पात्र हैं बल्कि 'काया कल्प' के अन्त में तो स्वयं चक्रधर और मनोरमा भी विचित्र पात्र बनकर रह गए हैं। वे भाग्य और विधाता के हाथ में खिलौने मात्र हैं। जीवन में संघर्ष का अन्त होते ही उनके व्यक्तित्व का भी अन्त हो जाता है।

इस प्रकार यह बात सिद्ध हुई कि लेखक के दृष्टिकोण और सामाजिक ज्ञान का चरित्र-चित्रण में बड़ा हाथ रहता है। केवल इतना कह देना मात्र यथेष्ट नहीं होता कि मुझे सजीव और यथार्थ पात्र पेश करने हैं। इसके लिये बहुत ही सूझ-बूझ, गाम्भीर्य और जिम्मेदारी से काम लेना पड़ता है। मनुष्य बहुत ही विकट पहेली है, और वह समाज के साथ अनेक प्रकार से सम्बन्धित

होता रहता है। लेखक का काम अपने पात्र के रङ्ग-रूप और उसके बाह्य आचरण का वर्णन करना ही नहीं, बल्कि उसका मुख्य और कठिन कार्य पात्र के अन्तर्द्वन्द्व को व्यक्त करना होता है। इसमें लेखक को उतनी ही सफलता प्राप्त होगी, जितना वह अपने पात्र की आत्मा में गहरा पैठ कर देखेगा, जितना उसके सामाजिक सम्बंधों को समझ लेगा और जितना वह उसे उन यथार्थ और भौतिक परिस्थितियों में रखकर उपस्थित करेगा, जो उसके मनमें हलचल उत्पन्न करती हैं और उनके अन्तर्द्वन्द्व को उभार कर पाठक के सामने लाती हैं। प्रेमचंद के उपन्यासों का अध्ययन करने के उपरान्त यह कहा जा सकता है कि अपने पात्रों की यथार्थ मनोदशा एवं भावनाओं का चित्रण करने में उन्हें अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई है।

“प्रतिज्ञा” में सुमित्रा का चरित्र बहुत ही यथार्थ और सजीव है, लेकिन “सेवासदन” पहला उपन्यास है जिसमें चरित्र-चित्रण और मनोगत भावों को व्यक्त करके प्रेमचंद ने हिन्दी-जगत् से अपना लोहा मनवाया। उपन्यास के आरम्भ में ही सुमन के पिता कृष्णचन्द्र को ऐसी विकट स्थिति में उपस्थित किया गया है कि उसका अन्तर्द्वन्द्व उभर कर पाठकों के सामने आता है। वे थानेदार थे। सारा जीवन ईमानदारी से व्यतीत किया, अपने ही पेशे के दूसरे रिश्ततखोरों को नीचा समझा; लेकिन जब सुमन के विवाह का समय निकट आया तो उनकी आँखें खुलीं। लोग दहेज मांगते हैं और विना दहेज के अच्छा बुर नहीं मिलता। तब प्रेमचंद लिखते हैं :—

“कृष्णचंद्र को अपनी ईमानदारी और सच्चाई पर पश्चात्ताप होने लगा। वह सोच रहे थे कि यदि मैं पाप से न डरता तो यों ठोकरें न खानी पड़तीं। इस समय दोनों स्त्री-पुरुष चिंता में डूब चुप बैठे थे। बड़ी देर के बाद कृष्णचंद्र बोले—देख लिया संसार में सन्मार्ग पर चलने का यह फल होता है। यदि आज मैंने लोगों को लूट कर अपना घर भर लिया होता तो लोग मुझ से सम्बन्ध करना अपना सौभाग्य समझते; नहीं तो कोई सीधे-मुँह बात नहीं करता। परमात्मा के दरबार में यह न्याय होता है ! अब दो ही उपाय हैं, या तो सुमन को किसी कंगाल के पल्ले बाँध दूँ या कोई सोने की चिड़िया फँसाऊँ। पहली बात तो होने से रही; बस अब सोने की चिड़िया की खाज में निकलता हूँ—”

और जब कृष्णचन्द्र सोने की चिड़िया फँसाकर घर लौटते हैं तो उसके बाद का चित्र भी देखिए। लिखा है :—

‘भोजन करके दारोगा जी लेटे, पर नींद न आती थी। स्त्री से रुपए की बात कहते उन्हें संकोच हो रहा था। गंगाजली को भी नींद न आती थी। वह बार-बार पति के मुँह की ओर देखती, मानो पूछ रही थी कि बचे या डूबे।

अन्त में कृष्णचन्द्र बोले—यदि तुम नदी के किनारे खड़ी हो और पीछे से एक शेर तुम्हारे ऊपर झपटे तो क्या करोगी ?

गंगाजली इस प्रश्न का अभिप्राय समझ गई। बोली—“नदी में चली जाऊँगी।”

कृष्ण—“चाहे डूब ही जाओ ?”

गंगा—“हाँ, डूब जाना शेर के मुँह पड़ने से अच्छा है”।

कृष्ण—“अच्छा, यदि तुम्हारे घर में आग लगी हो और दरवाजों से निकलने का रास्ता न हो तो क्या करोगी ?”

गंगा—“छत पर चढ़ जाऊँगी और नीचे कूद पड़ूँगी।”

कृष्ण—“इन प्रश्नों का मतलब तुम्हारी समझ में आया ?”

गंगाजली ने दीन भाव से पति की ओर देखकर कहा—“तब क्या ऐसी बेसमझ हूँ ?”

कृष्ण—“मैं कूद पड़ा हूँ। बचूँगा या डूब जाऊँगा, यह मालूम नहीं।

एक भला आदमी जो बुराई की ओर बढ़ने पर विवश हुआ है, उसकी मनोगत भावनाओं का कितना सच्चा और सही चित्रण है !

फिर जब कृष्णचंद्र सुपरिन्टेंडेंट के सामने अपना अपराध स्वीकार करता है तो पाठकों की दृष्टि में एक-दम ऊँचा उठ जाता है। उसका चरित्र बहुत ही स्वाभाविक और मानवी बन पड़ा है। वह आरम्भ से अंत तक पाठकों की सहानुभूति और समवेदना का पात्र बना रहता है। वह उनकी दृष्टि में कहीं भी अपमानित और अप्रतिष्ठित नहीं होता। उसका गंगा में डूब जाना बिल्कुल स्वाभाविक जान पड़ता है। जिस कुल-मर्यादा को वे प्राणपण से पालते रहे, जब सुमन ने वही खो दी तो जीने को क्या रह गया ? यहाँ पाठक के मन में उनके प्रति दया नहीं उपजती बल्कि उसके मन में इस सामाजिक-व्यवस्था के विरुद्ध पवित्र क्रोध और घृणा उत्पन्न होती है।

चरित्र-चित्रण में छोटी-छोटी घटनाओं को भी बड़ा महत्व प्राप्त होता है। सुमन घर पर मखमली जूते पहनती और स्वादिष्ट पदार्थ खाती थी; लेकिन जब विवाह के पश्चात् गजानंद के पास गई तो १५) रूपए महीने में गुजर-बसर करनी होती थी। सूखी रोटियाँ भी मय्यसर न होती थीं। सुमन की जीभ स्वादिष्ट और मीठे पदार्थों के लिये तरसा करती थी। यद्यपि सुमन भोली से घृणा करती, उसके हाथ का पानी तक पीने को तैयार नहीं थी तथापि जब मौलूद के बाद वह कहती है—मिठाई भेज दूँ, ब्राह्मण लाया है, तो सुमन इनकार न कर सकी, उसने दबी जुबान से अनुमति दे दी।

आगे चल कर जीभ का यह स्वाद भी उसके पतन का एक कारण बन गया। यह बिल्कुल स्वाभाविक बात है। मनुष्य कितना ही त्यागी और आदर्शवादी बने, वह संसार के भौतिक बंधनों से ऊपर नहीं उठ सकता।

फिर सुमन एकदम कुमार्ग पर नहीं चल खड़ी होती। अनेक घटनाओं और समाज के व्यवहार से उसे बराबर प्रेरणा मिलती रहती है, लेकिन कुल-मर्यादा और सदियों के संस्कार उसे रोके रखते हैं। मनुष्य इतना बोदा कभी नहीं होता कि तनिक प्रेरणा और प्रलोभन मिलने पर मान-मर्यादा को एकदम तज दे। वह अपनी अच्छी परम्पराओं की रक्षा के लिये भीषण परिस्थितियों का सबल विरोध करता है और सुमन ने भी यही किया। लेकिन समाज ने उसे पतन की ओर ढकेल दिया। उसने सगर्वा और सुंदर होते हुए भी जिस निर्धन पति के साथ निभाने का प्रयत्न किया, उसकी ओर से उसे तनिक भी प्रोत्साहन नहीं मिला, उलट शंका, संदेह और लांछना ही पाई। पाठक को कहीं भी ऐसा आभास नहीं मिलता कि प्रेमचंद ने अपने सुधारवादी सिद्धान्त का प्रयोग करने के लिये उसे वेश्या बनाया है, बल्कि यह सब कुछ स्वाभाविक ढंग से होता चला गया है।

एक प्रकार की सामाजिक स्थिति से दूसरे प्रकार की सामाजिक स्थिति में जाकर रहने से मनुष्य में जो गणात्मक परिवर्तन आते हैं, उन्हें भी प्रेमचंद बड़ी सूक्ष्मता और स्पष्टता से अंकित करते हैं। सदन सिंह जब चचा के पास बनारस में आकर रहने लगा तो निपट गँवार था लेकिन कुछ दिन ही शहर में रहने के बाद दाल मंडी के चक्कर लगाकर उसमें जो परिवर्तन आया, प्रेमचंद ने उसे भी व्यक्त किया है :—

“अब वह इतना निश्चक हो गया था कि दालमंडी में घोड़े से उतर

कर तम्बोलियों की दुकान पर पान खाने बैठ जाता। वे समझते, यह कोई बिगड़ा हुआ रईसजादा है। उससे रूप-हाट की नई-नई घटनाओं का वर्णन करते। गाने में कौन अच्छी है और कौन सुन्दरता में अद्वितीय है, इसकी चर्चा छिड़ जाती। सदन इन बातों को चाव से सुनता। अब तक वह कुछ रसज्ञ होगया था। पहले जो गजलें निरर्थक मालूम होती थीं, उन्हें सुनकर अब उसके हृदय का एक-एक तार सितार की भाँति गूँजने लगता था। संगीत के मधुर स्वर उसे उन्मत्त कर देते।”

मनोविज्ञान और हृदय-परिवर्तनों के ऐसे सजीव और सुबोध चित्र आपको प्रेमचन्द की कृतियों में पग-पग पर मिलेंगे। फिर एक ही व्यक्ति के मन में जो प्रगतिशील और रूढ़िवादी विरोधात्मक तत्वों का द्वन्द्व छिड़ा रहता है, पद्मसिंह और विठ्ठलदास के चरित्रों में उसकी भी बानगी मिलती है। लेकिन इस प्रकार के अध्ययन के लिये प्रेमचन्द के नौजवान और आदर्श पात्र बहुत ही उपयुक्त हैं। ‘प्रेमाश्रम’ का प्रेमशंकर, ‘कायाकल्प’ का चक्रधर ‘रंग भूमि’ का विनोद और ‘कर्म भूमि’ का अमरकान्त इसके विशेष उदाहरण हैं। उन्होंने इस रूढ़ि-ग्रस्त समाज में परवरिश पाई है। लेकिन वे शिक्षित नवयुवक राष्ट्रीय भावनाओं और जनसेवा-व्रत से इस अन्याय, शोषण और दमन पर टिकी सामाजिक व्यवस्था का अन्त करके एक नव समाज का निर्माण करना चाहते हैं। प्रेमचन्द अपने इन पात्रों को जो अपने परम्परागत संस्कारों के कारण रूढ़िवादी और दुर्बल आत्मा हैं, संघर्ष और जनसेवा का पथ ग्रहण करवाते हैं ताकि वह चरित्रवान्, त्यागी और कर्मवीर बनकर नव समाज के निर्माण में जनता का नेतृत्व कर सकें। लेकिन अंत में होता यह है कि प्रेमशंकर प्रेमाश्रम खोलकर और मायाशंकर का हृदय-परिवर्तन करके ही संतुष्ट हो जाता है। यह नहीं सोचता कि एक व्यक्तिमात्र के हृदय-परिवर्तन से पूरी जमींदारी-प्रथा तो तम नहीं हो जाती। चक्रधर संघर्ष का पथ छोड़कर अध्यात्मवाद की गरण लेता है। विनय आत्म-हत्या कर लेता है और, अमरकान्त उसी पुराने समाज से समझौता करके घर लौट आता है। उनमें से एक भी क्रांतिकारी न बन सका, एक भी जनता का नेतृत्व न कर सका। क्यों? आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण यह है कि इस समय तक प्रेमचन्द खुद सुधारवादी और आदर्शवादी थे। वे परिवर्तन तो चाहते थे, लेकिन क्रान्ति से हिचकिचाते थे।

‘शोदान’ के प्रेमचन्द ‘कर्म भूमि’ के प्रेमचन्द नहीं थे। ये यथार्थवादी बन गए हैं। यहाँ हमें आशा बँधती है कि गोबर क्रान्तिकारी बनेगा। जब वह शहर में जाकर मजदूर भर्ती होता है और हड़ताल में आगे बढ़कर भाग लेता है तो सम्भावना और भी सबल हो जाती है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। वह स्वार्थी बना रहता है, खुद रुपया सूद पर देता है और अपने बाप होरी से कहता है—“जब तक बच्चा था दूध पिला दिया, फिर लावारिस की तरह छोड़ दिया। जो सबने खाया वही मैंने खाया। मेरी जिन्दगी तुम्हारा देना भरने के लिए नहीं है; मेरे भी बाल-बच्चे हैं।”

प्रेमचन्द कहता यह चाहते हैं कि गाँव का बंटा शहर पहुँच कर मिल-मजदूरों की वाणी सीख गाँव से घृणा करने लगता है। वे पक्के स्वार्थी बन जाते हैं और उनका पतन हो जाता है। प्रेमचन्द यथार्थवादी तो बने; लेकिन मजदूर के क्रान्तिकारी ऐतिहासिक रोल को न समझ सके, यही उनकी मानसिक परिधि है और यही उनका रूढ़िवाद है।

प्रेमचन्द का सब से महान् चरित्र होरी है। जब तक हिन्दी साहित्य जीवित रहेगा उनका होरी भी जीवित रहेगा। प्रेमचन्द की लेखनी ने उसे अमरत्व प्रदान कर दिया है। डा० रामरतन भटनागर प्रेमचन्द पर अपनी पुस्तक में लिखते हैं—“होरी प्रेमचन्द के उस आदर्शवाद का प्रतीक है, जो उन्हें प्रेमाश्रम (१९२२) से कर्मभूमि (१९३२) तक विश्वस्त बनाये रख सका। यह आदर्शवाद अब यथार्थ स्थिति की चट्टान से टकराकर चकनाचूर हो गया है। होरी सब को मान कर चलना चाहता है—धर्म को, ईश्वर को, समाज को, व्यक्ति के पारिवारिक कर्तव्य को, परन्तु वह चल नहीं पाता। सभी के नाम पर वह शोषित है। पंडा-पुरोहित, समाजके नेता और कर्णधार, उसके भाई-भावज सब उसे छलते हैं और छलों का यह खेल खेलते-खेलते एक दिन उसकी जान ही चली जाती है।

होरी कोई व्यक्ति नहीं। वह सारे शोषित किसान-वर्ग का प्रतिनिधि है। उसका अस्तित्व इस मरण-प्रायः वर्गगत सामाजिक व्यवस्था पर कठोर व्यंग्य है। यह व्यवस्था अपने अन्याय और अत्याचार के कारण क्षण-क्षण टूट रही है—एक दिन धूल में मिल जाएगी। लेकिन होरी ! होरी सदा जीवित रहेगा।

डाक्टर भटनागर ‘रंगभूमि’ के सूरदास और विनयकुमार को भी महान्

पात्र मानते हैं और होरी की टक्कर का बताते हैं। उनका कहना है कि होरी गांधी का, विनय जवाहरलाल नेहरू का प्रतिरूप है। प्रेमचन्द ने हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन के इन्हीं दो महान् नेताओं से अपने यह दो पात्र लिये हैं। डाक्टर साहब ने शायद इसीलिए उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की है। मुमकिन है उनकी यह धारणा ठीक हो, कम-से-कम सूरदास को तो सभी गांधी का प्रतिरूप मानते हैं। लेकिन इस विषय में हमारा मत यह है कि जब तक हम खुद आदर्शवादी न हों, उनकी महत्ता में हमारा विश्वास टिकता नहीं। खुद प्रेमचन्द का विश्वास भी कहाँ टिका ! 'गोदान' में कोई सूरदास नहीं, कोई विनय नहीं। इस उपन्यास में जितने भी कांग्रेसी और गांधीवादी पात्र (अमरपालसिंह, चन्द्रप्रकाश खन्ना) हैं, सब की खिल्ली उड़ाई है। सब को पाखंडी और ढोंगी सिद्ध किया है।

इन दोनों से कहीं सजीव चरित्र-चित्रण तो 'कफन' कहानी के माधव और घीसू का हुआ, जो सारी उम्र पापड़ पेलते हैं, पर खाने-पहनने को तरस जाते हैं। माधो की पत्नी मरती है तो कहीं उनके मन की साध पूरी होती है। वे कफन के पैसे लेकर ताड़ीखाने पहुँचते हैं। घीसू अत्यन्त प्रसन्न मुद्रा में कहता है—“हमारी आत्मा प्रसन्न होरही है तो क्या उसे पुत्र न होगा ?” माधो भट उत्तर देता है—“जरूर से जरूर होगा। भगवान् ! तुम अंतर्दामी हो। उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद देते हैं। आज जो भोजन मिला है, वह कभी उम्र-भर न मिला था।”

और पाठक का हृदय कह उठता है—“जियो माधव, जियो !” यह घीसू और माधो हमें क्यों इतने भद्दे लगते हैं ? हमें यह कहानी पढ़कर अधिक आनन्द क्यों आता है ? हम इसे प्रेमचन्द की सर्वोत्तम कहानी क्यों कहते हैं ? इसलिए कि इसमें समाज का यथार्थ चित्रण हुआ है। घीसू और माधव का सच्चा और शुद्ध मानव-रूप—भला-बुरा जैसा भी वह है हमारे सामने है। प्रेमचन्द ने इस बारे में खुद लिखा है—“जहाँ मनुष्य अपने मौलिक, यथार्थ, अकृत्रिम रूप में है, वहीं आनन्द है।”

प्रेमचन्द जहाँ आदर्शवाद की भूल-भुलैया में नहीं खो जाते, जहाँ वे मनुष्य को कृत्रिम ढंग से भला बनाने और हृदय-परिवर्तन करने का प्रयत्न न करके उसे उसके अकृत्रिम और यथार्थ रूप में पेश करते हैं वहीं उनका चरित्र-चित्रण अधिक सुन्दर बन पड़ा है। चरित्र-चित्रण के बारे में जिस हद तक वह

पहुँच चुके थे, उसी से वह संतुष्ट नहीं थे बल्कि वे भविष्य में और आगे पहुँचना चाहते थे। इस बारे में उन्होंने लिखा है :—“यों कहना चाहिए कि भावी उपन्यास जीवन-चरित्र होगा—चाहे किसी बड़े आदमी का या छोटे आदमी का। उसकी छुटाई-बड़ाई का फैसला उन कठिनाइयों से किया जाएगा कि जिन पर उसने विजय पाई है।”

हाँ, वह चरित्र इस ढंग से लिखा जाएगा कि उपन्यास मालूम हो। अभी हम भूठ को सच बनाकर दिखाना चाहते हैं, भविष्य में सच को भूठ बनाकर दिखाना होगा। किसी किसान का चरित्र हो या किसी देश-भक्त का या किसी बड़े आदमी का, पर उसका आधार यथार्थ पर होगा। तब यह काम उससे कठिन होगा, जितना अब है; क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग हैं, जिनको बहुत से मनुष्यों को भीतर से जानने का गौरव प्राप्त हो।

प्रेमचन्द सदा मनुष्यों को भीतर से जानने का ही प्रयत्न करते रहे और उनके भीतर के चरित्र अपनी रचनाओं में प्रस्तुत करते रहे, जितना वह कर पाए वही उनकी सफलता है। और कोई लेखक उनसे अधिक कर सकेगा तो उसे साहित्य को प्रेमचन्द से आगे बढ़ाने का श्रेय प्राप्त होगा।

नारी-पात्र

“औरतको जीवन में प्रेम न मिले, तो उसका सर जाना ही अच्छा है।”

—प्रेमचन्द

प्रेमचन्द के उपन्यासों और कहानियों में अनक नारी-पात्र हैं, जिनसे परोक्ष रूप में यह ज्ञात होता है कि नारी, प्रेम और विवाह-समस्या के बारे में प्रेमचन्द का दृष्टिकोण क्या था और जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए इन समस्याओं का वे क्या हल चाहते थे ! यह बात निर्विवाद सत्य है कि इस रूढिगत और पुरुष-प्रधान समाज में स्त्रियों का व्यक्तित्व कुचला हुआ है। कहनेको तो उसे मानव-जीवन की कर्णधार, देवी, सती, चाहे कुछ कह दिया; पर वास्तव में उसकी हैसियत दासी से अधिक नहीं है। बेटा बाप की सम्पत्ति का वारिस बनता है, बेटी का उसमें कोई हिस्सा नहीं है। विवाह के बाद जब वह सुसराल जाती है, तो पहले पति, पति के भाई इत्यादि और फिर बेटे जैसा चाहें, उसके साथ सलूक किया करते हैं। उसकी मान-मर्यादा और सुख-दुःख उनकी सदिच्छा और दया पर ही निर्भर करते हैं। उसके जीवन का कोई साधन नहीं, वह पुरुष की आश्रित है। मनु का कथन है कि नारी बचपन में पिता और भाइयों के, जवानी में पति के और बुढ़ापे में पुत्रों के अधीन है। हमारे वर्तमान सामाजिक जीवन में यह कथन अक्षरशः कार्यान्वित होता है। विवाह-प्रणाली इतनी दूषित हो गई है कि जो लोग धनी और समृद्ध हैं, वे विवाह के समय अपने बेटों की मुँह-माँगी कीमत बमूल करते हैं, और जो लोग निर्धन हैं, वे अपनी लड़कियाँ बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर वंश, गोत्र, जात-पात और कुलीन-सुकुलीन के इतने झगड़े हैं कि लड़कियों के लिए उचित बर मिलना बहुत कठिन है।

प्रेमचन्द इस वैवाहिक प्रथा को पसन्द नहीं करते थे। उनकी 'दो सखियाँ' कहानी का नायक विनोद कहता है—“मैं वर्तमान वैवाहिक प्रथा को पसन्द नहीं करता। इस प्रथा का आविष्कार उस समय हुआ था, जब मनुष्य सभ्यता की प्रारम्भिक दशा में था। तब से दुनिया बहुत आगे बढ़ा है, मगर विवाह-प्रथा में जौ-भर भी अन्तर नहीं आया। यह प्रथा वर्तमान काल के लिए उपयोगी नहीं है।” स्पष्ट है कि वे विवाह के विरुद्ध नहीं थे, केवल वर्तमान प्रथा में सुधार अथवा परिवर्तन चाहते थे। वे इस वैवाहिक प्रथा के कुपरिणाम को नित्य के व्यावहारिक जीवन में अपनी आँखों से देखते थे और उनका महान् और उदार हृदय नारी की दीन-हीन दशा को सहन नहीं कर सकता था। औरत की इस दयनीय दशा को उन्होंने 'अभिलाष' कहानी में बड़े ही सुन्दर ढंग से दर्शाया है। उन्होंने लिखा है :—कल पड़ोस में बड़ी हलचल मची। एक पानवाला अपनी स्त्री को मार रहा था। वह बेचारी बैठी रो रही थी। पर उस निर्दयी को उस पर लेश-मात्र भी दया नहीं आती थी। आखिर स्त्री को भी क्रोध आ गया। उसने खड़े होकर कहा—“बस, अब मारेगा; तो ठीक न होगा। आज से मेरा तुझ से कोई सम्बन्ध नहीं। मैं भीख माँगूँगी, पर तेरे घर नहीं आऊँगी।” यह कह कर उसने एक पुरानी साड़ी उठाई और घर से निकल पड़ी। कहानी की नायिका कामिनी आगे कहती है—“मैं अपने कमरे की खिड़की से घंटों देखती रही कि शायद वह फिर लौटे या शायद पानवाला ही उसे मनाने जाय, पर दो में से एक बात भी न हुई। आज मुझे स्त्री की सच्ची दशा का पहली बार ज्ञान हुआ। यह दुकान दोनों की थी। पुरुष तो मटरगश्त किया करता था, स्त्री रात-दिन बैठी सती होती थी। दस-ग्यारह बजे दुकान पर बैठे उसे देखती थी। प्रातःकाल नींद खुलती, तब भी उसे बैठे पाती। नोंच-खसोट, काट-कपट जितना पुरुष करता था, उससे कुछ अधिक ही स्त्री करती थी। पर पुरुष सब-कुछ है, स्त्री कुछ नहीं। पुरुष जब चाहे, उसे निकाल बाहर कर सकता है। जब एक बराबर मेहनत करनेवाली औरत को दूध की मक्खी की तरह निकाल बाहर किया जा सकता है, तो इस सामाजिक व्यवस्था में पति पर आश्रित औरत कैसे अपनी अवस्था पर सन्तुष्ट हो ! उसे बारम्बार यह आभास होता है कि मैं पत्नी नहीं लौंडी हूँ।”

उनकी 'कुसुम' कहानी की नायिका अपने निजी अनुभवों के आधार पर कहती है—“वर्तमान स्थिति में पत्नी बनना गुलामी न सही, पुरुष से कमतर

दर्जा स्वीकार करना है। प्रेम तो आर्थिक समता का नाम है। इस असमानता में प्रेम का अस्तित्व हो सकता है, मुझे तो इसमें सन्देह है।” इस पुरुष-प्रधान सामाजिक व्यवस्था में स्त्री की बिल्कुल यही हालत है। मनुष्य असुन्दर और कुरूप हो, वह अपनी सुन्दर और सुशील पत्नी से मनमाना व्यवहार कर सकता है, एक से अधिक पत्नियाँ रख सकता है, वेश्यागमन कर सकता है। सन्तान न हो, तो वह उस पर सौत लाकर बिठा सकता है। बुढ़ापे में पत्नी मर जाय, तो अपनी पुत्री और पोती के सदृश नवयौवना कन्या से विवाह रचा सकता है। लड़की बेचारी बेसींग की गाय है; बाप उसे जिसके हाथ चाहे पकड़ा दे।

प्रेमचन्द के ‘वरदान’ उपन्यास को लीजिए। विरजन और प्रताप बचपन के साथी हैं और एक-दूसरे से प्रेम करते हैं। लेकिन विरजन का विवाह कमलाचरण से हो जाता है। कमलाचरण में कोई गुण नहीं, वह आवाज़ और लम्पट है। विवाह केवल इसलिए हुआ था कि उसका बाप बहुत बड़ा पदाधिकारी है। विरजन एक हिन्दू-स्त्री की तरह उसे अपना देवता मानती है और उसे सुधारने का प्रयत्न करती है। वह उसके प्रभाव से सुधर भी जाता है। लेकिन जब वह उससे दूर प्रयाग में जाकर रहता है, तो फिर बिगड़ जाता है और दुराचार में पड़कर उसकी मृत्यु हो जाती है। विरजन अब एक हिन्दू विधवा है। वह अब कविताएँ लिखती है और कलाकृतियों में अपनी मनो-भावनाओं को व्यक्त करती है। बचपन के साथी प्रताप से, जो अब बालाजी है, वह बराबर प्रेम करती है। लेकिन यह आध्यत्मिक प्रेम है। इसमें वासना की गन्ध नहीं। यह उपन्यास घटना-प्रधान है। विरजन का चरित्र उभरने नहीं पाया है, वह आदर्शवाद के नीचे दब गया है। पर इतना स्पष्ट है कि इस समाज में विवाह लड़के-लड़की के प्रेम और गुण-स्वभाव को देखकर नहीं होता, धन और सम्पत्ति से तय होता है। इसी से विरजन का जीवन दुःखी हुआ। यह दूसरी बात है कि प्रेमचन्द ने उसे कविता-निर्माण के कल्पित-मार्ग पर डाल दिया। इससे समस्या हल नहीं हुई बल्कि विरजन स्वयं कल्पना-मात्र बनकर रह गई। उसकी सखी माधवी भी एक कल्पित पात्र है। हाँ, इस उपन्यास में प्रताप की माँ सुवामा का प्राचीन सभ्यता में पला हुआ आदर्श नारी का चरित्र है, जो अपने-आपको पति और बेटे के प्रेम में मिटा देती है।

‘प्रेमा’ उपन्यास हिन्दू-समाज में विधवा नारी की समस्या को लेकर लिखा

गया है। प्रेमचन्द इस समय आर्यसमाज के समाज-सुधार-आन्दोलन से प्रभावित थे। इसी दृष्टिकोण से उन्होंने समस्या का हल पेश किया। पूर्णा सीधी-सादी, सरल स्वभाव की औरत है। वह कमलाचरण के कपट-व्यवहार को नहीं समझ पाती। इसलिए उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखती है। लेकिन जब वह उसके सतीत्व पर हाथ डालता है, तो वह कुर्सी उठाकर मारती और उसे घायल कर देती है। पूर्णा से ऐसे हमले की आशा नहीं की जा सकती। इस घटना से इतना ही सिद्ध होता है कि लेखक को नारी के सतीत्व की रक्षा करनी थी और प्रेमचन्द सतीत्व की रक्षा अक्सर करते हैं। पहले संस्करण में प्रेमचन्द ने पूर्णा का दोबारा विवाह कर दिया था, लेकिन दूसरे संस्करण में इसलिए बदल दिया कि ऐसा करने से नारी अपने सतीत्व के उच्च आदर्श से गिर जाती है। चुनांचे वे पूर्णा को विधवाश्रम में भिजवा देते हैं और वहाँ वह कृष्ण-भक्ति में जीवन व्यतीत करने लगती है।

सतीत्व की रक्षा प्रेमचन्द का प्रिय विषय है। वे कहीं भी नारी और पुरुष के सम्बन्ध का दूषित होने देना पसन्द नहीं करते। 'सवासदन' की सुमन दालमंडी में बैठकर सिर्फ नाचती-गाती है, लेकिन अपने सतीत्व की रक्षा करती है। हिन्दू-नारी ने शताब्दियों से सीता और सावित्री को अपना आदर्श मान रखा है। प्रेमचन्द अपने उपन्यासों और कहानियों में अक्सर दिखाते हैं कि हिन्दू-नारी के मन में जाने-अनजाने सतीत्व की रक्षा का परम्परागत संस्कार इतना सुदृढ़ है कि विरोधी परिस्थितियों में भी उसका सतीत्व ध्रुव और अडिग रहता है। वह जी-जान से उसकी रक्षा करती है। प्रेमचन्द इस बारे में कई बार सुधारक और रूढ़िवादी जान पड़ते हैं, लेकिन वे हिन्दू-नारी के इस विश्वास और आदर्श का समर्थन करते हैं और सतीत्व को हिन्दुस्तानी कौम की आत्मा मानते हैं। प्रेमचन्द के नारी-पात्रों को समझने के लिए यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। विवाह-प्रथा नारी को गुलाम बनाती है, तो इसका इलाज उनके विचार में यह नहीं कि नारी अपने सतीत्व को, अपने धर्म को छोड़ दे और पुरुषों की तरह विलासिनी और व्यभिचारिणी बन जाय। इससे बुराई कम नहीं होगी, अनाचार फैलेगा। वे डॉ० इन्द्रनाथ मदान के नाम अपने एक पत्र में लिखते हैं—“मेरा नारी का आदर्श है एक ही स्थान पर त्याग, सेवा और पवित्रता। त्याग विना फल की आशा के हो, सेवा विना असन्तोष प्रकट

किए हुए हो और पवित्रता सीजर की पत्नी की भाँति ऐसी हो, जिसके लिए पछताने की आवश्यकता न हो।”

प्रेमचन्द का यह विश्वास था और यह विश्वास उनके साहित्य का प्राण है। पर इसका यह मतलब नहीं कि उनके उपन्यासों और कहानियों में नारी का चरित्र और व्यक्तित्व उभरता नहीं, यह समस्या ही प्रधान रहती है। वे इस आदर्श को अपने नारी-पात्रों पर जबरदस्ती ठूसते हैं, ऐसी बात भी नहीं। हमारे समाज में इस समय भी लाखों-करोड़ों औरतें ऐसी हैं, जो भयंकर-से-भयंकर परिस्थितियों में भी अपने भाग्य पर सन्तुष्ट रहती हैं और पति तथा समाज का अत्याचार चुपचाप सहती हैं। जिनका भाग्य पर विश्वास नही, जो सन्तुष्ट नहीं हैं, वे अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लड़ती-भगड़ती हैं, परन्तु उनकी वासनाएँ उन्हें विचलित नहीं करती। वे अपने सतीत्व पर दृढ़ रहती हैं। प्रेमचन्द ने ऐसे ही जीते-जागते नारी-पात्र चुनकर हमारे सामने पेश किए हैं।

ऐसी ही एक जीती-जागती और स-प्राण नारी ‘प्रतिज्ञा’ की सुमित्रा है। वह अपने पति कमलाचरण से बिल्कुल ही विपरीत स्वभाव की है। उसका पति कंजूस, दुष्ट और दुराचारी है, लेकिन सुमित्रा उदार, सुशील और सती-साध्वी है। माता-पिता ने कमलाचरण से विवाह कर दिया इसलिए उसके साथ निर्वाह कर रही है। पर वह उसके आचरण की कड़ी आलोचना और तन्दा करती है। वह निर्भीक है। वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के प्रति उसके मन में क्षोभ और क्रोध भरा हुआ है, जिसे वह प्रायः प्रकट करती है और इसी क्रोध के कारण उसे रात को नींद भी नहीं आती। पूर्णा ने उसे एक बार बहुत देर तक जागते देखा, तो चिन्तित होकर पूछा— “तुम अब तक कैसे जाग रही हो ?”

सुमित्रा—“तमाम दिन साया जो करती हूँ।”

पूर्णा—“तो क्यों सोती हो तमाम दिन ?”

सुमित्रा—“यही रात को जागने के लिए !”

सुमित्रा हँसने लगी। एक क्षण में सहसा उसकी मुख-मुद्रा गंभीर हो गई। बोली—“अपने माँ-बाप की धन-लिप्सा का मातम कर रही हूँ; बहन, और क्या !” यह कहते-कहते उसकी आँखों में आँसू भर आए। एक स्त्री का, जो अपने मन का दुःख अपने भीतर छुपाए रहती है और जिसे माता-पिता ने

केवल धन देखकर एक अयोग्य व्यक्ति से व्याह दिया हो, इससे सुन्दर चित्रण और क्या हो सकता है ? एक अवसर पर पुरुषों द्वारा स्त्रियों की रक्षा किए जाने पर बहस हो रही थी, तो सुमित्रा बोली—“रक्षा की है तो इसलिए नहीं कि औरतों के बारे में मर्दों का विचार उदार है। अपनी सम्पत्ति के लिए सन्तान की आवश्यकता न होती, तो कोई भी मर्द स्त्री की बात न पूछता।” यह स्त्री पाठक की श्रद्धा और सम्मान का पात्र बनती है उसमें बुद्धि है, साहस है, त्याग है। जब कमलाचरण पूर्ण के हाथों जस्मी होता है और शंका प्रकट की जाती है कि कहीं मर न जाय, तो सुमित्रा कहती है—“ऐसे निर्लज्ज मरा नहीं करते। मरते हैं वह, जिनमें सत्य की शक्ति होती है।”

‘प्रतिज्ञा’ उपन्यास ‘सेवासदन’ से पहले लिखा गया था और यह मानी हुई बात है कि ‘सेवा-सदन’ में पात्रों का चरित्र-चित्रण सुन्दर हुआ है। फिर भी उपन्यास की नायिका सुमन का चरित्र इतना स्वाभाविक नहीं है, जितना सुमित्रा का। उसमें सुमित्रा की महत्ता भी नहीं है। वह सुन्दर है, सगर्वा है, लेकिन अच्छा खाने और अच्छा पहनने की शौकीन है। उसकी यही कमजोरियाँ उसे पतन की ओर ढकेल देती हैं। दालमंडी तक तो उसका चरित्र स्वाभाविक है, लेकिन उसके पश्चात् ऐसा लगता है कि प्रेमचन्द ने सतीत्व की रक्षा के लिए आदर्शवादी-तन्त्र का प्रयोग किया है। यह ठीक है कि सुमन के प्राचीन संस्कार और प्रायश्चित्त की भावना ही उसके सुधार का आधार हैं, लेकिन घटनाएँ बहधा प्राकृतिक नहीं हैं। इस विषय की एक कहानी ‘विश्वास’ है, जिसमें मिस जोशी का—जो बम्बई के सभ्य समाज की राधिका है, जो कहने को स्कूली अध्यापिका है, पर वास्तव में वेश्यावृत्ति धारण किए हुए है—क्रान्ति-कारी नेता आप्टे द्वारा उद्धार किया गया। जब मिस जोशी उससे प्रभावित हो जाती है और अपने वर्तमान जीवन पर खेद प्रकट करती है, तो आप्टे कहता है—“मिस जोशी, हम सब मिट्टी के पुतले हैं, कोई निर्दोष नहीं। मनुष्य बिगड़ता है या तो परिस्थितियों से या पूर्व संस्कारों से। परिस्थितियों का त्याग करने ही से बच सकता है, संस्कारों से गिरने वाले मनुष्य का मार्ग इससे कहीं कठिन है। आपकी आत्मा सुन्दर और पवित्र है, केवल परिस्थितियों ने उसे कुहरे की भाँति ढक लिया है। अब विवेक का सूर्य उदय हो गया है। ईश्वर ने चाहा, तो कुहरा भी फट जायगा। लेकिन सबसे पहले परिस्थितियों

का त्याग करने को तैयार हो जाओ।” इसके उपरान्त मिस जोशी परिस्थितियों का त्याग करने में साहस से काम लेती है। पाठक को विश्वास हो जाता है कि उसकी आत्मा सुन्दर और पवित्र है। सुमन की आत्मा भी सुन्दर और पवित्र है। वह भी परिस्थितियों का त्याग करती है। लेकिन सुमन और मिस जोशी दोनों ही पाठक की दया की पात्र हैं। सुमित्रा तो ऊँचे—बहुत ऊँचे—स्तल पर खड़ी परिस्थितियों पर, दुःखों और विपत्तियों पर जैसे मुस्करा रही है। वह दया की मुँहताज नहीं है।

सुमित्रा का दूसरा रूप हमें ‘प्रेमाश्रम’ की विद्यावती में मिलता है। उसका पति ज्ञानशंकर लोभी, स्वार्थी, दुष्ट और नीच एक साथ सब-कुछ है। वह नई रोशनी का जमींदार है। उसने अपने स्वार्थ और संकीर्णता से पारिवारिक जीवन को दुःखी बना रखा है। वह अपने चाचा प्रभाशंकर की, जो पुराने जमाने के उदार और दयालु व्यक्ति हैं, कड़ी आलोचना करता है। विद्या को पति का यह आचरण पसन्द नहीं है। उसे ज्ञानशंकर को अपने चाचा से वाद-विवाद करते देखकर दुःख और खेद होता है और अक्सर मिलने पर वह उसे समझाने की चेष्टा करती है, पर ज्ञानशंकर उसे झिड़क दिया करता है। वह इतना शिक्षित होकर भी स्त्री का आदर इससे अधिक न करता, जितना अपने पैरों के जूतों का। अतः उनका दाम्पत्य जीवन भी, जो चित्त की शान्ति का प्रधान साधन है, सुखी नहीं है। बावजूद इसके कि उनका दाम्पत्य-जीवन सुखी नहीं है, विद्या अपने पति की दुष्टता, नीचता और शठता सब-कुछ सहन करती है और चुपचाप गृहस्थी चलाती है। ज्ञानशंकर अपनी पत्नी के साथ इसलिए भी लड़ पड़ता है कि वह अपने जमींदार पिता के लिए बहुत-सा धन क्यों नहीं ले आती, ससुर इतना स्वार्थी और कंजूस क्यों है ! उस समय तो ज्ञानशंकर की नीचता की पराकाष्ठा हो जाती है, जब विद्या के एक-मात्र भाई की मृत्यु का तार आता है और ज्ञानशंकर यह समाचार पाकर दुःखी होने के बजाय इसलिए प्रसन्न होता है कि सुसराल की सम्पत्ति का वारिस अब वह खुद बनेगा। स्त्री का हृदय ऐसे पति के प्रति घृणा से नहीं भर जायगा, तो और क्या होगा ?

यही पर बस नहीं होती। विद्या की एक बहन गायत्री है वह भी गोरखपुर में बहुत बड़ी जमींदारी की मालकिन है। नीच ज्ञानशंकर उस पर प्रेम के

डोरे डालता है और वह चाहता है कि वह उसके बेटे मायाशंकर को गोद ले ले और सम्पत्ति उसके नाम लिख दे। ज्ञानशंकर कृष्णालीला का स्वांग भरकर उसका सतीत्व लूट लेता है। विद्या उसकी कुटिल नीति को समझती थी और इस दुराचरण से मना करती थी। जब वह किसी तरह भी बाज न आया, तो विद्या ने आत्म-हत्या करके जीवन-नाटक का अन्त कर दिया। विद्या नई पीढ़ी की सुशिक्षित और सुशील लड़की थी। उसके जीवन का यों अन्त होते देखकर सचमुच ही दुःख होता है। लेकिन यह विद्या की नहीं, इस सामाजिक व्यवस्था की, इस विवाह-प्रणाली की ट्रेजडी है। यह ट्रेजडी 'निर्मला' उपन्यास में और भी भयानक रूप में हमारे सामने आती है। निर्मला पिता की मृत्यु के पश्चात् दहेज के अभाव के कारण बूढ़े तोताराम से ब्याह दी जाती है। समाज ने निर्मला की देह तोताराम के सुपुर्द कर दी, पर वह उसे अपना हृदय, अपनी आत्मा नहीं दे पाती। यह उसके सामर्थ्य से बाहर की बात है। पति की पहली पत्नी से जो संतान है, वह उससे जी बहलाती है। बूढ़ा पति निर्मला और अपने बड़े लड़के मंसाराम के प्यार और मेल-मिलाप पर संदेह करता है। जिससे मंसाराम की मृत्यु होती है। जियाराम चोर बनकर आत्म-हत्या करता है और सियाराम घर से भाग जाता है। इस प्रकार सारा घर उजड़ जाता है और निर्मला घुल-घुलकर मर जाती है। यह एक ऐसी स्त्री का यथार्थवादी चरित्र है, जो क्रूर समाज की बलिवेदी पर चढ़ाई गई है।

ऐसे क्रूर बलिदानों के बेजोड़ ब्याहों के उदाहरण प्रेमचन्द के लगभग सभी उपन्यासों में मिलते हैं। 'कायाकल्प' की मनोरमा चक्रधर से प्रेम करती है, पर उसका ब्याह विशालसिंह से होता है। देह पति की हो जाती है, परन्तु आत्मा चक्रधर की ही रहती है। वह उसे जेल से छुड़वाती है और हर तरह से उसकी सहायता करती है। उसका प्रेम इतना स्वच्छ और उदार है कि वह अहल्या से कभी ईर्ष्या नहीं करती। विशालसिंह की मृत्युके पश्चात् वह दृश्य बहुत ही मार्मिक हो जाता है, जब मनोरमा पक्षी पालकर मन बहलाती है और चक्रधर भी चिड़िया पालकर उनके महल में रख जाता है। मनोरमा माली से पूछती है कि पिंजरा रखकर जानेवाला कौन था, हालांकि वह जानती है कि वह व्यक्ति चक्रधर ही था।

'रंगभूमि' की इन्दु भी बड़ी उदार और सुशील नारी है, लेकिन उसका

विवाह महेश्वरसिंह से होता है, जो ज्ञानशंकर और कमलाचरण की तरह नीच और स्वार्थी है। वह केवल कीर्ति के लिए और सहज ईर्ष्याविश मानवी आदर्शों से नीच गिरता है। इंदु सती-साध्वी है, पति-सेवाको अपना धर्म समझती है ; लेकिन वह पति के कुकर्मों का विरोध करती है, जिससे उसका जीवन दुःखी है और उसे पाठक की सहानुभूति प्राप्त है। 'कर्मभूमि' की नैना भी ऐसी ही विरोधी परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करता है। वह डाक्टर शान्ति से अनुराग रखती है और उसका विवाह सेठ धनीराम के दुराचारी पुत्र मनीराम से होता है, क्योंकि वह धनीराम का बेटा है। विवाह के दो महीने बाद डाक्टर शान्ति को सुखदा से पता चलता है कि धनीराम पक्का शोहदा है और नैना वहाँ दुःखी रहती है, तो डाक्टर शान्तिकुमार धनीराम से मिलकर उसे समझाना चाहते हैं। इस पर सुखदा बोली—“नहीं, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आपने उससे कुछ कहा, तो यह सब नैना के सिर जाएगी।”

“मैं उससे लड़ने नहीं जाऊँगा, मैं उसकी खुशामद करने जाऊँगा। वह जानता नहीं, पर नैना के लिए अपनी हत्या करने में भी मुझे संकोच नहीं है। मैं उसे दुःखी नहीं देख सकता। निःस्वार्थ सेवा की वह देवी अगर मेरे सामने दुःखी हो, तो मेरे जीने को धिक्कार है।”

इससे जहाँ नैना के प्रति डाक्टर शान्ति के प्रेम का पता चलता है, वहाँ नैना के चरित्र पर भी प्रकाश पड़ता है। नैना ने पहले दिन का हाल वर्णन करते हुए भाभी के सामने मनीराम का यह चरित्र खींचा है—“जिस दिन मैं गई, उस दिन वे गले में हार डाले, आँखें नशे से लाल, उन्मत्त की भाँति पहुँचे, जैसे कोई आसामी से महाजन के रुपये वसूल करने जाय। और मेरा घूँघट उठाते हुए बोले—“मैं तुम्हारा घूँघट देखने नहीं आया और न मुझे यह ढकोसला पसन्द है, आकर इस कुर्सी पर बैठो। उनका यह रूप देखकर थाल मेरे हाथ से छूट कर गिर पड़ा और उसका धूप-दीप-नैवेद्य भूमि पर बिखर गया। मेरी चेतना का रोम-रोम जैसे इस अधिकार-गर्व से विद्रोह करने लगा।” इस प्रकार नैना का सारा जीवन विद्रोह से भरा हुआ है। उसकी पति से नहीं बनती। शहर में मजदूरों के लिए अनेक घर बनाने का जो आन्दोलन चलता है, वह उसमें भाग लेती है और शहीद हो जाती है।

ऐसा ही चरित्र-वैषम्य 'गोदान' के चन्द्रप्रकाश खन्ना और उनकी पत्नी गोविन्दी में पाया जाता है। गोविन्दी सुशिक्षित, सगर्वा और शालीनता की मूर्ति

है, और उनका पति स्वार्थी और हृदय-हीन है। उसके लिए पैसा ही सब-कुछ है। वह अपनी इतनी अच्छी पत्नी को पाँव की जूती से अधिक नहीं समझता। नये समाज की तितली दमयंती के साथ फलर्ट करता है, उसके सामने पत्नी का अपमान करता है और जब गोविन्दी उसके व्यवहार की आलोचना करती है, तो वह उसे निर्दयता से पीट देता है। सगर्वा नारी की देह और आत्मा इस अपमान से जल उठती है। खन्ना ने उसका अपमान यह सोचकर ही तो किया है कि वह उसकी आश्रिता है, उसके टुकड़ों पर पलती है ! यह सोच कर गोविन्दी का मन ग्लानि से भर जाता है और वह रूठकर घर छोड़ देती है। आगे चलकर उसकी भेंट आदर्शवादी मेहता से हो जाती है। वह खन्ना के व्यवहार से पहले ही परिचित था। उसके मन में गोविन्दी के प्रति सच्ची श्रद्धा है। अब उसके घर से निकलने की राम-कहानी सुन कर कहता है—
 “नहीं देवी जी, वह घर आपका है और सदैव रहेगा। उस घर की आपने सृष्टि की है, उसके प्राणियों की सृष्टि की है और प्राण-जैसे देह का संचालन किया है। मातृत्व महान् गौरव का पद है और गौरव के पद में कहीं अपमान, धिक्कार और तिरस्कार नहीं मिला ! माता का काम जीवन-दान देना है।”
 गोविन्दी ने अधीर होकर कहा—“लेकिन मैं केवल माता ही नहीं हूँ, नारी भी तो हूँ।” आखिर गोविन्दी का नारीत्व मातृत्व से परास्त हो जाता है और वह उसके कहने पर घर लौट जाती है। प्रेमचन्द प्राचीनता से यह समझौता अक्सर करते हैं, क्योंकि वे तलाक़ को नहीं मानते। प्रेमचन्द नारी को मातृत्व का महान् पद देते हैं और मेहता के शब्दों में वे मातृत्व को संसार में सबसे बड़ी साधना और तपस्या मानते हैं, इसीलिए वे नारी से पुरुष की अपेक्षा अधिक त्याग की माँग करते हैं। यह उनका आदर्शवाद है और इसी में उनका रूढ़िवाद निहित है। इसी मातृत्व का प्रचार करके ही तो पुरुष ने औरत को बच्चे जनने की मशीन बना रखा है, त्याग और दया की देवी मानता है; लेकिन घर से निकलने की आज्ञा नहीं देता।

लेकिन प्रेमचन्द की इस मान्यता में कोई छल, कपट और स्वार्थ नहीं था। वे नारी को सचमुच ही पुरुष से महान् समझते थे और इसी में नारी और पुरुष दोनों का कल्याण समझते थे। उन्होंने इसी आदर्श को लेकर कितनी ही नारियों का चरित्र-चित्रण किया है। इस बारे में उन्होंने राजपूत नारियों

के पात्र प्रस्तुत किए हैं, जो रण-क्षेत्र से भाग आनेवाले पति और भाइयों का मुँह तक देखना पसन्द नहीं करतीं और जो अपने प्राणों का बलिदान देकर वचन और मर्यादा को पालने की शिक्षा देती हैं। ऐतिहासिक कहानी 'रानी सारन्धा' में सारन्धा और 'मर्यादा की देवी' में प्रभा ऐसी ही नारियाँ हैं।

हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन में बहुत-सी औरतों ने भाग लिया था। प्रेमचन्द उनका बड़ा सम्मान करते थे। उन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों में उन्हें बड़ी श्रद्धा से चित्रित किया है। बल्कि उन्होंने यहाँ भी यह दिखाया है कि स्त्रियाँ पुरुषों से आगे बढ़कर भाग लेती हैं, उनसे अधिक त्याग करती हैं और पुरुष को भी त्यागी बनने की सद्प्रेरणा उन्हीं से मिलती है। 'पत्नी से पति' कहानी की नायिका ऐसी ही नारी है, जो अपने त्याग और साहस से अपने पति सेठ दीनानाथ को देश-सेवा का मार्ग दिखाती है। जब वह उसी के कारण अफसरों से लड़कर अपने पद से इस्तीफा देकर घर लौटता है, तो गोदावरी कहती है—“जो हुआ, अच्छा हुआ; आज से तुम भी कांग्रेस में शरीक हो जाओ।” सेठ ने ओंठ बनाकर कहा—“लजाओगी तो नहीं, ऊपर से धाव पर नमक छिड़कती हो।”

गोदावरी—“लजाऊँ क्या, मैं तो खुश हूँ कि तुम्हारी बेड़ियाँ कट गईं !”

सेठ—“आखिर कुछ सोचा है, काम कैसे चलेगा ?”

गोदावरी—“सब सोच लिया है। मैं चलाकर दिखा दूँगी। बड़प्पन सूट-बूट और ठाट-बाट में नहीं है। जिसकी आत्मा पवित्र है, वही ऊँचा है।”

प्रेमचन्द की अपनी पत्नी शिवरानी देवी ने सन् १९३०-३२ के आन्दोलन में उनसे बढ़कर हिस्सा लिया था। वे खुद जेल जाना चाहते थे, पर शिवरानी उन से पहले चली गई थीं। और लिखा है कि सन् १९२०-२२ के आन्दोलन में अपने अध्यापक-पद से इस्तीफा देने की बात सोच रहे थे और इस असमंजस में पड़े थे कि खर्च कैसे चलेगा, तो शिवरानी देवी ने कहा था—“खर्च-वर्च सब चल जायगा। जब इरादा नेक है, तो उस पर अमल करने की ढील क्यों ? जो सोचा है, कर डालो।”

प्रेमचन्द आदर्श दाम्पत्य-जीवन उसे मानते हैं, जब पति-पत्नी एक दूसरे के विकास को आगे बढ़ाते एक-दूसरे को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें और एक-दूसरे के जीवन में जिस बात की कमी हो, उसे पूर्ण करें। 'सेवा-मदन'

के कृष्णचन्द्र और गंगाजली, पद्मसिंह और सुभद्रा, मदनसिंह और माया ऐसे ही आदर्श पति-पत्नियाँ हैं। दारोगा कृष्णचन्द्र के निर्लोभी होने पर भी उनके स्वभाव में मितव्यया नहीं थी। लेकिन गंगाजली चतुर स्त्री थी। वह उन्हें समझाया करती थी कि ज़रा हाथ रोक कर खर्च करो। जीवन में यदि और कुछ नहीं करना, तो लड़कियों का विवाह तो करना ही पड़ेगा। दोनों के जीवन में सुख है और प्रेम भी।

सुभद्रा और पद्मसिंह के जीवन की एक भाँकी देखिए। 'जगत्' के सम्पादक प्रभाकर राव ने अपने पत्रों में सुमन को लेकर पद्मसिंह पर लांछन लगाए, तो वे भुंभुला उठे और उसकी गालियों का जवाब लिखने बैठे। उसी समय सुभद्रा आ गई। पूछने लगी कि वह तुम्हारे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गया है? पद्मसिंह ने कहा कि इनका कोई धर्म तो है नहीं, जिससे ग्राहक प्रसन्न हो और जिससे पैसा मिले, वही बात लिखते हैं।

सुभद्रा : "तब तो यह लोग पैसे के गुलाम हैं, इन पर क्रोध करने की जगह दया करनी चाहिए।"

पद्मसिंह मेज़ से उठ आए। उत्तर लिखने का विचार छोड़ दिया। सुभद्रा को ऐसी विचारशील कभी न समझते थे। उन्होंने अनुभव किया कि यद्यपि मैंने बहुत विद्या पढ़ी, पर इसके हृदय की उदारता को मैं नहीं समझ पाता। यह अशिक्षिता होकर भी मुझसे कहीं उच्च विचार रखती है। उन्हें आज ज्ञात हुआ कि स्त्री सन्तानहीन होकर भी पुरुष के लिए शान्ति और आनन्द का एक अविरल स्रोत है। सुभद्रा के प्रति उनके हृदय में एक नया प्रेम जागृत हो गया। उन्होंने विमल-विशुद्ध भाव से उसे देखा। सुभद्रा इसका आशय समझ गई और उसका हृदय आनन्द से विह्वल और गद्गद हो गया।

'प्रेमाश्रम' की बिलासी मनोहर के जीवन की पूर्ति करती है। मनोहर म जो सहनशीलता और कुशलता नहीं है, वह बिलासी में है। गाँव में घी के रुपये बँटते हैं, तो मनोहर नहीं लेता और ज़मींदार के कारिंदे से लड़ पड़ता है। कादिर उसे समझाने आता है कि मालिक से हम क्या खाकर लड़ेंगे? वह इजाफा, कुर्की, किसी तरह भी हानि पहुँचा सकता है। उस समय बिलासी कहती है—“भाईजी, यह बूढ़ हो गए, लेकिन इनका लड़कपन अभी नहीं गया। कितना समझाती हूँ, लेकिन अपने ही मन की करते हैं। इनकी देखा-देखी, एक

ही लड़का है, वह भी हांथ से निकला जाता है। जिससे देखो, उसी से उलभ पड़ता है। भला, इस से पूछा जाय कि सारे गाँव ने धी के रुपये लिए हैं, तुम्हें 'नहीं' करने की क्या पड़ी थी?" कादिर समझाता है कि मेरे साथ चलो, कारिदे से मिन्नत-आरजू करें और माफ़ी माँग।

मनोहर इसे अपना अपमान समझ कर कहता है : "दादा मैं तो न जाऊँगा।"

बिलासी : "इनकी चूड़ियाँ मैली हो जाएंगी। चलो, में चलती हूँ।"

इसका यह मतलब नहीं कि बिलासी बुजदिल और डरपोक थी। जब एक दूसरे अवसर पर गौसखां उसका अपमान करता है, तो वह खुद मनोहर को ललकारती है और गौसखां से बदला लेने को कहती है। गौसखां की हत्या होती है। उसका पति, बेटा बलराज और सारा गाँव बाँध लिया जाता है। जमींदार का जुल्म पहले से भी अधिक बढ़ जाता है। तो गाँव की औरतें ताना देती हैं कि तुम्हारे कारण ही सब-कुछ हुआ। इस पर बिलासी को खेद नहीं होता, वह अपने पति को बुरा नहीं समझती, गर्व करती है और कहती है कि उसने सारे गाँव की इज्जत रखी है।

बिलासी ही की तरह, लेकिन दूसरे ढंग की एक दूसरी किसान औरत धनियाँ है। जिस तरह मर्द-पात्रों में होरी प्रेमचन्द का सब से अधिक सुन्दर और महान् पात्र है, उसी प्रकार स्त्री-पात्रों में धनियाँ सबसे अधिक सुन्दर और महान् पात्र है। वह भी अपने पति के जीवन की पूर्ति करती है। होरी वत्तमान समाज की मर्यादा का पालन करता है। रवाज, परिवार और कानून सब का मानकर चलता है। वह पंचों को डांड और थानेदार को रिश्वत देता है। लेकिन धनियाँ अपने पति के इस दबबूपन को पसन्द नहीं करती। वह धर्म, समाज और सरकार सब की विद्रोही है। प्रेमचन्द ने धनियाँ के बारे में लिखा है—“धनियाँ का विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं, तो वह अपना लगान ही तो लेगा। हम उसकी खुशामद क्यों करें, उसके तलवे क्यों सहलावें? यद्यपि अपने विवाहित जीवन के बीस वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर-बौत करो, चाहे कितना ही पेट-तन काटो, चाहे एक-एक कोड़ी को दाँतों से पकड़ो, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार न मानती थी और इस विषय पर स्त्री-पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था।”

पाँच सौ पृष्ठों का यह उपन्यास स्त्री-पुरुष के इसी संग्राम की ही गाथा है। साहूकारों को सूद देने के मामले में थानेदारों को रिश्वत देने के मामले में, बिरादरी को डांड देने के मामले में और भाइयों के व्यवहार के मामले में धनियाँ होरी से लड़ती हैं कि भगवान ने तुम्हें तो खाहमखाह ही पुरुष बना दिया है, तुम्हें तो स्त्री होना चाहिए। इस दरिद्रता और लड़ाई-भगड़े में भी पति-पत्नी का जो प्रेम है उसका चरित्र भी प्रेमचन्द ने पहले ही पृष्ठ में खोंच दिया है, जब होरी ने कहा कि मर्द साठे पर पाठे होते हैं, तो धनियाँ बोली—“जाकर सीसे में मुँह तो देखो। तुम-जैसे मर्द साठे पर पाठे नहीं होते। दूध-धी अंजन लगाने को तो मिलता नहीं, पाठे होंगे।” होरी लकड़ी सम्हालता हुआ बोला—“साठे तक पहुँचने की नौबत ही न आएगी धनियाँ, इससे पहले ही चल देंगे।” धनियाँ ने तिरस्कार किया—“अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुँह से निकालो। तुम से कोई अच्छी बात भी करे, तो लगे हो कोसने।” होरी लाठी कंध पर रखकर घर से निकला, तो धनियाँ द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इस निराशा-भरे शब्दों ने धनियाँ के चोट खाये हुए हृदय में आतंकमय कंपन-सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नारीत्व के सम्पूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभयदान दे रही थी। उसके अन्तःकरण से जैसे आशीर्वाद का व्यूह निकलकर होरी को अपने अन्दर छिपाए लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था, जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी।

जो लोग प्रेमचन्द को नीरस कहते हैं, वे शायद पति-पत्नी-प्रेम के इस विशुद्ध पवित्र प्रेम को प्रेम नहीं समझते हैं। उन्हें वास्तव में औरत के हृदय से, उसकी आत्मा से कोई सरोकार नहीं होता। वे सिर्फ उसके शरीर से खेलना पसन्द करते हैं और औरत को खिलौना समझते हैं। प्रेमचन्द के लिए नारी का यह अपमान असह्य था। साहित्य द्वारा क्वासना और दृष्टाचार फैलाना उन्हें पसन्द नहीं था। वे लेखक के कर्तव्य और नारी के महत्त्व को समझते थे। इसी बात का खयाल रखते हुए वे अपने साहित्य का निर्माण करते थे। वैसे वे यह भी मानते थे कि औरत को यदि जीवन में प्रेम न मिले, तो उसका मर जाना ही अच्छा है। ‘कायाकल्प’ में सफल और असफल प्रेम का कई ढंग से वर्णन है। इस उपन्यास में उन्होंने प्रेम के विभिन्न

रूपों और उनके उद्देश्यों की व्याख्या करने का प्रयत्न किया है। इसी प्रयत्न में वे रहस्यवादी भी बन गए हैं। अगर हम उन सबका वर्णन करने लगे, तो हम भी रहस्यवाद की दलदल में फँस जायँगे। हमें यहाँ केवल लौंगी का चरित्र अधिक आकर्षित करता है। वह ठाकुर हरिसेवक की रखेल है, विवाहिता स्त्री नहीं है। लेकिन दोनों में जो प्रेम है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। लौंगी तीर्थ-यात्रा को क्या गई, हरिसेवक को जान निकल गई, जैसे वह उनके प्राण भी अपने साथ ले गई हो। इसी प्रेम-बल पर वह गुरुसेवक से कहती हैं—‘तो बच्चा सुन, जब तक मालिक जीता है लौंगी इस घर में रहेगी। मैं लौंडी नहीं हूँ, जो घर से बाहर जाकर रहूँ।’ डाक्टर रामरतन भटनागर लिखते हैं कि लौंगी के चरित्र में उन्होंने जिस सती-साध्वी रखेली की कल्पना की है, वह स्वयं उनकी अनुभूत धारणा थी, ऐसा संभव है। प्रेमचन्द की पहली पत्नी से नहीं बनी थी, इसी लिए उन्होंने एक रखेली रखी थी। शिवरानी से विवाह के पश्चात् भी कई साल तक उससे प्रेम-सम्बन्ध रहा। यदि सच्चा प्रेम हो, तो वे अवैध सम्बन्ध को भी बुरा नहीं समझते थे। सच्चा आत्म-समर्पण ही विवाह है। जहाँ आत्म-समर्पण नहीं, वहाँ प्रेम नहीं। जीवन को सार्थक बनाने के लिए सच्चे प्रेम की, आत्म-समर्पण की आवश्यकता है। यदि प्रेम न मिले, तो जीवन भी एक शून्य-सा बना रहता है। ऐसी दशा में नारी और पुरुष दोनों ही प्रेम के लिए भटकते रहते हैं। इसी शून्य की पूर्ति के लिए ‘कर्मभूमि’ में मुझी अमरकान्त से प्रेम की मांग करती है। उसके मन में वासना की गन्ध तक नहीं। अमर की आत्मा भी प्रेम की भूखी थी। उसे अपनी पत्नी सुखदा से जो प्रेम न मिला, वह उसने सकीना से पाया था। ‘रहस्य’ कहानी की मंजुला एक ऐसी ‘नारी’ है, जो अपने पति का परित्याग इसलिए कर देती है कि उसे अपने वैवाहिक जीवन में प्रेम नहीं मिलता। उसकी भेंट जन-सेवक विमल से होती है, और वे दोनों मन-ही-मन एक-दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। लेकिन विमल अपने प्रेम को व्यक्त और प्रकट करने से डरता है। वह समाज-भीरु है। मंजुला उसका आश्रम छोड़कर चली जाती है।

इसके तीन साल बाद विमल को मंजुला फिर मसूरी में मिलती है। अब वह बिल्कुल बदली हुई है। कहाँ तो वह त्याग और कर्तव्य-पालन की पुतली थी और कहाँ अब तितली बनी हुई अपने एक मित्र खन्ना को साथ लिए रंग-

रलियाँ मना रही थी ! विमल को उसका यह रूप देखकर दुःख भी हुआ और आश्चर्य भी । पूछने पर मंजुला उसे बताती है कि उसका पति मर गया । विपत्तियों का पहाड़ टूटा । ये तीन साल बड़े ही संकट में बीते हैं । विमल शिकवा करता है कि तुम्हें एक मित्र के नाते मुझे खबर तो देनी चाहिए थी । मंजुला ने श्रद्धा के स्वर में कहा—“आपका काम इन भगड़ों में पड़ना नहीं, विमल बाबू । आपको ईश्वर ने सेवा और त्याग के लिए रचा है । वही आपका क्षेत्र है । आप मनुष्य हैं, आप में भी इच्छाएँ हैं, वासनाएँ हैं । लेकिन इच्छाओं पर विजय पाकर ही आपने यह ऊँचा पद पाया है । पद और कर्तव्य की रक्षा कीजिए ।” और प्रेमचन्द लिखते हैं—“विमल ने अभी-अभी मंजुला को आमोद-प्रमोद में क्रीड़ा करते देखा था । खन्ना से उसका संबंध किस तरह-का है, यह भी समझ रहा था । फिर भी इस उपदेश में उसे सच्ची सहानुभूति का संदेश मिला । विलासिनी मंजुला उसे देवी के रूप में नजर आई ।”

मनुष्य के देवत्व का निरूपण करना ही प्रेमचन्द की महानता है । ‘गोदान’ की मालती ने पढ़-लिख कर नई सभ्यता से विडम्बना ही सीखी है । वह स्वच्छन्दता को ही जीवन का उद्देश्य समझती है और तितली बनी घूमती है । लेकिन मिस्टर मेहता के संसर्ग में आकर और जन-सेवा में पड़कर उसके सद्विचारों का विकास होता है । मिस्टर मेहता शुरु में जिस मालती से घृणा करते थे, अन्त में वही मालती उनकी दृष्टि में आदर्श नारी बन आता है । वह विवाह के प्रस्ताव पर मेहता से कहती है कि मित्र बनकर रहना स्त्री-पुरुष बनकर रहने से कहीं सुखकर है ।

प्रेमचन्द जीवन-पर्यन्त स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध का, विवाह-समस्या का हल ढूँढते रहे । कुछ व्यक्तिगत ढंग से और कुछ आदर्शवादी और गांधीवादी ढंग से उन्होंने इसका हल सोचा भी, लेकिन वे किसी नतीजे पर न पहुँच सके ।

ग्रामीण—समस्या

“मोटे बह होते हैं, जिन्हें न ऋण की सोच होती है, न इज्जत की। इस जमाने में मोटा होना बेहयाई है। सौ को दुबला करके तब एक मोटा होता है।”—प्रेमचन्द

प्रेमचन्द ने वैसे तो सभी वर्गों और सभी प्रकार के लोगों के बारे में लिखा है; लेकिन वे मुख्यतः किसानों के लेखक कहलाते हैं। उनका जन्म किसानों में हुआ, किसानों में ही वे बड़े-पले। गाँव में उनका मकान था और बाप-दादा से विरासत में मिली हुई थोड़ी-सी जमीन थी, जिससे वे ग्रामीण-व्यवस्था के साथ मानसिक तौर पर बँधे हुए थे। स्वयं निम्न मध्यवर्ग के व्यक्ति थे। गरीबी में दिन गुजारे थे। इसलिए दरिद्रता के कारण मानव-हृदय की भावनाओं तथा साधारण-से-साधारण आकांक्षाओं को मिट्टी में मिलते, कुलबुलाते और घुट-घुट कर मरते देखा था। जब फिर स्कूल-मास्टर से स्कूल-इंस्पेक्टर बने तो देहात के दौरे होते थे, इससे किसानों के साथ उनका सम्पर्क बराबर बना रहा, इसलिए उन्होंने किसानों के जीवन और उनकी समस्याओं के बारे में प्रथमकोटि की जानकारी प्राप्त की और देहातियों के भावों और विचारों का चित्रण बड़ा ही स्वाभाविक बन पाया है। उनकी तीन सौ कहानियों में से अधिकांश किसान-जीवन और ग्रामीण-समस्याओं के बारे में हैं, लेकिन इस विषय पर उनका पहला बृहद् ग्रन्थ “प्रेमाश्रम” उपन्यास है। इस उपन्यास की भूमिका में श्री रामदास गौड़ लिखते हैं :—

“विना लिखे साहित्य का भावी इतिहास-लेखक जब भारतीय उपन्यासों की चर्चा करेगा, उसे किसानों के जीवन की सच्ची फोटो खींचने का श्रेय प्रेमचन्द को देना पड़ेगा।”

हम इस पुस्तक के “इस्तीफा” परिच्छेद में विस्तार से लिख चुके हैं कि देश अंग्रेज शासकों का उपनिवेश बनने से हमारे गाँवों की स्वावलम्बिता समाप्त हो गई। देश को कृषि-प्रधान और कच्चे माल की मंडी बनाकर रखा गया। यहाँ का कच्चा माल कौड़ियों के दाम विलायत जाने लगा और वहाँ का बना हुआ मशीनी माल महंगे दामों यहाँ आकर बिकने लगा था। और दूर देहातों तक धावा बोलता था। इस शोषण के कारण देहातों की दरिद्रता बढ़ती गई। इससे किसानों की हानि ही हुई, लाभ कुछ नहीं हुआ। मशीनी माल तो देहातों में गया लेकिन मशीनी सभ्यता के साथ जो नये वैज्ञानिक विचार आते हैं, उन्हें देहातों में पहुँचाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया, वे अन्धविश्वास और रूढ़िवाद में जकड़े रहे और यह अनिवार्य था क्योंकि देश का उद्योगीकरण न होने के कारण आर्थिक व्यवस्था और कृषि के पुराने तरीकों में कोई परिवर्तन न हुआ। युद्ध हुआ, तो इस मशीनी माल के कारण किसानों की लूट-खसोट और बढ़ गई तथा मुद्रा-प्रसार और मंहगाई ने तो उनकी कमर ही तोड़ दी। इस पर जमींदार इस बहाने लगान में बेसी करना चाहता है कि अनाज का दाम चढ़ गया है। प्रेमाश्रम का बलराज इसका उत्तर यह देता है—

“भाव चढ़ गया है तो मजदूरों की मजदूरी भी तो बढ़ गई है, बैलों का दाम भी बढ़ गया है, लोहे-लकड़ का दाम तो भी तो बढ़ गया है, यह किस के घर से आएगा ?”

इसके अतिरिक्त सोखा, वर्षा का असमय अधिक होना और समय पर बिल्कूल न होना, बाढ़ और दूसरे प्राकृतिक प्रकोप किसानों को बरबाद करते रहते हैं। जमींदार को इससे कुछ सरोकार नहीं, उसने लिए प्रजा दुधारू गाय है, और हर हलत में दुहते रहना उसका काम है, बाढ़ आए, पानी न बरसे, खेतों में घास की जड़ भी उत्पन्न न हो, उसे लगान चाहिए और तिस पर बेसी भी। राय कमलानन्द बहादुर बड़े धर्मिन्मा, बड़े ही योगाभ्यासी और विद्वान् हैं, लेकिन दरिद्र असामियों से लगान वसूल करते समय उनके घोर अत्याचार की कहानी उनकी पुत्री विद्या की जबानी सुनिए वह गायत्री से कह रही है:—
“उस साल जब अकाल पड़ा और प्लेग भी फैली, तब हम लोग इलाके पर गए। तुम गोरखपुर थीं। उन दिनों बाबूजी की निर्दयता देख कर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। असामियों से रुपये वसूल न होते थे और हमारे यहाँ नित्य

नाच-रंग होता रहता था। बाबूजी को उड़ाने के लिए रुपये न मिलते तो वह चिढ़कर असामियों पर गुस्सा उतारते। सौ-सौ मनुष्यों को एक-एक क्वि में खड़ा करके हण्टर से मारने लगते। बेचारे तड़प-तड़प कर रह जाते, पर उन्हें तनिक भी दया न आती थी। इसी मारपीट ने इन्हें निर्दय बना दिया है।”

गायत्री खुद गोरखपुर की जमींदार है। वह भी असामियों से लगान वसूल करने के लिए इसी प्रकार जुल्म करती है। इसलिए वह पिता का पक्ष लेते हुए विद्या से कहती है कि तुम बाबूजी पर अन्याय करती हो और उल्टा असामियों को दोषी ठहराते हुए कहती है—“घर में रुपये रक्खे रहते हैं; पर जब तक दो बार लात, घूस न खालें या गालियाँ न सुन लें, देने का नाम नहीं लेते।”

विद्या—“मैं यह न मानूँगी, किसी की मार खाने की आदत नहीं होती।”

गायत्री—“लेकिन किसी को मारने की भी आदत नहीं होती। यह सम्बन्ध ही ऐसा है; कि एक ओर तो प्रजा में भय, अविश्वास और आत्म-हीनता के भावों को पुष्ट करता है और दूसरी ओर जमींदारों को अभिमानी, निर्दय और निरकुंश बना देता है।”

यह देहातों की वर्गगत सामाजिक व्यवस्था की, उसकी विषमता की सच्ची तस्वीर है। प्रेमचन्द को देहाती जीवन का जो गहरा अनुभव था, उसी से वह वस्तु-स्थिति का नग्न यथार्थवादी-चित्रण करते हैं और इस व्यवस्था में पलनेवाले शोषण, अन्याय और अत्याचार को वे सदेह, सप्रमाण और विश्वस्त बनाकर पेश करते हैं।

प्रेमचन्द ने अपने लगभग सभी उपन्यासों में जमींदारों की इस निर्दयी और अंधी लूट का वर्णन किया है। “सेवासदन” में उनका अभिप्राय ग्रामीण समस्या प्रस्तुत करने का नहीं था, लेकिन उसमें भी पुलिस के महकमे की घूस-खोरी के प्रसंग में इस लूट की एक झाँकी मिल जाती है। महन्त रामदास की जमींदारी “बाँके बिहारी” के नाम पर चलती है। वे असामियों से सिर्फ लगान ही नहीं लेते बल्कि धर्मोत्सवों के लिये चंदा भी वसूल करते हैं। यदि कोई अभागा असामी यह चंदा दे नहीं सकता अथवा देने से इनकार करता है तो “बाँके बिहारी” उस दुष्ट असामी से क्रुद्ध होकर मठ में पलने वाले मुसटंडे साधुओं को उसकी मरम्मत का हुक्म देते हैं। यह साधु चाहें तो बेचारे

असामी को मारते-मारत बेदम कर दें, उसके प्राण लें। कोई पूछनेवाला नहीं। जिले के अफसरों से और पुलिस के अधिकारियों से मिली-भगत है। महन्तजी के यहाँ से साल में लाखों रुपए धूस और डालियों के रूप में इन अफसरों की भेंट चढ़ जाते हैं।

यही हाल 'कर्म भूमि' के महन्त आशाराम का है। उनके डेरे में भी भंग छनती है, गाय-भैंसों का मनों दूध बेकार साधुओं के पेट में उतर जाता है। लेकिन इन साधुओं को बेकार कहना भूल है, वे असामियों से लगान और चंदे वसूल करने में बड़े काम आते हैं। खुद महन्त जी आशाराम रात-दिन ईश्वर-भक्ति और ज्ञान-चर्चा में मग्न रहते हैं। उन्हें इतनी भी फुरसत नहीं कि कभी किसी असामी की फर्याद ही सुन लें। असामियाँ खुद धर्मपरायण हैं, वे महन्तजी की ईश्वर-भक्ति में विघ्न डालना और उनकी निर्मोह और निर्लेप आत्मा को किसी प्रकार का कष्ट देना उचित नहीं समझती। जुल्म सब कारिंदे करते हैं महन्तजी को तो इसका ज्ञान भी नहीं होता।

जमींदार चाहे महन्त रामदास और आशाराम हो, चाहे रायबहादुर कमलानंद, गायत्री और "गोदान" का अमरपालसिंह, धर्म सभी को विरासत में मिलता है। वे धर्मोत्सवों में, दान-पुण्य में और साधुओं, ब्राह्मणों और धर्म-प्रचारकों पर लाखों लुटा देते हैं क्योंकि उन्हें अपनी मान-मर्यादा और प्रतिष्ठा को कायम रखना होता है, जिससे आम लोगों, सरकारी कर्मचारियों और असामियों में उनकी सज्जनता और न्याय-शीलता का भ्रम बना रहता है। और जिस प्रकार महन्तों के डेरे में मुसटंडे साधु पलते हैं, इनके घर बेकार सम्बंधी पलते हैं। प्रेमचंद 'गोदान' में लिखते हैं—

“रायसाहब का परिवार बहुत विशाल था। कोई डेढ़ सौ सरदार एक साथ भोजन करते थे। कई चचा थे, दर्जनों चचेरे भाई, कई सगे भाई, बीसियों नाते के भाई। एक चचा साहब राधा के अनन्य उपासक थे और बराबर बृन्दावन में रहते थे। भक्ति-रस के कितने ही कवित्त रच डाले थे। समय-समय पर उन्हें छपवाकर दोस्तों की भेंट कर देते थे। एक दूसरे चचा थे। जो राम के परम भक्त थे और फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद कर रहे थे। रियासत से सबके वजीफे बँधे हुए थे। किसी को कोई काम करने की जरूरत नहीं थी।” (‘गोदान’ पृष्ठ १४)

पुरानी पीढ़ी के जमींदार प्रभाशंकर और उनका बड़ा भाई, गायत्री और उसका पति इस वर्ग-विभाजन को ईश्वरीय विधान मानते थे और किसानों से लगान-वसूली को शोषण नहीं बल्कि अपना ईश्वरदत्त अधिकार समझते थे। इसलिए उनकी धर्म-परायणता में कहीं कुछ कोमल स्थान भी होता था और वे किसी समय असामियों पर दया करने की बात भी सोचते थे और दया दिखाते भी थे। लेकिन कमलानंद, ज्ञानशंकर और अमरपालसिंह नई पीढ़ी के जमींदार थे, अंग्रेजी शिक्षा और पूँजीवादी सभ्यता ने उन्हें चतुर और चालाक बना दिया था। वे इस दान-धर्म का मूल्य खूब समझते थे और इसे शोषण का आवरण समझकर और बराबर वालों में बड़ा बनने के लिए अपनाये हुए थे। इस मामले में अमरपालसिंह कुछ अधिक स्पष्टवादी हैं इसलिए कहता हैं—“सम्पत्ति और सहृदयता में बँर है। हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? अपने बराबरवालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है, विशुद्ध अहंकार।” (गोदान पृष्ठ १४)

ऐसे लोगों के लिए दान-धर्म की तरह देश-भक्ति भा एक आवरण है, यश कर्मों का साधन है। इन्हीं रायसाहब रामपाल के बारे में लिखा है—“पिछले सत्याग्रह में रायसाहब ने बड़ा यश कमाया था। कौंसिल की मेम्बरी छोड़कर जेल चले गए थे। तब से उनके इलाके के असामियों को उन पर बड़ी श्रद्धा हो गई थी। यह नहीं कि उनके इलाके में असामियों के साथ कोई खास रियायत की जाती हो, या डांड और बेकारी की कड़ाई कुछ कम हो, मगर यह सारी बदनामी मुखतारों के सिर जाती थी।” (गोदान पृष्ठ १३)

फिर इन जमींदारों की सरकार से मिली-भगत थी। यही अमरपालसिंह राष्ट्रवादी होते हुए भी अफसरों को डालियाँ भेजते थे। जमींदार लाटसाहब के स्वागत में तो हजारों-लाखों लुटा देते थे और यह सब किसानों के माथे पड़ती थी। इसी पर बस नहीं थी। जब जिला के अफसर अपने लाव-लश्कर के साथ दौरा पर जाते थे तो गाँववाले उन्हें देखकर सहम जाते थे, यह वह टिड्डी-दल था जो खेतों को ही नहीं, जो कुछ घरों में होता था वह भी चट कर जाता था। इनकी लूट की बात भी प्रेमचंद के ही शब्दों में सुनिए :—

“जिस दूध, घी, शाक भाजी, मास, मछली आदि के लिए शहर में तरसते थे, जिनका स्वप्न में भी दर्शन नहीं होता था, उन पदार्थों का यहाँ केवल

जिह्वा और बाहु के बल से रेल-पेल हो जाती है। जितना खा सकते हैं, खाते हैं, दबाकर खाते हैं और जो नहीं खा सकते, वह घर भेजते हैं। घी से भरे हुए कनस्तर, दूध के भरे हुए मटके, उपले और लकड़ी, घास और चारे से भरी हुई गाड़ियाँ शहर आने लगती हैं।.....” (‘प्रेमाश्रम’ पृष्ठ ६०)

प्रेमचन्द चाहते थे कि लूट-खसोट बंद हो, किसानों के साथ न्याय हो। वे दिन-रात मेहनत करते हैं, चोटी का पसीना ऐंडी तक बहाकर अनाज उगाते हैं और इससे सबका पेट भरते हैं। फिर यही सब के अन्नदाता किसान भूखे क्यों रहें? उनका जीवन सुखी क्यों न हो? उन्हें सुखी बनाने का जो एकमात्र ढंग है वह भी प्रेमचन्द को मालूम था। उनका आदर्श पात्र प्रेमशंकर कहता है:—

“भूमि उसकी है जो उसको जोते। शासक को उसकी उपज में भाग लेने का अधिकार इसलिए है कि वह देश में शान्ति और रक्षा की व्यवस्था करता है, जिसके बिना खेती हो ही नहीं सकती। किसी तीसरे वर्ग का समाज में कोई स्थान नहीं है।” (‘प्रेमाश्रम’ पृष्ठ १८९)

प्रेमचन्द भूमि किसान को दिलाना चाहते थे लेकिन इसका एक साधन तो यह है कि क्रान्ति हो और इस उपनिवेशिक व्यवस्था का अन्त करके किसान को भूमि का मालिक बना दिया जाय। और दूसरा साधन गांधीवाद तथा सुधारवाद यह कि शिक्षा और उपदेश से जमींदारों का हृदय-परिवर्तन किया जाय, जिससे वे अपनी शोषण-मनोवृत्ति को त्याग कर अपने-आप जमीन किसानों को दे दें। प्रेमचन्द ने ‘प्रेमाश्रम’ में यही सुधारवाद का ढंग अपनाया है। इसमें प्रेमशंकर की सुसंगति और शिक्षा के प्रभाव से दयाशंकर का हृदय-परिवर्तन हो जाता है और वह अपने जमींदारी अधिकारों का त्याग कर देता है। इससे लखनपुर गाँव में समृद्धि आती है। उपन्यास के अन्त में प्रेमचन्द ने दिखाया है कि यह गाँव धरती पर स्वर्ग का नमूना है, किसान प्रसन्न हैं, उनके पास गाय और घोड़े हैं और बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं।

यह प्रेमचन्द का अपना स्वप्न था। इसका दूसरा नाम काल्पनिक समाजवाद (Utopian Socialism) है। इस बारे में पहली बात यह है कि ऐसी अभिलाषा ही की जा सकती है। वास्तविक जीवन में यह कार्यान्वित हो या न हो।

प्रेमचन्द न भा जावन कः अन्तम पवः में अपने काल्पनिक समाजवाद के

इस ऐतिहासिक तथ्य को समझ लिया था। इसी से उन्होंने 'गोदान' में ग्रामीण समस्या को फिर लिया है। इस बार उन्होंने किसान के जीवन को जैसा वह है, वैसा ही पेश कर दिया है। उसका कोई अद्वैज्ञानिक और काल्पनिक हल नहीं बताया। यहाँ किसान के दुःख की कहानी इतनी सच्ची और मार्मिक है कि उसे पढ़कर पाठक अनायास कह उठता है—“इस अमानुषिक व्यवस्था का अन्त कैसे होगा ?”

प्रेमाश्रम की कहानी मुख्यतः जमींदार-परिवारों की कहानी है और किसानों की कहानी सिर्फ प्रसंग रूप में आती है। लेकिन गोदान में किसान और देहात की कहानी मुख्य है, जमींदार और शहर की कहानी प्रसंग रूप में आती है। इसके अतिरिक्त वहाँ प्रेमचन्द के सामाजिक ज्ञान का स्तर बहुत ऊँचा उठ गया जान पड़ता है। 'गोदान' में उन्होंने सिर्फ जमींदारों और सरकारी अफसरों और प्यादों की लूट-खसोट की ही बात नहीं लिखी बल्कि इस रूढ़िगत समाज की उन तमाम बीमारियों का भी उद्घाटन किया, जो इसे घुन की तरह भीतर ही भीतर खा रही हैं और जिनके कारण यह वर्तमान व्यवस्था भीतर से इतनी खाखली हो चुकी है।

होरी समाज-बिरादरी, धर्म, कानून, परिवार, रीति-रिवाज सबका मानकर चलता है; लेकिन कोई भी उसका सहायक नहीं होता। सभी उसे खाते हैं, सभी उसे नोचते हैं। भाई उससे छल करते हैं, बिरादरी डाँड भरवाती है, थानेदार रिश्वत माँगता है, महाजन और ब्राह्मण उसे चूसते हैं, उसका अपना बेटा भी उसे बुरा कहता है और उसे दुःख में पिसता छोड़कर चला जाता है। उसके मन में गाय लाने की साध थी, वह तो क्या पूरी होनी थी, बैल भी बिक जाते हैं। जिस भूमि के लिए वह अब तक सारी मर्यादाओं का पालन करता आया है वह भी हाथ से निकल जाती है और वह किसान से मजदूर बनने पर विवश हो जाता है। अंत में यही मजदूर उसके प्राण ले लेती है, लेकिन प्राण देकर भी तो पीछा नहीं छूटता; क्रूर मर्यादा ब्राह्मण—और वह भी सूदखोर ब्राह्मण—के रूप में सामने आ खड़ी होती है और 'गोदान' के रूप में खिराज माँगती है। जो दरिद्र किसान जीवन-पर्यन्त गौ लाने की साध पूरी न कर सका, वह दान के लिए गौ कहाँ से लए ?

यह इतना बड़ा प्रश्न है जिस का सुधार या आदर्शवाद के पास कोई उत्तर नहीं।

प्रेमचन्द ने 'गोदान' में विशुद्ध यथार्थ रूप से इस समाज को टूटता दिखाया है। यह एक अनुभूत सत्य था और वह इस सत्य को बड़ी देर से अनुभव करते आए थे। उन्होंने 'बलिदान' कहानी बहुत पहले लिखी थी। इस में भी किसान को मजदूर बनते दिखाया गया है। इस में भी धर्म, समाज, क्रिया-कर्म, बिरादरी और सूदखोर महाजन गिरधारी को अपने बैल और खेत बेचने पर मजबूर करते हैं और वह इसी गम में मर जाता है। 'सवा सेर गेहूँ' कहानी भी उन्होंने बहुत पहले लिखी थी। इस कहानी का नायक शंकर भी 'गोदान' के होरी की तरह समाज, धर्म और परिवार सब को मान कर चलता है और यहीं सब बातें, उसकी सहायक बनने की अपेक्षा उल्टा उसे पीस डालती हैं। लिखा है:—

“सात साल गुजर गए। विप्र जी विप्र से महाजन हुए, शंकर किसान से मजदूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रह कर दोनों किसान थे, अलग होकर मजदूर हो गए थे। शंकर ने चाहा कि द्वेष की आग भड़कने न पाए, किन्तु परिस्थितियों ने उसे विवश कर दिया। जिस दिन अलग-अलग चूल्हे जले वह फूट-फूट कर रोया। आज से भाई भाई शत्रु हो जाएंगे, एक रोएगा तो दूसरा हसेगा, एक के घर मातम होगा तो दूसरे के घर गुलगुले पकेंगे, प्रेम का बंधन, खून का बंधन, दूध का बंधन आज टूटा जाता है। उसने भगीरथ प्रयत्न से कुल-मर्यादा का वृक्ष लगाया था, उसे अपने रक्त से सींचा था। उसका जड़ से उखड़ना देखकर उसके हृदय के टुकड़े हुए जाते थे।..... अब गुजर-बसर कैसे हो? पाँच बीघे के आधे खेत रह गये, एक बैल रह गया, खेती क्या खाक होती! अंत को यहाँ तक नौबत पहुँची कि खेती केवल मर्यादा-रक्षा का साधनमात्र रह गई। जीविका का भार मजदूरी पर आ पड़ा।” (‘मान सरोवर’ भाग ४ पृष्ठ १६२)

यही 'गोदान' की विषय-वस्तु है। अन्तर यह है कि वह उपन्यास है, उसमें समाज का और उसके तमाम वर्गों का भरपूर विश्लेषण हो पाया है। फिर जिस दशा में नायक की मृत्यु होती है उससे यह विश्वास दृढ़ बनता है कि शंकर ही 'गोदान' का होरी है।

इस कहानी के अन्त में खास और पर लिख दिया गया है:—“पाठक! इस वृत्तान्त को कपोल-कल्पित न समझिए। यह सत्य घटना है। ऐसे शंकरों

और ऐसे विप्रों से दुनिया खाली नहीं हुई है।”

इन्हीं सत्य घटनाओं ने—जीवन के विशाल अनुभव ने प्रेमचन्द की आँखें खोल दी थीं और उनकी रूढ़िगत मान्यताएँ वस्तु-स्थिति से टकरा-टकरा कर चकनाचूर हो चुकी थीं। डाक्टर रामरतन भटनागर ने ठीक ही लिखा है कि—‘जान पड़ता है, धर्म, ईश्वर, समाज और व्यक्ति सब की दुर्बलताओं और छलों के प्रति प्रेमचन्द असहिष्णु हो गए हैं। होरी प्रेमचन्द के उस आदर्शवाद का प्रतीक है जो उन्हें ‘प्रेमाश्रम’ (१९२२) से ‘कर्मभूमि’ (सन् १९३२) तक विश्वस्त बनाये रख सका। यह आदर्शवाद अब यथार्थ स्थिति की चट्टान से टकराकर चकनाचूर हो गया था” (प्रेमचन्द—पृष्ठ १६७)

और उन्होंने समझ लिया था कि किसान-समस्या एक वर्ग-गत समस्या है और आदर्शों के बल पर उस समस्या का हल होना नितान्त असम्भव है। और, अन्तिम दिनों में वे वर्ग-संघर्ष को ही अन्तिम उपाय के रूप में स्वीकार करने के निकट पहुँच गए।

विषय-वस्तु और शैली

“सच्चा साहित्य कभी पुराना नहीं होता।”

—प्रेमचन्द

बात बदलती है तो बात कहने का ढंग भी बदलता है, यह निर्विवाद सत्य है। इसका मतलब यह है कि जब-नए युग के साथ नई समस्याएँ साहित्य का विषय बनती हैं, तो उसके साथ नई शैली भी निर्मित हो जाती है। जितना महान् विषय होता है, उसे व्यक्त करने के लिए उतनी ही महान् कला-अपेक्षित होती है, क्योंकि बात यदि कलात्मक ढंग से न कही जाय तो पाठकों पर इच्छित प्रभाव नहीं छोड़ती। विषय और शैली में सामंजस्य का नाम ही कलात्मक सौंदर्य है। और इस कलात्मक सौन्दर्य से ही मानवीय भावनाओं का परिष्कार होता है और वे ऊर्ध्वमुखी होती हैं।

नए युग की जो नई समस्याएँ या नई विषय-वस्तु हमारे सामने आती हैं, वह उस युग अथवा उस युग के किसी व्यक्ति-विशेष की देन नहीं होती। मनुष्य जात ने सदियों के संघर्ष और अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त किया है, इसा के ऐतिहासिक विकास की दशा में और आगे बढ़ा देने का नाम ही नवीनता और आविष्कार है। उसकी जड़ सुदूर भूत में—सृष्टि के आरम्भिक काल में ही केन्द्रित रहती है। इसी तरह नई शैली भी पुरानी शैली ही का एक विकसित रूप होती है। आज तक कोई भी लेखक और साहित्यिक ऐसा नहीं हुआ जिसने भूत की परम्परा को अलग फेंक कर एक नई शैली का—जिसे वह अपनी, सोलह आने अपनी कह सके, आविष्कार किया हो। यदि किसी ने कभी ऐसा प्रयोग किया है, तो निश्चय ही वह निरर्थक प्रयोग हुआ होगा और उस व्यक्ति ने अपनी शक्तियों का अपव्यय किया होगा।

हम सदा पुराने शिल्प-विधान और शैली से लाभ उठाते हैं, पर आँखें मूँदकर उसका अनुसरण नहीं करते, बल्कि अपनी सृजन-शक्ति से पुराने का नये ढंग से निरूपण करते हैं, उसमें जो सर्वथा प्राण-हीन और व्यर्थ हो गया है उसे छोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया में हमारी निजता व्याख्या में आ जाती है, जिस विषय को हम अपना मौलिक अनुदान मान लेते हैं। प्रत्येक देश के राष्ट्रीय साहित्य का निर्माण इसी प्रकार होता है। प्रेमचन्द के समकालीन और चीन में यथार्थवादी साहित्य के निर्माता लोहसून ने इस बारे में लिखा है—‘पुरानी शैली को अपनाते समय उसमें से कुछ-न-कुछ त्याग देना पड़ता है, लेकिन जिस का त्याग किया जाता है, उसकी स्थान-पूर्ति के लिए कुछ जोड़ना भी आवश्यक होता है। यह जो जोड़ा जाता है, उसी का नाम नई शैली या आविष्कार है।’

प्रेमचन्द को जो युग विरासत में मिला, उसके बारे में वे स्वयं लिखते हैं—‘हमने जिस युग को अभी पार किया है, उसे जीवन से कोई मतलब न था। हमारे साहित्यकार कल्पना की एक सृष्टि खड़ी करके उस में मनमाने तिलस्म बाँधा करते थे ! कहीं ‘फिसानये अजायब’ की दास्तान थी, कहीं ‘दोस्ताने ख्याल’ की और कहीं ‘चन्द्रकान्ता संतति’ की। इन आख्यानों का उद्देश्य केवल मनोरजन था और हमारे अद्भुत-रस-प्रेम की तृप्ति। साहित्य का जीवन से कोई लगाव है, यह कल्पनातीत था।’ (‘कुछ विचार’ पृष्ठ ३)

प्रेमचन्द की देन यह है कि उन्होंने साहित्य और जीवन में सम्बन्ध स्थापित किया। यह बात नहीं कि प्रेमचन्द से पहले उर्दू-हिन्दी में जो साहित्य मिलता है उसका जीवन से कुछ भी सम्बन्ध न हो। रतननाथ सरशार के ‘फिसानये अजायब’ को उपन्यास नहीं कहा जा सकता। वह वास्तविक और स्वाभाविक कम और काल्पनिक अधिक है, फिर भी उस में सामंती और नवाबी मरण प्रायः संस्कृति का खोखलापन स्पष्ट और नग्न-रूप में दिखाई देता है। आलोचक इसे सर्वटीज (Serventes) के डान कुइकसाट् (Don Quikote) का हिन्दुस्तानी संस्करण बताते हैं। प्रेमचन्द की खोज के अनुसार देवकीन्दन खत्री ने ‘चन्द्र कान्ता संतति’ की रचना फारसी के बृहद् ग्रंथ ‘तिलस्मे होश खा’ को सामने रख कर की थी। इसमें उनकी कल्पना चाहे कितनी ही बे-लगाव है और चाहे कितनी ही चामत्कारिक

घटनाओं की भरमार है उसमें जीवन की भाँकियाँ मिल ही जाती हैं। इस से यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि हमारे साहित्य पर अंग्रेजी और फारसी साहित्य का सीधा प्रभाव पड़ रहा था। श्रीनिवासदास ने अपने 'परीक्षा गुरु' उपन्यास में संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी आदि के बड़े-बड़े नैतिक वाक्य उद्धृत किए हैं जिससे उनका उपन्यास कलात्मक न रह कर उपदेशात्मक बन गया है और उपन्यास की रचना के बारे में उनकी धारणा अजीब-सी जान पड़ती है। फिर भी उन दिनों 'परीक्षा गुरु' पसन्द किया गया। जिसका कारण यह था कि जिस प्रकार से मदनमोहन मुसाहिबों के चक्कर में पड़कर सब कुछ खो बैठा, उसी प्रकार बहुत से बिगड़े हुए ताल्लुकेदार और जमींदार मौजूद थे, जो सेठ मदनमोहन के जीवन में अपने जीवन का प्रतिबिम्ब देखते थे और उपन्यास को पसन्द करते थे। बालकृष्ण भट्ट के दोनों उपन्यास 'नूतन ब्रह्मचारी' और 'सौ अज्ञान एक सुज्ञान' भी इसी तरह के उपन्यास हैं। वे भी कलात्मक कम और प्रचारात्मक अधिक हैं, लेकिन वे जीवन के कुछ और निकट आगए मालूम पड़ते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी ने इस परम्परा को और आगे बढ़ाया। उन्होंने सामाजिक, ऐतिहासिक तथा प्रेममूलक विषय-वस्तु लेकर लगभग साठ उपन्यास लिखे। वह हिन्दी के प्रथम कहानीकार भी माने जाते हैं। उनकी 'इंदुमती' कहानी सन् १९०० में 'सरस्वती' में प्रकाशित हुई थी और इस पर शेक्सपीयर के प्रसिद्ध नाटक 'टेम्पेस्ट' की छाप है। अपने उपन्यासों की सामग्री जुटाने में उन्होंने अधिकांश संस्कृत और हिन्दी के प्राचीन साहित्य से प्रेरणा ली है; लेकिन भाषा और शैली के सम्बन्ध में आधुनिक अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन से लाभ उठाया है।

कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार मुसलमानों के सम्पर्क में आने से फारसी और अरबी साहित्य का प्रभाव हमारे साहित्य, भाषा और शैली पर पड़ा, उसी प्रकार अंग्रेजों के सम्पर्क में आने के उपरान्त अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव पड़ना अनिवार्य था। अंग्रेजी साहित्य औद्योगिक क्रान्ति के बाद यथार्थ-वादी बन गया था और उन्नीसवीं सदी में जीवन के बहुत ही निकट आगया था। हमारा साहित्य भी, प्रेमचन्द से पहले ही, अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव से जीवन के निकट आरहा था। उर्दू में डिप्टी नजीर अहमद ने भी अंग्रेजी ही के प्रभाव से "तो बुतल-नसूह" आदि कुछ सुधारवादी और प्रचारात्मक उपन्यास लिखे थे। प्रेमचन्द ने पहले-पहल उर्दू ही में लिखना शुरू किया, इस लिए

शुरू में उन पर उर्दू लेखकों का ही प्रभाव अधिक था और उन्होंने अंग्रेजी उपन्यासों के अनुवाद भी उर्दू ही में पढ़े थे। हम अपनी इस पुस्तक के प्रथम खंड के 'पहली-रचना' नामी परिच्छेद में इस बात पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाल चुके हैं कि प्रेमचंद की आरम्भिक रचनाओं पर न केवल रतननाथ सर-शार के 'फिसानये-आजाद' और मीर अमन के 'फ़िस्ताये चहार दरवेश' की भाषा और शैली का प्रभाव स्पष्ट है बल्कि उनमें घटना-वैचित्र्य भी वैसा पाया जाता है। 'शाप' और 'सुभाग्य के कोड़े' कहानियाँ और 'वरदान' उपन्यास के उदाहरण हैं।

शुरू में उनकी भाषा कठिन और शैली बोझिल थी। वाक्य-विन्यास की चतुरता और कला-कौशल दिखाने का लोभ अधिक रहता था। यत्र स्वाभाविक ही था। प्रत्येक लेखक आरम्भ में अपने जमाने के प्रसिद्ध लेखकों का अनुकरण करता है और उस समय की कला-सम्बंधी धाराओं की उपेक्षा करना सम्भव नहीं होता। धीरे-धीरे जब लेखक का ज्ञान और अनुभव बढ़ता है और उसके अंदर आत्म विश्वास की ज्योति जगती है तभी वह अपनी विषय-वस्तु को नये ढंग से प्रस्तुत करने का साहस करता है। प्रेमचंद इस बारे में काफी देर तक दुविधा में पड़े रहे। सन् १९१४ में उन्होंने दयानारायण निगम के नाम एक पत्र में लिखा था—'मुझे अभी तक यह इत्मीनान नहीं हुआ कि कौन सा तरजे-तहरीर (रचना-शैली) अस्तिथार करूँ ? कभी तो बंकिम की नकल करता हूँ, कभी आजाद^१ के पीछे चलता हूँ। आजकल काउंट टालस्टाय के किस्से पढ़ चुका हूँ, तब से कुछ इसी रंग की तरफ तबियत का मेल है। यह अपनी कमजोरी है और क्या ?'

और सन् १९३० में पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी, सम्पादक 'विशाल भारत' ने पूछा था कि "आप पर किस लेखक की शैली का प्रभाव पड़ा है ?" इस प्रश्न के उत्तर में प्रेमचंद ने लिखा था— "मेरी लेखन-शैली पर किसी दूसरे लेखक की शैली का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन पंडित विशानारायण दर और डाक्टर रवीन्द्रनाथ की शैली का कुछ-कुछ प्रभाव पड़ रहा है।"

^१ मुहम्मद हसन आजाद उर्दू के प्रसिद्ध लेखक, जिन्होंने 'आबे-हयात' दरबारे-अकबरी और नरंगे-खयाल आदि पुस्तकें लिखी हैं।

इसमें संदेह नहीं कि प्रत्येक लेखक अपने पूर्वजों से सीखता है और अपने समकालीन लेखकों से प्रभावित होता है। प्रेमचन्द ने भी सीखा, प्रेमचन्द भी प्रभावित हुए, लेकिन जिस लेखक में जितनी अधिक अनुभव-शक्ति होती है और अनुभूत सत्य को व्यवस्त करने का जितनी अधिक सामर्थ्य और साहस होता है, उसको अपनी देन उतनी ही अधिक होती है। उसकी लेखन-शैली में जितना निर्माण तत्त्व बढ़ता जाता है, उतना ही वह उसकी अपनी शैली कहलाने लगती है। और जितना उसे उस समय की साहित्यिक रुचियों और प्रवृत्तियों को अपने साथ चलाने में सफलता प्राप्त होती है, उतना ही वह यग-प्रवर्तक कहलाता है।

प्रेमचन्द भी यग-प्रवर्तक लेखक थे। सन् १९०१ से १९३६ तक हिन्दी-उर्दू-कथा-साहित्य का युग कहलाता है और कहलाता रहेगा। प्रेमचन्द पहले लेखक थे जिन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों की सामग्री तत्कालीन जीवन से प्राप्त की और उसे चुस्त भाषा और सुन्दर शैली में कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया। प्रेमचन्द यग की वाणी थे। उस समय राजनीति में और समाज-सुधार के आन्दोलन में मनुष्य से विचारशील और कर्मशील बनने और रुढिगत परम्पराओं और अंध विश्वास को त्यागकर आगे बढ़ने की माँग की जा रही थी। प्रेमचन्द ने इस माँग को परा किया। जिस तरह जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में पश्चिम से जो विज्ञान उन्नति कर गया था, बहुत-कुछ सीख रहे थे प्रेमचन्द ने साहित्य के क्षेत्र से सीखा और उपन्यास और उसे नये युग की चीज बना दिया। उन्होंने किताबें पढ़कर किताबें लिखने के बजाय अपनी रचनाओं की सामग्री राजनैतिक और सामाजिक आंदोलनों, अपने निजी जीवन और आस-पास रहने वाले दूसरे लोगों के जीवन से प्राप्त की। प्रेमचन्द से पहले के लेखक जीवन को कहानी और कहानी को जीवन बना दिया करते थे। जिस तरह हमारा देश विशाल और विस्तृत है उसी तरह प्रेमचन्द के उपन्यासों की रंगभूमि भी विशाल और विस्तृत है और उनकी कहानियाँ विभिन्न विषयों और विभिन्न पात्रों पर लिखी गई हैं। 'सेवा सदन' एक सामाजिक उपन्यास है। इसमें दहेज, अनमेल विवाह और वेदिया-वृत्ति को ही प्रधान रूप से लिया गया है। लेकिन इसी उपन्यास में पुलिस-अफसर और दूसरे कर्मचारी भी आते हैं। जो जनता पर अत्याचार

करते हैं, घूस खाते और इसी को अपनी शान समझते हैं। उमानाथ-जैसे पुलिस के दलाल हैं, जो लगभग हर एक गाँव में फैले हुए हैं, जिसके घर धन बिना काम किये ही छप्पर फाड़कर आता है। फिर सेठ-साहूकार, वकील, म्युनिसिपल कमिश्नर, पनवाड़ी, मल्लाह, हिन्दू-मुसलमान सब प्रकार के व्यक्ति उसमें आ जाते हैं। प्रेमचंद उनकी स्थिति के अनुसार उनका वर्णन करते हैं और उनके पात्र अपनी शिक्षा-दीक्षा और सामाजिक स्थिति के अनुसार अपनी-अपनी भाषा बोलते और अपने ही ढंग से अपने विचार व्यक्त करते हैं। इससे प्रेमचंद की शैली और भाषा में अपने पूर्ववर्तियों की शैली और भाषा में अन्तर आ जाना स्वाभाविक ही था।

‘प्रेमाश्रम’, ‘रंगभूमि’ और ‘गोदान’ उपन्यासों की रंगभूमि तो और भी फैली हुई है। इनमें प्रेमचंद ने राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक और साहित्यिक सभी विषयों पर एक प्रौढ़ विचारक की भाँति चिन्तन किया है। अपनी धारणाओं और स्थापनाओं को सार्थक और विश्वस्त बनाने के लिए उन्हें यथार्थ जीवन से उदाहरण लेने पड़े हैं और वस्तुस्थिति को सजीव बनाने के लिए जैसा वातावरण लिया है उसे उसी रंग में पेश भी किया है। हमें प्रेमचंद में, शहरी, देहाती और पहाड़ी जीवन के सजीव चरित्र मिलते हैं। इन सबसे प्रेमचंद की शैली के विभिन्न रूप-रंगों और भाषा-ज्ञान पर प्रकाश पड़ता है और इस महान् लेखक की सामर्थ्य पर आश्चर्य भी होता है।

सुमन जब होली की रात को पद्मसिंह के घर से मुजरा देखकर लौटती है और उसका पति गजाधर प्रतीक्षा करके सो गया है, उस समय का चित्र देखिये :—

“सुमन जब अपने द्वार पर पहुँची तो उसके कान में एक बजने की आवाज आई। वह आवाज उसकी नस-नस में गूँज उठी। वह अभी तक दस-ग्यारह के धोखे में थी। प्राण सूख गए। उसने किवाड़ की दरारों से झाँका, डेबरी जल रही थी, उसके धुएँ से कोठरी भरी हुई थी और गजाधर हाथ में डंडा लिये चित्त पड़ा जोर से खरटे ले रहा था। सुमन का हृदय काँप उठा, किवाड़ खटखटाने का साहस न हुआ।” (‘सेवा सदन’ पृष्ठ ४३-४४)

थोड़े से शब्दों में कितना मार्मिक चित्र खींचा है। सुमन और गजाधर के मनोवैज्ञानिक चरित्र और एक निर्धन घर की दशा नज़रों के सामने आ

जाती है। इन थोड़े से शब्दों में ही लेखक ने अपने पात्रों के अतीत और भावी जीवन की कहानी भी लिख दी है। एक और उद्धरण देखिये :—

“चौधरी ने बहुत आग्रह किया, पर कलसूम ने रुपये न लिये। वह माहिर-अली को दिखाना चाहती थी कि जिन रुपयों के लिये तुम कुत्तों का भौंति लपकते थे, उन्हीं रुपयों को मैंने पैर से ठुकरा दिया। मैं लाख गई-गुजरी हूँ, फिर भी मुझमें कुछ गैरत बाकी है, तुम मर्द होकर बे-हयाई पर कमर बाँधे हुए हो।” (रंगभूमि पृष्ठ २४३)

रुपये लौटाकर कलसूम का मस्तिष्क ही गर्व से उन्नत नहीं होता, पाठक का भी हो जाता है और भाषा भी पात्र की मनोवृत्ति के अनुरूप है। फिर एक और चित्र देखिये:—

“दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाल लीं। नवाबी जमाना था, सभी तलवार, पेशकब्ज, कटार वगैरा बाँधते थे। दोनों विलासी थे; पर कायर न थे। उनमें राजनीतिक भावों का पतन हो गया था—बादशाह के लिए, बादशाहत के लिए बयौं मरे; पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था। दोनों ने प्रेम्भरे बदले, तलवारें चमकीं, छपछपा की आवाजें आईं। दोनों जह्म खाकर गिरे और दोनों ने वहीं तड़प-तड़पकर जाने दे दीं। अपने बादशाह के लिए जिनकी आँखों से एक बूँद आँसू न निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के चञ्जीर की रक्षा में प्राण दे दिए।

अंधेरा हो चला था। बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने-अपने सिंहासनों पर बैठे हुए मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे।

चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडहर की टूटी हुई मेहराबों, गिरी हुई दीवारों और धलि-धूसरित मीनारों इन लाशों को देखतीं और सिर धुनती थीं।” (शतरंज के खिलाड़ी, मानसरोवर भाग ३)

प्रेमचंद प्रकृति का वणन निरर्थक और व्यर्थ नहीं करते, वह विषय-वस्तु के सर्वथा अनुरूप होता है। यहाँ खंडहर, टूटी हुई दीवारों और मेहराबों का वर्णन सामंती सभ्यता के खोखलेपन और शतरंज के खिलाड़ियों की हृदय-हीनता को कहीं अधिक खोखला और भयंकर बना देता है।

देहातियों का एक कथनोपकथन सुनिये। लखनपुर के किसान हाकिमों के चरित्र पर अपना-अपना मत प्रकट कर रहे हैं:—

मनोहर ने कहा—“भाई हाकिम तो अंग्रेज, अगर अंग्रेज न होते, तो इस देश वाले हाकिम हम लोगों को पीसकर पी जाते ।”

सुक्खू कुर्मी ने कहा—‘यहाँ लोग अंग्रेजों की क्या बराबरी करेंगे ? बस खाली गाली देने और इजलास पर गरजना जानते हैं । घर से तो निकलते ही नहीं । जो-कुछ चपरासी या पटवारी ने कर दिया वही मान गए । दिन-भर पड़े-पड़े आलसी हो जाते हैं ।’

मनोहर—“सुनते हैं अंग्रेज लोग घी नहीं खाते ।”

सुक्खू—“घी क्यों नहीं खाते ? बिना घी-दूध के इतना बूता कहाँ से होगा ? यह मसक्कत करते हैं, इसीसे उन्हें घी-दूध पच जाता है । हमारे देशी हाकिम खाते तो बहुत हैं पर खाट पर पड़े रहते हैं । इसी से इनका पेट बढ़ जाता है ।”

दुखरन भगत—‘तहसीलदार साहब तो ऐसे मालूम होते हैं जैसे कोल्हू । अभी पहले आये थे तो कैसे दुबले-पतले थे, लेकिन दो साल में उन्हें न जाने कहाँ की मोटाई लग गई ।’

सुक्खू—“रिश्वत का पैसा फुला देता है ।”

मनोहर—“यह कहने की बात है । तहसीलदार एक पैसा भी नहीं लेते ।”

सुक्खू—“बिना हराम की कौड़ी खाये देह फूल ही नहीं सकती ।”

(‘प्रेमाश्रम’ पृष्ठ १-२)

सारे-का-सारा प्रसंग इतना दिलचस्प है कि बीच में छोड़ने को जी नहीं चाहता । लेकिन इतने ही में देहातियों की आलोचना-बुद्धि, उनकी भाषा और इस भीषण दरिद्रता में भी हास्य-रस की सजीवता और गाँव का पूरा वाता-वरण स्पष्ट रूप से सामने आ जाता है ।

‘गोदान’ में प्रेमचन्द की शैली पूर्ण रूप से परिष्कृत हो गई थी और उसने अतीत को पीछे छोड़कर एक नया विकसित रूप ग्रहण किया था । यहाँ विषय, भाषा और शैली में जो अद्भुत सामंजस्य है, वही इस उपन्यास को महाकाव्य बना देता है । तनिक बानगी देखिये । होरी के घर गाय आई तो सारा गाँव देखने आया । नहीं आए तो उसके अपने भाई ।

होरी ने डरते-डरते धनिया से कहा—“न सोभा आया न हीरा । मुना न होगा ?”

धनिया बोली—“तो यहाँ कौन उन्हें बुलाने जाता है।”

“तू बात तो समझती नहीं लड़ने को तैयार रहती है। भगवान् न जब यह दिन दिखाया है तो हमें सिर झुकाकर चलना चाहिए। आदमी को अपने सगों के मुँह से भलाई-बुराई सुनने की जितनी लालसा होती है, बाहर वालों से नहीं। फिर अपने भाई लाख बुरे हों, हैं तो अपने भाई ही। अपने हिस्से बखरे के लिए सभी लड़ते हैं; पर इससे खून थोड़े ही बट जाता है। दोनों को बुलाकर दिखा देना चाहिए। नहीं, कहेंगे गाय लाये, हमसे कहा तक नहीं।”

धनिया ने नाक सिकोड़ते हुए कहा—“मैंने तुमसे सौ बार, हजार बार कह दिया। मेरे मुँह पर भाइयों का बखान न किया करो, उनका नाम सुनकर मेरी देह में आग लग जाती है। सारे गाँव ने सुना, क्या उन्होंने न सुना होगा? कुछ इतनी दूर भी तो नहीं रहते। सारा गाँव देखने आया, उन्हीं के पाँवों में मेंहदी लगी हुई थी; मगर आर्यें कैसे! जलन हो रही होगी कि इसके घर गाय आ गई, छाती फटी जाती होगी।”

“दिया-बत्ती का समय आ गया था। धनिया ने जाकर देखा, तो बोटल में मिट्टी का तेल न था। बोटल उठाकर तेल लाने चली गई। पैसे होते तो रूपा को भेजती, उधार लाना है, कुछ मुँह देखी कहेगी, कुछ लल्लो-चप्पो करेगी, तभी तो तेल उधार मिलेगा।”

“होरी ने रूपा को बुलाकर प्यार से गोद में बैठाया और कहा—“जरा जाकर देख हीरा काका आ गए हैं कि नहीं। सोभा काका को भी देखती आना। कहना दादा ने तुम्हें बुलाया है। न आर्यें तो हाथ पकड़कर खींच लाना।”

“आदर्श व्यापक होने से भाषा अपने-आप सरल हो जाती है। भाव-सौंदर्य बनाव-सिगार से बेपरवाही दिखा सकता है। जो साहित्यकार अमीरों का मुँह जोहने वाला है, वह रईसी रचना-शैली स्वीकार करता है, जो जन साधारण का है, वह जन साधारण की भाषा में लिखता है।” (कुछ विचार पृष्ठ २०)

प्रेमचन्द ने हिन्दू विधवा, दुहाजु विवाह, दहेज, वेव्या, छुआछूत, साम्प्र-दायिकता, अदालत-कानून, डॉक्टर, शराबबन्दी, जलसे, जलूस, शुद्धि, तबलीगी साहित्य और अखबार नवीसी सभी प्रकार के विषय लिये हैं और उनकी विचार-परिधि में राजे महाराजे, सेठ-साहूकार, किसान-भिखारी, खेत-मजदूर, मिल-मालिक, नीतिज्ञ, सरकारी अफसर, वकील, लेखक और जमींदार सभी प्रकार और तमाम वर्ग के लोग आ जाते हैं। प्रेमचन्द ने अपने उन सब पर

लिखा है। कहीं हास्य रस से, कहीं व्यंग से और कहीं भाव-सौंदर्य से शुष्क से विषय को भी सरल और कलात्मक ढंग से पेश किया और अपने से पहले के लेखकों की भाँति अपनी रचनाओं को कहीं भी बोझिल और उपदेशात्मक नहीं होने दिया। उनकी कहानियाँ ऐसे सरल, शांत और स्वाभाविक ढंग से शुरू होती हैं कि दो बार वाक्य पढ़ते ही पाठक को ऐसा पकड़ लेती हैं कि बिना खत्म किये छोड़ने को जी नहीं चाहता। अटकल-पच्चू कोई कहानी निकाल लीजिये उसी के बारे में यह बात सत्य होगी। हम दो-तीन कहानियों के आरम्भिक वाक्य यहाँ देते हैं:—

“दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी भुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दानों अपने-अपने काम से फुरसत पा चुके तो चमारिन ने कहा—तां जाके पंडित बाबा से कह आयो ना, ऐसा न हो कहीं चले जायँ।” (सद्गति)

“मृदुला मैजिस्ट्रेट के इजलास से जनाने जेल में वापस आई, तो उसका मुख प्रसन्न था। बरी हो जाने की गुलाबी आशा उसके कपोलों पर चमक रही थी। उसे देखते ही राजनैतिक कैदियों के एक गिरोह ने घेर लिया, और पूछने लगे, कितने दिन की हुई ?” (जेल)

“मिस्टर सेठ को सभी हिन्दुस्तानी चीजों से नफरत थी और उनकी सुन्दरी पत्नी गोदावरी को सभी विदेशी चीजों से चिढ़। मगर धैर्य और विनय भारत की देवियों का आभूषण है। गोदावरी दिल पर हजार जन्न करके पति की लाई हुई विदेशी चीजों का व्यवहार करती थी, हालाँकि भीतर-ही-भीतर उसका हृदय अपनी परवशता पर रोता था।”

क्या पाठक के मन में हठात् यह उत्सुकता नहीं (पत्नी के पति) जाग पड़ती कि आगे क्या होने वाला है।

लोगों को प्रेमचंद से शिकायत है कि उनके उपन्यासों की कथावस्तु प्रायः विकृत हो जाती है उनमें पश्चिम के उपन्यासकारों का-सा कलात्मक गठन नहीं है। लोगों को शिकायत है कि प्रेमचन्द की शैली अच्छी तो है, पर वे मोपासाँ, हार्डी, चैखोव अथवा गोर्की और लोहसून की कहानियों की टक्कर की नहीं हैं। और लोगों को यह भी शिकायत है कि प्रेमचन्द ने सामयिक विषयों को लेकर लिखा है, जिन सामाजिक और राजनैतिक समस्याओं को उन्होंने अपने साहित्य

में प्रस्तुत किया है, जब उनका हल हो गया, तो उनके साहित्य का भी क्या आदर रह जायगा, इसलिए वह कोई स्थायी चीज नहीं है। स्थायी तब होता जब वे चिरंतन और शाश्वत सत्यों का निरूपण करते।

पर यह लोग प्रेमचन्द के उद्देश्य को भूल जाते हैं और उन्हें देश की परिस्थितियों से अलग करके परखते हैं। जो लेखक जीवन के अनुभव से लिखता है और जनता के लिए लिखता है, वह रूप-रंगों की भँवर में पड़कर खो जाने का खतरा कभी मोल नहीं लेता और न ही महान् कलाकार कहलाने का मोह उसे कभी सताता है। उन्होंने अपनी कहानियाँ और उपन्यास जन-जीवन को आगे बढ़ाने के लिए लिखे थे और ऐसे पाठकों के लिए लिखे थे जिन्हें पहले जासूसी, तिलिस्मी और प्रेम-प्रधान रचनाएँ पढ़ने की चाट लगी हुई थी। यदि प्रेमचन्द पश्चिमी कलाकारों का अनुकरण करते जो उनके पाठकों के लिए अबोध तथा अरुचिकर होती, तो उस उद्देश्य की पूर्ति कदाचित् न होती जिसको लेकर वे चले थे। प्रेमचन्द की महानता यह है कि उन्होंने न सिर्फ युग की प्रचलित धारा से हटकर यथार्थवादी साहित्य की रचना की बल्कि डॉक्टर रामरतन भटनागर के कथनानुसार अपने पाठ कभी उत्पन्न किए। यद्यपि आज हम कह सकते हैं कि उनकी 'शंखनाद' कहानी भानु चौधरी से शुरू न होकर उनके बेटे गुमान से शुरू होनी चाहिए थी, क्योंकि गुमान ही इस कहानी का मुख्य पात्र है, लेकिन जिन पाठकों के लिए प्रेमचन्द ने यह कहानी लिखी है उनके लिए यही शैली अधिक सुबोध थी। कहानी लिखने से उनका उद्देश्य मनोविज्ञान की गुत्थियाँ सुलझाना नहीं, बल्कि मनुष्य को भावी संतान के नाम पर कर्मशील बनाना था।

उनके उपन्यास प्रायः द्विसूत्री हैं, लेकिन दोनों सत्र-सत्र गाहे-गाहे एक दूसरे को छ लेते हैं, जिससे दोनों में बराबर सम्बन्ध बना रहता है और कथा-सामग्री विकृत नहीं होने पाती। हाँ, पात्रों के मुँह से जो लम्बे-लम्बे भाषण कराए गए हैं, वे अवश्य खटकते हैं और उनकी लेखन-शैली को बोझिल बना देते हैं। लेकिन वे उन्हें रोचक और विद्वत्तापूर्ण बनाने का भरसक प्रयत्न करते थे।

सामयिक समस्याओं और घटनाओं को लेकर लिखना प्रेमचन्द का दोष नहीं, बहुत बड़ा गुण है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ कृतियाँ टालस्टॉय का अन्ना केरेनिना, युद्ध और शांति (War and Peace) रोमा रोलाँ का Jean Christo-

प्रेमचन्द जी-क्रिस्टफ, विक्टर ह्यू गो का *Les Miserables* (दुखी जीवन) गोरकी का माँ या शैलोखोफ का "डान बहती रही" सामयिक समस्याओं और घटनाओं को लेकर ही लिखे गए हैं। समस्याएँ हल होने के बाद भी इतिहास में अपनी स्थायी छाप छोड़ जाती हैं। साहित्यकार के लिए घटनाएँ गौण और मनुष्य मुख्य होता है। वह समस्याओं द्वारा अपने पात्रों का चरित्र-चित्रण करता है, उनकी हृदयगत भावनाओं को उभारकर बाहर लाता है।

हर एक छोटी-बड़ी घटना मनुष्य से और इस वर्ग विभाजित समाज के वर्ग से भी सम्बन्धित होती है। सामयिक घटनाओं और उनसे सम्बन्धित मनुष्यों को और वर्गों को साहित्यकार अपनी आँखों देखता है, और जितना उसका दार्शनिक, सामाजिक और ऐतिहासिक ज्ञान होता है उतना अधिक वह इन घटनाओं को, मनुष्यों और वर्गों को समझने में सफल होता है। लेखक के साहित्य का शाश्वत और अमर होना इसी समझ और सफलता पर निर्भर है। इस दिशा में प्रेमचन्द ने बड़ी भारी सफलता प्राप्त की है। उन्होंने सामयिक घटनाओं को विषय-वस्तु बनाकर उनके द्वारा अपने युग के ऐतिहासिक सत्य को समझने का प्रयत्न किया है और उनके द्वारा मनुष्य का चरित्र-चित्रण किया है। सचाई की खोज में वे अन्तिम समय तक आगे बढ़ते रहे हैं और उन्होंने पियाक, मेकू, निऊर, धीसू, माधो, महत्त रामदास, आशाराम, कृष्णचन्द्र, प्रेमशंकर, प्रभाशंकर, अमरकान्त, गोबर और होरी, सुमन, सलोनी, मुन्नी और धनिया सैकड़ों हजारों सजीव और संप्राण पात्र दिए हैं। जब तक संसार में मनुष्य जाति जीवित है, प्रेमचन्द के यह पात्र भी जीवित रहेंगे और उनके द्वारा हमें इस युग के ऐतिहासिक सत्य को समझने में मदद मिलेगी।

धर्म और साम्प्रदायिकता

“जिसकी आत्मा जितनी विशाल है, वह उतना ही महापुरुष है।”

—प्रेमचन्द

हमने इस पुस्तक के पहले खंड में, प्रेमचन्द के जीवन पर लिखते हुए धर्म के बारे में उनके विचारों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। आस्तिकता उन्हें विरासत में मिली थी। लेकिन वह अपने निजी अनुभव से जीवन की अन्तिम घड़ियों में नास्तिक बन गए थे। कुछ लोगों के लिए नास्तिकता भी धर्म का ही एक दूसरा रूप होती है। व बड़ी कट्टरता से अपने विचारों का प्रचार करते हैं और अपनी सनक में दूसरों की भावनाओं की कुछ भी प्रतिष्ठा नहीं करते। इस विशाल परिवर्तन के बाद भी उनकी आत्मा वैसी ही संकीर्ण बनी रहती है और वह एक प्रकार के रूढ़िवाद से निकलकर दूसरे प्रकार के रूढ़िवाद में बँध जाते हैं। दरअसल यह परिवर्तन ऊपरी होता है, और कोई व्यक्तिगत आघात और अभाव इस दृष्टिकोण के बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। ऐसा होने के उनके प्रकार हैं, किसी सम्बन्धी की अकाल मृत्यु हो गई अथवा पूजा और अनुष्ठान से मनोवांछित फल न मिला तो ईश्वर के अस्तित्व से विश्वास उठ जाता है। लेकिन परिवर्तन विचारों की वैज्ञानिकता के कारण होता है, उससे आत्मा विशाल और उदार बनती है। उसमें किसी प्रकार के रूढ़िवाद और धार्मिक पक्षपात को स्थान नहीं होता। प्रेमचन्द का जैसे-जैसे मानसिक विकास होता गया, उनके धार्मिक विचार भी बदलते गए। जब वे आदर्शवादी न रहे, तो ईश्वरवादी कैसे रह सकते थे। राजनैतिक क्षेत्र में जिनता वर्ग संघर्ष तीव्र होता गया, उतना ही उन्हें यह ज्ञात होता गया कि यह स्वर्ग, नरक, ईश्वर और प्रारब्ध सब मानवीय विधान हैं, और इसका आशय शोषण-व्यवस्था को बनाये रखना है। अब दुनिया बदल रही है, यह ढोंग अधिक नहीं चलेगा। कर्मभूमि का गजनबी कहता है—“मजहब का दौर खत्म हो रहा है बल्कि यों कहो कि खत्म हो गया। सिर्फ हिन्दुस्तान में इसकी कुछ जान बाकी है। यह मुआशयात का दौर है। अब कौम में चार व नादार, मालिक और मजदूर अपनी-अपनी जमातें बनायेंगे……”

फिर 'गोदान' का मेहता मननशील व्यक्ति है। उसका जीवन स्वाध्याय और चिन्तन में गुंजरता है और इससे उसका मानसिक विकास होता रहता है। उसके बारे में लिखा है :—

“किस सर्वज्ञ ईश्वर में उनका विश्वास न था। यद्यपि वह अपनी नास्तिकता को प्रकट न करते थे, पर यह धारणा उनके मन में दृढ़ हो गई थी कि प्राणियों के जन्म-मरण, दुःख-सुख, पाप-पुण्य में कोई ईश्वरीय विधान नहीं है। उनका खयाल था कि अपने अहंकार में मनुष्य ने अपने को इतना महान् बना लिया है कि उसके हर एक काम की प्रेरणा ईश्वर की ओर से होती है। इसी तरह टिट्टियाँ भी ईश्वर को उत्तरदायी ठहराती होंगी, जो अपने मार्ग में समुद्र आ जाने पर अरबों की संख्या में नष्ट हो जाती हैं। अगर ईश्वर के यह विधान इतने अज्ञेय हैं कि मनुष्य की समझ में नहीं आते, तो उन्हें मानने से ही मनुष्य को क्या संतोष मिल सकता है ?

इस विषय में उनके धार्मिक विचार कुछ भी रहे हों, वे जन साधारण की धार्मिक भावनाओं का आदर करते थे और उन्हें एक आस्तिक की श्रद्धा के साथ अंकित करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि शोषित जनता के पास एक धर्म ही तो है जो उसे इस भीषण दरिद्रता में जीने का बल प्रदान करता है। यदि उनसे यह विश्वास भी छीन लिया जाय तो फिर उनके पास और कौन सा सहारा रह जायगा।

दूसरी ओर वे लोग थे जो लोगों की धार्मिकता का अनुचित लाभ उठाते थे, उन्हें इसी दशा में संतुष्ट रहने का उपदेश करके उनका शोषण करते थे। उन्होंने जनता की धार्मिक भावनाओं को सदियों से उदर-पालन का धंधा बना रखा था। 'मोटोराम शास्त्री' ऐसे ही लोगों का प्रतिनिधि है। प्रेमचन्द ने उसकी नीचता और स्वार्थपरता का खूब मजाक उड़ाया है।

फिर इस समाज में ऐसे भी लोग हैं, जो इस अर्धसामंती व्यवस्था के साथ अपने वर्ग-स्वभाव से बंधे हुए हैं। 'गोदान' के रायसाहब अमरपालसिंह भी उन्हीं में से एक हैं—“अपने पिता से सम्पत्ति के साथ-साथ उन्होंने राम की भक्ति भी पाई थी।” इन लोगों से प्रेमचन्द को तनिक भी सहानुभूति नहीं थी, वे इन्हें ढोंगी और बगुला भक्त समझते हैं और उनकी धर्मपरायणता

की खिल्ली उड़ाते हैं। इस वर्ग से सम्बन्धित गौसखाँ और दुखरन भक्त आदि लोगों का धर्म भी विरासत में मिली हुई चीज है, जो उन्हें निकम्मा, डरपोक और ढोंगी बनाती है।

इसके अलावा मशीनयुग के उद्योगपति और व्यापारी हैं, जो विज्ञान के नये आविष्कारों से लाभ उठाते हैं। वे मध्यकालीन धर्म और उसकी मान्यताओं में विश्वास नहीं रखते, लेकिन जनसाधारण के अंध विश्वास और रूढ़िवाद से यथोचित लाभ उठाने के लिए अपने-आपको धर्मपरायण, धर्म-रक्षक घोषित करते रहते हैं। 'रंगभूमि' का जनसेवक इसी वर्ग का प्रतिनिधि है, जो नियमपूर्वक गिर्जे जाता है, लेकिन धर्म को व्यापार का श्रृंगार मात्र बताता है।

हमारे देश के अंग्रेज शासकों ने जनसाधारण के धर्मजनित रूढ़िवाद और अंध विश्वास पर अपनी 'फूट डालो और राज करो' की घृणित नीति निर्धारित की सन् १९०२ में पृथक चुनाव का अधिकार देकर इस फूट नीति को वैधानिक रूप दिया। सरकारी नौकरियों, पुलिस में, फौज में, स्कूलों और कालेजों में—हर जगह हिन्दुओं और मुसलमानों को उनकी जन-संख्या के अनुपात से भर्ती किया जाने लगा। जिसका परिणाम यह हुआ कि आर्थिक स्वार्थों ने धार्मिक वैमनस्य का रूप धारण कर लिया और धीरे-धीरे यह जहर हमारी कौमी जिदगी में गहरा पैठता गया। आर्थिक स्वार्थ ही साम्प्रदायिकता का मूल कारण है, 'धर्म खतरे में' और 'संस्कृति खतरे में' का नारा तो दर-असल भोली-भाली जनता को ठपने के लिए लगाया जाता है। प्रेमचन्द ने इस बात को साम्प्रदायिक दंगे शुरू होने से पहले ही समझ लिया था। 'सेवा सदन' में वेश्याओं को दालमंडी से उठाने का सवाल उठता है तो बजाय म्यूनिसिपैलिटी के सदस्यों का इसके पक्ष और विपक्ष में होना इस बात पर निर्भर था कि दालमंडी में किसके कितने मकान हैं और किसे इससे कितनी आर्थिक हानि होती है। प्रेमचन्द ने लिखा है:—

“चौक की दुकानों में अधिकांश बलभद्रदास और चिम्मनलाल की थीं। चावल मंडी में देवानाथ के कितने ही मकान थे, यह तीनों महाशय इस प्रस्ताव के विपक्षी थे। लाला भगत राम का काम चिम्मनलाल की आर्थिक सहायता से चलता था। इसलिए उसकी सम्मति भी उन्हीं की ओर थी।”

और फिर “प्रभाकर राव मुसलमानों के कट्टर विरोधी थे। वे लोग इस प्रस्ताव को हिन्दू-मुस्लिम-विवाद का रंग देकर प्रभाकर राव को भी अपनी ओर खींचना चाहते थे।”

उधर अबुलवफा आदि मुस्लिम सदस्यों ने भी अपने स्वार्थ-हित इसे मजहबी रंग देने का भरसक प्रयत्न किया। तेराअली ने इन लोगों पर फन्ती कसते हुए कहा—“आजकल पोलिटिकल मफाद का जोर है, हक और इन्साफ का नाम न लीजिये। अगर आप मुदर्रिस हैं, तो हिन्दू लड़कों को फेल कीजिये। तहसील-दार हैं तो हिन्दुओं पर टैक्स लगाइये, मजिस्ट्रेट हैं तो हिन्दुओं को सजाएँ दीजिये।..... तब आप कौम के खादिम, कौम के मुहसिन, कौमी किशती के नाखुदा—सब-कुछ हैं।”

प्रेमचन्द मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखना चाहते थे। वे हिन्दुओं और मुसलमानों में इस प्रकार की साम्प्रदायिक मनोवृत्ति को पसंद नहीं करते थे। सन् १९२०-२२ में हिन्दू-मुस्लिम-एकता स्थापित हुई तो उनका हृदय गदगद् हो गया। ब्रिटिश साम्राज्यवादी जनता की इस महान् एकता को देखकर काँप उठे थे। लेकिन खेद है कि यह एकता बहुत दिनों न टिक सकी। चोरा-चोरी की घटना के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया तो जनता के जोश पर पानी पड़ गया। मजहबी नेताओं की बन आई। शुद्धि और तबलीग के आंदोलन शुरू हो गए। राष्ट्र की महान् एकता को यों छिन्न-भिन्न होते देखकर प्रेमचन्द के तन में आग-सी लग गई। वे उन दिनों उर्दू में लिखना बंद करके सिर्फ हिन्दी में लिख रहे थे। लेकिन शुद्धि-आंदोलन के विरोध में तत्काल एक लेख लिखकर ‘जमाना’ कानपुर को भेजा और इस बारे में अपने २३ अप्रैल सन् १९२३ के पत्र में पत्र के सम्पादक मुन्शी दयानारायण निगम को लिखा:—“इधर मैंने उर्दू लिखना बंद सा कर रखा है। लेकिन मलकाना-शुद्धि पर एक मुस्तसर-सा मजमून लिख रहा हूँ। मुझे इस तहरीक से सख्त इख्तलाफ (विरोध) है। तीन-चार दिन में भेजूंगा। आर्य समाज वाले भन्नायेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इस मजमून को ‘जमाना’ में जगह देंगे।”

दयानारायण निगम लिखते हैं—“यह मजमून ‘जमाना’ में छपा। इसके छपते ही मुल्क में आग सी लग गई। मुसलमानों ने इसकी आजाद-खयाली

की तारीफ की और आर्यसमाजी हल्कों में तहलका मच गया। लेकिन प्रेमचन्द आखिर तक अपनी राय पर डटे रहे।”

सन् १९२४ में एक खत में लिखा :—

“हिन्दू-मुसलिम फिसादात का सिलसिला जारी है। मैंने पहले ही पेशीन-गोई की थी। वह हरफ-ब-हरफ सही साबित हो रही है।”

इससे प्रेमचन्द के मन में जो क्षोभ हुआ था, उसे उन्होंने बड़े बाबू कहानी में व्यक्त किया है। जनता के इनकलाबी जोश ने आपस की सिरफुटव्वल का रूप धारण किया और अंग्रेज के घर में घी के चिराग जल उठे। गांधीजी, अली-बन्धुओं और दूसरे कांग्रेसी नेताओं ने हजार कोशिश की कि दंगे न हों, हिन्दू और मुसलमान मेल-जोल और भ्रातृ-भाव से साथ-साथ रहें। यह समस्या बातों से और सुधारवाद से सुलभने वाली नहीं थी। जिस प्रकार अंग्रेज ने इसकी नींव आर्थिक स्वार्थों पर रखी थी, यदि जनता को उसके आर्थिक हितों पर संगठित किया जाता तो स्वभावतः ही वर्ग संघर्ष तीव्र होता और जन-क्रान्ति का मार्ग ग्रहण करने से स्थायी एकता स्थापित होती। प्रेमचन्द ने ‘कर्म-भूमि’ में भी जो शोषक और शोषित के संघर्ष का स्वप्न देखा था, वह कभी पूरा नहीं हुआ। किसानों और जन-साधारण के आर्थिक संघर्ष को नमक-सत्याग्रह का अंग कभी नहीं बनाया गया और फिर सारा खेल गांधी-इविन-पैक्ट में समाप्त हो गया।

जब भी जनता के जोश को अहिंसा और समझौते द्वारा अस्वाभाविक ढंग से रोका गया, तभी साम्प्रदायिक भावना उभरकर ऊपर आई। जनता में क्रांति के लिए जितना अधिक उत्साह हाता था, बाद में उतने ही अधिक दंगे होते थे। अन्त में अंग्रेजों की कूटनीति सफल हुई और इसी साम्प्रदायिकता के कारण भीषण नरमेघ-यज्ञ हुआ और देश विभाजित हो गया।

प्रेमचन्द भी जब तक सुधारवादी थे, इस समस्या का सुधारवादी और व्यक्तिगत हल पेश करते रहे। ‘काया-कल्प’ में उन्होंने यही हल पेश किया है। एक बार तो चक्रधर ने अपनी जान पर खेलकर दंगे को रोक दिया। लेकिन वह फिर हो गया और उसमें यशोदानंद के प्राण गये। यह समस्या इस प्रकार हल होने वाली नहीं थी। इसके पीछे साम्राज्य की संगठित शक्ति और दुर्बुद्धि काम करती थी और यह साम्प्रदायिकता कुछ लोगों का विशेषतः पंडितों और

मौलवियों का रोजगार बन गई थी। उन्होंने अपनी एक कहानी दैरो-हरम में इन लोगों की खूब कलाई खोली थी। इस पर कानपुर के एक मुस्लिम अखबार ने बड़ा बावैला मचाया। दयानारायण निगम ने प्रेमचन्द को इसकी सूचना दी तो उन्होंने २५ जून को अपने एक पत्र में लिखा:—“इस मजमून में किसी को शिकायत का क्या मौका है। फिर्का-परस्तों की जह्नीयत (मनोवृत्ति) का पर्दा फाश किया गया है। बिना किसी ह-रिआयत के एक तरफ हिन्दू पंडितों और पुजारियों की मजहब-परवरी का नज्जारा है, दूसरी तरफ मौलवियों की मजहब-परवरी का। दोनों मजहब के पर्दे में अपनी अपनी नफस-परवरी (स्वार्थपरता) का शिकार हो रहे हैं। अगर कुछ लोगों को बुरा लगता है तो मेरा क्या अस्तिहार है।”

कुछ धर्मान्ध और अदूरदर्शी मुसलमानों ने खुद प्रेमचन्द पर भी फिर्कापरस्त होने का इल्जाम लगाया था। उनकी दलील यह थी कि वे अपनी कहानियों और पात्रों में मुसलमान पात्रों को सदा दरिद्र, अपढ़ और ढोंगी चित्रित करते करते हैं। जिन्होंने प्रेमचन्द के साहित्य को ध्यान से पढ़ा है वे जानते हैं कि यह आरोप सर्वथा निराधार है। उनके हिन्दू और मुसलमान पात्रों में दोनों अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। दोनों दरिद्र भी हैं, धनी भी हैं। क्या ‘कर्मभूमि’ का सलीम और उसके पिता निर्धन और अपढ़ हैं। क्या ‘सेवा सदन’ के ‘शराफत अली’ और ‘तेग अली’ भले और नेक नहीं हैं। और फिर ‘प्रेमाश्रम’ में कादिर को तो इतनी श्रद्धा से चित्रित किया है कि प्रेमचन्द के सुधारवादी पात्रों में वह कई बातों में सूरदास से भी महान् जान पड़ता है।

ऐसे ही लोगों ने उनके ‘कर्बला’ नाटक लिखने पर एतराज किया था और बड़ा तूफान उठाया था, हालाँकि प्रेमचन्द ने पहले ही से इस बात का ध्यान रखा था। कि मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुँचे। १९ फरवरी सन् १९२४ को दयानारायण निगम को अपने एक खत में लिखा था:—

“आप यकीन रखें। मैंने राहतुराम कहीं नज्जरअन्दाज नहीं होने दिया है। एक-एक लफ्ज पर इस बात का खयाल रखा है कि मुसलमानों के मजहबी एहसासों को सदमा न पहुँचे। इसका मकसद पोलिटिकल है, बाहमी इत्तहाद को बढ़ाना और कुछ नहीं।”

बारह साल बाद आर्य समाज के वार्षिक अधिवेशन में आर्य-भाषा-सम्मेलन के सभापति-पद से भाषण देते हुए उन्होंने यही बात अधिक विस्तार और सुन्दर ढंग से यों कही:—

“साहित्य में जो सबसे बड़ी खूबी है, वह यह है कि वह हमारी मानवता को दृढ़ बनाता है, हममें सहानुभूति और उदारता के भाव पैदा करता है जिस हिन्दू ने ‘कर्बला’ के मार्के की तारीख पढ़ी है, यह असम्भव है कि उसे मुसलमानों से सहानुभूति न हो। उसी तरह जिस मुसलमान ने रामायण पढ़ी है, उसके दिल में हिन्दू मात्र से हमदर्दी पैदा हो जाना यकीनी है।”

प्रेमचन्द ने मानवता को दृढ़ करने के उद्देश्य ही से साहित्य का निर्माण किया है। वे पहले लेखक हैं जिनके उपन्यासों और कहानियों में हिन्दू-मुसलिम पात्र साथ-साथ चलते हैं और दोनों अपनी-अपनी भाषा बोलते हैं और दोनों अपने-अपने रीति-रिवाज का पालन करते हैं। इससे उनका आशय आम जिन्दगी में भी आपस के मेल-जोल को बढ़ाना था। उनकी आत्मा विशाल थी। वे व्यक्तिगत स्वार्थ से बहुत ऊपर उठकर समूचे राष्ट्र के हित की बात सोचते थे। सुविज्ञ मुसलमानों ने भी उन्हें इसी कारण ‘फितरत निगार’ और ‘शहनशाहे नावल नवीस’ का खिताब दिया था।

समाज और राजनीति

“आज जो समाज और देश की दूषित अवस्था है, उससे असहयोग करना मेरे लिए जनून से कम नहीं है।”
—प्रेमचन्द

प्रेमचन्द ने साहित्य, समाज और राजनीति के आपसी सम्बन्ध को भली प्रकार समझ लिया था। वे जानते थे कि जब तक समाज उन्नत न हो, साहित्य की उन्नति सम्भव नहीं है और जब तक मनुष्य रूढ़िगत विचारों को छोड़कर नये विचारों को ग्रहण न करे, युग के ऐतिहासिक सत्य को न अपनाय, उसका अच्छा राजनीतिज्ञ, साहसी और देश-सेवक बनना सम्भव नहीं है। जहाँ उन्नत समाज साहित्य की उन्नति का कारण बनता है वहाँ अच्छा साहित्य भी समाज और राजनीति को अच्छा बनाने में सहायक बनता है।

प्रेमचन्द जिस सामाजिक व्यवस्था में रहते थे, उससे संतुष्ट नहीं थे। कोई भी समझदार और ईमानदार व्यक्ति संतुष्ट नहीं था। अंग्रेज की गुलामी के अलावा देश परम्परागत बन्धनों और अन्धविश्वास-जमित प्रथाओं में जकड़ा हुआ था। अधिकांश जनता अपढ़ और दरिद्र थी, अपना खून पसीना बहाकर जीवन को समृद्ध बनाने के और नई सभ्यता के सभी साधन जुटाती थी, मगर वह खुद इन साधनों से वंचित थी। उसे धर्म, जाति, रीति-रिवाजों और कानून सबके नाम पर लूटा जाता था। उसे पण्डे और ब्राह्मण अलग चूसते थे और सरकारी अफसर, प्यादे और पटवारी अलग। फिर सूदखोर महाजन तो उसकी जान ही के लागू बने हुए थे। अंग्रेज शासक, उनका पिछलगू, चापलूस अधिकारी वर्ग और बड़े-बड़े जमींदार उसकी मेहनत पर आनन्द करते थे, आलस्य, विलासिता और व्यभिचार का जीवन व्यतीत करते थे और फिर हमारे देश का जो शिक्षित वर्ग था वह इस नौकरशाही व्यवस्था का अङ्ग बनकर विचारहीन और चापलूस बना हुआ था। ज्वालामोहिनी डिप्टी कलक्टर के जबानी प्रेमचन्द ने इस समाज का चित्रण इस प्रकार किया है:—

“मनुष्य कितना स्वार्थप्रिय और चापलूस बन सकता है, इसका यहाँ से उत्तम उदाहरण और कहीं न मिल सकेगा। यदि साहब बहादुर ज़रा-सा इशारा कर दें कि आमदनी के टैक्स की जाँच अच्छी तरह की जाय तो विश्वास मानिए, हमारे मित्रगण दो ही दिनों में टैक्स को बढ़ाकर दुगुना-तिगुना कर देंगे। यदि इशारा हो जाय कि अब के तक्राबी ज़रा हाथ रोककर दी जाय, तो समझ लीजिए कि वह बंद हो जायगी। इन महानुभावों की बातें सुनकर ऐसी धृणा होती है कि इनका मुँह न देखो। न कोई विज्ञान-वार्ता, न कोई राजनैतिक और आर्थिक विचार-विमर्ष और न कोई साहित्य-चर्चा। बस मैंने यह किया, साहब ने यह कहा, तो मैंने यह उत्तर दिया। आपसे यथार्थ कहता हूँ, कोई छटा हुआ शोहदा भी अपनी कपट-लीलाओं की डींग यों न मारेगा खेद तो यह है कि इस रोग से पुराने विचार के बूढ़े ही ग्रस्त नहीं, हमारा नव-शिक्षित वर्ग उनसे कहीं अधिक इस रोग से जर्जरित दीख पड़ता है। माले, मिल और स्पेंसर सभी इस स्वार्थ सिद्धान्त के सामने दब जाते हैं। अजी यहाँ ऐसे-ऐसे भद्र पुरुष पड़े हुए हैं जो खानसामों और अरदलियों की पूजा किया करते हैं, केवल इसलिए कि वे साहब से उनकी प्रशंसा किया करें। जिसे अधिकार मिल गया, वह समझने लगता है अब मैं हाकिम हूँ। अब जनता से, देश बन्धुओं से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। अंग्रेज-अधिकारियों के सम्मुख जायेंगे तो नम्रता, विनय और शील के पुतले बन जायेंगे मानो ईश्वर के दरबार में खड़े हैं। पर जब दौरे पर निकलेंगे तो प्रजा और जमींदारों पर ऐसा रौब जमायेंगे मानो उनके भाग्य के विधाता हैं।” (‘प्रेमाश्रम’ पृष्ठ ३३-३४)

प्रेमचन्द इस सामाजिक व्यवस्था से न सिर्फ असंतुष्ट थे, बल्कि अपनी आत्मा की समस्त शक्ति के साथ धृणा करते थे। जहाँ मनुष्य को न्याय न मिले, जहाँ पर मूट्टी भर खून चूसने वाले लोगों का एक गिरोह, काम करने-वालों की एक बहुत बड़ी संख्या को अपना गुलाम बनाये हुए हो, जहाँ मानवता का विकास न हो, जहाँ छुआछूत को धर्म के नाम पर उचित समझा जाता हो, जहाँ औरत को दासी और पाँव की जूती बना लिया गया हो, प्रेमचन्द का उस समाज से कभी समझौता हो ही नहीं सकता था। वे साहित्य-सेवा को तपस्या समझते थे और सदा अन्याय के विरुद्ध अन्याय का पक्ष लेते थे।

अन्याय की पोषक और विकास की शत्रु इस सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध उनके मन में विद्रोह भावना क्षण-क्षण सबल होती जा रही थी। हम उनके आदर्श पात्रों को कहते हुए सुनते हैं—“मैं रूढ़ियों और मर्यादाओं का दास बनकर नहीं रहना चाहता” (‘कर्मभूमि’ में अमरकान्त)। ‘मंगलसूत्र’ में तो यह विद्रोह बहुत ही तीव्र हो गया है और उन का क्षोभ और ग्लानि से भरा हुआ मन कह उठता है—

“देवता हमेशा रहेंगे और हमेशा रहे हैं। उन्हें संसार अब भी धर्म और नीति पर चलता हुआ नजर आता है।.....देवताओं ही ने भाग्य, ईश्वर और भक्ति की मिथ्या धारणाएँ फैलाकर इस अनीति को अमर बनाया है। मनुष्य ने अब तक इसका अन्त कर दिया होता या समाज का ही अन्त कर दिया होता जो इस दशा में जिन्दा रहने से कहीं अच्छा है।” (‘मंगलसूत्र’ पृष्ठ ६०)

अप्रैल सन् १९३६ में लाहौर आर्यसमाज के जलसे में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था—“अन्धविश्वास और धर्म के नाम पर किये जाने वाले हजारों अनाचारों की कब्र उसने (आर्यसमाज) खोदी, हालाँकि वह मुर्दे को उस में दफन न कर सका और अभी तक उसका जहरीला दुर्गन्ध उड़-उड़कर समाज को दूषित कर रहा है” (‘कुछ विचार’ पृष्ठ ५४)

वह इस मुर्दे को दफना देना चाहते थे। और उसे दफना देने के लिए समाज-सुधार के आन्दोलन काफी नहीं थे। पूरी आर्थिक व्यवस्था को बदलने की जरूरत थी और वह राजनैतिक क्रांति द्वारा ही बदली जा सकती थी। इसलिए देश में जब कोई जन-आन्दोलन चलता था तो प्रेमचन्द उसका सहर्ष स्वागत करते हैं। लेकिन उन्हें यह देखकर दुःख होता था कि देश के पढ़े-लिखे लोग जिन के पास विद्या है, बुद्धि है और जिन्हें जनता का नेतृत्व करना चाहिए, वे स्वार्थपरता से भरे हैं, आत्म सेवी हैं। वे न सिर्फ राजनीति में भाग लेते हुए डरते हैं बल्कि उसका विरोध करते हुए भी उन्हें लज्जा नहीं आती।

कारण यह था कि उच्च शिक्षा पाकर वे भी शासक वर्ग का—उसकी मशीनरी का एक अंग बन जाते थे और अंग्रेज शासकों की तरह जनता का शोषण करना उनका एक-मात्र उद्देश्य रह जाता था। इसके सिवा उससे और

कोई प्रयोजन नहीं—“इसका नतीजा यह है कि आज जनता को अंग्रेजों पर जितना विश्वास है उतना अपने पढ़े-लिखे भाइयों पर नहीं।” (कुछ विचार)

प्रेमचन्द हमेशा जन-हित को सम्मुख रखते थे। वे जन-साधारण के लिए ही सुख और स्वराज्य की कामना करते थे। हम इस पुस्तक के पहले खंड में लिख चुके हैं कि एक बार जब वे अपनी पत्नी शिवरानी के साथ गाड़ी में सफर कर रहे थे तो उनके डिब्बे में बहुत से किसान घुस आए, जो देवी के दर्शन करके लौट रहे थे। उन्हें देखकर शिवरानी देवी नाक सिकोड़ने लगीं तो बोले कि “इन्हीं के लिए तो जेल जाती हो, इन्हीं के लिए स्वराज चाहती हो फिर इनसे घृणा क्यों?”

वे आम पढ़-लिखे लोगों की तरह अपढ़ जनता को मूर्ख नहीं समझते थे बल्कि उन्हें जन-साधारण की न्याय-बुद्धि पर पूर्ण विश्वास था। ‘पंचायत’ कहानी में उन्होंने यही बात दिखाई है। और ‘प्रेम का त्यागी’ कहानी में लिखते हैं—“जनता के फैसेले साक्षी नहीं खोजते। अनुमान ही उसके लिए सब से बड़ी गवाही है।” इसी विश्वास के कारण वे न्याय-अन्याय के मामले में जन-सम्मति को अन्तिम निर्णय का अधिकार देते हैं। ‘राजा हरदौल’ कहानी देखिए। जब शाहजहाँ ने जुम्बाद को दक्षिण का शासन-भार सौंपा तो वे ओरछा से जाते समय अपने छोटे भाई हरदौल से बोले—“भैया में तो जाता हूँ। अब यह राज-पाट तुम्हारे सुपुर्द है। तुम भी इसे जी से प्यार करना। न्याय ही राजा का सबसे बड़ा सहायक है। न्याय की गढ़ी में कोई शत्रु नहीं घुस सकता चाहे वह रावण की सेना और इन्द्र का बल लेकर ही आये। पर न्याय वही सच्चा है, जिसे प्रजा भी न्याय समझे। तुम्हारा काम केवल न्याय ही करना न होगा, बल्कि प्रजा को अपने न्याय का विश्वास भी दिलाना होगा”

अंग्रेज हर एक ब्रांलिंग को इसलिए वोट का हक नहीं देते थे कि वे निर्वाचन अधिकार को कुछ ही लोगों तक सीमित रखकर ऊँचे वर्ग के प्रतिनिधियों को—रायसाहबों और बड़े-बड़े जमीदारों को कौंसिलों और धारा-सभाओं में लाना चाहते थे, जो सरकारी बिलों और प्रस्तावों का चुपचाप समर्थन कर दें, लेकिन दलील यह देते थे कि हिन्दुस्तान की जनता इतनी पिछड़ी हुई है कि वोट का सदुपयोग नहीं कर सकती। अब जबकि यह

अधिकार बहुत हद तक मिल गया है तब भी कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। क्योंकि उन्हें अशिक्षित जनता की निर्वाचन शक्ति पर विश्वास नहीं। लेकिन प्रेमचन्द ने आज से तीस-बत्तीस साल पहले जनता के लिए न सिर्फ अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजने का बल्कि यदि वे निर्वाचित होकर अपने कर्तव्य का पालन न करें, तो वापस बुलाने (Recall) का अधिकार माँगा था। वे 'प्रेमाश्रम' में लिखते हैं। "यह बड़ी भूल है कि मेम्बरों को एक निर्दिष्ट काल के लिए रखा जाता है वोटरों को अधिकार होना चाहिए कि जब किसी सदस्य को जी चुराते देखें तो उसे पद-च्युत कर दें।"

प्रेमचन्द सच्चे जनतन्त्रवादी थे वे देश की महान् और प्रतिभाशाली जनता को मन से प्यार करते थे। उस के खेल, तमाशों, रीति-रिवाज और त्यौहारों में दिलचस्पी रखते थे और जब यह महान् जनता राजनीतिक आन्दोलनों में भाग लेती थी तो उन का हृदय गद्गद् हो उठता था, तब उन्हें ऐसे अनुभव होता था कि दासता और रूढ़िवाद के बन्धन टूट रहे हों और मानव अपने पूर्ण विकास के लिए आगे बढ़ रहा हो। पश्चिमी साहित्यिक आलोचकों का कहना है कि फ्रांसिसी लेखक जोला और अनातोले फ्रांस ने भीड़ और जन-समूह की मनोवृत्ति के सजीव चरित्र खींचे हैं। किसी दूसरे लेखक को इस दिशा में उन से अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसका कारण यह था कि सन् १८३० से १८७० तक जनक्रांति का युग था। फ्रांस इस क्रान्ति का केन्द्र बना हुआ था। जोला और अनातोलेफ्रांस ने यह युग अपनी आँखों देखा था और इस क्रान्तिकारी संघर्ष में उनकी सहानुभूति जनता के साथ थी। इसीलिए उन्हें भीड़ के, जन-समूह के और उनकी मनोवृत्ति के सजीव चित्र खींचने में सफलता प्राप्त हुई है। हमारे अपने देश में सन् १९०५ से १९३६ तक क्रान्ति का युग रहा है। प्रेमचन्द ने जनता की बड़ी भीड़ को, जन-समूह को देश की स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करते देखा था। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उन की सहानुभूति जनता और उसके महान् आन्दोलन के साथ थी, बल्कि उन्होंने आन्दोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए इतनी बड़ी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। इसी कारण वे भीड़ के और जन-समूह की मनोवृत्ति के सफल चित्र खींचने में सफल हुए हैं।

मिसाल के लिए 'राजा हरदोल' कहानी लीजिए। जब दिल्ली का

पहलवान कादिर खाँ—ओरछा में जाकर चैलेंज करता है तो बुन्देला पहलवान कालदेव उसके मुकाबले पर आता है। भारी भीड़ उन्हें देख रही है। उस समय प्रेमचन्द अखाड़े का यह चित्र खींचते हैं:—

“एकाएक नगाड़े पर चोब पड़ी और आशा तथा भय ने लोगों के मन को उछालकर मुँह तक पहुँचा दिया। कालदेव और कादिर खाँ दोनों लँगोटे कसे तोतों की तरह अखाड़े में उतरे और गले मिल गए। तब दोनों तरफ से तलवारें निकलीं और दोनों की बगलों में चली गईं। फिर बादल के दो टुकड़ों से बिजलियाँ निकलने लगीं। पूरे तीन घण्टे तक यही मालूम होता रहा कि दो अंगारे हैं। हजारों आदमी खड़े तमाशा देख रहे थे और मैदान में आधी रात का सा सन्नाटा छा गया। हाँ, जब कभी कालदेव गिरहदार हाथ चलाता या कोई पेचदार वार बचा जाता, तो लोगों की गर्दन आप ही आप उठ जाती, पर किसी के मुँह से एक शब्द भी नहीं निकलता था। अखाड़े के अन्दर तलवारों की खींच-तान थी; पर देखने वालों के लिए अखाड़े से बाद इससे भी बढ़कर तमाशा था। बार-बार जातीय प्रतिष्ठा के विचारों से मन के भावों को रोकना और प्रसन्नता या दुःख का शब्द मुँह से न निकलने देना तलवारों के वार बचाने से अधिक कठिन काम था।”

इसके बाद जब राजा हरदौल खुद कादरखाँ के मुकाबिला पर आते हैं तो अखाड़े का चित्र इसमें कहीं अधिक सजीव हो उठता है क्योंकि यह बुन्देलों की मान प्रतिष्ठा की या आखिरी बाजी थी। अखाड़ों का चित्र देखिये :—

“...जब लोग अखाड़े के पास पहुँचे तो देखा कि अखाड़े में बिजलियाँ सी चमक रही थीं। बुन्देलों के दिलों पर उस समय जैसी बीत रही थी, उसका अनुमान करना कठिन है। उस समय उस लम्बे-चौड़े मैदान में जहाँ तक निगाह जाती थी आदमी ही आदमी नजर आते थे, पर चारों तरफ सन्नाटा था। हर एक की आँख अखाड़े की तरफ लगी हुई थी और हर एक का दिल हरदौल की मंगल-कामना के लिए ईश्वर का प्रार्थी था। कादिरखाँ का एक-एक वार हजारों दिलों के टुकड़े कर देता था और हरदौल की एक-एक काट से मनों में आनन्द की लहरें उठती थीं। अखाड़े में दो पहलवानों का सामना था और अखाड़े के बाहर आशा और निराशा का। आखिर घड़ियाल ने पहला पहर बजाया और हरदौल की तलवार बिजली बनकर कादिर के सिर पर गिरी। यह देखते ही बुन्देल मारे आनन्द के उन्मत्त हो गए। किसी को किसी

को सुधि न रही। कोई किसी के गले मिलता, कोई उछलता और छलांगें मारता था। हज़ारों आदमियों को वीरता का नशा हो गया।”

एतहासक कहानियाँ लिखने से प्रेमचन्द का प्रयोजन यही था कि वे उनके द्वारा स्वतन्त्रता के लिए संघर्षशील जनता में जातीय गौरव, विजय और वीरता की भावनाएँ भर देना चाहते थे। फिर उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन के जुलूसों की अपने अधिकारों के लिए लड़ती हुई जनता के भी सजीव चित्र प्रस्तुत किये हैं। ‘जुलूस’ कहानी का एक दृश्य देखिये :—

“...वह लोग जो दस मिनट पहले, तमाशा देख रहे थे, इधर-उधर से दौड़ पड़े और हजारों आदमियों का एक विराट दल घटना-स्थल की ओर चला। यह उन्मत्त, हिंसा-मद से भरे हुए मनुष्यों का समूह था, जिसे सिद्धान्त और आदर्श की परवाह न थी। जो मरने के लिए नहीं, मारने के लिए भी तैयार थे। कितने ही के हाथों में लाठियाँ थीं, कितने ही जेबों में पत्थर भरे हुए थे। न कोई किसी से कुछ बोलता था, न पूछता था। बस सब-के-सब मन में एक दृढ़ संकल्प किये लपके चले जा रहे थे, मानो कोई घटा उमड़ी चली आती हो।

इस दल को दूर से देखते ही सवारों में कुछ हलचल पड़ी।...शान्ति और अहिंसा के ब्रतधारियों पर डंडे बरसाना और बात थी, एक उन्मत्त दल से मुकाबिला करना दूसरी बात, सवार और सिपाही पीछे खिसक गये।”

प्रेमचन्द को जनता की शक्ति पर पूर्ण विश्वास था और वे जानते थे कि यदि इस शक्ति को अहिंसा-व्रत की जंजीरों से बाँधकर न रखा जाता तो वह देश में ब्रिटिश सरकार का अन्त कर देती। ‘जेल’ कहानी में पुलिस भीड़ पर गोली चला रही है, लोग चुपचाप खड़े देख रहे हैं। लेकिन एक बुढ़िया के गिरते ही उनसे देखते न रहा गया। प्रेमचन्द लिखते हैं :—

“उनके गिरते ही योद्धाओं का धैर्य टूट गया, व्रत का बंधन टूट गया। सभी के सिरों पर खून सा सवार हो गया। निहत्थे थे, अशक्त थे, पर हर एक अपने अन्दर अपार शक्ति का अनुभव कर रहा था। पुलिस पर धावा कर दिया। सिपाहियों ने इस बाढ़ को आते देखा तो हीश जाते रहे। जानें लेकर भागे...”

इसी 'जेल' कहानी की एक पात्र एक विधवा नारी क्षमा है जिसका पति और पुत्र दोनों ही जलियान वाला बाग में शहीद हुए थे, उस के बारे में लिखा है—“इन दस बरसों से उसका व्यथित हृदय जाति-सेवा में धैर्य और शान्ति खोज रहा था। जिन कारणों ने उसके बसे हुए घर को उजाड़ दिया, उसकी गोद सूती कर दी, उन कारणों का अन्त करने—उन को मिटाने में वह जी जान से लगी हुई थी।”

प्रेमचन्द भी इन कारणों का अन्त करने में जी जान से लगे हुए थे। इसीलिये उन्होंने नमक सत्याग्रह का, सन् १९३० के सविनय भंग आंदोलन का खुले दिल से स्वागत किया था। और उसे आगे बढ़ाने के लिये 'समर यात्रा' पुस्तक लिखी थी और उन की पत्नी शिवरानी देवी जेल गई थीं। लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा, इतने महान् आन्दोलन का अन्त गांधी-इरविन पैक्ट में हुआ, और किसानों को (विशेषकर यू० पी० में) जिनकी आर्थिक दशा बहुत बिगड़ गई थी, अपनी लड़ाई आप लड़ने के लिये अलग छोड़ दिया गया, तो प्रेमचन्द के विश्वास को कठोर आघात पहुँचा और अहिंसा व्रत से उन की आस्था उठ गई। 'कातिल' कहानी में धर्मवीर माँ से कहता है :—

“मुझे आशा नहीं कि पिकेटिंगों और जुलूसों से हमें आजादी प्राप्त हो सके। यह अपनी कमजोरी और मजबूरी का खुला एलान है। भंडियाँ निकालकर और गीत गाकर देश आजाद नहीं हुआ करते। मुझे तो यह सब कुछ बच्चों का सा खेल मालूम होता है। लड़कों को रोने-धोने से मिठाइयाँ मिल जाती हैं, वही इन लोगों को मिल जायँगी। असली आजादी तभी मिलेगी जब हम उस का मूल्य चुकाने को तैयार होंगे।”

दक्षिण-भारत हिन्दी-प्रचार-सभा मद्रास के उपाधि वितरणोत्सव पर २६ दिसम्बर १९३४ को यही बात इस प्रकार कही थी।

“अंग्रेजी में आप अपने मस्तिष्क का गूदा निकालकर रख दें, लेकिन आपकी आवाज़ में राष्ट्र का बल न होने के कारण कोई आपकी उतनी परवा भी न करेगा, जितनी बच्चों के रोने की करता है। बच्चों के रोने पर खिलौने और मिठाइयाँ मिलती हैं। वह शायद आपको भी मिल जायँ, जिससे आपकी चिल्ल-पों से माता-पिता के काम में विघ्न न पड़े।” (‘कुछ विचार’ १०३ पृष्ठ)।

प्रेमचन्द अंग्रेजी सीखने और पढ़ने के विरुद्ध नहीं थे। लेकिन अंग्रेजी को आधार बनाकर ब्रिटिश शासकों ने हमारे देश में जो शिक्षा-प्रणाली स्थापित की थी, वे देख रहे थे कि इसने हमारे समाज और राजनीति को दूषित और अपंगु बना रखा है। इसकी निन्दा करते हुए उक्त भाषणों में कहा था “हमारे जितने विद्यालय हैं, सभी गुलामी के कारखाने हैं जो लड़कों को स्वार्थ का, जरूरतों का, नुमाइश का, अकर्मण्यता का गुलाम बनाकर छोड़ देते हैं। और लुत्फ यह कि यह तालीम भी मोतियों के मोल बिक रही है।” (वही)

फिर लिखते हैं :—“हमारे विद्वान् तो अंग्रेजी में मस्त हैं। जनता के पैसे से दर्शन और विज्ञान और सारी दुनिया की विद्यार्थे सीखकर भी वे जनता की तरफ से आंखें बन्द किये बैठे हैं। उनकी दुनिया अलग है—उन्होंने उपजीवियों की मनोवृत्ति पैदा कर ली है।” और यही लोग व्याख्यान भाड़कर और अखबारों में बयान छापकर नेता बनते थे, अधिकार माँगते थे। प्रेमचन्द लिखते हैं—“राजनीति के माहिर अंग्रेज शासकों को आप राष्ट्र की हाँक लगाकर धोखा नहीं दे सकते। वे आपकी पोल जानते हैं और आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं।” (कुछ विचार)

वे सन् १९३१ के बाद एकदम यथार्थवाद और वैज्ञानिक होते चले गए थे। वर्तमान शिक्षा-प्रणाली आर्थिक शोषण और रूढ़िगत धर्म सबका विशेष विरोध करते थे। उन्होंने अपने सभापति-पद से भाषण में सन् १९३६ में कहा था।

“पुराने जमाने में समाज की लगाम मजहब के हाथ में थी। मनुष्य की आध्यात्मिक और नैतिक सभ्यता का आधार धार्मिक आदेश था और वह भय या प्रलोभन से काम लेता था—पुण्य-पाप के मसले उसके साधन थे।

अब साहित्य ने यह काम अपने जिम्मे ल लिया है और उसका साधन सौंदर्य-प्रेम है। वह मनुष्य में इसी सौन्दर्य-प्रेम को जगाने का प्रयत्न करता है।” (‘कुछ विचार’ पृष्ठ ९)

इस सौन्दर्य-प्रेम का साहित्य से ही नहीं समाज और राजनीति से सीधा सम्बन्ध है। प्रेमचन्द ने अपनी ‘महाजनी सभ्यता’ लेख में इस प्रकार स्पष्ट किया।

“जिसमें मनुष्यता, आध्यात्मिकता, उच्चता और सौन्दर्य-बोध है, वह

कभी ऐसी समाज-व्यवस्था का सराहना नहीं कर सकता, जिसकी नींव लोभ, स्वार्थपरता और दुर्बल मनोवृत्ति पर खड़ी हो।” (‘हंस’ शान्ति अंक अप्रैल ५२)।

और दक्षिणी-भारत हिन्दी-प्रचार-सभा मद्रास वाले भाषण में लिखते हैं :—

“समाज में हमेशा ऐसे लोगों की कसरत होती है, जो खाने-पीने धन बटोरने और जिन्दगी के अन्य धन्धों में लगे रहते हैं। यह समाज की देह है। उस के प्राण वह गिने-गिनाये मनुष्य हैं, जो उसकी रक्षा के लिए सदैव लड़ते रहते हैं, कभी अंधविश्वास से, कभी मूर्खता से, कभी कुव्यवस्था से, कभी पराधीनता से। इन्हीं लड़न्तियों के साहस और बुद्धि पर समाज का आधार है।” (‘कुछ विचार’ पृष्ठ १०६)

प्रेमचन्द भी समाज के प्राण थे, लड़न्तिये थे। उन में जो साहस और बुद्धि थी, उसे वे जनसाधारण—समाज की देह में भर देना चाहते थे क्योंकि जब तक देह हरकत में न आये, शोषण का, अन्याय का, अंग्रेजी द्वारा स्थापित की गई उपनिवेशी व्यवस्था का अन्त सम्भव नहीं था।

प्रेमचन्द का जीवन-संदेश

“अगर हमारा अन्तर प्रेम की ज्योति से प्रकाशित हो और सेवा का आदर्श हमारे सामने हो, तो ऐसी कोई कठिनाई नहीं जिस पर हम विजय न प्राप्त कर सकें।”
—प्रेमचन्द

प्रेमचन्द का सारा जीवन संघर्षों में व्यतीत हुआ। वे डाकखाने के एक मामूली क्लर्क के बेटे थे। अर्थाभाव के कारण उनकी साधारण शिक्षा भी पूरी नहीं हो सकी, यहाँ तक कि उन्होंने मैट्रिक भी अपनी ही कोशिश से पास किया। इस के उपरान्त उन्हें जीविकोपार्जन में जुट जाना पड़ा। लेकिन उन में विकास और उन्नति की जो एक भावना थी, आगे बढ़ने की जो उत्कृष्ट अभिलाषा थी, उसने उन्हें चैन से बैठने नहीं दिया। वे जीवनपर्यन्त परिस्थितियों से लड़ते रहे और उनसे ऊपर उठने का सतत् प्रयत्न करते रहे। उन्हें आर्थिक और भौतिक सुख भोगना भले ही नसीब न हुआ, लेकिन अपने इस प्रयत्न से वे अपने युग के महान् लेखक बन गए।

यह सफलता संसार के सम्पूर्ण धन और समस्त भौतिक सुखों पर है। ऐसे में संघर्ष को जीवन का मूल मंत्र मानकर चलना स्वाभाविक बात थी। यही मूल मन्त्र उनके साहित्य का संदेश है। उन्होंने सन् १९३६ में सभापति-पद के भाषण में कहा था—“भावोत्तेजक कला का अब जमाना नहीं रहा। अब तो हमें उस कला की आवश्यकता है जिसमें कर्म का संदेश हो। अब ता हजरते ‘इकबाल’ के साथ-साथ हम भी कहते हैं:—

रमजे हयात जोई, जुन्न दर तपिश नयाबी,
दर कुल जुम आरमीदन नगास्त आवे जूरा।
वह आशियां न नशीनम जेलज्जते परवाज
गहे बशाखे गुलम, गहें बरलबे जूयम ॥

अर्थात्—“अगर तुम्हें जीवन के रहस्य की खोज है, तो वह तुम्हें संघर्ष के सिवा और कहीं नहीं मिलने का—सागर में जाकर विश्राम करना नदी के लिए लज्जा की बात है। आनन्द पाने के लिए मैं घोंसले में कभी बैठता नहीं। कभी फूलों की टहनियों पर, तो कभी नदी-तट पर होता हूँ।

ऋषियों, मुनियों, धर्मप्रवर्तकों और राजनीतिज्ञों ने आज तक जीवन रहस्य की ही खोज की है। बुद्ध यही समझने का प्रयास करते रहे कि इस जीवन में दुःख क्यों है ? और इस दुःख से मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है ? सांख्य दर्शन हो या वेदान्त उनकी खोज भी यही रही कि इस जीवन का सार क्या है। इस जीवन के उपरान्त भी मनुष्य का दूसरा जन्म होता है या नहीं ? अदृष्ट क्या है ? इस जीवन के निर्माण अथवा विघटन में उसका कितना हाथ है। कान्ट, हीगेल और मार्क्स ने भी इसी रहस्य को समझने-समझाने का प्रयत्न किया है। प्रेमचन्द अपने एक लेख 'कहानी-कला' में लिखते हैं—

“मनुष्य जाति के लिए मनुष्य ही सबसे विकट पहेली है। वह खुद अपनी समझ में नहीं आता—मानव-संस्कृति का विकास ही इसलिए हुआ है कि मनुष्य अपने-आपको समझे। अध्यात्म और दर्शन की भाँति साहित्य भी इसी खोज में लगा हुआ है।—अन्तर इतना ही कि वह इस उद्योग में रस का मिश्रण करके उसे आनन्दप्रद बना देता है, इसलिए अध्यात्म और दर्शन केवल ज्ञानियों के लिए है, साहित्य मनुष्य-मात्र के लिए।” (कुछ विचार)

प्रेमचन्द महान् लेखक थे। वे इसी महान् उद्देश्य से साहित्य-सृजन करते थे कि जीवन-रहस्य मनुष्य-मात्र को समझाया जाय, ताकि वे अपने जीवन को सुखी और स्वस्थ बना सकें और उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो जाय। फिर लिखा है :—

“उन्नति से हमारा तात्पर्य उस स्थिति से है, जिससे हममें दृढ़ता और कर्मशक्ति उत्पन्न हो, जिससे हमें अपनी दुखित अवस्था की अनुभूति हो, हम देखें कि किन अन्तर्बाह्य कारणों से हम इस निर्जीवता और हास की अवस्था को पहुँच गए हैं और उन्हें दूर करने की कोशिश करें।” (सभापति पद से भाषण)

प्रेमचन्द ने यह कोशिश व्यक्तिगत ढंग से नहीं की। जिस समय उन्होंने साहित्य-सृजन आरम्भ किया, हमारे देश में राष्ट्रोन्नति की भावना सजग हो गई थी और दिन-दिन बढ़ रही थी। मध्यवर्ग की नई पीढ़ी के शिक्षित नौजवान समाज-सुधार और राष्ट्रीय उन्नति के आन्दोलनों में बढ़-बढ़ कर भाग ले रहे थे। प्रेमचन्द भी मध्यवर्ग की इसी नई पीढ़ी के प्रतिनिधि थे। वे इन आन्दोलनों से प्रभावित थे। समय का संदेश यह था कि रुढ़ि-प्रस्त

समाज को अन्धविश्वास, प्रमाद और पराधीनता से मुक्त करने के लिए जन-सेवक त्यागी और कर्मयोगी बनें। प्रेमचन्द की कहानियों और उपन्यास भी इसी संदेश से ओत-प्रोत हैं। उनके मुख्य पात्र भी जन-सेवक कर्मयोगी और त्यागी हैं। जीवन का कोई उच्चादर्श न हो तो जीना व्यर्थ है। 'सेवा-सदन' का कृष्णचन्द्र कहता है—“व्यर्थ जीने से व्यर्थ मर जाना अच्छा है” वह सिर्फ कहता ही नहीं, उसे अपना जीवन व्यर्थ जान पड़ता है इसलिए सचमुच मर जाता है।

साहित्य समय की आत्मा होता है। प्रेमचन्द के अलावा इस युग के दूसरे महान् लेखकों ने भी अपने साहित्य द्वारा मनुष्य को कर्मयोगी और संघर्षशील होने का संदेश दिया है और रूढ़िग्रस्त मान्यताओं से हटकर उन्नति की एक अलग राह खोजने की प्रेरणा दी है। कविवर टैगोर कहते हैं—Where roads are made, I lose my path.

(अर्थात्—जहाँ सड़कें बना दी जाती हैं, वहाँ मैं अपना मार्ग भूल जाता हूँ)

कवि का नायक स्वतन्त्र चिन्तन की माँग करता है और यही नायक सोने की नौका में बैठकर सत्य की खोज में निकलता है और तूफानों से लड़ता हुआ सतत आगे बढ़ता है। इकबाल प्रेमचन्द के इसीलिए प्रिय कवि हैं कि उन्होंने भी मनुष्य को कर्मशील होने का संदेश दिया है। इकबाल लिखते हैं:—

अमल से जिन्दगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी
यह खाक अपनी फितरत में नोरी है न, नारी है।

अर्थात्—जीवन का निर्माण कर्म से होता है, स्वर्ग नरक भी कर्म से बनता है। यह मनुष्य स्वभाव से न अच्छा है न बुरा है।

प्रेमचन्द इकबाल से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने न सिर्फ उर्दू बल्कि उनके फ़ारसी के कलाम को भी ध्यान से पढ़ा था और उनके जिन शेरों से कर्मशील होने की प्रेरणा मिलती है उन्हें बहुधा उद्धृत भी करते हैं। उनके सभापति-पद से पढ़े गए एक शेर का हवाला पहले दे चुके हैं एक और सुनिये—

अज्ञ दस्ते जनूने मन जिब्रील जनू सैदे
यजदां बकमन्द आवर ऐ हिम्मते मरदाना।

(अर्थात्—मेरे उन्मत्त हाथों के लिए जञ्जील एक घटिया शिकार है ।
ऐ हिम्मते मरदाना, क्यों न अपनी कमंद में तू खुदा ही को फाँस लाये) ।

प्रेमचन्द ने इसी हिम्मते मरदाना से सारा जीवन व्यतीत किया था और फिर जनसंघर्ष में पड़कर उन्होंने अपने जीवन को राष्ट्रीय जीवन में मिला दिया था । इसलिए वे समस्त राष्ट्र से हिम्मते मरदाना की माँग करते थे । यों तो उनके सभी मुख्य और आदर्श पात्र कर्मशील हैं और विरासत में प्राप्त दुबल-ताओं को संघर्ष में पड़कर दूर करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन 'सूरदास' उनका सबसे बड़ा कर्मयोगी पात्र है । जीवन की कठिनाइयों और बाधाओं का हँसते-हँसते सामना करना, उससे भागना नहीं, बल्कि इस रण-क्षेत्र में सच्चे योद्धा की नाई खम ठोककर डट जाना सूरदास उन्मत्त भाव से यही राग अलापता सुनाई देता है—

तू रंगभूमि में आया, दिखलाने अपनी काया,
क्यों धर्मनीति को तोड़े, भई क्यों रण से मुँह मौड़े ?

सूरदास का जीवन-दर्शन, प्रेमचन्द का ही जीवन-दर्शन है । उन्होंने इसे अपने मन के अनुरूप बनाया है । हमने अपनी इस सुस्तक के 'बम्बूक' अध्याय में प्रेमचन्द का एक पत्र उद्धृत किया है जो उन्होंने मुंशी दयानारायण निगम को उनके पुत्र की मृत्यु पर लिखा था और उसमें दुःख को सहन करने का यह सुभाव दिया था कि "टुनिया को एक तमाशगाह या खेल का मैदान समझ लिया जाय । खेल के मैदान में वही शरूस तारीफ का मुस्तहिक होता है, जो जीत में फूलता नहीं और हार में रोता नहीं ।" पत्र लम्बा है, लेकिन उसका सारांश यही है । अब देखिए सूरदास के मुख से यही बात इस ढंग से कहलाई गई है—

"सच्चे खिलाड़ा कभी रोते नहीं, बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं । उनकी त्यौरियों पर बल नहीं पड़ते । हिम्मत उनका साथ नहीं छोड़ती, दिल पर मालिन्य की छोटें भी नहीं आतीं, न किसी से जलते हैं, न चिढ़ते हैं । खेल में रोना कैसा, खेल हँसने के लिए है, दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए नहीं ।" ('रंगभूमि' पृष्ठ २१२) ।

यह निर्विकार कर्मशीलता निरा आदर्शवाद है । प्रेमचन्द को भी, प्रत्येक

मध्यवर्गी युवक की तरह आदर्शवाद विरासत में मिला था। यद्यपि विषम परिस्थितियों ने, जीवन के अनुभव ने उन्हें यथार्थवादी बना दिया, लेकिन गांधीजी में यथार्थवाद का समर्थक भी मिल गया था। 'यह सच्चा खिलाड़ी' वास्तव में सच्चा सत्याग्रही है जिसकी हार भी जीत होती है और जीत तो जीत है ही, पर उसमें वह फूलता नहीं। यही सच्चा खिलाड़ी—सूरदास आगे कहता है—

“खिलाड़ी जीतकर हारने वाले की हँसी नहीं उड़ाता, उससे गले मिलता है और हाथ जोड़कर कहता है—‘भैया, अगर हमने खेल में तुमसे कुछ अनुचित बात कही हो तो उसे माफ करना।’ इस तरह दोनों खिलाड़ी हँसकर अलग होते हैं, खेल खत्म होते ही दोनों मित्र बन जाते हैं, उन में कोई कपट नहीं रहता”। (‘रंगभूमि’ पृष्ठ ३७०)।

यह निष्काम कर्म का शताब्दियों पुराना दर्शन है जो मनुष्य से बिना फल की इच्छा के काम करते रहने की माँग करता है। गांधीजी ने भी इसी दर्शन द्वारा हमारे कर्म और विचार को चर्खे से बाँधकर रखा था। हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन खेल नहीं था, ग्वतन्त्रता संग्राम था। हार को जीत समझ लेना एक व्यक्ति का—एक सत्याग्रही का आदर्श तो भले ही हो सकता है, पर सम्पूर्ण राष्ट्र का आदर्श नहीं हो सकता और यह व्यक्ति भी हार को जीत सिद्ध करने के लिए लोकमत की अवहेलना करता है और इच्छाओं के दमन का उपदेश देता है। चक्रधर कहता है—“परोपकार ही अमरत्व प्रदान करता है। काल पर विजय पाने का अर्थ यह नहीं है कि हम कृत्रिम साधनों से भोग-विलास में प्रवृत्त हो, बृद्ध होकर जवान बनने का स्वप्न देखें और अपनी आत्मा को धोखा दें। लोकमत पर विजय पाने का अर्थ है अपने सद्बिचारों और सत्कर्मों से जनता में आदर पाना और सम्मान प्राप्त करना। आत्मा पर विजय पाने का आशय निर्लज्जता या विषय-वासना नहीं, बल्कि इच्छाओं का दमन करना और कुवृत्तियों को रोकना है।” (कायाकल्प)

जो यथार्थवादी और संघर्ष की शक्ति में विश्वास रखता है उसे चक्रधर का यह भाषण अनर्गल जान पड़ता है। यह आदर्श महात्मा और महापुरुष के लिए ही उपयुक्त हो सकता है। साधारण मनुष्य तो अपनी हार को हार और जीत को जीत समझता है। वह हारकर दुःखी और जीतकर प्रसन्न होता है। संसार में महात्मा और महापुरुष इक्के-दुक्के हैं और मनुष्य अधिक हैं

इसलिए संसार का यही आचरण है। प्रेमचन्द के पात्रों में भी महात्मा और महापुरुष कम, मनुष्य अधिक हैं। इसलिए वे सांसारिक आचरण के अनुसार सुख-दुःख अनुभव करते हैं। चक्रधर का पिता वज्रधर पुरानी पीढ़ी का होते हुए भी मनुष्य है स्पष्ट कहता है—“गुणानुवाद करते सारी उम्र बीत गई। उसका यह फल ! उस पर कहते हो ईश्वर को दोष न दीजिए। अपने कल्याण के लिए ही तो ईश्वर का भजन किया जाता है या किसी की जीभ खुजलाती है।” और चक्रधर भी इन्द्रियों का दमन और इच्छाओं के त्याग की बात ही कहता है, त्याग कर नहीं पाता। लिखा है—“सन्ध्या-समय शंखधर अपने पिता से विदा होकर चला। चक्रधर को ऐसा मालूम हो रहा था मानो उनका हृदय वक्षस्थल को तोड़कर शंखधर के साथ चला जा रहा है। जब वह आँखों से ओझल हो गया तो उन्होंने एक लम्बी साँस ली और बालकों की भाँति बिलख-बिलख कर रोने लगे। ऐसा मालूम होता था मानो चारों ओर शून्य है।” और फिर जब वह मनोरमा के लिए नित्य विचित्र पक्षी खोजता फिरता है, वह इन्द्रियों के दमन और इच्छाओं के त्याग का कौन सा रूप है ? जिस के अपने जीवन का कोई उद्देश्य न रह गया हो, वह दूसरों के लिए क्या जीवन-सन्देश छोड़ जायगा।

यथार्थवाद के सामने आदर्शवाद टिक नहीं सकता। हार को हार कहना ही पड़ता है। अन्त में ‘सच्चा खिलाड़ी’ सूरदास कहता है—

“बस-बस, अब मुझे क्यों मारते हो, तुम जीते, मैं हारा। यह बाजी तुम्हारे हाथ रही। मुझसे खेलते न बन पड़ा, तुम मँजे हुए खिलाड़ी हो, दम नहीं उखड़ता, खिलाड़ियों को मिलाकर खेलते हो और तुम्हारा उत्साह भी खूब है। हमारा दम उखड़ जाता है और खिलाड़ियों को मिलाकर नहीं खेलते। आपस में झगड़ते हैं, गाली-गलौज, मार-पीट करते हैं, कोई किसी की नहीं मानता। तुम खेलने में निपुण हो, हम अनाड़ी हैं।” (‘रंगभूमि’)

चौराचौरी की घटना के बाद हमारा राजनैतिक संगठन टुकड़े-टुकड़े हो गया था। आपस के झगड़े, गाली-गलौज और मार-पीट शुरू हो गई थी। कोई किसी की नहीं मानता था। क्या यह राष्ट्र की हार नहीं थी ?

कर्म का संदेश ‘पंचतंत्र’ का रचियता भी देता है, लेकिन वह हार को हार और जीत को जीत कहता है और हार के बाद भाग्यवादी बनने के

बजाय कर्म का विश्लेषण करके हार के कारणों को समझने का परामर्श देता है। कर्म के साथ विवेचन-बुद्धि का होना जरूरी है। आँखें बन्द करके चलते रहने से मनुष्य अंधेरे में भटक जाता है और अपने साथ हजारों-लाखों को भटका ले जाता है जैसे खुद खुदा का शिकार करने वाला इकबाल भटक गया। हमारा सारा राष्ट्र-आन्दोलन भटक गया। निष्काम कर्म का दर्शन दासता युग की शोषण पर टिकी हुई समाज-व्यवस्था का दर्शन है। जो इसे मानता है वह कोल्हू के बैल की तरह एक ही चक्कर में घूमता रहता है और इस चक्कर की तंग परिधि से बाहर नहीं निकल सकता।

प्रेमचन्द ने कर्म के साथ विवेचक बुद्धि भी पाई थी। आदर्शवाद ने उनके मस्तिष्क में जो उलझनें, जो भ्रम उत्पन्न कर रखे थे सन् १९३०-३२ की हार ने—वस्तुस्थिति ने—सब दूर कर दिए और उन्होंने 'गोदान' में मनुष्य—विशुद्ध मनुष्य की कहानी बयान करते हुए लिखा कि "मन पर जितना गहरा आघात होता है उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही गहरी होती है। 'गोदान' के पढ़ने से यह बात भली प्रकार समझ में आ जाती है। इस के शब्द-शब्द में मनुष्य बोलता है, इस शोषण-व्यवस्था में उसकी सदियों की कुचली हुई आत्मा बोलती है—जीवन की दुःखद असमर्थता इसके सिवाय क्या है कि आपकी आत्मा जो काम करना नहीं चाहती वही आपको करना पड़े।" इस बेबसी का अन्त करना ही प्रेमचन्द का जीवन संदेश है और वे इस बेबसी का अन्त करने की विधि भी बताते हैं:—

"बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्त हो तो हमें उसमें उसकी प्रभुता मानने में कोई आपत्ति नहीं। समाजवाद का यही आदेश है। हम साधु-महात्माओं के आगे इसीलिए सिर झुकाते हैं कि उनमें त्याग का बल है। इसी तरह हम बुद्धि के हाथ में अधिकार भी देना चाहते हैं, सम्मान भी, नेतृत्व भी, लेकिन सम्पत्ति किसी तरह नहीं, बुद्धि का अधिकार और सम्मान व्यक्ति के साथ चला जाता है लेकिन उसकी सम्पत्ति विष बोने के लिए उसके बाद और भी प्रबल हो जाती है, बुद्धि के बगैर किसी समाज का संचालन नहीं हो सकता, हम केवल इस बिच्छू का डंक तोड़ देना चाहते हैं"। (गोदान-पृष्ठ ७३)

यह शब्द राय साहब अमरपाल सिंह ने कहे, लेकिन उसे यह डंक सताता

नहीं, सताता तो प्रेमचन्द को था। 'मंगल सूत्र' में वे अपनी ही कहानी लिख रहे थे। यहाँ तो वे बहुत ही विक्षुब्ध हो उठे थे, यहाँ तक सोचने लगे थे कि लखक बनने से तो घास खोद लेना अच्छा है। वे लिखते हैं—

“इस तरह का आत्म मन्थन उनके जीवन में पहले कभी न हुआ था। उनकी साहित्यिक बुद्धि ऐसी व्यवस्था में संतुष्ट तो हो ही नहीं सकती।”

इस आत्म मन्थन से उन्होंने जो वरदान पाया था असल में वही उनका जीवन-संदेश है। उन्हीं के शब्दों में सुनिये:—

“दरिन्दों के बीच मैं उनसे लड़ने के लिए हथियार बाँधना पड़ेगा। उनके पंजों का शिकार बनना देवतापन नहीं जड़ता है”। (मंगल सूत्र)

यह उनके हृदय की उत्कृष्ट वाणी है, अनुभूत सत्य है।

साहित्य की मूल प्रेरणा

“साहित्यकार या कलाकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है।”

—प्रेमचन्द

प्रेमचन्द के समूचे साहित्य की मूल प्रेरणा का अंत करने यदि हम बैठें तो हमें विवश होकर कहना पड़ेगा कि उन्होंने अपने साहित्य में उसी सत्य की स्थापना की जिसे हम यज्ञवाद की दृष्टि से युग सत्य पुकारते हैं। और प्रेमचन्द इस दृष्टि से सच्चे प्रगतिवादी हैं। प्रगतिवाद वस्तुतः है क्या ? इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट स्वीकार कर लिया जाना चाहिए कि रेल, तार अथवा वायुयान और रेडियो की तरह प्रगतिवाद वर्तमान युग का कोई आविष्कार नहीं है। मनुष्य जब से उत्पन्न हुआ है, वह तभी से प्रगति और उन्नति के लिए संघर्ष-रत रहा है। उसने भयावह और निष्ठुर प्रकृति को, अपने-आपको दृश्य और अदृश्य को समझने का प्रयत्न किया है। उसे इस प्रयत्न में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है, वह प्रत्येक युग में आगे बढ़ा है और अब भी नई-नई सफलताएँ प्राप्त कर रहा है। इसी सफलता का—मनुष्य की सतत आगे बढ़ने की महत्त्वाकांक्षा और प्रवृत्ति का नाम ही प्रगतिवाद है।

उसके इस सतत संघर्ष और परिश्रम ही से शब्द, भाषा और साहित्य की उत्पत्ति हुई है। और फिर दूसरे अनेक साधनों की तरह शब्द और साहित्य भी उसके संघर्ष को आगे बढ़ाने का एक साधन बन गया है। वेद मंत्र हों या देव माला हो, उपनिषदों की कथाएँ हों या महाभारत की कहानियाँ हों, जिस साहित्य ने भी जन-जीवन को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया है वह प्रगतिवादी है।

आधुनिक वैज्ञानिक युग में पहुँचने तक मनुष्य ने बहुत सी मंजिलें तय की हैं। बहुत सी कठिनाइयों से गुजरता हुआ इस युग तक पहुँचा है। इन कठिनाइयों और संघर्षों में से गुजरते हुए उसने क्षण-क्षण अपने अनुभव और ज्ञान को बढ़ाया है। सृष्टि के आरम्भ में जिस तरह मनुष्य के जीवन के साधन परिमित थे उसी तरह उसका ज्ञान भी परिमित था। जैसे-जैसे यह साधन विस्तृत होते रहे मनुष्य का ज्ञान भी विस्तृत होता रहा। किसी भी युग के

साहित्य का मूल्यांकन करते समय हमें इस युग के साधनों को, इस युग के मनुष्य की ज्ञान-परिधि को सम्मुख रखना होगा, वरना उसके मूल्यांकन में भूल होना अनिवार्य है। हम अपने से पहले के किसी भी युग की प्रगति को अपने युग की प्रगति से नहीं माप सकते। हम इस युग में जो बात सोचते और कहते हैं, किसी दूसरे युग के मनुष्य से वही बात सोचने और कहने की आशा रखना भूल होगी। उदाहरणतः हम अब जनतन्त्रवाद के युग में रह रहे हैं। किसी एक व्यक्ति के हाथ में समस्त राज-सत्ता सौंपने को, राजाओं और सामन्तों के अस्तित्व को प्रगति-विरोधी और बुरा समझते हैं तो कालिदास से भी यह माँग करें कि उसने भी जनतन्त्र की माँग क्यों नहीं की। उसने क्यों राजाओं के पराक्रम का गुण-गान किया और क्यों अप्सराओं की कपोल-कल्पित कथाएँ लिखीं? यह सोचना उचित नहीं। उस समय सामन्ती व्यवस्था में मानव-जीवन आगे बढ़ रहा था। छोटे-छोटे राज्य में बँटे हुए हिन्दुस्तान को समृद्ध, सुदृढ़ और सुरक्षित बनाने के लिए केन्द्रीकरण की आवश्यकता थी। कालिदास के महाकाव्य 'रघुवंश' का नायक युग की इस माँग का प्रतीक है। दुनियाँ चाहे-जितनी आगे बढ़ जाय रघु इस युग के साहित्य का सदा हीरो बना रहेगा। चीन के सुविज्ञ नेता माउत्से तुङ्ग ने कहा है—

“प्रत्येक युग का एक सत्य होता है, जो जनता के सामूहिक अमल से जाना जाता है।” (Peoples New Democracy)

प्रत्येक महान् लेखक अपने युग के इसी सत्य को जनता के सामूहिक अमल से इस सत्य को समझने का प्रयत्न करता है और जिस मात्रा में वह इसे समझ लेता है, इसी मात्रा में वह इसका प्रतिपादन करता है। प्रेमचन्द भी जीवन-पर्यन्त अपने युग के सत्य को समझते और उसे जनसाधारण का अनुभूत सत्य बना देने का प्रयत्न करते रहे। उन्हें इस विषय में जितनी सफलता प्राप्त हुई वही उनकी महानता है।

प्रेमचन्द का युग आदर्शवाद और यथार्थवाद के संघर्ष का युग था। उस समय किसी भाँ लेखक का आरम्भ में आदर्शवादी होना अनिवार्य था। प्रेमचन्द की विशेषता यह है कि जैसे-जैसे यथार्थवाद की विचार-धारा स्पष्ट और बलवती बनती गई प्रेमचन्द भी आदर्शवाद को छोड़कर यथार्थवादी बनते गए। वह समय के साथ-साथ चलते थे और कई बार तो दौड़कर उससे आगे निकल जाने का भी प्रयत्न करते थे। लिखा है—

“साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफिल सजपना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है ।—उसका दर्जा इतना न गिराए। वह देश-भक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सचाई भी नहीं, बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सचाई है ।” (सभापति पद से भाषण)

और उन्होंने एक दूसरे स्थान पर लिखा है कि लेखक को कम-से-कम दस साल आगे की बात सोचना चाहिए । उनके साहित्य से हमें इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि उन्होंने न सिर्फ दस साल बल्कि बीस साल आगे की बात सोची है । उदाहरणतः ‘आहुति’ कहानी से यह प्रमाण मिलता है कि हमारी राजनीति में जो समझौता सन् १९४७ में हुआ, वह उन्होंने सन् ३०-३२ में भाँप लिया था । उन्होंने ‘प्रेमाश्रम’ में लिखा है कि वोटों को न सिर्फ सदस्य चुनने बल्कि यदि वे अपना कर्तव्य पालन न करें तो वापिस बुलाने (Recall) का भी अधिकार हो । उन्होंने यह माँग सन् १९२०-२२ में की थी जो अपने समय से निश्चय ही तीस-बत्तीस वर्ष पहले की बात है । और फिर उनका यह कहना कि ‘भावी उपन्यास जीवन-चरित्र होगा’ बहुत बड़ी साहित्यिक भविष्यवाणी है । हमारे लेखकों ने इस तथ्य को अभी तक नहीं समझा । यदि हमारे साहित्य की यही रफ्तार रही जो अब है तो शायद हम पचास वर्ष में भी इस आदर्श तक न पहुँच सकें ।

इसी अनुभव और दूरदर्शिता के कारण प्रेमचन्द जीवन के अन्तिम पर्व में आदर्शवाद को छोड़कर यथार्थवादी बन गए । लेकिन इस सम्बन्ध में यह बात स्पष्ट कर देना जरूरी है कि यथार्थवाद ही प्रगतिवाद नहीं है । प्रगतिवाद और यथार्थवाद में केवल इतना ही सम्बन्ध है कि प्रगतिवाद युग के सत्य की खोज करता है और सत्य को सदेह, सशक्त और विश्वस्त बनाने के लिए यथार्थ की आवश्यकता होती है । अर्थात् कहानी और उपन्यास के पात्र और घटना में सत्य को सदेह, सशक्त और विश्वस्त बना देते हैं । वर्तमान समाज में एक किसान को धर्म, कानून और राजनीति के नाम पर कैसे चूसा जाता है, होरी इस सत्य का सदेह प्रमाण है । होरी की कर्ण कहानी पढ़कर पाठक इस घोर अन्याय के विरुद्ध लड़ने को तत्पर हो जाते हैं । इसका मतलब है कि इस अन्याय प्रथा के विरुद्ध देश की जनता जो संघर्ष कर रही थी, प्रेमचन्द ने अपनी कृतियों द्वारा उसे सदा आगे बढ़ाया

है। यदि वे कभी समस्याओं का सुधारवादी हल बताते रहे हैं तो यह उनकी व्यक्तिगत नहीं बल्कि समूचे राष्ट्रीय आन्दोलन की ऐतिहासिक कमजोरी थी। उर्दू के प्रसिद्ध आलोचक सैयद एहतशाम हुसेन ने इस बारे में लिखा है—“प्रेमचन्द अपने हद्द के अन्दर जिन्दगी के मसाइल को नीम इसलाही और नीम इन्कलाबी नुक्ता नज़र से ही देख सकते थे, लेकिन उनकी बड़ाई यह है कि उन्होंने अपने अदन सफर में किसी ऐसी जगह कयाम नहीं किया जहाँ से तरक्की का रास्ता बन्द हो जाता हो।”

सांस्कृतिक देन

“हमारी सभ्यता साहित्य पर ही आधारित है । हम जो कुछ हैं साहित्य के बनाये हैं ।”
—प्रेमचन्द

जन-संस्कृति को बनाने और फैलाने में कथा-साहित्य का बड़ा हाथ होता है । कहानी सुनकर ही मनष्य न बोलना और दुनिया को समझना सीखा है । और फिर कथा-साहित्य ने न केवल जन-संस्कृति का निर्माण किया है बल्कि उसे सदियों से सुरक्षित भी रखा है । लेकिन कहानी-साहित्य जब केवल मनोरंजन और मन-बहलाव का ही साधन बनने लगता है, तब जनता की उन्नति के स्थान पर अवनति में भी उसका बड़ा हिस्सा होता है । प्रेमचन्द ने जब लिखना शुरू किया तो हमारे देश में कहानी-साहित्य प्रायः मनोरंजन का ही साधन बना हुआ था । तिलिस्मी, जासूसी और रोमांटिक चीजें लिखी जाती थीं । अंग्रेज साम्राज्यवादियों ने सामन्ती व्यवस्था को कृत्रिम ढंग से सुरक्षित रखा हुआ था और ऊपर से अपनी एक ऐसी सभ्यता हम पर लाद दी थी जिसे गुलामी की सभ्यता कहना ही उचित होगा । इससे हमारी साहित्य की स्वस्थ परम्परा और संस्कृति का विकास रुक गया । शासक-वर्ग यह भला भाँति जानता था कि यदि देश की जनता सांस्कृतिक क्षेत्र में पिछड़ी रहती है तो उसका स्वतंत्रता-संग्राम में सफल होना सम्भव नहीं है । इसलिये सांस्कृतिक उन्नति राजनीतिक संघर्ष का अविच्छिन्न अंग है । प्रेमचन्द ने इस तथ्य को अनुभव किया और देश की राजनैतिक और सामाजिक समस्याओं का अपनी कहानियों और उपन्यासों में विश्लेषण किया । उन्होंने हमारे जन-साधारण की, नई पीढ़ी के देश भक्त और जनसेवक नौजवानों को, श्रमजीवी किसानों और मजदूरों को, उत्पीड़ित अछूतों और स्त्रियों को अपनी कहानियों का नायक-नायिका बनाया और इस तरह पराधीनता, अन्याय, शोषण, अत्याचार और रूढ़िवाद के प्रति अपने पाठकों के मन में विद्रोह और विकलता उत्पन्न की और उन्हें देश की आजादी और विचार-स्वातन्त्र्य के लिए लड़ना सिखाया । यही प्रेमचन्द के साहित्य की हमारे समाज को एक सांस्कृतिक अथवा साहित्यिक देन है ।

प्रेमचन्द आदर्श को बड़ा महत्व देते थे और आदर्श को साहित्य की आत्मा कहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने साहित्य द्वारा सदा देश-सेवा, त्याग, क्षमा, बलिदान, वीरता और उदारता के उदात्त भावों से परिपूर्ण कर दिया। इन्हीं आदर्शों का प्रतिपादन करने के लिए उन्होंने देश के राष्ट्रीय इतिहास के पृष्ठों की छान-बीन की। राजपूत स्त्री-पुरुषों के त्याग, बलिदान और वीरता की कहानियाँ लिखीं और मुगलों के ह्यासोन्मुख वैभव का दिग्दर्शन कराया। लेकिन उनका ऐतिहासिक दृष्टिकोण स्वस्थ और प्रगतिवादी था। उन्होंने कहीं भी प्राचान वैभव का गुण-गान नहीं किया, आदर्शवादी होते हुए भी वे कभी पुनरुत्थानवादी नहीं बने। इतिहास के बारे में उनका मत स्पष्ट था। लिखते हैं :—

“हमें तारीख से यह सबक न लेना चाहिए कि हम क्या थे। यह भी देखना चाहिए कि हम क्या हो सकते थे। अक्सर हमें तारीख को भूल जाना पड़ता है। भूत हमारे भविष्य का रहबर नहीं बन सकता।” (‘कुछ विचार’ पृष्ठ ७१)

यह देखना कि हम क्या हो सकते थे, तारीख के बारे में स्वस्थ दृष्टिकोण है। हर एक देश की एक सांस्कृतिक परम्परा होती है जो आने वाली पीढ़ियों को पूर्वजों से विरासत में मिलती रहती है। हमारे देश की एक विशेष भौगोलिक स्थिति है। हमारे अपने नदी, मैदान और पहाड़ हैं, जा हमारी गति-विधि, रहन-सहन और विचार-धारा पर प्रभाव डालते हैं, जिससे हमारे जातीय चरित्र का निर्माण होता है। हमारे देश की एक विशेष आर्थिक और राजनीतिक परम्परा रही है, उसी परम्परा के अनुसार हमारे पूर्वज जन-जीवन को आगे बढ़ाने के लिए परिश्रम और संघर्ष करते रहे हैं। अपने इस सदियों के संघर्ष में उन्होंने सेवा, त्याग, बलिदान और वीरता के उच्चा दर्श कायम किये हैं। इन्हीं आदर्शों से हमारा राष्ट्रीय साहित्य और इतिहास ओत-प्रोत है। फिर हमारी अपढ़ जनता जो युग-युग से शोषित और संघर्षशील है, इन आदर्शों को और हमारी सांस्कृतिक परम्परा को सीने से लगाए हुए है। वह दरिद्र है, लेकिन उसमें त्याग, अतिथि-सेवा, समवेदना और उदारता का अभाव नहीं है। उसका तन क्षीण है, लेकिन आत्मा विशाल है। प्रेमचन्द राष्ट्रीय इतिहास, साहित्य और दर्शन का अपमान तो करते हा थे लेकिन पुस्तकों से कहीं अधिक उन्होंने जनता के यथार्थ जीवन से सीखा और उसके बीच में रहकर उसकी विशाल मनस्विता और महत्ता का साक्षात्

दर्शन किया था और अपनी 'मंत्र', 'निडर' और 'जलता मजार' आदि कहानियों में हमें भी उसी का दिग्दर्शन कराया है। जिन लोगों ने अंग्रेज शासकों से यह पाठ सीख लिया था कि पूर्व पूर्व है वे यह भूल जाय कि उन्हें सब कुछ पश्चिम से सीखना है, यह लोग भले ही अपने-आपको शिक्षित, सभ्य और संस्कृत समझते रहें और अपनी अंग्रेजियत की धुन में हिन्दी, उर्दू और दूसरी देशीय भाषाओं में बात करना पाप समझते रहें, प्रेमचन्द उन्हें कुछ अधिक आदर और सम्मान से नहीं देखते थे। अपने एक लेख में इन महानुभावों का उल्लेख इन शब्दों में किया है:—

“जो लोग इस प्रकार की जिन्दगी बसर करने के शौकीन हैं उनके लिए तो उर्दू, हिन्दी, हिन्दुस्तानी का कोई भगड़ा ही नहीं। वह इतनी बुलन्दी पर पहुँच गए हैं कि नीचे की धूल और गर्मी उन पर कोई असर नहीं कर सकती। वह मुग़ल्लक हवा में लटके रह सकते हैं। लेकिन हम सब तो हजार कोशिश करने पर भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। हमें तो इसी धूल और गर्मी में जीना और मरना है। *Intelligentsia* में जो कुछ शक्ति और प्रभाव है वह जनता ही से आता है। उससे अलग रह कर वे हाकम की सूरत में ही रह सकते हैं, खादिम की सूरत में जनता के होकर नहीं रह सकते। उनके अरमान और मनसूबे उनके हैं, जनता के नहीं। उनकी आवाज उनकी हैं, उसमें जन समूह की आवाज की गहराई और गरिमा और गम्भीरता नहीं है। यह अपने प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि नहीं।”
(‘कुछ विचार’ पृष्ठ ६३)

जनता का प्रतिनिधि वह है, जो जनता को समझने और उससे सीखने का प्रयत्न करता है। अपनी विद्या से उन्हें लूटने के बजाय उनकी मूक भावनाओं को शब्दों में ढालता है, उसे अपने मन की बात कहने के लिए ज़बान देता है। ‘प्रेमाश्रम’ ‘रंग भूमि’ और ‘कर्म भूमि’ में प्रेमचन्द हमारी इस अपढ़ जनता की ज़बान बन गए हैं। यहाँ लेखक की आवाज जनता की आवाज है और जनता की आवाज लेखक की आवाज है। ‘गोदान’ में तो यह आत्मीयता और गूढ़ी हो गई है। इस महान् कृति में जन-समूह की आवाज की गहराई और गरिमा और गम्भीरता एक साथ मिलती है। इस तरह हम देखते हैं कि यद्यपि प्रेमचन्द सामाजिक विषयों को लेकर लिखते थे, लेकिन उनमें वे जन-वार्णी का सम्मिश्रण कर देते थे, और उनके द्वारा वे

हमारी सांस्कृतिक परम्परा को आगे बढ़ाते थे और उच्चादर्शों का प्रतिपादन करते थे, जो हमारे ऐतिहासिक विकास को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। इसीलिए जिस साहित्य को प्रचार कहा जा सकता था उसे उत्कृष्ट और शाश्वत साहित्य का स्थान प्राप्त हुआ है और वे समझते थे कि ऐतिहासिक विषय को लेकर प्राचीन वैभव और गौरव का गुण-गान करते रहने से कुछ लाभ नहीं। उससे संस्कृति तो क्या आगे बढ़ेगी उल्टा आत्म-विडम्बना, रुढ़िवाद और मिथ्या धारणाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। लोगों को सामयिक जन-संघर्षों में लड़ते और जूझते दिखाना ही वास्तविक साहित्यिक और सांस्कृतिक सेवा है। वे चाहते थे कि दूसरे लेखक भी इसी परिपाटी का अनुकरण करें। प्राचीन वैभव की स्तुति करना छोड़कर वर्तमान और भविष्य की बात सोचें। जब प्रसाद जी ने यथार्थवादी सामयिक उपन्यास लिखे तो वह गद्गद हो उठे और उन्होंने जो कहा वह डॉक्टर भटनागर ने अपनी पुस्तक में उद्धृत किया है, हम भी उसे उद्धृत करने का प्रलोभन छोड़ नहीं सकते :—

“मुझे अब तक आपसे यह शिकायत थी कि आप क्यों प्राचीन वैभव का राग अलापते हैं, ऐसी चीजें क्यों नहीं लिखते जिनमें वर्तमान समस्याओं और गुत्थियों को सुलझाया गया हो।” (हंस)

वर्तमान समस्याओं और गुत्थियों का भी अतीत से गहरा सम्बन्ध होता है। यदि इस सम्बन्ध की केवल उपेक्षा की जाय तो यह टूटता नहीं बल्कि और जटिल हो जाता है और फिर नतीजा यह निकलता है कि समस्याएँ हल होने के बजाय भयंकर बन जाती हैं और गुत्थियाँ सुलझने के बजाय अधिक उलझ जाती हैं। प्रेमचन्द इस बात को समझते थे इसलिए वह अतीत के इस सम्बन्ध की उपेक्षा करने के बजाय उसे स्पष्ट कर देने का प्रयत्न करते थे। उसमें जो कुछ सजीव और स्वस्थ था उसे ग्रहण करने में तत्पर रहते थे और जो कुछ निर्जीव और गला-सड़ा था उसे छोड़ देने में जरा भी संकोच नहीं करते थे। मिसाल के तौर पर जैसाकि हम पहले लिख चुके हैं वे राजपूत स्त्री-पुरुषों के त्याग, बलिदान और वीरता के प्रशंसक हैं, लेकिन साथ ही उनमें द्याक्त्ववाद और अहवाद का भावना इस सीमा तक बढ़ी हुई थी कि उनकी सारा वीरता और बलिदान का इम्टी में मिला देती है। ‘राजा हरदोल’ कहानी में जहाँ प्रेमचन्द ने हरदोल की अतुल

वारता और महान् त्याग का दिग्दर्शन कराया है वहाँ बड़े भाई जुभारसिंह के घृणित अहंवाद पर भी भरपूर चोट की है।

यह अहंवाद जुभारसिंह का कोई व्यक्तिगत दोष नहीं था बल्कि यह एक जीवन-दर्शन है जो सामन्ती व्यवस्था का अविच्छेद अंग है इसी अहं-वाद का विकृत रूप हमें 'शतरंज के खिलाड़ी' कहानी में भी मिलता है। नवाबी विलासिता ने शतरंज के इन खिलाड़ियों को सब तरह अपंगु बना दिया है, त्याग, वीरता और बलिदान का उनमें एक भी गुण बाकी नहीं है लेकिन यह अहंवाद है जो एक कुँडलिए साँप की तरह कहीं एक कोने में बदस्तूर दुबका बैठा है। "उनमें राजनीतिक भावों का अधःपतन हो गया था— बादशाह के लिए, बादशाहत के लिए क्यों मरें? पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था। दोनों ने पेंतरे बदले, तलवारें चमकीं, छपाछप की आवाजें 'आइँ' और दोनों वीरों ने इस अहं की रक्षा के लिए जानें दे दीं।

हमारे देश में अब भी सामन्ती सामाजिक व्यवस्था कायम है। इसलिए यह जीवन-दर्शन हमारे सामाजिक सम्बन्धों में तह-दर-तह समाया हुआ है और हम स्वभाववश उसे अपनाए रखते हैं। इससे अपने जीवन को दुखी और दूषित होता देखते हैं लेकिन उससे छुटकारा नहीं पा सकते। दूसरे व्यक्ति की राय का आदर न करना, स्त्री को पाँव की जूती न समझना, बाप का बेटों को पीटना— इस अहंवाद के विभिन्न रूप हैं। प्रेमचन्द ने अपनी कहानियों और उपन्यासों में इस विषले साँप पर हर पहलू से चोट की है। और इस विषय पर 'बड़ा भाई' कहानी बहुत ही सुन्दर है। बड़ा भाई इतना नालायक है कि हर साल फेल होता है, फिर भी वह अपने छोटे भाई को जो हर साल अब्बल नम्बर पर पास होता है, डाँटना-डपटना और उपदेश करना अधिकार समझता है और वह उसे खेलने से रोकता है। यह बड़ेपन का अधिकार (Authoritarianism) उसे सामन्ती व्यवस्था (Patriarhal Society) ने दिया है।

साम्प्रदायिकता के जितने भी रूप हमें दिखाई पड़ रहे हैं उन सबका पोषण यह सामन्ती सामाजिक व्यवस्था करती है। प्रेमचन्द को साम्प्रदायिकता से अत्यन्त घृणा थी। उन्होंने इसके प्रत्येक रूप का पग-पग पर विरोध किया है। सन् १९२३ में शुद्धि-आन्दोलन के विरुद्ध एक लेख लिख देने से आर्यसमाजी बड़े तिलमिलाये थे, लेकिन उन्होंने इसकी जरा भी परवाह नहीं की। हिन्दी

उर्दू का भगड़ा इसी साम्प्रदायिकता का घृणित सांस्कृतिक रूप है, जो उन्हें दो भाषा बना देने पर उधार खाये बैठा है। लेकिन प्रेमचन्द जीवन-पर्यन्त न केवल उन्हें एक भाषा मानते रहे बल्कि अपनी रचनाओं द्वारा उन्हें एक बनाने और सिद्ध करने का प्रयत्न करते रहे।

हर पहलू से चोट करने पर भी यह विषैला साँप मरा नहीं, जीवित है और गाहे-गाहे फुंकार भी उठता है। इसे मार डालना सहज नहीं है। यदि एक हाथ चोट करता है, तो सौ हाथ रक्षा करते हैं, दूध पिलाते हैं। जब तक यह सामाजिक व्यवस्था रहेगी, यह साँप भी रहेगा। रूढ़िवाद और अन्ध-विश्वास भी तो इसी सामाजिक व्यवस्था के अंग हैं, इसी साँप के दूसरे रूप हैं जो भोली-भाली जनता की सरलता से लाभ उठाकर उसकी आस्तीन में पलते हैं। उसे काटते हैं और मनमाना खिराज वसूल करते हैं। 'सङ्गति' कहानी का नायक दुखी चमार इसी अन्ध विश्वास, श्रद्धा और भक्ति की वेदी पर बलिदान होता है। न जाने हमारे इस देश में कितने दुखी, दास और गरीब इस सद्गति को प्राप्त होते हैं ?

प्रेमचन्द की सभ्यता का रहस्य कहानी का नायक कहता है—“मेरे मन में एक नया प्रश्न उठ रहा है, और उसका जवाब मुझे कोई नहीं देता। प्रश्न यह है कि सभ्य कौन है और असभ्य कौन ? सभ्यता के लक्षण क्या हैं ?” और कुछ विचार के बाद यही नायक इस निष्कर्ष पर पहुँचता है तो यह सिद्ध हुआ कि सभ्यता का “देह से इतना सम्बन्ध नहीं है जितना मन से।” वाकई सभ्यता वह है जिससे हमारे मन का संस्कार होता है, जिससे हमारे विचार उत्कृष्ट हों।

प्रेमचन्द उन लोगों को जो ऊँची शिक्षा पाकर उच्च पदाधिकारी बन जाते हैं, बंगलों में रहते हैं और मोटर में घूमते हैं, सभ्य नहीं मानते। वे इस शोषण पर टिकी हुई राजसत्ता के अंग हैं, मनोवृत्तियों के दास और आत्म-सेवी हैं, उनका काम देश की जनता पर रोब गाँठना और अंग्रेज के बूट चाटना है। उन्हें सभ्यता और संस्कृति से दूर का भी वास्ता नहीं। वे सिर्फ सभ्यता का स्वांग भरते हैं। 'सभ्यता का रहस्य' नामी उक्त कहानी में प्रेमचन्द ने यही बात सिद्ध की है। रायसाहब रतनकिशोर जज हैं। उनकी अदालत में एक मुकदमा पेश होता है जिसमें शहर का एक बहुत बड़ा रईस खून के मामलों में फँस गया है। उसे वह हज़ारों रुपये रिश्वत लेकर छोड़

देते हैं। लेकिन यह रायसाहब अपने-आपको न्यायशील और नेकनाम सिद्ध करने के लिए उसी दिन अपने नौकर दमड़ी को सिर्फ इसलिए छः महीने की सजा देते हैं कि उसने अपने भखे बैलों के लिए किसी के खेत से थोड़ा सा चारा काटा था। बस इतनी बात पर दमड़ी चोर, बदमाश और असभ्य, लेकिन हजारों पर हाथ साफ करने वाले रायसाहब सभ्य, सुसंस्कृत और आदरणीय हैं। इसका मतलब यह है कि “सभ्यता केवल द्रतुर के साथ ऐब करने का नाम है।”

यह हुनर के साथ ऐब करने वाली सभ्यता अंग्रेजी पढ़े-लिखों में आम पाई जाती है। इसे हम मोटे तौर पर पूंजीवादी सभ्यता भी कह सकते हैं। उपानवशां व्यवस्था के कारण हमारे देश में वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रयोग नहीं हो सका। आर्थिक व्यवस्था क दूषित हानि के कारण आर्थिक सम्बन्ध भा दूषित रह और इसी से हमारे देश में इस पूंजीवादी सभ्यता का दूषित रूप ही मिलता है। पूंजीवादी युग में संसार की जो उन्नति हुई है, हमारा देश उससे वंचित रह गया। जो थोड़ा-बहुत पूंजी का विकास हुआ है वह अंग्रेजों की कृपा-दृष्टि से हुआ, इसलिए हमने पूंजीवादी सभ्यता के प्रायः दोष ही सीखे। ‘प्रेमाश्रम’ का ज्ञान शंकर इसी पूंजीवादी सभ्यता का दास है। उसे धन सम्पत्ति, पत्नी, पुत्र और अपनी आत्मा से भी प्यारा है। डॉक्टर इफान अली भी पैसे के भक्त हैं। अपने एक-एक मिनट को रुपयों में तोलते हैं। घर पर उनकी लड़की हेजे से मर रही है और वह ५००) रोज की फीस के लालच में गायत्री रानी की वकालत करने जा रहे हैं, बीवी उन्हें रोकना चाहती है तो उसे मूर्ख बताते हैं। ‘रंगभूमि’ के जान सेवक भी इसी पूंजीवादी सभ्यता के प्रतिनिधि हैं। उनके ज्ञानकोष समस्त उच्च सिद्धान्त स्वाथ के पर्याय हैं। प्रेमचंद इस पूंजीवादी सभ्यता से घृणा करते थे जो मनष्य को पैसे की गलाम बना देती है, जिसमें दया और मानवता का सर्वथा अन्त हो जाता है। यह लोग मंत्र से तो बड़े दयावान, न्यायशील और समाजवादी बनते हैं। लेकिन कर्म से सर्वथा हत्यारे और नीच होते हैं। प्रेमचन्द को इन लोगों से जरा भी सहानु-भूति नहीं। वे इनकी स्वार्थ-परायणता और नीचता की खूब कलाई खोलते हैं, बल्कि खुद उन्हीं के मुँह से उनके पाप उगलवाते हैं। ‘गोदान’ का अमरपाल सिंह कहता है—“नीच कहने को नीच है और जो ऊँचा है उसका मन तो और भी नीच है।”

प्रेमचन्द ने इस पूँजीवादी सभ्यता को 'महाजनी सभ्यता' का नाम दिया था। और इसी शीर्षक से उन्होंने एक महत्त्वपूर्ण लेख लिखा था जो उनकी मृत्यु के उपरान्त 'देश' में प्रकाशित हुआ था। इस लेख में उन्होंने महाजनी सभ्यता का बड़ा ही गम्भीर और विद्वत्तापूर्ण विवेचन करते हुए लिखा है :—

“मनुष्य समाज दो भागों में बँट गया है। बड़ा हिस्सा तो मरने और खपने वालों का है और बहुत ही छोटा हिस्सा उन लोगों का, जो अपनी शक्ति और प्रभाव से बड़े समुदाय को अपने बस में किये हुए हैं।”

यह छोटा हिस्सा समाज से अलग रहकर, समाज का शोषण करता है। और फिर इसी को समाज में आदर और सम्मान प्राप्त है। यही अपने आपको सभ्यता और संस्कृति का ठेकेदार समझता है। लेकिन उसकी सभ्यता और संस्कृति का आधार पैसा है। प्रेमचन्द लिखते हैं :—

“जिसके पास पैसा है वह देवता स्वरूप है, उसका अंतःकरण कितना ही काला क्यों न हो। साहित्य, संगीत और कला सभी धन की देहली पर माथा टेकने वालों में हैं। यह हवा इतनी जहरीली हो गई है कि इसमें जीवित रहना कठिन होता जा रहा है।” तो फिर—

“जिसमें मनुष्यता, अध्यात्मिकता, उच्चता, और सौंदर्य-बोध है, वह कभी ऐसी समाज-व्यवस्था की सराहना नहीं कर सकता, जिसकी नींव, लोभ, स्वार्थ-परता और दुर्बल मनोवृत्ति पर खड़ी हो।”

यह ठीक है कि इस समाज-व्यवस्था की सराहना नहीं की जा सकती और प्रेमचन्द ने कभी इसकी सराहना नहीं की। लेकिन प्रश्न यह है कि फिर वह कौन सी समाज-व्यवस्था है जिससे मानवता का कल्याण और संस्कृति का विकास सम्भव है? इस प्रश्न का उचित उत्तर वही मनुष्य दे सकता है जिसे जनता की विशाल और महान् शक्ति में दृढ़ विश्वास हो और जो जीवन के ऐतिहासिक विकास की दिशा को समझते हुए भ्रष्ट और अधिकांश अविद्यमान बताने से इन्कार कर दे। प्रेमचन्द ने जनता को और देश की आत्मा को भली प्रकार समझ लिया था और मनुष्य के शानदार भविष्य में उनका दृढ़ विश्वास था, विषम परिस्थितियों में भी उनका यह विश्वास अडिग रहा। 'कर्म भूमि' में डाक्टर शांतिकुमार के मुख से कहलाया है :—

“जिसे देखिए स्वार्थ में मग्न है, जो जितना ही महान है, उसका स्वार्थ”

भी उतना ही महान् है। योरप की डेढ़ सौ साल तक उपासना करके हमें यही वरदान मिला है; लेकिन यह सब होने पर भी हमारा भविष्य उज्ज्वल है। मुझे इसमें सन्देह नहीं। भारत की आत्मा अभी जीवित है, और मुझे विश्वास है कि वह समय आने में देर नहीं है जब हम सेवा और त्याग के पुराने आदर्श पर लौट जायेंगे, तब धन हमारे जीवन का ध्येय न होगा तब हमारा मूल्य धन के काँटे पर न तोला जायगा।” (‘कर्म भूमि’ पृष्ठ २२४)

इसी विश्वास के कारण प्रेमचन्द ने उस समाज-व्यवस्था का स्वागत खुले दिल से किया, जिसमें धन जीवन का ध्येय नहीं है, जहाँ मनुष्य का मूल्य धन के काँटे में नहीं तोला जाता। वह अपने ‘महाजनी सभ्यता’ वाले उक्त लेख में लिखते हैं:—

“परन्तु अब एक नई सभ्यता का सूर्य सुदूर पश्चिम से उदय हो रहा है, जिसने इस नाटकीय महाजनवाद या पूँजीवाद की जड़ खोदकर फेंक दी है, जिसका पूरा सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो अपने शरीर या दिमाग से मेहनत करके कुछ पैदा कर सकता है, राज्य और समाज का परम सम्मानित सदस्य हो सकता है।” फिर लिखते हैं—“महाजनी सभ्यता और उसके गुरु अपनी शक्ति भर उसका विरोध करेंगे, जनसाधारण को बहकायेंगे, उनकी आँखों में धूल भोंकेंगे, पर जो सत्य है एक न एक दिन उसकी विजय होगी और अवश्य होगी।”

प्रेमचन्द सत्य की विजय का विश्वास मन में लिये चले गए और अपना यही महान् विश्वास हमारे लिए विरासत में छोड़ गए। जब इस विश्वास की विजय होगी तभी सेवा और त्याग का आदर्श मनुष्य का जीवन-मंत्र बनेगा और तभी हमारी महान् संस्कृति का विकास होगा।

जो कुछ पुराना था रूढ़िगत था, प्रेमचन्द ने सदा उस पर चोट की और जो कुछ नया था विकासशील था उसे ग्रहण किया और उसका प्रतिपादन किया। इसी से वे हमारी नई और जनवादी संस्कृति के अग्रदूत हैं।

सूक्तियाँ

प्रेमचन्द-साहित्य में सूक्तियाँ पृष्ठ-पृष्ठ पर बिखरी पड़ी हैं, यदि उन सबको संकलित किया जाय तो एक बृहद् ग्रंथ तैयार हो सकता है और जल्दी में यह काम होने का भी नहीं है। इसके लिए बड़ परिश्रम की आवश्यकता है। हम सिर्फ बानगी के तौर पर उनकी कुछ सूक्तियाँ दे रहे हैं।

मनुष्य

यह दो पैरों वाला जीव उसी वक्त आदमी बना, जब उसने बोलना सीखा।

यह दर्जा आदमी को ही हासिल है कि वह अपने मन के भाव और विचार सफाई और बारीकी से बयान करे।

जिसकी आत्मा जितनी ही विशाल है, वह उतना ही महापुरुष है।

जहाँ मनुष्य अपने मौलिक, यथार्थ अकृत्रिम रूप में है वहीं आनन्द है।

मनुष्य जाति के लिए मनुष्य ही सबसे विकट पहेली है।

ज्वानी में मनुष्य इतना नहीं गिरता, उसके चरित्र में गव्वे की मात्रा अधिक होती है जो नीच साधनों से घृणा करती है।

नारी-चरित्र में अवस्था के साथ मातृत्व का भाव दृढ़ हो जाता है।

बुढ़ापे में पत्नी का मरना, बरसात में घर का गिरना है।

मानव-चरित्र न बिलकुल श्यामल होता है, न बिलकुल श्वेत। उसमें दोनों ही रंगों का विचित्र सम्मिश्रण होता है।

सीधे मार्ग पर चलने वाला मनुष्य पेचीदी गलियों में पड़ जाने पर अवश्य राह भूल जाता है।

केवल धन से कोई बड़ा थोड़े ही हो जाता है।

सच्चे आदमी को हम धोखा नहीं दे सकते। उसकी सच्चाई हमारे हृदय में उच्च भावों को जागृत कर देती है।

बुराइयों का मुख्य उपचार-मनुष्य का सद्ज्ञान है, इसके बिना कोई उपाय सफल नहीं हो सकता।

सिद्धान्तवादी मनुष्य हाव-भाव का प्रतिकार करने के लिए अपना दिल

मज्जबूत कर सकता है, वह अपने अन्तःकरण के सामने अपनी दुर्बलता स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन दुराग्रह के मुकाबले में वह निष्क्रिय हो जाता है तब उसकी एक नहीं चलती ।

मन एक भीरु शत्रु है, जो सदा ही पीठ के पीछे से वार करता है ।

मनुष्य जिस काम को हृदय से बुरा नहीं समझता उसके कुपरिणाम का भय एक गौरवपूर्ण धैर्य की शरण लिया करता है ।

जीवन के अनुभवों ने उन्हें बतला दिया था कि सिद्धान्तों की अपेक्षा मनुष्य अधिक आदरणीय वस्तु है ।

मनुष्य स्वभावतः न्याय-प्रिय होता है ।

सर्दियों से जंजीर में बंधा हुआ मनुष्य यदि अपनी मनुष्यता से वञ्चित हो जाय, तो उसका क्या दोष है ।

भाषा

जीवित भाषा तो जीवित देह की तरह बराबर बनती रहती है ।

समाज की बुनियाद भाषा है ।

भाषा सुन्दरी को कोठरी में बन्द करके आप उसका सतीत्व तो बचा सकते हैं, लेकिन उसके जीवन का मूल्य देकर ।

कौम की जबान वह है जिसे कौम समझे, जिसमें कौम की आत्मा हो, जिसमें कौम के जज्बात हो ।

भाषा के विकास में हमारी संस्कृति की छाप होती है, और जहाँ संस्कृति में भेद होगा, वहाँ भाषा में भेद होना स्वाभाविक है ।

आदर्श व्यापक होने से भाषा अपने-आप सरल हो जाती है ।

भाषा साधन है, साध्य नहीं ।

साहित्य

सच्चा साहित्य कभी पुराना नहीं होता ।

इतिहास जीवनके विभिन्न अङ्गों की प्रगति का नाम है और जीवन पर साहित्य से अधिक प्रकाश और कौन वस्तु डाल सकती है, क्योंकि साहित्य अपने देश-काल का प्रतिबिम्ब होता है ।

साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईट-पत्थरों में, पेड़-पौधों में विश्व की आत्मा का दर्शन करा देता है ।

साहित्य ही मनोविकारों के रहस्य खोलकर सद्वृत्तियों को जगाता है ।

साहित्य बदगुमानियों को मिटाने वाली चीज है ।

साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली चीज नहीं, उसके आगे-आगे चलने वाला 'एडवांस गार्ड' है ।

साहित्य की आत्म-आदर्श है और उसकी देह यथार्थ चित्रण ।

जहाँ सामंजस्य या हम-आहंगी है वहीं सौंदर्य है, वही सत्य है, वहीं हकीकत है ।

यथार्थ का यह आशय नहीं कि हम अपनी दृष्टि को अन्धकार की ओर ही केन्द्रित कर दें ।

हम हर-एक विषय की भाँति साहित्य में भी बौद्धिकता की तलाश करते हैं ।

साहित्य आदमी-आदमी के आपस के भेद को मिटाकर उनकी मौलिक एकता को व्यक्त करता है ।

उसका आधार सत्य-असत्य का-संघर्ष है ।

लिखते तो वे लोग हैं, जिनके अन्दर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, विचार है । जिन्होंने धन और भोग-विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया है, वे क्या लिखेंगे ?

साहित्य अपने काल का प्रतिबिम्ब होता है । जो भाव और विचार लोगों के हृदयों को स्पन्दित करते हैं वही साहित्य पर भी अपनी छाया डालते हैं ।

भावों को लेख-बद्ध करने में हम बहुत कुछ विचारशील हो जाते हैं ।

जीवन और कर्म

जीवन नाम है, सदैव आगे बढ़ते रहने की लगन का ।

शक्ति तो संघर्ष में है ।

संसार में रहना है, तो जिंदों की तरह क्यों न रहें । मुर्दों की तरह जीने से क्या फायदा ?

व्यर्थ जीने से व्यर्थ मर जाना अच्छा है ।

केवल गुड़ खाकर कौन जी सकता है । जिए भी तो वह सुखी जीवन नहीं होगा ।

जीवन की ट्रेजेडी और क्या है कि आप जो काम न करना चाहें वही आपको करना पड़े ।

वह शुभ घड़ियाँ, जिनसे हमारे जीवन में नवयुग का सूत्रपात होता है, हमारी भावनाओं में सहृदयता और विश्वास उत्पन्न करती हैं।

मन पर जितना ही गहरा आघात होता है, उसकी प्रतिक्रिया भी उतना ही गहरी होती है।

जीवन तो अनुभूतियों का नाम है।

रक्त और अग्नि ही मैं तो देवता बनते हूँ।

जिस बात को मैं अपनी आत्मा के लिए शुभ समझता हूँ उसमें मैं किसी से दबना नहीं चाहता। मैं इस गर्व का आनन्द उठाना चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ।

लोकाचार और हृदय में जमे हुए विचार हमारे जीवन में आकस्मिक परिवर्तन नहीं होने देते।

जीवन की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में भिन्न-भिन्न वासनाओं का प्राबल्य रहता है बचपन मिठाइयों का समय है, बुढ़ापा लोभ का, यौवन प्रेम और लालसाओं का समय है।

यौवन के पूर्व काल में हम अपनी कुवासनाओं के प्रदर्शन पर गर्व करते हैं, उत्तर काल में सद्गुणों के प्रदर्शन पर।

जो मनुष्य कभी पहाड़ पर नहीं चढ़ा है, उसका सिर छोटे से टीले पर भी चक्कर खाने लगता है।

सिपाही बनकर कोई लड़ने से जी चुराए, यह उसकी कीर्ति नहीं अपमान है।

जीवन में सफलता का सबसे जागता हुआ मंत्र अपना उद्योग है, इसके सिवाय और सब मंत्र भूठे हैं।

प्रेम

जो कभी रो नहीं सकता, वह प्रेम नहीं कर सकता। रुदन और प्रेम दोनों एक ही स्रोत से निकले हैं।

प्रेम जब आत्म-समर्पण का रूप लेता है, तभी ब्याह है उसके पहले ऐयारी है।

प्रेम ही हमारे जीवन का सत्य है।

औरत को जीवन में प्रेम न मिले तो उसका मर जाना ही अच्छा है।

धन से चाहे आदमी का मन भर जाय, लेकिन प्रेम से नहीं भरता ।

इज्जत के बिना प्रेम कलंक का टीका बन जाता है ।

प्रेम जितना आशावादी होता है, उतना ही क्षमाशील भी ।

जो आदमी प्रेम कर सकता है, वह धर्म, दया आदि सद्गुणों से शून्य नहीं हो सकता, प्रेम की ज्योति उसके हृदय को प्रकाशित करती रहती है । लेकिन जो प्राणी प्रेम का स्वाँग भरकर उससे अपना कुटिल अर्थ सिद्ध करता है, जो टट्टी की आड़ में शिकार खेलता है, उससे ज्यादा नीच-नराधम कोई हो ही नहीं सकता ।

प्रेम बसंत-समीर है, द्वेष ग्रीष्म की लू । जिस पुष्प को बसंत-समीर महीनों में खिलाती है उसे लू का एक भोंका जला कर राख कर देता है ।

स्थान के बदलने से प्रेम में कदाचित् नया उत्साह आ जाता है ।

प्रेम एक भावनागत विनय है, भावना ही से उसका पोषण होता है, भावना ही से वह जीवित रहता है और भावना ही से लुप्त हो जाता है । वह भौतिक वस्तु नहीं है ।

इच्छा और प्रेम में बड़ा भेद है, इच्छा अपनी ओर खींचती है, प्रेम खिंच जाता है ।

धर्म

धर्म नाम है उस रोशनी का जो कृतरों को समुद्र में मिल जाने का रास्ता दिखाती है, जो हमारी जात को हया-ओस्त में, हमारी आत्मा को व्यापक सर्वात्मा में, मिले होने की अनुभूति या यकीन कराती है ।

कानून और धर्म उसका है जिसके पास पैसा है ।

जो मोटे हैं उनके लिए ईश्वर दयालु होगा, क्योंकि वे दुनिया को लूटते हैं । हम-जैसों को तो ईश्वर की दया कहीं नजर नहीं आती । हाँ, भय पग-पग पर खड़ा घूरा करता है ।

जिससे दूसरों का भला हो वही सच है, जिससे दूसरों का नुकसान हो वही झूठ है ।

आदमी मन में दया बनाए रखे, यही सौ धर्म का एक धर्म है ।

दान, निकम्मे पुरुषार्थ-हीन और रंगे सियारों का सहारा है ।

पूर्व जन्म का किस्सा मन को बहलाने के लिए है । जिस दंड का हमें कारण ही मालूम न हो, उसका महत्त्व ही क्या है ?

समाज अपनी मर्यादाओं पर टिका हुआ है। उन मर्यादाओं को तोड़ दो, समाज का अन्त हो जायगा।

देवता वह है जो न्याय की रक्षा करे और उसके लिए प्राण दे दे।

देवताओं ने ही भाग्य और ईश्वर तथा भक्ति की मिथ्या धारणाएँ फैलाकर इस अनीति को अमर बनाया है।

आजकल धर्म तो धूर्तों का अड्डा बना हुआ है। इस निर्मल सागर में एक-से-एक मगर-मच्छ पड़े हुए हैं।

धर्म-परायणता को सहिष्णुता से वर है।

कानून और न्याय

अन्याय, अन्याय है; चाहे कोई एक आदमी करे या सारी जाति करे।

किसी कानून का विरोध करने के लिए उससे अधिक संगठन की आवश्यकता होती है, जितनी उसके जारी करने के लिए।

आत्माभिमान धार्मिक विषयों में लोकमत को जितना तुच्छ समझता है, लौकिक विषयों में लोकमत का उतना ही आदर करता है।

जिस राज्य का अस्तित्व अन्याय पर हो, उसका निशान जितना जल्द मिट जाय उतना ही अच्छा है।

अन्यायपूर्ण शासन शासन नहीं, युद्ध है।

विविध

दरिद्रता में बीमारी कोढ़ की खाज है।

पद या उपाधि या धन से किसी की आत्मा शुद्ध नहीं हो जाती।

जनता के फैसले साक्षी नहीं खोजते। अनुमान ही उसके लिए सबसे बड़ी गवाही है।

रण-क्षेत्र में जाने वाला रथ भी तो बिना तेल के नहीं चल सकता।

सत्य की एक चिगारी असत्य के एक पहाड़ को भस्म कर सकता है।

ईट का जवाब चाहे पत्थर हो, लेकिन प्रणाम का जवाब तो गाली नहीं।

जब डूबना ही है तो क्या तालाब और क्या गंगा।

जब दूसरे के पाँव तले अपनी गरदन दबी हुई हो तो उन पाँवों को सहलाने में ही अपना भला है।

हमारे मुँह की रोटी कोई छीन ले तो उसके गले में उंगली डालकर निकाल लेना हमारा धर्म हो जाता है।

आदमी को अपने सगों के मुँह से अपनी भलाई-बुराई सुनने की जितनी इच्छा होती है, उतनी बाहर वालों के मुँह से नहीं।

चरित्र परिस्थितियों के आधीन है।

जिसे हम डैमोक्रेसी कहते हैं वह असल में बड़े-बड़े ताजरोँ और जमींदारों का राज है। चुनाव में वही बाजी ले जाता है जिसके पास रुपया है।

नीच कहने को नीच है और फिर जो ऊँचा है उसका मन तो और भी नीच है।

यह मोटे रईस हैं इनके पेट में ऐसे कितने ही वायदे हज़म हो जाते हैं।

मनुष्य को धन से जो आदर मिलता है, वह उसका आदर नहीं धन का आदर है।

अपनी प्रशंसा सुनकर हम इतने फूल जाते हैं कि फिर हमें अच्छा-बुरा समझने का ज्ञान नहीं रहता।

जिस चीज से टक्कर लगने का भय होता है उससे हम और भी चिपट जाते हैं।

अपमान को चुप-चाप सहन कर लेना, नैतिक पतन की पराकाष्ठा है।

दूसरे प्राणियों की तरह दिमाग भी बहाना ढूँढ़ता है।

मन की एक अवस्था ऐसी होती है जब आँखें खुली होती हैं और कुछ दिखाई नहीं देता, जब कान खुले होते हैं और कुछ सुनाई नहीं पड़ता।

अवस्था में भी अभिमान होता है जो संचित धन के अभिमान से कम नहीं होता।

स्त्रियों में तो वेश्याएँ ही शिकारी होती हैं। पुरुषों में तो एक सिर से सभी शिकारी होते हैं।

बुद्धि जो कुछ करती है नीति पर कसकर करती है।

संसार में जो कुछ सुन्दर है उसी की प्रतिमा को मैं स्त्री कहता हूँ।

साधु प्रकृति के सामने छल भी लज्जित हो जाता है।

धन के देवता आत्म-बलिदान लिये बिना प्रसन्न नहीं होते।

ईर्ष्या गुण-प्राहकता से शून्य है।

चिन्ता की नींद भूखे तन का खेल है, शान्ति शून्य और आनन्द-रहित।

लड़कों की चोट बदला लेने के साथ ही लुप्त हो जाती है ।

हमारा चरित्र कितना दृढ़ हो उस पर संगति का असर अवश्य होता है ।

मन में जब एक बार भ्रम का प्रवेश हो जाय तो उसका निकलना कठिन हो जाता है ।

डाकुओं से धन की रक्षा की जा सकती है, पर साधुओं से नहीं ।

सौन्दर्य की सबसे मनोहर, सबसे मधुर छवि वह है, जब-जब वह सजल शोक से आर्द्र होता है, वही उसका आध्यात्मिक स्वरूप होता है ।

कोयल आम पाकर भी निमकौड़ियों पर नहीं गिरती ।

शोक की सीमा कंठारोध है; पर शुष्क और दाहयुक्त ! आनन्द की सीमा भी कंठारोध है, पर आर्द्र और शीतल ।

दूर का सुनहला दृश्य समीप आकर बालू का मैदान हो जाता है ।

विचारशीलता स्वभाविक सौन्दर्य को कितना मधुर बना देती है ।

विचारोत्कर्ष ही सौन्दर्य का वास्तविक शृङ्गार है ।

निराशा में प्रतीक्षा अन्धे की लाठी है ।

बिगड़ी हुई जनता वह जल-प्रवाह है जो किसी के रोके नहीं रुकता ।

दुरावेश में सौजन्य का नाश हो जाता है ।

जनता की दृष्टि में विद्या, बुद्धि और प्रतिभा का उतना मूल्य नहीं होता जितना चरित्र-बल का ।

विचारों की स्वतन्त्रता विद्या, संगति और अनुभव पर निर्भर होती है ।

उदासीनता वैराग्य का एक सूक्ष्म-स्वरूप है, जो थोड़ी देर के लिए मनुष्य को अपने जीवन पर विचार करने की क्षमता प्रदान कर देती है ।

अनुचित क्रोध में सोई हुई आत्मा को जगाने का विशेष अनुराग होता है ।

निबल क्रोध उदार हृदय में करुणा का भाव उत्पन्न कर देता है । किसी भिक्षु के मुँह से गाली खाकर एक सज्जन मनुष्य चुप रहने के सिवा और क्या कर सकता है ?

कोई वाद जब विवाद का रूप धारण कर लेता है तो अपने लक्ष्य से दूर हट जाता है ।

ऊँट जब तक पहाड़ पर नहीं चढ़ता यही समझता है कि मुझसे ऊँचा कौन होगा ?

हमसे कोई एक अँगुल दबे तो हम उससे हाथ भर दबने को तैयार हैं। जो हमसे जौ भर तनेगा हम उससे गज भर तन जायेंगे।

विपत्ति में भी जिस हृदय में सद्ज्ञान न उत्पन्न हो, वह सूखा वृक्ष है, जो पानी पाकर पनपता नहीं बल्कि सड़ जाता है।

द्वेष में दूसरों को धनी समझने की चेष्टा होती है।

क्रोध में आदमी अपने मन की बात नहीं कहता, वह केवल दूसरे का दिल दुखाना चाहता है।

जिसे कुल-मर्यादा की परवाह नहीं उससे उदारता की आशा रखना व्यर्थ है।

दासत्व के दाएण निर्दय आघातों से आत्मा का ह्लास हो जाता है।

सीधे का मुँह कुत्ता चाटता है।

सज्जनता केवल नैतिक महत्त्व की वस्तु नहीं उसका आर्थिक महत्त्व भी कम नहीं है।

स्वार्थ-नीति का जादू निर्बल आत्माओं पर खूब चलता है।

खुशामद अभिमान का सिर नीचा कर देती है।

रोगी अपने रोग को असाध्य देखता है तो पथ्यापथ्य की बेडियों को तोड़कर मृत्यु की ओर दौड़ता है।

गीली लकड़ी पहली आँच में रसती है, दूसरी आँच में जलकर भस्म हो जाती है।

सच्ची समवेदना मौन हुआ करती है।

